दशम माला, खंड 5, अंक 45

शुक्रवार, 13 सितम्बर, 1991
22 भाद्र, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

पहला सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 5 में अंक 41 से 49 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 13 सितम्बर, 1991 / 22 भाद्र ; 1913 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
53	नीचे से पंक्ति 8	प्रश्न संख्या "700" के स्थान पर "7004" पढ़िये।
61	7	मंत्री के नाम के पश्चात "(क)" अन्त:स्थापित करिये।
65	नीचे से पंक्ति 6	मंत्री के नाम के पश्चात (क) अन्त:स्थापित करिये।
68	11	मंत्री के नाम के पश्चात "(क) से (ग)" अन्त:-- स्थापित करिये।
98	15	"(क) से (ख)" के स्थान पर "(क) और (ख)" पढ़िये।
150	5	प्रश्न संख्या "71 9" के स्थान पर "7129" पढ़िये।
167	13	(ङ) के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
193	13	"(ख)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।
207	नीचे से पंक्ति 11	"श्रीमती भावना चीखलिया" के स्थान पर "श्रीमती भावना चिखलिया" पढ़िये।

विषय-सूची

दशम माला, खंड 5, पहला सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 45, शुक्रवार, 13 सितम्बर, 1991/22 भाद्र, 1913 (शक)

विषय			पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	...	...	2-22
*तारांकित प्रश्न संख्या : 815, 816, 819, 820 और 822			
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	...	...	22-207
तारांकित प्रश्न संख्या : 817, 818, 821, और 823 से 836			
अतारांकित प्रश्न संख्या : 6885 से 7163			
सभा पटल पर रखे गए पत्र	...	...	225-229
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य			
जर्मन संघीय गणराज्य की यात्रा			
श्री पी० वी० नरसिंह राव	...	...	229-231
नियम 377 के अधीन मामले	...	...	231-234
(एक) छोटे इलायची उत्पादकों को दिए गए ऋणों को माफ करने तथा उनको अन्य करों में भी छूट देने की आवश्यकता			
श्री पाला के० एम० मैथ्यू	...	...	231
(दो) बोलनगीर में विशेष विकास बोर्ड गठित करने की आवश्यकता			
श्री शरत चन्द्र पटनायक	...	...	232
(तीन) "पट्टा प्रणाली" समाप्त करने के लाभ सहकारी आवास समितियों को भी देने की आवश्यकता			
श्री गिरधारी लाल भार्गव	...	...	232
(चार) अहमदाबाद शहर के लिए पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने की आवश्यकता			
श्री हरिन पाठक	...	...	232-233

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय पृष्ठ

(पांच) विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में, बुनकरों तथा विद्युत करघा और हथकरघा श्रमिकों को रियायती दरों पर धागा सप्लाई करने की आवश्यकता

डा० असीम बाला ... ...

(छः) रवीन्द्र नाथ टैगोर की कृतियों पर प्रतिलिप्यधिकार की अवधि को बढ़ाने के लिए प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की विस्तृत समीक्षा करने की आवश्यकता

श्री चित्त बसु 233-234

(सात) चलकुडी रेलवे स्टेशन पर उपरि पुल का निर्माण करने की आवश्यकता

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन 234

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक : 234-248

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री राम कापसे 234-236

श्री चिन्नासामी श्री निवासन 236-238

श्री संदीपन भगवान थोरट 238-241

श्री उद्धव बर्मन 241-245

श्री चित्त बसु 245-247

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर 247-248

कार्य मंत्रणा समिति

छठा प्रतिवेदन 249

विधेयक पुरःस्थापित

(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 18क का अंतःस्थापन)

श्री सत्यगोपाल मिश्र 249

(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक (आठवीं अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन)

श्री सत्यगोपाल मिश्र 250

(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 310 और 311 में संशोधन)

श्री सत्यगोपाल मिश्र 250

(चार) वन विधेयक

श्री चन्दूभाई देशमुख 250-251

(पांच) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक (अनुसूची में संशोधन)

श्री सैयद शाहबुद्दीन 251

विषय पृष्ठ

(छः) कृषि कर्मकार (न्यूनतम मजदूरी तथा कल्याण) विधेयक

श्री चन्दूभाई देशमुख 251

(सात) पदों तथा सेवाओं में रिक्त स्थानों का (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए) आरक्षण विधेयक

श्री चन्दूभाई देशमुख 252

(आठ) मद्रास उच्च न्यायालय (मदुरै में एक स्थायी-न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक

श्री ए०जी०एस० रामबाबू 252

(नौ) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 58 आदि में संशोधन)

श्री मोहन सिंह 252-253

(दस) उपभोक्ता संगम (रजिस्ट्रीकरण) विधेयक

श्री राम कापसे 253

(ग्यारह) अनिवार्य बन्ध्यीकरण विधेयक

श्री रामेश्वर पाटीदार 253

(बारह) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 350क में संशोधन)

श्री सैयद शाहबुद्दीन 254

(तेरह) गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक (धारा 3 तथा 4 में संशोधन)

कुमारी उमा भारती 254

(चौदह) एक कुटुम्ब एक पद (सरकारी सेवा में) विधेयक

श्री सी०पी० मुदालगिरियप्पा 254-255

(पन्द्रह) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 371 में संशोधन)

श्री उत्तमराव देवराव पाटिल 255-256

(सोलह) गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक (धारा 3 और 4 में संशोधन)

श्रीमती सुमित्रा महाजन 256

(सत्रह) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 376 में संशोधन)

श्री काशी राम राणा 257

(अठारह) अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण विधेयक

श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा 257

विषय			पृष्ठ

(उन्नीस) विकलांग, नि:शक्त और मानसिक रूप से अवरुद्ध व्यक्ति कल्याण विधेयक

श्री सी०पी० मुदालगिरियप्पा 257-258

(बीस) विवाह अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक

श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा 258

(इक्कीस) संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 48 का अंत:स्थापन)

श्री भगवान शंकर रावत 258

(बाईस) स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक (धारा 2 आदि में संशोधन)

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय 259

(तेईस) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक (अनुसूची में संशोधन)

श्री उत्तमराव पाटिल 259

(चौबीस) वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक (धारा 2, आदि में संशोधन)

श्री रामेश्वर पाटीदार 259-260

(पच्चीस) मानव संसाधन (उपयोग) विधेयक

श्री एस० बी० सिदनाल 260

(छब्बीस) युवा कल्याण विधेयक

श्री एस० बी० सिदनाल 260

(सत्ताईस) राष्ट्रीय बाल कल्याण बोर्ड विधेयक

श्री एस० बी० सिदनाल 260-261

(अट्ठाईस) सरकारी कार्यालयों में अवकाश पर निबंन्धन विधेयक

श्री एस० बी० सिदनाल 261

(उन्नतीस) आतंकवाद के पीड़ितों का पुनर्वास विधेयक

प्रो० के० वी० थामस 261

(तीस) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 311 में संशोधन)

प्रो० के० वी० थामस 262

(इकत्तीस) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 2 आदि में संशोधन)

श्री राजगोपाल नायडू रामासामी 262

विषय			पृष्ठ
(बत्तीस) उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक (धारा 2 आदि में संशोधन)			
श्री राम कापसे	...	...	262-263
(तैंतीस) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 370 में संशोधन)			
कुमारी उमा भारती	...	...	263
(चौंतीस) मुम्बई उच्च-न्यायालय (पुणे में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक			
श्री अन्ना जोशी	...	...	290
(पैंतीस) कलकत्ता उच्च न्यायालय (सिलीगुड़ी में एक न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक	...	...	290
संविधान (संशोधन) विधेयक —वापस लिया गया	...	...	263
(नए अनुच्छेद 19 क का अन्तःस्थापन)			
विचार करने के लिए प्रस्ताव			
श्री चित्त बसु	...	...	263-269
श्री विजय एन० पाटिल	...	...	269-272
प्रो० प्रेम धूमल	...	...	272-273
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	...	...	273-275
श्री मोहन सिंह	...	...	275-277
प्रो० के० वी० थामस	...	...	277-279
श्री सुधीर गिरि	...	...	279-280
अध्यक्ष महोदय: डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	...	..	281-282
सुल्तानपुरी	...	...	282-284
श्री तेज नारायण सिंह	...	...	284-285
श्री दाऊ दयाल जोशी	...	...	285-286
श्री एम० एम० जैकब	...	...	286-287
श्री राम लाल राही	...	...	287-289
रोजगार गारन्टी विधेयक	...	...	290-292
विचार करने के लिए प्रस्ताव			
श्री भोगेन्द्र झा	...	...	291-292

विषय			पृष्ठ
वित्त (संख्यांक 2) विधेयक — जारी	...	...	292-374
विचार करने के लिए प्रस्ताव			
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	...	...	292-295
श्री इन्द्रजीत	...	...	295-299
श्री एच० डी० देवगोडा	...	...	299-303
श्री मोहन रावले	...	...	303-307
श्री अमल दत्त	...	...	307-310
डा० बसंत निवृत्ति पवार	...	...	310-312
श्री काशीराम राणा	...	...	312-314
श्री याइमा सिंह युमनाम	...	...	315-317
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	...	...	317-321
श्री हरिकेवल प्रसाद	...	...	322-324
प्रो० प्रेम धूमल	...	...	324-326
श्री आस्कर फर्नान्डीज	...	...	326-327
श्री तेज नारायण सिंह	...	...	327-330
श्री पीटर जी० मरबनिआंग	...	...	330-333
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	...	...	333-334
श्री नारायण सिंह चौधरी	...	...	334-337
श्री जॉर्ज फर्नान्डीज	...	...	337-347
श्री के० पी० रेड्डय्या यादव	...	...	347-350
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी	...	...	350-355
श्री भैरू लाल मीणा	...	260-261	
श्रीमती वसुन्धरा राजे	...		
श्री अन्ना जोशी	...	...	359-360
श्री अयूब खां	...	...	361-362
श्री ताराचन्द खण्डेलवाल	...	...	362-366
श्री राम नाईक	...	...	366-370
श्री वी० कृष्णा राव	...	...	370-372
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	...	...	373-374

लोक सभा

शुक्रवार, 13 सितम्बर, 1991/22 भाद्र, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, अभी हम लोग 106 मेम्बर्स ऑफ पार्लियामैंट राष्ट्रपति जी के यहां गए थे, शैड्यूल्ड कास्ट शैड्यूल्ड ट्राइब्स फोरम के माध्यम से लेकिन हम लोगों को इस बात का दुख है कि हम लोग राष्ट्रपति के यहां···(व्यवधान)···केवल एक पार्टी के नहीं, ऑल पार्टी के आदमी हम लोग गए थे, जो लोग नहीं गए हैं, वह मत बोलिए, पर हम लोग गए थे और उसमें सब पार्टीज के मेम्बर्स ऑफ पार्लियामैंट गए थे । हम लोगों ने आधे घंटे तक वहां वेट किया कि जो एट्रासिटीज पूरे देश में लोगों पर चल रही हैं, उनके बारे में उन्हें जानकारी दें लेकिन (व्यवधान)

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

श्री राम विलास पासवान : तब कार्यवाही वृत्तांत में क्या सम्मिलित किया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपति जी के बारे में कोई भी बात कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं की जाएगी ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह अभूतपूर्व है···(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रकार न चिल्लाएं ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सभा में राष्ट्रपति के बारे में कुछ भी उल्लेख करने की अनुमति नहीं दूंगा । यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, आप नहीं समझते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं । श्री आचार्य जी जो कह रहे हैं वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह अत्यन्त गम्भीर मामला है और यह अभूतपूर्व है ।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : *मैं इस बारे में आपसे कक्ष में बात करूंगा। राष्ट्रपति जी के बारे में कोई भी उल्लेख कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। सभा में इस पर ऐसे चर्चा नहीं की जा सकती। संविधान में इस बारे में कुछ प्रावधान हैं। वरिष्ठ सदस्य होने के नाते आप इसे समझने की कोशिश करें।*

श्री बसुदेव आचार्य : चूंकि यह अत्यन्त गम्भीर मामला है अत: क्या प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद आप हमें इसकी अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे कक्ष में बात करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : हम लोगों की भावनाओं को भी तो समझना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप मामला समझिए कि आपका बनाया हुआ कांस्टीट्यूशन है और हाइएस्ट एथोरिटी के बारे में इस प्रकार से चर्चा नहीं चलती है ··

श्री राम विलास पासवान : हम वोटर हैं उनके···

अध्यक्ष महोदय : आप उनके वोटर हो सकते हैं मगर कांस्टीट्यूशन आपसे नहीं बना है, कांस्टीट्यूशन आपसे भी बड़ा है, कांस्टीट्यूशन इस हाउस से भी बड़ा है, जो प्रोवीजन कांस्टीट्यूशन में दिया है, उसके खिलाफ आप कोई बात करेंगे तो मैं एलाऊ नहीं करूंगा और आपको उसके बारे में एबाइड करना चाहिए। एक तो इंस्टीट्यूशन ऐसी होनी चाहिए जिसको आप···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : कृपया प्रश्न काल समाप्त होने के बाद आप हमें इसकी अनुमति दे दें। यह अत्यंत गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपने कक्ष में बात करूंगा।

(व्यवधान)

———

11.06 म० पू०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-52

*815. **श्री लाईता उम्बे** :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-52 के निर्माण कार्य की गति बहुत धीमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस राजमार्ग के पूरा होने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) सियांग, दिबांग और लोहित नदियों पर पुलों के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) इस राजमार्ग के निर्माण के प्रारम्भ से वर्षवार आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 (लगभग 336 किलोमीटर) का जोनाई से दिराक वाला भाग सीमा सड़क संगठन ने 1988 तक विभिन्न चरणों में अपने हाथ में ले लिया था।

2. इस समय इस मार्ग का 90 कि०मी० भाग, जोनाई से रानाघाट (42 किलोमीटर), रोईंग से हुनली मार्ग का 8.5 किलोमीटर और तेज से ब्रह्मकुण्ड (40 किलोमीटर) का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और यह मार्ग हर मौसम में उपयोग में लाए जा सकने योग्य है। इस सेक्टर का अगला 166 किलोमीटर का भाग, जो विभिन्न टुकड़ों के रूप में है, केवल साफ मौसम के दौरान यातायात के लायक बनाया गया है। शेष 80 कि०मी० वाले भाग का जहां तक संबंध है पासीघाट से मेबो तक 21 किलोमीटर मार्ग के निर्माण का काम शुरू किया गया है। शेष 59 किलोमीटर भाग का निर्माण कार्य पुलों के लिए स्थल निर्धारण और उसी के अनुरूप सड़क के निर्माण के संबंध में तकनीकी बोर्ड द्वारा स्थलों की जांच किए जाने और उसकी अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद शुरू किया जाएगा। बोर्ड ने जांच कार्य शुरू किया हुआ है। इस राजमार्ग पर उक्त बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस राजमार्ग पर निर्माण संबंधी काम पूरा करने के लिए एक कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा।

3. सियांग और लोहित पुलों के निर्माण में निम्नलिखित प्रगति हुई है :

सियांग	28%
लोहित	13.5%

दिबांग पुल का निर्माण इस मार्ग के मेबो-निजामघाट सेक्टर की सड़क को मिलाने के संबंध में अन्तिम निर्णय ले लिए जाने के बाद ही शुरू किया जाएगा।

4. इन निर्माण कार्यों के लिए 1982-83 से निर्धारित राशि और उन पर हुए खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	आबंटन	व्यय (लाख रुपयों में)
1982-83	5	5
1983-84	43	43
1984-85	85	117

वर्ष	आवंटन	व्यय (लाख रुपयों में)
1985-86	98	127
1986-87	185	223
19:7-88	280	311
1988-89	588	682
1989-90	695	976
1990-91	1104	968
	3083	:452
प्रोफार्मा व्यय	87	
कुल	3170	***3452

***282 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय 10 वर्षों की अवधि का है।

श्री लाईता उम्ब्रे : महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग 52 का अरुणाचल प्रदेश में पड़ने वाले भाग को, जो अनुमानतः 336 कि०मी० लम्बा है, को 1982-83 में सीमा सड़क संगठन ने अपने हाथ में ले लिया था। लगभग :0 सालों में इस पर 34 52 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इस सड़क के 90 कि०मी० भाग पर सभी मौसमों में वाहन आ जा सकते हैं और 116 कि०मी० में विभिन्न भागों में केवल ठीक मौसम में ही वाहन आ जा सकते हैं। जैसाकि मंत्री महोदय ने बताया है कि सीमा सड़क संगठन ने इसका निर्माण नहीं किया है ब'ल्क राज्य के लोक निर्माण विभाग ने इसे हाथ में ले लिया है।

दुर्भाग्यवश, आज तक सीमा सड़क संगठन ने इस सड़क का 59 कि०मी० भाग भी पूरा नहीं किया। इस क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 52 के पूरा होने से अरुणाचल प्रदेश के सियांग, दिबांग और लोहित नामक तीन जिलों को जोड़ेगा। अतः माननीय मन्त्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या नई सरकार धनराशि का आबंटन करके इसे प्राथमिकता प्रदान करेगी।

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, हम माननीय सदस्य की बात से सहमत हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग को प्राथमिकता दी जाए क्योंकि अरूणाचल प्रदेश के विकास में राष्ट्रीय राजमार्ग का काफी महत्व हैं। महोदय, यह सत्य है कि इस राजमार्ग का निर्माण कार्य उतनी तेजी से नहीं किया गया जितनी तेजी से हमने अपेक्षा की थी और ऐसा कुछ कारणों से है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष महत्व रखते हैं।

रानाघाट-निजामाघाट के बीच 80 कि०मी० मार्ग पर तथा रोईंग-हुनली के बीच 85 किमी० मार्ग पर कोई सड़क नहीं है और वहां पर सड़क बनाई जानी है। 77 कि०मी० सड़क की मरम्मत की जानी है और 95 कि०मी० में छुट-पुट मरम्मत करने के साथ-साथ पुल बनाए जाने हैं।

महोदय, यह सड़क बड़ी संख्या में प्रमुख नदियों से होकर गुजरती है। 46 स्थानों पर स्थायी पुल बनाने की आवश्यकता है। इस साल के दौराम कुछ नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया है। अतः

सड़कों को मिलाने तथा उन पर पुल बनाने में काफी कठिनाइयां हैं। इस कार्य के लिए श्रमिकों, सामान तथा उपस्करों आदि को ले जाने में काफी समय लगेगा। तीन पुलों का निर्माण किया जा रहा है; 18 पुलों का अध्ययन चल रहा है। इस समस्या को महत्वपूर्ण मानते हुए रक्षा मंत्रालय ने तकनीकी समिति कोर का गठन किया गया ताकि परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए योजना, कार्यक्रम का समन्वय किया जा सके। धन की उपलब्धता मुख्य कठिनाई नहीं है। मैंने जो समस्याएं बताई हैं वह बाधाओं की हैं।

श्री लाइता उम्ब्रे : महोदय, मैं नहीं जानता कि मंत्री महोदय को यह जानकारी कैसे मिली। चूंकि मैं इस क्षेत्र का रहने वाला हूं और मैं इस बारे में अच्छी तरह से जानता हूं। 90 कि० मी० से 160 कि० मी० का हर मौसम में उपयोग लाए जाने वाला भाग सीमा सड़क संगठन ने नहीं बनाया बल्कि लोक निर्माण विभाग ने इसे अपने हाथ में ले लिया था। मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 52 का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यह कुछ उन मार्गों को जोड़ेगा जो चीनी सीमा की ओर जाते हैं।

दिबांग घाटी में एक और जिला मुख्यालय है जिसे अमिनी कहा जाता है और इसे पिछले साल ही सड़क द्वारा जोड़ा गया है लेकिन इसे हर मौसम में उपयोग नहीं किया जा सकता है।

वालांग नाम से एक और मण्डल प्रशासन है। 1962 की लड़ाई के समय इसे चीन ने हथिया लिया था। इस प्रशासनिक मुख्यालय को भी पिछले साल ही जोड़ा गया है। इन दोनों सड़कों पर यातायात नहीं चल सकता है। अतः मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस मुद्दे पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करेंगे।

श्री एस० कृष्ण कुमार : हम जानते हैं कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग का सामरिक महत्व है और इसी कारण यह सीमा सड़क संगठन के प्रशासनिक नियंत्रण में है। जैसा कि मैंने पहले अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग के अनेक हिस्सों को जोड़ने के कार्य को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। माननीय सदस्य ने इन दोनों मुद्दों को जोड़ने के लिए अपने अनुपूरक प्रश्न में जो सुझाव दिए हैं उन पर सरकार विचार कर सकती है। हम उनके सुझावों की जांच कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सूर्यनारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, सीमावर्ती इलाके की जितनी सड़क है, वह लगभग सब जगह है और इसी से संबंधित चाइना, बंगाल और नेपाल के बार्डर पर प्रधान मन्त्री पं० जवाहर लाल नेहरू ने दरभंगा से फारबीसगंज की रोड की स्वीकृति दी थी, जिसे अभी तक रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाने का काम नहीं किया गया है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण सड़क पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए, क्या आप उस सड़क को बनाने का विचार रखते हैं।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, सीमा सड़क संगठन ने 18,000 कि० मी० से अधिक सड़कें बनाई हैं और औसतन प्रतिवर्ष हम 700 कि०मी० सड़क बनाने का लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं। यह कार्य चल रहा है। माननीय सदस्य ने बंगाल-नेपाल सीमा के बारे में जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में मेरे पास अभी कोई जानकारी नहीं है। मुझे यह देखना पड़ेगा कि यह प्रस्ताव विशेष किस चरण पर है।

असम के पर्वतीय जिलों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना

*816. **डा० जयंत रंगपी :**

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के कर्बी आंगलांग तथा उत्तरी कछार पर्वतीय जिलों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या नीति है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन दो पर्वतीय जिलों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने तथा यहां भी बाकी देश के समान ही व्यवस्था करने का है;

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई जानकारी के अनुसार असम के उक्त जिलों में कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक नहीं की गई है।

(ख) भारत के संविधान की छठी अनुसूची के उपबन्ध उपरोक्त (क) में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन को लागू हैं।

(ग) से (ङ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री जयंत रंगपी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि कर्बी आंगलांग तथा उत्तरी कछार पर्वतीय जिलों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग नहीं किया गया है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने संबंधी सरकार की नीति के बारे में मेरे प्रश्न के भाग (ख) के संदर्भ में उन्होंने इसका उल्लेख किया है।

उन्होंने कहा है कि छठी अनुसूची के प्रावधान असम के इन दोनों जिलों के प्रशासन पर लागू होते हैं। छठी अनुसूची के इस पैरा चार से संबंधित प्रावधान में स्पष्ट रूप से जिला परिषदों को न्यायिक कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है, वे न्यायिक कार्य तभी कर सकते हैं जब मामला जनजातियों के बीच हो। यदि विवाद में एक पक्ष गैर-जनजातीय है तब जिला परिषद उनका मुकदमा नहीं चला सकती है। अत: उन सभी मामलों में, जिनमें गैर-जनजातीय व्यक्ति होते हैं, और जिनमें एक पक्ष गैर-जनजातीय होता है, उनके मुकदमे आम न्यायालयों में चलाए जाते हैं।

यहां तक कि 1951 में जिला परिषदें भी गठित नहीं की गई थीं क्योंकि राज्य सरकार ने बाधायें उत्पन्न की थीं। अत: पिछले 40 सालों में जनजातीय व्यक्तियों से संबंधित एक भी मुकदमा जिला परिषद में नहीं चलाया गया है। स्वतंत्रता के बाद से सभी न्यायिक कार्य आम न्यायालय द्वारा किए गए हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह यह सोचते हैं कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की प्रथा निष्पक्षता तथा प्राकृतिक न्याय के मूल मुद्दे का उल्लंघन है, क्या वह यह सोचते हैं या नहीं कि असम के इन पर्वतीय जिलों के लोगों को उनके प्राकृतिक न्याय से वंचित किया जा रहा है क्योंकि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग नहीं किया गया है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के बारे में संविधान के अनुच्छेद 50 अर्थात् राज्य के नीति निदेशक तत्वों में स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया गया है कि राज्य संघ की सरकारी सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा। इसके अलावा संविधान की छठी अनुसूची में स्पष्ट रूप से वह प्रक्रिया बताई गई है जिसके द्वारा कुछ अधिसूचित, विनिर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों के मामले में सिविल प्रक्रिया के साथ-साथ दंड प्रक्रिया के कानून लागू होते हैं। संविधान के ढांचे के अंतर्गत ऐसा उन जनजातीय क्षेत्रों में किया गया है जिनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा रीति रिवाज और कार्य पद्धति अन्य क्षेत्रों से भिन्न है। कार्यों की यही योजना छठी अनुसूची में दी गई है। छठी अनुसूची के खंड 5 के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि राज्यपाल इन क्षेत्रों में सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता लागू करने के लिए निर्णय लेगा।

भारत सरकार की नीति से हम पूर्णतः सहमत हैं और हमें सहमत होना चाहिए। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत, हम न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने में विश्वास करते हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए तथा 37वें विधि आयोग, जिनके द्वारा 1974 की दंड प्रक्रिया संहिता बनाई गई, विभिन्न विधि आयोगों की सिफारिशों को लागू करते हुए यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यकारी मजिस्ट्रेट कौन होते हैं। लेकिन यह राज्य सरकार तथा राज्यपाल के निर्णय पर निर्भर करता है और संविधान में इसका प्रावधान है। इस मामले में संघ सरकार कुछ ही कार्य कर सकती है। चूंकि यह अत्यंत नाजुक विषय है इसलिए हम यह नहीं बताना चाहते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है और भारत के संविधान के ढांचे में हमारे लिए यह कहना उचित नहीं है कि यह असम के उन दो जिलों के साथ अन्याय हुआ है अथवा न्याय हुआ है।

श्री चित्त बसु : आप राज्यपाल को सलाह दे सकते हैं।

डा० जयन्त रंगपी : मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने मेरे पूरक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैंने स्पष्ट रूप में पूछा है कि क्या वे सोचते हैं कि यह असम के दो पर्वतीय जिलों के लोगों को मौलिक अधिकारों से नैसर्गिक न्याय से बातचीत करना है।

अध्यक्ष महोदय : आपने राय मांगी है; यह सभा में नहीं दी जाती है।

डा० जयन्त रंगपी : उन्होंने प्रक्रिया के बारे में भी गलत बताया है। आपकी अनुमति से मैं छठी अनुसूची के पैरा 4 की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 4 में यह स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया गया है, जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूं :

"4. स्वशासी जिलों तथा स्वशासी प्रदेशों में न्याय प्रशासन।

(1) स्वशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद ऐसे प्रदेश के भीतर के क्षेत्रों के संबंध में और स्वशासी जिले की जिला परिषद ऐसे क्षेत्रों से भिन्न जो उस जिले के भीतर की प्रादेशिक परिषदों के, यदि कोई हों, प्राधिकार के अधीन हैं, उस जिले के भीतर के अन्य क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे वादों और मामलों के विचारण के लिए जो ऐसे पक्षकारों के बीच हैं जिनमें से सभी पक्षकार ऐसे क्षेत्रों के भीतर की अनुसूचित जनजातियों के हैं तथा जो उन वादों और मामलों से भिन्न हैं।"

अतः, मेरा दूसरा प्रश्न है कि—जैसा कि उन्होंने संविधान का गलत उद्धरण दिया है, मैं उसे

उद्धृत कर रहा हूं···

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना दूसरा पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं ?

डा० जयन्त रंगपी : उन्होंने इसका गलत उद्धरण दिया है इसलिए मैं संविधान का उद्धरण दे रहा हूं जिसमें कि यह प्रावधान दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह न्यायालय नहीं है जहां हम संविधान की व्याख्या कर रहे हैं। आप प्रश्न पूछिए और जवाब लीजिए। संविधान और विधि की व्याख्या करना न्यायालय का कार्य है। हमारे पास उस कार्य के लिए यहां समय नहीं है।

डा० जयन्त रंगपी : सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए न्यायिक जिला परिषदें अब परंपरागत रिवाजों अथवा प्रचलित कानूनों द्वारा शासित हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से ऐसा ही है। करबी अंगलांग और उत्तरी कच्छार पर्वतीय जिलों में दण्ड प्रक्रिया के अन्तर्गत न्यायालय में एक भी मामला नहीं निपटाया गया। यह सामान्य प्रक्रिया न्यायालयों द्वारा निपटाए गए। देश का यही हिस्सा ऐसा है जिसमें उपायुक्त अथवा उप समाहर्ता, सेशन जज के रूप में कार्य कर रहे हैं और जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स तथा एग्जिक्युटिव मजिस्ट्रेटस, जुडिशियल मजिस्ट्रेटस भी हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

डा० जयन्त रंगपी : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार असम सरकार को यह लिखेगी कि नैसर्गिक न्याय के हित में उन्हें कार्य-पालिका को न्यायपालिका से अलग करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्य राज्य सरकार पर छोड़ा गया है। यदि आप चाहें तो इसका उत्तर दे सकते हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : यदि मैं स्पष्ट करूं और यदि मैं अपनी राय बताऊं तो तत्काल ही विपक्ष के मेरे माननीय मित्र यह कहेंगे कि मैं राज्य के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप कर रहा हूं और मैं वह कर रहा हूं जो कि सामान्यत: कहा जाता है, संविधान के भीतर संघीय ढांचे को तोड़ने की कोशिश करना और वे सरकारिया आयोग तथा विधि आयोग इत्यादि के उद्धरण देंगे। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों के प्रति वचनबद्ध है।

हमारे विचार में मुख्यतया न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक विभाजन होना चाहिए और इस समय इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। यदि मैं इससे अधिक कुछ कहूंगा, तो निश्चित रूप से इसका अर्थ होगा मैं राज्य सरकार पर आरोप लगा रहा हूं।

श्री मुहम्मद युनुस सलीम : आप निदेश जारी कर सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : एक पूर्व राज्यपाल कानून मन्त्री को सलाह दे रहे हैं।

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : निदेशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत आप एक निदेश जारी कर सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : मन्त्री जी बड़ी चतुराई से प्रश्न को टालने और सामान्य नियमों को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : चलिए, उनसे सही बात कहनी चाहिए।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूं कि वे होशियार हैं।

सभा के माननीय सदस्य, डा० जयन्त रंगपी ने कुछ तथ्यों और उस क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को सामने रखा है कि वे यह महसूस करते हैं कि न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग नहीं है, इसलिए अनेक लोगों को सही न्याय नहीं मिल रहा है।

अब यह समस्त भारत से सम्बन्धित प्रश्न है। अखिल भारतीय न्यायिक सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के संविधान के इस प्रावधान को लागू किया जाना चाहिए। अब मन्त्री जी ने कहा कि यह राज्यपाल का कार्य है। क्या सरकार असम के राज्यपाल अथवा असम की राज्य-सरकार को यह परामर्श देगी कि वे इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न पर विचार करें, कम से कम उन्हें इस पर विचार करने दें और जनता की राय लेने दें?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं समझता हूं कि यह कहना मेरे लिए उपयुक्त नहीं होगा कि भारत सरकार इस मामले पर राज्यपाल को सलाह देगी। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि हम निश्चित रूप से माननीय सदस्यों और अन्य सदस्यों के विचार असम सरकार तक पहुंचायेंगे कि वे न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग न करने की बात से सन्तुष्ट नहीं हैं।

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : क्या आप सन्तुष्ट हैं?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : हम स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि हम संविधान के अनुच्छेद 50 के प्रति वचनबद्ध हैं। यह राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों में दिया गया है और हम इसके प्रति वचनबद्ध हैं। लेकिन उसके बाद संविधान में विशेष रूप से इस बात का प्रावधान किया गया कि जहां तक कि जनजातीय क्षेत्रों का संबंध है, एक अपवाद रखा जाएगा कि जिसमें राज्यपाल को यह अधिकार दिया जाएगा कि वह उस राज्य की मन्त्रि परिषद की सहायता व परामर्श से यह निर्णय लेगा कि क्या इसे लागू किया जाना चाहिए अथवा नहीं। यदि हम वर्तमान स्थिति में संविधान के वर्तमान ढांचे के अन्तर्गत निदेश देना आरम्भ कर दें तो इसका अर्थ है कि हम राज्य और केन्द्र के बीच अधिकारों को अलग करने के मामले में जल्दी कर रहे होंगे। मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगा।

श्री याइमा सिंह युमनाम : महोदय, हमने अभी माननीय मन्त्री जी से यह सुना है कि उस क्षेत्र के लोग यह महसूस कर रहे हैं कि उनको नैसर्गिक न्याय से वंचित रखा जा रहा है जिससे कि उनसे दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। माननीय मन्त्री जी ने अभी कहा है कि यह संविधान में विनिर्दिष्ट है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार संविधान में संशोधन करने का समर्थन कर रही है ताकि निकट भविष्य में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : वे पूछ रहे हैं, इसे आसान बनाने के लिए क्या आप संविधान में संशोधन करना चाहेंगे।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, मैं उनका प्रश्न समझ गया हूं। मैं यह बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि यह केवल दो जिलों के सम्बन्ध में नहीं है जिनका यहां उल्लेख किया गया है बल्कि यह पूरे जनजातीय क्षेत्र से सम्बन्धित है जिनको अधिसूचित किया गया है। यह कोई आसान प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर सीधा दिया जा सके क्योंकि कुछ अन्य क्षेत्रों में यह न्यायोचित है जैसा कि आन्ध्र प्रदेश।

श्री एस० विजय राम राजू : महोदय, यही प्रणाली आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकूलम, विजयानगरम, तथा कम्मम् अनुसूचित जिलों में भी है तथा कार्यकारी जिलाधीशों के पास वहां न्यायिक शक्तियां हैं। इसलिए माननीय मन्त्री जी आन्ध्र प्रदेश सरकार को न्यायपालिका को कार्यपलिका से अलग करने के लिए लिखेंगे।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं माननीय सदस्य के विचारों को आंध्र प्रदेश सरकार तक पहुंचा दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता ने असम के जनजातीय क्षेत्रों के दो पहाड़ी जिलों के बारे में प्रश्न किया है। यद्यपि संविधान की छठी अनुसूची में यह उपबंध किया गया है परन्तु आज तक जिला परिषद को न्यायिक अधिकार नहीं दिए गए हैं तथा यह अधिकार जिला प्रशासन के कार्यकारी प्रमुख द्वारा ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे कई मामले हैं जिनमें जनजातीय लोगों द्वारा प्रचलित कानून के अनुसार आपस में मामले सुलझा लेने के पश्चात् भी पुलिस ने उन मामलों को दर्ज किया जिसके परिणामस्वरूप लोगों में कई प्रकार के मतभेद तथा अन्तर जनजातीय भावनाएं उत्पन्न हो गयीं। महोदय, नागालैंड के मामले में, यहां तक कि खून, हत्याओं तथा कई प्रकार के आगजनी के मामले भी पारम्परिक कानून के अनुसार निपटाए जाते हैं तथा पुलिस ऐसे मामलों में दखल नहीं देती।

इसी प्रकार असम के दो जनजातीय क्षेत्रों के भी अपने जनजातीय तथा पारम्परिक कानून हैं जिनके द्वारा वे अपने मामले निपटाना चाहते हैं। तो फिर पुलिस इन लोगों को सामान्य कानून के दायरे में क्यों घसीटती है? उनके मामले सुलझा लेने के पश्चात उनको न्यायालय में जाने पर मजबूर क्यों किया जाता है ··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना प्रश्न बताइए ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा विचार है · (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अपना विचार नहीं, अपना प्रश्न रखिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा प्रश्न यह है। जैसा कि संविधान की छठी अनुसूची में प्रावधान किया गया है, आज तक जिला परिषदों को पारम्परिक न्यायालय कानूनों का प्रयोग करने का न्यायिक अधिकार क्यों नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही प्रश्न का उत्तर दे दिया है। यदि मंत्री महोदय दोबारा उत्तर देना चाहते हैं, तो दे सकते हैं।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : मैं माननीय सदस्य को यह स्पष्ट करना चाहूंगा और दोबारा दोहराऊंगा कि संविधान की छठी अनुसूची के अन्तर्गत यह केन्द्र सरकार का कार्य नहीं है कि वह छठी अनुसूची के कार्यान्वयन को या तो लागू करे अथवा उसका लागू किया जाना सुनिश्चित करे। सौभाग्य से अथवा दुर्भाग्य से, वर्तमान ढांचे के अन्तर्गत, यह अधिकार राज्य की मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श से इसे अधिसूचित करे और यदि उन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले अनुसूचित जनजाति के सांसद इससे भिन्न महसूस करते हैं तो मैं उनसे सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ मामला उठाने का अनुरोध करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि राज्य सरकार कार्यवाही करे।

[हिन्दी]

चाय बागान

*819. श्री विलासराव नागनाथराव गुण्डेवार :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने चाय बागान हैं;

(ख) इनमें से रुग्ण चाय बागान कितने हैं;

(ग) क्या रुग्ण चाय बागानों को अर्थक्षम बनाने के लिए इनका राष्ट्रीयकरण करने का सरकार का विचार है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन चाय बागानों को अर्थक्षम बनाने के लिए सरकार का अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ङ) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 1988 में संकलित अंतिम आंकड़ों के अनुसार चाय बोर्ड में पंजीकृत चाय बागानों की राज्य-वार संख्या निम्नानुसार है :

असम	848
पश्चिम बंगाल	337
त्रिपुरा	58
बिहार	4
उत्तर प्रदेश	31
हिमाचल प्रदेश	1385
मणिपुर	2
सिक्किम	1
अरुणाचल प्रदेश	5
नागालैंड	1
उड़ीसा	1
तमिलनाडु	6802
केरल	4087
कर्नाटक	16
कुल	13578

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान चाय-बोर्ड द्वारा तैयार किए गए स्थिति दर्शाने वाले दस्तावेज के अनुसार देश में 145 कमजोर और रुग्ण इकाईयां हैं।

(ग) रुग्ण चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) रुग्ण चाय बागानों का पुनरुद्धार करना मुख्यतः संबंधित मालिकों की जिम्मेवारी है। सरकार उत्पादकता में सुधार लाने के लिए चाय बोर्ड के माध्यम से विकास योजनाएं चला रही है। रुग्ण चाय बागानों के मालिकों द्वारा भी इन योजनाओं के लाभों का उपयोग किया जा सकता है। सरकार ने चाय बोर्ड से भी कहा है कि ऐसे चाय बागानों के निजी मालिकों को पुनः स्थापना के पैकेज तैयार करने तथा अपने बागों के पुनरुद्धार के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें।

[हिन्दी]

श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि असम में उल्फा आन्दोलन की वजह से जिन चाय बागानों में उत्पादन बन्द पड़ा है, वहां के 40 हजार मजदूर बेकार हो गए हैं और भूखे मरने की हालत में हैं, उनके बारे में सरकार का क्या रुख है कि उन चाय बागानों को चालू करने के लिए क्या प्रयास कर रही है?

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, यह प्रश्न रुग्ण चाय बागानों के संबंध में है। मेरी धारणा है कि माननीय सदस्य का पूरक प्रश्न भी रुग्ण चाय बागानों के बारे में है। जहां तक रुग्ण चाय बागानों का संबंध है, असम में 61 कमजोर अथवा रुग्ण बागान हैं। 1989 में रुग्णता के कारणों का पता लगाने के लिए एक स्थिति पत्रक तैयार किया गया था। रुग्णता के कारणों के आधार पर चाय बोर्ड को निर्देश दिए गए हैं कि सभी चाय बागानों से यह पता लगाएं कि उनके पुनर्स्थापन पर कितना व्यय होगा। चाय बोर्ड उनके पुनर्स्थापन के लिए सहायता करने को तैयार है। यदि इन बागानों में मालिक ऐसे किसी भी कार्यक्रम से लाभ उठाकर अपने बागानों को पुनर्स्थापित करने की अवस्था में नहीं हैं, उनके लिए सबसे अच्छा रास्ता यही होगा कि अपने बागानों को बेच दें क्योंकि ऐसे बहुत से बागानों के मालिक तथा चाय कम्पनियां हैं जोकि चाय बागानों को विकसित करने के लिए अतिरिक्त भूमि लेने को तैयार हैं। यदि कोई भी चाय बागान हमारे द्वारा लागू किए गए पुनर्स्थापन कार्यक्रम का लाभ उठाना चाहता है तो मैं चाय बोर्ड को यह कहने को तैयार हूं कि उसे समीपता से देखें और पुनर्स्थापन में उनकी सहायता करें।

[हिन्दी]

श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : अध्यक्ष महोदय, इन चाय बागानों में कई रुग्ण चाय बागान पड़े हुए हैं। मेरा प्रश्न यह है कि वहां पर जो आन्दोलन चल रहा है, उससे रुग्ण चाय बागान ज्यादा हो रहे हैं, उनके बारे में सरकार क्या करने जा रही है?

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, यह कहना उचित नहीं है कि उनकी संख्या बहुत अधिक है। 13578 चाय बागानों में से, जो कि पंजीकृत हैं, 145 रुग्ण घोषित किए गए हैं। ये सभी निजि चाय बागान हैं। निजी मालिकों को वास्तव में ऐसे कदम उठाने चाहिए जिनसे पुनर्स्थापन खर्च का लाभ उठा सकें। हम उनके पुनर्स्थापन में उनकी सहायता करने को तैयार हैं। परन्तु उन्हें आगे बढ़ कर इन कार्यक्रमों का लाभ उठाना चाहिए।

श्री मानी भट्टाचार्य : महोदय, मन्त्री जी ने चाय बागानों की संख्या 13578 बतायी है। उन्होंने यह आंकड़े कहां से प्राप्त किए हैं।

इन आंकड़ों में ऐसे बहुत से चाय बागान हैं जोकि 1 हेक्टेयर से 5 या 6 हेक्टेयर क्षेत्र में हैं। इसलिए इन्हें चाय बागान नहीं कहा जा सकता। अभी हाल ही में इन पौधों में कुकुरमुत्ते की खेती की जाती रही है क्योंकि यह उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार तक फैल रहा है और इसमें उन्हें बड़ा मूल्य मिलता है। लेकिन फिर भी इन्हें चाय बागानों की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इनका कोई कारखाना अथवा इस किस्म की कोई चीज इनके पास नहीं है। मेरे प्रश्न का भाग 'ख' यह है कि क्या सरकार इन रुग्ण तथा कमजोर बागानों को, इनके प्रबन्धन को चाय व्यापार निगम तथा इसी तरह के संगठनों के हाथों उन्हें सौंप कर, चाय व्यापार कार्यकर्ताओं को सहकारिता के लिए प्रोत्साहित कर, विभिन्न दिशाओं में कार्यकर्ताओं के प्रयासों की पूर्ण सहायता जुटाकर इनकी पुनर्स्थापना करने को तैयार है।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, इस प्रश्न को पूछने के लिए मैं माननीय सदस्य के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। प्रश्न के भाग (क) के बारे में 13,578 को जो आंकड़ा मैंने बताया है, चाय अधिनियम के उपबन्ध पर आधारित है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक चाय बागान का चाय बोर्ड मे पंजीकरण करवाना आवश्यक होता है। चाय बागानों की यह संख्या चाय बोर्ड के पास दर्ज है और मैं यह विश्वास करता हूं कि यह सही आंकड़ा है।

बहुत से चाय बागानों के पास कारखाने इसलिए नहीं है क्योंकि इन पर बहुत अधिक निवेश करना होता है। परन्तु चाय बागान, एक ही चाय कारखाने में अपना कार्य चला रहे हैं तथा बहुत से चाय बागान जिनके पास अपना कारखाना होता है, अपनी क्षमता पास-पड़ौस के चाय बागानों को पट्टे पर उपलब्ध करा देते हैं। मैं यह नहीं सोचता कि वे रुग्ण इसलिए बन गए हैं कि उनके पास अपने कारखाने नहीं हैं। इसके बारे में 1989 में किए गए एक अध्ययन के आधार पर कारणों का पता लगाया गया है जो कि इस प्रकार से है :—

(1) प्रबन्धकीय अकार्यकुशलता
(2) वित्तीय संकट
(3) तकनीकी जानकारी का अभाव
(4) श्रमिक-प्रबन्धक संबंधों में अशान्ति
(5) बाढ़ तथा भूस्खलन
(6) स्वामित्व विवाद
(7) विकास के क्रियाकलापों का सतत अभाव।

इन कारखानों का पता लगाने के बाद, हमने पुनर्स्थापन कार्यक्रम बनाया है। हमने इन बागानों को लिखा है कि वे आगे आएं और इन कार्यक्रमों का लाभ उठाएं। हम इन बागानों की सहायता के लिए तैयार हैं, पुनर्स्थापन के कार्यक्रमों के द्वारा प्रत्येक बागान की समस्या विशेष के निवारण के लिए तैयार हैं। सहकारीकरण इसका एक समाधान है। पर माननीय सदस्यों को मैं यह भी बताना चाहूंगा कि त्रिपुरा में दस कमजोर बागानों का पहले ही सहकारी समितियों द्वारा अधिग्रहण किया जा चुका है। यदि और अधिक बागान पुनर्स्थापन कार्यक्रम का लाभ उठाना चाहते हैं और सहकारी समितियां बनाना चाहते है तो मैं उनकी ऐसी सहकारी समितियां बनाने में सहायता करने को तैयार हूं।

श्री माधवी भट्टाचार्य : महोदय, वास्तव में मन्त्री महोदय को कुछ बातें स्पष्ट करनी चाहिएं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाय उद्योग विदेशी मुद्रा कमाने वाले कतिपय शीर्षस्थ उद्योगों

में से एक है इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है। महोदय, आप तो जानते हैं कि इनका अपना आन्तरिक और बाह्य, दोनों प्रकार का बाजार है। 5 हैक्टर, 6 हैक्टर के छोटे-छोटे चाय बागानों में कुकुरमुत्ता की खेती की जा रही है। लेकिन इन्हें चाय बागान नहीं कहा जा सकता भले ही यह चाय बोर्ड के विवरण के विपरीत ही क्यों न हो। बहुत से मामलों में, मैं दक्षिणी भारत की स्थिति जानता हूं। मैं चाय बागानों में हाल ही की कुकुरमुत्ता की खेती की स्थिति के बारे में जानता हूं जो कि दार्जिलिंग जिले के तराई क्षेत्र में जिसमें पश्चिमी दिनाजपुर भी शामिल है, हो रही है। उन्हें चाय बागान नहीं कहा जा सकता। वे केवल एक व्यक्ति के निजी अधिकार में हैं, संयुक्त स्टॉक कम्पनियां भी नहीं हैं। इसलिए मैंने यह जानना चाहा है कि इस उद्योग को बचाने के लिए सरकार क्या विचार कर रही है। यह मेरे प्रश्न का पिछला भाग था जिसका माननीय मन्त्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया है। परन्तु जहां तक आंकड़ों का संबंध है, उन्हें चाय बोर्ड को यह कहना होगा कि इस सूची को परिशोधन करें जोकि उन्होंने चाय बोर्ड से प्राप्त की है।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, चूंकि माननीय सदस्य अपनी बात पर अधिक बल दे रहे हैं और मैं माननीय सदस्य का बहुत आदर करता हूं, चाय बोर्ड से मैं यह कहूंगा कि इस संख्या को एक बार फिर सत्यापित कर लें।

श्री पी० सी० चाको : महोदय, केरल में चार हजार से भी अधिक चाय बागान हैं, जोकि तमिलनाडु के पश्चात् दूसरे स्थान पर हैं। इन चार हजार तथा पुराने चाय बागानों में से, एक हजार से अधिक चाय बागान या तो बन्द हो गए हैं अथवा बन्द होने के कगार पर हैं। माननीय मन्त्री जी ने इस प्रश्न का जो उत्तर यहां दिया है, उसके आधार पर चाय बोर्ड ने जो स्थिति पत्रक तैयार किया है, उसमें इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि विशेषकर उर्वरकों की कीमतों में हुई वृद्धि के बाद, यह लाभप्रद नहीं रहा। क्या सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा दूसरे वित्तीय संस्थानों से यह मामला उठायेगी कि चाय बागानों के पुनरोद्धार प्रस्ताव के लिए इन्हें सर्वाधिक वरीयता प्रदान की जाये। चाय बागानों के पुनरोद्धार प्रस्ताव को बहुत ही कम वरीयता दी जाती है। क्या सरकार चाय बोर्ड को यह भी निर्देश देने पर विचार करेगी कि पुराने चाय बागानों में उसी तरह से पुनः पौध लगाने की स्कीम लागू की जाए जैसे कि रबड़ बोर्ड की पुनः पौध लगाने की स्कीम है?

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, माननीय सदस्य केरल के बारे में अपेक्षाकृत भयावह तस्वीर पेश कर रहे हैं। हमारे आंकड़ों के अनुसार केवल 11 ऐसे चाय बागान हैं जोकि कमजोर अथवा रुग्ण के तौर पर दर्ज हैं। केरल में चाय बागानों की कुल संख्या 4,087 है। यह बहुत छोटे-छोटे बागान हैं। तीन दिन पहले मैंने दक्षिणी भारत के यूनाइटिड प्लान्टरज एसोसियेशन की बैठक में भाग लिया था। मैं केरल के बहुत से किसानों से मिला और उनकी मनःस्थिति बेहतर है। इस वर्ष दक्षिणी भारत का चाय उत्पादन गत वर्ष से 8 प्रतिशत अधिक होना संभावित है। इसलिए मैं माननीय सदस्य की निराशावादी विचारधारा को स्वीकार नहीं करता। यदि कोई विशेष समस्या है तो मैं उनसे विचार-विमर्श करने को तैयार हूं। यदि किसी विशेष बागान को पुनर्स्थापन की आवश्यकता है, तो मैं उस पर विचार करने को तैयार हूं। लेकिन मनोदशा यह है कि दक्षिणी भारत का चाय उद्योग बहुत बेहतर स्थिति में है और उनका उत्पादन भी बहुत अधिक है।

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : महोदय, असम का चाय उद्योग विदेशी मुद्रा कमाने वाला सबसे बड़ा उद्योग है। दुर्भाग्यवश अलग-अलग कारणों से यह उद्योग दिन-प्रति-दिन कमजोर होता जा रहा है।

पूरे असम में, विशेषकर बैरक घाटी में यह बात स्पष्ट है। कई चाय बागानों का प्रबन्ध असम चाय निगम ने अपने हाथ में लिया है। दुर्भाग्यवश असम चाय निगम द्वारा प्रबन्ध व्यवस्था किए गए चाय बागानों की स्थिति दिन प्रति दिन खराब होती जा रही है। एक चाय बागान, पश्चिमी चाय बागान है जोकि बंगला देश की सीमा पर स्थित है, इसका अधिग्रहण पिछले कुछ वर्ष पहले असम चाय निगम द्वारा संभाला गया था। अब इस चाय बागान की हालत यह है कि यह बन्द होने जा रहा है। बैरक घाटी में तथा राज्य के अन्यत्र स्थानों पर और भी चाय के बागान हैं जोकि बन्द होने जा रहे हैं। क्या मैं माननीय मन्त्री जी से यह जान सकता हूं कि इन कमजोर बागानों की सहायता के लिए सरकार किन उपायों को लागू करने के बारे में विचार कर रही है। यहां तक की जो बागान असम चाय निगम के अधीन है, उनकी स्थिति भी धीरे-धीरे खराब होती जा रही है। ऐसी स्थिति में उद्योग की सहायता करने के लिए सरकार क्या करने का प्रस्ताव कर रही है?

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, असम चाय निगम के अन्तर्गत 14 चाय बागान आते हैं और एक चाय बागान का प्रबन्ध उसके हाथ में है। यदि इनमें से कुछ रुग्ण हो जाते हैं तो असम चाय निगम और असम सरकार इनकी रुग्णता के कारणों का पता लगाएगी और उन्हें फिर से चलाएगी भारत सरकार तथा चाय बोर्ड की ओर से बोलते हुए मैं यह कहूंगा कि हम ऐसे प्रत्येक चाय बागान भी जोकि रुग्ण है तथा जिसे पुनर्स्थापन के लाभ की आवश्यकता होती है, उनकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। हमने पुनर्स्थापन लाभ का आकलन भी किया है और मैं हर किसी की जिसमें असम चाय निगम भी शामिल हैं, सहायता करने के लिए तैयार हूं। परन्तु यह प्रश्न वास्तव में असम सरकार को ही सम्बोधित किया जाना चाहिए जिससे पुनर्स्थापन कार्यक्रम का लाभ उठाया जा सके, प्रबन्ध को सुधारने पर कुछ धन खर्च किया जा सके और यदि अड़चन आती है तो असम चाय निगम की कोई कठिनाई है तो उसे दूर करे।

[अनुवाद]

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

*820. **श्री अबन कुमार पटेल** :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार जापान को किए जाने वाले लौह अयस्क के निर्यात में कमी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस बारे में जापान की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) देश में स्पंज और कच्चे लोह संयंत्रों की, लौह अयस्क की कुल मांग कितनी है और यह कितनी मात्रा में उपलब्ध है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) एम० एम० टी० सी० तथा के० आई० ओ० सी० एल० द्वारा जापान को किए

जाने वाले लौह अयस्क के निर्यात अक्तूबर, 1990 में जापानी इस्पात मिलों के साथ हुए समझौता ज्ञापन के उपबन्धों के अनुसार किए जा रहे हैं जिनमें अप्रल, 1991 से आरम्भ होकर पांच वर्षों की अवधि के लिए सप्लाई की जाने वाली न्यूनतम तथा अधिकतम मात्राओं की व्यवस्था है। वास्तविक टन भार तथा कीमत का विनिश्चय प्रति वर्ष किया जाता है। वर्ष 1991-92 के लिए विभिन्न क्षेत्रों से जापान को निर्यात के लिए संविदाकृत मात्रा 12.3 मिलियन मीट्रिक टन है। इस मात्रा के अतिरिक्त गोवा तथा रेडी मूल के लौह अयस्क का निर्यात विद्यमान प्रबन्धों के अनुसार किया जाता रहेगा। इन संविदाकृत मात्राओं के संबंध में वचनबद्धताएं पूरी किए जाने की आशा है।

(घ) वर्ष 1991-92 के लिए देश में स्पंज तथा ढलवां लौह संयंत्रों के लिए लौह अयस्क की कुल आवश्यकता का अनुमान इस्पात विभाग द्वारा 2.396 से 2.796 मिलियन मीट्रिक टन के बीच लगाया गया है और इसे स्वदेश से ही पूरा किया जा रहा है।

श्री अवध कुमार पटेल : महोदय, क्या सरकार महसूस करती है कि जापान को निर्यात किए जाने वाले 4.5 मिलियन टन लौह-अयस्क में से एक मिलियन टन की कटौती किए जाने की आवश्यकता है। सरकार ऐसा इसलिए सोच रही है कि विशाखापत्तनम् और मध्यप्रदेश में स्पंज लौह परियोजनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि स्टील उद्योग, जोकि प्रगति के पथ पर है, के विकास को, बढ़ावा देना सरकार की नीति है। जिससे कि लौह अयस्क की जगह स्टील की बनी-बनाई चीजों का निर्यात किया जा सके। यदि हां तो इस विषय में क्या कदम उठाए गए हैं और सी०सी०पी०ए० का इस विषय में क्या निर्णय है।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, जब तक कि सरकार इस विषय में निर्णय नहीं ले लेती तब तक मैं सी०सी०पी०ए० के निर्णय को उजागर नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का इशारा बैलाडिल्ला लौह अयस्क की ओर है क्योंकि उन्होंने 4.5 मिलियन टन की बात की है। यह वार्षिक ठेके पर आधारित है। वर्ष 1991-92 के लिए ठेका 7 फरवरी, 1991 को पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान दिया गया था। जब दूसरे वार्षिक ठेके को तय करने का समय आएगा तो मैं प्रत्येक सुझाव को ध्यान में रखूंगा।

श्री अवध कुमार पटेल : मैंने सरकार की नीति के बारे में पूछा था कि क्या सरकार का इरादा लौह अयस्क के निर्यात की जगह स्टील बनाने का है।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, हम स्पंज और कच्चे लोहे के अधिक संयंत्रों की स्थापना का स्वागत करते हैं। मैं समझता हूं कि इस्पात मन्त्रालय ने इस विषय में नीति संबंधी घोषणा पहले ही कर दी है और यदि कोई और स्पंज और कच्चे लोहे के संयंत्र लगाता है तो उस संयंत्र को लौह अयस्क उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे पास लौह अयस्क का पर्याप्त भंडार है और भारतीय स्टील निर्माता लौह अयस्क से वंचित नहीं किए जायेंगे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, ये जो आयरन ओर है इसकी जितनी स्वदेश में मांग है, उसका पांच गुना हम निर्यात कर रहे हैं। हमारी आवश्यकता और हमारी चिन्ता यह है कि यह जो आयरन है, इसमें पैलेटाइज्ड आयरन और स्टील आयरन की कीमतों में काफी अन्तर है और 5 वर्षों तक हमारी इस अमूल्य सम्पदा को हम विदेश में बेचते रहेंगे, ऐसा करार है। मेरा आपके माध्यम से मन्त्री जी से आग्रह है कि ऐसी अमूल्य संपदा होने के बाद इस लौह अयस्क की जो कीमत

हमें मिलती है, वह बहुत कम मिलती है और पैलेटाइज्ड आयरन और स्टील आयरन की कीमत बहुत ज्यादा होती है।

अध्यक्ष महोदय : जाटिया जी प्रश्न कीजिए।

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस लोह अयस्क, पैलेटाइज्ड आयरन और स्टील आयरन की कीमत तथा आयातित स्टील की कीमत में कितना अन्तर है ?

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, प्रश्न निर्यात के बारे में है। मैं उन आंकड़ों का उल्लेख करूंगा जो मेरे पास हैं। यदि वह वास्तव में लोह अयस्क के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो प्रश्न इस्पात मन्त्रालय से किया जाना चाहिए। लेकिन वो आंकड़े मैं उन्हें दूंगा जो मेरे पास है।

मेरे आंकड़ों के अनुसार और कच्चे लोह संयंत्रों के लिए वर्ष 1991-92 के दौरान लोह अयस्क की जरूरत इस प्रकार है—

लोह पिण्ड (पिग आयरन)	...	0.296 मिलीयन टन
स्पंज आयरन	...	2.484 मिलीयन टन
कुल—		2.780 मिलीयन टन

लोह अयस्क की यह कुल जरूरत है। बेलाडीला क्षेत्र में कुल जरूरत 1.30 मिलीयन टन की है। (व्यवधान)

श्री सत्यनारायण जटिया : लागत कितनी होगी ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अयूब खां : जनाब सदरे मोहतरम, क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि टंगस्टन आयरन क्या हिन्दुस्तान से बाहर भेजा जाता है, तो क्या देश में जो हमारी जरूरियात हैं, वे पूरी हो रही हैं ? अगर हमारी जरूरियात पूरी नहीं हो रही हैं, और इसकी देश में कमी है, तो वह कितनी कमी है और तथा डिफेंस की टंगस्टन आयरन की जो जरूरतें हैं, क्या उसको पूरा किया जा रहा है ?

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, टंगस्टन लोहा के विषय में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। मुझे जानकारी इकट्ठी करनी होगी।

श्री विजय एन० पाटिल : महोदय, मेरी जानकारी यह है कि जापान ने कोई भावी योजना तैयार की है। वे समुद्र में कोयला डाल रहे हैं ताकि जब कोयला उत्पादक देशों में इसका भंडार समाप्त हो जाय तो वह समुद्र में डाले गए कोयले का इस्तेमाल कर सकें। क्या यह सच है कि जापान वर्तमान जरूरत से भी ज्यादा स्टील खरीदने की कोशिश कर रहा है, ताकि भविष्य में वह इसका इस्तेमाल कर सके ? क्या यह सच है कि हम जापान को स्टील की अतिरिक्त मात्रा निर्यात कर रहे हैं ? मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वह जापान को अतिरिक्त स्टील की जगह कृषि उत्पादों का निर्यात करेंगे।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, प्रश्न लोह अयस्क के निर्यात के बारे में है। इस देश में हमारे पास मिश्रित लोह अयस्क है। इनमें से कुछ निम्न स्तर स्तर के हैं और कुछ उच्च स्तर के हैं। अब प्रश्न उठता है, बैलाडीला की वजह से। बैलाडीला में पलस 65 प्रतिशत एफ ई, पाया जाता है जबकि फैरस की मात्रा 67 प्रतिशत है। हमारे पास अन्य लोह अयस्क का बड़ा भंडार भी है जिसमें निम्न फैरस की मात्रा 62 प्रतिशत के बराबर है। जापान व भारत की सरकारों के बीच जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक जापान को मिश्रित लोह अयस्क का निर्यात किया जाएगा। अक्तूबर, 1990 में 5 वर्षीय समझौता हुआ था और वार्षिक ठेका 7.2.1991 को पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान तय हुआ था। सौभाग्यवश, इस समझौते के तहत हमें इस बात की सुविधा है कि हम मात्रा और कीमत के बारे में प्रतिवर्ष पुन: निर्णय कर सकते हैं। जैसाकि मैंने पहले कहा था, कि जब दूसरा समझौता तय किया जाएगा तो दिए गए सभी सुझाव और सभी प्रासंगिक विचार ध्यान में रखे जाएंगे। पिछले समझौते के विषय में मैं किसी पर दोषारोपण करना नहीं चाहता। लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस समझौते पर वर्ष 1991-92 के लिए 7-2-1991 को हस्ताक्षर हुए थे। जब हम अगले वर्ष के लिए दूसरे समझौते के विषय में निर्णय लें तो निश्चय ही हम प्रत्येक पहलू को ध्यान में रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि हम सस्ता लोहा निर्यात करके महंगा इस्पात जापान से प्राप्त कर रहे हैं। कृपया करके कष्ट करें कि हम जो निर्यात कर रहे हैं उसकी प्रति टन क्या कीमत लेते हैं और जो इस्पात आयात कर रहे हैं उसकी कीमत प्रति टन कितनी है? यह भी बताएं कि भारत जब अपना इस्पात स्वयं बना सकता है तो हम उसमें कब तक आत्मनिर्भर हो जाएंगे?

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, स्टील की आत्मनिर्भरता के विषय में अंतिम प्रश्न स्टील मंत्रालय से किया जाना चाहिए, मैं निश्चिन्त हूं कि वे लोग माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब देंगे। जहां तक लोह अयस्क के निर्यात का प्रश्न है, हम बैलाडिला क्षेत्र से 25.99 डॉलर प्रति टन की दर से निर्यात करते हैं। इस कीमत में बैलाडीला खान से बन्दरगाह तक के ढुलाई की लागत भी शामिल है और घरेलू खपत के लिए यह 200/ रु० प्रति टन के हिसाब से बेचा जाता है। ये सभी ऐसे पहलू हैं जिन्हें कीमत निर्धारित करते समय ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इस समझौते पर वर्ष 1991-92 के लिए 7-2-1991 को हस्ताक्षर किए गए थे। जब हम अगले समझौते के विषय में निर्णय लेते हैं तो हम प्रत्येक पहलू को ध्यान में रखेंगे। यहां तक कि निर्यात और घरेलू कीमत का तुलनात्मक लाभ और जोड़े गए मूल्य को भी ध्यान में रखा जाएगा।

डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम : महोदय, तमिलनाडु में लोह पिण्ड की कमी है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार तमिलनाडु को लोह पिण्ड का अबाधित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाएगी।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, तमिलनाडु में स्टील मिल को लोह पिण्ड सप्लाई करने संबंधी प्रश्न इस्पात और खान मंत्रालय से किया जाना चाहिए और वे लोग ही इस प्रश्न का जवाब देंगे।

मैं सिर्फ लौह अयस्क के निर्यात के मामले को देख रहा हूं।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : महोदय, सरकार ने वर्ष 1990 को अक्तूबर में जापान की एक फर्म से समझौता किया था। और वर्ष 1991 के फरवरी में दूसरा समझौता भी हुआ। अक्तूबर, 1990 में हस्ताक्षरित दूसरे समझौते के तहत क्या दर तय की गई थी। और फिर फरवरी, 1991 में हस्ताक्षरित दूसरे समझौते के तहत क्या दर तय की गई थी। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जब जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है तो क्या भारत सरकार को प्रतिवर्ष कोई वृद्धि होती है? तो वर्ष 1990 और वर्ष 1991 के समझौतों में क्या अन्तर है?

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, अक्तूबर, 1990 में 5 वर्षीय समझौता, हुआ था। इसके तहत विशाखापत्तनम, मद्रास पारादीप, कुद्रेमुख और नया मंगलोर जैसे बन्दरगाहों से लौह अयस्क के निर्यात की व्यवस्था है। साथ ही, इसके तहत जापान को निर्यात की जाने वाली मात्रा का भी कोटा है। वार्षिक ठेका वह ठेका है जिसके तहत कीमत और मात्रा निर्धारित की जाती है। वार्षिक ठेका वर्ष 1991-92 के लिए 7-2-1991 को हस्ताक्षरित हुआ था। उस वार्षिक ठेके के तहत, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जापान को वर्ष 1991-92 के दौरान 5 मिलीयन टन बैलाडीला से, 2.50 मिलीयन टन बेलारी-ह्रास्पेट से, 1.70 मिलीयन टन बाराजमदा से, 9 मिलीयन टन गोआ से, 3 15 मिलीयन टन कि० आई० ओ० जी० ल० से और 0.16 मिलीयन टन रेडी से निर्यात किया जाएगा। यह हम निर्यात करेंगे। हम बैलाडीला से जो निर्यात करेंगे, जो कि सबसे अच्छी किस्म है, उसकी कीमत 25.99 डालर प्रति मीट्रिक टन है और 20.99 डालर प्रति मीट्रिक टन है। जहां तक अगले वर्ष की बात है मैं अपनी योजना उजागर करना नहीं चाहता हूं। मैं इसको सौदा तय करने के लिए गोपनीय रखता हूं। इस समय यह पूछना अनुचित होगा कि हम किस कीमत पर सौदा तय करेंगे। लेकिन मैं दिए गए प्रत्येक सुझाव को ध्यान में रखूंगा ताकि उक्त 5 वर्षीय समझौते की परिसीमा में भारत को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। लेकिन मैं सदन को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत 'मात्रा' और 'कीमत' के निर्धारण में अपनी पूरी आजादी का इस्तेमाल करेगा। हम पूरे पांच सालों के लिए बंधे हुए नहीं हैं। हमने मात्रा और कीमत के निर्धारण के लिए वार्षिक ठेका हस्ताक्षरित किया है।

श्री बब्बूलाल चन्द्राकर : महोदय, बस्तर के लौह अयस्क में लोह तत्व की भारी प्रचुरता है। यह विश्व में दुर्लभ है। लेकिन अभी जो इसकी कीमत तय है वह बहुत ही कम है। क्या माननीय मंत्री महोदय इसकी कीमत यथाशीघ्र बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। यदि नहीं, तो इसे इतनी कम कीमत पर मत बेचिए जिससे हमारे इस्पात संयंत्र इसका इस्तेमाल कर सकें। उदाहरण के तौर पर, भिलाई स्टील पलान्ट। इसके पास अभी मात्र 4.5 मिलीयन टन लौह अयस्क है। जबकि यह 10 मिलीयन टन मार्क को छूने जा रहा है। इसमें लौह पदार्थ की भारी प्रचुरता है। जब तक कि हमें ऊंची कीमत नहीं मिल जाती, क्या मंत्री महोदय तब तक के लिए लौह अयस्क के निर्यात को स्थगित करने पर विचार करेंगे? बल्कि, इसकी खपत देश में ही होगी और इसका उत्पादन देश में ही होगा।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं बहुत सी बातों को ध्यान में रख रहा हूं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे मुझे ये तथ्य उजागर करने के लिए मजबूर नहीं करें। इन मामलों पर चर्चा होनी है। आप आश्वस्त रहें कि हम भारत के लिए बेहतर लाभ प्राप्त करगे और निर्यात की जाने वाली मात्रा तथा घरेलू खपत को ध्यान में रखा जाएगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, सौभाग्य वश भारत विश्व के उन देशों में से है जिसके पास लोह-अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि हम अपने लोह अयस्क को बहुत ही कम कीमत पर बेच दें। खान से बन्दरगाह तक की ढुलाई दर सहित 25 डॉलर प्रति मीट्रिक टन, जो हमें मिल रहा है, वह बहुत ही कम है। क्या मन्त्री महोदय इस तथ्य से अवगत हैं कि वर्ष 1974-75 में यह निर्णय लिया गया था कि हम लोह-अयस्क का निर्यात नहीं करेंगे और इसकी जगह हम लोह-पेलेटस, पिग-लोहा, स्पंज लोहा आदि बेचेंगे ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा कीमत मिल सके? क्या मंत्री महोदय इस विषय को इतनी भारी मात्रा में लोह अयस्क निर्यात करने के पहले उठाएंगे? मुझे ज्ञात हुआ है कि जापान लोह-अयस्क समुद्र में डाल रहा है। यह इसलिए कि उसके पास लौह-अयस्क नहीं है। इसीलिए वह इस कीमत पर खरीद रहा है ताकि आने वाले वर्षों में इसका इस्तेमाल कर सकेगा।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मैं उन तथ्यों से अवगत हूं, जिन पर माननीय सदस्य श्री चन्द्रजीत यादव ने प्रकाश डाला है। मैं बहुत सी अन्य बातों से वाकिफ हूं। मैं माननीय सदन को सिर्फ आश्वासन दे सकता हूं कि मैं यह सुनिश्चित करूंगा किसे भारत के लिए ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त किया जा सके। जो कुछ भी हुआ है उसकी आलोचना नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि 7-2-91 को जो समझौता हुआ था वह वार्षिक समझौता है जो वर्ष 1991-92 के लिए ही मान्य है। हमें यह निश्चय करने की पूरी आजादी है कि हम निर्धारित मात्रा में और उस कीमत पर बेचना चाहते है कि नहीं। जब अगला समझौता होगा तो मैं प्रत्येक सुझाव और प्रत्येक पहलू को ध्यान में रखूंगा।

[हिन्दी]

भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन

*822. **प्रो० प्रेम धूमिल†** :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने भूतपूर्व सैनिक हैं और उन्हें कुल कितनी पेंशन दी जा रही है;

(ख) क्या कुछ भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन मिल रही है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे भूतपूर्व सैनिकों की राज्यवार संख्या कितनी है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

देश में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या के बारे में प्रमाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सशस्त्र सेनाओं के पेंशनरों की कुल संख्या 1100180 है जैसा कि अनुबंध "क" में बताया गया है। 1990-91 के दौरान पेंशन के रूप में अदा की गई कुल राशि लगभग 1105 करोड़ रुपए है।

ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो पेंशन नहीं ले रहे है उनकी संख्या के ब्यौरे नहीं रखे जाते। पेंशन

नियमावली के अनुसार जिन भूतपूर्व सैनिकों ने पेंशन की पात्रता के लिए न्यूनतम सेवा पूरी नहीं की है या जिन्होंने कालिक पेंशन के बदले एक मुश्त रकम में उपदान की राशि ले ली है, वे पेंशन पाने के हकदार नहीं हैं।

अनुबन्ध 'क'

भूतपूर्व सैनिक पेंशनरों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

1. उत्तर प्रदेश	2,10,757
2. बिहार	30,381
3. उड़ीसा	8,743
4. पश्चिम बंगाल	39,464
5. मध्य प्रदेश	24,266
6. मेघालय	19,68
7. असम	17,116
8. नागालैंड	8
9. मणिपुर	2,070
10. पंजाब	1,40,629
11. हरियाणा	1,10,065
12. हिमाचल प्रदेश	47,355
13. राजस्थान	82,143
14. जम्मू और कश्मीर	38,385
15. चण्डीगढ़	5,600
16. दिल्ली	23,328
17. महाराष्ट्र	96,368
18. गुजरात	5,863
19. गोवा	550
20. तमिलनाडु	66,767
21. आन्ध्र प्रदेश	38,198
22. कर्नाटक	30,154
23. केरल	79,128
24. पांडिचेरी	514
कुल :	11,00,180

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, उसमें भूतपूर्व सैनिकों की जो संख्या बताई गई है उससे ऐसा लगता है कि बैरिफाइड फीगर्स इनको प्राप्त नहीं है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे से वह भूतपूर्व सैनिकों की भलाई यह सरकार क्या करेगी ? मेरे प्रश्न का "ए" पार्ट यह है कि क्या सरकार आगे से कोई ऐसा कदम उठाएगी कि जनगणना के समय भूतपूर्व सैनिकों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा सके ताकि कई विधवाओं को जो पेंशन नहीं मिलती है, उनके केसिज सैटल हो सकें और इसका बी पार्ट है कि जो भूतपूर्व सैनिक किन्हीं अपरिहार्य कारणों से अपनी सर्विस पूरी नहीं कर सके उनको अर्ध सैनिक बलों में क्या प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देने पर सरकार विचार करेगी ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, 1। लाख तो पेन्शनभोगियों की संख्या है। राज्य सरकारों से लिए गए आंकड़ों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 43 लाख है। रक्षा मन्त्रालय से हमने भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित आंकड़ों की मांग की है, जिसे प्रश्नावली में जनगणना के समय शामिल किया जा सके। उन्होंने ये आंकड़े भेज दिए है। हम उम्मीद करते है कि जनगणना के आंकड़े बहुत ही जल्द उपलब्ध हो जाएंगे और तब भूतपूर्व सैनिकों की सही संख्या ज्ञात हो सकेगी।

अनुपूरक प्रश्न के दूसरे भाग के संबंध में, मैं केवल यही कह सकता हूं कि अनुरोध पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों का गैर-सरकारीकरण

[अनुवाद]

*817. **श्री एस० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन चल रही मिलों में से कुछ मिलों को गैर-सरकारी क्षेत्र में देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में परिवीक्षाधीन अधिकारियों की भर्ती के लिए संयुक्त परीक्षा

*818. **श्री राम नरेश सिंह :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में परिवीक्षाधीन अधिकारियों (प्रोबेशनरी आफिसर्स) की

भर्ती के लिए 1990-91 के दौरान अलग-अलग कितनी परीक्षाएं आयोजित की गयीं;

(ख) इन परीक्षाओं के आयोजन पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) क्या सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा परिवीक्षाधीन अधिकारियों की भर्ती के लिए संयुक्त परीक्षा आयोजित करने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकारियों की भर्ती करने वाले दस बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों से प्राप्त सूचना के अनुसार, सात बोर्डों ने वर्ष 1990-91 के दौरान अधिकारियों की भर्ती के लिए आठ परीक्षाएं आयोजित की थी।

(ख) 2.21 करोड़ रुपए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

साधारण बीमा निगम के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ

*821. **श्री पी० सी० थामस** :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) साधारण बीमा निगम के कर्मचारियों को इस समय दिए जा रहे अन्य सेवानिवृत्ति लाभ क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। चूंकि साधारण बीमा निगम के कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि के हकदार है, इसलिए उन्हें पेंशन योजना का लाभ देना व्यवहार्य नहीं है।

(ग) उन्हें दिए जाने वाले मौजूदा सेवानिवृत्ति लाभों में ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और छुट्टी भुनाना शामिल हैं।

निर्यात लक्ष्य

*823. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** :

श्री गंगाधरा सानीपल्ली।

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के लिए कितने डालर के मूल्य का निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इसे प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है;

(ग) उपर्युक्त अवधि में कृषि जन्य वस्तुओं के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) कुल निर्यात में कृषि-आधारित उद्योगों के हिस्से में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (घ) एक विवरण पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ग) मंत्रालय विश्व अर्थव्यवस्था में प्रमुख परिवर्तनों, जुलाई और अगस्त, 1991 के महीनों में घोषित व्यापार-सुधारों, अन्य आर्थिक सुधारों और व्यापार सम्बन्धी उन कड़े प्रतिबन्धों को ध्यान में रखकर जो मुख्यत: आयात उपलब्धता और ऋण-नियंत्रणों के रूप में अभी भी मौजूद है वर्ष 1991-92 के लिए निर्यात लक्ष्य तैयार कर रहा है। मंत्रालय द्वारा लक्ष्य निर्धारित करने में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसमें विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों और प्राधिकरणों के साथ वस्तु-समूह/क्षेत्र-स्तर पर गहन विचार-विमर्श करना शामिल है। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही लक्ष्य की घोषणा कर दी जाएगी।

(ख) और (घ) सरकार ने जुलाई और अगस्त, 1991 में व्यापार-नीति में कई सुधार शुरू किए हैं, जिनका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहनों को सुदृढ़ करना, आयात लाइसेंसों को पर्याप्त रूप में समाप्त करना और आयात को कम करना है। आई० ई० पी० लाइसेंसों के स्थान पर एक्जिमस्क्रिप को लाया गया है। एफ० ओ० बी० मूल्य 30% की मूल दर जिस पर एक्जिमस्क्रिप जारी किए जाते हैं, प्राथमिक कृषि वस्तुओं के निर्यातकों के लिए एक अतिरिक्त प्रोत्साहन होगा, क्योंकि इन वस्तुओं की आयात-मात्रा काफी कम है। मूल्य-वर्धित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए व्यापार-नीति में 10 प्रतिशत बिन्दुओं की अतिरिक्त एक्जिमस्क्रिप हकदारी देने की व्यवस्था है, इस प्रकार कुछ मूल्य वर्धित कृषि-उत्पादों के लिए एक्जिमस्क्रिप का दर एफ० ओ० बी० मूल्य की 40% हो जाएगी। केन्द्रीय बजट 1991-92 में मूल्य-वर्धित मांस एवं मांस उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बूचड़खाने के उपकरणों के आयात पर शुल्क में छूट दी गई है। निर्यात-संवर्धन के लिए वस्तु बोर्डों/प्राधिकरणों ने ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इण्डिया द्वारा आयोजित व्यापार मेलों में भाग लिया। हमारे निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से विदेश में प्रतिनिधि-मंडल भी भेजे जाते हैं। चूंकि निर्यात उत्पादन के साथ जुड़ा हुआ है, अत: वस्तु बोर्डों और प्राधिकरणों द्वारा योजना आयोग द्वारा अनुमोदित योजनाबद्ध स्कीमों के जरिए उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय किए जाते हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंक

*824. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** :

श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंक निदेशक-मंडलों में रिक्तियों के बावजूद काफी समय से कार्य कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो बैंकवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में निदेशक मण्डलों का नियमित अस्तित्व है और उनमें होने वाली रिक्तियां समय-समय पर भरी जाती हैं। भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड और 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों में पूर्णकालिक निदेशकों, गैर-सरकारी निदेशकों और कर्मचारी निदेशकों की रिक्तियों की बैंकवार स्थिति अनुबन्ध में दी गई है। भारतीय स्टेट बैंक के 7 अनुषंगी बैंकों के मामले में केन्द्रीय सरकार केवल कर्मचारी निदेशकों की नियुक्तियां करती है और इस वर्ग से संबंधित रिक्तियों की स्थिति को भी संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

2. सरकार ने रिक्तियों को भरने के लिए पहले ही कार्रवाई आरम्भ कर दी है।

विवरण

अनुबन्ध

क. भारतीय स्टेट बैंक का केन्द्रीय बोर्ड और 20 राष्ट्रीयकृत बैंक

रिक्त स्थानों की स्थिति

क्रम० सं०	बैंक का नाम	पूर्णकालिक निदेशक	गैर-सरकारी निदेशक	कर्मचारी निदेशक
1	2	3	4	5
1.	केन्द्रीय बोर्ड भा० स्टेट बैंक	—	10	1
2.	इलाहाबाद बैंक	—	2	1
3.	आन्ध्रा बैंक	—	4	1
4.	बैंक आफ बड़ौदा	—	3	1
5.	बैंक आफ इण्डिया	1	3	—
6.	बैंक आफ महाराष्ट्र	1	4	1
7.	केनरा बैंक	1	4	1
8.	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	1	5	1
9.	कारपोरेशन बैंक	1	3	—
10.	देना बैंक	—	5	1
11.	इण्डियन बैंक	—	5	1
12.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	1	4	1
13.	न्यू बैंक आफ इण्डिया	1	4	1
14.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	—	3	1

1	2	3	4	5
15.	पंजाब नेशनल बैंक	1	4	1
16.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	—	6	1
17.	सिंडिकेट बैंक	—	5	1
18.	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	—	7	1
19.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	1	3	1
20.	यूको बैंक	—	3	1
21.	विजया बैंक	1	5	1

ख. भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंक

क्रम० सं०	बैंक का नाम	कर्मचारी निदेशक
1.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	1
2.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	1
3.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	2
4.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	1
5.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	1
6.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	1
7.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	1

डाकघरों में जमा धनराशि पर ब्याज की दरें

*825. श्री प्रतापराव बी० भोंसले :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डाकघरों में जमा धनराशि पर ब्याज की दरों में वृद्धि करने का है जैसा कि बैंकों के मामले में किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) 1-10-91 से डाकघर सावधि जमा राशियों और डाकघर आवर्ती जमा राशियों पर जमा ब्याज की दरों में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

डाकघर सावधि जमा राशियां

जमा की अवधि	ब्याज की दर प्रतिवर्ष-छमाही चक्रवृद्धि
1 वर्ष	10 प्रतिशत
2 वर्ष	11 प्रतिशत

3 वर्ष	13 प्रतिशत
5 वर्ष	13.5 प्रतिशत

डाकघर आवर्ती जमा

13.5 प्रतिशत चक्रवृद्धि, तत्पश्चात् त्रैमासिक।

इस संबंध में आवश्यक अधिसूचनायें जारी की जा चुकी हैं।

चमड़े के सामान का निर्यात

[हिन्दी]

*826. **श्री भगवान शंकर रावत :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान अलग-अलग कितने-कितने मूल्य के कितने-कितने चमड़े के जूते, जूतों के ऊपरी हिस्से और अन्य चमड़े के सामान का निर्यात किया गया;

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या जूतों के ऊपरी हिस्सों के बजाय चमड़े के निर्यात को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि, नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 की अवधि के दौरान चमड़े के पदत्राण (जिसमें महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के लिए सभी तरह के चमड़े के पदत्राण के अलावा चमड़े के जूते भी शामिल हैं) पदत्राण संघटक (जिसमें मुख्य रूप से जूतों के ऊपरी हिस्से और अन्य चमड़े के कटे हुए संघटकों की थोड़ी सी मात्रा शामिल हैं) और चमड़े के अन्य सामान के निर्यात का मूल्य तथा उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा नीचे दी गई है :

(करोड़ रुपए में)

	1988-89	1989-90	1990-91 (अ०न०)
चमड़े के पदत्राण	130 20	171.40	210.44
पदत्राण संघटक	425.60	518.20	609.96
चमड़े का अन्य सामान	357.70	625.70	987.80

मात्रा के रूप में निर्यात के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) सरकार चमड़े के जूतों का निर्यात बढ़ाने के लिए जागरूक है और इस दिशा में प्रयास भी किए हैं।

अफीम और भांग की अवैध खेती

[अनुवाद]

*427. **श्री रमेश चन्द्र तोमर :**

श्री वीरेन्द्र सिंह :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में अफीम और भांग की अवैध खेती की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990 में और जुलाई 1991 तक स्वापक औषध नियंत्रण ब्यौरों ने राज्यवार कितने एकड़ भूमि में अफीम और भांग की अवैध खेती का पता लगाया और उसे नष्ट किया; और

(ग) ऐसी अवैध खेती करने के लिए कितने लोगों को कारावास दिया गया और जुर्माना किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) समय-समय पर दूरवर्ती क्षेत्रों में अवैध खेती के मामले का पता चला है। वर्ष 1990 तथा 1991 (जुलाई तक) के दौरान स्वापक नियंत्रण-ब्यूरो ने अन्य प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता से अफीम डोडों तथा कैनाबोस पौधों की अवैध खेती का पता लगाया है तथा उन्हें नष्ट किया है, जैसे कि नीचे सारणी में दिया गया है :—

क्रम सं०	राज्य का नाम	अफीम डोडो (एकड़ों में)		कैनाबिस (एकड़ों में)	
		1990	1991 (जुलाई तक)	1990	1991 (जुलाई तक)
1.	अरुणाचल प्रदेश	16	42	—	—
1.	उत्तर प्रदेश	43	—	528	—
3.	मणिपुर	—	--	—	15
4.	पश्चिम बंगाल	—	2	—	—
5.	केरल	—	—	622	142
6.	तमिलनाडु	---	—	536	262
	कुल :	59	44	1686	419

23 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए तथा उन्हें उपयुक्त अदालतों के समक्ष मुकदमों के लिए भेजा गया।

बम्बई पत्तन न्यास के अधिकारियों के वेतनमानों में संशोधन

*828 **श्री मोहन रावले** :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई पत्तन न्यास के अधिकारियों के वेतन मानों में संशोधन नहीं किया गया है;

(ख) क्या इन अधिकारियों को चौथे वेतन आयोग द्वारा सुझाये गए वेतनमानों का लाभ भी नहीं दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) बम्बई पत्तन न्यास के अधिकारियों के वेतनमानों को कब तक संशोधित किए जाने की सम्भावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) बम्बई पत्तन न्यास और अन्य सभी महा पत्तनों के अधिकारियों के वेतनमान पिछली बार दिनांक 1-8-82 से शुरू हुई पांच वर्षीय अवधि के लिए संशोधित किए गए थे।

(ख) और (ग) बम्बई पत्तन न्यास एक स्वायत्तशासी निकाय है। इसका वेतन ढांचा, केन्द्रीय सरकार के वेतन ढांचे से भिन्न है। इसलिए इस पर चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होती हैं।

(घ) महापत्तन न्यासों और गोदी श्रमिक बोर्डों के श्रेणी-I और II के अधिकारियों के वेतन संशोधित करने हेतु गठित समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान हेतु विस्तार योजना

*829. **श्री वी० एस० विजय राघवन** :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना के बाद वस्त्रों के निर्यात में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के पास इस संस्थान के विस्तार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना वर्ष 1986 में परिधान उद्योग के लिए मानव संसाधन विकास के लिए एक केन्द्र के रूप में की गई थी। वस्त्र मदों (परिधान सहित) का निर्यात वर्ष 1986-87 में 2579 करोड़ रु० से बढ़कर वर्ष 1990-91 में 8362 करोड़ रु० का हो गया। इसी अवधि के दौरान परिधान का निर्यात 1504 करोड़ रु० से बढ़कर 4640 करोड़ रु० हो गया।

(ग) और (घ) इस समय यह संस्थान फैशन डिजाइन, अपेरल मर्कंडाइजिंग एवं मार्केटिंग और परिधान विनिर्माण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा कार्यक्रम आयोजित करने में लगा है। संस्थान विभिन्न केन्द्रों से सतत शिक्षा कार्यक्रम जैसे सेमिनार/कार्यशालाएं आदि भी आयोजित करता है। संस्थान किसी मुख्य विस्तार कार्यक्रम को प्रारम्भ करने से पूर्व आधारभूत सुविधाओं में सुधार लाना चाहता है और पहले से किए जा रहे क्रियाकलापों को स्थायी बनाना चाहता है। निफ्ट की योजना

पहले के से चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों में भरती को बढ़ाने के अलावा उपकरण डिजाइन, लिटवीयर डिजाइन और चर्म परिधान डिजाइन जैसे क्षेत्रों में विस्तार करने की है ।

रबड़ का उत्पादन और खपत

*830. श्री सुधीर गिरि :

श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान देश में रबड़ का कितना उत्पादन हुआ और कितनी खपत हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देशवार कितने-कितने रबड़ का आयात किया गया; और

(ग) ऐसे राज्यों में रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जहां रबड़ का उत्पादन नहीं होता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) प्राकृतिक रबड़ के वर्षवार उत्पादन और खपत के आंकड़े नीचे दिए जा रहे हैं :—

(मी० टन में)

वर्ष	उत्पादन	खपत
1988-89	259,172	313,830
1989-90	297,300	343,840
1990-91	329,615	364,310

(ख) एस० टी० सी० द्वारा विभिन्न देशों से आयात किए गए रबड़ की मात्रा नीचे दर्शाई जा रही है :—

(मी० टन)

देश	1988-89	1989-90	1990-91
मलेशिया	47,468	22,050	20,746
थाईलैंड	3,770	4,499	10,953
श्री लंका	125	—	—
	51,363	26,549	31,969

(आंकड़े वित्तीय वर्ष आधार रखे जा रहे हैं)

(ग) गैर-परम्परागत राज्यों में रबड़ उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयोजन से निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(I) रबड़ बागान विकास योजना के तहत नीचे दी गई व्यवस्थानुसार वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना :—

1. 500/- रु० प्रति हेक्टेयर की दर से पूंजी उपदान ।
2. उच्च क्वालिटी के पोली बैग वाले पौधों का प्रयोग करने के लिए 6/- रु० प्रति पौध की दर से अतिरिक्त सहायता । यह सहायता अधिक से अधिक 2700/- रु० प्रति हेक्टेयर मिलेगी ।
3. जब तक पौधा बड़ा होता है तब तक के लिए नाबार्ड की कृषि पुनर्वित्तपोषण योजना के अधीन कार्य कर रहे बैंकों से रोपण और अनुरक्षण कार्य हेतु दीर्घावधि ऋण सहायता ।
4. रबड़ बोर्ड द्वारा दिए गए ऐसे ऋणों पर 3% का ब्याज उपदान ।
5. रोपण, अनुरक्षण और उत्पादन के सभी स्तरों पर मुफ्त तकनीकी सहायता ।

(2) उच्च पैदावार वाली रोपण सामग्री/कल्टीवार का उत्पादन एवं वितरण ।

(3) परामर्श, प्रसार और प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करना ।

(4) छोटे जोतधारियों में सामूहिक प्रसंस्करण और विपणन को प्रोत्साहित करना ।

(5) रबड़ की खेती, उत्पादन और प्रसंस्करण कार्यों पर अनुसंधान करना ।

(6) रबड़ बोर्ड की प्रसार सेवा मशीनरी के जरिए व्यापक पैमाने पर रबड़ उपजकर्ताओं को प्रमाणिक प्रौद्योगिकी अन्तरण ।

(7) गैर-परम्परागत क्षेत्रों में विशेष बागान विकास परियोजनाओं के जरिए रबड़ की खेती का विस्तार करना ।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अन्तर्गत परियोजनाएं

*831. भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को विभिन्न परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई और उन पर वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने निर्धारित से कितना अधिक समय लगाया और इस कारण से इन पर कितनी अधिक लागत आई तथा इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मूलत: कितना परिव्यय और कितना समय निर्धारित किया गया था;

(ग) क्या कुल परिव्यय का एक बड़ा भाग इस संगठन के प्रशासनिक व्यय पर खर्च किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे व्यय को कम करने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आवंटन और वास्तविक व्यय का ब्योरा इस प्रकार है :—

वर्ष	आवंटन (संशोधित अनुमान)	वास्तविकता (कुल)
1988-89	622	587
1989-90	635	617
1990-91	701	700

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने करीब 320 परियोजनाएं आरम्भ की हैं इनमें से 13 परियोजनाओं, जिनकी लागत एक करोड़ रुपए से अधिक है और 34 अन्य छोटी-छोटी परियोजनाओं को पूरा करने में अनुमानतः छः से चौबीस महीने का अधिक समय लगा है। ब्यौरा इस प्रकार है :—

वित्तीय वर्ष	परियोजना की लागत: 1 करोड़ से कम	1 से 10 करोड़	10-20 करोड़	20-100 करोड़
1988-89	22	9	—	
1989-90	7	1	—	1
1990-91	5	2	—	—

केवल 4 परियोजनाओं के मामले में निर्धारित राशि से अधिक खर्च हुआ है। इन परियोजनाओं का निर्धारित व्यय 5.06 करोड़ रुपए था, जबकि इसका संशोधित अनुमानित व्यय 7.40 करोड़ रुपए है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सोने का आयात

*832. **श्रीमती बासवराजेश्वरी** :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में भारत सोने की खपत करने वाला सबसे बड़ा बाजार बना रहेगा;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार सोने का कितना आयात किया गया;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जहां से सोने का आयात किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार का विचार सोने के आयात को बंद करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो सोने के आयात को कब तक बंद कर दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) इस संबंध में कोई विश्वनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान संस्थाओं (भारतीय स्टेट बैंक, खनिज एवं धातु व्यापार निगम, एच० एच० ई० सी०) द्वारा आभूषणों के निर्यातकों को आपूर्ति किए जाने के लिए आयात

किए गए सोने की कुल मात्रा निम्नलिखित है :—

वर्ष	मात्रा (किलोग्राम)
1988-89	6446
1989-90	9050
1990-91	7061

(ग) स्विटजरलैण्ड तथा बुलियन मार्किट लंदन, यू० के० के माध्यम से।

(घ) सोने का आयात विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत नियमित रूप से किया जाता है, जिसमें विशेष अनुमति के अलावा सोने के आयात पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। स्वर्ण-आभूषणों के निर्यात के लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित योजनाओं के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट संस्थाओं या यूनिटों द्वारा ही सोने के आयात को और प्रतिबंधित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

संस्थाओं को सहायता अनुदान

*833. **श्री धर्मण्णा मोण्डय्या सादुल :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन आने वाली अनेक संस्थाओं तथा एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल्स, इण्डियन फोरेन ट्रेड इन्स्टीट्यूशन्स ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इण्डिया को मिलने वाले सहायतानुदान में संसाधनों की अत्यधिक कमी होने के कारण कटौती करने का प्रस्ताव है;

(ख) ऐसी संस्थाओं को प्रतिवर्ष कुल कितना सहायतानुदान दिया जाता है; और

(ग) सहायतानुदान में कटौती से इन संस्थाओं के कार्यकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वाणिज्य मंत्रालय के उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) वाणिज्य मन्त्रालय के अन्तर्गत निर्यात संवर्धन परिषदों और अन्य संवर्धनात्मक अभिकरणों के कार्य संचालन की समीक्षा करने का कार्य पहले ही किया जा रहा है। इस कार्य में इन अभिकरणों को आत्मनिर्भर बनाने से सम्बन्धित प्रयास शामिल हैं।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान ऐसी संस्थाओं को दिए गए सहायता अनुदान की कुल राशि 37.63 करोड़ रु० है।

(ग) इस समय कोई मूल्यांकन करना जल्दबाजी होगी।

हीरा उद्योग

*834. **श्री चन्द्रेश पटेल :**

प्रो० रासा सिंह रावत :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हीरों के निर्यात से देशवार कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(ख) क्या हीरों के उद्योग को लघु उद्योग माना जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस उद्योग को क्या-क्या सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तराशे तथा पालिश किए हुए हीरों के देश-वार निर्यात निम्नलिखित रहे :

	1988-89		1989-90		1990-91	
	करोड़ रुपये में	मि० अमरीकी डालर में	करोड़ रुपये में	मि० अमरीकी डालर में	करोड़ रु० में	मि० अम० डालर में
यू० एस० ए०	1511.69	1037.88	1625.62	976 40	1497.00	834.3
जापान	779.44	535.14	962.3[illegible]	578.00	951.68	530.3
बेल्जियम	743.65	510.57	943.06	566.43	939 76	523.7
हांगकांग	628.65	413.61	689.30	414.01	657.59	366.4
थाईलैंड	124.07	85.18	183.04	109.94	175.77	97.9
स्विटजरलैंड	104 96	72.06	130.58	78.43	118.60	66.1
इजराइल	107.49	73.80	117.51	70.58	90.99	50.7
पश्चिम जर्मनी	58.09	39.88	76 44	45.91	62.65	34.9
यू० के०	44.65	30.66	51.12	30.70	44.26	24.6
सिंगापुर	34.42	23 63	48.18	28.94	57.10	31.8
अन्य	93.17	81.96	108.82	65.36	93.51	52.1
**	4230.28	2904.37	4935.99	2964.70	4688.91	2613.7

स्रोत : जी जे ई पी सी

(ख) हीरा उद्योग लघु उद्योग के लिए आरक्षित नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

** टिप्पणी : उपर्युक्त आंकड़ों में सीप्ज से किया गया निर्यात शामिल नहीं है क्योंकि सीप्ज से देशवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

केरल में ऋण-जमा राशि अनुपात

*835. श्री ए० चार्ल्स :

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों और अनुसूचित बैंकों को राज्यों में ऋण-

जमा राशि अनुपात के बारे में मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तमिलनाडु, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश की तुलना में केरल में ऋण-जमा राशि अनुपात का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इसमें कोई अन्तर है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को जून, 1980 में निर्देश दिया था कि वे अखिल भारतीय स्तर पर अपनी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के लिए अलग-अलग 60% का ऋण जमा अनुपात प्राप्त करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न राज्यों के लिए उक्त ऋण-जमा अनुपात को प्राप्त करने के कोई मार्ग-निर्देश बैंकों के नाम जारी नहीं किए हैं।

(ग) मार्च 1989, 1990 और 1991 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों का केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में ऋण : जमा अनुपात इस प्रकार है :—

	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत)		
राज्य का नाम	मार्च, 1989	मार्च, 1990	मार्च, 1991
केरल	65.2	64.0	59.1
तमिलनाडु	101.2	99.4	100.5
कर्नाटक	97.1	91.0	85.8
आन्ध्र प्रदेश	86.0	87.1	82.6

(घ) और (ङ) किसी राज्य/क्षेत्र विशेष में आर्थिक उत्थान के लिए बैंकों द्वारा किए गए कार्यों का सूचक मात्र ऋण : जमा अनुपात ही नहीं होता है। किसी राज्य या क्षेत्र विशेष में स्थानीय रूप से जुटायी गयी जमा राशियों की तुलना में वास्तविक ऋण स्तर उसकी ऋण खपाने की क्षमता और आर्थिक गतिविधियों के स्तर पर निर्भर करता है जो बदले में परिवहन और बिजली, कच्चे माल के स्रोत की निकटता, बाजार पहुंच, स्थानीय उद्यमवृत्ति आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे ऋण संवितरण के मामले में विभिन्न राज्यों में अत्यधिक क्षेत्रीय असमानताओं से बचें और विभिन्न क्षेत्रों के सभी उत्पादक और पहचान किए गए अर्थक्षम प्रस्तावों के ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए प्रभावकारी कदम उठाएं। इस मामले की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राज्य सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी नियमित आधार पर निगरानी की जाती है।

राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करना

*836. डा॰ विश्वनाथम केनिथी :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सड़क दुर्घटनाओं को कम-से-कम करने के लिए सभी प्रमुख राजमार्गों को चौड़ा करके उन्हें दो लेन वाले राजमार्ग बनाने का विचार है ताकि वाहनों के आने और जाने के लिए अलग-अलग लेन उपलब्ध हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई कितनी है जो दो लेन वाले हैं तथा जिनमें आने और जाने के लिए अलग-अलग लेन उपलब्ध है;

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 को चौड़ा करके उसे दो लेन वाला बनाने का है ताकि आने और जाने वाला यातायात अलग-अलग लेन में चल सके; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक चौड़ा किया जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) तथा (ख) यातायात की अधिक सघनता वाले महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों के चुनिंदा खंडों को ही इस समय चौड़ा करके 4 लेन में विभाजित राजमार्ग बनाने पर विचार किया जा रहा है बशर्ते धनराशियां उपलब्ध हों।

(ग) इस समय 352 किलो मीटर राष्ट्रीय राजमार्गों पर चार लेन में विभाजित "कैरिजवे" हैं।

(घ) तथा (ङ) पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 को चौड़ा करके चार लेन बनाने पर चरणबद्ध रूप से भिन्न-भिन्न खंडों में यातायात की सघनता, अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ पारस्परिक प्राथमिकता और भावी योजना अवधियों में संसाधनों की कुल उपलब्धता के अध्यधीन विचार किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 के 46 कि० मी० में चार लेन बनाने का कार्य चल रहा है। अभी से यह नहीं बताया जा सकता कि समस्त राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 को कब तक चौड़ा करके चार लेन का बना दिया जाएगा।

लदान पूर्व निर्यात प्रलेखन प्रणाली को सरल बनाना

6985. **श्री शंकर सिंह बघेला :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लदान-पूर्व निर्यात प्रलेखन प्रणाली (प्रि-शिपमेंट एक्सपोर्ट डोक्यूमेंन्टेशन सिस्टम) को सरल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नई प्रणाली को कब तक शुरू करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां।

(ख) निर्यातकों द्वारा अपेक्षित 25 पोतलदान पूर्व निर्यात प्रलेखों में से 17 प्रलेखन "संयुक्त राष्ट्र योजना पटल" के मुताबिक निर्धारित कर दिए गए हैं। "संयुक्त राष्ट्र योजना पटल" के अनुसार निर्धारित प्रलेखन प्रणाली में कुछ मानकीकृत निर्धारित निर्यात दस्तावेजों का प्रयोग होता है। इन दस्तावेजों को किफायत, यथार्थता, शीघ्रता तथा सुविधा से युक्त एक मुख्य दस्तावेज के रूप

में तैयार किया जा सकता है। यह निर्धारित प्रलेखन प्रणाली हमारे निर्यातकों के निर्यात प्रलेखन बोझ को काफी कम कर देगी क्योंकि अब निर्यातकों को (वाणिज्यिक और विनियमन) 25 प्रलेखदान एवं निर्यात प्रलेखों में से जो 17 प्रलेख तैयार करने होंगे उन्हें केवल दो मुख्य प्रलेखों की सहायता से फोटोकापियर और उपयुक्त मास्क द्वारा आसानी से तैयार किया जा सकता है। इन प्रलेखनों को कम्प्यूटर पर तैयार करने के लिए भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली और नेशनल इन्फार-मेटिक्स सेन्टर, नई दिल्ली ने साफ्टवेयर भी विकसित कर लिए हैं।

(ग) यह नई प्रणाली 1.10.1991 से शुरू करने का प्रस्ताव है।

पेंशन भोगियों को मकान बनाने के लिए ऋण

6986. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम, आवास और शहरी विकास निगम, कैनफिन होम्स लिमिटेड और अन्य आवास वित्त कम्पनियां/संगठन वेथर पेंशनभोगियों को मकान बनाने के लिए ऋण नहीं देते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) मकानों का निर्माण करने के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं में व्यक्तियों को यह सुविधा प्रदान करने वाली संस्थाओं का मार्गदर्शन वापसी अदायगी की क्षमता और आजीवन स्थायी आय के सिद्धान्त द्वारा किया जाता है। पेंशन भोगियों को यह सुविधा 65 वर्ष की आयु तक उपलब्ध है।

जलपोत-निर्माण कारखानों को राज-सहायता

6987. श्री गुरुदास कामत :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जलपोतों का निर्माण कारखानों को दी जा रही राज-सहायता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों को दी जाने वाली जहाज निर्माण सबसिडि को मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय समसूल्यता (आई० पी० पी०) के 30% से बढ़ाकर आई० पी० पी० का 40% करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

6988. **श्री टी० जे० अंजलोज :**

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है और सरकार द्वारा उनके पुनर्वास और कल्याण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को भूतपूर्व सैनिकों से पेंशन आदि के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) के (ग) केरल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार केरल में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या लगभग 3.5 लाख है ।

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास तथा उनके कल्याण के लिए व्यापक योजनाएं हैं । केन्द्रीय सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए केन्द्रीय सरकार के विभागों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में, जिनमें राष्ट्रीयकृत बैंक भी शामिल है, समूह "ग" और "घ" या के पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की हुई है । रक्षा सेवा कार्मिक जो युद्ध में शान्ति के समय में निशक्त हो गए हैं तथा जिनकी निशक्तता सैन्य सेवा से संबंधित है को प्राथमिकता-I प्रदान की जाती है, जबकि युद्ध में शान्ति के समय मार गए या गम्भीर रूप से निशक्त हुए रक्षा सेना कार्मिकों, जिनकी निशक्तता 50% से अधिक है तथा जो रोजगार के लिए अयोग्य हो गए हैं लेकिन जिनकी निशक्तता सेना सेवा के कारण हुई मानी गई है, के दो आश्रितों को निशक्त भूतपूर्व सैनिकों के तुरन्त बाद प्राथमिकता दी जाती है, जिसे प्राथमिकता-II (क) कहते हैं । इसके अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिकों को स्व-रोजगार देने के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं । इनमें सेम्फेक्स-I योजना शामिल है, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों को लघु परियोजनाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, सेम्फेक्स-II योजना के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों को ग्रामीण क्षेत्रों में लाभकारी कृषि तथा गैर-कृषि कार्यों को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, पेट्रोलियम उत्पादन एजेंसियां, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की एजेंसियां आदि दी जाती हैं । भूतपूर्व सैनिको को सैनिक अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है, तथा साथ ही नजदीक के सी० एस० डी० डिपो में कैंटीन सुविधाएं भी दी जाती हैं । युद्ध में मारे गए या घायल हुए रक्षा कार्मिकों के बच्चे निःशुल्क शिक्षा सुविधायें जैसे कि, फीस का भुगतान, होस्टल का खर्च, वर्दी की लागत आदि पाने के अधिकारी हैं । युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को द्वितीय श्रेणी के रेल किराए में 75 प्रतिशत की रियायत दी जाती है । वीरता पुरस्कार विजेताओं को हवाई यात्रा तथा द्वितीय श्रेणी यात्रा में 50 प्रतिशत की रियायत दी जाती है । राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं, युद्ध में घायलों तथा शांति के दौरान घायल सैनिकों को मकान बनाने तथा पुत्री के विवाह के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है । इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक तथा भूतपूर्व सैनिकों की विधवायें जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है, इन्हें रक्षा मन्त्रालय तथा राज्य सैनिक बोर्डों को दी गई कल्याण निधि में से वित्तीय सहायता दी जाती है । विशेष चिकित्सा उपचार के लिए अनुदान भी दिया जाता है । केरल के भूतपूर्व सैनिक इन सभी योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाएं प्राप्त करने के पात्र हैं ।

भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन तथा अन्य संबंधित मामलों में उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए रक्षा मन्त्रालय में एक विशेष पेंशन शिकायत कक्ष है। इस कक्ष द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है तथा शिकायतकर्ता को उपयुक्त उत्तर दिया जाता है। 1991 (अगस्त, 1991 तक) केरल के भूतपूर्व सैनिकों से प्राप्त 29 शिकायतों में से 11 परिवार पेंशन के बारे में, 16 सेवा पेंशन के बारे में तथा 2 निशक्तता पेंशन से संबंधित थीं, इनमें से 9 शिकायतें अन्तिम रूप से निपटा ली गई हैं तथा 20 शिकायतों के समाधान के लिए आवश्यक कारंवाई की जा रही है।

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में कताई मिल की स्थापना

6989. **श्री श्याम लाल कमल :**

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में कताई मिल खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

गोवा में कर वसूली

6990. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांत्ये :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान गोवा में आय कर, सम्पत्ति कर और उपहार कर के रूप में पृथक-पृथक रूप से कितनी राशि की वसूली हुई; और

(ख) गोवा में उपर्युक्त करों का भुगतान करने वाले पांच शीर्ष करदाताओं के नाम क्या हैं और उक्त वर्षों के दौरान प्रत्येक ने वर्ष-वार कितनी राशि का भुगतान किया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) 1989-90 तथा 1990-91 के वर्षों के दौरान गोवा राज्य में वसूल की गई आयकर, धनकर तथा दानकर की राशियों का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(लाख रुपयों में)

	1990-91	1989-90
आयकर (निगम कर सहित)	3949	3123
धनकर	188	104
दानकर	3	5

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

गोवा में आयकर, धनकर तथा दानकर अदा करने वाले 5 शीर्ष कर-दाताओं के नाम तथा 1989-90 और 1990-91 के दौरान उनके द्वारा अदा की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(लाख रुपयों में)

	1989-90	1990-91
आयकर		
1. वी० एस० डेम्पो एण्ड कम्पनी लि०, पणजी	305	296
2. सेसा गोवा लि०, पणजी	20	211
3. गोवा शिपयार्ड लि०, वास्को	62	165
4. वालेस फार्मास्युटिकल्स, पणजी	77	60
5. जुआरी एग्रो केमिकल्स, वास्को	21	46
धनकर		
1. अशोक वी० चौगुले, मारमगोवा	4	4
2. चौगुले एण्ड कम्पनी प्रा० लि०, वास्को	5	3
3. वी० डी० चौगुले, वास्को	2	3
4. विजय वी० चौगुले, मारमगोवा	1	3
5. पदम् वी० चौगुले, मारमगोवा	2	2
दानकर		
1. श्रीमती शशिकला काकोडकर, पणजी	8	43
2. दत्तात्रेय वी० टी० देसाई, पणजी	8	9
3. श्रीमती प्रेमबाई वी० टी० देसाई, पणजी	8	9
4. दीपक एम० रजनी, पणजी	—	8
5. मीना डी० रजनी, पणजी	—	8
6. एम० डी० मेंजेज, पणजी	9	—
7. रोजा मारिया, मेंजेज, पणजी	9	—

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

6991. श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1991 को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना था तथा 31 दिसम्बर, 1990, 30 जून, 1990, 31 दिसम्बर, 1989 और 30 जून, 1989 को उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की तुलना में यह कितना है;

(ख) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अत्यधिक वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(ग) मूल्यों में वृद्धि को नियन्त्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) विनिर्दिष्ट महीनों के लिए औद्योगिक श्रमिकों (आधार 1982=100) के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नीचे दिए गए हैं :

मास	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	सदर्भित मास से लेकर, जून, 1991 तक सूचकांक में प्रतिशत वृद्धि
जून, 1989	170	22.9
दिसम्बर, 1989	175	19.4
जून, 1990	185	13 0
दिसम्बर, 1990	199	5.0
जून, 1991	209	—

(ख) उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में तीव्र वृद्धि के कारण हैं (i) राजकोषीय असन्तुलन, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रा पूर्ति में तीव्र वृद्धि, नकदी बाहुल्य और इस प्रकार प्रभावी मांग में वृद्धि (ii) खाने के तेलों, दालों, फलों तथा सब्जियों, मसालों तथा गर्म मसालों, मांस, अण्डों तथा मछली, दूध आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति व मांग असन्तुलन का मुख्य कारण घरेलू उत्पादन में कमी और भुगतान सन्तुलन पर दबाव के कारण सरकार द्वारा कुछ वस्तुओं का आयात न कर पाना भी रहा है।

(iii) कुछ उद्योगों में मजदूरी-लागत की बढ़ोत्तरी से मांग बढ़त मुद्रास्फीति के अलावा लागत बढ़त मुद्रास्फीति बढ़ी।

(iv) अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ने की आशंका, मुद्रास्फीति के कारण उपर्युक्त मुद्रास्फीति दबाव जो बहुत आर्थिक असन्तुलन के कारण बने इनके साथ कीमतों में वृद्धि का मुख्य कारण कृषि उत्पादों की वसूली कीमत में वृद्धि, पेट्रोलियम उत्पादों के लिए नियत कीमतों में वृद्धि और लेवी चीनी की कीमतों में वृद्धि, लागत भाड़ा परिवहन लागत में वृद्धि और बहुत सी वस्तुओं का असामान्य बाजार ढांचा भी इसका कारण रहा।

(ग) कीमतों को रोकने के लिए सरकार ने बहुमुखी रणनीति तैयार की है। इसमें सख्त वित्तीय व्यवस्था, मुद्रा प्रसार व फैलाव पर रोक, आवश्यक वस्तुओं की मांग और पूर्ति की प्रभावकारी व्यवस्था, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, और जमाखोरों और मुनाफाखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही शामिल है। उपरोक्त उपायों के अलावा वित्तीय नीतियों, मुद्रा, औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्रों में सरकार नीतिगत ढांचे में सुधार का भी इरादा रखती है। इन उपायों से मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण और भविष्य में कीमतों में स्थायित्व की आशा है।

पंजाब नेशनल बैंक द्वारा डकैती के मामलों में कर्मचारियों को दी गई क्षतिपूर्ति

6992 **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब, बिहार और मध्य प्रदेश में 1991 में आज तक पंजाब नेशनल बैंक के कितने कर्मचारी अपने बैंकों में बैंक डकैतियों का प्रतिकार करते हुए मर गए;

(ख) क्या बैंक द्वारा ऐसे कर्मचारियों के परिवारों को कोई क्षतिपूर्ति दी गई है;

(ग) यदि हां, तो उन कर्मचारियों का पद-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें बैंक ने जनवरी, 1991 से इस प्रकार की क्षतिपूर्ति दी;

(घ) क्या कोई ऐसा भी मामला है जहां इस प्रकार की क्षतिपूर्ति उन परिवारों को दी गई है यद्यपि बैंक डकैती का प्रतिकार करते समय व्यक्ति (व्यक्तियों) की मृत्यु नहीं हुई;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है पंजाब, बिहार और मध्य प्रदेश में 1-1-91 से 7-9-91 तक उसकी शाखाओं में बैंक लूट-पाट की घटनाओं का विरोध करते हुए उसके किसी कर्मचारी की मृत्यु नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

(घ) से (च) दिनांक 3-8-91 को लुधियाना में मिलिटेंटों द्वारा बैंक के दो कर्मचारी अपने घरों में मारे गए थे। बैंक ने प्रत्येक परिवार को एक-एक लाख रुपए का मुआवजा दिया है।

ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत आयात के लिए अनुमति प्राप्त वस्तुओं की सूची में परिवर्तन

6993. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची में कुछ परिवर्तन किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की जाने वाली मदों की सूची में दिनांक 14-8-1991 की सार्वजनिक सूचना सं० 196/आई०टी०सी०(पी०एन०)/90-93 के द्वारा कुछ परिवर्तन किए हैं, जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

दसवीं लोक सभा चुनावों में प्रत्याशियों की संख्या

[हिन्दी]

6994. श्री विजय कुमार यादव :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले लोक सभा चुनावों पार्टी-वार तथा स्वतन्त्र उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) पार्टी-वार कितने उम्मीदवार चुनाव जीते और कितने उम्मीदवारों ने अपनी जमानत जब्त कराई; और

(ग) पार्टी-वार कितने प्रतिशत मत पड़े ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 1991

2. सभी निर्वाचन क्षेत्रों में दल-वार, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, निर्वाचन अभ्यर्थी और वे अभ्यर्थी जिनकी जमानतें जब्त हुई और विधिमान्य मत।

दल का नाम	अभ्यर्थी					विधिमान्य मत
	निर्वाचन लड़े	निर्वाचित	%	जमानत जब्त हुई	योग	
1	2	3	4	5	6	7
क. राष्ट्रीय दल	1799	457	88.57	815	217870926	80.10
1. भा.ज.पा.	460	119	23 06	178	54596738	20.07
2. भा.क.पा.	42	14	2.71	16	6851623	2.52
3. मा.क.पा.	60	35	6.78	7	16954797	6.23
4. आई सी.एस. (एस.सी.एस.)	27	1	0.19	24	981462	0.36
5. इं.ने.कां.	482	227	43.99	61	98204177	36.10
6. ज.द.	300	56	10.85	144	30914556	11.37
7. ज.द. (स)	14	—	—	13	417891	0.15
8. ज.पा.	337	5	0.97	296	8777814	3.23
9. लोक दल	77	—	—	77	171868	0.06
ख. राज्य दल	483	49	9.50	331	35217377	12.95
10. अ. द्र. मु. क.	11	11	2.13	—	4470542	1.64
11. अ.ग.प.	14	1	0.19	5	1489893	0.55
12. ब.स.पा.	226	1	0 19	204	4192480	1.54
13. द्र.मु.क.	30	—	—	—	5741910	2.11
14. फार. ब्लाक	19	3	0.58	16	1145015	0.42
15. झा. मु. मो.	14	6	1.16	8	1481900	0.54
16. जे.पी.पी.	2	—	—	2	587	—
17. के. का. म.	11	1	0.19	—	384255	0.14
18. के.ई.सी.	1	—	—	—	319933	0.12

1	2	3	4	5	6	7
19. एम.ए.जी.	2	—	—	—	64752	0.02
20. एम.एम.एफ.	1	—	—	—	82019	0.03
21. एम.आर.पी.	1	1	0.19	—	169692	0.06
22. एम.यू.एल.	20	2	0.39	18	845418	0.31
23. नू.अ.ग.प.	11	—	—	8	494628	0.18
24. एन.पी.सी.	1	1	0.19	—	328015	0.12
25. एन.पी.पी.	2	—	—	2	1572	—
26. पी.एम.के.	32	—	—	29	1283065	0.47
27. पी.एम.एम.	1	—	—	1	2259	—
28. पी.टी.सी.ए.	2	—	—	2	87387	0.03
29. पी.डब्ल्यू.पी.	6	—	—	5	295402	0.11
30. आर.पी.आई	14	—	—	14	36541	0.01
31. आर.एस.पी.	9	4	0 78	4	1749730	0.64
32. एस.ए.डी.(एम)	3	—	—	3	88084	0.60
33. एस.एच.एस.	22	4	0.78	6	2098343	0.77
34. एस.एस.पी.	1	1	0.19	—	103970	0.04
35. टी.डी.पी.	34	13	2.52	2	8058243	2.96
36. यू.एम.एफ.	3	—	—	2	206737	0.08
ग. रजिस्ट्रीकृत दल	828	4	0.78	804	5990969	2.20
37. ए.डी.	1	1	0.19	—	133995	—
38. ए.एच.एफ.	5	—	—	5	3543	—
39. ए जे.डी.	2	—	—	2	8519	—
40. ए.जे.पी.	1	—	—	1	8047	—
41. ए.एल.डी.	1	—	—	1	1544	—
42. ए.एच.डी.	5	—	—	5	35186	0.01
43. ए.एम.आई.	3	—	—	3	8252	—
44. ए.यू.एम.	3	—	—	3	2655	—
45. ए.जेड पी.	2	—	—	2	372	—
46. बी.बी.पी.	1	—	—	1	329	—
47. बी.डी.एल.पी.	1	—	—	1	142	—
48. बी.डी.पी.	1	—	—	1	1311	—

1	2	3	4	5	6	7
49. बी.जे.एस.	1	—	—	11	19243	0.01
50. बी.के.यू एस.	37	—	—	37	43150	0.02
51. बी.एल.एम.डी.	9	—	—	9	10837	—
52. बी.आर.पी.	9	—	—	7	3[illegible]0729	0.12
53. बी.एस.एन.पी	1	—	—	1	120	—
54. सी.के.एन.	1	—	—	1	383	—
55. सी.पी.आई (एम एल.)	4	—	—	4	27730	0.01
56 डी.बी.एम.	2	—	—	2	1505	—
57. डी बी.पी.	5	—	—	5	1521	—
58. डी.डी.पी.	314	—	—	312	458293	0.17
59. डी.के पी.	1	—	—	1	4508	—
60. डी एम.एम.	8	—	—	8	5888	—
61. डी.एन डी.	6	—	—	6	5436	—
62. डी.पी आई.	1	—	—	1	359	—
63. डी.पी.पी.	10	—	—	10	11967	—
64. डी एल.पी.	2	—	—	2	1983	—
65. जी एम.के.	1	—	—	1	10[illegible]0	—
66. जी.एन.पी.	2	—	—	2	3605	—
67. एच.जे.पी.	5	—	—	5	16171	0.01
68. एच के.एस.पी.	2	—	—	2	12820	—
69. एच.एम.एस.	35	—	—	35	69168	0.03
70. एच.एस.डी.	1	—	—	1	193	—
71. एच.एस.एच.	1	—	—	1	325	—
72. एच.एस एस.	5	—	—	5	5325	—
73. एच.वी.पी.	4	1	0.19	3	331794	0.12
74. आई.डी.पी.	1	—	—	1	2078	—
75. आ .एम.एम.	1	—	—	1	31387	0.01
76. आई.पी.एफ.	21	—	—	19	6179[illegible]7	0.23
77. जे.सी.	1	—	—	1	194	—
78. जे.डी.(जी.)	10	1	0.19	1	1399702	0.51
79. जे ई.एम.	1	—	—	1	34	—
80. जे.जे.पी.	1	—	—	1	1245	—

1	2	3	4	5	6	7
81. जे.के.एम पी.	6	—	—	6	23929	0.01
82. जे.के.पी.	15	—	—	13	350699	0.13
83. जे.एम.एस.	1	—	—	1	138	—
84. जे.एन.पी.	23	—	—	23	35978	0.01
85. के.डी.पी.	1	—	—	1	164	—
86. के.एम.एस.	2	—	—	2	2311	—
87. के.एन.पी.	2	—	—	2	576	—
88. के.आर.एस.	10	—	—	8	453042	0.17
89. एल.ए.बी.(बी.)	1	—	—	1	434	—
90. एल.ए.जे.एम.	1	—	—	1	257	—
91. एल.एच.एम.	2	—	—	2	532	—
92. एल.के.पी.	2	—	—	2	2873	—
93. एल.पी.आई (पी.)	1	—	—	1	684	—
94. एल.टी.पी.	1	—	—	1	408	—
95. एम.-सी.ओ.पी.	1	—	—	1	171767	0 06
96. एम.सी.पी.आई.	5	—	—	5	43085	0 02
97. एम.डी.एल.	1	—	—	1	573	—
98. एम.जी.एम.के.	1	—	—	1	228	—
99. एम.एच.ए.	2	—	--	2	1692	—
100. एम.आई.एम.	2	1	0.19	1	456900	0.17
101. एम.पी.पी.	2	—	—	2	225	—
102. एम.एस.डी.	19	—	—	19	28528	0.01
103. एम.यू.बी.	4	—	—	4	1191	—
104. एन.बी.पी.	2	—	—	2	787	—
105. एन.पी.	2	—	—	2	1038	—
106. ओ.बी.पी.	7	—	—	7	15893	0.01
107. पी.बी.आई.	17	—	—	17	18039	0.01
108. पी.डी.एल.	1	—	—	1	2213	—
109. पी.आर.सी.	5	—	—	5	605	—
110. पी.बी.पी.	3	—	—	3	6897	—
111. आर.के.डी.	1	—	—	1	1125	—
112. आर.पी.आई.(ए.)	1	—	—	1	521	—

1	2	3	4	5	6	7
113 आर.पी.आई (के.एम.)	1	—	—	1	1700	—
114. आर.पी.के.	9	—	—	9	9.557	0.03
115. आर.पी.पी आई.	3	—	—	3	4967	—
116. आर.आर.पी.(एस.)	4	—	—	4	2519	—
117. आर.एस.डी.	3	—	—	2	8825	—
118. आर.यू.डी.	2	—	—	2	316	—
119. एस.सी.पी.	1	—	—	1	250	—
120. एस.एच.एस.(आर.)	1	—	—	1	8810	—
121. एस.जे.जे.पी.	1	—	—	1	70360	0.03
122. एस.के.डी.	7	—	—	7	29647	0.01
123. एस.एन.आई.	2	—	—	2	2852	—
124. एस.एल.एल.	1	—	—	1	246	—
125. एस एल.पी.	2	—	—	2	125738	0.05
126. एस.एन.पी.	3	—	—	3	2921	—
127. एस.ओ.पी.(एल.)	10	—	—	10	12651	—
128. एस.ओ.पी.(आर.पी.)	3	—	—	3	7104	—
129. एस.पी.	2	—	—	2	4642	—
130. एस.आर.पी.	1	—	—	1	571	—
131. एस.आर.एस.	2	—	—	2	1040	—
132. एस.एस.डी.	13	—	—	13	22202	0.01
133. एस.यू पी	3	—	—	3	4705	—
134. टी.एम.के.	2	—	—	2	1330	—
135. टी.एम.एम.	29	—	—	29	55164	0.02
136. यू.के.डी.	4	—	—	4	47369	0.02
137. यू.पी.आर.पी.	10	—	—	10	28379	0.01
138. यू.आर.सी.	9	—	—	9	170376	0.06
139. वी.बी.पी.	1	—	—	1	56	—
140. वी.पी.पी.	4	—	—	4	5597	—
141. डब्ल्यू.पी.आई.	1	—	—	1	1781	—
142. वाई.वी.पी.	11	—	—	11	28159	0.01
घ. निर्दलीय	5333	1	0.19	5297	10603076	3.90
143. निर्दलीय	5333	1	0.19	5297	10603076	3 90

[अनुवाद]

निर्यातोन्मुख एककों तथा मुक्त व्यापार क्षेत्र के एककों की रियायतें

6995. **श्री फूल चन्द वर्मा :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों और मुक्त व्यापार क्षेत्र के एककों को दी जा रही विभिन्न रियायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन एककों को भी आयात-निर्यात बैंक के स्क्रिप-पत्र देने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मुक्त व्यापार क्षेत्र के एककों से घरेलू बाजार में सामान के आयात पर आयात-शुल्क में कमी की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) निर्यात प्रोसेसिंग जोनों के एककों और शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों को जो प्रमुख रियायतें दी जा रही हैं उनमें अन्य बातों के अलावा ये शामिल हैं :—

पूंजीगत माल, कच्चे माल और उपभोक्ता वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात, कार्यचालन के प्रथम आठ वर्षों में 5 वर्षों के ब्लाक के लिए निगमित करावकाश, घरेलू टैरिफ क्षेत्र से प्राप्त सप्लाई पर उत्पाद शुल्क से छूट और उत्पादन के 25% भाग को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बेचने की छूट ।

(ख) और (ग) मुक्त व्यापार जोनों के एककों और शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों को प्रोत्साहन के रूप में उनकी अर्जित निवल विदेशी मुद्रा के 30% की दर से ऐक्सिमस्क्रिप का लाभ दिया गया है ।

(घ) और (ङ) जी हां । कुछ निश्चित शर्तों के अध्यधीन घरेलू टैरिफ क्षेत्र में होने वाली बिक्रियों पर पहले जो शुल्क लिया जाता था, उसे कम कर दिया गया है क्योंकि पिछला शुल्क ढांचा अत्यधिक ऊंचा समझा गया था ।

न्यायपालिका के अधिकारियों के लिए न्यायालय भवन/आवास निर्माण हेतु राज्यों को धनराशि का आबंटन

[हिन्दी]

6996. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यायपालिका के अधिकारियों के लिए आवास और न्यायालय के भवनों के निर्माण हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता देती है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ धनराशि के आबंटन की क्या शर्तें हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) और (ख) सातवें, आठवें और नवें (1989-90 के लिए पहली रिपोर्ट) वित्त आयोगों ने न्यायालय भवनों और न्यायपालिका के अधिकारियों के लिए आवास निर्माण हेतु राज्य सरकारों को उन्नयन अनुदानों के बारे में विशिष्ट सिफारिशें की थीं। राज्य सरकारों को इन स्कीमों के बारे में अपनी कार्य-योजनाओं को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कराना अपेक्षित था। धनराशियां "खाते में अदायगियां" के रूप में तथा तदनन्तर राज्य सरकारों द्वारा रिपोर्ट की गई स्कीमों की वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति के आधार पर रिलीज की गई थीं। अन्तिम समायोजन स्कीमों के बारे में कार्य-समापन प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने तथा पहले की गई "खाते में" अदायगियों को हिसाब में लेते हुए किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में किसानों के ऋणों को माफ करना

6997. **आचार्य विश्वनाथ शास्त्री :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋण राहत योजना के अन्तर्गत ऐसे किसानों के ऋण भी माफ कर दिए गए हैं जिनके पास पांच एकड़ से कम भूमि है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में ऐसे किसानों की संख्या कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके ऋण माफ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना उन सभी पात्र ऋणकर्ताओं को ऋण राहत प्रदान करती है जो किसान, कारीगर, भूमिहीन किसान और बुनकर ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहते हैं। कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना के प्रावधानों के अनुसार किसी ऋणकर्त्ता की पात्रता उसकी जोत की भूमि के आकार के संदर्भ के बगैर निर्धारित की जाती है। प्रदान की गई राहत का श्रेणी-वार ब्योरा उपलब्ध नहीं है क्योंकि सूचना प्रणाली से ऐसी सूचना प्राप्त नहीं होती है। अलबत्ता, दिनांक 26 अगस्त, 199. की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सरकारी बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में जिन हिताधिकारियों को राहत प्रदान की गई थी उनकी संख्या 51,59,896 थी और इसमें 1046 करोड़ रुपए की राशि अन्तर्ग्रस्त थी।

(ग) उपर्युक्त स्थिति के सन्दर्भ में यह प्रश्न ही नहीं उठता।

संसाधित खाद्य मदों का निर्यात

[अनुवाद]

6998. **श्री भाग्ये गोवर्धन :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात किए जा रहे संसाधित खाद्य मदों और तत्संबंधी वार्षिक मूल्य का ब्योरा क्या है; और

(ख) निर्यात की संभावना वाली मदें कौन सी हैं और सरकार ने इस प्रकार के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 के दौरान प्रशीतित मेवे/सब्जियों, कुकरमुत्तों (डिब्बाबंद तथा ताजे) उष्ण कटिबंधीय फलों के सांद्रण, टमाटर पेस्ट, मांस तथा मांस उत्पाद, खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ, अचार तथा पापड़ आदि जैसी संसाधित खाद्य मदों के निर्यात 200 करोड़ रुपये के हुए। निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने हाल ही में व्यापार नीति को उदार बना दिया है। इसके अलावा एम्पीडा के माध्यम से बाजार विकास, उत्पाद संवर्धन उन्नत पैकेजिंग कीमतों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाना आदि के लिए योजनाएं बनाई गई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर अटका नाला पुल

[हिन्दी]

6999. **श्री ललित उरांव** :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जी॰टी॰ रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग-27) के 320 किलोमीटर संकेत-बिन्दु पर निर्माणाधीन अटका नाला पुल का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है;

(ख) क्या गत चार वर्षों के दौरान इस पुल के दोनों ओर की अस्थाई सड़कें तीन बार पूरी तरह बह गई थीं;

(ग) इस पुल की मूल अनुमानित लागत क्या थी और इसके निर्माण में विलम्ब के कारण इसकी लागत में कितनी वृद्धि हो गई है; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इस पुल के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां। तथापि, यह पुल राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर आता है न कि रा॰रा॰-47 पर।

(ख) राज्य लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार इस पुल के लिए निर्माणाधीन "डाईवर्जन" दो बार बह गया था—एक बार 1990 में और दुबारा 1991 में।

(ग) इस पुल की स्वीकृत वास्तविक अनुमानित लागत 16.33 लाख रु॰ है। बिहार सरकार से इस पुल के लिए संशोधित अनुमान प्राप्त होने पर ही, निर्माण कार्य को पूरा होने में विलम्ब के कारण, लागत में होने वाली वृद्धि का पता चलेगा।

(घ) पुल के निर्माण में विलम्ब का मुख्य कारण है—निर्माण एजेंसी द्वारा कार्य धीमी गति से करना। राज्य के लोक निर्माण विभाग ने संकेत दिया है कि मानसून के बाद कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु, इसमें तेजी लाई जाएगी।

निर्यातोन्मुख एकक

[अनुवाद]

7000. **श्री येलैया नन्दी** :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरणीकृत मदों एवं शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों के संबंध में किसी नीतिगत परिवर्तन की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय देश में कार्य कर रहे शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों की संख्या कितनी है तथा इनका क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन एककों ने कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है; और

(ङ) सरकार का विचार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इन एककों को कौन-से विशेष प्रोत्साहन देने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) (क) जी, हां।

(ख) तथा (ङ) सरकार के सरणीकृत मदों की सूची की समीक्षा की है और आयात तथा निर्यात की कतिपय मदों का सरणीकरण समाप्त कर दिया गया है; देखिए—आयातों के संबंध में सार्वजनिक सूचना सं० 195-आई०टी०सी० (पी एन) 91-93 दिनांक 14-8-91 तथा निर्यातों के मामले में सं० 23-ई टी सी (पी एन)/91 दिनांक 14-8-91।

शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिटों के लिए नई नीति की मुख्य-मुख्य बातें ये हैं :—

(I) शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिट निबल विदेशी मुद्रा आय के 30% की दर से एक्जिमस्क्रिप्स के लिए पात्र हैं।

(II) निर्यात अभिमुख यूनिटों द्वारा अर्जित निबल विदेशी मुद्रा को, उन्हें निर्यात घराने, व्यापार घराने अथवा शीर्षस्थ व्यापार घराने का दर्जा दिए जाने के प्रयोजनार्थ घरेलू क्षेत्र में उनकी मूल/सहयोगी कम्पनियों की आय में सम्मिलित किया जा सकता है।

(III) निर्यात अभिमुख यूनिटों द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में की जाने वाली बिक्री पर लगने वाला शुल्क कम कर दिया गया है।

(IV) निर्यात अभिमुख यूनिटों द्वारा घरेलू बिक्रियों के लिए क्रियाविधि को सुकर बनाया जा रहा है।

(V) निर्यातकों को इस्पात की सप्लाई के लिए जो आई० जी० आर० एस० योजना है, उसे निर्यात अभिमुख यूनिटों पर भी लागू किया जा रहा है।

(VI) निर्यात अभिमुख यूनिटों की स्थापना संबंधी नए प्रस्तावों के लिए समयबद्ध आधार पर शीघ्र अनुमोदन देने की प्रणाली आरम्भ की जा रही है।

(VII) निर्यात संसाधन जोन के विकास आयुक्तों को अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं ताकि वे शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों के लिए भी नोडीय अभिकरणों के रूप में कार्य कर सकें। इन अधिकारों में क्षमता बढ़ाने, उनका विस्तार करने, अतिरिक्त पूंजीगत सामान का आयात करने, स्थान परिवर्तन के लिए अनुमति देना तथा घरेलू बिक्रियों के लिए अनुमति देना भी शामिल है।

(ग) इस समय देश में 185 निर्यात अभिमुख यूनिट कार्यरत हैं। क्षेत्रवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्षेत्र	कार्यरत यूनिटों की संख्या
1. इन्जीनियरी माल	33
2. इलैक्ट्रानिक्स	20
3. रसायनिक पदार्थ, प्लास्टिक और सम्बद्ध उत्पाद	29
4. खाद्य कृषि तथा वन उत्पाद	20
5. वस्त्र	27
6. ग्रेनाइट	29
7. अन्य	27
योग :	185

(घ) 31-3-91 तक अर्जित विदेशी मुद्रा की कुल राशि लगभग 1043 करोड़ रु० है।

आयात सम्बन्धी प्राप्तियां

7001. **श्री हाराधनराय :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात संबंधी प्राप्तियां किन बैंकों से भारत लाई जाती हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आयात की तुलना में प्राप्तियों में प्रति वर्ष कितनी-कितनी कमी हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जहां तक आयातों का प्रश्न है, उनमें प्राप्तियां शामिल नहीं होती हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कलकत्ता बन्दरगाहों के कर्मचारियों के लिए चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन

7002. **प्रो० मालिनी भट्टाचार्य :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों और अन्य स्वायत्तशासी निकायों के लिए चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें कलकत्ता बन्दरगाह के कर्मचारियों के लिए क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन कर्मचारियों को दिये जा रहे पेंशन और उपदान की राशि की अस्थाई रूप से गणना कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस स्थिति को कब सुलझाने का है जिससे अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को कठिनाई हो रही है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) हालांकि चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें पत्तन न्यासों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होती हैं, फिर भी सरकार ने चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सेवा-निवृत्ति लाभों को उदार बनाने का निर्णय लिया था। दिनांक 13-8-1990 को आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं। दिनांक 1-1-1988 से लागू संशोधित वेतनमानों पर सेवा-निवृत्त होने वाले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पेंशन की परिलब्धियों की गणना करने के प्रश्न पर विचार हुआ था और ऐसे मामलों में अनन्तिम आधार पर पेंशन आर्डर जारी किए गए हैं। इस मामले में अन्तिम आदेश दिनांक 6-8-91 को जारी किए गए हैं और उक्त आधार पर सभी अनन्तिम आदेशों को अब अन्तिम रूप दिया जा सकता है।

आर्थिक प्रशासक की नियुक्ति

7003. **श्री सनत कुमार मंडल** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई औद्योगिक और वित्तीय नीति के उपायों का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष-विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ भी समन्वय करने हेतु आर्थिक मंत्रालयों के बीच समन्वयक की भूमिका निभाने वाले आर्थिक प्रशासक की नियुक्ति करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रशासक के संक्षेप में क्या कार्य होंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) सरकार ने पहले ही निवेश को आमंत्रित करने और भारत में उसे सुसाध्य तरीके से लगाने के लिए एक विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का गठन किया हुआ है। सरकार ने नीति संबंधी सुधारों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति भी नियुक्त की है। उच्च (सुपर) आर्थिक प्रशासक नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के पुणे-बेलगाम खण्ड को चौड़ा करना

700 . **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण** :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के पुणे-बेलगाम खण्ड पर यातायात बहुत बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राजमार्ग के इस खंड को चार लेन एक्सप्रेस मार्ग में बदलने का है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग)

हालांकि, राष्ट्रीय राजमार्ग के इस खंड पर यातायात में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है लेकिन फिलहाल इस रास्ते पर चार लेन की एक्सप्रेसवे सुविधा निर्माण का कोई मामला नहीं है।

कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु बेरोजगार युवकों को ऋण

[हिन्दी]

7005. **श्री गोविन्दराव निकम :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कौन-कौन से कुटीर उद्योगों के लिये ऋण दिया जाता है;

(ख) ग्रामीण बेरोजगार युवकों को कुटीर उद्योगों की स्थापना करने हेतु ऋण किस दर तथा कौन सी शर्तों पर दिए जाते हैं; और

(ग) ग्रामीण बेरोजगारी हटाने के लिए सरकार द्वारा तैयार किए गए आर्थिक कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों से उनकी आंकड़ा सूचना प्रणाली से कुटीर उद्योगों को प्रदान किए जाने वाले ऋण के संबंध में अलग से आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं। अलबत्ता, कारीगरों, ग्राम और कुटीर उद्योगों को दिए जाने वाले 25,000/-रुपए प्रति हिताधिकारी तक के हिसाब से अग्रिम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत कमजोर वर्गों के अग्रिमों के भाग होते हैं। "कुटीर उद्योग" को इस प्रयोजन के लिए परिभाषित नहीं किया गया है।

(ख) 22 सितम्बर, 1990 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित ब्याज दर ढांचे के शुरू हो जाने से क्षेत्र-वार, श्रेणी-वार और प्रयोजन-वार ब्याज दरों को समाप्त कर दिया गया है। संशोधित ब्याज दर ढांचे के सन्दर्भ में अग्रिमों पर ब्याज दरों को ऋण के आकार के साथ जोड़ा जाता है। तदनुसार, कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए अग्रिमों पर ब्याज दरों को नीचे दिया जाता है :—

	ऋण का आकार/सीमा	कार्यशील पूंजी की दर	लघु औद्योगिक एककों को सावधि ऋण के लिए ब्याज
1	2	3	4
1.	7500/- रुपए तक और उसके सहित	10.0	10 0
2.	7,500/- रुपए से अधिक और 15,000-/ रुपए तक	11.5	11.5
3.	15,000/- रुपए से अधिक और 25,000/- रुपए तक	12.0	12.0

1	2	3	4
4.	25,000/- रुपए से अधिक और 50,000/- रुपए तक	14.0	13.0
5.	50,000/- रुपए से अधिक और 2 लाख रुपए तक	15.0	14.0
6.	2 लाख रुपए से अधिक	16.0* (न्यूनतम)	14.0

*संशोधन कर दिया गया है और 4.7.91 से 18.5% (न्यूनतम) कर दिया गया है।

(ग) भारत सरकार ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने की योजना जैसी कई योजनायें शुरू की हैं जिनका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना है। राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए कई विशेष रोजगार कार्यक्रमों का भी उनके द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है।

रक्षा लेखा कर्मचारियों को भूटान प्रतिपूर्ति भत्ता

[अनुवाद]

7006. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :**

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भूटान में सेवारत रक्षा लेखा कर्मचारियों को भूटान प्रतिपूर्ति भत्ता देने के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वित्तीय तथा अन्य कारणों से ऐसे मामलों में निर्णय लेने से पूर्व विभिन्न संबंधित मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करना होता है जिसमें समय लग जाता है।

रांची में सैनिक छावनी के लिए अधिग्रहीत की गई भूमि

[हिन्दी]

7007. **श्री राम टहल चौधरी :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970-71 में रांची जिले (बिहार) में लालगंज बटंगा और माडी सिटी पुलिस स्टेशन क्षेत्र के किसानों की भूमि सैनिक छावनी के लिए अधिग्रहीत की गई थी;

(ख) क्या इन किसानों को उक्त भूमि का मुआवजा दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो किसानों को मुआवजे का शीघ्र भुगतान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार ने सुग्नु, गाड़ी और खटंगा के निवासियों को इस छावनी क्षेत्र से रास्ता दिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) तो उन्हें यहां से रास्ता कब तक दिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) रक्षा कार्यों के लिए 1972 में बिहार में रांची जिले के **लालगंज और खटंगा गांवों में भूमि अधिग्रहण किया गया था और इससे प्रभावित किसानों को मुआवजे की अदायगी कर दी गई थी।** मैंनी सिटी पुलिस स्टेशन की सीमाओं के भीतर कोई भूमि अधिग्रहीत नहीं की है।

(घ) से (च) स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों ने सुग्नु, गारी और खटंगा के निवासियों को छावनी क्षेत्र से होकर निकलने के लिए एक रास्ते की व्यवस्था कर दी है।

प्रशिक्षण के लिए विदेश जाने वाले व्यक्तियों पर खर्च की गई धनराशि

7008. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1991 से 31 जुलाई, 1991 के दौरान सरकारी खर्च पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कितने व्यक्ति विदेश गए;

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से थे और उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा के वर्तमान संकट को देखते हुए प्रशिक्षण के लिए विदेश जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को कम करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो उपयुक्त अवधि के दौरान वर्ष 1990-91 की इसी अवधि की तुलना में ऐसे व्यक्तियों की संख्या में कितनी कमी आई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) से (घ) अधिकांश विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं आदि के अन्तर्गत धन दिया जाता है। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षण पर कोई व्यय शामिल नहीं है। उच्च विशेषज्ञता के प्रकार के कुछ ही ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं जिनके लिए धन उपलब्ध नहीं होता है। केवल ऐसे ही मामलों में अधिकारियों को सरकारी खर्चे पर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

भाग (क), (ख) तथा (घ) से सम्बन्धित सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है, इसे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से एकत्र कर यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

आन्ध्र प्रदेश में राज्य के राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करना

[अनुवाद]

7009. **श्री के० बी० आर० चौधरी :**

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य की सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सड़कों की जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। आंध्र प्रदेश सहित देश में नए राष्ट्रीय राजमार्गों को घोषित करने का निर्णय आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात ही लिया जा सकता है।

विवरण

आठवीं योजना के नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित प्रस्ताव भेजे हैं।

क्र० सं०	सड़क का नाम	लम्बाई (कि० मी०)
1	2	3
1.	विजयवाड़ा से मछिलीपट्नम	70
2.	काकीनाड़ा से राजमुन्दरी भद्राचलन और वेंकटपुरम होते हुए जगदलपुर तक	360
3.	वारंगल होते हुए हैदराबाद से वेंकटपुर तक	260
4.	ओंगले से गिडलपुर-नांडियाल कुरनूल होते और उप्पल होते हुए रायपुर तक	340
5.	चित्तूर से कुडापा-मारकपुर-मछेरिया नगरजुनासागर और खम्माम होते हुए भद्राचलम तक	680
6.	हैदराबाद से करीमनगर और मंचेरियल जो राष्ट्रीय राजमार्ग 6 और 7 को जोड़ता है, होते हुए चन्द्रपुर तक	332
7.	रा० रा० 5 पर भद्राचलम-चिन्तूर-सिलेरू-चिन्तापलि-पडेरू-अरकू-विजयनगरम-पालपोंडा-श्रीकाकुलम	400

1	2	3
8.	रा० रा० 5 और 4 को जोड़ने वाला नायडूपेटा-तिरुपति-चित्तूर	130
9.	तमिलनाडु में रा० रा० 5 पर रेड हिल से पुत्तूर-रेनीगुंटा-कुडापा-येरागुंटला होते हुए गूटी तक	330
10.	नेलोर से गूटी होते हुए हुबली तक	370
11.	रा० रा० 4 और रा० रा० 7 को जोड़ने वाला पालामनेरू से अन्तपुर	228
12.	कुरनूल से चित्तूर	368
13.	रा० रा० 7 और रा० रा० 4 को जोड़ने वाला पेनूगोंडा-हिन्दूपुर-मधोगिरी-सीरा कर्नाटक सीमा तक	74
14.	राज्य की सीमा के निकट भैंसा से निर्मल होते हुए लक्षेटीपेट तक	170
15.	रा० रा० 4 तथा 13 को जोड़ने वाला ओंगेले से अनंतपुर तक	231
16.	बिलारी (कर्नाटक में) से देवगढ़ (उड़ीसा में) तक बरास्ता अलूरू-अड़ोनी-रायचूर-महबूबनगर-नलगोंडा-खम्माम-भद्राचलम-चिन्तूर-नरसीपट्नम-सलूरू-गूनूपुर-भद्रागिरी	1220
17.	पालामनेरू-वेंकटगिरीकोटा-कुप्पम-रेपाना-पल्ली-कृष्णागिरी (तमिलनाडु में)	100
18.	हैदराबाद-संगारेड्डी-नांदेड-अकोला सड़क	241
	जोड़ :	5905

इरोड में कपड़े से बनी वस्तुओं का निर्यात केन्द्र

7010. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इरोड में कपड़े से निर्मित वस्तुओं के लिए एक निर्यात केन्द्र स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो यह कब तक स्थापित कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनता कपड़े के उत्पादन के लिए लक्ष्य निर्धारित करना

7011. डा० बी० एल० कनोजिया :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों द्वारा जनता कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य उक्त राज्यों में उपलब्ध हथकरघों और उत्पादन में उनके विगत कार्यनिष्पादन के आधार पर निर्धारित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में उत्तर प्रदेश के प्रति-वर्ष के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के लिए जनता कपड़े को उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और इस अवधि के दौरान क्या उपलब्धि हुई; और

(घ) वर्ष 1991-92 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जनता कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है। (1) उत्पादन क्षमता (2) पिछले उत्पादन का आधार (3) जनसंख्या के अनुपात के आधार पर जनता कपड़े के बारे में लगाए गए अनुमान के आधार पर और (4) देश में कुल जनता कपड़े के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य जो इस योजना के अन्तर्गत 1 वर्ष में जारी की जाने वाली राज सहायता के लक्ष्य पर निर्भर करता है।

(ख) से (घ) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में जनता कपड़े के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य और लक्ष्य की प्राप्ति का ब्यौरा इस प्रकार है।—

वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	किया गया उत्पादन
1988-89	120.00	92.51
1989-90	132.00	120.62
1990-91	132.00	119.14
1991-92	100 00	—

भारत पाकिस्तान सीमा पर झड़पों की समीक्षा

7012. श्रीमती बासवराजेश्वरी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के सैनिक अधिकारियों ने सीमा पर हाल में हुई मुठभेड़ों की पुनरीक्षा करने हेतु परस्पर सम्पर्क स्थापित किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्या उपाय किए गए हैं जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) :(क) भारत और पाकिस्तान के सैन्य संक्रिया महानिदेशकों के बीच 02

सितम्बर 91 को दूरभाष पर हुए विचार-विमर्श के फलस्वरूप दोनों देशों के सब-सेक्टर कमांडरों ने पुंछ सेक्टर के किरनी गांव के इलाके में हाल ही में हुई घटनाओं से उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए 3 तथा 8 सितम्बर, 1991 को दो ध्वज बैठकें कीं।

(ख) दोनों देशों के सैन्य संक्रिया महानिदेशक समय-समय पर परस्पर आवधिक संपर्क बनाए रखते हैं ताकि नियंत्रण रेखा पर जब कभी तनाव की स्थिति पैदा हो तो उसे दूर किया जा सके।

चाय-पत्ती का निर्यात

[हिन्दी]

7013. श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष चाय के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान चाय-पत्ती का कितनी मात्रा में निर्यात करने का प्रस्ताव है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने की संभावना है।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) वर्ष 1988-89 से 1990-91 तक वित्त वर्षों के लिए चाय के निर्यात से प्राप्त आय निम्नानुसार थी :

वर्ष	निर्यात आय (करोड़ रुपये में)
1988-89	641.87
1989-90	914.82
1990-91 (अनु०)	1045.41

(ख) वर्ष 1991-9_ के दौरान 1200 करोड़ रु० मूल्य की 210 मि० किलोग्राम चाय निर्यात करने का प्रस्ताव है।

"सिंगल विंडो" ऋण योजना

[अनुवाद]

7014. श्री मोहन सिंह :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ही खिड़की से प्राप्य ऋण (सिंगल विंडो लोन) योजना के अन्तर्गत निवेश की सीमा बढ़ाने से पहले, वित्तीय संस्थाओं को सहायता देने वाली अप्रत्यक्ष योजना में शतप्रतिशत स्वतः पुनर्वित्त पोषण की व्यवस्था थी;

(ख) क्या सरकार ने 20 लाख रुपए तक या इससे अधिक की परियोजनाओं के मामले में अचल परिसम्पत्तियों तथा कार्यकारी पूंजी के वित्त पोषण की दृष्टि से इस योजना का क्षेत्र व्यापक बना दिया है और इनका वित्त पोषण बैंकों के माध्यम से होगा न कि पहले की तरह केवल वित्तीय संस्थाओं द्वारा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सिंगल विंडो ऋण योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने वाले राष्ट्रीय साम्य पूंजी निधि योजना के अन्तर्गत जनसंख्या संबंधी मानदण्ड अधिकतम सीमा का विचार किए बिना सहायता पाने के हकदार होंगे;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी की है; और

(च) यदि नहीं, तो यह कब जारी की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सूचित किया है कि एकल खिड़की योजना के अन्तर्गत 10 लाख रुपये तक के ऋण स्वतः पुनर्वित्त योजना के तहत पुनर्वित्त के पात्र हैं। जबकि राज्य वित्त निगम और दोहरे कार्य करने वाले औद्योगिक विकास निगम स्वतः पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत 100 प्रतिशत पुनर्वित्त के पात्र हैं, बैंक अपने-अपने ऋणों के 75 प्रतिशत तक के पुनर्वित्त के पात्र हैं।

(ख) और (ग) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को एकल खिड़की योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र परियोजनाओं पर परिसीमन को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है और ऋण के कार्यशील पूंजी घटक को 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपये कर दिया है। फिलहाल, यह योजना राज्य वित्त निगमों और दोहरे कार्य करने वाले औद्योगिक विकास निगमों द्वारा परिचालित होती है। बहरहाल, बैंकों के माध्यम से परिचालन के लिए योजना के विस्तार की भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जांच कर रहा है।

(घ) राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना के अन्तर्गत 5 लाख तक की आबादी वाले क्षेत्रों में लघु क्षेत्र में परियोजना लागत की 10 लाख रुपये की परिसीमन वाले नए एककों को और 15 लाख तक की आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित लघु क्षेत्र में रुग्ण एककों की पुनर्स्थापना के लिए इक्विटी के रूप में सहायता उपलब्ध है। सभी राज्य वित्त निगमों और बैंकों के द्वारा अब राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना का परिचालन होता है। यद्यपि, एकल खिड़की योजना फिलहाल राज्य स्तरीय निगमों द्वारा ही परिचालित होती है, लघु उद्योग प्रवर्तक, जो बैंकों से सावधि ऋण सहायता पाते हैं, भी राष्ट्रीय इक्विटी निधि के अन्तर्गत 10 लाख रुपए तक की पूंजी लागत वाली परियोजनाओं के लिए सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ङ) सरकार ने 6 अगस्त, 1991 को घोषित लघु, अति लघु और ग्रामीण उद्यमों के लिए नई नीति उपायों में एकल खिड़की योजना और राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र परियोजनाओं के आकार को बढ़ाने को भी शामिल किया है।

(च) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

दिल्ली में पांच न्यायिक जिलों की मांग

7015. **श्री मोरेश्वर सावे** :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने दिल्ली को पांच न्यायिक जिलों में बांटने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी हां।

(ख) सरकार का यह विचार है कि परिवर्तन लाने के लिए दिल्ली की मुकदमा लड़ने वाली जनता का हित ही मुख्य मानदंड होना चाहिए। तदनुसार सरकार दिल्ली का पांच न्यायिक जिलों में विभाजन किए जाने के प्रस्ताव और दिल्ली के न्यायालयों की धन-संबंधी अधिकारिता को बढ़ाए जाने के दूसरे प्रस्ताव के भी कार्यान्वयन के लिए उपाय करने के संबंध में सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

सेंट किट्स बैंक खाता मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दायर की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट

7016. **श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी :**

श्री मोहन सिंह :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट किट्स बैंक खाते से संबंधित मामले में गलत बयानी, जालसाजी इत्यादि करने के कारण कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उस प्रथम सूचना रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) क्या उस प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर कोई जांच की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मामला दर्ज किया है।

(ग) जी, हां।

परिवहन विमान का आपातकालीन अवतरण

7017. **प्रो० के० वी० थामस :**

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय वायुसेना में रूस के आई० एस०-76 विमान कितने हैं;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान इनमें से कितने परिवहन विमानों को आपातकालीन अवस्था में उतरना पड़ा;

(ग) इन विमानों के आपातकालीन अवस्था में उतरने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन विमानों में पाई गई खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) 14

(ख) 3

(ग) और (घ) आई० एल०-76 वायुयान के इंजन में खराबी का पता चला था। इस खराबी को दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है। इस बारे में अधिक ब्यौरे प्रकट करना लोकहित में नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की उपलब्धि

7018. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वस्त्र, इलेक्ट्रानिकी, इन्जीनियरिंग सामान और उपभोक्ता वस्तुओं के संबंध में विश्व प्रतियोगिता बाजार में भारत का कौन सा स्थान था;

(ख) अंतराष्ट्रीय बाजार में भारत की उपलब्धि में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और इस संबंध में क्या कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ग) जुलाई, 1991 में किए गए उपायों का क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) वस्तु प्रभागों/समूहों द्वारा विश्व-निर्यात में भारत का हिस्सा सम्बन्धी नवीनतम आंकड़े केवल कलेण्डर वर्ष 1987 तक उपलब्ध हैं, जैसा कि इकोनोमिक सर्वे 1990-91 में दिया गया है। इन आंकड़ों के अनुसार चुनींदा प्रमुख मदों के संदर्भ में विश्व-निर्यात में भारत का हिस्सा नीचे दिया गया है :—

वस्तु प्रभाग/समूह	% हिस्सा
1. वस्त्र यार्न, फैब्रिक्स, तैयार कपड़ा-मदें आदि	2.1
2. परिधान वस्तुएं और कपड़े की सहायक सामग्री	2.6
3. इन्जीनियरी माल (इलैक्ट्रानिक्स)	0.1
4. उपभोक्ता मदें	
मांस एवं मांस उत्पाद	0.2
समुद्री उत्पाद	2.2
सब्जियां एवं फल	0.4
काफी और स्थानापन्न वस्तुएं	1.2
चाय एवं मैट	14.4
मसाले	10.0

(ख) सरकार ने जुलाई और अगस्त, 1991 में अनेक व्यापार नीति सुधारों की घोषणा की, जिनका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहनों को सुदृढ़ करना, आयात लाईसेंसिंग की मात्रा को पर्याप्त मात्रा में समाप्त करना और आयात दबावों को कम करना है। पी० ओ० एल० और उर्वरक जैसी संवेदनशील मदों के आवश्यक आयात पूरी तरह सुरक्षित कर दिए गए थे, परन्तु कच्चे माल और संघटकों

के अन्य आयात निर्यात निष्पादन से जोड़ दिए गए हैं। आर० ई० पी० लाइसेन्स के स्थान पर एक्सिमस्क्रिप को लाया गया है। एक्सिमस्क्रिप कच्चे माल संघटकों और अतिरिक्त पुर्जों के आयात की कुछ श्रेणियां प्राप्त करने के साधन होंगे। असूचीबद्ध ओ० जी० एल० श्रेणी समाप्त कर दी गई है और ये मदें अब केवल एक्सिमस्क्रिप पर आयात की जा सकती हैं। निर्यात संवर्धन के एक साधन के रूप में अग्रिम लाइसेन्स की प्रणाली को सुदृढ़ बनाया गया है।

(ग) व्यापार नीति सुधारों के लाभदायक पहलुओं का वित्तीय वर्ष 1991-92 की तीसरी तिमाही से पता लगेगा।

मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन

7019. **श्री एस० बी० सिदनाल :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने 1990-91 की अपनी रिपोर्ट में भारत को व्यापार से नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस रिपोर्ट की जांच की है और व्यापार से नियंत्रण हटाने तथा मुक्त व्यापार के लिए सरकार की किस हद तक सहमति है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) विश्व बैंक प्रकाशन विश्व विकास रिपोर्ट (1991) में यह उल्लेख है कि उच्च रूप से संरक्षात्मक व्यापार नीतियों और अत्यधिक विनियमनों के कारण भारतीय उद्योग अपनी सम्पूर्ण संभावित वृद्धि प्राप्त नहीं कर रहा है।

(ख) और (ग) सरकार ने यह रिपोर्ट देख ली है, जो कि विश्व में विकास से संबद्ध विभिन्न विषयों पर एक वार्षिक प्रकाशन है। विश्व बैंक ऋण कार्यक्रम के लिए यह न तो आदेश है और न ही पूर्व शर्त है।

तथापि, पृथक से, हमारी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने व्यापार और औद्योगिक क्षेत्रों से काफी हद तक नियंत्रण हटाने के उद्देश्य से पहले ही उपायों की घोषणा कर दी है। विशेष रूप से, ये उपाय अनुज्ञप्तिकरण (लाइसेंसिंग), विदेशी निवेश, विदेशी प्रौद्योगिकी करार, सार्वजनिक क्षेत्र नीति, एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम आदि से सम्बन्धित हैं।

उत्तर प्रदेश में ऋषिकेश-जोशीमठ-बद्रीनाथ रोड की मरम्मत तथा इसके स्तर में सुधार करना

[हिन्दी]

7020. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी :**

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रति वर्ष होने वाली दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए ऋषिकेश-जोशीमठ-बद्रीनाथ रोड़ की मरम्मत करने तथा इसके स्तर में सुधार लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस मार्ग पर मरम्मत कार्य कब से शुरू करने की संभावना है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) सड़क की भूस्थिति में सुधार करने और पटरी को चौड़ा करने का प्रस्ताव है। इस पर पहले चरण का कार्य 1990-91 में शुरू किया गया था। यह कार्य 1994-95 तक पूरा किया जाना है। योजना आयोग ने इस कार्य के लिए 15 करोड़ रुपए देना स्वीकार कर लिया है।

मुम्बई में रूई कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें

7021. **श्री रामलखन सिंह यादव** :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनियों के रजिस्ट्रार और सरकार को मुम्बई में रूई का कारोबार कर रही कम्पनियों के कार्यकरण के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) ये शिकायतें किस प्रकार की हैं; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) चूंकि केवल रूई का व्यापार करने वाली कम्पनियों के नामों तथा अन्यथा का उल्लेख प्रश्न में नहीं किया गया है और उद्योगवार शिकायतों का रिकार्ड नहीं रखा गया है अतः मांगी गई सूचना एकत्रित करना सम्भव नहीं हुआ है।

पानयम सीमेंट एण्ड मिनरल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड को पुनः चालू करना

[अनुवाद]

7022. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा** :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने कर्नाटक के पानयम सीमेंट एण्ड मिनरल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड को पुनः चालू करने के लिए किसी पुनर्वास योजना को स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : जी, हां। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि अधिनियम की धारा 19 (3) के साथ पठित अधिनियम की धारा 18(4) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड ने अपनी 11 अप्रैल, 1991 की सुनवाई में मैसर्स पानयम सीमेंटस एण्ड मिनरल इन्डस्ट्रीज लि० (पानयम) के पुनरुद्धार के लिए एक योजना स्वीकार की है।

(ख) इस योजना में पूंजीगत व्यय, आवश्यक लेनदारों तथा सांविधिक दायित्वों की निकासी

की परिकल्पना की गई है तथा वित्तीय संस्थाओं (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट तथा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण और बैंकों (बैंक आफ बड़ौदा, सिंडीकेट बैंक, केनरा बैंक, आन्ध्रा बैंक, विजया बैंक, करुर वैश्य बैंक), आंध्र प्रदेश राज्य सरकार, कर्नाटक राज्य सरकार, भारत सरकार तथा प्रवर्तकों/कम्पनी से प्राप्त राहतों और रियायतों को सूचीबद्ध किया गया है। योजना में बताया गया है कि वर्ष 1995-96 तक कम्पनी का निवल मूल्य सकारात्मक हो जाएगा तथा वर्ष 1997-98 तक संचित हानियां समाप्त हो जाएगी।

गुजरात सरकार को दिए गए ऋण के वापिस भुगतान करने की अवधि को बढ़ाना

7023. **श्री शंकर सिंह वघेला :**

श्री काशीराम राणा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार से कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना के अन्तर्गत उसे दिए गए ऋण बढ़ाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। गुजरात राज्य से नवम्बर 1990 में एक अनुरोध प्राप्त हुआ था जिसमें कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत ऋण की वापसी अदायगी की अवधि आठवीं योजना अवधि के अन्त तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। पूर्वोक्त ऋण भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंकों तथा राज्य भूमि विकास बैंकों को राज्य सरकार की गारंटी के बदले निर्धारित शर्तों पर दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्ताव पर समुचित विचार करने के बाद राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि ऋण की वापसी अदायगी की अवधि 3 वर्षों की निर्धारित अवधि से अधिक बढ़ाना सम्भव नहीं है।

न्यू बैंक आफ इण्डिया में कथित अनियमितताएं

7024. **श्री मदनलाल खुराना :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ इण्डिया में नकद निधि अनुपात और वैधानिक द्रवता अनुपात की कानूनी आवश्यकताओं को कायम नहीं रखा गया जिसके परिणामस्वरूप 1990-91 के दौरान निर्धारित राशि से अधिक ऋण दिया गया, नकदी आदि को हानि हुई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार का विचार इस मामले से किस प्रकार निपटने का है;

(घ) क्या अन्य बैंकों में चालू परिस्थितियों का अध्ययन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो दोषी पाए गए अधिकारियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि न्यू बैंक आफ इण्डिया ने अप्रैल 1989 से मार्च 1991 की अवधि के दौरान प्रारक्षित नकदी अनुपात (सी० आर० आर०) और सांविधिक नकदी अनुपात (एस० एल० आर०) संबंधी सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा किया है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों द्वारा प्रारक्षित नकदी अनुपात और सांविधिक नकदी अनुपात की आवश्यकताओं को पूरा किए जाने की अपेक्षाओं पर लगातार नजर रखता है। चूक के मामले में चूककर्ता बैंकों से चूक की अवधि के अनुसार दण्डात्मक ब्याज लिया जाता है।

चिट फण्ड कम्पनियां

[हिन्दी]

7025. **श्री संतोष कुमार गंगवार :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिट फंड कम्पनियों की कार्य प्रणाली की समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इस समय इन कम्पनियों में जनता ने कुल कितनी धन-राशि जमा की हुई है;

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान गबन तथा अनियमितताओं के कई मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) इन कम्पनियों में इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने तथा जनता की जमा-राशि को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि रिपोर्ट करने वाली चिट फण्ड कम्पनियों की 31-3-90 को कुल जमाराशियां 876 करोड़ रुपए हैं जिनमें से केवल एक करोड़ रुपए जनता की जमाराशियां हैं।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे बताया है कि ऐसी कम्पनियों के पास जनता की जमाराशियों से संबंधित अनियमितताएं नगण्य हैं और पिछले 3 वर्षों के दौरान ऐसा मामला सामने नहीं आया है।

(ङ) और (च) प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

बड़े औद्योगिक गृहों को निर्यात के लिए प्रोत्साहन

[अनुवाद]

7026. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास अध्ययन संस्था द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार बड़े औद्योगिक गृहों को दिए गए निर्यात-प्रोत्साहनों ने उन्हें अधिक प्रतियोगितात्मक बनाने के स्थान पर व्यापारियों में परिणत कर दिया है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट का अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : जी हां। औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा उल्लेख किया है। फिर भी, यह कहा जा सकता है कि वर्तमान आयात-निर्यात नीति में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि एक निर्यातक केवल अपने द्वारा विनिर्मित माल का ही निर्यात कर सकता है। लेकिन अभी हाल ही में घोषित नई व्यापार नीति के अनुसार बड़ी इकाईयों तथा पी० एम० पी० इकाईयों के मामले में आयात को निर्यात के साथ जोड़ दिया गया है। बड़ी इकाईयां अपनी आवश्यकता के कच्चे माल, संघटकों और उपभोग की वस्तुओं आदि आयात के लिए अब विशेष लाइसेंस प्राप्त करने की मात्रा नहीं होगी। इसी तरह पी० एम० पी० इकाईयां भी अपनी आवश्यकता के कच्चे माल, संघटकों और उपभोग को वस्तुओं आदि, ओ० जी० एल० मदों का आयात करने की पात्र नहीं होंगी। इस कोटि के आयतकों को अब उपर्युक्त मदों को आयात आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक्सिमस्क्रिप का सहारा लेना होगा।

उत्तर प्रदेश में चंदवक के निकट गोमती नदी पर पुल को यातायात के लिए खोलना

[हिन्दी]

7027. श्री राम बदन :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में वाराणसी-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चंदवक के निकट गोमती नदी पर बने नये पुल को यातायात के लिए खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो यह पुल कब तक खोल दिया जाएगा;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस पुल के निर्माण में घटिया किस्म की सामग्री का उपयोग करने के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) सांविधानिक रूप से यह मन्त्रालय केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव हेतु उत्तरदायी है। अन्य सभी सड़कों के लिए संबंधित सरकारें/संघ शासित प्रदेश अनिवार्य रूप से उत्तरदायी हैं। संदर्भाधीन पुल किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं बल्कि राज्य सड़क पर आता है। इसलिए बुनियादी तौर पर इस पुल का निर्माण करने और यातायात हेतु इसे खोलने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार उत्तरदायी है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी कर्मचारियों से आय-कर की वसूली

7028. श्री राम नारायण बेरवा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयकर अदा करने वाले सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उनसे वर्षवार कितनी धनराशि वसूली गई; और

(ख) उपरोक्त अवधि में सरकार द्वारा आयकर की कुल कितनी धनराशि वसूल की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के वर्षों के दौरान सरकारी कर्मचारियों के वेतन में से स्रोत पर काटी गई आयकर की राशि के रूप में संग्रहीत आयकर की राशि क्रमशः 228 करोड़ रुपए, 241 करोड़ रुपए तथा 216 करोड़ रुपए थी। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ऐसे सरकारी कर्मचारियों की संख्या के बारे में अलग से आंकड़े नहीं संकलित करता है, जिन्होंने आयकर की अदायगी की है। इस सूचना को समूचे देशभर में फैले हुए कर-निर्धारण अधिकारियों तथा आयकर अधिकारियों (स्रोत पर कर की कटौती सर्किलों) से एकत्र करना होगा। इसमें काफी अधिक समय लगेगा तथा प्रयास करने होंगे जो प्राप्तव्य परिणामों के अनुरूप नहीं होंगे।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान आयकर (निगम-कर सहित) की वसूली निम्नानुसार रही :—

वर्ष	वसूल किए गए आयकर की कुल राशि (करोड़ रुपयों में)
1988-89	8648
1989-90	9722
1990-91	10691

कोस्ट गार्ड्स

7029. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अगस्त, 1991 में "इकोनामिक टाइम्स" में "रेड आइसोज एट कोस्ट गार्डस में बड्स ऑफ सीजर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस पूरे मामले की जांच कराई गयी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ङ) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) तटरक्षक पोत "वीरा" को 24-25 जुलाई, 1991 की रात को बम्बई के दक्षिण में तस्कररोधी गश्त करते समय एक बिना रोशनी वाला जलयान दिखाई दिया। "वीरा" पोत पर राजस्व आसूचना निदेशालय के प्रतिनिधि भी सवार थे। तटरक्षक पोत "वीरा" ने बिना रोशनी वाले उस जलयान का पीछा किया और उसे रुकने का आदेश दिया परन्तु उसने गोली चलाना शुरू कर दिया। इस पर तटरक्षक पोत "वीरा" को 40/60 एम० एम० की तोपों का इस्तेमाल करना पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप वह जलयान डूबने लगा। राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा खोजबीन करने पर डूबे हुए जलयान से 6.87 करोड़ मूल्य की तस्करी की चांदी और 3 शव बरामद हुए। वह "लक्की" नामक पाकिस्तानी जलयान था और उसे पाकिस्तानी कर्मीदल चला रहे थे। इस जलयान पर अत्याधुनिक नौचालन/संचार उपकरण लगे हुए थे।

इस मुठभेड़ में तटरक्षक पोत "वीरा" ने जो गोलियां चलाई थीं उनके कुछ अंश छिटककर पानी से बाहर समीप के तटवर्ती क्षेत्रों में गिर कर बिखर गए प्रतीत होते हैं जिसके कारण चार लोगों को मामूली चोटें आयीं।

दिल्ली में जनोपयोगी सेवाओं के लिए राज-सहायता

7030. **प्रो० राम कापसे :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली में विभिन्न जनोपयोगी सेवाओं के लिए अत्यधिक राज-सहायता उपलब्ध है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या विभिन्न सेवाओं के लिए दी जाने वाली राज-सहायता में कटौती करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि नहीं, उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) और (ख) जी, हां। एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) दिल्ली में जिन मुख्य जनोपयोगी सेवाओं को सहायता दी जा रही है वे हैं—दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली दुग्ध योजना और बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र। यह सहायता,

दिल्ली परिवहन निगम को रोकड़ हानि को पूरा करने के लिए, दिल्ली दुग्ध योजना को दूध की उत्पादन लागत और उसकी बिक्री के जरिए प्राप्त राशि में अन्तर को पूरा करने के लिए और बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र को उसके प्रचालन एवं अनुरक्षण तथा विद्युत केन्द्र से प्राप्त राशि के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए दी जाती है।

(ङ) और (च) उक्त राज-सहायताओं की निरन्तर पुनरीक्षा की जाती है तथा यथा आवश्यक सुधारात्मक कारंवाई की जाती है।

विवरण

1987-88 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय (घटते हुए क्रम में दी गई है)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रति व्यक्ति आय (आंकड़े रुपए में)
1	2	3
1.	दिल्ली	7788
2.	गोवा	6209
3.	पाण्डिचेरी	5622
4.	पंजाब	5572
5.	महाराष्ट्र	4558
6.	हरियाणा	4312
7.	मिजोरम	4077
8.	सिक्किम	3886
9.	अरुणाचल प्रदेश	3679
10.	गुजरात	3509
11.	तमिलनाडु	3362
12.	नागालैण्ड	3361
13.	कर्नाटक	3254
14.	हिमाचल प्रदेश	3122
15.	पश्चिम बंगाल	3046
16.	मणिपुर	3008
17.	मेघालय	2893
18.	आन्ध्र प्रदेश	2839
19.	केरल	2828

1	2	3
20.	जम्मू और कश्मीर	2701
21.	असम	2589
22.	त्रिपुरा	2494
23.	मध्य प्रदेश*	2433
24.	उत्तर प्रदेश	2382
25.	राजस्थान	2363
26.	उड़ीसा	2194
27.	बिहार	1846

* राज्य के घरेलू उत्पादों की पुरानी श्रेणी (1970-71) पर आधारित।

स्रोत : सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय।

टिप्पणी 1. प्रति व्यक्ति आय के आकलन, अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र तैयार नहीं करते हैं।

टिप्पणी 2. चूंकि प्रति व्यक्ति आय के स्रोत भिन्न हैं जैसे सम्बन्धित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, अतः विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उपर्युक्त आंकड़े पूरी तरह से तुलनीय नहीं हैं।

मछुआरों को ऋण

7031. **श्री चन्द्रेश पटेल :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए मछुआरों को ऋण दिए जाते हैं;

(ख) क्या मछुआरों और मत्स्य उद्योग में कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों को अन्य सुविधाएं और राजसहायता भी दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो गुजरात में मछुआरों को तथा अन्यों को गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दिए गए ऋण, सुविधाओं और राजसहायता आदि का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मछली पालन के लिए दिया गया अग्रिम प्राथमिकता क्षेत्र के तहत कृषि से संबंधित कार्यकलाप के रूप में लिया जाता है और इसलिए वे विभिन्न रियायतों, जैसे रियायती ब्याज दर, उदारीकृत मार्जिन तथा प्रतिभूति मानदण्डों के पात्र हैं। बैंक मछली पकड़ने से लेकर निर्यात तक, गहरे पानी में मछली पकड़ने के उपस्कर के लिए वित्तपोषण, तालाबों (टैंक) में मछली पालन (मीठे पानी में मछली पालन) की पुनर्स्थापना आदि जैसे मछली पालन के सभी पहलुओं के विकास के लिए अल्पावधिक और दीर्घावधिक ऋण प्रदान करते हैं। इसके अलावा,

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार चाय ऋण कर्ताओं को 25 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देती है। गत 3 वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मछली पालन उद्योग के लिए ऋण तथा संवितरित अग्रिमों की राशि इस प्रकार है :—

वर्ष	करोड़ रुपए धनराशि
जून, 1987	6.90
जून, 1988	7.43
जून, 1989	2.67

(अद्यतन उपलब्ध)

महाराष्ट्र में बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा पूंजी निवेश

7032. श्री अन्ना जोशी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारतीय जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम तथा विभिन्न बैंकों द्वारा, अलग-अलग महाराष्ट्र में कितनी पूंजी लगाई गई;

(ख) क्या इन बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं का महाराष्ट्र में और अधिक पूंजी लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) :

वर्ष	राशि (करोड़ रुपए)	
	जीवन बीमा निगम	साधारण बीमा निगम
1988-89	206.86	80.31
1989-90	402.23	143.37
1990-91	315.16	143.27

बैंकों के संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम की धनराशियों के निवेश बीमा अधिनियम, 1938 की धारा क्रमशः 27 "क" और 27 "ख" के उपबंधों और इस बारे में सरकार द्वारा जारी मार्ग-निर्देशकों द्वारा संचालित होते हैं। यद्यपि संस्थाओं ने औद्योगिक रूप से कम विकसित क्षेत्रों में उद्यम संबंधी क्रियाकलापों का स्तर बढ़ाने के लिए बहुत से उपाय किए हैं, तथापि किसी क्षेत्र को संस्थागत सहायता की प्राप्ति वहां से आने वाले उचित प्रस्तावों की संख्या पर निर्भर करती है।

कानूनी सहायता और सलाहकार बोर्ड

703'. श्री एन० डेनिस :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कानूनी सहायता और सलाहकार बोर्ड स्थापित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इन बोर्डों की स्थापना के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) विधिक सहायता और सलाह बोर्ड, क्रमश: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों तथा चण्डीगढ़, दमन और दीव, दिल्ली और पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। विधिक सहायता और सलाह बोर्ड अण्डमान और निकोबार द्वीप में भी स्थापित किया गया है, किन्तु वह तब कार्य करना आरंभ करेगा जब कुछ पदों का सृजन हो जाएगा।

(ग) अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्यों में उनकी अपनी पारंपरिक जनजातीय रूढ़ियों और विधियों के कारण विधिक सहायता और सलाह बोर्डों की अभी तक स्थापना नहीं की गई है। किन्तु इन राज्यों की अपनी-अपनी सरकारों के विधि और न्यायिक विभाग, विधिक सहायता कार्यक्रमों को मानीटर कर रहे हैं।

दादर और नागर हवेली तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में विधिक सहायता और सलाह बोर्ड स्थापित करने के बारे में भी कारंवाई की जा रही है।

बैंकों द्वारा आवास-निर्माण हेतु ऋण

7034. श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवास निर्माण ऋण बैंकों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निदेशों का ब्यौरा क्या है तथा उसके द्वारा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को लिखे गए दिनांक 2 नवम्बर, 1988 के पत्र की विषय वस्तु क्या है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा-निदेश और विषय-वस्तु अभी भी प्रभावी है;

(ग) यदि हां, तो क्या अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने पिछले दो वर्षों के दौरान आज तक सामूहिक आवास-निर्माण समितियों के सदस्यों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध किए हैं ताकि संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली में आवास-निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) आवास वित्त के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नवम्बर, 1988 में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जारी किए गए मार्गनिर्देशों की मुख्य विशेषताओं तथा समय-समय पर उसमें किए संशोधनों को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। ये मार्गनिर्देश सामान्यत: अभी भी प्रचलन में हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि आवास वित्त के लिए निर्धारित अखिल भारतीय लक्ष्य को बैंक प्राप्त कर रहे हैं। तथापि, सरकारी आवास समितियों सहित व्यक्तियों/व्यक्तियों के समूहों को दिया जाने वाला प्रत्यक्ष ऋण, इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मात्रा से कम है। अत: बैंकों से कहा गया है कि वे चालू वर्ष के दौरान आवास के लिए प्रत्यक्ष ऋण को बढ़ाएं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वह संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए अलग से आंकड़े नहीं रखता है। तथापि, वर्ष 1989-90 के लिए दिल्ली सहित सारे देश में लक्ष्यों तथा उपलब्धियों से संबंधित वास्तविक स्थिति नीचे दी गई है :—

(करोड़ रुपए)

	लक्ष्य	उपलब्धियां
समग्र लक्ष्य (अखिल भारत)	322	390.41 (अनन्तिम)
प्रत्यक्ष ऋण	96.60	41.61

वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के लिए लक्ष्य इस प्रकार हैं :—

	1990-91	1991-92
समग्र लक्ष्य (अखिल भारत)	387	364
प्रत्यक्ष ऋण	116.10	109.20

विवरण

नवम्बर 1938 में जारी मार्गनिर्देशों की प्रमुख विशेषताएं

I. प्रत्यक्ष ऋण

(I) वाणिज्यिक बैंकों से लिए गए आवास ऋण की वापसी अदायगी की अवधि, जो 10 वर्ष थी, बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गयी है।

(II) अधिकतम मार्जिन 50 प्रतिशत से घटा कर 35 प्रतिशत कर दिया गया है।

(III) आवास ऋण की ब्याज दर 10 अक्तूबर, 1988 से परिवर्तित कर दी गयी है जो निम्नानुसार है :

ऋण की राशि	ब्याज दर (प्रतिशत वार्षिक)
1. 20,000 रुपए तक	12.5
2. 20,000 रुपए से अधिक और 50,000 रुपये तक	13.5
3. 50,000 रुपये से अधिक और 1 लाख रुपए तक	14.00
4. 1 लाख रुपए से अधिक	14.5-16.0

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिए 5000 रुपये तक और उसके सहित के आवास ऋणों की ब्याज दर में परिवर्तन नहीं किया गया है और यह 4 प्रतिशत वार्षिक है।

(IV) जहां संपत्ति को बंधक रखना अथवा बैंक गारंटी व्यवहार्य नहीं है, बैंकों को जीवन बीमा पालिसियों, सरकारी बचत पत्रों आदि जैसी अन्य प्रतिभूतियां स्वीकार करने की अनुमति दी गयी है।

(V) बैंकों को वापसी अदायगी की किस्तें इस प्रकार निर्धारित करने का विवेकाधिकार भी होगा कि कम आय समूहों द्वारा आवास ऋण वहन किए जा सकें और वापसी अदायगी की किस्तें सामान्यतया उधारकर्ता की आय के 30% से अधिक न हो।

(VI) अन्य स्रोतों से निधियां एकत्र करने वाले व्यक्तियों के मामले में, बैंकों को पूरक वित्त प्रदान करने की अनुमति दी गयी है।

(VI) बैंकों को मकानों का निर्माण करने, मरम्मत करने और परिवर्तन करने के लिए ऋण प्रदान करने की अनुमति दी गयी है।

(VIII) बैंकों से आवास के लिए प्रति व्यक्ति कुल ऋण 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए।

(X) सरकारी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली गंदी बस्ती की सफाई की योजनाओं के लिए दिया गया बैंक वित्त आवास वित्त के रूप में माना जाना चाहिए।

II. अप्रत्यक्ष ऋण

(I) बैंक आवास वित्त संस्थाओं और हाऊसिंग बोर्डों के ऋण इक्विटी अनुपात, ट्रेक रिकार्ड और अन्य संबंधित

मदों को ध्यान में रखते हुए उन्हें सावधि ऋण प्रदान करते हैं। ब्याज दर 12.5 प्रतिशत वार्षिक लिया जाएगा बशर्ते कि, 75% वित्तपोषित इकाइयाँ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और निम्न आय समूहों के लिए हों और अन्तिम हिताधिकारियों से ली जाने वाली ब्याज दरें और अन्य शर्तों का वर्णन प्रत्यक्ष वित्त के मामले में दिया गया है।

(II) बैंक मूलभूत सुविधाओं के विकास सहित सम्पूर्ण परियोजना के भाग के रूप में भूमि अधिग्रहण और विकास संबंधी सरकारी एजेंसियों को वित्त प्रदान कर सकते हैं बशर्ते कि परियोजना को 4 वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाए।

(III) बैंक स्थापित निजी निर्माणकर्ताओं को वाणिज्यिक शर्तों पर मांग ऋणों के रूप में प्रत्येक विशिष्ट परियोजना के लिए अधिकतम 18 महीने की अवधि के लिए ऋण दे सकते हैं। जून 1991 से भारतीय रिजर्व बैंकों को उन विशेष परियोजनाओं को 3 से 5 वर्षों की अवधि के लिए सावधि ऋण मंजूर करने की अनुमति दे दी है जहां आवास एकक के भावी खरीददारों से भुगतान, विकास और निर्माण की अवस्था के दौरान प्राप्त नहीं किया जाना है और राष्ट्रीय आवास बैंक से पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध है।

समय-समय पर दिशा निर्देशों में किए गए संशोधन

बैंकिंग तंत्र को मई 1979 में 75 करोड़ रुपये का लक्ष्य आवंटित किया गया था जो दिसम्बर 1978 के अन्त की स्थिति के अनुसार सभी वाणिज्यिक बैंकों के कुल अग्रिमों का लगभग 0.5 प्रतिशत था। परिणामस्वरूप, जनवरी 1989 में समग्र आवास वित्त बैंक जमा राशियों में वृद्धि से जोड़ दिया गया था और बैंकों को पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के उनके वृद्धिशील जमाओं के 1.5 प्रतिशत की दर पर आवास वित्त के अपने-अपने हिस्सों का अभिकलन करने के लिए कहा गया।

मई 1989 में, सहकारी समितियों सहित व्यक्तियों और व्यक्ति समूह को आवास के लिए पर्याप्त प्रत्यक्ष ऋण दिया जाना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों से कहा कि आवास के लिए कुल आवंटन का कम से कम 30 प्रतिशत प्रत्यक्ष ऋण के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आवंटन का 30 प्रतिशत आवास वित्त कम्पनियों, आवास बोर्डों और अन्य सरकारी आवास एजेन्सियों को सावधि ऋण के रूप में दिया जाना अपेक्षित है। आवंटन का शेष 40 प्रतिशत राष्ट्रीय आवास

बैंक और आवास और शहरी विकास निगम के गारंटीशुदा बांडों और डिबेंचरों के अभिदान के लिए उपलब्ध होगा।

इसके अतिरिक्त, बैंकों को 3 लाख रुपए से अधिक के ऋण देने के लिए अनुमति प्रदान की गई है, किन्तु ऐसे ऋण आवास वित्त लक्ष्यों के लिए नहीं गिने जाएंगे।

सितम्बर, 1990 से प्रभावी चालू ब्याज दर संरचना, जो आवास वित्त के लिए भी लागू है, इस प्रकार है:—

सीमा का आकार	ब्याज दर (वार्षिक प्रतिशत)
क) 7,500 रुपये तक और उसके सहित	10.0
ख) 7,500 रुपये से अधिक तथा 15,000 रुपये तक	11.5
ग) 15,000 रुपये से अधिक तथा 25,000 रुपये तक	12.0
घ) 25,000 रुपये से अधिक तथा 50,000 रुपये तक	14.0
ङ) 50,000 रुपये से अधिक तथा 2 लाख रुपये तक	15.0
च) 2 लाख रुपये से अधिक	18.5*

(* जुलाई, 1991 से प्रभावी)

वित्तीय संस्थाओं को देय गैर-सरकारी क्षेत्र पर बकाया ऋणराशि

7035. श्री अनिल बासु :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अगस्त, 1991 को इकॉनोमिक टाइम्ज में "लिक्विडिटी क्राईसिस फोर्सिस फाइनांशियल इन्सटिट्यूशन्स टु स्लैश ऐड टु प्राईवेट सेक्टर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय संस्थानों द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र को दिए गए ऋण की कुल कितनी धनराशि उन पर बकाया है और यह बकाया देय राशि प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं; और

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र की ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन पर पांच करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 31.3.1991 की स्थिति के अनुसार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम, भारतीय निर्यात आयात बैंक तथा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक जैसी वित्तीय संस्थाओं द्वारा निजी क्षेत्र के लिए स्वीकृत ऋणों की कुल बकाया धनराशि 16,790.36 करोड़ रुपए है। चालू तथा अतिदेय दोनों, बकाया राशि की वसूली एक सतत प्रक्रिया है। यह ऋण-समझौतों पर हस्ताक्षर करने के समय बनाई गई वापसी अदायगी अनुसूचियों के अनुसार प्रभावी होता है। इसके अतिरिक्त, अतिदेय राशियों की वसूली के लिए संस्थान विभिन्न उपाय करते हैं। इनमें संबंधित इकाइयों पर दबाव डाला जाता है और साथ ही साथ उनके गारंटीकर्ताओं पर भी दबाव डाला जाता है कि वे गारंटी के दायित्व को पूरा करें तथा सुपात्र मामलों में ऋणों का पुनर्निधारण भी किया जाता है। कुछेक गैर-अर्थक्षम इकाइयों के मामलों में, संस्थान एक बारगी समझौता भी करते हैं। अपवादक मामलों में जहां सभी उपाय असफल हो जाते हैं; संस्थान अपने ऋणों की वापसी के लिए वसूली मुकदमें दायर करते हैं।

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के नाम, जिनकी प्रत्येक की बकाया धनराशि 5.00 करोड़ रुपए से अधिक हैं; को प्रकट नहीं किया जा सकता। वित्तीय संस्थाओं में यह प्रथा नहीं है कि वे अपने व्यक्तिगत ग्राहकों संबंधी सूचना दें क्योंकि कानून के उपबंधों के अनुसार ग्राहकों से संबंधी गोपनीयता और निष्ठा को बनाए रखा जाता है।

सोवियत संघ के साथ व्यापार

7036. **श्री रवि राय :**

श्री शंकर सिंह बघेला :

श्री मोरेश्वर सावे :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सोवियत संघ में हाल में हुए परिवर्तनों का भारत के साथ उस देश के व्यापार पर होने वाले प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) रुपए और रूबल की वर्तमान विनिमय दर कितनी है;

(घ) क्या यह विनिमय पर रुपए-डालर और डालर-रूबल की विनिमय दर के सममूल्य है; और

(ङ) सरकार का यथार्थ रुपया-रूबल समीकरण के अनुसार सोवियत संघ के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) सरकार सोवियत संघ में तेजी से हो रहे परिवर्तनों और भारत-सोवियत संघ व्यापार पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को नजदीकी से मानीटर कर रही है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दिनांक 5.9.91 की स्थिति के अनुसार रुपया-रूबल विनिमय दर 30.8390 रु/=1 रूबल है।

(घ) और (ङ) रुपया-रूबल की विनिमय दर की तुलना रुपया-डालर तथा डालर-रूबल के के साथ करना कठिन है क्योंकि रूबल एक ऐसी परिवर्तनीय मुद्रा नहीं है जिसके विश्व विनिमय बाजारों में भाव बोले जाते हों। भारत सोवियत व्यापार अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में होता है। दिनांक 5.9.91 की स्थिति के अनुसार डालर-रुपया विनिमय दर 1 अमरीकी डालर = 26.08 रुपए थी। दिनांक 2.9.91 की स्थिति के अनुसार रूबल की सरकारी विनिमय दर 1 अमरीकी डालर = 0 5936 रूबल थी।

[हिन्दी]

थल-सेनाध्यक्ष की अमेरिका यात्रा

7037. श्री मृत्युंजय नायक :

श्री आर्थ फर्नान्डीज :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थल-सेनाध्यक्ष ने अगस्त, 1991 के तीसरे सप्ताह में अमेरिका की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त यात्रा का क्या प्रयोजन था; और

(ग) वहां पर हुए विचार-विमर्श से क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) सेनाध्यक्ष की संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की यात्रा सद्भावना यात्रा थी जो अमेरिका के थल-सेना अध्यक्ष के निमंत्रण पर की गई थी। पारस्परिक सद्भावना यात्राएं कई अन्य देशों के साथ भी की जाती हैं।

(ग) इस प्रकार की यात्रा से पारस्परिक हित के विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर मिलता है। इनमें दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में अधिक सहयोग की सम्भावनाओं पर विचार विनिमय करना भी शामिल है।

मतदाता सूचियां

[अनुवाद]

7038. श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसंख्या और मतदाता सूचियों में, जब कभी इनमें संशोधन किया जाता है, हमेशा अन्तर रहता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने पिछली जनगणना आंकड़ों के साथ मतदाता सूचियों को मिलाने के प्रयास किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को मतदाता सूचियों में मतदाताओं के नाम शामिल न किए जाने के संबंध में शिकायतें मिली हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार मतदाता सूचियों की सर्वांगीण जांच कराने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी हां।

(ख) निर्वाचक नामावलियों में कुल जनसंख्या का केवल वही भाग होता है जो मतदान का पात्र है।

(ग) और (घ) सरकार को किसी राज्य सरकार द्वारा किए गए इस प्रकार के प्रयासों की जानकारी नहीं है।

(ङ) जी, हां।

(च) भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन निर्वाचक नामावलियों की तैयारी का अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण निर्वाचन आयोग में निहित है न कि सरकार में। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 में किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली को तैयार करने और पुनरीक्षण के लिए विस्तृत उपबन्ध हैं। सामान्यतः नामावलियों का पुनरीक्षण प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में किया जाता है और नामावलियों के पुनरीक्षण के कार्यक्रम के बारे में, जनसंचार और अन्य साधनों के माध्यम से, व्यापक प्रचार किया जाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पात्र मतदाता नामांकित हो जाएं, निर्वाचन आयोग प्रत्येक संभव प्रयास करता हैं।

जब्त की गई अफीम

7039. **श्री महेश कुमार कनोडिया :**

श्री वीरेन्द्र सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अगस्त, 1991 को केन्द्र सरकार के पास पकड़ी गई अफीम का कितना स्टाक था;

(ख) इसे कब तक निपटा दिया जाएगा; और

(ग) इसका उपयोग किस उद्देश्य हेतु किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) नशीले औषध द्रव्य संबंधी कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्तशुदा अफीम को नीमच (मध्य प्रदेश) अथवा गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) स्थित सरकारी अफीम और अल्कालायड वर्क्स उपक्रमों को, जब कभी भी अपेक्षित होता है, अल्कालायड्स के निर्माण के लिए कारखानागत रूप में ही उपयोग करने हेतु अथवा यदि इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त न पाई जाए तो इसे नष्ट करने के लिए अन्तरित किया जाता है। 31.8.1991 की स्थिति के अनुसार गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) और नीमच (मध्य प्रदेश) स्थित दो सरकारी अफीम और अल्कालायड वर्क्स उपक्रमों में लगभग 7500 किलोग्राम ऐसी अफीम स्टाक में

थी। इन दो उपक्रमों के कार्यक्रम के अनुसार, जब्तशुदा अफीम की उपर्युक्त मात्रा का निपटान 31 मार्च, 1992 तक कर दिया जाएगा।

रुग्ण वस्त्र एककों को ऋण

[हिन्दी]

7040. **श्री साईमन मरांडी :**

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुग्ण वस्त्र एककों को 11.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे रुग्ण एककों के नाम क्या हैं जिन्हें ऋण दिया जाएगा और इस पर राज्यवार कुल कितनी धनराशि व्यय किए जाने की सम्भावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्त 'क' के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों में घाटा

[अनुवाद]

7041. **श्री आस्कर फर्नान्डीज :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऋण-लाभ-अयोग्य व्यक्तियों तथा निगमित समूहों को ऋण देने के परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विराट धनराशि का घाटा वहन किए जाने के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कुल कितना घाटा हुआ है;

(ग) क्या ऐसे घाटे के लिए उत्तरदायित्व निश्चित कर दिया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार दोषी बैंक अधिकारियों के भ्रष्टाचार के सभी मामलों की जांच करने के लिए एक जांच आयोग की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) बैंक ऋण संस्थाएं होने के कारण कुछ ऋणियों का अवरुद्ध हो जाना तथा इसके परिणामस्वरूप, संबंधित बैंकों को हानि होना इसकी प्रणाली में निहित है।

(ख) बैंकों के तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि खातों के प्रपत्रों में, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए हैं, इस प्रकार की सूचना का प्रावधान नहीं है।

(ग) सभी अनियमितताओं की जांच की जाती है तथा जहां कहीं आवश्यक होता है, उचित उपचारी कार्रवाई की जाती है ।

(घ) और (ङ) आन्तरिक निरीक्षकों, बाह्य संवैधानिक लेखापरीक्षकों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के आवधिक निरीक्षण द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों की समीक्षा का वर्तमान प्रणाली और प्रक्रियाओं को समुचित समझा जाता है । केन्द्रीय जांच ब्यूरो का भी बैंकों पर क्षेत्राधिकार है तथा वह सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों के अनुरोध पर और स्वयंमेव भी जांच करता है ।

अहमदाबाद से बड़ोदरा तक एक्सप्रेस मार्ग

[हिन्दी]

7042. श्री काशीराम राणा :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद से बड़ोदरा तक की एक्सप्रेस मार्ग परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बहुत अधिक विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और इसे कब तक पूरा किया जायेगा;

(घ) इस एक्सप्रेस मार्ग के निर्माण में विलम्ब के परिणामस्वरूप इसकी लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ङ) इस परियोजना को शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या उपाय किए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां ।

(ख) इस परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब ठेकेदारों के घटिया कार्यनिष्पादन के कारण हुआ ।

(ग) इसकी प्रारम्भिक स्वीकृत लागत 137.20 करोड़ रु० थी और इस कार्य को अब दिसम्बर, 1994 तक पूरा करना निर्धारित किया गया है ।

(घ) राज्य सरकार द्वारा अभी संशोधित लागत का मूल्यांकन किया जाना है ।

(ङ) मुख्य संविदात्मक समस्याओं का समाधान कर लिया गया है जिससे ठेकेदार कार्य को शीघ्र पूरा कर सकें ।

दिल्ली के निकट नोएडा में पटसन माल फैक्ट्री की स्थापना

अनुवाद]

7043. श्री चित्त बसु :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के निकट नोएडा में पटसन की वस्तुओं का निर्माण करने हेतु एक आधुनिक फैक्ट्री स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

छोंडा नदी पर एक नए पुल का निर्माण

7044. **श्री बारे लाल जाटव :**

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरैना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर छोंडा नदी पर बना पुराना पुल जीर्ण-शीर्ण हालत में है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस राजमार्ग पर नया पुल बनाने तथा नया पुल बनने तक इस सड़क का स्तर उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) संभवतः माननीय सदस्य का आशय मुरैना जिले में छोंडा गांव के समीप रा० रा० 3 पर 8 $^{9}/10$ कि० मी० में आसन नदी पर बने पुराने पुल से है। मौजूदा पुल पुराना और कमजोर है। नए पुल तथा पहुंच मार्गों के निर्माण कार्य को स्वीकृति के लिए 1991-92 की वार्षिक योजना में शामिल किया गया है जो तकनीकी ब्यौरों को अन्तिम रूप दिए जाने पर निर्भर करता है।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत सूती कपड़ा मिलों का बन्द होना

7045. **डा० लाल बहादुर रावत :**

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की कुछ सूती कपड़ा मिलें, जिनका पिछले कुछ वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकरण किया गया था, बन्द पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, उन मिलों के नाम क्या हैं तथा वे कहां-कहां पर स्थित हैं; और

(ग) 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान इन मिलों को हुई हानि का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं। केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत और राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा संचालित कोई भी मिल उत्तर प्रदेश राज्य में बन्द नहीं पड़ी हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनर्निर्माण के लिए एशिया विकास बैंक की सहायता

[अनुवाद]

7046. **श्रीमती डी० के० भंडारी :**

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया बैंक ने राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सिक्किम को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनर्निर्माण और उन्हें चौड़ा करने के लिए धनराशि आवंटित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, हां। एशियाई वि .ास बैंक निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है :—

(1) आंध्र प्रदेश में रा० रा० 5 के अनकपल्ली में विशाखापत्तनम खंड (46 कि० मी०) को चौड़ा करके 4 लेन का बनाना और सुदृढ़ करना।

(2) हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रा० रा० 2 के बल्लभगढ़ से मथुरा तक के खंड (111 कि० मी०) को 4 लेन का बनाना और सुदृढ़ करना ।

(3) रा० रा० 7 के बंगलौर-कर्नाटक/तमिलनाडु सीमा खंड को 4 लेन का बनाना और सुदृढ़ करना ।

(4) केरल में रा० रा० 47 के अलवाई-वित्तिला और अरूर-चेरथला खंड (37 कि०मी०) को 4 लेन का बनाना और सुदृढ़ करना और वित्तिला अरूर खंड (10 कि० मी०) को सुदृढ़ करना ।

(5) राजस्थान में रा० रा० 8 के अकरोल-कोटपुतली खंड को 4 लेन का बनाना तथा सुदृढ़ करना ।

(ग) से (ङ) हालांकि सिक्किम को जाने वाले एक राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 31ए को एशियाई विकास बैंक कार्यक्रम के तहत बाह्य सहायता के लिए शामिल नहीं किया गया फिर भी धनराशियों की उपलब्धता के आधार पर इसमें लगातार सुधार किया जा रहा है ।

हीरों का जब्त किया जाना

7047. **डा० सी० सिलवेरा :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन एजेंसियों ने अगस्त, 1991 के दौरान एक करोड़ रुपए के हीरे जब्त किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इन हीरों का उपयोग करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) विशिष्ट सूचना पर कार्यवाही करते हुए 24-8-1991 को इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, नई दिल्ली पर सर्व श्री अब्दुल रहमान, मोहम्मद शारिब उस्मान और नाजिर मोहम्मद को उस समय रोका गया था जब फ्लाइट सं० बी० ए०-035 से हांगकांग जा रहे थे और उनके पास से 73,600/- अमरीकी डालरों सहित 87,77,000/- रुपये के मूल्य के कटे हुए तथा पोलिश किए हुए हीरे बरामद किए गए थे और अभिगृहीत किए गए थे ।

(ग) और (घ) कटे हुए और पोलिश किए हुए जब्तशुदा हीरों को सीमा शुल्क विभाग द्वारा निर्यात के प्रयोजनों के लिए बेच दिया जाता है ।

सी० ए० डी० कैम्प फुलगांव, वर्धा में नैमित्तिक कामगार

7048. **श्री आर० एस० घंगारे** :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्धा जिले में सी० ए० डी० कैम्प फुलगांव में चतुर्थ श्रेणी के सौ से भी अधिक व्यक्ति नैमित्तिक कामगार के रूप में पिछले पांच से भी अधिक वर्षों से कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या कैम्प अधिकारी अब भी प्रत्येक वर्ष बीच-बीच में कुछ और नैमित्तिक कामगारों को नियोजित करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो चतुर्थ श्रेणी में पिछले तथाकथित नैमित्तिक कामगारों को नियमित अथवा स्थायी न किए जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं । तथापि, नवम्बर, 1990 से जनवरी, 1991 और मार्च, 1991 से जुलाई, 1991 के बीच की अवधि में कुछ दिहाड़ी कामगार रखे गए थे । ये कामगार आग के जोखिम से बचने के लिए जंगली घास को साफ करने के विशेष काम के लिए और केवल उसी मौसम के लिए रखे गए थे ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बंगलौर मैसूर हाईवे को एक्सप्रेस हाईवे में बदलना

7049. **श्री एच० डी० देवगौड़ा** :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंगलौर मैसूर राज्य राजमार्ग को एक्सप्रेस हाईवे में बदलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरणों के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति

[हिन्दी]

7050. **श्री सूर्य नारायण यादव :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित छह मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरणों में से केवल तीन न्यायाधिकरणों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो मोटर दुर्घटना संबंधी दावों के सभी मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए शेष तीन न्यायाधिकरणों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) दिल्ली के 6 मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरणों में से 3 न्यायाधिकरणों के न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नत कर दिया गया था और इन न्यायाधीशों को जून, 1991 के प्रथम सप्ताह में रिलीव भी कर दिया गया था। मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरणों (एम०ए०सी०टी०) में न्यायाधीशों की तीन रिक्तियों को भरने संबंधी मामले को दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ उठाया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को देय भत्तों पर आयकर

7051. **श्री यशवंत राव पाटिल :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कई केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अपने कर्मचारियों को उनके वेतन का चार गुना कर मुक्त भत्ता देते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन सभी भत्तों पर आयकर लगाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम द्वारा इस प्रकार की अदायगी का कोई विशिष्ट मामला सरकार की जा कारी में नहीं आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विदेशी बैंकों के साथ लेन देन

[अनुवाद]

7052. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक विदेशी बैंकों के साथ बैंककारी लेन-देन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इससे राष्ट्रीयकृत बैंकों के कारोबार पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों को केवल निर्धारित वाणिज्यिक बैंकों के साथ ही बैंककारी लेन-देन करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) वर्तमान हिदायतों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बैंकिंग सम्बन्धी अपनी स्वदेशी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में भारत में स्थित विदेशी बैंकों के साथ लेनदेन करने की अनुमति नहीं दी जाती है। तथापि, सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों/निगमों को, जिनकी परियोजना लागत में विदेशी मुद्रा संघटक के तत्व का समावेश होता है, विदेशी मुद्रा सम्बन्धी अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने के वास्ते कभी-कभी विदेशी बैंकों पर निर्भर होना पड़ता है। अलबत्ता, ऐसे लेनदेनों के सरकारी क्षेत्र के बैंकों के भारतीय कारोबार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(ग) और (घ) वर्तमान नीति की समीक्षा की जा रही है।

गैर-सरकारी क्षेत्र की यूनिटों को एशिया विकास बैंक से सहायता

7053. **श्री गोपी नाथ गजपति** :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की कुछ इकाइयों को अपनी औद्योगिक इकाइयों का विस्तार करने हेतु एशिया विकास बैंक से सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी क्षेत्र की ऐसी इकाइयों के नाम क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन इकाइयों को एशिया बैंक से वर्षवार प्राप्त हुई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एशियाई विकास बैंक से अब तक जिन निजी क्षेत्र की इकाइयों को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है उनका ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(आंकड़े मिलियन अमरीकी डालर में)

कम्पनी का नाम	एशियाई विकास बैंक द्वारा इक्विटी भागीदारी	एशियाई विकास बैंक ऋण	एशियाई विकास बैंक के अनुमोदन की तारीख
1	2	3	4
डी०सी०एल० पोलिस्टर लि०	3.00	16 00	16.7.1987
आई०सी०आई०सी०आई०	5.00	—	29.10.1987

1	2	3	4
आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लि०	3.00	4.00	30.01.1988
इण्डियन एक्रिलिक्स लि०	2.24	5.90	31.01.19.9
क्रेडिट केपिटल वेंचर फण्ड	0.80	—	02.11.1989
कलकत्ता विद्युत आपूर्ति निगम (सी०ई०एस०सी०)	—	17.80	04.10.1990
ट्वन्टियथ सेंचुरी वेंचर केपिटल कारपोरेशन लि०	1.830	—	20.12.1990

गोवा में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क की वसूली

7054. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांत्ये :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क की पृथक-पृथक रूप से कितनी वसूली हुई; और

(ख) गोवा में प्रतिवर्ष केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में एक लाख रुपए से अधिक राशि का भुगतान करने वाली फर्मों/कम्पनियों के नाम क्या हैं और उपर्युक्त अवधि के दौरान उनमें से प्रत्येक फर्म/कम्पनी द्वारा वर्षवार कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) :

(क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

	(करोड़ रुपयों में)
1989-90	104.72
1990-91	122.45

सीमा शुल्क

	(करोड़ रुपये में)
1989-90	46.95
1990-91	59.42

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

गोवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय में प्रतिवर्ष केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में एक लाख रुपये से अधिक राशि का भुगतान करने वाली फर्मों|कम्पनियों के नाम और उनके द्वारा 1989-90 और 1990-91 के दौरान अदा की गई राशि का ब्योरा

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	नाम	संदत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की राशि	
		1989-90	1990-91
1	2	3	4
1.	संजीविनी एस०एस०आई० कारखाना	49.50	60.68
2.	हिन्दुस्तान गुड्स	12.57	21.30
3.	के० मर्क (आई) लि०	35.60	63.16
4.	के० पी० स्टील	43.61	30 23
5.	एम०आर०एफ० लि०	5970.91	7337.76
6.	गोवा रेक्स्टिर्स	4.39	4.65
7.	यूनीवर्सल बेवरेजस	—	6.20
8.	मै० हिन्दुस्तान सीबा गाइगी ऑफ इंडिया लि०	79.61	74 41
9.	गोवा पेंट्स एण्ड अलाइड प्रॉडक्टस	21.08	24.73
10.	यूनाइटेड अक्यूमूलेटर्स प्रा० लि०	26.29	37.74
11.	डायनामिक इन्जीनियर्स	1.19	—
12.	आरलेम इलैक्ट्रानिक्स	7.50	7.76
13.	गोवा इलैक्ट्रिकल्स एण्ड फैन्स लि०	1.44	—
14.	बीयर्स ऑफ इण्डिया लि०	—	100.21
15.	कुरती इन्टरप्राइजेज	—	2.27
16	आई०एफ०बी० लि०	—	77.27
17.	इण्डियन ह्यूम पाइप्स	22.05	10.05
18.	रोडल सिर्काप्रिंट लि०	33.23	32.36
19.	पॉलीनोवा इण्डस्ट्रीज लि०	60.26	9.12
20.	भाण्डेर इण्ड० मैटल्स	2.21	0.93

1	2	3	4
21.	डायमण्ट बोटं आई० प्रा० लि०	—	12.55
22.	स्पेन्कॉन फिल्ट्रेशन इण्डिया प्रा० लि०	1.37	6.58
23.	के० जी० पालीमर्स	2.31	2.57
24.	सी० जे० रबड़ वर्क्स	3.67	2.01
25.	विस्तामैन पैक० (प्रा०) लि०	2.83	5.37
26.	एच० एल० वायर्स प्रा० लि०	—	1.74
27.	फोटोफोन (अ.ई) इंड० लि०	57.90	74.34
28.	फोटोफोन लि०	17.00	9.73
29.	इण्डो स्विस ज्वैल्स	13.51	8 20
30.	एडेल लैब० लि०	18.56	28.52
31.	टाटा यूनीसाइज	46.69	45.07
32.	गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि०	134 20	74.76
33.	सेन्टोर फार्मास्यूटिकल्स लि०	87.66	148.55
34.	सुषमा इण्डस्ट्रीज	4.02	—
35.	जैनो फार्मास्यूटीकल्स	67.96	77.66
36.	मिन्को (आई) लि०	1.28	1.97
37.	मास्टर इलैक्ट्रोनिक	2.38	1.31
38.	डायनावेप हाइड्रोलिक्स	1.43	—
39.	कंटेम्परेरी परफ्यूम्स	2.25	4.96
40.	पी० जे० एम० फार्मास्यूटीकल्स	1.84	2.71
41.	गोवा टेलीकम्यूनिकेशन सिस्टम	53.45	31.97
42.	गोवा टाइम मूवर्स	1.14	13.53
43.	गोवा इन्स्ट्रूमेंटस	3.12	5.93
44.	जेनिथ मैग्नेटिक्स	8.23	4.58
45.	माडर्न कॉस्मेटिक्स इण्ड०	1.90	2.13
46.	गोवा इलैक्ट्रोनिक्स लि०	15.60	9.79
47.	जेनिथ कम्प्यूटर्स	49.70	18.01
48.	एयरोसोल सर्विसेज	1.35	3.37

1	2	3	4
49.	मैरिट फार्मास्यूटीकल्स	—	1.27
50.	बाल बन्धु	—	1.41
51.	आई० ओ० सी०, I	1035.77	1356.93
52.	आई० ओ० सी०, (डी)	104.26	87.47
53.	एच० पी० सी०	908.66	498.49
54.	फिस्टाइन	19.78	14.30
55.	प्रेमिला	3.18	—
56.	सालगावोकर	3.80	1.36
57.	प्रयाग	3.20	1.81
58.	एम० आर० इली०	1.12	—
59.	गोवा कार्बन	3.36	3.20
60.	ज्यूटैक्स	4.75	12.70
61.	ओशनिक पी०	1.30	2.03
62.	डी० सी० आई० फार्मास्यूटीकल्स प्रा० लि०	18.52	23.34
63.	एम० एस० फार्मास्यूटीकल्स प्रा० लि०	12.75	12.97
64.	कोस्टा एंड कं० प्रा० लि०	2.15	0.23
65.	बोरकर इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लि०	7.31	16.98
66.	जोस फांसिस्का सांतोस	1.20	0.08
67.	इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, मारगाओ	2.52	2.53
68.	गोवा कार्बन लि०	152.83	214.92
69.	मैटसुअल आटो एक्सेसरीज	6.42	16.24
70.	क्लासिक एक्सट्रेमिसियल प्रा० लि०	13.22	13.86
71.	गोवा एल्यूमिनियम प्रा० लि०	4.28	6.52
72.	जुमधर इन्जी० प्रा० लि०	3.82	3.91
73.	गोवा सिन्टर्ड प्राडक्टस	6.01	3.22
74.	गोवा बॉटलिंग कं० प्रा० लि०	121.18	149.65
75.	सॉफ्ट फूड्स	—	1.21
76.	एन० डी० नाइक एण्ड संस	6.51	0.09

1	2	3	4
77.	गोविंद पॉइ आक्सीजन लि०	13.84	11.59
78.	देविका बेवरेजज	8 08	9.98
79.	मारपोल कैमिकल्स	22.95	11.12
80.	अटलांटिक स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०	15.11	11.70
81.	अमीटेक प्रा० लि०	2.50	2.89
82.	हाइड्रोफ्लेक्स इक्विपमेंटस	4.81	1.93
83.	मिस्ट्री इंड० कम्बाइन्स	---	1.13
84.	ए० सी० जी० एल० हॉन्डा	360.01	458.22
85.	ए० सी० जी० एल० भीमपाल	—	2.41
86.	गोवा आटो एक्सेसरीज लि०	70.91	99.42
87.	चोगले एण्ड कं०	---	1.75
88.	सेसा गोवा लि०	1.25	2.06
89.	मेट्ये टायर्स एण्ड रबड़ इंडस्ट्रीज	6.72	3.14
90.	बीविट	5.46	5.08
91.	फाबरिल गासोसा	30.74	26.36
92.	ल्यूकोप्लास्ट (आई०) लि०	76.72	—
93.	रापिदुर (आई०) लि०	10.98	—
94.	वालेस फार्मास्यूटीकल्स	82.43	80.38
95.	हैण्डीप्लास्ट	12.46	—
96.	सी० एफ० एल० फार्मास्युटीकल्स	73.25	52.72
97.	मेनेजज कैमीकल्स (गोवा)	9.74	22.95
98.	नियोग्राफिक (आई०) लि०	5.60	6.73
99.	मेनेजज फार्मास्यूटीकल्स	4.66	30.57
100.	कलफैक्स लेबोरेटरीज	235.02	366.38
101.	टोयो फार्मास्यूटीकल्स	1.62	1.38
102.	शिवराय कैमीकल्स	0.79	—
103.	यूनाइटेड लीड आक्साइड्स प्रा० लि०	0.11	0.63
104.	गोवा केबल्स	0.28	0.19
105.	वेस्टर्न गोवा कान्फैक्शनरी	0.03	0.19

1	2	3	4
106.	नेशनल कन्ट्रोल	—	0.70
107.	यूनिक एलायन्स	0.40	0.93
108.	गोवा टेलिमैटिक्स लि०	—	0.72
109.	कैमट्रोल वाल्वस	—	0.92
110.	गोवा कैपेसिटर्स	—	0.23
111.	यूनिक फ्लैक्सीबल	0.27	—
112.	कर्नाटक सीमेंट पाइप फैक्टरी	0.15	0.40
113.	सीमेंट ब्रिक्स इन०	0.77	0.62
114.	मल्टी० इलै० मैके० वर्क्स	—	0.50
115.	आशा सन्तोषी इन्टरप्राइजेज	0.74	0.98
116.	साई शांत डाई कास्टिंग इंड०	—	0.05
117.	के० पी० वाइन्डर्स	—	0.41
118.	कैलिमोसन्स	—	0.14
119.	विक्रम इन्टरप्राइजेज	0 07	0.44
120.	तुषार इन्टरप्राइजेज	—	0 48

मारमुगांव पोर्ट ट्रस्ट का लाभ/हानि

7055. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारमुगांव पोर्ट ट्रस्ट ने 1989-90 और 1990-91 के दौरान लौह अयस्क और अन्य खनिजों के निर्यातकों से कितनी धनराशि का कर वसूल किया;

(ख) मारमुगांव पोर्ट ट्रस्ट ने इन वर्षों के दौरान अन्य आयातित मदों से कितना कर एकत्रित किया;

(ग) मारमुगांव पोर्ट ट्रस्ट ने उसी अवधि के दौरान कर्मचारियों को सभी भत्तों सहित कुल कितना वेतन दिया; और

(घ) मारमुगांव पोर्ट ट्रस्ट को उपर्युक्त वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितना लाभ/हानि हुई ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) मुरगांव पत्तन न्यास, खनिज लोह और अन्य खनिजों के निर्यातकों से कोई कर वसूल नहीं करता है। तथापि, पत्तन न्यास अपनी सेवाओं के लिए प्रभार वसूल करता है। वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान मुरगांव पत्तन न्यास द्वारा एकत्रित प्रभार निम्न प्रकार है :—

	1989-90	(लाख रुपए) 1990-91
खनिज लोहा	2920.92	3115.37
अन्य खनिज	9.69	8.56
अन्य वस्तुयें	159.98	179.44

(ग) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान मुरगांव पत्तन न्यास द्वारा कर्मचारियों को भत्तों सहित जो कुल तनख्वाह दी गई उनकी राशि निम्न प्रकार है :—

	(लाख रुपए)
1989-90	1395.42
1990-91	1538.73

(घ) मुख्य पत्तनों की हानि/लाभ का मूल्यांकन प्रचालन अधिशेष/कमी और निबल अधिशेष/कमी के अनुसार किया जाता है। प्रचालन अधिशेष/कमी का पता प्रचालन आय से प्रचालन खर्चों को घटाकर किया जाता है जबकि निबल अधिशेष/कमी का पता वित्त और विधि आय, वित्त और विविध व्यय और विभिन्न आरक्षित निधियों से/को अन्तरण को ध्यान में रखते हुए चलता है। वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान मुरगांव पत्तन न्यास द्वारा अर्जित प्रचालन अधिशेष और निबल अधिशेष निम्न प्रकार हैं :—

(लाख रुपए)

प्रचालन अधिशेष		निबल अधिशेष	
1989-90	1990-91 अन्तिम	1989-90	1990-91 अन्तिम
1619.73	1437.23	5.38	4.85

व्यवसायियों द्वारा कर अपवंचन

7056. श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यवसायियों का ब्यौरा क्या है जिनकी आय कर विभाग, दिल्ली ने 1990 और 1991 के दौरान कर अपवंचन/चोरी के सम्बन्ध में जांच की थी;

(ख) कर अपवंचन की धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर अपवंचन/चोरी करने वाले अधिक व्यापारियों को पकड़ने के लिए इस अभियान को तेज करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) दिनांक 31 मार्च, 1990 तथा 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वित्त वर्षों के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा

132, 133-क अथवा 143(3) के अधीन कार्यवाहियों में आयकर प्राधिकारियों द्वारा दिल्ली में डाक्टरों, वकीलों, चार्टर्ड लेखाकारों तथा वास्तुविदों के जिन मामलों की जांच की गई थी, उनकी कुल संख्या क्रमशः 300 तथा 437 थी।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित उन मामलों के सम्बन्ध में 27.01 लाख रु० तथा 77.90 लाख रु० की अतिरिक्त आय सुनिश्चित की गई थी, जिन मामलों में कर-निर्धारणों को क्रमशः दिनांक 31 मार्च, 1990 तथा 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वित्त वर्षों के दौरान पूरा कर लिया गया था।

(ग) और (घ) व्यवसायियों सहित सभी व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले कर-अपवंचन की रोकथाम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा सरकार समय-समय पर इस प्रयोजनार्थ आवश्यक विधायी तथा प्रशासनिक उपाय करती रहती है।

बन्द पड़ी हुई सूती कपड़ा मिलें

7057. श्री गोपी नाथ गजपति :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31 जुलाई, 1991 तक बन्द पड़ी हुई सूती कपड़ा मिलों की संख्या क्या है तथा तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन मिलों को फिर से चालू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) 31 जुलाई, 1991 की स्थिति अनुसार देश में 107 सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें बन्द पड़ी हुई थी। राज्यवार ब्यौरा निम्नोक्त अनुसार है :—

राज्य	बन्द पड़ी मिलों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	6
बिहार	1
गुजरात	33
हरियाणा	2
कर्नाटक	9
केरल	1
मध्य प्रदेश	2
महाराष्ट्र	11
राजस्थान	4
तमिलनाडु	21
उत्तर प्रदेश	8
प० बंगाल	8
दिल्ली	1
योग :	107

(ख) इन मिलों को पुनः चालू करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं : अर्थक्षमता का निर्धारण करने के लिए नोडीय अभिकरण का सृजन करना, आधुनिकीकरण सहायता के लिए वस्त्र आधुनिकीकरण निधि की स्थापना करना, पुनरुद्धार पैकेज बनाने के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुन: निर्माण (बी० आई० एफ० आर०) बोर्ड की स्थापना करना।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जन

7058. श्री गोपी नाथ गजपति :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कपड़ा निगम के लाभ अर्जित कर रहे किसी एकक को निर्यात आदेश प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो मिल-वार और वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा वर्ष-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां। चार मिलों ने, जिन्होंने कि वर्ष 1990-91 के दौरान लाभ दर्शाया है, व्यापारी निर्यातकों के जरिए निर्यात करने के अतिरिक्त प्रत्यक्ष निर्यात आर्डर भी प्राप्त किए हैं।

(ख) और (ग) इन मिलों द्वारा प्रत्यक्ष निर्यात और विदेशी मुद्रा अर्जन के बारे में मिल-वार वर्ष-वार आंकड़े नीचे दिए गए हैं : —

(लाख रुपए में)

मिल का नाम	1989-90	1990-91	1991-92 (अगस्त, 1991 तक)
पोद्दार मिल्स, बम्बई	4.51	—	28.50
सो० सुन्दरम मिल्स, कोयम्बटूर	0 19	—	—
न्यू सिटी आफ बम्बई मैन्यू० मिल्स, बम्बई	—	—	6.11
महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर	—	—	4.44

कपड़ा एककों के छंटनी किए गए कामगारों का पुनर्वास

7059. श्री विश्वनाथन केनिथी :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू एवं रुग्ण कपड़ा एककों के छंटनी किए गए कामगारों को अन्य नए एवं विस्तार किए जाने वाले एककों में पुनर्वास देने पर विचार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के दौरान कितने कामगारों को पुनर्वास देने का विचार है;

(ग) क्या उन्हें पुन: रोजगार देने के लिए विचार करते समय एककों के आधुनिकीकरण के कारण कामगारों की छंटनी, जो सामान्यत: कामगारों की कमी करने के लिए किया जाता है, पर भी ध्यान दिया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं। सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव अथवा योजना नहीं है।

(ख) से (घ) उपरोक्त 'क' के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

केरल में थकाजी पुल का निर्माण

7060. **श्री टी० जे० अंजलोज** :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय सड़क कोष योजना के अन्तर्गत अलेप्पी जिले में थकाजी पुल के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ख) जी, हां। केरल सरकार से, आठवीं योजनावधि के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत, अल्लेप्पी जिले की अम्बालापुझा-तिरुवल्ला सड़क (राज्य राजमार्ग) पर थकाजी पर 200.00 लाख रुपए की लागत से एक पुल बनाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) केन्द्रीय सड़क निधि में वास्तविक वृद्धि होने पर ही प्रस्ताव पर अनुमोदनार्थ कारंवाई की जा सकती है।

केरल सरकार को बाण्ड जारी करने की अनुमति

7061. **श्री टी० जे० अंजलोज** :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने चालू वर्ष के दौरान 120 करोड़ रुपए के बाण्ड जारी करने की अनुमति दिए जाने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कारंवाई की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) से (ग) विभिन्न राज्य सरकारों और उनके उपक्रमों के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमोदित बाजार ऋण आबंटनों के बारे में वित्त मंत्रालय भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करता है। उसके बाद, बाजार-स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऋणों की वास्तविक सोपानबद्धता तथा समय-निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय किया जाता है।

केरल सरकार के लिए योजना आयोग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के लिए बाजार ऋण आबंटन 192.92 करोड़ रुपए तक नियत किए गए हैं। जुलाई, 1991 में जारी किए गए राज्य सरकारों को ऋण की पहली किस्त में भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल राज्य को 72.28 करोड़ रुपए के ऋण लेने की अनुमति दी है। केरल सरकार ने दूसरी ट्रांश जारी करने हेतु अनुरोध किया है, इसे जारी करने का समय निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय किया जाएगा।

[हिन्दी]

चुनाव याचिकाएं

7062. **श्री ललित उरांव :**

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं लोक सभा के चुनावों के संबंध में विभिन्न निर्वाचन-न्यायाधिकरणों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में कितनी चुनाव याचिकाएं दायर की गई; और

(ख) इन चुनाव याचिकाओं के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) निर्वाचन अर्जियां उच्च न्यायालय के समक्ष ही फाइल की जानी अपेक्षित हैं। अतः, विभिन्न उच्च न्यायालयों से अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी

(ख) निर्वाचन अर्जियों पर विचारण उच्च न्यायालयों द्वारा किया जाता है जो वरिष्ठ अभिलेख न्यायालय हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 86(7) भी उपबंधित करती है कि हर निर्वाचन अर्जी यथा सम्भव शीघ्रता से विचारित की जाएगी और उस तारीख से, जिसको निर्वाचन अर्जी उच्च न्यायालय के विचारण के लिए उपस्थापित की गई है, छह मास के भीतर विचारण को समाप्त करने का प्रयत्न किया जाएगा।

[अनुवाद]

गंगावरम में सहायक पत्तन की स्थापना

7063. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति**

क्या **जल-भूतल परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के माल की ढुलाई के लिए तथा कोक और कुकिंग कोयले आदि का आयात करने के लिए विशाखापत्तनम पत्तन क्षेत्र के गंगावरम में एक सहायक पत्तन की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ताकि विशाखापत्तनम शहर को प्रदूषण से बचाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा लागत क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार का गंगावरम में उपग्रह (सैटेलाईट) पत्तन बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मुख्य निर्यात-आयात नियंत्रक के कृत्य

7064. श्री के० वी० थामस :

श्री अन्ना जोशी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के निर्यात-आयात तथा औद्योगिक नीति को उदार बनाने के सन्दर्भ में मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक के कृत्यों का ब्योरा क्या है; और

(ख) मुख्य निर्यात-आयात नियंत्रक के कार्यालय का नया ढांचा कैसा होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) 4 जुलाई, 1991 तथा 13 अगस्त, 1991 को व्यापार नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की घोषणा की गई। इसके परिणामस्वरूप, मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात के कार्यालय का नाम बदलकर महानिदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का कार्यालय किया जा रहा है। अब से निदेशालय का मुख्य कार्य निर्यात संवर्धन तथा निर्यात व्यापार के संवर्धन हेतु आयात को सुगम बनाना होगा। तदनुसार, आयात और निर्यात (नियंत्रण) कानून, 1947 तथा उसमें सन्निहित आदेशों की समीक्षा की जा रही है। इसके अतिरिक्त, कार्यालय पद्धति पुस्तिका तथा विभिन्न पत्तन कार्यालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों की व्यापक रूप से समीक्षा की जा रही है तथा निदेशालय की नई भूमिका को प्रतिबिम्बित करने के लिए कर्तव्यों और कार्यों का नया घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है।

कुवैत के पुनर्निर्माण कार्यक्रम के लिए प्रदर्शनी

7065. श्री प्रतापराव बी० भोंसले :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत के पुनर्निर्माण कार्यक्रम के लिए नवम्बर, .99 के दौरान नयी दिल्ली में एक प्रदर्शनी आयोजित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रदर्शनी की प्रमुख बातें क्या हैं;

(ग) इस प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) यह प्रदर्शनी कुवैत के पुनर्निर्माण में किस प्रकार सहायक होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय के उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

अरुणाचल प्रदेश में सड़कें बनाने के लिए धनराशि

7066. श्री लाईता उम्बे :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में रिवांग घाटी के जिला मुख्यालय अनीनी तथा लोहित जिले में प्रशासनिक मण्डल बेसांग को सड़कें बनाने के लिए आबंटित धनराशि कम कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन सड़कों को सभी मौसमों के लिए उपयुक्त बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं। दीवांग घाटी रोईंग-हुनली-अनीनी सड़क से जुड़ी हुई है। रोईंग से हुनली तक की सड़क को सभी मौसमों के अनुरूप श्रेणी-9 तारकोल सतह वाली सड़क के रूप में विकसित किया जा रहा है। हुनली से अनीनी तक की सड़क को साफ मौसम में उपयोग के लायक श्रेणी 5 की बिना तारकोल की सतह वाली सड़क के रूप में विकसित किया जा रहा है क्योंकि यह संक्रियात्मक जरूरतों को पूरा करती है। जहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग-52 की तेजू से वालोंग को मिलाने वाली सड़क का सम्बन्ध है, इसे सभी मौसमों में उपयोग के लायक श्रेणी-9 तारकोल सतह वाली सड़क के रूप में विकसित किया जा रहा है।

(ख) हुनली से अनीनी तक की सड़क कोसं क्रियात्मक आवश्यकताओं की दृष्टि से निम्न मानदण्ड का होना भी पर्याप्त समझा गया है।

(ग) हुनली से अनीनी तक की सड़क को छोड़कर अन्य दो सड़कों को सभी मौसमों में उपयोग के लायक बनाया जा रहा है। इस समय हुनली से अनीनी तक की सड़क को, सभी मौसमों में उपयोग के लायक (तारकोल सतह वाली) सड़क बनाने की कोई योजना नहीं है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कपड़ा मिलें

706¯. **श्री लाईता उम्ब्रे** :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोई कपड़ा मिल है,

(ख) यदि हां, तो मिल संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उस क्षेत्र में एक कपड़ा मिल की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) जी हां। असम में 5 कताई मिलें और 1 बुनाई मिल है। मेघालय में एक प्रोसेसिंग एकक है और मणिपुर में एक कताई मिल है।

(घ) भारत सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

किसानों को ऋण

7068. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नाबार्ड" के निर्देशानुसार राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को कुएं खोदने अथवा पाइपलाइनें बिछाने इत्यादि जैसे अन्य कृषि/सिंचाई प्रयोजनों के लिए दी गई ऋणराशि बहुत ही कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उक्त प्रयोजनों हेतु इस ऋण की राशि में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण और विकास बैंक ने सूचित किया है कि उनके मार्गनिर्देशों में राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैंकों द्वारा कुएं खोदने और अन्य कृषि कार्यों के लिए कृषकों को दिए जाने वाले ऋणों की रकम पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। कृषकों को कुओं के निर्माण जैसे सिंचाई की क्षमता के विकास के लिए दिए जाने वाले सावधि ऋणों को कृषि के लिए प्रत्यक्ष ऋण के अन्तर्गत माना जाता है और इसलिए ये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का एक भाग हैं।

(ख) से (घ) कृषि में प्रत्येक प्रयोजन के लिए इकाई लागत वास्तविक आवश्यकता को देखते हुए लचीली है। जहां तक किसी एक किसान को दिए जाने वाले ऋण की कुल मात्रा का सम्बन्ध है, नाबार्ड ने इसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की है। इकाई लागत को बढ़ाने/संशोधित करने की आवश्यकता की इस बात के लिए गठित स्थाई समिति की छमाही बैठकों में जांच की जाती है और यह एक निरन्तर प्रक्रिया है। संशोधित इकाई दरें सभी वित्त-पोषक बैंकों को प्रचालित की जाती हैं।

महाराष्ट्र में परिवार अदालतें

7069. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कितनी परिवार अदालतें कार्यरत हैं और 1990 तथा 1991 के दौरान अब तक इन अदालतों द्वारा कितने मामले निपटाए गए;

(ख) क्या सरकार को वकीलों से इन अदालतों को बन्द करने के लिए कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) जनवरी, 1990 में प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में पुणे और मुम्बई में कुटुम्ब न्यायालय स्थापित किए गए हैं। पुणे स्थित न्यायालय में 4 न्यायाधीश और मुम्बई स्थित न्यायालय में 5 न्यायाधीश हैं। विस्तृत जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में विकास परियोजनाओं के लिए ऋण

7070. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सरकार को राज्य में विकास परियोजनाओं के लिए कितनी ऋण की कितनी राशि दी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इस ऋण राशि का दुरुपयोग किए जाने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कारंवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

चालू वर्ष के दौरान राज्य में विकास परियोजनाओं के लिए महाराष्ट्र सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण की राशि निम्नलिखित है :—

(करोड़ रुपए में)

	मद	आबंटित	11-9-1991 तक दी गई राशि
1.	सामान्य केन्द्रीय सहायता	232.76	115.80
2.	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए सहायता	168.00	55.37
3.	पश्चिमी घाट के विकास के लिए विशेष सहायता	1.35	—शून्य—
4.	आदर्श गांवों, सहकारिताओं के लिए ईक्विटी आधार हेतु अतिरिक्त सामान्य केन्द्रीय सहायता	3 50	—शून्य—
5.	लघु बचत ऋण	878.07	611.89

[अनुवाद]

केरल में बीमा कम्पनियों की नई शाखाएं खोली जाना

7071. श्री पी० सी० थामस :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केरल में बीमा कम्पनियों की नई शाखाएं खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय साधारण बीमा निगम की चार सहायक कम्पनियों ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केरल में पहले ही पांच नई शाखाएं—मुवट्टुपुझा (जिला इडुक्की), केन्नानोर, कोचीन (जिला अर्नाकुलम), पल्लुरुथी (जिला अर्नाकुलम) और कांजीरापल्ली (जिला कोट्टायम) प्रत्येक में एक एक शाखा खोल दी हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ही उनके द्वारा केरल में कुछ और शाखाएं खोले जाने की आशा है। इसके अलावा, भारतीय जीवन बीमा निगम भी चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केरल में पांच नई शाखाएं—त्रिचूर, अर्नाकुलम, रामानाट्टुकरा (जिला कोझीकोड), तिरूवनन्तपुरम (जिला त्रिवेन्द्रम) और कोट्टायम, प्रत्येक में एक-एक खोलेगा।

[हिन्दी][1]

हिमाचल प्रदेश को सड़कों के निर्माण के लिए धन-राशि का आबंटन

7072. **प्रो० प्रेम धूमल :**

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश को सड़कों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य की विषम भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए कुछ अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) सड़कों के निर्माण के लिए गत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश को आबंटित की गई निधियां इस प्रकार हैं :—

वर्ष	राशि (लाख रुपए)
1988-89	6.00
1989-90	6.00
1990-91	9.81
कुल :	21.81

(ख) और (ग) हिमाचल प्रदेश सरकार ने आठवीं योजना अवधि के लिए एक केन्द्रीय सड़क निधि कार्यक्रम भेजा है जिसमें 35.68 करोड़ रुपए लागत की 44 स्कीमें तथा राज्य के पर्वतीय क्षेत्र के लिए 15.47 करोड़ रुपए लागत की 13 स्कीमें शामिल है। हालांकि, इन स्कीमों पर अनुमोदनार्थ कार्रवाई नहीं की जा सकी क्योंकि केन्द्रीय सड़क निधि में अभी वास्तविक वृद्धि नहीं हुई है।

[अनुवाद]

हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग

7073. श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई कितने किलोमीटर है; और

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान हरियाणा में कितनी लम्बी सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित किया गया ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 698 किलो मीटर।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हरियाणा की किसी भी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित नहीं किया गया।

डाकघरों के माध्यम से बचत योजनायें आरम्भ करना

7074. श्री प्रतापराव बी० भोंसले :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई तथा अगस्त, 1991 के दौरान डाकघरों के माध्यम से कुछ बचत योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इन योजनाओं की शुरूआत किस-किस तिथि को की गई;

(ग) क्या इन योजनाओं में शामिल होने के लिए कोई आयु-सीमा रखी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन योजनाओं में शामिल होने के लिए पूंजी निवेशकों को क्या-क्या औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं;

(च) क्या सरकार का विचार कोई नई आकर्षक बचत योजना शुरू करने का है;

(छ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

(च) से (ज) इस समय नई अल्प बचत योजनाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

तीस हजार रुपए तक की कर योग्य आमदनी वाले व्यक्तियों से आयकर की वसूली

7075. श्री भगवान शंकर रावत :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1988-89 और 1989-90 के दौरान तीस हजार रुपए तक की कर योग्य आमदनी पर राज्यवार कितने व्यक्तियों ने आयकर दिया है;

(ख) सरकार ने इनसे कुल कितना आयकर वसूल किया है; और

(ग) इन आयकर दाताओं से कर वसूल करने और इसके निर्धारण पर सरकार ने किस अनुपात में धनराशि खर्च की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड उन करदाताओं की संख्या के बारे में अलग से आंकड़े संकलित नहीं करता है जो तीस-हजार रुपए तक अपनी कराधेय आय पर आयकर की अदायगी करते हैं और उनसे आयकर की कितनी राशि वसूल की गई तथा उनके कर-निर्धारण तथा उनसे करों की वसूली के संबंध में आनुपातिक दृष्टि से कितनी राशि व्यय हुई। भारत भर में फैले हुए कर-निर्धारण अधिकारियों से वांछित सूचना एकत्र करने में पर्याप्त समय लगेगा तथा प्रयास करने होंगे जो प्राप्तव्य परिणामों के अनुरूप नहीं होंगे।

व्यापार मेलों का आयोजन

7076. **श्री भगवान शंकर रावत :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न देशों में व्यापार मेले आयोजित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) जी, हां।

वर्ष 1991-92 के दौरान टी० एफ० ए० आई० विदेशों में 38 व्यापार मेलों में भाग लेगा। इनमें 21 सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, 15 विशेषीकृत वस्तु मेले तथा 2 विशेष भारतीय प्रदर्शनियां शामिल हैं। इन 38 मेलों में से 10 पश्चिम यूरोप में, 6 पूर्वी यूरोप में, 2 लेटिन अमरीका में, 3 उत्तरी अमरीका में, 5 पश्चिम एशिया में, 6 एशिया में और 6 अफ्रीका में होंगे।

[अनुवाद]

बीमा लोक पाल की नियुक्ति

7077. **श्री रमेश चन्द तोमर :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सामान्य बीमा निगम और भारतीय जीवन बीमा निगम में व्यक्तिगत बीमें के विवादों के मामले मे निर्णय देने के लिए एक बीमा लोकपाल नियुक्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो लोकपाल की नियुक्ति कब तक की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बैंक कर्मचारियों के घरों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो के छापे

7078. **श्री रमेश चन्द तोमर :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों की जिन शाखाओं में जुलाई-अगस्त, 1991 के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापे मारे गए, उनके नाम क्या हैं;

(ख) बैंकों के कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों के घरों पर छापे मारे गए तथा कितनी धनराशि जब्त की गई; और

(ग) संबद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि जुलाई और अगस्त, 1991 के महीनों के दौरान बैंकों की निम्नलिखित शाखाओं में कार्यरत 26 अधिकारियों और कर्मचारियों के आवासीय/कार्यालय परिसरों पर छापे मारे गए थे :—

1. भारतीय स्टेट बैंक, पहाड़ गंज, नई दिल्ली ।
2. भारतीय स्टेट बैंक, दीसा शाखा, बनासकांथा गुजरात ।
3. भारतीय स्टेट बैंक, कदमकुंआ शाखा, पटना ।
4. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, सुदुलपुर, चुरू, राजस्थान ।
5. सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, एम० जी० रोड, शाखा, बंगलोर ।
6. सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, मालेश्वरम् शाखा, बम्बई ।
7. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देवनगर शाखा, बम्बई ।
8. बैंक ऑफ इण्डिया, रामबाग, इंदौर ।
9. देना बैंक, आजाद मार्केट रोड, भोपाल ।
10. पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर ।
11. पंजाब नेशनल बैंक, धनास, चण्डीगढ़ ।
12. पंजाब एण्ड सिंध बैंक, गुरबक्श कालोनी, पटियाला ।
13. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, माननपुर, मुंगेर ।
14. मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दरभंगा ।

छापों के दौरान सिर्फ एक मामले में 24000/-रुपए बरामद किए गए थे । लेकिन अन्य मामलों में कई आपत्ति जनक दस्तावेज बरामद किए गए थे ।

(ग) धोखाधड़ी, अपने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक की परिसम्पत्तियां रखने, आपराधिक कदाचार इत्यादि के आरोपों के आधार पर उपर्युक्त वर्णित 26 अधिकारियों के विरुद्ध नियमित मामले दर्ज किए गए हैं ।

मुम्बई में कोहिनूर मिल्स का बन्द होना

7079. श्री मोहन रावले :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई स्थित कोहिनूर मिल्स कम्पनी लिमिटेड (राष्ट्रीय कपड़ा निगम का एक एकक) वहां पर पानी की टंकी ढह जाने के कारण 16 जुलाई, 1991 से बन्द पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मिल के कुछ श्रमिकों ने पानी की टंकी की खराब स्थिति के बारे में कुछ शिकायतें की थीं;

(ग) क्या इस मिल के प्रबन्धन ने केन्द्रीय सरकार से इस पानी की टंकी जो जीर्ण-क्षीण हालत में थी; को हटाने का अनुरोध किया था; यदि हां, तो यह अनुरोध कब किया था और उस समय इसे हटाने में कितना खर्च होने का अनुमान था;

(घ) इस पानी की टंकी के मलबे को हटाने में अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है और इस कार्य पर और कितनी धनराशि खर्च किए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) इस मिल को पुनः कब तक खोले जाने की संभावना है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) ऊपरी स्प्रिकलर टैंक के नीचे कताई बिल्डिंग के हिस्से के एक भाग में दरार उभरने के मामले के सम्बन्ध में अगस्त 1990 में कोहिनूर मिल्स की सुरक्षा समिति की एक बैठक में सूचना दी गई थी।

(ग) एन० टी० सी० (एस० एम०) लि०, बम्बई ने आवश्यक उपचारी उपाय सुझाने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ इस मामले को उठाया है। फिर भी, उनसे कोई उत्तर नहीं मिला। सहायता कम्पनी लगातार बिल्डिंग की दुर्दशा की मानीटरी करती रही। वाटर टैंक को हटाने, काटने और खोलने के लिए दिनांक 16-5-91 को 10 पार्टियों से सीमित निविदाएं आमंत्रित की गई। बाद में यह निर्णय लिया गया कि गैर-सरकारी सिविल इन्जीनियर के माध्यम से 5 लाख रु० से ओवरहैड हाइड्रेंट वाटर टैंक की सिविल मरम्मत की जाए। स्थानीय समाचार पत्रों में 12-7-91 को एक विज्ञापन दिया गया था जिसमें निविदाएं आमन्त्रित की गई थी। फिर भी, नई निविदाओं की तारीख अर्थात 22-7-91 से पूर्व ही 16-7-91 को ओवरहैड हाइड्रेंट वाटर टैंक ढह गया।

(घ) मलबे को हटवाने पर अब तक लगभग 3.50 लाख रु० खर्च किए जा चुके हैं और यह अनुमान लगाया गया है कि प्रोविंग एवं लटके हुए भाग को गिराने के लिए लगभग 2 50 लाख रु० की और धनराशि खर्च हो सकती है।

(ङ) मिल को पुन: आरम्भ करना औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय की अनुमति पर निर्भर करता है। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार मशीनरी को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने तथा पुनः लगाने, जिसका कार्य प्रगति पर है, के बाद आशा की जाती है कि मिल सितम्बर माह के दौरान आंशिक रूप से कार्य करना शुरू कर देगी और अक्तूबर, 1991 के अन्त तक इसके द्वारा सामान्य रूप से कार्य आरम्भ करने का अनुमान है।

मुम्बई पत्तन न्यास द्वारा लीज किराए में वृद्धि करना

7080. श्री मोहन रावले :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई पत्तन न्यास ने व्यक्तियों/फर्मों को लीज पर दी गई अपनी भूमि का किराया बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्देश्य हेतु किसी कंसल्टेंसी फर्म की सेवाएं ली गई थी;

(घ) यदि हां, तो फर्म का नाम क्या है और इसे कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ङ) क्या मुम्बई पत्तन न्यास ने बढ़ाए गए लीज के किराए के प्राप्त करने हेतु न्यायालय में मामले दायर किए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(छ) मुम्बई पत्तन न्यास द्वारा अब तक मुकदमों पर कितनी धनराशि व्यय की गई है और कितने मामलों का निपटारा हो गया; और

(ज) ये मामले इतने लम्बे समय तक लम्बित पड़े रहने के क्या कारण हैं ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) भूमि की कीमत के आकलन के आधार पर बम्बई पत्तन एस्टेट के किरायों को पत्तन न्यास के बोर्ड द्वारा 1-10-82 से संशोधित किया गया था। किराया ढांचा उस भूमि की कीमत से संबंधित होता है जिसे कीमत के आधार पर 36 जोनों में विभाजित किया गया है। रिहायश के प्रयोजन से किराए की गणना भूमि के कीमत के 12% की दर से की जाती है और व्यवसायिक/औद्योगिक काम काज के लिए 15% की दर से।

(ग) और (घ) जी, हां। मै० किर्लोस्कर कन्सलटेन्ट्स को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था। 8.70 लाख रुपये परामर्श शुल्क के रूप में दिए गए थे।

(ङ) और (च) जी, हां। संशोधित किरायों को पट्टाधारकों/किराएदारों द्वारा अस्वीकृत करने के कारण 994 मुकदमें दायर किए गए हैं।

(छ) बम्बई पत्तन न्यास ने अब तक लगभग 15 लाख रुपये खर्च किए हैं। उन पट्टाधारकों/किरायादारों को छोड़कर, जिन्होंने संशोधित किराया स्वीकार कर लिया था, किसी अन्य मामलों का अब तक निपटारा नहीं हो पाया है।

(ज) बम्बई पत्तन न्यास ने मामलों का निपटान करने के लिए समय-समय पर प्रयास किए। 1987 में समझौते हेतु एक पेशकश की गई थी। तथापि, भूमि प्रयोक्ता कार्रवाई समिति ने समझौते की पेशकश को स्वीकार नहीं किया और इसलिए पेशकश को वापिस ले लिया गया और अदालत में मुकदमें चलते रहें।

मुम्बई पत्तन न्यास

7081. श्री मोहन रावले :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई पत्तन न्यास के उपाध्यक्ष का पद खाली पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पद को कब तक भरे जाने की संभावना है ?

जल भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) बंबई पत्तन न्यास के उपाध्यक्ष, का पद जुलाई, 90 में रिक्त हुआ था क्योंकि इस पद के तत्कालीन पद-धारक की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में हो गई थी। इस रिक्ति को भरने हेतु कार्रवाई पहले ही आरंभ कर दी गई है और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की मंजूरी मिलते ही नए उपाध्यक्ष अपना कार्य-भार संभाल लेंगे।

केरल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं

7082. श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय केरल में राष्ट्रीकृत बैंकों की कितनी शाखाएं कार्य कर रहीं हैं तथा ये किन-किन स्थानों पर स्थित हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : जून, 1991 के अंत तक की स्थिति के अनुसार केरल में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 1623 शाखाएं कार्य कर रही थीं। बैंक-वार शाखाओं के नामों और स्थानों की सूचना एकत्र करने में जितना समय और श्रम लगेगा वह उसके उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा। तथापि, केरल राज्य में बैंक शाखाओं का जिला-वार संवितरण निम्नानुसार है :

	जिले का नाम	शाखाओं की संख्या
1.	अलेप्पी	114
2.	कन्नानोर	98
3.	एर्नाकुलम	258
4.	इडुक्की	68
5.	कसारागोड	49
6.	कोट्टायम	143
7.	कोझीकोड	106
8.	मलप्पुरम	66
9.	पालघाट	118
10.	पथानमथिट्टा	101
11.	क्विलोन	124

	जिले का नाम	शाखाओं की संख्या
12.	तिरुवनंतपुरम	215
13.	त्रिचूर	131
14.	वायनाड	32
	जोड़ :	1623

जीवन बीमा निगम के पास मृत्यु के दावों के लम्बित मामले

7083. **श्री गंगाधर सानीपल्ली :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम के पास मृत्यु के दावों के लम्बित मामलों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे दावों की संख्या कितनी है जो पांच वर्ष अथवा इससे अधिक समय से लम्बित पड़े हैं; और

(ग) इन दावों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम में बकाया मृत्यु दावों क संबंध में राज्यवार और अवधिवार पृथक आंकड़े रखने की प्रथा नहीं है। तथापि, भारतीय जीवन बीमा निगम में 2 वर्ष से अधिक अवधि के बकाया मृत्यु दावों के संबंध में अंचलवार (जोनवाइज) आंकड़े रखे जाते हैं जो नीचे दिए गए हैं :—

जोन	शामिल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31-3-1991 की स्थिति के अनुसार बकाया दावे	31-3-1991 की स्थिति के अनुसार 2 वर्ष से अधिक अवधि से बकाया दावे
1	2	3	4
उत्तरी	हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू तथा कश्मीर पंजाब राजस्थान दिल्ली तथा चंडीगढ़	2203	77

1	2	3	4
केन्द्रीय	मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश	1560	69
पूर्वी	असम मेघालय अरुणाचल प्रदेश बिहार मिजोरम मणिपुर नागालैण्ड उड़ीसा त्रिपुरा पश्चिमी बंगाल तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1217	25
दक्षिणी	केरल तमिलनाडु	1832	79
दक्षिणी मध्य	आन्ध्र प्रदेश कर्नाटक	2682	176
पश्चिमी	गोआ गुजरात महाराष्ट्र	3945	259
	निगमों का जोड़ :—	13439	685

(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम ने पालिसी-धारकों/दावेदारों को उनके दरवाजे पर ही सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से दावों के निपटान संबंधी प्रक्रिया और अन्य सेवा सम्बन्धी कार्यों को शाखा कार्यालयों में विकेन्द्रीकृत कर दिया है। एजेंट, विकास अधिकारी और शाखा कर्मचारी दावों के शीघ्रतापूर्वक निपटान के लिए संबद्ध सेवा-शाखा कार्यालयों को आवश्यक अपेक्षाएं प्रस्तुत करने में दावेदारों की सभी सम्भव सहायता करते हैं।

वाणिज्यिक विमानों का निर्माण

7084. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :**

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रतिरक्षा उत्पादन इकाइयों में बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक विमानों का निर्माण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिरक्षा विमानों तथा वाणिज्यिक विमानों के निर्माण के लिए किन-किन इकाइयों को चुना गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) सिविल तथा सैन्य वायुयानों का निर्माण रक्षा मंत्रालय की अधीनस्थ कम्पनी हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में किया जाता है।

(ग) इस संबंध में ब्यौरे प्रकट करना लोकहित में नहीं है।

शिकागो, अमरीका में राष्ट्रीय हार्डवेयर प्रदर्शनी

7085. **श्री सुधीर गिरि** :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण ने हाल में शिकागो, अमरीका में एक राष्ट्रीय हार्डवेयर प्रदर्शनी का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रदर्शनी से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और इस प्रदर्शनी में कितने का कारोबार हुआ; और

(ग) इस प्रदर्शनी पर भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां। भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण ने 11 अगस्त से 14 अगस्त, 1991 के बीच शिकागो में हुए राष्ट्रीय हार्डवेयर शो में भाग लिया।

(ख) भारतीय मंडप में भाग लेने वालों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 11.15 करोड़ रुपये के 13 आर्डर प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त यह भी जानकारी मिली है कि 14.88 करोड़ रुपये मूल्य के कारोबार पर बातचीत चल रही है।

(ग) इस मेले में भाग लेने पर टी० एफ०ए०आई० का जो खर्च हुआ वह अनुमानतः विदेशी मुद्रा में 18.83 लाख रुपये तथा भारतीय मुद्रा में 1.15 लाख रुपये है।

जापान से सहायता

7086. **श्री सुधीर गिरि** :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान जापान से कितनी सहायता राशि प्राप्त की गई;

(ख) यह सहायता कौन से विशेष प्रयोजनों के लिए ली गई;

(ग) क्या सम्पूर्ण सहायता राशि उपयोग में लाई गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस वर्ष जापान से प्राप्त होने वाली सहायता में वृद्धि की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जापान सरकार प्रत्येक वर्ष विशिष्ट परियोजनाओं के सम्बध में आबद्ध उदार ऋण के लिए वचन देती है। इन ऋणों का उपयोग परियोजना के कार्यान्वियन की अवधि के दौरान किया जाता है। वर्ष 1990-91 में जापान ने 6 परियोजनाओं के लिए 104 बिलियन येन के आबद्ध ऋण का वचन दिया। तथापि, प्राप्त सहायता (अर्थात वास्तविक रूप से किया गया वितरण) 62 बिलियन येन थी।

(ख) वर्ष 1990-91 में चलाई जा रही 46 परियोजनाओं के सम्बन्ध में जो सहायता प्राप्त हुई है उनके सम्बन्ध में जापान द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है, जिसके लिए उसने पूर्ववर्ती वर्षों में ऋण देने के लिए वचन दिया था।

(ग) और (घ) जैसा कि पहले बताया गया है कि ये ऋण परियोजना आबद्ध हैं; और इन सहायताओं का उपयोग परियोजना के कार्यान्वयन पर निर्भर है। किसी निर्धारित समय में अनुप्रयुक्त शेष राशि रह जाती है जिसका उपयोग बाद के वर्ष में किया जाएगा।

(ङ) और (च) वर्ष 1991-92 के लिए जापानी सहायता की वचनबद्धता भारतीय सहायता संघ की 19 और 20 सितम्बर, 1991 को होने वाली बैठक में प्राप्त होगी।

पौड़ी गढ़वाल और चमोली जिलों के भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

7087. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी** :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पौड़ी गढ़वाल और चमोली जिलों के कितने स्थायी निवासी थलसेना, वायुसेना से अलग-अलग सेवानिवृत्त हुए;

(ख) इन सेवानिवृत्त व्यक्तियों में से कितनों का उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों मे ही पुनर्वास किया गया है;

(ग) क्या पर्वतीय जिलों के भूतपूर्व सैनिकों को पुनः रोजगार पाने और पुनर्वास में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इन भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के उचित अवसर उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार के पास है, ताकि उनका पुनर्वास उनके जन्म-स्थानों अथवा निकटवर्ती स्थानों में किया जा सके ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) पुनर्वास महानिदेशक से प्राप्त सूचना के अनुसार जिन भूतपूर्व सैनिकों ने पौड़ी गढ़वाल और चमोली जिलों के राज्य सैनिक बोर्डों में अपने नाम पंजीकृत कराए हैं तथा जिन्हें पुन बसा दिया गया है, उनकी संख्या इस प्रकार है :—

जिला	पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या			रोजगार प्राप्त कर लेने वालों की संख्या		
	1988	1989	1990	1988	1989	1990
पौड़ी गढ़वाल	431	686	416	22	40	69
चमोली	288	244	201	13	9	20

(ग) से (ङ) पहाड़ी जिलों में पुनर्वास और रोजगार के अवसर मैदानी क्षेत्रों की तुलना में कम हैं क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में औद्योगिक तथा वाणिज्यिक कार्यकलाप समिति है। ऐम्फेक्स-1 तथा सेम्फेक्स-2 जैसी स्व-रोजगार योजनाएं लागू की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार पाने तथा स्व-रोजगार चलाने के लिए प्रशिक्षित करने की दृष्टि से अनेक प्रशिक्षण योजनायें चलाई जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं के पुनर्वास केन्द्र

7088. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी** :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं के पुनर्वास केन्द्रों की जिले-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या ये पुनर्वास केन्द्र भलीभांति काम कर रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इन केन्द्रों के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार इन जिलों में ऐसे और अधिक पुनर्वास केन्द्र खोलने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इन्हें कहां-कहां खोला जाएगा ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) भूतपूर्व सैनिकों और उनकी पत्नियों सहित उनके आश्रितों के लिए दो प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र है जिनमें से एक लैंसडाउन (जिला पौड़ी गढ़वाल) और दूसरा रानी खेत (जिला अल्मोड़ा) में है जो क्रमश: गढ़वाल राइफल्स तथा कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर द्वारा चलाए जा रहे हैं। ये दोनों केन्द्र सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के स्वामित्व वाली कम्पनियों द्वारा ऋण की अदायगी न करना

7089. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के स्वामित्व वाली कई कम्पनियों ने गत तीन वर्षों के दौरान बैंक ऋणों की अदायगी नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम और उन पर बकाया राशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनसे ऋण की वसूली हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) बैंकरों में प्रचलित कार्य प्रणालियों और प्रथाओं तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के अनुसार ग्राहकों के अशोध्य ऋणों से सम्बद्ध सूचना और अन्य विवरण प्रकट नहीं किए जाते हैं। आंकड़ा सूचना प्रणाली केवल क्षेत्रवार अतिदेय अग्रिमों की सूचना देती है, और यह उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर उपलब्ध नहीं है। मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार बड़े और मझले उद्योगों में बैंकों की, अतिदेय अग्रिमों की राशि 10629 खातों में 3731 करोड़ रुपए थी।

[हिन्दी]

आजमगढ़-जौनपुर-इलाहाबाद राजमार्ग

7090. **श्री राम बदन** :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में आजमगढ़-जौनपुर-इलाहाबाद राजमार्ग को चौड़ा करने और इसकी मरम्मत के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से धनराशि आवंटित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रमुख विदेशी निविदा मामलों संबंधी संघ

7091. **प्रो० के० वी० थामस** :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख विदेशी निविदा मामलों सम्बन्धी कोई संघ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात संवर्धन परिषदों की कार्य प्रणाली

7092. प्रो० के० वी० थामस :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निर्यात संवर्धन परिषदों की कार्यप्रणाली में कुछ परिवर्तन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्यात संवर्धन परिषदों का संबंधित औद्योगिक संगठनों में विलय करने पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) निर्यात संवर्धन परिषदों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपने को हाल ही में घोषित औद्योगिक एवं व्यापार नीति-परिवर्तनों के अनुरूप ढाल लें। सरकार इस उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में परिषदों से सम्पर्क बनाए हुए है।

अनुत्पादक शीर्षों पर हुआ सरकारी व्यय

7093. श्री विजय कुमार यादव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अनुत्पादक शीर्षों पर शीर्षवार कितना व्यय किया गया है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल व्यय की तुलना में इसका प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या अनुत्पादक शीर्षों के अन्तर्गत व्यय में प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस व्यय को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) से (घ) संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार विनिर्धारित लेखा वर्गीकरण के अन्तर्गत सरकार का व्यय मोटे-तौर पर तीन क्षेत्रों अर्थात् सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं और आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत हिसाब में लिया जाता है न कि उत्पादक और अनुत्पादक के आधार पर।

सरकार के व्यय को आयोजना और आयोजना-भिन्न व्यय में भी विभाजित किया जाता है। सरकार का सदैव यह प्रयास रहा है कि आयोजना-भिन्न व्यय को न्यूनतम रखा जाए।

कम्पनियों और निगमों आदि से आयकर की वसूली

7094. श्री राम नारायण बैरवा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान विभिन्न कम्पनियों और निगमों द्वारा आयकर की कुल कितनी देय धनराशि का निर्धारण किया गया था; और

(ख) इनसे आयकर की कितनी धनराशि वसूल की गई और अब भी उनकी ओर कितनी धनराशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) वित्त वर्ष 1989-90 के दौरान कम्पनियों तथा निगम द्वारा अदा करने के लिए निर्धारित आयकर की कुल धनराशि 89.5 करोड़ रु. थी। इसमें से 6183 करोड़ रु. की वसूली या तो नकदी के रूप में अथवा पूर्व अदा किए गए करों के समायोजन के रूप में वित्त वर्ष 1989-90 के दौरान ही कर ली गई थी। जहां तक 2742 करोड़ रु० की बकाया मांग में से बाद में वसूल की गई राशि का संबंध है, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को कुल बकाया मांग में से की गई वसूली के वर्ष-वार ब्यौरे के सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अलग से आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं। इस सूचना को भारत भर में फैले हुए कर-निर्धारण अधिकारियों से एकत्र करने में काफी समय लगेगा तथा प्रयास करने होंगे, जो प्राप्तव्य परिणामों के अनुरूप नहीं होंगे।

[अनुवाद]

निर्यात-आयात बैंक के स्क्रिप पत्रों पर प्रीमियम

7095. **श्री रवि राय** :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात-आयात बैंक के स्क्रिप पत्रों/आर० ई० पी० लाइसेंसों पर प्रीमियम की वर्तमान बाजार दरों का आंकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) आयात निर्यात के अन्तर्गत एक्सिम स्क्रिप/आर० ई० पी० लाइसेंस तथा इन लाइसेंसों के आधार पर आयातित सामान मुक्त रूप से हस्तान्तरणीय हैं। इन लाइसेंसों पर यदि कोई प्रीमियम होगा तो उसकी दर मांग और पूर्ति नीति द्वारा निर्धारित की जाएगी।

छावनी बोर्ड अधिनियम में संशोधन

7096. **श्री येल्लैया नंदी** :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का विचार छावनी परिषदों की गतिविधियों में संसद सदस्यों तथा विधायकों को सम्मिलित करने के लिए विधेयक प्रस्तुत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) छावनी बोर्ड, छावनी अधिनियम, 1924 के अधीन गठित सांविधिक निकाय है, जो छावनियों के कार्यकलापों का संचालन करती हैं। छावनी बोर्डों में स्थानीय सिविल लोगों के अपने चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। छावनी बोर्डों में संसद सदस्यों या विधान परिषद के सदस्यों को सांविधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

राजस्थान में भारतीय जीवन बीमा निगम का डिवीजनल कार्यालय

7097. प्रो० रासा सिंह रावत :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में भारतीय जीवन बीमा निगम के कितने डिवीजनल कार्यालय कार्य कर रहे हैं और किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) इन डिवीजनों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में कुल कितनी राशि का कारोबार किया गया; और

(ग) इसमें जमा धनराशि में से राजस्थान की योजनाओं में अब तक कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इस समय, भारतीय जीवन बीमा निगम के चार मंडल कार्यालय राजस्थान के अजमेर, जयपुर, जोधपुर तथा बीकानेर शहरों में कार्यशील हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में किया गया कुल कारोबार निम्नलिखित है :—

राजस्थान में किया गया कारोबार

वर्ष	पालिसियों की संख्या	बीमाकृत राशि (करोड़ रुपए)
1998-89	2,61,253	745.76
1989-90	3,39,242	1072.12
1990-91 (अनन्तिम)	3,99,485	1348.99

(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम अपनी समस्त निधियों का निवेश भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निवेश संबंधी मार्गनिर्देशों के अनुसार करता है। बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27क के अनुसार, निगम की निधि में एक वर्ष के दौरान की गई जमा राशियों में से कम से कम 25 प्रतिशत राशि का केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में तथा अन्य 25 प्रतिशत राशि का राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और अन्य गारंटी शुदा बिक्री योग्य प्रतिभूतियों में निवेश किया जाना आवश्यक है, इसके अतिरिक्त 25 प्रतिशत राशि समाजोन्मुखी क्षेत्र के किसी मान्य उद्देश्य हेतु निवेशित की जानी चाहिए तथा 5 प्रतिशत राशि को लंबित/आरक्षित रखकर शेष 20 प्रतिशत निधि का निवेश निजी क्षेत्र की सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के ऋण पत्रों/शेयरों की बाजार खरीद में अंशदान और ऋण देने तथा जीवन बीमा निगम के पालिसीधारकों को ऋण देने आदि प्रयोजनों के लिए किया जाता है। तदनुसार, भारतीय जीवन बीमा निगम ने राजस्थान राज्य में वित्तीय वर्ष 1988-89 में 62.78 करोड़ रुपए, वित्तीय वर्ष 1989-90 में 93.86 करोड़ रुपए तथा वित्तीय वर्ष 1990-91 में 150.66 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

[अनुवाद]

विदेशी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा द्वारा भेजे गए प्रस्ताव

7098. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :**

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न विदेशी सहायता कार्यक्रमों के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने विश्व बैंक द्वारा दी जाने वाली सहायता के अन्तर्गत भुवनेश्वर-पुरी सड़क (राज्य मार्ग संख्या 8) का सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) उड़ीसा के लोक निर्माण विभाग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विदेशी सहायता के लिए राज्य द्वारा प्रस्तावित परियोजनायें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) से (ङ) राऊरकेला-सम्बलपुर सड़क को एशियाई विकास बैंक सहायता कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। विश्व बैंक राष्ट्रीय राजमार्ग पैकेज-II, जिस पर हाल ही में बात-चीत हुई है, में गंजम जिले में राज्य की सड़कों पर क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण की परियोजना को शामिल करने के लिए बैंक सहमत हो गया है। तथापि इस ऋण सम्बन्धी समझौते पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं। शेष परियोजनाएं अभी तक विदेशी वित्त पोषण के लिए शामिल नहीं की जा सकी हैं।

विवरण

क्र०सं०	परियोजना का नाम
1.	गंजम जिले में राज्य की सड़कों पर क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण।
2.	कटक-चंदावली सड़क का सुधार।
3.	बहराम-फूलबनी सड़क का सुधार।
4.	गोपालपुर से चन्दनेश्वर तक तटीय सड़क।
5.	पानी कोईली-मध्य प्रदेश सीमा सड़क को चौड़ा करना और मजबूत करना।
6.	पानी कोईली-क्योंझर-जोड़ा-राजमुंडा-राऊरकेला सड़क को चौड़ा करना और मजबूत बनाना।
7.	राऊरकेला-राजगंगपुर-सुन्दरगढ़-झारसूगुडा-सम्बलपुर सड़क (राऊरकेला-सम्बलपुर खंड) को चौड़ा करना और मजबूत बनाना।
8.	भुवनेश्वर पुरी सड़क का सुधार।

9. पिपली-कोणार्क सड़क का सुधार।

10. खुर्दा-नयागढ़-दासपल्ला सड़क का सुधार।

11. विशाखापत्तनम-रायपुर सड़क (उड़ीसा खंड) का सुधार।

12. केन्द्रपाड़ा-इन्दुपुर सड़क को चौड़ा करना और मजबूत बनाना।

13. थानेपुर-कुआनपाल-बलीचन्द्रपुर-ललितगिरी सड़क का सुधार।

14, ललितागिरी-उदयगिरी-रत्नगिरी सड़क का सुधार।

1˜. कोआखाई-बारहरी-रत्नगिरी सड़क का सुधार।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों में बुनाई का कार्य बन्द करना

7099 **श्री गोपीनाथ गजपति** :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम का विचार अपनी संयुक्त मिलों में बुनाई का कार्य बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणाम स्वरूप कितने मिल श्रमिकों के बेरोजगार हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) सरकार ने उनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार किया है?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) जी नहीं। फिर भी कुछ मिलों में जहां बुनाई क्रियाकलाप को खर्चीला पाया गया वहां पर इसमें कमी कर दी गई।

(घ) कुछ मिलों में जहां बनाई क्रियाकलाप को खर्चीला पाया गया, वहां पर इसको कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और उच्चतर मूल्य के क्वालिटी फैब्रिकों के निर्माण के लिए सादे करघों के स्थान पर हाई-टेक मशीनरी लगाई जा रही है। उन कामगारों को छोड़कर जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं, अन्य को पुन: काम पर लगा लिया जाता है।

[हिन्दी]

बैंक और बीमा संबंधी अपराधों के लिए विशेष दण्ड-विधि

71′0. **श्री राम टहल चौधरी** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने बैंक और बीमा संबंधी अपराधों के लिए एक विशेष दण्ड-विधि बनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने 1986 में बैंकिंग और बीमा उद्योग के बारे में सुझाव दिया था कि गलत तरीके से एकत्र की गयी सम्पत्ति/धन के गैर-कानूनी धारकों से उसे जब्त करने के लिए कानून में संशोधन करके इस बारे में एक उपबन्ध जोड़ना उचित रहेगा।

(ग) इस मामले पर विचार किया गया और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधिनियमन और उसमें निहित प्रावधानों को देखते हुए ऐसे कानून के अधिनियमन की आवश्यकता महसूस नहीं की गई।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों के आयात के लिए विश्व बैंक से ऋण लेना

7101. **श्री राम टहल चौधरी :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समांगीकृत दुग्ध चूर्ण, बटर आयल और अन्य कृषि उत्पादों के आयात हेतु विश्व बैंक से ऋण लेने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) स्किम्ड दुग्ध पाऊडर, बटर आयल अथवा अन्य कृषि उत्पादों के आयात के लिए विश्व बैंक से ऋण लेने के बारे में भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विश्व बैंक की सहायता प्राप्त एक "द्वितीय राष्ट्रीय डेरी परियोजना" पहले से ही चालू है जिसके अन्तर्गत डेरी क्षेत्र में किए जाने वाले निवेश की लागतों का वित्तपोषण किया जाता है।

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु योजनाएं

7102. **श्री राम टहल चौधरी :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु सरकार ने कुछ योजनाओं को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं के अन्तर्गत विकसित की जाने वाली सड़कों की लम्बाई कितनी है और इसके लिए कितनी धनराशि रखी गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) क्योंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, इसलिए आठवीं योजना के दौरान बिहार में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों को विकसित करने का कोई कार्यक्रम बनाना अथवा इस आशय से धनराशि निर्धारित करना संभव नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना के अन्तर्गत गुजरात को धनराशि जारी करना

7103. **श्री काशीराम राणा :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कृषि और ग्रामीण ऋण योजना, 1990 के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से 215 करोड़ रुपए जारी करने का अनुरोध किया है जिसमें से आधी धनराशि अनुदान और शेष आधी धनराशि ऋण के रूप में देने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है और यह धन राशि कब जारी की जाएगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी हां। गुजरात राज्य सरकार से दिसम्बर 1990 में एक अनुरोध प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना के तहत सहकारी बैंकों को 259.42 करोड़ रुपए की राशि जारी करने के लिए कहा था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि 7.9.1991 की स्थिति के अनुसार गुजरात राज्य सहकारी बैंक और गुजरात राज्य भूमि विकास बैंक को 214.82 करोड़ रुपए की राशि मंजूर और संवितरित की गई थी। इसमें से 107.41 करोड़ रुपए केन्द्र सरकार के शेयर के रूप में अनुदान दिया गया था और 107.41 करोड़ रुपए ऋण राहत के लिए राज्य सरकार के शेयर को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के मार्फत दिया था। आशा की जाती है कि शेष राशि चालू और आगामी वित्त वर्ष में उपलब्ध करा दी जाएगी।

पटसन उद्योग में संकट

7104. **श्री चित्त बसु :**

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उद्योग गम्भीर संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) सरकार ने पटसन उद्योग के पुनरुद्धार के लिए अनेक उपाय किए हैं जैसे पटसन उद्योग की आधुनिकीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पटसन आधुनिकीकरण निधि का सृजन, पटसन अर्थव्यवस्था के पुन: निर्माण के लिए विशेष पटसन निधि की स्थापना, खाद्यान्न, चीनी, सीमेंट तथा यूरिया के लिए जूट पैकेजिंग के अनिवार्य प्रयोग का कानून बनाना, अनुसंधान तथा विकास क्रिया कलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा उत्पाद विविधीकरण कार्यक्रम लागत जमा आधार पर बी० ट्विल

बोरो की नियमित खरीद, उत्पाद शुल्क की छूट, रियायती आयात शुल्क, वितरण सहायता सुविधाएं प्रदान करके विविधीकरण को प्रोत्साहन देना आदि।

उत्तर प्रदेश में शहरों का वर्गीकरण

7105. **श्री भुवन चंद्र खंडूरी :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अब तक कितने शहरों को महानगर और "क" श्रेणी का घोषित किया गया है;

(ख) इस संबंध में उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी जिलों के मुख्यालयों का दर्जा क्या है; और

(ग) देहरादून को "क" श्रेणी का शहर घोषित करने में क्या बाधाएं हैं और इस बारे में निर्णय कब लिया आएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विभिन्न भत्ते मंजूर किए जाने के लिए शहरों के अलग-अलग तरह के वर्गीकरण विद्यमान हैं। मकान किराया भत्ता/नगर प्रतिपूर्ति भत्ता मंजूर किए जाने के प्रयोजन के लिए शहरों का वर्गीकरण दस वर्षीय जनगणना में दिए गए उनकी जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित रूप से किया जाता है :—

वर्गीकरण	शहर की जनसंख्या
"क" श्रेणी	16 लाख से अधिक
"ख—1" श्रेणी	8 लाख से अधिक किन्तु 16 लाख से अधिक नहीं।
"ख—2" श्रेणी	4 लाख से अधिक किन्तु 8 लाख से अधिक नहीं।
"ग" श्रेणी	50 हजार से अधिक किन्तु 4 लाख से अधिक नहीं।

चालू वर्गीकरण 1981 की जनगणना पर आधारित है। उत्तर प्रदेश में केवल कानपुर (शहरी-समूह) को ही केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता मंजूर करने के प्रयोजन के लिए "क" श्रेणी के शहर के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) चूंकि देहरादून की जनसंख्या 16 लाख से कम है, अतः वह मकान किराया भत्ता/नगर प्रतिपूर्ति भत्ता मंजूर किए जाने के प्रयोजन के लिए "क" श्रेणी के शहर के रूप में वर्गीकृत किए जाने की पात्रता नहीं रखता है।

कारों/वाहनों का आयात करने के लिए सीमा शुल्क विभाग के स्वीकृति परमिट

7106. **श्री गुरुदास कामत :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारों और अन्य वाहनों का आयात करने के लिए आवश्यक सीमा शुल्क विभाग के स्वीकृति परमिट समाप्त कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई कारों का आयात करने की शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) नई कार के आयात के संबंध में ब्यौरे और शर्तें सार्वजनिक सूचना सं० 197-आई०टी०सी० (पी० एन०)/90-93, दिनांक 16.8.1991 संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

भारत सरकार

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 197-आई० टी० सी० (पी० एन०)/90-93

नई दिल्ली, दिनांक 16 अगस्त, 1991

विषय :—अप्रैल, 1990-मार्च, 1993 के लिए आयात-निर्यात नीति।

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 1-आई० टी० सी० (पी० एन०)/90-93, दिनांक 30 मार्च, 1990 के अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल, 1990-मार्च, 1993 के लिए यथासंशोधित आयात-निर्यात नीति की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :—

क्रम सं०	आयात-निर्यात नीति, 1990-93 (खण्ड-1) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1.	45-46	अध्याय-9 कार तथा वाहनों का आयात पैराग्राफ 135 से 147	अध्याय-9 को हटा दिया जाए। मौजूदा मद सं० 51 (जिसे वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 115-आई० टी० सी० (पी०एन०)/90-93, दिनांक 11.1.91

1	2	3	4
			द्वारा समाविष्ट किया गया था) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

मद	पात्र आयातकों को श्रेणियां
52 कारें, स्टेशन वैगन, जीपें, मोटर साइकिलें, स्कूटर आटोसाइकिल, मिनी कार एवं मोपड	(क) भारतीय नागरिक या भारत में स्थायी तौर पर रहने के लिए आने वाले भारतीय मूल के विदेशी नागरिक।
	(ख) भारतीय नागरिकों से विवाहित विदेशी नागरिक (भारतीय मूल के व्यक्तियों सहित*।
	(ग) भारत में कार्यरत विदेशी नागरिक और विदेशी विशेषज्ञ।
	(घ) विदेशी संस्थाओं (निगमित अथवा अन्य प्रकार की) की शाखाएं/कार्यालय।
	(ङ) विदेशी सहयोग वाली भारतीय कम्पनी।
	(च) विदेशी समाचार एजेंसियों के अधिकृत पत्रकार/संवाददाता।
	(छ) वायुसेना प्रदान करने वाली कंपनियां।
	(ज) विदेशी ठेका लेने वाली भारतीय फर्में।
	(झ) पुण्यार्थ और धर्मार्थ संस्थाएं।
	(ञ) विदेशी सरकारों के अवैतनिक वाणिज्य-दूत।

1	2	3	4
1.	181-189	परिशिष्ट-6 खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात को शासित करने वाली शर्तें	मौजूदा शर्त सं० 51 के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— (51क) जब तक कि अन्यथा विहित न हो, सभी श्रेणियों की कारों/वाहनों पर लागू होने वाली सामान्य शर्तें (1) भारत से विदेशी मुद्रा में लागत, भाड़ा या बीमा का भुगतान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। (2) संगत सीमाशुल्क नियम के अन्तर्गत यथा देय कार/वाहन के लिए सीमाशुल्क का भुगतान परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में किया जाएगा। शर्त यह है कि भारतीय दूतावासों/विदेशी उच्चायोगों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विदेश स्थित कार्यालयों में तैनात केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी सीमा शुल्क का भुगतान भारतीय रुपयों में कर सकते हैं। (3) भारत में कार/वाहन आ जाने पर उसे आयातक के नाम से पंजीकृत करवाया जाए। (4) जब तक कि अन्यथा व्यवस्था न की गई हो, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की लिखित अनुज्ञा के बिना परिशिष्ट 6 की मद संख्या 52 के ख, घ, च, छ, ज, और (झ) श्रेणियों के अन्तर्गत आयात किए गए कार/वाहन के स्वामित्व/अधिकार को आयात की तारीख से 5 वर्षों तक हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। (5) निर्यातक को मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के संबंधित स्थानीय कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में आयात पर लागू होने वाली शर्तों को पूरा करने का वचन देते हुए भारत के राष्ट्रपति के पत्र कर/वाहन के सीमा शुल्क आकलित

1	2	3	4

लागत बीमा भाड़ा मूल्य के बराबर राशि के लिए एक बंधपत्र भरना होगा । जैसी स्थिति हो 5 वर्षों या इससे अधिक की बिक्री न की जाने की निर्धारित अवधि" के लिए वाहन को गिरवी रखने के मुद्दे [कार/आकलित वाहन के सीमा शुल्क लागत बीमा भाड़ा मूल्य के लिए बंध पत्र के साथ किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारण्टी होनी चाहिए। बन्ध पत्र छः वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा जिसे मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के सम्बधित कार्यालय द्वारा यथा अपेक्षित ऐसी और अवधि के लिए बढ़ाया या पुनः नवीनीकृत किया जा सकता है ।

(6) श्रेणी क के मामले में बिक्री न की जाने की निर्धारित अवधि लागू नहीं होगी ।

(7) कार/वाहन के आयात के साथ 2500/- रुपए के लागत बीमा भाड़ा मूल्य तक के अतिरिक्त पुर्जों का आयात किया जा सकता है ।

किसी विशेष श्रेणी पर लागू होने वाली विशेष शर्तें

भारतीय नागरिक या भारत में स्थायी तौर से रहने के लिए आने वाले भारतीय मूल के विदेशी नागरिक (श्रेणी क)

(क) भारत लौटने वाली भारतीय नागरिकों को विदेश में लगातार 2 वर्षों की अवधि तक रुके होना चाहिए तथा वाहन विदेश में उसकी अपनी ही अर्जित की गई आय से खरीदी गई होनी चाहिए। भारतीय आवास स्थानान्तरण के अन्तर्गत 1400 सीसी के आकार वाले इंजन तक की नई कारें भी आयात कर सकते हैं बशर्ते कि विदेश में इसका भुगतान भारत लौटने से पहले ही कर दिया गया हो । तथापि, 1400 सी सी से

1	2	3	4
			अधिक आकार के इंजन वाले कारों का आयात इस शर्त पर किया जाएगा कि भारत लौटने से पूर्व कम से कम 1 वर्ष की अवधि तक आवेदक ने उस वाहन का इस्तेमाल किया हो। आयातक को विधिवत् अधिसूचित निर्धारित प्रोफार्मा में एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा। प्रथम वाहन के आयात की तारीख से कम से कम 5 वर्षों की अवधि तक भारत में रहने के बाद ही दूसरी कार के आयात की अनुमति दी जाएगी।
			विदेशी नागरिक (भारतीय नागरिकों) से विवाहित भारतीय मूल के व्यक्तियों सहित (श्रेणी ख)
			(1) इस श्रेणी में स्थायी तौर से रहने के लिए भारत आने वाले व्यक्ति कोई कार/वाहन माता-पिता से उपहार के रूप में और विवाह के एक वर्ष की अवधि के भीतर केवल एक बार आयात कर सकते हैं अथवा यदि कार/वाहन स्वयं अर्जित की गई विदेशी मुद्रा से खरीदी गई हो और विवाह से पहले इस्तेमाल में रही हो तथा किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत कोई कार आयात न की गई हो तो ऐसे व्यक्ति केवल एक बार ही कार/वाहन आयात कर सकते हैं।
			भारत में कार्यरत विदेशी नागरिक और विदेशी विशेषज्ञ (श्रेणी ग)
			(3)(क) भारत में सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में लगे हुए भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों सहित अन्य विदेशी नागरिक इस शर्त पर कार/वाहन आयात करने के पात्र होंगे कि भारत में उनकी नियुक्ति कम से कम एक वर्ष के लिए हो, और

1	2	3	4
			(ख) स्वः नियोजित विदेशी नागरिकों को केन्द्रीय/राज्य सरकार से व्यवसाय की प्रकृति और आयात के लिए औचित्य से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
			(ग) सहायता कार्यक्रमों के तहत भारत में आने वाले विदेशी विशेषज्ञों को सामान्य ब्योरा, कार्य का स्वरूप, संभाव्य अवधि, सहायता कार्यक्रमों का ब्योरा, कार/वाहन के खरीद बीजक/पंजीकरण, उसके स्वामित्व के प्रमाणपत्र देते हुए नियुक्ति/नियोजन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
			ऊपर (क) (ख) और (ग) में उल्लिखित सभी मामलों में उपर्युक्त आयात इस शर्त के अधीन होगा कि लघु अवधि जो 3 मास से अधिक न हो, के लिए विदेश में भ्रमण के सिवाय जब आयातक भारत छोड़ेगा तो वाहन का पुनः निर्यात कर दिया जाएगा अथवा भारत में राज्य व्यापार निगम को अथवा कार का आयात करने के लिए पात्र किसी अन्य विदेशी नागरिक को बेच दिया जाएगा बशर्ते कि खुले बाजार में कार की बिक्री की अनुमति मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, नई दिल्ली द्वारा इस शर्त के अधीन दी जाएगी कि विदेशी को उपलब्ध प्रति देय मूल्य सीमा शुल्क मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए लागू दर पर मूल्य ह्रास घटाने के बाद विदेशी मुद्रा में चुकायी गयी कुल लागत से अधिक न हो ।
			विदेशी संस्थाओं (निगमित अथवा अन्य) की शाखाएं/कार्यालय (श्रेणी घ)
			(iv) विदेशी संस्थाओं की शाखाएं/कार्यालय एक बार कार/वाहन (यदि विभिन्न

1	2	3	4
			नगरों में एक शाखा/कार्यालय से अधिक शाखा/कार्यालय हों तो इस शर्त के अधीन आयात करने के लिए पात्र होंगे कि सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक भारत में शाखा/कार्यालय खोलने के लिए स्वीकृति दे दें। दूसरे वाहन के आयात की अनुमति इस शर्त के अधीन दी जाएगी कि पहला वाहन भारतीय राज्य व्यापार निगम को बेचा गया हो।
			विदेशी सहयोग वाली भारतीय कम्पनी (श्रेणी ङ)
			(v) विदेशी सहयोग वाली वह भारतीय कम्पनी उन मामलों में कार/वाहन का आयात करने के लिए पात्र होंगी जहां समय-समय पर सहयोग करार हेतु अपेक्षित रोजगार व विदेशी निदेशक/तकनीकी विशेषज्ञों दौरा जरूरी हो। मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात नई दिल्ली 10 वर्ष की अवधि के बाद कार/वाहन की बिक्री की अनुमति दे सकते हैं और इसे प्रथमतः भारतीय राज्य व्यापार निगम को बिक्री के लिये प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।
			विदेशी समाचार एजेंसियों के अधिकृत पत्रकार/संवाददाता (श्रेणी च)
			(vi) विदेशी समाचार एजेंसियों के अधिकृत पत्रकार/संवाददाता कार/वाहन आयात करने के पात्र होंगे बशर्ते कि वह इसके लिए पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली की सिफारिश प्रस्तुत करें और शर्त यह है कि वह इसका पुनः निर्यात या बिक्री भारतीय राज्य व्यापार निगम को करें।
			हवाई जहाज कम्पनियां (श्रेणी छ)
			(vii) हवाई जहाज कम्पनियां कार/वाहन का आयात करने के लिए पात्र होंगी बशर्ते कि

1	2	3	4
			वह इसके लिए सिविल विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली की सिफारिश प्रस्तुत करें। आयात पुनः निर्यात अथवा भारतीय राज्य व्यापार निगम की बिक्री की शर्त के अध्यधीन होगा।
			विदेशों में संविदा करने वाली भारतीय फर्में (श्रेणी ख)
			(viii) (क) विदेश में संविदा करने वाली फर्में परियोजना के वास्तव में पूरा हो जाने पर कार/वाहन का आयात करने की पात्र होंगी और उन्हें संविदा करने के लिए कार/वाहन की खरीद हेतु संविदा तथा समुद्र पार खर्चे की मंजूरी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार का अनुमोदन प्रस्तुत करना होगा।
			(ख) जिन भारतीय कम्पनियों के विदेश में कार्यालय हैं, विदेश में उनका कार्यालय बन्द हो जाने की दशा में वे कार/वाहन का आयात करने की पात्र होंगी लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि कार खरीदने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए और यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए कि विदेश में उनका कार्यालय बन्द हो जाने से कम से कम एक वर्ष पहले से विदेश में कम्पनी कार/वाहन का इस्तेमाल कर रही हैं।
			पुण्यार्थ और धर्मार्थ संस्थाएं (श्रेणी ख)
			(ix) पुण्यार्थ और धर्मार्थ संस्थायें उपहार स्वरूप उपयोगिता गाड़ियों, जीप, मिनी बसों अथवा एम्बुलेंस, स्टेशन वैगन, जीप, मिनी बसों अथवा यात्री परिवहन वाहनों का आयात करने की पात्र होगी बशर्ते कि वह एक संस्थापित संस्थान हो जो समुदाय के सामान्य लाभ के लिए कार्य कर रहा हो और वह इसके लिए

1	2	3	4
			विदेशी अंशदान अधिनियम, 1976 के तहत आवश्यक क्लीयरेंस प्रस्तुत करे।
		विदेशी सरकारों के अवैतनिक वाणिज्य दूत (श्रेणी ट)	
			विदेशी सरकारों के अवैतनिक वाणिज्य-दूत कार के आयात के पात्र होंगे बशर्ते कि वह इस निमित्त विदेश मंत्रालय की विशिष्ट सिफारिश प्रस्तुत करें। पहली कार के आयात की तारीख के बाद से कम से कम 5 वर्ष की अवधि के बाद दूसरी कार के आयात की अनुमति दी जाएगी। दूसरी कार के आयात की अनुमति मिल जाने पर खुले बाजार में पहली कार की बिक्री के अनुरोध पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात नई दिल्ली द्वारा विचार किया जाएगा। जहां पांच वर्षों की अवधि के दौरान अवैतनिक वाणिज्यदूत बदल जाते हैं, वहां नए अवैतनिक वाणिज्यदूत को दूसरी कार के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी लेकिन उसके पूर्वाधिकारी द्वारा आयात की गई कार उक्त अवैतनिक वाणिज्यदूत को मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली की पूर्वानुमति से हस्तांरित कर दी जाएगी।

3. वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० आई०टी०सी० (पी० एन०)/90-93 दिनांक 30 मार्च, 1990, के तहत प्रकाशित यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक अप्रैल, 1990--मार्च, 1993 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।

4. प्रक्रिया पुस्तक में निम्नलिखित संशोधन उपयुक्त स्थानों पर नीचे दिए गए अनुसार किए जायेंगे।

क्रम सं०	प्रक्रिया पुस्तक 1990-93 (खण्ड-1) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1.	2	3	4
1.	52-53	अध्याय-9 कार और वाहनों का आयात	मौजूदा अध्याय हटा दिया जाएगा।

1	2	3	4
2.	200-202	परिशिष्ट-9 कार और अन्य वाहनों का आयात	यह परिशिष्ट हटा दिया जाएगा।

5. आयात-निर्यात नीति और प्रक्रिया पुस्तक में उपयुक्त संशोधन लोकहित में किए गए हैं।

हस्ताक्षर

(डी० आर० मेहता)
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

प्रतिलिपि सभी सम्बद्धों को;

आदेश आदि से;

(बी० एन० बैनर्जी)
उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

(फाइल सं० आई० पी० सी/4/5(126)/35-88 से जारी)

[हिन्दी]

दिल्ली उच्च न्यायालय में हिन्दी का प्रयोग

7107. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री 12 जुलाई, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 45 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली उच्च न्यायालय के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने के क्या कारण हैं; और

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी के प्रयोग को भी कब तक प्राधिकृत किया आएगा ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (1) मे यह उपबंध है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। ऐसे किसी विधि के न होने पर, दिल्ली उच्च न्यायालय का कार्य अंग्रेजी में किया जाने के लिए प्राधिकृत है और इसी में किया जाता है।

(ख) क्योंकि इस संबंध में अभी तक संसद द्वारा कोई विधि अधिनियमित नहीं की गई है, अतः कोई समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

स्टाक एक्सचेंजों में छोटे दलालों को लाइसेंस जारी करना

7108. श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री मोरेश्वर सावे :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न स्टाक एक्सचेंजों में छोटे दलालों को मान्यता और लाइसेंस देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बेरोजगार स्नातकों को ये लाइसेंस देने का है;

(घ) यदि नहीं तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि यहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) स्टाक एक्सचेंजों से छोटे दलालों, जो स्टाक एक्सचेंजों के सदस्यों के साथ काम कर हैं, के पंजीकरण की एक स्कीम शुरू करने के लिए कहने का सरकार का प्रस्ताव है।

(ग) से (ङ) उपरोक्त उत्तर (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर विचार करने का कार्य स्टाक एक्सचेंजों का है।

आयात में कटौती

7109. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "निर्मित माल प्रयोक्ता वर्गीकरण" के अनुसार आयात की प्रमुख वस्तुएं क्या हैं; और

(ख) वर्तमान वित्तीय संकट के दौरान विदेशी मुद्रा को बचाने हेतु आयात में कमी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) संगठित क्षेत्र में कार्यरत जिन यूनिटों के सम्बन्ध में, तकनीकी प्राधिकरणों के पास जानकारी उपलब्ध है ऐसे विभिन्न उद्योगों की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं के निर्धारण के आधार पर इलैक्ट्रानिक उद्योग ऐसा उद्योग है जिसका वर्ष 1991-92 के दौरान विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं में प्रमुख भाग रहा है।

(ख) विदेशी मुद्रा की बचत करने की दृष्टि से आयातों को नियन्त्रित करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। इस बारे में ब्यौरा वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 172 तथा 173-आई०टी०सी० (पी० एन०)/90-93 दिनांक 4-7-91 तथा 196-आई० टी०सी० (पी०एम०)/90-93 दिनांक 14-8-91 में दिया गया है। इन सार्वजनिक सूचनाओं की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

पुर्तगाल के बैंक में सोना गिरवी रखकर गोवा के लोगों द्वारा लिया गया ऋण

7110. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1961 में गोवा की स्वतन्त्रता के समय पुर्तगाली बैंक में सोना गिरवी रखकर गोआ के लोगों ने कितना ऋण लिया था;

(ख) इस ऋण पर उन्हें कितना ब्याज देना पड़ता है; और

(ग) यह सोना कितने लोगों को वापस किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि 1961 में गोवा की स्वतन्त्रता के समय गोवा में तत्कालीन बैंकों नैशनल अल्ट्रामारिनों (बी०एन०यू०) की शाखाओं में 9.85 लाख रुपए (लगभग) की राशि स्वर्ण ऋण के रूप में बकाया थी।

(ख) अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक और अध्यक्ष, बी०एन०यू० के बीच हुए समझौते की शर्तों के अनुसार, स्वर्ण ऋण उधारकर्ताओं को 6 प्रतिशत के एक समान दर पर कमीशन सहित पिछले पांच वर्षों का 4 प्रतिशत (समझौता दर) ब्याज दे ा होगा।

(ग) जबकि, कितने व्यक्तियों को सोना वापस मिलेगा इसकी जानकारी अभी नहीं है, बी०एन०यू० ने गिरवी मूल्य के 5551 सीलबन्द बन्द पैकेट और सुरक्षा अभिरक्षा में रखे गए 33 पैकेट भारतीय स्टेट बैंक को हस्तांतरित किए हैं।

फिल्म उद्योग से राजस्व की वसूली

7111. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म उद्योग (निर्माण, वितरण और प्रदर्शन) से केन्द्र सरकार को कुल कितने राजस्व की आमदनी हुई;

(ख) किन मदों पर कर लगाया जाता है; और

(ग) प्रत्येक मद से अप्रैल 1988 से लेकर मार्च, 1991 तक वर्षवार कितने राजस्व की वसूली की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) आयातित सिनेमाटोग्राफ फिल्मों पर सीमा शुल्क लगाया जाता है और संसाधन प्रयोगशालाओं में फीचर फिल्मों के तैयार होने के पश्चात् उत्पाद शुल्क लगाया जाता है।

अप्रैल, 19' 8 से बाद तक वसूल किए गए उत्पाद शुल्क का विवरण निम्न प्रकार है :—

	(रुपए करोड़ों में)
1-4-1988 से 31-3-1989	8.00
1-4-1989 से 31-3-1990	9.76

फीचर फिल्मों पर दिनांक 20-3-90 से उत्पाद शुल्क की छूट दी गई है।

सीमा शुल्क और आयकर सहित प्रत्यक्ष करों की वसूली का ट्रेड वार रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

[हिन्दी]

किसानों को ऋण

7112. **श्री गोविन्दराव निकम :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को कितनी धनराशि के ऋण दिए गए;

(ख) इन ऋणों पर ब्याज की दर कितनी थी;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे ऋणों पर ब्याज की दर कम करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इन आंकड़ों का समेकन और एकत्रीकरण एक समयसाध्य प्रक्रिया है। अब तक केवल सितम्बर 1989 तक के आंकड़े उपलब्ध हैं। जून 1987, जून 1988 और सितम्बर 1989 (नवीनतम उपलब्ध) के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिए गए बकाया अग्रिम की राशि निम्न-लिखित है :—

	(करोड़ रुपए)
वर्ष	**बकाया राशि**
जून 1987	9123.04
जून 1988	11147.13
सितम्बर 1989	14981.54

(ख) 22.9.1990 से किसानों को दिए गए अल्पावधिक और दीर्घावधिक कृषि ऋणों पर ब्याज दर निम्नलिखित है :—

ऋण का आकार	**ब्याज दर (वार्षिक प्रतिशत)** अल्पावधिक	दीर्घावधिक
1	2	3
(क) 7,500/ रु० तक	10.0	10.0
(ख) 7,500/- रु० से अधिक और 15000/- रु० तक	11.5	11.5

1	2	3
(ग) 15,010/- रु० से अधिक और 25,000/-रु० तक	12.0	12.0
(घ) 25,000/- रु० से अधिक और 50,000/- रु० तक	14.0	13.0
(ङ) 50,000/- रु० से अधिक और 2 लाख रु० रुपए तक	15.0	14.0
(च) 2 लाख रुपए से अधिक	18.5 (न्यूनतम)	14.0

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक मूलत: जमा राशियां जुटाकर अपने स्त्रोतों में वृद्धि करते हैं जिन पर उन्हें ब्याज देना होता है। तथा स्थापना व्यय सहित बैंक के निधि पर लागत पहले ही बहुत अधिक है। यदि ब्याज दरों को कम कर दिया जाए तो बैंकों की लाभप्रदता पर जो पहले ही काफी दबाव में है और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसे देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दर में किसी प्रकार की कमी करने के हक में नहीं है।

[अनुवाद]

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विरुद्ध "फेरा" के मामले

7113. **श्री गुरुदास कामत :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विरुद्ध अनेक मामले लंबित पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा उन कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगमों द्वारा नौ-परिवहन उद्योग में पूंजी निवेश

7114. **श्री गुरुदास कामत :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगमों ने नौ-परिवहन उद्योग के विस्तार में पूंजी निवेश करने का प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा नौ-परिवहन उद्योग के विस्तार में पूंजी निवेश करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं किया गया है। तथापि, भारतीय नौवहन ऋण और निवेश कम्पनी लि० (एस०सी०आई०सी० आई०) ने सूचित किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, वाशिंगटन, ने जो विश्व बैंक से सम्बद्ध संस्था है, निजी क्षेत्र की एक कम्पनी मैसर्स वरुण शिपिंग कम्पनी को उसके विस्तार कार्यक्रम के लिये वित्त प्रदान करने के वास्ते 50 लाख अमेरिकी डालर के ऋण और 17 लाख अमेरिकी डालर के अंशतः परिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए अंशदान का अनुबन्ध किया है।

लिमिटेड कम्पनियों द्वारा सावधि जमाराशियों की वापसी

7115. **श्री गुरुदास कामत** :

क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनी कार्य विभाग को लिमिटेड कम्पनियों द्वारा सावधि जमाराशियों की वापसी तथा उस पर व्याज के भुगतान के सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(ख) सरकार ने इन कम्पनियों से पूंजी-निवेशकों को उनकी सावधि जमाराशियां वापस दिलाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) सितम्बर, 1989 से पूर्व, इस प्रकार की शिकायतों के बारे में कार्यवाही करने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 में कोई सांविधिक उपबन्ध नहीं था। ऐसी शिकायतें उपयुक्त कार्यवाही के लिए सम्बन्धित कम्पनियों को दी जा रही थीं। तथापि, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58 की उपधारा (9), जिसे कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1988 द्वारा समाविष्ट किया गया था, और 1 सितम्बर, 1989 से प्रभावी किया गया था, जमाकर्ताओं को गैर-बैंककारी गैर-वित्तीय कम्पनियों को आदेश में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी समयावधि तथा ऐसी शर्तों के अन्तर्गत अतिदेय जमाराशियों के पुनर्भुगतान के आदेश देने के लिए कम्पनी विधि बोर्ड के समक्ष आवेदन पत्र दायर करने के लिए समर्थ बनाती है। इस उपधारा के अनुसरण में, 1 सितम्बर, 1989 से 31 मार्च, 1991 की अवधि के दौरान कम्पनी विधि बोर्ड को 19191 आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए थे और बोर्ड ने 31 मार्च, 1991 तक ऐसे 17201 आवेदन पत्रों के संबंध में समुचित आदेश पारित किए। गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों द्वारा जमाराशि की स्वीकृति गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 1977 और विविध गैर-बैंककारी कम्पनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 1977 द्वारा शासित की जाती है। ऐसी कम्पनियों के बारे में शिकायतकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे मामले को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उठायें।

कम्पनियों की आम सभाओं की बैठकों में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका

7116. **श्री मोहन रावले** :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनियों की आम सभाओं की बैठकों में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका क्या होती है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे कोई दिशा-निर्देश जारी करने का प्रस्ताव है जिनका कम्पनियों की आम सभाओं की बैठकों में वित्तीय संस्थाओं द्वारा पालन किया जाए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सरकारी वित्तीय संस्थाओं की बहुत सी सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों में पर्याप्त मात्रा में अंशधारितायें हैं। बहुत सी सहायता प्राप्त कम्पनियों के निदेशक मंडलों में इन संस्थाओं के निदेशकों को नामजद भी किया गया है। अंशधारक होने के कारण इन सरकारी वित्तीय संस्थाओं को अपने हितों की रक्षा भी करनी होती है और इसलिए उन्हें समुचित कदम उठाने पड़ते हैं। इस प्रकार के निर्णय सरकारी वित्तीय संस्थाओं को कम्पनियों की आम बैठकों के समय हरेक मामले के गुणावगुणों के आधार पर स्वयं ही लेने पड़ते हैं।

सेवा संबंधी मामलों पर दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित पड़ी रिट याचिकाएं

7117. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वायत्तशासी निकायों और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सेवा मामलों से संबंधित बड़ी संख्या में स्वीकृत रिट याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्ड पीठों द्वारा अन्तिम निपटान के लिए लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो आज तक कितनी स्वीकृत रिट याचिकाएं लंबित है और कब से; और

(ग) इन रिट याचिकाओं के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, तारीख 31-8-1991 को स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों की सेवाओं से संबंधित 4,246 रिट याचिकाएं, जो ग्रहण की गई हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित थी। संघ सरकार या दिल्ली प्रशासन के किसी कर्मचारी की सेवा सम्बन्धी कोई रिट दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित नहीं हैं क्योंकि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना के पश्चात ऐसी सभी रिटें अधिकरण को अंतरित कर दी गई हैं। 4246 रिट याचिकाओं में से 956 रिटें दस वर्ष से अधिक समय से और शेष रिटें वर्ष 1981 और उसके पश्चात् से लंबित हैं।

(ग) एक समान प्रश्नों वाले मामलों को एक ही समूह में रखा जाता है और उन्हें एक ही न्यायालय के समक्ष रखा जाता है। पुराने मामलों के निपटारे के लिए विशेष न्यायपीठें गठित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

यानाम से द्राक्षारामन और काकीनाड़ा तक सड़कों के विकास हेतु केन्द्रीय सड़क निधि से धनराशि का आबंटन

7118. **श्री के॰ आर॰ चौधरी :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

में छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन वस्तुओं में छूट दी गई है; और

(घ) यह छूट चमड़ा उद्योग के लिए किस हद तक लाभदायक है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी दिनांक 9-8-91 की अधिसूचना द्वारा चमड़ा उद्योग के लिए निम्नलिखित मदों के संदर्भ में विनिर्माता-निर्यातकों और साथ ही निर्यात/व्यापार घरानों द्वारा आयात के लिए अपेक्षित निर्धारित न्यूनतम नकद राशि से छूट की अनुमति दे दी है, बशर्ते कि निर्धारित सहनीय स्तरों से अधिक निर्यात-बिल, निर्यात की तारीख से छः महीनों से अधिक समय से बकाया न हों;

(क) बिटानैफ्थाइलामाइन

(ख) कैलैम:इन

(ग) कैल्शियम बोराइड

(घ) चमड़ी और खालें, कच्ची या नमक लगी हुई, जहां चमड़ी और खालों का मूल्य ऊन/बाल वाली खालों से अधिक हो।

(ङ) चमड़ा तैयार करने की सहायक सामग्री, पेनेट्रैटर्स और स्लिप एजेन्ट्स

(च) पिकिल्ड चमड़ी, खाल, जहां चमड़ी और खालों का मूल्य ऊन/बाल वाली खालों से अधिक हो।

(छ) पिकिल्ड चमड़ी, खालें, पेल्ट्स स्पिल्ट्स और उसके भाग

(ज) वाटल एक्सट्रैक्ट

(झ) वैट ब्लू क्रोम टैन्ड क्रस्ट और तैयार लैदर जिनमें स्प्लिटस और साइट्स शामिल है।

पूंजीगत माल को छोड़कर अन्य वस्तुओं के आयात के लिए तैयार चमड़ा/चमड़ा उत्पादों के विनिर्माता-निर्यातकों को वर्ष में उपलब्ध-अधिकतम 2.5 करोड़ रुपए के अध्यधीन पिछले लेखा-वर्ष के दौरान सामान्य मुद्रा क्षेत्र से वास्तविक निर्यात वसूली के 10% तक अपेक्षित राशि से दी गई छूट वर्ष में 5 करोड़ रुपए की अधिकतम मौद्रिक सीमा सहित बढ़ाकर 20% कर दी गई है, बशर्ते निर्यात की तारीख से छः महीने से अधिक समय से कोई निर्यात बिल बकाया न हो।

(घ) उपर्युक्त उपायों से चमड़ा उद्योग में प्रयुक्त कुछ आवश्यक अन्तर्निविष्ट साधन आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे इसकी प्रतियोगिता क्षमता बढ़ेगी।

[हिन्दी]

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड में सड़कों का शामिल किया जाना

7122. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :**

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमजोर वर्ग के लोगों को ब्याज की विभेदक दर योजना के अन्तर्गत ऋण नहीं दिए जा रहे हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान और चालू वित्त वर्ष में अब तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत और विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कितनी-कितनी राशि के तथा कितने व्यक्तियों को ऋण दिए गए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को कितनी राशि के ऋण मंजूर किए गए; और

(घ) विभिन्न बैंकों में पृथक-पृथक रूप से ऋण के लिए कितने आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) बैंकों की विभेदी ब्याज दर योजना के अग्रिम "कमजोर वर्गों" को दिए जाने वाले उनके अग्रिमों के भाग होते हैं। ऋण नीति का बल कमजोर वर्गों को ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने पर निरन्तर बना हुआ है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के विभेदी ब्याज दर अग्रिमों और उसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हिस्से से सम्बन्धित उपलब्ध आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(खातों की संख्या लाखों में)
(बकाया राशि करोड़ रुपये में)

के अन्त तक	विभेदी ब्याज दर अग्रिम		इसमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
सितम्बर, 1988	2.87	58.09	1.44	27.67
मार्च, 1989	3.19	62.70	1.47	31.34
सितम्बर, 1989	2.85	64.95	1.40	29.52

भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि दूसरे पिछड़े वर्गों के बारे में अलग कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) बैंकों की आंकड़ा सूचना प्रणाली से विभिन्न बैंकों के पास विभिन्न ऋणों के लिए लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या से संबंधित सूचना प्राप्त नहीं होती है।

चमड़ा उद्योग पर आयात सम्बन्धी रोक में रियायत देना

7121. **श्रीमती वासवराजेश्वरी** :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में चमड़ा उद्योग पर आयात पर लगाई गई रोक

(4) 100 एकड़ से कम क्षेत्र वाले जिले ।

पालमामू, हजारीबाग, धनबाद, गिरडीह, जहानाबाद, पटना, रोहतास, नालन्दा, छपरा, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चम्पारन, पूर्वी चम्पारन सीतामढ़ी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगुसराय, कटिहार, भागलपुर, गोण्डा, गया ।

टसर

टसर की कृषि मुख्यत: दक्षिण बिहार में सीमित है । जिन अन्य जिलों में टसर की खेती होती है वे हैं :—भागलपुर, मुंगेर, नवादा, रोहतास ।

ऐरी

ऐरी की खेती निम्नलिखित जिलों में हो रही है :—

पटना, बेगुसराय, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मुंगेर, रांची ।

(ग) देश में रेशम उत्पादन के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य रेशम उत्पादन विभागों के प्रयासों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड निम्नलिखित योजनायें क्रियान्वित कर रहा है जोकि बिहार राज्य सहित सभी राज्यों पर लागू होती है :—

1. 50 प्रतिशत की लागत पर शहतूती कलमों/पौधों की सप्लाई ।
2. मामूली किसानों को कीट-पालन उपस्करों की निःशुल्क सप्लाई ।
3. यूजी फ्लाई पर नियंत्रण पाने के लिए 50 प्रतिशत की लागत पर नायलोन के जालों की सप्लाई ।
4. द्विफसलीय रेशम कीट-पालकों और रीलरों को प्रोत्साहन बोनस ।
5. किसानों के लिए अध्ययन दौरों का आयोजन ।
6. केन्द्रीय रेशम बोर्ड की लागत पर किसानों के खेतों में शहतूती प्रदर्शन फार्म की स्थापना ।
7. कोसों की खरीद के लिए इमदादी ब्याज दर पर रीलरों को कार्यशील पूंजी की सहायता ।
8. रीलिंग केन्द्रों में कोसो की बिक्री के लिए कीट-पालकों को विपणन और परिवहन की सुविधायें प्रदान करना ।

(घ) और (ङ) बिहार राज्य सरकार ने ऐसे किसी प्रकार के नुकसान के बारे में केन्द्रीय रेशम बोर्ड को सूचित नहीं किया है ।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में कमजोर वर्ग के लोगों को ऋण

7120. श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार यानाम से द्राक्षारामन और काकीनाड़ा तक अन्तर्राज्यीय सड़कों के विकास और सुधार हेतु केन्द्रीय सड़क निधि से धनराशि आवंटित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत वित्त पोषण करने हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार से विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें यानाम से द्राक्षारामन और काकीनाडा तक की सड़कें शामिल हैं। केन्द्रीय सड़क निधि में वास्तविक वृद्धि होने पर ही इन प्रस्तावों पर कारंवाई हो सकती है और यह वृद्धि अभी नहीं हुई है।

[हिन्दी]

बिहार में रेशम कीट-पालन को प्रोत्साहन देना

7119. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :**

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में रेशम-कीट-पालन को प्रोत्साहन दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के परिणाम क्या हैं जहां राज्य वार रेशम कीट-पालन शुरू किया गया है;

(ग) सरकार द्वारा बिहार में रेशम कीट-पालन में लगे हुए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं;

(घ) क्या राज्य में कई स्थानों पर रेशम कीट-पालन को क्षति पहुंची है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) बिहार में शहतूती टसर (ट्रोपिकल) तथा ऐसी रेशम-उत्पादन की प्रक्रिया क्रियान्वित की जा रही है। ऐसे प्रत्येक क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जिले निम्नोक्त अनुसार हैं :----

शहतूती

(1) **शहतूती रेशम के 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्र वाले जिले।**

पूर्णिया।

(2) **500 एकड़ से अधिक क्षेत्र वाले जिले।**

रांची, गुमला, सहरसा।

(3) **100 एकड़ से अधिक क्षेत्र वाले जिले।**

सिंहभूम, लोहारडागा, डुमका, साहबगंज।

(क) क्या बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड में 1974 से कोई सड़क शामिल की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड में, किसी क्षेत्रीय अथवा राज्यवार आधार पर नहीं बल्कि विभिन्न प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं अर्थात धनराशि की उपलब्धता, राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिशों, अखिल भारतीय स्तर पर प्रत्येक सड़क की पारम्परिक प्राथमिकता, नए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निर्धारित मानदण्डों आदि को ध्यान में रखते हुए शामिल किया जाता है।

अरुणाचल प्रदेश में सीमावर्ती सड़कों का मरम्मत-कार्य

7123. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्षों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में सीमावर्ती सड़कों के मरम्मत कार्य की गति में तेजी आई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इस क्षेत्र की सड़कों के मरम्मत-कार्य पर वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) अरुणाचल प्रदेश में सीमावर्ती सड़कों के मरम्मत-कार्य की गति में और अधिक तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्ष के खर्च का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	लाख रुपए
1988-89	1070.31
1989-90	1376.48
1990-91	1446.34

(ग) यथा अपेक्षित मरम्मत और पुनर्स्थापना संबंधी निर्माण कार्य सीमा सड़क संगठन द्वारा किए जाते हैं।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं

7124. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कितनी शाखाएं कार्यरत हैं

और कहां-कहां पर हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों की क्या उपलब्धियां रहीं; और

(ग) सरकार का किन स्थानों पर ग्रामीण बैंकों की शाखायें खोलने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) काशी ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले को कवर करता है और 79 शाखाओं के माध्यम से कार्यसंचालन करता है। शाखाओं की अवस्थिति को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान वाराणसी जिले में कार्यरत काशी ग्रामीण बैंक की प्रगति निम्नलिखित है :—

(लाख रुपए)

	बकाया अग्रिम		जुटाई गई जमा राशियां	
वर्ष	खाते	राशि	खाते	राशि
1988-89	54666	1634.25	14179?	1921.58
19 9-90	58998	2037.39	158603	2626.82
1990-91	64945	2470.92	173443	3195.88

ग्रामीण बैंक ने मार्च 1991 को समाप्त वर्ष के दौरान 9158 उधारकर्ताओं को 511 लाख रुपए की राशि संवितरित की।

(ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि नई शाखायें खोलने का कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

विवरण

वाराणसी जिले में कृषि ग्रामीण बैंक की शाखाओं की अवस्थिति

शाखाओं की अवस्थिति	शाखाओं की अवस्थिति
1. वाराणसी	11. दुर्गा गंज
2. ज्ञानशाहपुर	12. मीरापुर बासा
3. उमराहन	13. टांडा
4. उगापुर	14. नौगढ़
5. दुलाहीपुर	15. आवाजपुर
6. बरौराबाजार	16. पाली
7. फूलपुर	17. कान्ता
8. हाथी बाजार	18. एवाती
9. कच्चवा रोड	19. सदलपुरा
10. जंगी गंज	20. चोलापुर

शाखाओं की अवस्थिति

21. कटरा
22. रामगढ़
23. सीकरगंज
24. सैदपुर
25. धीना
26. अलिनगर
27. कलिकाबाड़ा
28. मोन्ध
29. गोसाई बाजार
30. आयार
31. जाल्हुपुर
32. चितैपुर
33. नियारधि
34. बासानि
35. इल्ला
36. भिदौरी
37. मामाहार
38. कोरौत
39. उतरौत
40. धाराहारा
41. गरथामा
42. गोसाईपुर
43. माथेषु
44. पपौरा
45. जबारियाबाद
46. आशना
47. भपौली
48. रामेश्वर
49. काशीपुर
50. पाण्डेपुर

शाखाओं की अवस्थिति

51. गोरनकला
52. हिंगुटरा
53. मुनारी
54. कुवार
55. बाबूसराय
56. जगन्नाथपुर
57. खुरहूजा
58. पार्वतीपुर
59. रोही
60. कृष्णदत्तपुर
61. दबारिया
62. अभिया
63. बराथी
64. बेला
65. करियावन
66. हरिहरपुर
67. करौता (पी० टी०)
68. बच्छावन
69. समईपुर
70. जगदीश सराय
71. गिर्द बदगांव
72. सरोई
73. फट्टूपुर
74. धरौली
75. अबहोली
76. रामनगर
77. बिराउनकोट
78. नई बाजार
79. मझवैन

लघु उद्योगों द्वारा जनता से पूंजी वसूल करना

712. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों को जनता से पूंजी एकत्र करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जनता से पूंजी जुटाने में पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उठाई जा रही कठिनाइयों के बारे में कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। पूंजी निर्गमों के लिए पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के आवेदनों पर समय-समय पर पूंजी निर्गम संबंधी मार्ग-निर्देशों को ध्यान में रखकर कारवाई की जाती है और यदि आवेदक कंपनी का प्रस्ताव पूंजी निर्गम संबंधी मार्ग-निर्देशों/मानकों को पूरा करता है तो पूंजी निर्गमों के लिए स्वीकृतियां दी जाती हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की विदेशों में स्थित शाखाओं का कार्य-निष्पादन

71‌6. **डा० जी० एल० कनोजिया :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की विदेशों में स्थित शाखाओं के लाभ/हानि का बैंक-वार तथा देश-वार ब्योरा क्या है;

(ख) क्या कुछ बैंक शाखाओं के कारोबार में अत्यधिक कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इनमें से कुछ शाखाओं को बन्द करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) इन शाखाओं को होने वाली हानि कम करने के लिए कौन से अन्य सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, की तीसरी अनुसूची में निर्धारित फार्मेट में अपने-अपने लाभ एवं हानि खाते बनाते हैं। बैंक के लाभ/हानि की सम्पूर्ण स्थिति इसमें दिखाई जाती है। विदेशी शाखाओं के लाभ/हानियों को अलग से नहीं दिखाया जाता है।

(ग) से (ङ) भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के परिचालनों की सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरन्तर पुनरीक्षा की जाती है। गत कुछ वर्षों में विदेशी शाखाओं के परिचालनों की निगरानी और सुधार करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। इन उपायों का

उद्देश्य कार्मिक नीति को मजबूत बनाना और ऋण देने की सीमाओं और किसी देश से लेन-देनों (कन्ट्री एक्सपोजर) के संबंध में विवेकपूर्ण मानदण्डों को अपनाना, आन्तरिक और पर्यवेक्षण नियन्त्रण को मजबूत बनाना, भारतीय बैंकों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ाना, अन्तर्राष्ट्रीय प्रभागों का पोर्टफोलियो निरीक्षण करना, गैर-अर्थक्षम शाखाओं को बन्द करना, समस्याग्रस्त ऋणों की समीक्षा करना आदि है। विदेशी शाखाओं की महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी कार्य योजना संबंधी बैठकों में विस्तार से चर्चा भी की जाती है। भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालनों का समेकन करने के लिए भी उपाय शुरू किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक के अलावा) की विद्यमान शाखाओं को अपने हाथ में लेने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना करना भी शामिल है।

कर्नाटक में आयुध कारखाना, डिफेंस कालेज और सेना भर्ती व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

7127. **श्री एस० बी० सिदनाल** :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में निकट भविष्य में एक आयुध कारखाना, एक डिफेंस कालेज और एक सेना भर्ती व प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक खोल दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कॉफी का निर्यात

7128. **श्री एस० बी० सिदनाल** :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कौन-कौन से प्रमुख देशों को कॉफी का निर्यात किया गया था;

(ख) इससे प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) कॉफी के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु विश्व में नए बाजारों की खोज करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान जिन प्रमुख देशों को कॉफी का निर्यात किया गया वे हैं : यू०एस०एस०आर०, यूगोस्लाविया, इटली, पश्चिम जर्मनी, यू० एस० ए०, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, स्विटजरलैंड तथा रोमानिया।

(ख) वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान उपर्युक्त देशों को कॉफी के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि क्रमशः 31559.28 लाख रुपये तथा 23753.51 लाख रुपये थी।

(क) विनिमय दर के समायोजन के अलावा सरकार ने हाल ही में एग्जिम स्क्रिप की शुरूआत की है। आशा है कि इससे कॉफी निर्यातकों को प्रोत्साहन मिलेगा और वे कॉफी के निर्यात को अधिकतम करने और निर्यात बाजारों के विविधीकरण के लिए अधिक प्रयास करेंगे।

स्वीकृति हेतु कर्नाटक की लम्बित परियोजनाएं

7129. श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तावित कितनी परियोजनाएं और योजनाएं केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित हैं; और

(ख) प्रत्येक मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(क) और (ख) कर्नाटक की उन विभिन्न सड़कों और पुलों संबंधी स्कीमों के ब्यौरे जो सरकार के पास लम्बित हैं तथा उनकी वर्तमान स्थिति :—

(1) राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने की 11 स्कीमें और आर्थिक एवं अन्तर-राज्यीय महत्व के कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित की जाने वाली 20 स्कीमें। आठवीं योजना को अन्तिम रूप दिए जाने पर ही इन प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है।

(2) 166 स्कीमों को बढ़ी हुई केन्द्रीय सड़क निधि में से वित्त पोषित करने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय सड़क निधि में वास्तविक वृद्धि, जो अभी नहीं हुई है, होने के बाद ही इन पर कार्यवाही की जाएगी।

(3) राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्यों के 13 अनुमान। चालू वर्ष के बजट के अनुमोदन के बाद ही इन पर कारंवाई की जाएगी, बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो और योजना में इनके लिए प्रावधान हो।

कर्नाटक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा किसानों को ऋण

7130. श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जिलावार और बैंकवार कितनी शाखाएं हैं;

(ख) 1 अप्रैल, 1990 तथा 1 अप्रैल, 1991 को इन बैंकों में जिलावार और बैंकवार कितनी धनराशि जमा थी;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में इन बैंकों द्वारा जिलावार कुल कितना ऋण स्वीकृत किया गया;

(घ) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ऐसे ऋण स्वीकृत करने हेतु रखा गया लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ङ) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(च) कर्नाटक में इन बैंकों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान जिलावार किसानों को कितना ऋण स्वीकृत किया और वास्तव में दिया; और

(छ) उक्त अवधि में किसानों द्वारा कितनी धनराशि वापस लौटाई गयी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 30.6.1991 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक में कार्य कर रहो सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की जिलेवार और बैंकवार संख्या संलग्न विवरण एक में दी गई है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार कर्नाटक में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की मार्च, 1990 के अन्तिम शुक्रवार को कुल जमा राशियां 7192 करोड़ रुपए थी और दिसम्बर, 1990 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार 7636 करोड़ रुपये थी।

(ग) कर्नाटक में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा मंजूर किए गए जिलेवार ऋणों की कुल राशि से संबंधित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नहीं हैं। अलबत्ता, दिसम्बर, 1988, दिसम्बर, 1989 और दिसम्बर, 1990 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार कर्नाटक में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया अग्रिमों की जिलेवार राशि संलग्न विवरण दो में दी गई है।

(घ) और (ङ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कर्नाटक में ऋण मंजूर करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(च) किसानों को मंजूर किए जाने वाले ऋणों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक से जिलेवार आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं। अलबत्ता, जून, 1987, जून, 1988 और सितम्बर, 1989 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार कर्नाटक में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिए गए बकाया अग्रिम नीचे दिए गए हैं :—

(करोड़ रुपए)

जून, 1987	जून, 1988	सितम्बर, 1989
834.83	955.04	1408.67

(छ) जून, 1987, जून, 1988 और जून, 1989 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार कर्नाटक में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि अग्रिमों की वसूली की प्रतिशतता नीचे दी गई है :—

जून, 1987	जून, 1988	जून, 1989
51.9	460.2	47.3

विवरण-एक

30.6.91 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक में कार्य कर रही सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जिले-वार और बैंक-वार शाखाओं की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

बैंक का नाम	जिले का नाम																			
	बंगलौर ग्रामीण	बंगलौर शहरी	बेलगाम	बेलारी	बिदर	बीजापुर	चिकमंगलूर	चित्रदुर्ग	दक्षिण कन्नड़	धारवाड़	गुलबर्गा	हसन	कोडागु	कोलार	मांड्या	मैसूर	रायचूर	शिमोगा	तुमकुर	उत्तर कन्नड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. स्टेट बैंक आफ इण्डिया	5	68	21	7	13	26	3	3	24	26	16	5	3	6	4	8	2	4	8	13
2. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	—	4	1	1	15	2	—	—	—	—	31	—	—	—	—	1	32	1	—	—
4. स्टेट बैंक आफ इंदौर	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. स्टेट बैंक आफ महाराष्ट्र	19	72	7	28	2	7	16	21	7	14	1	26	5	30	33	56	3	29	55	9
6. स्टेट बैंक आफ पटियाला	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8. स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	—	5	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—
9. इलाहाबाद बैंक	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—
10. आन्ध्रा बैंक	—	8	1	2	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	1	2	1	—	—
11. बैंक आफ बड़ौदा	2	11	2	—	—	1	1	1	5	2	1	—	—	3	—	1	—	1	—	—
12. बैंक आफ इण्डिया	—	16	12	3	—	1	—	1	2	2	1	2	—	2	2	3	1	2	—	—
13. बैंक आफ महाराष्ट्र	—	9	8	2	—	4	—	2	1	3	3	—	—	—	—	2	1	—	—	1
14. केनरा बैंक	23	81	17	6	7	8	23	23	56	23	9	28	23	37	11	20	6	38	16	16
15. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	3	21	2	2	—	3	—	1	3	6	1	—	1	2	1	2	2	—	—	2
16. कारपोरेशन बैंक	5	21	13	4	2	8	6	6	46	11	1	11	16	5	2	4	1	11	1	10
17. देना बैंक	1	11	1	—	—	1	—	1	1	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
18. इण्डियन बैंक	—	22	2	4	—	2	2	2	1	3	1	1	2	—	1	4	2	4	1	2
19. इंडियन ओवरसीज बैंक	—	14	1	1	—	—	3	3	5	4	—	1	2	—	5	8	—	2	5	2
20. न्यू बैंक आफ इंडिया	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. पंजाब एंड सिंध बैंक	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
23. पंजाब नेशनल बैंक	—	13	1	—	—	1	—	—	1	2	3	1	—	—	1	2	—	—	—	—
24. सिण्डिकेट बैंक	—	53	41	18	3	47	14	5	112	26	7	5	8	3	4	12	15	15	7	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
25. यूको बैंक	3	12	1	—	—	—	—	1	1	3	1	—	—	—	—	1	2	—	1	—
26. यूनियन बैंक आफ इण्डिया	—	13	25	2	—	10	—	1	4	11	1	—	2	1	—	2	2	1	—	—
27. यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	—	4	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
28. विजया बैंक	8	50	10	2	—	12	12	10	104	30	4	18	18	8	29	21	2	12	10	16
जोड़	69	526	166	82	43	133	80	82	378	170	82	99	81	98	93	153	73	122	106	117

विवरण-दो

दिसम्बर, 1988, दिसम्बर, 1989 और दिसम्बर, 1990 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार कर्नाटक में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जिला-वार बकाया अग्रिमों की राशि को दर्शाने वाला विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्र० सं० जिले का नाम	बकाया अग्रिम		
	दिसम्बर 1987	दिसम्बर 1989	दिसम्बर 1990
1. बंगलौर ग्रामीण	73.14	88.06	91.22
2. बंगलौर शहरी	2994.91	3282.26	3644.80
3. बेलगांव	267.43	303.00	322.33
4. बेल्लारी	171.77	188.28	203.78
5. बिदार	50.77	59.97	60.24
6. बीजापुर	141.68	153.75	160.02
7. चिकमंगलूर	135.19	149.57	166.69
8. चित्रदुर्ग	149.27	164.86	168.87
9. दक्षिण कन्नड़	599.65	655.40	820.54
10. धारवाड़	293.39	319.40	321.64
11. गुलबर्गा	131.34	156.56	158.34
12. हसन	115.60	129.71	147.10
13. कोदगु	9[illegible].22	103.58	113.97
14. कोलार	112.04	1[illegible]6.93	1[illegible]8.37
15. मण्डया	79.61	89.91	95.66
16. मैसूर	342.28	389.82	397.96
17. रायचूर	142.66	158.11	166.29
18. शिमोगा	213.02	236.27	243.89
19. तुमकुर	118.73	127.58	138.87
20. उत्तर कन्नड़	89.31	100.16	107.39

स्टेट बैंक आफ इन्दौर की जनकपुरी शाखा में धांधली/धोखाधड़ी

7131. **श्री रामबदन :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इन्दौर की जनकपुरी शाखा, दिल्ली में जनवरी, 1990 से लेकर

सितम्बर, 1990 तक कर्मचारियों द्वारा की गई अनियमितताओं/धोखाधड़ी के अनेक मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो मामलावार तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और प्रत्येक मामले में कितने रुपयों की धांधली की गई है; और

(ग) दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध प्रबंधन ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि जनवरी, 1990 की अवधि के दौरान जनकपुरी, नई दिल्ली शाखा में स्टाफ के किसी सदस्य द्वारा धोखाधड़ी नहीं की गई थी। तथापि, इसी अवधि के दौरान क्रमश: 6.82 लाख रुपए तथा 9.60 लाख रुपए के अग्रिम देने के बारे में दो मामलों में हुई अनियमितताओं का पता लगाया गया था।

(ग) बैंक ने सूचित किया है कि अनियमितताओं के लिए जिम्मेवार अधिकारी को आरोप-पत्र दिया गया है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

713?. **डा० जी०एल० कनोजिया** :

श्री भाग्ये गोवर्धन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अनिवासी भारतीयों को पूंजी निवेश के लिए आकर्षित करने हेतु किए गए विशेष प्रयासों के क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) क्या कुछ बैंकों ने जन सम्पर्क, सूचना, निवेश, सलाहकार सेवाएं और ऋण वापसी आदि कारंवाई करने आदि सुविधाएं देने के लिए विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस बारे में अनिवासी भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) चूंकि विशेष स्कीमों और प्रोत्साहनों की घोषणा हाल में ही की गई है, अतः इनके परिणामों का निर्धारण इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता है।

(ख) और (ग) कुछ बैंकों ने ऐसे सेलों की स्थापना की है। अनिवासी भारतीयों की प्रतिक्रिया का अनुमान इतनी जल्दी नहीं लगाया जा सकता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत सूती कपड़ा मिलों के श्रमिकों को आवास सुविधाएं

7133. **डा० लाल बहादुर रावल** :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में सभी राष्ट्रीयकृत सूती कपड़ा मिलों के श्रमिकों को आवास, पानी तथा बिजली जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मिलों के नाम क्या हैं जिनमें श्रमिकों को यह सुविधाएं दी गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं। फिर भी वाच एण्ड वार्ड/सिक्यूर्टी जैसे कुछ स्टाफ को ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित एन०टी० सी० मिलों ने ऐसे प्रस्तावों को बढ़ावा देने के लिए अभी लाभ नहीं कमाया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग को सुविधाएं

7134. **डा० लाल बहादुर रावल :**

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के हथकरघा बुनकरों को 1990-91 के दौरान कितनी मात्रा में सूत के लच्छे उपलब्ध कराए गए थे;

(ख) उत्तर प्रदेश में सूत बनाने वाली इकाईयों को उनकी वर्तमान क्षमता बढ़ाने के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान कितनी सहायता दी गई है;

(ग) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में बुनकरों को 1990-91 के दौरान कितने मूल्य का सूत, रंग और रसायन दिए गए;

(घ) उत्तर प्रदेश में प्राथमिक/शीर्ष सहकारी समितियों को 1990-91 के दौरान कितनी अतिरिक्त कार्यकारी पूंजी दी गई;

(ङ) उत्तर प्रदेश में बुनकरों को सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा उक्त वर्ष के दौरान कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(च) उत्तर प्रदेश में बाजार विकास योजना के अन्तर्गत उक्त वर्ष के दौरान शीर्ष सहकारी समितियों को कितनी सहायता दी गई; और

(छ) उत्तर प्रदेश में हथकरघा निर्मित और राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा कितने मूल्य का कपड़ा 1990-91 के दौरान निर्यात किया गया ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) चूंकि सूत पूरे देश में बेचा जाता है और सूत का व्यापार अधिकांश रूप से प्राइवेट हाथों में हैं इसलिए किसी विशेष राज्य में हैंक यार्न उपलब्धता और इसकी बिक्री की मात्रा का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ख) भारत सरकार ने 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में वर्तमान कताई क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है।

(ग) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा उत्तर प्रदेश के बुनकरों और अभिकरणों को 1990-91 के दौरान 1478.87 लाख रुपये मूल्य का सूत और 4.22 लाख रुपये मूल्य के रंग और रसायन सप्लाई किए गए।

(घ) व (ङ) भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में सहकारी अथवा निगम क्षेत्र में किसी भी राज्य

हथकरघा अभिकरण को 1990-91 के दौरान अंश पूंजी सहायता के रूप में वित्तीय सहायता नहीं दी है 'तथापि हथकरघा कपड़े की बिक्री बढ़ाने और राज्य बुनकरों को निरंतर रोजगार देने के उद्देश्य से विभिन्न अन्य योजनाओं के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को 1990-91 के दौरान 4499.84 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

(च) उत्तर प्रदेश में 1990-91 के दौरान बाजार विकास योजना के अन्तर्गत सहकारी और निगम क्षेत्र में राज्य हथकरघा अभिकरणों को 658.11 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

(छ) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा 1990-91 के दौरान कपड़े का निर्यात नहीं किया गया है।

स्वीकृति हेतु उत्तर प्रदेश की लंबित परियोजनाएं

7135. **डा० लाल बहादुर रावल :**

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित कितनी परियोजनाएं और योजनाएं स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के पास लंबित है; और

(ख) प्रत्येक मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

जल भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) सरकार के पास लंबित उत्तर प्रदेश की विभिन्न सड़क और पुल स्कीमों से संबंधित हवाले तथा उनकी स्थिति नीचे दी गई है :

(1) चार राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने के प्रस्ताव। इस प्रस्ताव पर आठवीं योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात ही विचार किया जा सकता है।

(2) 43 स्कीमों की बढ़ती हुई केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित करने का प्रस्ताव किया गया है। इन पर केन्द्रीय सड़क निधि में वास्तविक वृद्धि हो जाने के पश्चात ही कार्रवाई की जा सकेगी जो अभी नहीं हुई है।

(3) राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्यों के लिए 19 प्राक्कलन निधियों की उपलब्धता तथा योजना में प्रावधान के अध्यधीन इन पर चालू वर्ष के बजट को अनुमोदन मिलने के पश्चात ही कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

7136. **डा० लाल बहादुर रावल :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो यह शाखाएं किन-किन स्थानों में खोली जाएंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) वर्तमान शाखा लाइसेंसिग नीति के अन्तर्गत नई बैंक शाखाओं की संख्या में वृद्धि उनकी पूर्ण रूप से प्रमाणित आवश्यकता, कारोबार की क्षमता और प्रस्तावित शाखा की वित्तीय क्षमता पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान लाइसेंसिग नीति के तहत शाखाएं खोलने का कार्य एक निरन्तर प्रक्रिया है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक इस संबंध में लाइसेंस जारी कर नियंत्रित करता है। इसलिए इस समय उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में खोली जाने वाली शाखाओं की संख्या बता पाना सम्भव नहीं है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु विश्व बैंक से सहायता

7137. **श्री सी० पी० मुदालगरियप्पा :**

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में रेशम के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विश्व बैंक से वर्ष-वार कुल कितनी राशि की सहायता ली गई;

(ख) क्या सरकार का राज्य में रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु विश्व बैंक से और अधिक सहायता प्राप्त करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड राज्यों के (जिनमें कर्नाटक भी शामिल है) सहयोगों से देश में (जिसमें कर्नाटक भी शामिल है) रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष, 1989-90 से शुरू होने वाली 5 वर्ष की परियोजना अवधि के लिए विश्व बैंक/स्विस सहायता प्राप्त राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना क्रियान्वित कर रहा है।

जबकि वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए कुल प्रावधान जिसमें कर्नाटक में केन्द्रीय रेशम बोर्ड का निवेश भी शामिल है। 9083-56 लाख रुपए है। बाकी दो वर्ष की अवधि अर्थात् वर्ष 1992-93 से 1993-94 तक के लिए 4807-58 लाख रुपये के निवेश की व्यवस्था की गई है। वर्ष-वार ब्यौरे निम्नोक्त अनुसार है।

1989-90	1375.62	लाख
1990-91	4342 67	लाख
1991-92	3365.27	लाख
	908¹.56	लाख
1992-93	2580 43	लाख
1993-94	2227.15	लाख
	4807.58	लाख

चंदन की लकड़ी और तेल का निर्यात

7138. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा** :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक से गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में चंदन की लकड़ी और चंदन के तेल का निर्यात किया गया;

(ख) क्या विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा चंदन के तेल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) निर्यात आंकड़े राज्यवार आधार पर नहीं रखे जाते हैं। किंतु, पिछले तीन वर्षों के दौरान चंदन के तेल के समूचे देश के निर्यात आंकड़े निम्नानुसार थे :—

(मूल्य : करोड़ रु० में)

वर्ष	निर्यात
1988-89	6.29
1989-90	5.71
1990-91	6.71

(स्रोत : कैमक्सिल, बंबई)

वर्तमान आयात एवं निर्यात नीति के अन्तर्गत लठ्ठे तथा छोटे आकार की लकड़ी और टिम्बर, जिसमें चंदन की लकड़ी भी शामिल है, के निर्यात की अनुमति नहीं है। किंतु, खुरदरा चंदन के विषम आकृति के चिप्स जिनमें से प्रत्येक का वजन 50 ग्राम से अधिक न हो और डस्ट, फ्लेक्स तथा पाउडर के रूप में चन्दन के निर्यात की अनुमति है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान चिप्स पाउडर डस्ट और फ्लेक्स जैसे चन्दन-उत्पादों का निर्यात-निष्पादन निम्नानुसार रहा है :—

(मूल्य : करोड़ रु० में)

वर्ष	निर्यात
1987-88	7.94
1988-89	3.83
1989-90	7.45

(स्रोत : कैपेक्सिल, कलकत्ता)

(ख) और (ग) हाल ही में आयात-निर्यात नीति में किए गए उदारीकरण तथा एक्सिम तथा स्क्रिप्स लागू होने से चंदन का तेल/चिप्स/पाउडर के निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा।

दिल्ली तथा गाजियाबाद में उद्यमियों को उदार ऋण

7139. **श्री रमेश चन्द्र तोमर :**

श्री वीरेन्द्र सिंह :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और गाजियाबाद के कितने उद्यमियों ने नई परियोजनाओं की स्थापना करने तथा रुग्ण एककों के पुनर्वास के उद्देश्य से गत दो वर्षों के दौरान अब तक भारतीय औद्योगिक बैंक (राष्ट्रीय इक्विटी निधि) से आसान ऋणों के रूप में सहायता हेतु आग्रह किया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक उद्यमी को कितनी धनराशि मंजूर की गई;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार ऋण की अदायगी करने हेतु परियोजना की लागत सीमा में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्रारम्भ की गई राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना को इस समय भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा संचालित किया जा रहा है। सिडबी से प्राप्त सूचना के अनुसार, अप्रैल, 1989 अगस्त, 1991 की अवधि के दौरान दिल्ली और गाजियाबाद के दो उद्यमियों ने नई परियोजनाएं स्थापित करने के लिए योजना के तहत सहायता प्राप्त की।

(ख) राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना के तहत इन दो उद्यमियों को क्रमशः 19,655 रुपए और 40,000 रुपए की सहायता प्रदान की गई।

(ग) और (घ) जैसा कि, अतिलघु और ग्रामोद्योगों के प्रवर्तन और उन्हें मजबूत बनाने सम्बन्धी नई नीतिगत उपायों में घोषणा की गई है, 12 अगस्त, 1991 से राष्ट्रीय इक्विटी निधि के तहत सहायता के लिए पात्र परियोजना लागत को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत आवेदन-पत्र

7140. **श्री रमेश चन्द्र तोमर :**

श्री वीरेन्द्र सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भूतपूर्व सैनिक स्व-रोजगार योजना का क्या परिणाम निकला है;

(ख) वर्ष 1990 के दौरान और 1991 में आज तक सरकार को उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों से भूतपूर्व सैनिक स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए;

(ग) इनमें से कितने आवेदन-पत्रों को वित्तीय सहायता के लिए मंजूर किया गया और इन आवेदन-पत्रों को मंजूर करने में यदि कोई विलम्ब हुआ है तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन्हें मंजूर करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) सेम्फेक्स-1 और सेम्फेक्स-2 स्व-रोजगार योजनाएं क्रमशः 1987 और 1988 में शुरू की गई थी। सेम्फेक्स-1 योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 1990 तक 4,000 से अधिक भूतपूर्व सैनिकों के लिए 103 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। सेम्फेक्स-2 योजना के अन्तर्गत 31 मार्च, 1991 तक 1,200 से अधिक भूतपूर्व सैनिकों के लिए 6 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे।

राज्य सैनिक बोर्ड, उत्तर प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों सेम्फेक्स-I योजना के अन्तर्गत 1990 के दौरान 188 और 1991 के दौरान (30 जून, 1991 तक) 164 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से क्रमशः 99 और 88 आवेदन सहायता प्रदान करने के लिए स्वीकृत किए गए हैं। सेम्फेक्स-II योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990 के दौरान 394 और 1991 के दौरान (30 जून, 1991 तक) 138 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से क्रमशः 85 और 82 आवेदन सहायता प्रदान करने के लिए स्वीकृत कर लिए गए हैं।

जो आवेदन-पत्र हर तरह से पूरे होते हैं उन पर कार्रवाई की जाती है और उसका शीघ्रता से निपटान किया जाता है तथा उन पर सामान्यतः तीन माह के भीतर ऋण मजूर कर दिया जाता है। परन्तु कभी-कभी आवेदन-पत्र अपूर्ण होने, प्रस्तावित परियोजना व्यवहार्य न पाए जाने, समर्थक ऋणाधार स्वीकृतिदाता अधिकारी के संतोष के अनुरूप न होने आदि के कारण इसमें विलम्ब भी हो जाता है।

सेम्फेक्स-1/सेम्फेक्स-2 योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रत्येक आवेदन-पत्र के औचित्य के आधार पर अच्छी तरह जांच की जाती है जिसमें प्रस्तावित परियोजना की व्यवहार्यता को ध्यान में रखा जाता है। इन दोनों योजनाओं की मुख्य शर्तों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

सेम्फेक्स-1

(क) आवेदक को 60 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए।

(ख) आवेदक को संबंधित जिला सैनिक बोर्ड/राज्य सैनिक बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त रोजगार सहायता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को पुनर्वास महानिदेशालय में भी पंजीकृत होना चाहिए।

(ग) केवल 12 लाख रुपए तक की लागत की परियोजनाओं पर ही सहायता के लिए विचार किया जाता है।

(घ) आवेदक की ओर किसी अन्य योजना के अंतर्गत कोई ऐसा बकाया ऋण नहीं होना चाहिए जो उसे लौटाना हो।

सेम्फेक्स-2

(क) आवेदक को संबंधित जिला सैनिक बोर्ड/राज्य सैनिक बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए

इसके साथ ही सहायता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को पुनर्वास महानिदेशालय में भी पंजीकृत होना चाहिए।

(ख) आवेदक की ओर किसी अन्य योजना के अंतर्गत कोई ऐसा बकाया ऋण नहीं होना चाहिए जो उसे लौटाना हो।

(ग) कृषि कार्यों के लिए ऋण की कोई सीमा नहीं है लेकिन 7.5 लाख रुपए तक की लागत की गैर-कृषि परियोजनाओं के लिए धन दिया जा सकता है।

कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

7141. **डा० जी० एल० कनोजिया :**

श्री कालका दास :

क्या **वस्त्र** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान विभिन्न कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम का आधुनिकीकरण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक कपड़ा मिल के आधुनिकीकरण के लिए राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ग) क्या उनमें से कुछ कपड़ा मिलें बन्द हो गयी हैं अथवा भारी घाटे में चल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि जिन कपड़ा मिलों पर भारी धनराशि खर्च की गयी है, वे बन्द न हों?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) इस समय एन०टी०सी० के 28 एककों के बारे में आधुनिकीकरण योजनाएं, जिनमें 129.34 करोड़ रु० का परिव्यय शामिल है, एन०टी० सी० / वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत कर दी गई और ये क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। 88.07 करोड़ रु० के परिव्यय से 12 एककों के बारे में आधुनिकीकरण प्रस्ताव को भी प्रस्तुत कर दिए गए हैं और वित्तीय संस्थाओं से इनकी मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी वस्त्र मिलों के आधुनिकीकरण के लिए स्वीकृत धनराशि का राज्यवार ब्यौरा निम्नोक्त प्रकार है :

क्रम सं०	राज्य	खर्च की गई धनराशि (करोड़ रु० में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	2 06
2.	केरल	6.59
3.	माहे संघ राज्य क्षेत्र	1.29
4.	तमिलनाडु	8.47
5.	पांडिचेरी	6.62
6.	उत्तर प्रदेश	0.87
		25.40

(ग) और (घ) जी नहीं।

(ङ) एन०टी०सी० का यह प्रयास है कि ऐसी कोई भी मिल बन्द न पड़ी रहे जिसके आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन पर निधियां खर्च की गई है। एम०टी०सी० मिलों के निष्पादन में सुधार के लिए अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन रणनीति अन्य बातों साथ-साथ शामिल है :—

1. मिलों का चुनींदा आधुनिकीकरण।
2. कताई एवं बुनाई मिलों में उच्चतर उत्पादकता पर ध्यान देना।
3. श्रमिक सुव्यवस्थीकरण जहां कहीं इन्हें फालतू पाया जाए।
4. कच्चे माल की प्रतिस्पर्धात्मक खरीद।
5. उच्चतर यार्न उत्पादन क्योंकि यह अधिक लाभकारी है।
6. यार्न एवं कपड़े के मूल्य अनुकूल बनाना।
7. उत्पाद उन्नयन।
8. यार्न एवं कपड़े के लिए निर्यात बाजार का विकास।

[हिन्दी]

वित्तीय संस्थाओं द्वारा शेयरों का बेचा जाना

7142. **श्री रामलखन सिंह यादव :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वित्तीय संस्थाओं ने कुछ कम्पनियों के शेयर बेचे हैं;

(ख) यदि हां, तो कम्पनीवार इनका विवरण क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) शेयर बेचने के लिए क्या मानदण्ड है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) उन कम्पनियों के नाम, जिनके शेयर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम तथा भारतीय पुनर्निर्माण बैंक द्वारा बेचे गए हैं, उनके नाम सलग्न विवरण में दिए गए हैं, ये शेयर, विभिन्न समयावधियों में बेचे गए हैं, जिनमे एकरूपता नहीं है। शेयरों को बेचने का मुख्य कारण निधियों का पुनर्निवेश, पूंजी लाभों का अर्जन तथा वास्तविक निवेश के लिए बाजार में अच्छे स्क्रिप उपलब्ध कराना है जिससे कि इस प्रकार के स्क्रिप की कमी को दूर किया सके तथा कम्पनी प्रतिभूतियों का बड़े पैमाने पर वितरण किया जा सके।

(ग) साधारणतया 17.5% प्रति वर्ष के न्यूनतम उपार्जित मानदण्ड को पूरा करने वाले स्क्रिपों को बाजार में बेचा जाता है। परन्तु, ऐसे मामलों में जहां प्रतिफल वांछित स्तर तक मिलने की सम्भावना कम हो इस प्रकार के शेयरों की बिक्री भी वांछित प्रतिफल मूल्य से कम पर, परन्तु साधारणतया अधिमूल्य पर की जाती है।

विवरण

कम्पनियों की सूची

1. ए० सी० सी०
2. ए० पी० रेयोन्स लि०
3. ए० बी० एस० प्लास्टिक्स लि०
4. अजय इलैक्ट्रीकल्स
5. अमृत बनस्पति
6. आंध्रा सीमेंट
7. ए० पी० पेपर
8. एशियन होटल्स
9. औरंगाबाद पेपर
10. बड़ौदा रेयोन
11. भारत बर्ग
12. भद्राचलम पेपर बोर्ड लि०
13. बिहार कास्टिक एण्ड कैमिकल्स लि०
14. सी०इ०एस०सी० लि०
15. सीमेंट कारपोरेशन आफ गुजरात
16. कोरोमण्डल फर्टीलाइजर्स
17. चोखानी इन्टरनेशनल
18. चेत्तीनाद सीमेंट
19. दक्कन सीमेंट
20. दीपक फर्टीलाइजर्स लि०
21. फकन गल्फ सेरामिक्स
22. गजरा बेवल गियर्स
23. जी० एस० एफ० सी० लि०
24. गांधी एस० पी० एल० 07 ट्यूब्स लि०
25. गुजरात हैवी कैमिकल्स लि०
26. गुजरात हाइटेक इंडस्ट्रीज
27. गुजरात साइकल्स
28. एच० ई० जी० लि०
29. हिम इस्पात
30. हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लारेशन
31. इन्डियन चार्ज क्रोम
32. इन्डो गल्फ फर्टीलाइजर्स लि०
33. इन्दु निशान आक्सीजन कैमिकल्स इंडस्ट्रीज लि०
34. लक्ष्मी आटो कम्पोनेंट्स
35. माडर्न सिंटेक्स इण्डिया
36. मुरुदेश्वर सेरामिक्स
37. एन० आई० सी० सी० ओ० उड़ीसा
38. जे० के० इण्डस्ट्रीज लि०
39. काकतिया सीमेंट
40. कटरी स्पीनिंग मिल्स लि०
41. केरला कैमिकल्स
42. कोठारी इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लि०
43. महावीर स्पिग मिल्स लि०
44. मंगलोर केमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स लि०
45. नाथ पल्प एण्ड पेपर
46. मुकेरियन पेपर
47. एन०सी०एल० इन्डस्ट्रीज लि०
48. एन०ओ०सी०आई०एल०
49. उड़ीसा स्पोंज एण्ड आयरन
50. पोनी शुगर्स
51. प्रकाश इंडस्ट्रीज लि०
52. प्रचा प्राविट रिसार्टस
53. फासफोर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनको
54. पिनार स्टील्स
55. पासुपति स्पिनिंग मिल्स लि०
56. प्रियदर्शनी सीमेंट
57. प्रियदर्शनी स्पिनिंग
58. पंजाब मोहता पोलिटैक्स
59. पंजाब फाइबर्स

60. रासी सीमेंट
61. रामा फोसफेट्स
62. रिलाइंस इंडस्ट्रीज लि०
63. रिलाइंस फेमोलेक्स इंडस्ट्रीज
64. रोडमास्टर स्टील स्ट्रीप्स
65. सागर सीमेंट
66. शिवा पेपर
67. श्री भवानी पेपर
68. एस०पी०आई०सी० लि०
69. श्री सीमेंट
70. स्पेशल स्टील्स लि०
71. सनफलेग आयरन एण्ड स्टील कं० लि०
72. शिवा पेपर्स लि०
73. श्री विष्णु सीमेंट
74. स्वेद इंडिया टेलट्रोनिक्स
75. सलवानिया लक्ष्मण
76. टाटा पावर कं० लि०
77. ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन आफ इंडिया
78. टिनप्लेट कं० आफ इण्डिया
79. टूटीकोरिन अल्कालाइस
80. विसाका इन्डस्ट्रीज लि०
81. स्पेशल स्टील्स लि०
82. मोदी अल्कालाइस एण्ड कैमिकल्स लि०
83. मुरुदेश्वर सेरामिक्स लि०
84. नाथ पल्प एण्ड पेपर मिल्स लि०
85. पासुपति स्पीनिंग विविंग मिल्स लि०
86. पाइको इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड इलैक्ट्रीकल्स लि०
87. पेनार स्टील्स लि०
88. फासफोर्स एण्ड कैमिकल्स लि०
89. राने (मद्रास) लि०
90. श्री सिंथेटिक्स लि०
91. श्री राम इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग लि०
92. एस० आई० एल० लि०
93. टाटा पावर कं० लि०
94. थई अरुरन शूगर्स लि०
95. त्रिस्टार सोया प्रोडक्टस लि०
96. वनावती मैन्यूफैक्चरिंग कैमिकल्स लि०
97. विडयाकोन इन्टरनेशनल लि०
98. विसाका इन्डस्ट्रीज लि०
99. डब्ल्यू०, डब्ल्यू० इन्डस्ट्रीज (इंडिया) लि०
100 वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लि०
101. अहमदाबाद इलैक्ट्री कं० लि०
102. एसोसिएटेड सीमेंट कं० लि०
103. अतुल प्रोडक्टस लि०
104. डी० सी० एम० लि०
105. डी० सी० एम० श्रीराम कंसोलिटेडेड
106. डी० सी० एम० श्रीराम इंडस्ट्रीज लि०
107. एस्कोर्ट ट्रैक्टर्स लि०
108. एक्सल इंडस्ट्रीज लि०
109. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स लि०
110. हिन्द सिनेटेक्स लि०
111. जयपुर पोलीस्पीन लि०
112. जयश्री कैमिकल्स लि०
113. कियो इन्टरनेशनल लि०
114. मालवा काटन स्पीनिंग मिल्स लि०
115. माडर्न सयूटिंग्स लि०
116. सिनटेक्स इंडिया लि०

अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना

7143. **डा० जी० एल० कनोजिया :**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना का ब्यौरा क्या है और राज्य-वार किन-किन स्थानों में विभिन्न शिल्पों के कितने केन्द्र खोले गए हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्र-वार कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान सरकार का उत्तर प्रदेश में, विशेषकर ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे और अधिक केन्द्र खोलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) विवरण एक संलग्न है।

(ग) जी हां।

(ङ) विवरण दो संलग्न है।

विवरण—एक

(क) तथा (ख) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय की प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षुता प्रशि॰क्षण योजना। विभिन्न शिल्पों में स्थापित केन्द्र तथा उनके राज्यवार स्थान एवं पिछले दो वर्षों के दौरान प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या निम्नोक्त प्रकार है :—

विभागीय प्रशिक्षण योजनाएं

योजना-1 : कालीन बुनाई

1. **उद्देश्य :**

प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य है :—

(क) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हाथ से बने कालीनों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के उद्देश्य से कालीन बुनाई के उत्पादन आधार में वृद्धि करना और उसके द्वारा

(ख) कारीगरों में रोजगार अवसरों को बढ़ाना।

2. **प्रशिक्षण केन्द्र**

योजना में संशोधित पैरामीटरों के अनुसार विभाग द्वारा चलाए जा रहे केन्द्रों द्वारा कालीन बुनाई में बुनियादी तथा उच्च प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने पर बल दिया गया है।

3. **योजना संबंधी सामान्य संशोधित पैरामीटर**

(1) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि (महीनों में)	बुनियादी	उच्च
(क) जम्मू तथा कश्मीर	18	18
(ख) शेष भारत	12	12

(2) (क) प्रति सत्र प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	30	20
(ख) करघों की संख्या	6	5
(3) प्रति पाठ्यक्रम प्रशिक्षक		
(क) प्रशिक्षक	1	2
(ख) सहायक प्रशिक्षक	2	—

(4) बुनियादी पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृति की दर प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति माह 250/- रुपए और उच्च पाठ्यक्रम के लिए 350/- रु० ।

(5) प्रशिक्षक और सहायक प्रशिक्षक के वेतन अनुमोदित वेतनमानों के अनुसार होंगे ।

(6) प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र की कच्चे माल की आवश्यकता का प्रावधान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में तैयार किया जाएगा और उसे वर्तमान मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाएगा ।

(7) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद प्रशिक्षणार्थियों को प्रति पाठ्यक्रम प्रति प्रशिक्षार्थी (वास्तविकता के अध्यधीन) 500/- रुपए से अनधिक की लागत का औजार बाक्स सप्लाई करना ताकि वे स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने में सक्षम हो सकें ।

(8) किराए का भुगतान सक्षम प्राधिकारी, अर्थात लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/जिला न्यायाधीश, जैसा मामला हो, द्वारा जारी औचित्य प्रमाणपत्र के अनुसार किया जाएगा ।

(9) बुनियादी प्रशिक्षण/उच्च प्रशिक्षण केन्द्रों, सेवा केन्द्रों, और क्षेत्र प्रशासकीय केन्द्रों के लिए स्टाफ संबंधी पैटर्न निर्धारित मानदण्डों के अनुसार होगा ।

4. प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी वित्तीय शिक्षा (इम्पलीकेशन)

(लाख रुपए में)

	जम्मू एवं कश्मीर (18 महीनों के लिए)	जम्मू एवं कश्मीर के अलावा अन्य राज्यों में (12 महीनों के लिए)
	1	2
(क) बुनियादी पाठ्यक्रम		
1. छात्रवृत्ति (रु० 250 × 30 × 12)	1.35	0.90
2. निम्नोक्त को वेतन :		
1) प्रशिक्षक एक (1200-2040 रुपए प्रतिमाह के वेतनमान में)	1.03	0.68 (अनुमानित)

	1	2
2) सहायक प्रशिक्षक दो (950-1500 रुपए के वेतनमान में)		
3. नए कालीन करघों की लागत (6 अदद में) जहां आवश्यक हो (वास्तविकता के अध्यधीन)	0.36	0.36
4. प्रशिक्षणार्थियों को औजार बक्स (500 × 30)	0.15	0.15
5. फर्नीचर, फिक्सचर, सहायक उपकरण तथा उपस्कर	0.06	0.06
योग :	2.95	2.15
(ख) उच्च पाठ्यक्रम		
1. छात्रवृत्ति (रु० 350 × 20 × 12)	1.26	0.84
2 प्रशिक्षकों का वेतन (1200-2040 रुपए प्रतिमाह के वेतनमान में)	0.84 अनुमानित	0.56
3. नए कालीन करघों की लागत (5 अदद) जहां आवश्यक हो (वास्तविकता के अध्यधीन)	0.30	0.30
4. फर्नीचर फिक्सचर सहायक उपकरण तथा उपस्कर	0.05	0.05
योग :	2.45	1.75

(ग) क्षेत्र प्रशासनिक कक्ष (वाराणसी तथा श्रीनगर), सेवा केन्द्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के संबंध में वेतन, किराया, कर आकस्मिक व्यय तथा यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता सहित वित्तीय विवक्षाएं बजट में किए गए बजट प्राक्कलनों के अनुसार होंगी।

सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांत

1. बुनियादी प्रशिक्षण से जुड़ा उच्च प्रशिक्षण

योजना को अधिक मिश्रित एवं कुशल अभिमुख बनाने के लिए दो केन्द्रों एक बुनियादी और दूसरा उच्च, को एक छत के नीचे लाकर उच्च प्रशिक्षण को बुनियादी पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है।

2. **प्रशिक्षणार्थियों का चयन**

कालीन बुनाई में बुनियादी पाठ्यक्रम के लिए उप निदेशक, क्षेत्र प्रशासनिक कक्ष अथवा क्षेत्रीय निदेशक द्वारा जैसा भी मामला हो, विधिवत अनुमोदित एक समिति द्वारा 14 वर्ष की आयु से नीचे के अभ्यर्थियों में से 30 प्रशिक्षणार्थी चुने जाएंगे।

बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद उच्च प्रशिक्षण केन्द्र में भर्ती के लिए, योग्यता के आधार पर उन प्रशिक्षणार्थियों में से केवल 20 प्रशिक्षणार्थी चुने जाएंगे, जिन्होने बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया है।

जो प्रशिक्षणार्थी लगातार एक महीने तक अनुपस्थित रहेंगे (चिकित्सा आधार पर होने को छोड़ कर) उनका स्थान योग्यता अनुसार प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाना चाहिए बशर्ते प्रशिक्षण सत्र दो महीने से अधिक पूरा न हों। ऐसी अनुपस्थिति की अवधि के लिए कोई छात्रवृत्ति देय नहीं है।

प्रशिक्षण के लिए चुने गए प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को दो पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ देना आवश्यक होगा। एक फोटोग्राफ योजना से संबधित क्षेत्र प्रशासनिक कक्ष/आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा रखा जाएगा और दूसरा सत्यापन के बाद प्रभारी प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा रखा जाएगा।

3. **प्रशिक्षण का समय**

प्रशिक्षण का समय सामान्य रूप से सप्ताह के सभी 6 कार्य दिवसों को 9 30 बजे पूर्वाह्न से 4·30 बजे अपराह्न तक होगा जिसमें एक घंटे का भोजनावकाश होगा। तथापि समय को स्थान संबंधी तथा मौसम संबंधी दशाओं जैसे कारकों को ध्यान में रखकर क्षेत्र प्रशासनिक कक्ष/क्षेत्रीय निदेशकों के अनुमोदन से पुन: निर्धारित किया जा सकता है।

4. **अवकाश/आकस्मिक छुट्टी**

(क) प्रशिक्षण केन्द्र, रविवार, दूसरे शनिवार तथा सरकारी राजपत्रित छुट्टियों को बन्द रहेंगे परन्तु प्रशिक्षणार्थियों को इन दिनों के लिए उनकी छात्रवृत्ति दी जाएगी।

(ख) प्रशिक्षार्थी एक महीने में एक दिन का आकस्मिक अवकाश प्राप्त करने के भी पात्र होंगे परन्तु प्रतिवर्ष 12 दिनों के आकस्मिक अवकाश प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। इसमें से उन्हें बिमारी अथवा परिवार में शोकावस्था आदि के मामले में एक बार में 6 दिन का आकस्मिक अवकाश लेने की अनुमति भी दी जा सकेगी। वे निर्धारित दिनों की संख्या से अधिक दिनों की अनुपस्थिति के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।

5. **प्रशिक्षण केन्द्रों का बदलाव**

कोई केन्द्र सामान्यत: एक स्थान पर लगातार पांच सत्रों से अधिक कार्य नहीं करेगा। नीति के अनुसार केन्द्र को स्टाफ तथा उपस्कर के साथ एक नए स्थान पर स्थानांतरित कर देना चाहिए।

योजना—2 : बेंत एवं बांस धातु, वस्त्र एवं काष्ठ शिल्प

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा हाथ से बने ऊनी/रेशमी कालीनों के अलावा

शिल्पों में विभाग द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नोक्त तक सीमित हैं :—

(क) बेंत एवं बांस

(ख) कलात्मक धातुपात्र

(ग) हाथ से छपे वस्त्र

(घ) काष्ठ शिल्प

1. उद्देश्य

प्रशिक्षण योजनाओं के उद्देश्य निम्नोक्त प्रकार हैं :—

1. उपरोक्त शिल्पों का उत्पादन बढ़ाना;

2 वर्तमान शिल्पकारों की कुशलता को बढ़ाना; और

3. कारीगरों के बीच रोजगार अवसरों का सृजन करना ।

2. प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या

विभिन्न शिल्पों में स्वीकृत प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या निम्नोक्त प्रकार हैं :—

क्रमांक	शिल्प का नाम	स्वीकृत केन्द्रों की संख्या	केन्द्रों की संख्या (वर्तमान)	केन्द्रों की संख्या (प्रस्तावित)
1.	वस्त्र	25	13	20
2.	धातु	23	23	23
3.	बेंत एवं बांस	35	35	35
4.	काष्ठ शिल्प	3	3	8
	योग :	86	74	86

3. योजना सम्बन्धी सामान्य संशोधित पैरामीटर

निम्नोक्त सामान्य संशोधित पैरामीटर निम्नोक्त सभी चार शिल्पों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए समान रूप से अपनाएं जाएंगे :—

1. पाठ्यक्रमों की अवधि	12 महीने
2. प्रति पाठ्यक्रम प्रशिक्षार्थियों की संख्या	25 महीनें
3. प्रति पाठ्यक्रम प्रशिक्षकों की संख्या	दो
क—प्रशिक्षक	एक
ख—सहायक प्रशिक्षक	एक
4. प्रशिक्षणार्थी छात्रवृत्ति दी दर	250/- रुपए प्रति माह प्रति पाठ्यक्रम

5. प्रशिक्षक तथा सहायक प्रशिक्षक के वेतन संशोधित वेतनमानों के अनुसार होंगे।

6. प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र की कच्चे माल की आवश्यकता का प्रावधान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में तैयार किया जाएगा। और उसे वर्तमान मानदण्डों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

7. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद प्रशिक्षणार्थियों को प्रति पाठ्यक्रम प्रति प्रशिक्षार्थी (वास्तविकता के अध्यधीन) 500/- रुपए से अनधिक की लागत का औजार बाक्स सप्लाई करना ताकि वे स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने में सक्षम हो सकें।

8. किराए का भुगतान सक्षम प्राधिकारी, अर्थात लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/जिला न्यायधीश, जैसा मामला हो, द्वारा जारी औचित्य प्रमाण पत्र के अनुसार किया जाएगा।

9. स्टाफ संबंधी पैटर्न निर्धारित मानदण्डों के अनुसार होगा।

4. **प्रति प्रशिक्षण केन्द्र संबंधी वित्तीय विवक्षाएं (इम्प्लीकेशनस) :**

(1) छात्रवृत्ति (रु० 250×25×12)	0 75 लाख रुपए
(2) निम्नोक्त को वेतन :	
क) प्रशिक्षक (एक) (1200-2040 रुपए के वेतनमान में)	0.48 लाख रुपए
ख) सहायक प्रशिक्षक (एक) (950-1500 रुपए के वेतनमा . मे)	
(3) प्रशिक्षणार्थियों को कुल औजार बक्से (रु० 500 × 25)	0.13 लाख रुपए अनुमानित
(4) फर्नीचर एवं फिक्सचर की खरीद मरम्मत सहायक उपकरण तथा उपस्कर	0.04 लाख रुपए
योग :	1 40 लाख रुपए

सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांत

1. **प्रशिक्षणार्थियों का चयन :**

(क) बेंत एवं बांस, धातु, वस्त्र तथा काष्ठ शिल्प में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों में से समिति द्वारा 25 प्रशिक्षणार्थी चुने जाएंगे जिनकी आयु 14 वर्ष से कम नहीं होगी। समिति में निम्नोक्त शामिल होंगे।

1. उस क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि|सहायक निदेशक (विपणन) एवं सेवा विस्तार केन्द्र।

2. प्रशिक्षण केन्द्र के नियंत्रक अधिकारी।

3. राज्य सरकार के प्रतिनिधि महा प्रबन्धक (डी०आई०सी/ब्लाक विकास अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षक को भी प्रशिक्षणार्थियों के चुनने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

(ख) प्रशिक्षण के लिए चुने गए प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ देना आवश्यक होगा। एक फोटोग्राफ योजना से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/आहरण तथा संवितरण अधिकारी द्वारा रखा जाएगा और दूसरा सत्यापन के बाद प्रभारी प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा रखा जाएगा।

(ग) प्रशिक्षणार्थियों की पूरी संख्या सुनिश्चित करने के विचार से योजना के आरम्भ होने के बारे में राज्य सरकार की मशीनरी द्वारा अग्रिम स्थानीय प्रचार (मुनादी) किया जाना चाहिए।

(घ) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चुने गए प्रशिक्षणार्थियों ने विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा अथवा राज्य सरकार/हस्तशिल्प निगम आदि द्वारा वित्त प्राप्त कार्यक्रम में उसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांग और अल्पसंख्यकों के अभ्यर्थियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

(च) जो प्रशिक्षणार्थी लगातार एक महीने तक अनुपस्थित रहेंगे (चिकित्सा आधार पर होने को छोड़कर) उनका स्थान योग्यता अनुसार प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाना चाहिए बशर्ते प्रशिक्षण सत्र दो महीने से अधिक पूरा न हुआ हो। ऐसी अनुपस्थिति की अवधि के लिए कोई छात्रवृत्ति देय नहीं है।

2. प्रशिक्षण का समय :

प्रशिक्षण का समय सामान्य रूप से सप्ताह के सभी 6 कार्य दिवसों को 9.30 बजे पूर्वाह्न से 4.30 बजे अपराह्न तक होगा। तथापि समय को स्थान संबंधी तथा मौसम संबंधी दशाओं जैसे कारकों को ध्यान में रखकर क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्र प्रशासनिक कक्ष के अनुमोदन से पुनःनिर्धारित किया जा सकता है।

3. अवकाश/आकस्मिक छुट्टी :

(क) प्रशिक्षण केन्द्र, रविवार, दूसरे शनिवार तथा सरकारी राजपत्रित छुट्टियों को बंद रहेंगे परन्तु प्रशिक्षणार्थियों को इन दिनों के लिए उनकी छात्रवृत्ति दी जाएगी।

(ख) प्रशिक्षणार्थी एक महीने में एक दिन का आकस्मिक अवकाश प्राप्त करने के भी पात्र होंगे परन्तु प्रतिवर्ष 12 दिनों के आकस्मिक अवकाश से अधिक प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। इसमें से उन्हें बीमारी अथवा परिवार में शोक-अवस्था आदि के मामले में एक बार में 6 दिन का आकस्मिक अवकाश लेने की अनुमति भी दी जा सकेगी। वे निर्धारित दिनों की संख्या से अधिक दिनों की अनुपस्थिति के लिए छात्र पूर्ति प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।

योजना ग : प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना

1. उद्देश्य

योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(1) शिल्पों का उत्पादन आधार बढ़ाना जिनकी बाजार में अधिक मांग है।

(2) वर्तमान शिल्पकारों के कौशल को बढ़ावा देना।

(3) गुरु शिष्य परम्परा के अन्तर्गत सिद्धहस्तशिल्पियों के कौशल को नए प्रशिक्षणार्थियों को हस्तांतरित रखना।

(4) दुर्लभ और नष्ट होने वाले शिल्पों को जीवित रखना।

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य प्रशिक्षण की गुरु शिष्य परम्परा को उच्च कौशल प्राप्त सिद्धहस्त शिल्पियों को सहायता देकर बनाए रखना है ताकि वे अपने कार्य भवन के आस-पास के समुदाय के युवकों को प्रशिक्षण दे सकें।

2. सामान्य पैरामीटर

इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण के मुख्य पैरामीटर इस प्रकार है : –

(1) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि	12 महीने
(2) प्रत्येक सत्र के लिए प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	5 से 15 शिल्प के अनुसार
(3) प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए	1 (एक)
(4) प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिए छात्रवृत्ति की दर	रु० 250/- प्रतिमास
(5) सिद्धहस्त शिल्पकारों के लिए मानदेय	रु० 1500/- प्रतिमास

(6) सिद्धहस्त शिल्पकारों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रयोग की गई कच्ची सामग्री, जो बेकार होगी, की क्षतिपूर्ति के रूप में प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति पाठ्यक्रम के लिए रु० 500/- का एकमुश्त भुगतान दिया जाएगा।

(7) एक टूल किट जिसकी कीमत 500/-रु० से अधिक न हो प्रति प्रशिक्षणार्थी पाठ्यक्रम के लिए दिया जाएगा, ताकि प्रशिक्षण अवधि पूरी होने के बाद प्रशिक्षणार्थी स्वतंत्र रूप से स्वयं कार्य कर सकें।

(8) सिद्धहस्त शिल्पकार को अपने परिसर के सामान्य परिवर्तन/रूपांतरण (यदि आवश्यक हो) करने और पानी तथा बिजली में हुई वृद्धि पर व्यय करने के लिए सहायता के रूप में 4,000/- रुपए की एक मुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा।

3. प्रशिक्षण योजना के लिए अधिकतम वित्त सहायता

(1) प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति (रु० 250 × 15 × 12)	0.45 लाख रु०
(2) सिद्धहस्त शिल्पकार को मानदेय (रु० 1500 × 12)	0.18 लाख रु०

(3) कच्ची सामग्री के लिए मुआवजा
(रु० 500×15) 7,500 रुपए — 0.15 लाख रु०

(4) प्रशिक्षार्थियों को टूलकिट
(रु० 502×15) 7,500 रुपए

(5) सिद्धहस्त शिल्पकार के परिसर में सामान्य/रूपांतरण के लिए सहायता (यदि आवश्यकता हो) और बिजली और पानी की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए — 0.04 लाख रु०

योग : 0.82 लाख रु०

4. चयन और स्वीकृति

शिल्प और सिद्धहस्त शिल्पकार के चयन के लिए एक समिति होगी। जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(1) क्षेत्रीय निदेशक

(2) संबद्ध विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र के सहायक निदेशक।

(3) राज्य सरकारों के प्रतिनिधि। (राज्य हस्तशिल्प) विकास निगम/डी० आई० सी०/कुटीर उद्योगों के निदेशक)

(4) उप निदेशक, क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्र।

उक्त समिति के सुझावों के अनुसार योजना की स्वीकृति देने के प्राधिकारी क्षेत्रीय निदेशक होंगे। फिर भी, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय का मुख्यालय विशेष मामलों में प्रशिक्षण योजनाओं को स्वीकृति देने में सीधे ही निर्णय ले सकता है।

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना की स्वीकृति के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

1. स्वीकृति प्राधिकारी

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना के मामले में स्वीकृति प्राधिकारी विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के संबंधित क्षेत्रीय निदेशक होंगे यह स्वीकृति प्रत्येक क्षेत्र की प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना के लिए किए गए बजट आवंटन के अनुसार होगी। तथापि कुछ मामलों में आवश्यकता पर निर्भर करते हुए विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय अपने स्व निर्णय से मुख्यालय से सीधे ही इस प्रकार की योजना की स्वीकृति दे सकता है। सभी क्षेत्रीय निदेशक आने वाले वित्तीय वर्ष 1990-91 से संबंधित संशोधित पैटर्न के अनुसार प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजनाओं के संचालन संबंधी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करेंगे और उसे पूर्व वित्तीय वर्ष के सितम्बर मास तक मुख्यालय को अग्रेषित कर दें ताकि मुख्यालय उसके लिए आवश्यक बजट प्रावधान कर सकें।

2. पैटर्न एवं सामान्य/वित्तीय पैरामीटर

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि, प्रशिक्षणार्थियों की संख्या प्रत्येक बैच में प्रशिक्षक सहित प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना का पैटर्न एवं अनुषंगी वित्तीय पैरामीटर को संशोधित योजना में स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया गया है।

3. शिल्प एवं सिद्धहस्त शिल्पी का चयन

शिल्पों का चयन, जिसमें प्रशिक्षण दिया जाता है तथा सिद्धहस्त शिल्पियों का चयन, चयन समिति द्वारा किया जाना है जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे।

1. अध्यक्ष के रूप में क्षेत्रीय निदेशक।
2. क्षेत्र के उपनिदेशक तथा विषणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र के सहायक निदेशक जिसके क्षेत्रधिकार में प्रशिक्षण दिया जाता है;
3. राज्य सरकार/निदेशक कुटीर उद्योग/राज्य हस्तशिल्प निगम से भी एक प्रतिनिधि सहयोजित होगा।
4. उपनिदेशक, क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्र चयन करते समय समिति को निम्नलिखित मापदण्डों का ध्यान रखना चाहिए।

   (क) सफल प्रशिक्षणार्थियों को खासकर रोजगार की संभावना को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण देने की वास्तव में आवश्यकता है।

   (ख) राज्य और केन्द्रीय सरकारों के बीच किसी खास क्षेत्र में प्रयास में न तो आवृत्ति हो और न ही विरोध।

   (ग) प्रशिक्षण देने हेतु चयन किया गया शिल्पी उच्च योग्यता का है और उसके पास प्रशिक्षक की अपेक्षित समर्पण भावना एवं अभिरुचि है।

   (घ) विषय के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम सभी प्रकार से पूर्ण है।

   (ङ) प्रशिक्षण देने के लिए चुने गए शिल्पी को तीन बैच से अधिक की योजना स्वीकार नहीं की गई है। तथापि विशेष मामलों मे समिति, लिखित रूप से कारणों को रिकार्ड करते हुए किसी सिद्धहस्त शिल्पी को तीन बैचों से अधिक के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना की स्वीकृति दे सकती है, खासकर जब कोई शिल्प बिल्कुल नष्ट हो रहा हो या समाप्त हो रहा हो और उसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता हो।

4. प्रशिक्षणार्थियों का चयन

प्रशिक्षणार्थियों का चयन सिद्धहस्त शिल्पी द्वारा क्षेत्रीय निदेशकों के परामर्श एवं अनुमोदन से किया जाएगा। ऐसा करते समय निम्नलिखित मानदण्डों का पालन किया जाना चाहिए।

(क) प्रशिक्षणार्थियों की पूर्ण संख्या सुनिश्चित करने के विचार से योजना को प्रारम्भ करने के बारे में क्षेत्र में अग्रिम स्थानीय प्रचार (मुनादी) किया गया है।

(ख) क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधि अथवा सहायक निदेशक, विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र की उपस्थिति साक्षात्कार आधार पर चयन किया गया है। परम्परागत शिल्पकारों के परिवारों से प्रशिक्षणार्थियों के चयन को वरीयता दी जानी चाहिए क्योंकि प्रशिक्षणार्थी द्वारा अपने कौशल को व्यवसाय के रूप में अपनाने की अधिक संभावना होती है।

(ग) चुने गए प्रशिक्षणार्थियों की आयु 14 वर्ष से कम नहीं है जिसे विशेष मामलों में क्षेत्रीय निदेशकों के स्व-निर्णय से कम किया जा सकता है।

(घ) चुने गए प्रशिक्षणार्थियों ने इस प्रकार का प्रशिक्षण न तो विकास आयुक्त (ह०) कार्यालय से और न ही राज्य सरकार/निगम से प्राप्त किया है।

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /पिछड़ी / जातियों विकलांगों और अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों का उचित प्रतिनिधित्व किया गया है।

(च) चयन किए गए प्रशिक्षणार्थियों की संख्या निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक नहीं है।

(छ) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना में प्रशिक्षण पाने के लिए चुने गए प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ देना होगा। फोटोग्राफ का एक सेट योजना के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/आहरण एवं वितरण अधिकारी के पास रखा जाएगा तथा दूसरा सेट सत्यापित करने बाद उस सिद्धहस्त शिल्पी के पास रखा जाएगा जिसके नियंत्रणाधीन प्रशिक्षण योजना आयोजित की जा रही है। सिद्धहस्त शिल्पी को इन फोटोग्राफ को प्रशिक्षणार्थियों की पहचान के लिए उक्त अधिकारी को दिखाना होगा जो निरीक्षण करने भुगतान करने हेतु प्रशिक्षण योजना का दौरा करेंगे।

5. **सिद्धहस्त शिल्पियों के लिए सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांत**

पहले भेजी गई शर्तों का पालन करने के अलावा प्रशिक्षण देने के लिए चुने गए सिद्धहस्त शिल्पी प्रशिक्षक को निम्नलिखित बातों का भी पालन करना होगा :—

(क) प्रशिक्षण का स्थान साफ सुथरा तथा प्रकाश की उचित व्यवस्था/जनसुविधाओं की मूलभूत सुविधायें होनी चाहिए।

(ख) उपस्थिति में समय की पाबंदी, अनुशासन इत्यादि का प्रशिक्षक और प्रशिक्षणार्थी दोनों द्वारा सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

(ग) सामान्यतः प्रशिक्षण का समय सप्ताह के 6 कार्य दिवसों के लिए 9.30 पूर्वाह्न से 4.30 अपराह्न बजे तक का होगा जिसमें एक घण्टे का भोजन अवकाश रहेगा तथापि स्थानीय एवं मौसम एवं जलवायु संबंधी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय निदेशकों के अनुमोदन से समय सारणी पुनः निर्धारित की जा सकती है।

(घ) रविवार दूसरे शनिवार एवं सरकारी राजपत्रित छुट्टियों के दिन प्रशिक्षण केन्द्र बन्द रहेगा। तथापि प्रशिक्षणार्थियों एवं सिद्धहस्त शिल्पियों को इन दिनों के लिए छात्रवृत्ति/माननदेय की अदायगी की जाएगी। प्रशिक्षणार्थी एवं सिद्धहस्त शिल्पी प्रति मास एक दिन की छुट्टी दर से या प्रतिवर्ष 12 आकस्मिक छुट्टियां प्राप्त करने के पात्र भी होंगे। इन कुल छुट्टियों में से बीमारी या किसी शोक आदि के मामले में 6 दिन की लगातार छुट्टी की भी अनुमति होगी। वे उपर्युक्त समय से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने पर छात्रवृत्ति/मानदेय के हकदार नहीं होंगे।

(ङ) ऐसे प्रशिक्षणार्थी, जो लगातार एक महीने तक अनुपस्थित रहेंगे (डाक्टरी आधार पर छुट्टी को छोड़कर) उनके स्थान पर वरीयता के आधार पर प्रतीक्षा सूची में से उम्मीदवारों को लिया जाएगा, बशर्ते प्रशिक्षण सत्र का दो मास से अधिक समय

पूरा न हुआ हो। इस प्रकार की अनुपस्थिति के लिए किसी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी।

6. **योजनाओं की प्रगति का पर्यवेक्षण एवं मानीटरिंग**

स्वीकृति देने वाले और सरकारी कार्यान्वयन प्राधिकारी होने के नाते, क्षेत्रीय निदेशकों का अपने क्षेत्र के अन्तर्गत प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना की प्रगति का पर्यवेक्षण तथा मानीटरिंग करने की विशेष जिम्मेदारी होगी। अतः वे यह सुनिश्चित करने के लिए योजना की ठोस और प्रभावी पर्यवेक्षण संबंधी प्रक्रिया तैयार करें कि :—

(क) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना की निधि संबंधी आवश्यकता को समय पर तैयार किया जाए।

(ख) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर तुरन्त कार्यवाही की गई है। 12 महीने तक चलने वाली सभी प्रशिक्षण योजनाएं यथासंभव 15 अप्रैल से आरम्भ की जाए।

(ग) शिल्प, सिद्धहस्त शिल्प एवं प्रशिक्षणार्थियों का चयन उचित और सही है।

(घ) मुख्यालय को निर्धारित प्राफार्मा में तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होती रहे, जिसमें वित्तीय, प्रगति और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अल्पसंख्यक एवं अन्य प्रशिक्षणार्थियों का ब्यौरा दिया गया हो।

इस परिपत्र में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों/मानदण्डों का सभी संबंधितों द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।

पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में स्थापित प्रशिक्षण केन्द्र, उनके शिल्पवार स्थान तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों को दर्शाने वाला विवरण।

राज्य का नाम एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	शिल्प का नाम: हाथ छपाई/ नक्काशी	कलात्मक धातु पात्र	बेंत एवं बांस	कलात्मक शाल	जरी का सामान	नकली आभूषण	काष्ठ पात्र	कशीदाकारी सामान	कालीन	विभिन्न शिल्प
1	2	3	4	5	6	7	८	9	10	11
1. उत्तर प्रदेश										
क. प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	6	17	1	1	1	—	—	1	162	10
ख. प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	215	688	36	10	10	—	—	10	5367	90
2. जम्मू एवं कश्मीर										
क. प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	1	—	—	—	1	—	1	3	175	5
ख. प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	—	—	—	—	8	—	10	30	4:94 (लगभग)	45
3. बिहार										
क. प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	2	1	2	—	—	1	2	—	30	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ख. प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	82	—	77	—	—	10	20	—	991	30
4. राजस्थान										
क. प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	3	—	—	—	—	1	1	2	13	2
ख. प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	143	—	—	—	—	10	10	20	506 (लगभग)	15
5. हरियाणा										
क. प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
ख. प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	—	—	—	—	—	—	—	—	116	—
6. पंजाब										
क. प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
ख. प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	—	—	—	—	—	—	—	—	185	—
7. पश्चिमी बंगाल										
क. प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	1	3	—	—	—	—	1	3	4	7
ख. प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	80	77	—	—	—	—	10	20	111	40
8. तमिलनाडु										
क. प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	—	1	3	2	—	—	—	1	3	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ख. प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	—	45	151	20	—	—	—	10	52	60
9. आन्ध्र प्रदेश										
क. प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	—	3	2	—	—	—	4	—	19	4
ख. प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	—	178	87	—	—	—	50	—	816	35
10. पांडिचेरी										
क. प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
ख. प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	—	—	—	—	—	—	—	—	25	28
11. कर्नाटक										
क. प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	—	—	2	—	—	—	4	1	5	3
ख. प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	—	—	89	—	—	—	60	10	290	25
12. मध्य प्रदेश										
क. प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	4	—	1	—	—	—	1	—	13	4
ख. प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	50	—	33	—	—	—	10	—	—	40
13. महाराष्ट्र										
क. प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	1	—	4	—	—	1	—	—	—	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ख. प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	—	—	162	—	—	10	—	—	—	116
14. केरल										
क. प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	—	1	4	—	—	—	4	—	—	3
ख. प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	—	45	178	—	—	—	40	—	—	30
15. मणिपुर										
क. प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
ख. प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	—	—	55	—	—	—	—	—	—	—
16. मेघालय										
क. प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
ख. प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	—	—	32	—	—	—	—	—	—	—
17. त्रिपुरा										
क. प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
ख. प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	—	—	46	—	—	—	—	—	—	—
18. गुजरात										
क. प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	—	—	2	—	—	—	—	3	—	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ख. प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	—	—	78	—	—	—	—	20	—	20
19. उड़ीसा										
क. प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	—	—	2	—	—	1	—	1	—	7
ख. प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	—		67	—	—	5	—	—	—	63
20. अण्डमान एवं निकोबार										
क. प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4
ख. प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	—	—	49	—	—	—	—	—	—	30
21. असम										
क. प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
ख. प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	—	—	170	—	—	—	—	—	—	—
22. गोवा										
क. प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3
ख. प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	—	—	—	—	—	—	—	10	—	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23. हिमाचल प्रदेश										
क, प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	—	—	—	—	—	—	1	—	3	4
ख. प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	—	—	—	—	—	—	9	—	142	40
24. दिल्ली										
क, प्रशिक्षण केन्द्रों में संख्या	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
ख. प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20

विवरण-दो

(घ) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण केन्द्र भ्रमणशील प्रकृति के हैं तथा क्षेत्र की प्रशिक्षण आवश्यकतायें पूरी होने पर अथवा प्रशिक्षणार्थियों की संख्या कम होने पर तथा उनकी कुल संख्या में बढ़ोतरी की संभावना न होने पर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तथापि, चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में खासकर ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में निम्नोक्त प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश के गढ़वाल पर्वतीय क्षेत्र की विभागीय कालीन बुनाई योजना के विस्तार के रूप में एक कालीन सेवा केन्द्र पहले भी देहरादून में प्रशिक्षण केन्द्रों के साथ स्थापित किया गया है। बरेली का बरेली कालीन सेवा केन्द्र कुमाऊं पर्वतीय क्षेत्र में योजना को कार्यान्वित करने के लिए जारी रहेगा।

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के अनुदानों के अधीन आवश्यकताओं एवं उपयुक्त प्रशिक्षकों की उपलब्धताओं के अनुसार प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना चलाने के लिए ऐसी प्रशिक्षण योजनाओं को गुरु शिष्य परम्परा पर उत्तर प्रदेश में, राज्य की ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्र की योजनाओं सहित, अनुमोदन जारी रहेगा। पपली काष्ठ शिल्प में लगभग 20 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए उत्तर काशी तथा पौढ़ी गढ़वाल में दो प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजनायें आरम्भ करने की संभावना है तथा एक अन्य प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना कलात्मक धातु पात्र में 10 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए अल्मोड़ा में भी परिचालित होगी।

जनता की गारंटी पर विदेशी ऋण

71:4. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता की गारंटी पर 30 जून, 1991 तक भारत पर कितना विदेशी ऋण है;

(ख) जनता की गारंटी पर विदेशी ऋण के हिस्से के रूप में गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने प्रतिशत वाणिज्यिक अथवा गैर-रियायती ऋण हैं;

(ग) इस वाणिज्यिक ऋण पर वर्षवार किस औसत दर से ब्याज का भुगतान किया गया है; और

(घ) 30 जून, 1991 तक इस प्रकार ब्याज सहित कुल कितना ऋण दिया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध अद्यतन अनुमानों के अनुसार भारत के मध्यम और दीर्घ अवधि विदेशी ऋणों की स्थिति इस प्रकार से है :

	(करोड़ों रुपए में)
1. सरकारी खाता	66044
2. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	4389
3. गैर-सरकारी खाता	2346
4. वाणिज्यिक ऋण	26706
कुल जोड़ :	99485

उपर्युक्त (1) और (2) पर उल्लिखित ऋण स्वयं सरकार के द्वारा लिए गए हैं। इस लिए इस संबंध में गारंटी का प्रश्न ही नहीं उठता है। साधारणतया गैर-सरकारी खाता ऋणों (अर्थात् गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय स्रोतों से प्राप्त ऋणों) के लिए गारंटी की आवश्यकता पड़ती है। वाणिज्यिक ऋणों के लिए जिनमें उधार बांड और निर्यात क्रेडिट शामिल हैं, सरकारी प्रत्याभूत ऋण का बकाया हिस्सा 18,724 करोड़ रुपए के होने का अनुमान था। गैर-सरकारी खाता ऋणों में इसे जोड़ने पर सरकारी प्रत्याभूत ऋण 31.3.91 की स्थिति के अनुसार 21070 करोड़ रुपए के हो सकते हैं।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त स्पष्टीकरण के आधार पर सरकारी प्रत्याभूत कुल विदेशी ऋणों की तुलना में सरकारी प्रत्याभूत वाणिज्यक ऋणों का प्रतिशत अनुपात और ऐसे ऋणों पर अदा किए गए ब्याज की दर निम्न प्रकार से है :—

वित्तीय वर्ष	प्रतिशत अनुपात हिस्सा	औसत ब्याज प्रतिशत
1988-89	91.3	7.7
1989-90	90.7	8.3
1990-91	88.9	8.1

(घ) 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार, बकाया कुल सरकारी प्रत्याभूत वाणिज्यिक ऋण 18,724 करोड़ के होने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान (मार्च, 1991 की औसत विनिमय दरों के हिसाब से) देय ब्याज 1392 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

राजीव गांधी फाउन्डेशन

7145. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजीव गांधी फाउन्डेशन का गठन केन्द्रीय सरकार के किसी संकल्प अथवा अधिसूचना द्वारा किया गया था;

(ख) यदि नहीं, तो इस फाउन्डेशन के समर्थकों न्यासियों/पदाधिकारियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या यह एक पंजीकृत न्यास अथवा समिति है और यदि हां, तो यह किस तारीख को और किस स्थान पर पंजीकृत किया गया तथा इसका कार्यालय किस स्थान पर स्थित है;

(घ) इसके न्यास विलेख अथवा संविधान अथवा संगम ज्ञापन में अन्तर्निहित उद्देश्यों एवं प्रस्तावित कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि यह एक निजी न्यास है, तो संग्रह अथवा दान किए गए न्यास के मुख्य वाङ्मय क्या हैं तथा किनके द्वारा दान किया गया है और यदि धनराशि के वितरण हेतु कोई नियम बनाए गए हैं, तो वे क्या हैं;

(च) क्या सरकार ने इस फाउन्डेशन को मिलने वाले अनुदानों एवं दानों को आयकर तथा अन्य करों से छूट प्रदान की है और इसे अन्य क्या रियायतें दी गई हैं;

(छ) क्या फाउन्डेशन ने अनुदानों अथवा सहायता राशि के लिए सरकार से सम्पर्क किया था; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस फाउन्डेशन के न्यासियों के नाम ये हैं :—

डा० शंकर दयाल शर्मा

श्रीमती सोनिया गांधी

श्री राहुल गांधी

कु० प्रियंका गांधी

श्री अमिताभ बच्चन

श्री सुमन दूबे

श्री एन० के० शेषन

श्री सुनील नेहरू

(ग) यह एक पंजीकृत न्यास है तथा सब-रजिस्ट्रार, नई दिल्ली के पास इसका पंजीकरण नई दिल्ली में दिनांक 21 जून, 1991 को करवाया गया था। इसका कार्यालय 1, अकबर रोड, नई दिल्ली में स्थित है।

(घ) इस फाउन्डेशन के उद्देश्य तथा प्रयोजन ये हैं—कार्यक्रमों, परियोजनाओं तथा पुरस्कारों को आरम्भ करना तथा जनसाधारण की, विशेष रूप से निर्धन तथा वंचित लोगों की सेवा के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान करना; अपने स्वयं के अथवा अन्य अभिकरणों के तत्त्वावधान में कार्यक्रमों, परियोजनाओं तथा पुरस्कारों के माध्यम से साक्षरता के प्रचार-प्रसार का कार्य करना; विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के संवर्द्धन, विश्व अर्थ-व्यवस्था में भारत की भूमिका, पर्यावरण की सुरक्षा, साम्प्रदायिक सद्भावना तथा राष्ट्रीय एकता, शोषितों, महिलाओं तथा विकलागों के उत्थान सहित इक्कीसवीं शताब्दी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तथा प्रशासन और लोक संस्थानों में सुधार करने और उन्हें सशक्त बनाने हेतु कार्यक्रमों तथा अनुसंधान कार्यों का सृजन करना तथा विचारों का प्रचार-प्रसार करना; वृद्ध व्यक्तियों, साधनहीन तथा शोषित व्यक्तियों, विकलांगों, महिलाओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य तथा उनकी देखभाल के लिए विशेष कार्यक्रम आरम्भ करना और युवकों-युवतियों के लिए रोजगार सृजित करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना; और विमानन के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए पुरस्कारों की स्थापना करना तथा उच्च मानकों का प्रचार-प्रसार करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों को कार्यान्वित करते समय जाति, धर्म, वर्ण, पन्थ, सम्प्रदाय अथवा लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

(ङ) यह फाउंडेशन निजी न्यास है।

(च) इस फाउन्डेशन को आयकर अधिनियम की धारा 80-छ के प्रयोजनार्थ एक धर्मार्थ संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है। इसे आयकर अधिनियम की धारा 35(1)(ii) के अधीन एक

वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था के रूप में भी अनुमोदित किया गया है, जिसको दिए गए दान आयकर अधिनियम की धारा 80-छ छ के अधीन कटौती पाने के पात्र हैं।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीलंका में मारे गए सैनिक

7146. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :**

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका में भारतीय शांति सेना को वापस बुलाए जाने तक लिट्टे उग्रवादियों के साथ भारतीय शांति सेना की कार्यवाही में कितने भारतीय सैनिक/अधिकारी मारे गए हैं;

(ख) इस कार्यवाही में कितने सैनिक घायल हुए तथा इनमें से कितने सैनिक गम्भीर रूप से घायल हुए हैं और कितने विकलांग हो गए हैं;

(ग) लिट्टे ने भारतीय शान्ति सेना के कितने सैनिकों को बंदी बना लिया था और इनमें से कितने सैनिकों को मुक्त कर दिया गया है, वापस सौंप दिया गया अथवा कितने सैनिक अभी भी उनके अधिकार में हैं या लापता हैं;

(घ) भारतीय शांति सेना की कार्यवाही पर कितना व्यय हुआ है; और

(ङ) इस कार्यवाही में लिट्टे के कितने उग्रवादियों अथवा उनके सिविलियन समर्थकों के मारे जाने, घायल होने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) भारतीय शान्ति सेना की कारंवाई के दौरान मारे गए तथा घायल हुए रक्षा सेना कार्मिकों की संख्या इस प्रकार है :—

	मारे गए	घायल हुए
(1) अफसर	55	162
(2) जे०सी०ओ०	77	192
(3) अन्य रैंक	1033	2657

(ग) इस कारंवाई के दौरान, लापता हुए कार्मिकों के बारे में सूचना समय-समय पर प्राप्त की जाती थी। जब किसी कार्मिक के बारे में उसके लापता हो जाने की सूचना मिलती है तो ऐसे कार्मिक का पता लगाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाती है। यदि छः महीने तक उस कार्मिक का पता नहीं चलता तो उसे मृत मान लिया जाता है। इस श्रेणी के 28 लापता अन्य रैंकों को मृत मान लिया गया है।

(घ) भारतीय शांति सेना की कारंवाई के दौरान हुए कुल खर्च का प्रमाणित लेखा-जोखा अभी तक अलग से तैयार नहीं किया गया है।

(ङ) इस कारंवाई के दौरान लिट्टे के हताहत हुए व्यक्तियों के बारे में विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं हैं।

प्रमुख वस्तुओं का आयात

7147. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 1987-88, 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान प्रमुख वस्तुओं के आयात की गन्तव्य स्थल-वार पद्धति का ब्योरा क्या है और विभिन्न देशों से प्रमुख वस्तुओं का कुल कितने मूल्य का आयात हुआ;

(ख) क्या इन वर्षों के दौरान प्रमुख वस्तुओं के आयातों से संबंधित स्रोत-पैटर्न में निर्णायक रूप में कोई बदलाव आया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) वर्ष 1987-88 से 1990-91 के दौरान प्रमुख गन्तव्य स्थानों से प्रमुख वस्तुओं के भारत के आयात को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। इस अवधि में प्रमुख आयातों के स्त्रोत स्वरूप (स्रोत पैटर्न) में कोई अधिक बदलाव नहीं आया है।

विवरण

(मूल्य : करोड़ रुपए)

प्रमुख देशों से आयात की प्रमुख वस्तुएं/मदें	1987-88	1988-89	1989-90 (अ)	1990-91 (अ)
1	2	3	4	5
मशीनरी	2614	2655	3213	3840
जर्मनी	585	518	635	824
संयुक्त राज्य अमरीका	494	535	647	700
जापान	446	427	472	586
इंग्लैण्ड	244	277	291	337
इटली	136	122	155	252
सिंगापुर	79	117	206	190
फ्रांस	133	116	145	155
स्विटजरलैंड	62	73	84	114
मोती, मूल्यवान तथा अर्द्ध-मूल्यवान रत्न	2018	2866	4242	3732
बैल्जियम	1110	1596	2285	2283
इंग्लैण्ड	701	922	1612	1122
इजराइल	85	164	177	132
संयुक्त राज्य अमरीका	30	51	87	101
स्विटजरलैंड	2	6	13	19
हांग कांग	11	11	30	18

1	2	3	4	5
लोह और इस्पात	1236	1751	2019	1984
जर्मनी	270	453	561	469
जापान	325	399	434	426
ब्राजील	27	75	55	146
संयुक्त राज्य अमरीका	21	71	138	117
इंग्लैंड	130	151	142	116
फ्रांस	85	118	100	13
कोरिया गणराज्य	46	58	69	92
विद्युतीय मशीनरी	1093	1598	1922	1741
जापान	266	440	580	426
संयुक्त राज्य अमरीका	147	204	300	320
जर्मनी	145	156	197	206
सिंगापुर	101	161	162	153
इंग्लैंड	79	84	98	113
फ्रांस	51	114	108	80
चीन ताईपेई	24	39	56	65
परिवहन उपकरण	760	706	1526	1638
जापान	247	310	67	476
फ्रांस	133	64	811	383
आस्ट्रेलिया	5	8	6	165
संयुक्त राज्य अमरीका	23	99	146	150
सिंगापुर	20	17	21	139

1	2	3	4	5
नीदरलैंड्स	17	46	5	69
इंग्लैंड	68	64	60	59
जर्मनी	60	49	50	53
इटली	20	16	16	25
कार्बनिक रसायन	876	1119	1348	1600
संयुक्त राज्य अमरीका	100	150	204	278
जर्मनी	121	179	193	225
नीदरलैंड्स	62	114	146	179
जापान	57	104	138	174
इटली	60	69	89	90
बेल्जियम	45	63	57	84
इंग्लैंड	57	37	47	84
सऊदी अरब	19	144	80	73

[हिन्दी]

सड़क दुर्घटनाओं के शिकार हुए लोगों को मुआवजा

7148. **श्री सूर्य नारायण यादव :**

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "हिट एंड रन" मामलों में मुआवजे की राशि को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दुर्घटनाओं के शिकार हुए लोगों या उनके आश्रितों को तब तक मुआवजा नहीं मिलता है जब तक कि दुर्घटना में शामिल वाहन को पकड़ नहीं लिया जाता; और

(घ) यदि हां, ऐसे मामलों में पूरा मुआवजा न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी हां। बढ़े हुए मुआवजे के प्रश्न पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मोटर दुर्घटना दावे

7149. **श्री सूर्य नारायण यादव :**

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अगस्त, 1991 तक मोटर दुर्घटनाओं से संबंधित लंबित पड़े दावों की संख्या कितनी है;

(ख) इन दावों को निपटाने में देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) इन मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) विलम्ब के कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. अपर्याप्त कर्मचारी।
2. न्यायालय की जटिल प्रक्रियाएं।
3. प्रतिवादियों को नोटिस जारी करना।
4. प्रतिवादियों द्वारा लिखित विवरण भरना।
5. अधिकरण/याचिका दायरकर्ताओं द्वारा मामले तैयार करना।

6. गवाहों की परीक्षा करना और

7. अधिकरण द्वारा साक्ष्य को रिकार्ड करना।

(घ) राज्य सरकारों और राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों को दावों के मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करने हेतु कहा गया है।

[अनुवाद]

मादक द्रव्यों के संकट पर नियंत्रण के उपाय

7150. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मादक द्रव्यों संबंधी विधायी उपाय उनके संकट से निपटने में नाकाम रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो कानून को और अधिक कठोर बनाने तथा वर्तमान प्रवर्तन-तंत्र को और अधिक चुस्त बनाने के लिए सरकार का क्या प्रभावी कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) भारत में हाल ही के वर्षों में शुरू किए गए विभिन्न नये तथा कठोर विधायी उपाय, भारत के भीतर तथा पारगमन से स्वापक औषध के अवैध व्यापार को निरुत्साहित करने के लिए, प्रभावी हुए हैं। इनमें, 10 से 30 वर्षों की कड़ी सजा, कुछ मामलों में दोबारा अपराध करने पर मृत्यु दण्ड, स्वापक औषध के अवैध व्यापार को गैर-जमानती अपराध बनाना, ऐसे अपराधों के शीघ्र निपटान हेतु विशेष अदालतों में मुकदमा चलाना, तथा अवैध व्यापारियों को स्वापक औषध के अवैध व्यापार से प्राप्त की गई सम्पति तथा वित्तीय परिसम्पत्तियों को अनुपलभ्य तथा जब्त करना, जैसे उपाय शामिल हैं। देश में विभिन्न प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा किए गए विधायी उपाय तथा उनके साथ बहुआयामी प्रवर्तन संचालन स्वापक औषध के संकट को सुलझाने में प्रभावी सिद्ध हुए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 की मरम्मत

7151. श्री टी० जे० अंजलोज :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलेप्पी से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 बाढ़ से कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस राजमार्ग की मरम्मत के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) मरम्मत कार्य कब तक पूरा हो जाने की सभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव एक सतत् प्रक्रिया है और राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में रखने हेतु राज्य लोक निर्माण विभाग सभी तरह की आवश्यक मरम्मत करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

किसी विदेशी के साथ विवाह करने के लिए विधान

7152. **श्री वी० एस० विजयराघवन :**

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विदेशी से विवाह करने के लिए सरकार की पूर्वानुमति लेना अनिवार्य बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार का कोई विधान लाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान में नागरिकों के किसी वर्ग अथवा सरकारी कर्मचारियों के संबंध में ऐसी कोई पाबंदी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) वर्ष 1986 में यथा संशोधित भारतीय विदेश सेवा (आचरण और अनुशासन) नियम, 1961 के नियम 8 में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध है कि भारतीय विदेश सेवा का कोई सदस्य सरकार की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना भारतीय नागरिक से भिन्न किसी व्यक्ति से विवाह नहीं करेगा।

भारतीयों तथा सऊदियों के मध्य शादियां

7153. **श्री मोरेश्वर सावे :**

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सऊदी दूतावास ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया था कि वह निकाह कराने वाली मुस्लिम संस्थाओं तथा केन्द्रों को भारतीयों तथा सऊदियों के मध्य शादियों के करारों की पुष्टि उनके दूतावास की अनुमति लिए बिना न करने के लिए कहें; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी हां।

(ख) दूतावास के उक्त पत्र में यह कहा गया है कि सऊदी राष्ट्रिकों और भारतीय राष्ट्रिकों के बीच विवाह के मामले में, इस दृष्टि से कि दोनों पक्षकारों के हितों की रक्षा हो सके, विवाह अनुष्ठापित करने के लिए प्राधिकृत मुस्लिम संस्थाओं और केन्द्रों को ऐसे मामलों में यह सलाह दी जा सकती ? कि वे ऐसी विवाह संविदा की, जिसमें एक पक्षकार सऊदी राष्ट्रिक है, तब तक पुष्टि न करें जब तक कि वे नई दिल्ली स्थित सऊदी अरेबिया के रायल दूतावास की लिखित अनुज्ञा प्रस्तुत नहीं कर देते।

किसी अरब के साथ भारतीय महिलाओं के विवाह के मामले में कार्रवाई करने के लिए सरकार द्वारा जो अनुदेश दिए गए हैं वे पासपोर्ट निर्देशिका में वर्णित हैं। ये अनुदेश निम्नलिखित हैं :—

"अनेक मुस्लिम महिलायें अरबों से विवाह करती हैं। कुछ मामलों में विदेश में हो रहे उनके शोषण की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। यद्यपि यह संभव नहीं है कि किसी व्यस्क को, जो अपनी विधि के अनुसार विवाहित हैं, पासपोर्ट संबंधी सुविधायें देने से इंकार किया जाए, तथापि यह आवश्यक है कि उनके हितों की सुरक्षा की जाए। पासपोर्ट प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसी महिलाओं को पासपोर्ट देने से पहले सम्यक् पूर्वावधानियां बरतें, अर्थात्, अपना पूर्ण समाधान कर लेने तथा विहित प्रक्रिया के अनुसार हमारे मिशनों से सिफारिशें प्राप्त करने के पश्चात् ही उन्हें पासपोर्ट जारी करें। पासपोर्ट प्राधिकारियों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे ऐसी महिलाओं को दो वर्ष की सीमित विधिमान्यता पासपोर्ट जारी करें और उस पासपोर्ट की विशिष्टियों की सूचना संबद्ध भारतीय मिशन को भेजें जिससे कि वह तत्पश्चात् ऐसी महिलाओं के कल्याण की देखभाल कर सके। कांसलीय आफिसर अपना समाधान कर लेने और मूल पासपोर्ट प्राधिकारी से अनापत्ति प्राप्त कर लेने के पश्चात् ही पासपोर्ट को किसी और निर्बन्धित/प्रसामान्य अवधि के लिए नवीकृत कर सकते हैं।"

उपरोक्त के अतिरिक्त सरकार इस विषय पर भी विचार कर रही है कि इस स्थिति से सर्वोत्तम रीति में विधितः किस प्रकार निपटा जाए।

[हिन्दी]

बिहार में विकास कार्यों पर बैंकों में जमा राशियों का उपयोग

7154. **श्री राम टहल चौधरी :**

श्री नवल किशोर राय :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं हैं और उनमें कुल कितनी धनराशि जमा है;

(ख) बिहार में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रति व्यक्ति कितना पूंजी निवेश किया गया है और अन्य राज्यों की तुलना में वह कितना है; और

(ग) बिहार में बैंकों में जमा कुल धनराशि का कितना प्रतिशत भाग विकास कार्यों में लगाया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जून 1991 की स्थिति के अनुसार बिहार में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 2953 शाखाएं कार्यरत थीं। दिसम्बर, 1990 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बिहार में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल जमा रकमें 8150 करोड़ रुपए थीं।

(ख) दिसम्बर 1990 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार बिहार में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का प्रति व्यक्ति कुल ऋण संवितरण 488 रुपए था। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक

बैंकों का बिहार तथा अन्य राज्यों में प्रति व्यक्ति ऋण संवितरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) क्षेत्रवार ऋण संवितरण के लिए जमा राशियों के उपयोग की संकल्पना प्रासंगिक नहीं है। मार्च 1991 के अन्त की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बिहार में जमा राशियां, ऋण और ऋण जमा अनुपात नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपए)

जमा राशियां	ऋण	ऋण जमा अनुपात
9332	3698	39.6

विवरण

दिसम्बर, 1990 को अन्त की स्थिति के अनुसार बिहार तथा अन्य राज्यों में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रति व्यक्ति ऋण संवितरण राशि को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	राशि-रुपए
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1588
2.	असम	542
3.	बिहार	488
4.	गुजरात	1846
5.	हरियाणा	1715
6.	हिमाचल प्रदेश	1132
7.	जम्मू व कश्मीर	1274
8.	कर्नाटक	2072
9.	केरल	1693
10.	मध्य प्रदेश	931
11.	महाराष्ट्र	4353
12.	मणिपुर	489
13.	मेघालय	537
14.	नागालैंड	1154
15.	उड़ीसा	759
16.	पंजाब	2508
17.	राजस्थान	843
18.	सिक्किम	745

1	2	3
19.	तमिलनाडु	2556
20.	त्रिपुरा	?85
21.	उत्तर प्रदेश	775
22.	पश्चिम बंगाल	1746
23.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1786
24.	अरुणाचल प्रदेश	395
25.	गोवा	4551
26.	मिजोरम	587

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाली गई रकम की वसूली

7155. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों की बट्टे खाते डाली गई रकम की वसूली हेतु विशेष न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो बैंकों की बकाया रकम वसूल करने हेतु अन्य किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों के पुनरुद्धार के सम्बन्ध में बैंकों तथा वितीय संस्थाओं के सामने आई कानूनी तथा अन्य कठिनाइयों की जांच करने वाली समिति (तिवारी समिति) ने देय रकमों की वसूली के मामले पर भी विचार किया था। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को देय रकमों की वसूली से सम्बन्धित सभी मामलों पर निर्णय देने के लिए विशेष न्यायाधिकरण स्थापित करने की सिफारिश की थी। इस समय बैंक और वित्तीय संस्थाएं अतिदेय रकमों की वसूली के लिए कई प्रकार के उपाय कर कर रही हैं। इनमें संबंधित एककों के साथ वसूली के मामले में तथा साथ ही साथ उनके गारंटीकर्ताओं के साथ गारंटी संबंधी बाध्यताओं को पूरा करने के वास्ते कारंवाई शामिल है। पात्र मामलों में ऋणों के पुनर्निधारण का भी सहारा लिया जाता है। कुछ गैर अर्थक्षम एककों के मामले में संस्थाएं एकबारगी समझौते का सहारा लेती है। उन आपवादिक मामलों में जिनमें सभी उपाय असफल हो जाते हैं, बैंक तथा वितीय संस्थायें अपने ऋण वापस मांगती है और वसूली संबंधी मुकदमे दायर कर देती है।

अति लघु क्षेत्र की इकाईयों के लिए निवेश सीमा

7156. **श्री मोहन सिंह :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अति लघु इकाईयों के लिए निवेश सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है जिसमें मियादी ऋण और कार्यकारी पूंजी शामिल हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या अति लघु क्षेत्र के लिए निवेश सीमा में वृद्धि को देखते हुए वाणिज्यिक बैंक अति लघु क्षेत्र के लिए मियादी ऋण और कार्यकारी पूंजी हेतु सहायता की मात्रा में वृद्धि करने के लिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से शत प्रतिशत पुनर्वित्त के पात्र होंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने सूचित किया है कि लघु, अति लघु और ग्रामीण उद्यमों के नवीनतम नीति उपायों के अन्तर्गत अति लघु उद्यमों के सम्बन्ध मे संयंत्र और मशीनरी में निवेश की सीमा को, अन्य बातों के साथ-साथ, एकक की अवस्थिति पर ध्यान दिए बगैर 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। यह सीमा केवल संयंत्र और मशीनरी में निवेश के लिए ही है और इसमें कार्यशील पूंजी शामिल नहीं है।

(ग) और (घ) लघु उद्योग क्षेत्र में अति लघु और लघु परियोजनाओं को सहायता के प्रवाह में तीव्रता लाने के विचार से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान किए गए 5 लाख रुपए तक और उसके समेत प्रति एकक सावधि ऋणों के लिए अपनी पुनर्वित्त योजना को उदार बनाकर 1 जनवरी, 1991 से पुनर्वित्त को शत-प्रतिशत कर दिया है। बहरहाल, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मंजूर की गई कार्यशील पूंजी अल्पावधि अग्रिमों के रूप में होगी और इस प्रकार वह पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत शामिल नहीं होगी।

केरल राज्य सड़क परिवहन निगम में रेलवे की शेयर पूंजी

7157. **श्री कोड्डीकुनील सुरेश** :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल राज्य सड़क परिवहन निगम में रेलवे की शेयर पूंजी के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध मे केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस योजना के अन्तर्गत रेलवे द्वारा केरल राज्य सड़क परिवहन निगम को कितनी धनराशि दी गई है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लौह अयस्क का निर्यात

7158. **श्री सत्यनारायण जटिया** :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लौह और अन्य धातुओं के निर्यात के अयस्कों के बारे में वर्तमान नीति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक देश को विभिन्न अयस्कों की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया और इसका मूल्य कितना था;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान निर्यात नीति में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) लौह तथा अन्य धातु अयस्कों (क्रोम अयस्क, मैंगनीज अयस्क और बाक्साईट) के निर्यात संबंधी वर्तमान नीति और पिछले तीन वर्षों के दौरान देशवार निर्यात की मात्रा तथा उसके मूल्य को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

लौह अयस्क

गोआ और रेडी मूल के लौह अयस्क को छोड़कर लौह अयस्क का निर्यात भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि० (एम० एम० टी० सी०) के जरिए सरणीबद्ध किया जाता है। गोआ मूल के लौह अयस्क का निर्यात जापान, दक्षिण कोरिया, ताई वान, चीन और यूरोप के बाजारों को सीधे करने की अनुमति है बशर्ते कि निविदाओं का पंजीकरण गोआ मिनरल और एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन में कराया गया है। रेडी मूल के लौह अयस्क के लिए भी अब सीधे निर्यात की ही अनुमति है बशर्ते कि संविदाओं का पंजीकरण गोआ खनिज अयस्क निर्यात संघ में करवाया गया हो। कुद्रेमुख आयरन आर कम्पनी लि० को (के० आई० ओ० सी० एल०) अपने उत्पादों अर्थात लौह अयस्क सान्द्रण और पैलेट्स को सभी बाजारों को सीधा निर्यात करने की अनुमति है।

मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क

क्रोम अयस्क और सान्द्रण, अर्थात (1) 38% से कम $cr_2\ o_3$ सहित निम्न के सहित क्रोम अयस्क लम्प्स और (2) 52% से कम $cr_2\ o_3$ सिलिका फाएबल/परिष्कृत अयस्क और 4% से अधिक सिलिका को एम० एम० टी० सी० के माध्यम से सरणीकृत किया जाता है। 46% से अधिक मैंगनीज अयस्क सहित लम्पी/ब्लैंडेड मैंगनीज अयस्क को छोड़कर मैंगनीज अयस्क को एम० एम० टी० सी० के माध्यम से सरणीकृत किया जाता है।

निर्यात हेतु अनुमति दिए जाने के लिए इन अयस्कों की उपयुक्त मात्रा तथा ग्रेड का निर्णय प्रत्येक लाइसेंस वर्ष में इस्पात विभाग के साथ परामर्श करके लिया जाता है।

बाक्साइट

पश्चिमी तट मूल का 54% से कम अलूमीना अंश $Al_2\ O_3$ सहित निम्न श्रेणी का बाक्साइट 14 अगस्त, 1991 से अ-सरणीकृत माना गया है। कैलसाइन्ट बाक्साइट को छोड़कर बाक्साइट की अन्य सभी श्रेणियां एम० एम० टी० सी० के माध्यम से सरणीकृत की जाती हैं। कैलसाइन्ड बाक्साइट के निर्यात पर पाबन्दी है।

निर्यात की अनुमति दिए जाने के लिए इस ग्रेड की उपयुक्त मात्रा और श्रेणी का निर्यात प्रत्येक लाइसेंस वर्ष में खान विभाग के साथ परामर्श करके लिया जाता है।

मात्रा : मिलियन मी० टन

मूल्य : करोड़ रु०

मैगनीज अयस्क

भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि० (एम० एम० टी० सी०)

देश	1988-89		1989-90		1990-91 (अ.)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
जापान	0.66	2.65	0 52	2.90	0.46	4.74
दक्षिण कोरिया	1.46	6.06	1.08	9.96	1.16	14.70
रोमानिया	0.26	1.62	0.82	10.97	0 00	0.00
पाकिस्तान	0.25	1.04	0 41	3.14	0.29	3.47
चैकोस्लोवाकिया	0.00	0 00	0.17	2.13	0.00	0 00
स्विटजरलैंड	0.17	0 92	0.32	2.75	0.73	10.02
हालैंड	0.00	0.00	0.16	1.58	0.00	0.00
ताईवान	0.00	0 00	0 22	3.02	0.00	0.00
पश्चिम जर्मनी	0.00	0 00	0.14	1.53	0.00	0.00
पोलैंड	0 00	0 00	0.00	0.00	0.31	8.27
डी०पी०आर०के०	0.14	0.82	0 00	0.00	0.00	0.00
	2.94	13.11	3.84	38.03	2 95	41.20

क्रोम अयस्क

जापान	1.65	18.58	0.44	10.09	0.00	0.00
चीन	2.23	29.24	1.89	45 63	1.78	33.66
फिलीपीन	0.89	11.54	0.16	3.72	0.15	3.01
ताईवान	0.09	0.71	0.10	1.63	0.00	0.00
डी०पी०आर०के०	0.00	0.00	0.13	3.62	0.00	0 00
स्वीडन	0.27	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
रोमानिया	0.00	0.00	0.20	2.56	0.00	0.00
नार्वे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	6.43
जोड़	5.13	62.71	2.92	67.35	2.28	43.10
बाक्साइट						
मध्य पूर्व	1.99	3.14	2.01	3.90	2.33	5.13
बंगलादेश	0.00	0.00	0.02	0.15	0.00	0 00
रोमानिया	0.22	0.37	1.35	2.33	0.00	0.00
नाइजीरिया	0.06	0 24	0 00	0.00	0.00	0.00
केन्या	0.00	0.00	0.05	0.14	0.00	0 00
स्विटजर लैंड	0.00	0.00	0 00	0.00	0.23	1.56
संयुक्त राज्य अमेरिका	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	2.23
जोड़	2.27	3.75	3.43	6.52	2.86	8.92

(अ) अन्तिम

देशवार निर्यात

मात्रा : मि॰मी॰ टन
मूल्य : करोड़ रुपए

लौह अयस्क

भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि॰ (एम॰ एम॰ टी॰ सी॰)

देश	1988-89		1989-90		1990-91 (अ)	
	मा॰	मू॰	मा॰	मू॰	मा॰	मू॰
जापान	10.49	247.25	10.08	333.11	8.60	337.92
कोरिया गण॰	3.11	71.53	2.91	71.31	3.07	119.14
पाकिस्तान	0 34	6.93	0.39	10.12	0.41	13.52
रूमानिया	2.36	29.61	2.32	35.74	1.05	20.47
जर्मन जनवादी गण राज्य	0.61	11.29	0.70	18.75	0.10	3.57
अन्य	0.74	14.66	1.12	27.70	0.99	29 89
जोड़	17.64	381.27	17.52	496.73	14.22	324.51

गोवा के निर्यातकों द्वारा

देश	1988-89		1989-90		1990-91 (अ)	
	मा०	मू०	मा०	मू०	मा०	मू०
जापान	8.33	133.28	7.87	162.36	9.33	241.36
पश्चिम यूरोप	1.67	22.78	2.12	35.56	1.85	44.73
दक्षिण कोरिया	0.99	16.87	0.61	12.96	0.82	22.63
ताइवान	—	—	0.04	0.80	—	—
जोड़	10.99	172.93	10 64	211.68	12.00	3.0872

कुद्रेमुख आयरन ओर कं० लि० (के० आई० ओ० सी० एल०) द्वारा

देश	1988-89		1989-90		1990-91 (अ)	
	मात्रा	मू०	मात्रा	मू०	मात्रा	मू०
जापान	2.367		2.820		3.38	
बहरीन	0.128		0.457		0.14	
चेकोस्लोवाकिया	0.149		0.168		0.20	
हंगरी	0.594		0.531		0.49	
टर्की	0 357		0.325		0.38	
अन्य	1.080		1.050		1.15	
जोड़	4.675	116.39	5.356	174.40	5.74	228.49

(अ) अनंतिम

बंगलादेश को काले रंग के पत्थरों का निर्यात

7159. **श्री साईमन मरांडी :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987-89 के दौरान पाकुर, बिहार की खानों से काले रंग के पत्थरों का निर्यात किया गया था;

(ख) यदि हां, तो पाकुर और संथाल परगना के निकटवर्ती क्षेत्रों की खानों के क्या नाम हैं तथा इससे कितनी मात्रा में काले रंग के पत्थर का निर्यात किया गया;

(ग) उन खान-मालिकों का ब्योरा क्या है जिन्हें भुगतान किया गया तथा कितनी धनराशि का;

(घ) क्या सरकार ने काले रंग के पत्थरों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो काले रंग के पत्थरों की इन खानों के क्या नाम हैं जिनसे वर्ष 1991-92 के दौरान सरकार का पत्थरों के निर्यात का विचार है, इन्हें कितनी मात्रा में निर्यात किया जाएगा तथा इससे कितनी आय होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के वर्गीकरण के अनुसार काले रंग के पत्थर के सम्बन्ध में निर्यात आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। बंगलादेश को पत्थर की रोड़ी तथा शिलाखंडों के प्रमुख निर्यातक बिहार स्टेट एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड तथा भारतीय रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड ने 1987-89 के दौरान बंगलादेश को काले पत्थर के शिलाखण्डों का निर्यात नहीं किया है।

(ख) तथा (ग) खानवार निर्यातों का ब्यौरा नहीं रखा जाता है, अतः इस सम्बन्ध में मांगा गया ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) खान वार निर्यात ब्यौरा नहीं रखा/मानीटर किया जाता है।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

7160. **श्री सत्यनारायण जटिया** :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के संबंध में प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय राज्यीय सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव से हैं। उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) नये राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए निर्धारित मानदण्डों सहित धनराशियों की उपलब्धता तथा अन्य संबंधित तत्वों के अध्यधीन 8वीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा करने के बारे में कार्यवाही करना सम्भव होगा।

विवरण

क्र० सं०	मार्ग का नाम	कुल लम्बाई
1	2	3
1.	अजमेर-राजगढ़-बेतूल-नागपुर	322 (यह सड़क अंशतः 227 कि०मी० रा०रा० नेटवर्क में है)
2.	ग्वालियर-झांसी-खजुराहो-पन्ना-सतना-रीवा पिपरी-रांची	512 कि०मी०

1	2	3
3.	इलाहाबाद-रीवा-बिलासपुर-रायपुर-जगदलपुर कोटा-राजमुन्दरी	614 कि०मी०
4.	जबलपुर-ओरंग-रायपुर-बेरहमपुर	491 कि०मी०
5.	बिलासपुर-अम्बिकापुर-औरंगाबाद-पटना	[illegible]12 कि०मी०
6.	अहमदाबाद-इन्दौर-भोपाल-सागर-जबलपुर-अम्बिकापुर-सांची	1236 कि०मी०
7.	वाराणसी-अम्बिकापुर-सरायपलि-रायगढ़	396 कि०मी०
8.	बेरहमपुर रा० रा० 5-तितालगढ़-कांकिर-बांदा	282 कि०मी०
9.	कानपुर-बांदा-छत्तरपुर-सागर	267 कि०मी०
10.	झांसी-छतरपुर-कटनी-शाहदोल-कोरबा सोहल	750 कि०मी०
11.	अजमेर-चित्तोड़-नीमच-मंदसोर-रतलाम-महो-खंडवा-जलगांव	500 कि०मी०
12.	जलगांव-बरहानपुर-खंडवा-होसंगाबाद-पिपारिआ-नरसिंगपुर-जबलपुर	540 कि०मी०
13.	लाखंडों-रा० रा० 26-पिलारी-कावालारी-उगली-बालाघाट-गोंदिया-बजगिर-रा०रा० 26	220 कि०मी०
	जोड़	6215 कि०मी०

योजनागत व्यय के लिए बिहार को धन उपलब्ध कराना

7 61. श्री कमला मिश्र मधुकर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से बिहार को 1991-92 के लिए योजनागत व्यय के लिए दिए जाने वाले धन में से बिहार सरकार द्वारा देय धनराशि की कटौती न करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) और (ख) बिहार के मुख्य मंत्री ने भूतपूर्व वित्त मंत्री को संबोधित अपने 17 सितम्बर, 1990 के पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया था कि कुछ केन्द्रीय उपक्रमों को बिहार राज्य बिजली बोर्ड की ओर से देय धनराशि की कटौती राज्य को देय केन्द्रीय सहायता में से न की जाए और विशेष रूप से यह भी अनुरोध किया था कि ऐसी कटौतियां सितम्बर और अक्तूबर, 1990 के महीनों में राज्य को देय केन्द्रीय सहायता में से न की जाएं । इन सुझावों को स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य सरकार द्वारा बताए गए विभिन्न पहलुओं पर इस मामले में निर्णय लेने से पहले ही ध्यान में रखा गया था । चालू वर्ष

(1991-92) में ऐसी कटौतियां न किए जाने के बारे में राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

रुग्ण एककों से बकाया धनराशि की वसूली

@7162. **श्री बी० विजय कुमार राजू :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रुग्ण लघु उद्योग एककों की ओर बकाया भारी धनराशि की वसूली के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : रुग्ण लघु औद्योगिक एककों से बकाया रकमों की वसूली को सरल बनाने की दृष्टि से वित्तीय संस्थाओं द्वारा निम्नलिखित कारंवाई की जा रही है :—

(1) संभावित रूप से अर्थक्षम एककों के मामले में पुनरुद्धार कार्यक्रम तैयार किए गए हैं जिनके अन्तर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की देय रकमें अलग-अलग चरणों में वसूल की जा रही है।

(2) उन एककों के मामले में जो गैर अर्थक्षम हैं और जिनका पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता :—

(क) संस्थाएं और बैंक, ऋण की बकाया रकम तथा साथ ही ब्याज और अन्य प्रभारों की वसूली के लिए ऋण-कर्ताओं के खिलाफ वसूली सम्बन्धी नोटिस जारी करने के माध्यम से कानूनी कारंवाई आरम्भ करते हैं। बैंकों/संस्थाओं द्वारा अपनाये जा रहे अन्य उपायों में मुकदमा दायर करना, स्टाक की बिक्री, एकबारगी समझौते के लिए समझौते सम्बन्धी प्रस्ताव मानना आदि शामिल हैं। ऋण के लिए प्रतिभूति की बिक्री और जामिन की जिम्मेदारी को अगर कोई हो, लागू करने के लिए न्यायालयों को आवेदन किया जाता है;

(ख) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 29 के तहत, राज्य वित्तीय निगमों को, चूक करने वाली औद्योगिक कम्पनियों के प्रबन्धन अथवा कब्जे अथवा दोनों को ही अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया है। उन्हें राज्य वित्तीय निगमों के नाम गिरवी, बंधक दृष्टिबंधक अथवा सौंपी गयी सम्पत्ति को पट्टे पर देने अथवा बिक्री और नकदीकरण के रूप में उसके अंतरण का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 32 छ के अन्तर्गत, वे राज्य सरकार को देय रकम की वसूली के लिए आवेदन कर सकते हैं और अगर राज्य सरकार संतुष्ट हो तो वह उस रकम के लिए समाहर्ता के नाम प्रमाणपत्र जारी कर सकती है जो भूमि राजस्व के बकाया की वसूली के संबंध में अपनायी जा रही प्रक्रिया के अनुसार ही कारंवाई करेगा।

(ग) राज्य वित्तीय निगमों ने अपने-अपने पोर्टफोलियो में चूक करने वाले एककों के मामलों की पुनरीक्षा करने तथा ऋणकर्ताओं के साथ बातचीत के जरिए किसी समझौते पर पहुंचने के लिए अपने-अपने प्रधान कार्यालयों और क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में चूक पुनरीक्षा समितियां गठित की हैं।

[हिन्दी]

बड़े उद्योगपतियों पर बकाया ऋण-राशि

@7163. श्री परशुराम गंगवार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बड़े उद्योगपतियों के नाम क्या हैं जिन पर ऋण की राशि बकाया पड़ी है तथा इनमें से प्रत्येक के नाम पर कितनी धन-राशि बकाया है; और

(ख) ऋण की वसूली के लिए उठाए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) बैंकरों और वित्तीय संस्थाओं में प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजों और उनको नियन्त्रित करने वाले कानूनों के अनुसार उनके व्यक्तिगत घटकों के मामलों से सम्बन्धित या मामलों की सूचना नहीं दी जाती है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को आवधिक रूप से सभी उधार खातों की पुनरीक्षा करने का निदेश दिया गया है। जब कभी भी व्यक्तिगत खाते के व्यवहार में अनियमितताएं पाई जाती हैं, अग्रिम को नियमित करने के वास्ते कदम उठाए जाते हैं और यदि वे असफल रहते हैं, तो ऋणों की वापसी के लिए कहा जाता है और उधारकर्ताओं और गारंटीकर्ताओं, यदि कोई हो, के विरुद्ध कानूनी कार्रवाइयां शुरू करने सहित बकाया की वापसी के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं।

———

12.00 बजे

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं महिला सदस्य को बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चीखलिया (जूनागढ़) : अध्यक्ष जी, धन्यवाद, जो आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया।

मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान अत्यन्त आवश्यक विषय के प्रति आकर्षित करना चाहती हूं।

देश में गुजरात मूंगफली उगाने वाला सबसे बड़ा राज्य है। पिछले कुछ दिनों से सौराष्ट्र में मूंगफली के पाक को रातड़िया नाम का रोग लगा है और लश्करी कीड़े भी पाक का नाश कर रहे हैं। जब देश में सब लोग तेलों के बारे में विशेष रूप से चिन्तित हैं तब मूंगफली के पाक को बचाना अत्यन्त आवश्यक बन जाता है। इसलिए आपके माध्यम से मेरी केन्द्र सरकार को प्रार्थना है कि वह तुरन्त ही इस दिशा में उचित कार्यवाही करे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री सुदर्शन राय चौधरी को बोलने के लिए बुला रहा हूं।

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर) : महोदय, इन्डियन काउन्सिल आफ वर्ल्ड एफेयर्स, नई दिल्ली हमारे देश की एक प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था है जो विश्व मामलों एवं विदेश नीति का शोध एवं अध्ययन करने हेतु सुविधायें मुहैया कराती है। इसने अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा हासिल कर ली है तथा श्री तेज बहादुर सप्रू, पंडित जवाहर लाल नेहरू और डा० राजेन्द्र प्रसाद जैसे विद्वान व्यक्ति इस संस्था से जुड़े हुए हैं। दुर्भाग्यवश कुछ वर्षों से इस संस्था के भारी कुप्रबन्ध एवं इसमें धनराशि के गम्भीर दुरुपयोग ने इस संस्था को बर्बाद कर दिया है। दिन प्रतिदिन जाली सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं दस्तावेज नष्ट हो रहे हैं और उनमें कीड़े लग गए हैं। मेरे पास ऐसी पुस्तकें हैं और मैं उन्हें यहां दिखा सकता हूं। (व्यवधान)

श्री मुरली देवड़ा (मुम्बई दक्षिण) : आपको ऐसी पुस्तकें लाने की अनुमति कैसे दी गई ?

श्री सुदर्शन राय चौधरी : सदस्यों ने ये पुस्तकें 'डिलीवरी सेन्डिंग सेक्शन' से ली हैं।

यहां कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। उक्त परिस्थितियों के अन्तर्गत राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने इस संस्था को अपने हाथ में लेने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया था ताकि यह संस्था भली भांति चल सके। मैं समझता हूं कि यह विधेयक गत वर्ष सितम्बर में राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद नौवीं लोक सभा भंग हो गई। अब सरकार इस संस्था की बर्बादी की मूक दर्शक बन गई है। मैं नहीं जानता कि इसके पीछे क्या कारण हैं। आप किसे बचा रहे हैं ? मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले पर तत्काल ध्यान दें और इस संस्था को बचाने के लिए कुछ करे। विदेश मंत्री इस मामले में हस्तक्षेप करें तथा सभा में अपना वक्तव्य दें। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा): हम माननीय सदस्य की चिन्ता में सहभागी हैं और हम सभी उनका इस मामले पर समर्थन करते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार राज्य सभा में पारित विधेयक को आगे लाए और तुरन्त इसे लोक सभा में पारित करवाए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, 11 बजे जब क्वश्चन आॅवर शुरू हुआ था तो मैंने एक प्रश्न को उठाने की कोशिश की थी······

अध्यक्ष महोदय : उसके ऊपर मैं बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं, आप उसका प्रयत्न मत कीजिए।

श्री राम विलास पासवान : मैं प्रयत्न नहीं करूंगा। बिना सुने ही आपने कैसे जान लिया ? मैं भी थोड़ा बहुत तो कानून को जानता हूं, हालांकि कानून का विद्यार्थी नहीं हूं, इसलिए मैं कोशिश ऐसी नहीं करूंगा जिसमें आपकी पोजीशन खराब हो······

अध्यक्ष महोदय : पोजीशन कांस्टीट्यूशन की, देश की, पार्लियामेंट की है।

श्री रामविलास पासवान : कांस्टीट्यूशन का, इंस्टीट्यूशन का, सब चीज का ध्यान रखूंगा। आज हिन्दुस्तान के इतिहास में एक हिस्टोरिक-डे था, जबकि तमाम पक्ष के मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशली शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बी०जे०पी० हो, जनता दल हो, सी पी आई हो, सी पी आई (एम) हो या तेलगू देशम हो, इर्रेस्पैक्टिव-आफ-पार्टी-एफिलिएशन, 106 सदस्य, मामूली नहीं, सब लोगों ने मिलकर एक मैमोरेंडम तैयार किया था और उस मैमोरेंडम में तीन-चार मांगें थीं।

अध्यक्ष महोदय : अगर यह बात कांस्टीचूशनली और रूल्स के मुताबिक नहीं बैठी, तो पूरी की पूरी बात रिकार्ड से निकाल दी जाएगी। क्योंकि इस पर डिसशन करने के लिए मैंने दस घण्टे का टाइम दिया था।

श्री राम विलास पासवान : यदि नहीं बैठेगी, तो पूरा का पूरा एक्सपंज कर दीजिएगा।

हम सब लोगों ने मिलकर चार-पांच मुख्य मांगें, लैंड-रिफॉर्म्स, लेजिसलेशन फार रिजर्वेशन, बैकलॉग को पूरा करने; राज्य सभा, विधान परिषद और जुडिशियरी में रिजर्वेशन का, एजूकेशन का—इन सारे के सारे मुद्दों को लेकर हम लोग यहाँ से राष्ट्रपति भवन गए। हम लोगों की राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी से मुलाकात नहीं हो सकी। हम उनके अधिकारियों को अपना मैमोरेंडम देकर लौट कर चले आए हैं। हम लोगों को अपेक्षा थी कि राष्ट्रपति महोदय से जरूर मुलाकात हो सकेगी, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सहमत हूं कि मन्त्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है न कि राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद को।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण-दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन, जिसे कि संवैधानिक दर्जा दिया जा चुका है, उसके गठन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। भारत सरकार ने पिछले डेढ़ वर्षों में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन नहीं किया है। संसद ने 31 मार्च, 1990 को 65वें संविधान संशोधन के द्वारा आयोग गठित करने और इसे संवैधानिक दर्जा देने का महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया। संशोधन राष्ट्रपति महोदय ने 7 जून, 1990 को अपनी स्वीकृति दे दी, लेकिन विधेयक के अनुसार नया आयोग आज तक नहीं बना। इसका परिणाम यह है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त का पद और उसके कार्यकाल व काम काज, जिसकी जगह संवैधानिक आयोग गठित करने का विधेयक बनाया गया है, इतने महीनों से ठप्प पड़ा है। इस आयोग के गठन के अभाव के कारण आयुक्त कार्यालय की शाखायें या विभाग नहीं हैं, जिससे अत्याचारों की, घटनाओं की निष्पक्ष जांच-पड़ताल कराई जा सके। आयुक्त को विभिन्न घटनाओं के बारे में इस समय उन राज्य सरकारों और जिला प्रशासन की रिपोर्टस पर निर्भर रहना पड़ता है, जिनकी रुचि इन्हें छिपाने में रहती है। तथ्य संग्रह करके ध्यान लाने के लिए किसी को आयुक्त आदेश नहीं दे सकता है। आयोग अत्याचार की रोक-थाम के लिए कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है। चर्चा यह है कि सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्य ···(व्यवधान)···अध्यक्ष बनाने के लिए, चूंकि आपस में इनका झगड़ा है, इसलिए अध्यक्ष पद नहीं दे रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, हम यहां इतनी चर्चा कर चुके हैं अत्याचारों पर, मुख्य मुद्दा यह है कि अगर आयोग बन जाए और उसके पास शिकायतें आयें, जिस काम के लिए यह आयोग बना था, राष्ट्रपति जी ने उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया है। वह काम क्यों नहीं हो रहा है? मैं चाहूंगा कि इसके बारे में सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

[अनुवाद]

श्री वी० विजयकुमार राजू (पार्वतीपुरम) : आप दूसरों को अनुमति दे रहे हैं और हमें अनुमति नहीं दे रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी अनुमति दूंगा। कृपया बैठ जाइए।

श्री पीटर जी० मरबनियांग (शिलांग) : अध्यक्ष महोदय पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्तर्गत मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और असम के कुछ हिस्से में डाक कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा 1973 से स्वीकृत विशेष कार्य भत्ता नहीं दिया जा रहा है। विशेष कार्य भत्ता विशेष रूप से केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों के लिए मंजूर किया गया था जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकट भौगोलिक परिस्थितियों में कार्य करते हैं, जिन्हें संचार/यातायात सुविधायें प्राप्त करने में कठिनाई होती है और इस प्रकार इन्हें जीवन यापन अपेक्षाकृत महंगा पड़ता है इसके साथ यह शर्त भी है कि अखिल भारतीय स्तर पर स्थानान्तरण का दायित्व रखने वाले कर्मचारियों को उक्त भत्ता दिया जाएगा डाक विभाग के अखिल भारतीय स्तर पर स्थानान्तरण का दायित्व वाले वर्ग 'ग' और वर्ग 'घ' कर्मचारी उसी प्रकार उक्त भत्ते के हकदार होंगे जैसे यह भत्ता पूर्वोत्तर क्षेत्र में उनके सहयोगी दूर संचार विभाग के कर्मचारियों को दिया जाता है। केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, गुवाहाटी ने वर्ष 1989 के अपने निर्णय में डाक विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिया था कि वे पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी वर्ग 'ग' एवं वर्ग 'घ' कर्मचारियों को विशेष कार्य भत्ता दें। संचार मंत्रालय ने केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण गुवाहाटी के इस निर्णय की परवाह नहीं की।

मेरा संचार मंत्रालय से अनुरोध है कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र के डाक कर्मचारियों को विशेष कार्य भत्ते की बकाया राशि सहित तत्काल उन्हीं शर्तों पर भुगतान करे जो दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों पर लागू हैं।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वृशिण पटेल (सीवान) : दिनांक 11-9-91 को केन्द्रीय मंत्री श्री राजेश पायलट के नेतृत्व में बिहार सरकार के विरुद्ध ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आपने श्री राजेश पायलट को नोटिस दिया है? (व्यवधान) आप उन्हें सूचित करें और इस मामले को कल उठायें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वृशिण पटेल : आप मेरी बात तो सुनिए...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सुनिए, अगर आप किसी मेम्बर के खिलाफ कुछ बोलने जा रहे हैं तो उनको नाम बताकर, कल इस पर बोल लीजिएगा।

(व्यवधान)

श्री वृशिण पटेल : मैं नाम वापस लेता हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब तो आपने नाम बोल दिया है और वह रिकार्ड में गया है।(व्यवधान) जिस प्रकार से जार्ज फर्नान्डीज साहब ने किया था उसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं।(व्यवधान)

[अनुवाद]

मैं आपको कल अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री वृशिण पटेल : आपने मुझे बोलने के लिए एलाऊ किया है... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। मैं आपको एलाऊ नहीं कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बात आपके सम्बन्ध में भी हो सकती है, अगर आपके सम्बन्ध में होती तो आपको प्रोटक्शन देना भी मेरा काम है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप उनको पहले बता दीजिए।

(व्यवधान)

श्री वृशिण पटेल : मैं इसलिए आज बोलना चाहता हूं क्योंकि मैं आज जा रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पार्लियामेंट का काम जरूरी है, दूसरा कोई काम आप बाद में भी कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री वृशिण पटेल : मैं नाम वापस लेता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

देखिए, अगर आप अपने मन की बात करेंगे तो यह नहीं चलेगा। मैं आपको यह तो नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको एलाऊ नहीं करूंगा। आप उनको बता कर इस पर कल बोल लीजिएगा। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

मैं आपको समय नहीं दे रहा हूं। (व्यवधान) कृपया इस प्रकार के तर्क न दीजिए। (व्यवधान) मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, मैं आपको बोलने के लिए एलाऊ नहीं कर रहा हूं।

[अनुवाद]

यदि आप सभा में किसी सदस्य के विरुद्ध कुछ कहते हैं तो आपको उसे सूचित करना चाहिए (व्यवधान)...मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : उन्होंने नोटिस दिया है।...**(व्यवधान) आपको उन्हें अनुमति देनी चाहिए।**

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मामले को बिना समझे ऐसे तर्क न दीजिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

आप बैठ जाएं। देखिए, मैं जो नियम पुष्टाई कर रहा हूं उसी से आपको भी प्रोटेक्शन मिल सकता है और अगर किसी दिन कोई मेम्बर आपके खिलाफ उठकर बोले तो यह कहेंगे कि आपने कहा था, उन्होने नहीं सुना था।

[अनुवाद]

मैं सभा में कह रहा हूं कि मैं आपको अनुमति कल दूंगा।

[हिन्दी]

इसके बाद भी आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं।

[अनुवाद]

आपको मेरा कहना समझना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : महोदय, मैं आपका तथा समूची सभा का ध्यान उड़ीसा के कोरापुट जिले की गम्भीर स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। एक महीने के अन्दर अतिसार और आंत्रशोथ जैसी महामारी से लगभग 2000 आदिवासी लोग मर चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग और उड़ीसा सरकार इन महामारियों की रोकथाम करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन इसके लिए उन्हें सहायता की जरूरत है और इसलिए उन्होंने भारत सरकार से सहायता मांगी है। लेकिन भारत सरकार ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है। कोरापुट और कालाहांडी जिलों की यह हालत है। प्रति वर्ष लोग मरते रहते हैं लेकिन इस बात की किसी को परवाह नहीं है। एक महीने के अन्दर 2000 आदिवासी लोग मर चुके हैं। राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने इस बात की उपेक्षा की है और इनमें एक पंक्ति तक प्रकाशित नहीं हुई है। यदि दिल्ली में या दिल्ली के आसपास एक व्यक्ति मर जाता है तो यह राष्ट्रीय समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पर छप जाता है। लेकिन यहां 2000 आदिवासी लोग मर गए हैं और यहां तक कि मंत्रियों को इस बात की चिन्ता नहीं है, भारत सरकार को इसकी चिन्ता नहीं है, समाचार पत्रों व प्रसारण माध्यमों को इसको चिन्ता नहीं है। कोरापुट देश में एक पिछड़ा जिला है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया आप सरकार को निदेश दें कि वह राज्य सरकार को महामारी रोकने के लिये तत्काल सहायता दे ताकि वहां सामान्य स्थिति कायम हो सके।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि यह मामला आदिवासी क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए मन्त्री जी से आग्रह है कि वे मामले की छानबीन करें और वहां सम्भावित सहायता दें।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : मैं पिछले सात दिन से उसी मामले को उठाने का प्रयास कर रहा हूं लेकिन आप मुझे इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आप नहीं जानते कि सभा में कैसे बात की जाती है। मुझे आपके लिए एक विद्यालय खोलना पड़ेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिव शरण वर्मा (मछली शहर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अपनी करुण कहानी सुनाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय 9वीं लोकसभा में भी मैं सदस्य था, लेकिन मुझे कोई फ्लैट अलाट नहीं किया गया... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे बात कर लूंगा, आई विल हैल्प यू।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आएं तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। इस तरह के मामले हाऊस में नहीं उठ सकते हैं। जो कुछ आप कह रहे हैं यह रिकार्ड पर नहीं जा रहा है। मेरे पास आकर आप बात करिए, मैं आपकी मदद करूंगा।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, ये बहुत सीनियर मेंबर हैं, यह इनकी तीसरी टर्म है। आपकी भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि कम से कम मेंबर को कहीं से निकाला जाए तो आपसे पूछ लिया जाए। ये अस्पताल में थे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : रिकार्ड में कुछ सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे से बात करिए। मैं आफिसर्स को बुला कर बात कर लूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको मैं समझा रहा हूं कि यह रिकार्ड पर नहीं जा रहा है। आप मेरे पास आइए, मैं आफिसर्स को बुलाकर बात कर लूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए और मेरे से आकर बात करिए, मैं आपकी मदद करूंगा।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, 1985 की कपड़ा नीति के कारण देशभर में कपड़ा मिलें ठप्प होने लगीं और इसका विशेष असर गुजरात पर पड़ा। गुजरात में 26 कपड़ा मिलें पिछने 4-5 साल से बंद पड़ी हैं। 1986 में केन्द्र सरकार ने एक योजना बनाई थी "टैक्टाइल वर्कर्स रीहेब्लीटेशन फण्ड स्कीम" इसके अन्तर्गत 12000 बेकार कामगारों को 23 करोड़ 65 लाख रुपये ड्यूज दिए गए। अध्यक्ष जी, अभी भी 14000 बेरोजगार कामगार पिछले 7 साल से फार्म्स भर कर बैठे हैं, जो एलीजिबल हैं, जिनको वह पैसा मिलना चाहिए। सरकार ने मंजूर भी किया है। फिर भी वह पैसा अभी तक उन गरीब कामगारों को नहीं मिला। वे सात साल से बेकार हैं।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री हरिन पाठक]

कुछ न कुछ बातें उसमें निकल आतीं हैं। दीवाली नजदीक आ रही है। कई कामगार बेरोजगारी के कारण तालाब में कूद कर मर जाते हैं, कई रेल की पटरी पर मर जाते हैं। उन्हें कोई पूछता नहीं है। पिछली बार मैं टैक्सटाइल कमेटी में था, हम लोगों ने मेहनत करके कुछ पैसा मंजूर करवाया था। अध्यक्ष महोदय, उन बेकार, बेरोजगार कामगारों के जीवन का सवाल है। उनको जो पैसा मंजूर किया है, वह उनको तुरन्त दिया जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है।

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, अहमदाबाद का मैंने प्रत्यक्ष देखा है। वित्त मन्त्री जी यहां पर बैठे हैं। मैं वित्त मन्त्री जी से विनय करूंगा कि इन दिनों में औद्योगिक नीति में परिवर्तन की जब-जब चर्चा हुई है, तब-तब शंकायें प्रकट की गई हैं कि इस औद्योगिक नीति के परिवर्तनों के कारण मजदूरों की दशा क्या होगी और उनका क्या परिणाम होगा। इस बारे में हम चिंतित हैं। इनकी तरफ से हमेशा आश्वासन दिया जाता रहा है कि औद्योगिक नीति में परिवर्तन के कारण वे देखेंगे कि मजदूरों के हितों पर आंच न आए। वे कितना इस आश्वासन को पूरा कर पायेंगे, यह तो समय बताएगा। लेकिन 1985 में जो टैक्सटाइल नीति में परिवर्तन हुआ उसके परिणामस्वरूप 26 हजार मजदूर अहमदाबाद के, गांधी नगर के, जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधि हूं, बेकार हो गए, बेरोजगार हो गए। उनके लिये स्कीम बनी, लेकिन स्कीम केवल 12 हजार लोगों को, बहुत दौड़-धूप करने के बाद, फायदा पहुंचा सकी। 14 हजार लोग अभी भी परेशान हैं, बहुत दुःखी हैं।

मैं विनय करना चाहूंगा कि इन 14 हजार मजदूरों के बारे में तुरन्त कार्यवाही की जाए। उनको जो बैनेफिट स्कीम के अन्तर्गत दिए जाने चाहिएं, वे तुरन्त दिए जाने चाहिए। अन्यथा आगे चलकर जो भी परिवर्तन करना चाहेंगे वे परिवर्तन सही भी होंगे तो भी इस पहलू के कारण उसका समर्थन करना मुश्किल हो जाएगा।

[अनुवाद]

श्री राधिका रंजन प्रमाणिक (मथुरापुर) : अध्यक्ष महोदय, नियम 222 के अन्तर्गत मैंने विशेषाधिकार नोटिस दिया है। कोयला आधारित 'मेगनेटो हाइड्रोनामिक पावर प्लान्ट'(5 मेगावाट) को अर्थक्षम बनाने के बारे में मेरे 10 सितम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6416 के उत्तर में विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने बताया कि कोयला आधारित मेगनेटो हाइड्रोनामिक पावर प्लांट का प्रायोगिक तौर पर सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया, जिसमें मेगनेटो हाइड्रोनामिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके विद्युत उत्पादन की तकनीकी क्षमता सिद्ध हो गयी।

भारत सरकार के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष की रिपोर्ट 1991 की संख्या-2, केन्द्रीय सरकार (वैज्ञानिक विभाग), में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है प्रायोगिक संयंत्र कोयला के बजाय तरलीकृत पेट्रोलियम गैस से चलाया जा रहा था, जिसमें स्वीकृत परियोजना प्रस्ताव का उल्लंघन हुआ, जिसमें यह कहा गया कि एक बार कोयले से शुरू की गई मेगनेटो हाइड्रोनामिक प्रौद्योगिकी तदन्तर गैस से चलाई जा सकती है लेकिन इसका विपरीत नहीं हो सकता।

इस प्रकार विद्युत उत्पादन के लिए स्वदेशी क्षमता पैदा करने हेतु कोयला आधारित 'मेगनेटो हाइड्रोनामिक पावर प्लान्ट' स्थापित करने का कार्यक्रम, जिसमें मेगनेटो हाइड्रोनामिक प्रौद्योगिक का प्रयोग हो, अभी बहुत दूर की बात है।

इस परियोजना पर 26 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और इस पर 13 वर्ष लग गए हैं। माननीय मन्त्री जी का वक्तव्य नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के विरुद्ध है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा न करिए। आपको यह पढ़नी नहीं है। आपने नोटिस दिया है। मुझे इसकी जांच करनी है।

श्री राधिका रंजन प्रमाणिक : यह काफी महत्वपूर्ण मामला है और मन्त्री महोदय द्वारा दिया गया वक्तव्य गलत है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : पहले, हमें माननीय मन्त्री जी का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट से एक अत्यन्त तकनीकी मामला निकाला है।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले को इस तरह से नहीं उठाया जाना चाहिए। मुझे देखने दो कि यह स्वीकृत हो सकता है या नहीं, तभी मैं अपनी अनुमति दे सकता हूं।

***श्री वी० एस० विजयराघवन** (पालघाट) : पिछले वर्ष इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण के पश्चात 10 हजार मलयालियों को अपनी सभी जमा पूंजी छोड़कर भागना पड़ा था। उन लोगों को अस्थाई तौर पर सहायता के रूप में भारत सरकार ने दीनार की जो विनियम दर तय की थी। वह बहुत ही कम थी। यहां तक कि कुवैत में संकट के समय भी दीनार की विनिमय दर 60 रुपये से भी अधिक थी, परन्तु भारत सरकार ने उन्हें केवल 25 रुपये ही दिए थे। उनको भारत सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो बाकी धनराशि का भुगतान कर दिया जाएगा। आज हालात बदल गए है और कुवैती दीनार की वर्तमान विनिमय दर 85 रुपये है। जब ये लोग बाकी धनराशि के लिए बैंकों के पास गए तो बैंक अधिकारियों ने उन्हें बताया कि सरकार की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता।

यद्यपि सरकार ने इन लोगों की कई प्रकार से सहायता की है, उनमें से बहुत से लोग कुवैत जाने की स्थिति में नहीं हैं। इस स्थिति में केवल यही न्यायोचित होगा कि उन्हें दीनार की वर्तमान विनिमय दर दे दी जाए।

महोदय, माननीय वित्त मन्त्री यहां उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह इन लोगों की सहायता करें। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित की है। उनमें से अधिकांश लोग अपनी सभी जमा पूंजी छोड़कर वापस आ गए हैं। इसलिए, कम से कम मानवीय आधार पर आपको उनकी सहायता करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कल आप मेरे पास आए थे और आपने मुझे सूचित किया था कि आज आप क्या मामला उठाने जा रहे हैं। यदि इसे स्वीकार किया जाता है, यदि इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाता है तो इसे कार्यवाही वृतान्त में अन्यथा सम्मिलित किया जाएगा, मैं इसे कार्यवाही वृतान्त से बाहर रखूंगा। इसलिए आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक बोलना होगा। मैं आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं। परन्तु मैं यह देखूंगा कि क्या इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जा सकता है।

श्री डी० वेंकटेश्वर राव (बापतला) : महोदय, आंध्र प्रदेश में काफी घटनायें हो चुकी हैं जिससे सरकारी खजाने को भारी घाटा हुआ है, यह घाटा रुपयों में नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा का

* मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

घाटा हुआ है। घाटा इकाई में नहीं हुआ है; एक करोड़, दस करोड़ या सौ करोड़ का नहीं बल्कि यह हजारों करोड़ का घाटा हुआ है।

आन्ध्र प्रदेश के ओंगोल जिले में 5000 करोड़ रुपये मूल्य की एक ग्रेनाइट खान का पता चला है। यह 150 एकड़ भूमि पर फैली हुई है और यह 30 मीटर गहरी है। इसमें से 60 एकड़ भूमि, जिसका मूल्य 2500 करोड़ रुपए है, को चार लोगों को बेच दिया गया है। लगभग 100 आवेदकों, जिनकी निर्यातोन्मुख परियोजना है, को अवसर से वंचित कर दिया गया और सुबह के समय एक सदस्य से आवेदन पत्र ले लिया गया जिसका नाम,*

अध्यक्ष महोदय : नाम को कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री डी० वेंकटेश्वर राव : और अगले दिन उन्होने चार लोगों को लगभग 2500 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 60 एकड़ भूमि खनन पट्टे पर दे दीं।*

अध्यक्ष महोदय : राज्य विधान सभा के क्रिया कलाप के उल्लेख को कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री डी० वेंकटेश्वर राव : उन्होंने इस पट्टे को रद्द कर दिया। इस प्रथम दृष्ट्या मामले से प्रतीत होता है कि राज्य सरकार दोषी है।

दूसरी घटना जिसकी ओर हमने माननीय प्रधान मन्त्री तथा अन्य मन्त्री गणों का ध्यान दिलाया था, वह सिंगरेनी कोयला खानों के सम्बन्ध में है। सिंगरेनी कोयला खानों में खुली खान चरण-II परियोजना चल रही है जिसकी अनुमानित लागत लगभग 270 करोड़ रु० है। परन्तु दुर्भाग्यवश ये खानें धंस गई और इसके लिए जर्मन प्रौद्योगिकी अपनाई गई जिसकी लागत लगभग 470 करोड़ रुपए है। प्रारम्भिक चरण में सिंगरेनी कोयला खानों ने 21 जनवरी, 1991 को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें परियोजना लागत का 35 करोड़ रुपये कम करने का निवेदन किया गया था। 30 दिन के पश्चात उन्होंने एक दूसरा प्रस्ताव पारित किया जिसमें पहले वाले प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था, और उन्होंने सीधा यह कहा कि वे एक समझौता करने जा रहे हैं जिससे सरकारी खजाने को लगभग 200 करोड़ रुपये का घाटा होगा, जो कि विदेशी मुद्रा में होगा।

फिर एक और बात है। विश्व बैंक ने आन्ध्र प्रदेश में श्री सेलम परियोजना के लिए लगभग 217 मिलियन रुपए दिए हैं। लगभग 35 आवेदक थे। शर्तें इस प्रकार रखी गई थी कि इन 35 आवेदकों में से केवल पांच आवेदक ऋण लेने योग्य पाये गए। लगभग 90 करोड़ रुपए अधिक भी दिए गए और सरकार तथा मुख्य पार्टियों के बीच लगभग 14 करोड़ रुपये का लेन देन हुआ था। परिणाम यह है कि किसी विदेशी सहायता की आवश्यकता नहीं है। विश्व बैंक ने लगभग 700 करोड़ रुपए चक्रवात राहत के लिए दिए थे परन्तु इसका उपयोग उनके अपने लोगों ने किया। यह कार्य उन्हें नामांकन के आधार पर दिया गया था।

हम समस्त धनराशि बाहर से क्यों लाएं, माननीय प्रधान मन्त्री तथा माननीय वित्त मंत्री हर समय हमें बताया करते हैं कि हम भारी वित्तीय संकट में हैं। हमारा विदेशी ऋण बहुत अधिक है, हमारा घाटा बहुत अधिक है इत्यादि। हजारों करोड़ रुपये इस प्रकार बरबाद किए जा रहे हैं। इस प्रकार हम बाहर से ऋण ले रहे हैं यानि विश्व बैंक इत्यादि से और हम इसे व्यर्थ गवां रहे हैं। यह हमारे

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

जैसे लोगों के लिए शर्म की बात है जो यहां बैठे हैं और देख रहे हैं परन्तु कुछ नहीं कर रहे हैं। यदि उच्च अधिकारियों द्वारा ऐसी गड़बड़ियां की जाती हैं तो हम एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा इसकी जांच की मांग करते हैं। **(व्यवधान)**

श्री वी० विजय कुमार राजू (नरसापुर) : महोदय, हम यह मांग करते हैं कि इस मामले की जांच के लिए उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया जाए। **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं खड़ा हुआ हूं। आप जानते हैं कि आपके एक सहयोगी ने यह बात बहुत अच्छे ढंग से कही है। आप एक ही समय क्यों बोलना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री वी० विजय कुमार राजू : हम यह मांग कर रहे हैं कि इस मामले की जांच हेतु प्रधान मन्त्री एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित करें। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा में विधान सभा समिति का उल्लेख करने की अनुमति नहीं देता। मान लीजिए यदि आप अन्य विधान मण्डलों में क्रियाकलापों का उल्लेख कर रहे हैं तो वे भी आपकी गतिविधियों का उल्लेख करेंगे। कृपया इस बात को समझें। मैंने कहा है कि आपके सहयोगी ने यह बात बड़े ही अच्छे ढंग से कही है और आपको इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यह आवश्यक नहीं है। हम इस सत्र के अवसान की ओर बढ़ रहे हैं। कई और सदस्यगण हैं जो अपने मुद्दे उठाना चाहते हैं। मैं उनकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए उन्हें अनुमति देने जा रहा हूं। कृपया अब बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरपाल पंवार (कैराना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिल्ली, सहारनपुर वाया बड़ौत शामली रेल मार्ग की ओर दिलाना चाहता हूं। इस रेल मार्ग पर भारत सरकार ने 9 छोटे हाल्ट स्टेशनों को खत्म कर दिया है। यह रेल मार्ग मेरठ, मुजफ्फर नगर, सहारनपुर तीन जिलों से होकर गुजरता है। इस क्षेत्र में सड़क मार्ग बहुत छोटा है लेकिन जनसंख्या का घनत्व अधिक है। ये स्टेशन समाप्त कर देने से इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जायेगी। कृषि की दृष्टि से भी यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि इस रेल हाल्ट को खत्म करने के निर्णय को तुरन्त समाप्त होना चाहिए नहीं तो वहां की जनता आन्दोलन करेगी और जनता इस मार्ग पर गाड़ियां नहीं चलने देगी, तब मजबूर होकर हमको भी इसमें कूदना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, यह इलाका उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण इलाका है और उपजाऊ क्षेत्र है। इसलिए इस क्षेत्र के लोगों के लिए सहूलियतें बढ़नी चाहिए थीं न कि आज के समय में जो मिली हुई हैं, उनको समाप्त किया जाये। इसलिए आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि जिन 9 हाल्ट स्टेशनों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, कृपया उन्हें तुरन्त निरस्त कर दें और लोगों के लिए सहूलियतें बढ़ायी जायें। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि इस

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

रेल मार्ग पर एक एलम स्टेशन है जहां पर दो फाटक ऐसे हैं जहां पर आम रास्ता जाता है। पिछले 3-4 सालों में 60-70 आदमी दुर्घटना में मर चुके हैं।

लेकिन वहां पर फाटक नहीं बन पाया। मैं इस सदन में इसको पहले भी उठा चुका हूं। मेरा पुनः अनुरोध है कि वहां आदमी वाला फाटक बनाया जाए और यह जो हाल्ट खत्म करने का निर्णय है, इसको तुरन्त निरस्त कर दिया जाए क्योंकि इससे लोगों की असुविधायें बढ़ रही हैं, लोग आंदोलन करेंगे और समस्यायें और बढ़ेंगी।

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख तीर्थ स्थल बटेश्वर नाथ तथा भगवान महावीर स्वामी जी के मंदिर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। भगवान बटेश्वरनाथ जी का मंदिर उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के अंतर्गत यमुना और चंबल नदी के बीच में पड़ता है। यहां पर प्रदेश के ही नहीं अपितु देश विदेश के तीर्थ यात्री भगवान बटेश्वर नाथ जी के दर्शनार्थ आते हैं। यह एक प्रमुख पर्यटन केन्द्र है तथा यहां पर कार्तिक की पूर्णिमा के शुभावसर पर राज्य का ही नहीं बल्कि देश के पशुओं का सबसे बड़ा मेला भी लगता है, जिसमें लाखों-करोड़ों रुपए के गाय-बैलों का व्यापार होता है। इससे राज्य और केन्द्र सरकार को राजस्व के रूप में काफी धन प्राप्त होता है।

बटेश्वरनाथ से मात्र तीन कि० मी० दूरी पर ही शोहरीपुर में भगवान महावीर स्वामी जी का मंदिर भी है। यहां पर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान तथा देश के कई अन्य राज्यों से जैन समाज के व्यक्ति दर्शनार्थ आते हैं, किन्तु यहां पर भी सड़क आदि की समुचित व्यवस्था नहीं है जिस कारण दर्शनार्थियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

बटेश्वरनाथ तथा शोहरीपुर में स्थित भगवान महावीर स्वामी का मंदिर पर्यटन केन्द्र भी है। यहां आना-जाना लगा रहता है। पिछले दिनों जब मैं अपने दौरे पर गया था तो वहां के लोगों ने मेरा ध्यान उपरोक्त दोनों तीर्थ स्थलों की ओर दिलाया था और चाहा था कि केन्द्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय की ओर से उपरोक्त दोनों मंदिरों के सौंदर्यकरण हेतु आर्थिक सहायता के रूप में धनराशि स्वीकृत कराई जाए। अतः मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि आप भगवान बटेश्वरनाथ जी एवं भगवान महावीर स्वामी जी के मंदिर के सौंदर्यकरण हेतु अपने मंत्रालय की ओर से अधिक से अधिक धनराशि स्वीकृत कराने की कृपा करें।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हमको तो आप मौका दे नहीं रहे हैं। कल और परसों आपने कहा था, परन्तु मौका नहीं दे रहे हैं। क्या हमने कोई गुनाह किया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने सबसे ज्यादा टाइम लिया है। मैं दूसरे लोगों को मौका दे रहा हूं। आज आपको टाइम नहीं मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर (खंडवा) : मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि खंडवा जिले में रेलवे सुविधा प्रदान की जाए। (व्यवधान) इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि खंडवा के लिए गोवा एक्सप्रेस, बुरहानपुर के लिए कर्नाटक एक्सप्रेस और हरसूद के लिए लखनऊ-बाम्बे को रोका जाए ताकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जनता को अपने जिले में जाने की सुविधा हो और दक्षिण में जाने के लिए कर्नाटक एक्सप्रेस को बुरहानपुर रोकना बहुत

आवश्यक है और गोवा एक्सप्रेस को खंडवा में। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर रेल सेवा की सुविधा प्रदान करने का कष्ट करें।

श्री राम निहोर राय (रॉबर्ट्सगंज) : मान्यवर, मैं आपका ध्यान सोनभद्र जिला और मिर्जापुर, जो बिहार से जुड़े हुए हैं वहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हिन्दुस्तान के सबसे बड़े बांध रिहन्द बांध का उद्घाटन 1963 में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने किया था। उस बांध को बने हुए आज 30 वर्ष हो गए और उसकी मरम्मत पर प्रतिवर्ष 10 लाख रुपया खर्च किया जाता है किन्तु कोई काम नहीं किया जाता है। हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी ने उस पर एक पुल बनवाया था। 5 तारीख को वहां के इन्जीनियर ने अचानक पानी बढ़ने पर फाटक खोल दिया जिससे वह पुल धराशायी हो गया। वहां हमारे साथ 7 तारीख को हमारे भाई वीरेन्द्र सिंह भी गए थे। वहां पर जितने गांव हैं, उन गांवों का नाम मैं आपको बता देना चाहता हूं जिनका आवागमन एकदम टूट गया है। पानी का फाटक खोलने में भारी लापरवाही वहां के इन्जीनियर ने की। उस रिहन्द बांध की क्षमता 880 है जलाशय की। नियमानुसार अगस्त माह में उसके कुछ फाट खोलने का काम होना चाहिए था, यदि नियम के अनुसार काम किया गया होता तो पुल टूटने का प्रश्न ही नहीं था और इस तरह अरबों रुपयों के नुकसान से बचा जा सकता था। वहां के इन्जीनियर की लापरवाही से, जिन्होने उसके बारह फाट खोल दिए वहां का पुल टूट गया और आस पास के अनेकों गांव ध्वस्त हो गए—गांवों के नाम हैं—मैरवा, खड़िया, शक्तिनगर, मिश्र, रेहटा, बीरपुर, पूरनखास, जोगी चौरा, डोबूलगंज, बीना, खड़ीया, ककरी, दुद्धिचुआ, बिलका टाड। मेरे साथ कई दूसरे लोगों ने इन गांवों का दौरा किया है और ध्वस्थ मकानों को देखा है। वे लोग एक बार बांध बनाने के समय उजड़ गए थे, अब उन्हें फिर उजड़ना पड़ा है। उन लोगों को अभी तक परियोजना की तरफ से उचित मुआवजा भी नहीं मिला है। बिलका टाड गांव चौथी बार उजड़ा है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि जिन हरिजन आदिवासियों के मकान धराशायी हो गए हैं, उनके लिए राशन, ईंधन की मात्रा बढ़ाई जाए और परियोजना द्वारा कालोनी बनवाकर, उसमें उनके बच्चों के लिए स्कूल, पानी, बिजली आदि की व्यवस्था कराई जाये। रिहन्द बांध का पुल टूट जाने से अनपरा, शक्तिनगर, विन्ध्य थर्मल पावर आदि और मध्य प्रदेश के बेढ़न क्षेत्र की जनता खाद्यान्न व ईंधन के अभाव में तड़प रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से रेल मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि मिर्जापुर व वाराणसी से उस इलाके के लिए शक्तिनगर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जायें ताकि वहां के लोगों के खाने-पीने की व्यवस्था हो सके। ध्वस्त पुल का निर्माण कार्य भारत सरकार युद्ध स्तर पर कराने की तत्काल व्यवस्था करे। वहां के लोगों को मुआवजा भी बहुत कम मिला है जबकि मध्य प्रदेश में पड़ने वाले इलाके के लोगों को मुआवजा ज्यादा दर से दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी का भाषण ही रिकार्ड में जायेगा।

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बिहार में सिंचाई व्यवस्था के अभाव की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। छोटा नागपुर और संथाल परगना जिलों में चाहे जल आयोग द्वारा, केन्द्रीय सरकार द्वारा या बिहार राज्य सरकार द्वारा जितने बांध या डैम बनाये गये हैं, उनके जरिये एक इंच जमीन की सिंचाई भी नहीं हो पाती मात्र 3% जमीन की सिंचाई की व्यवस्था हुई है। उन डैम या बांधों में जिन लोगों की जमीन गयी, उनके परिवार के एक भी आदमी को आज तक कहीं नौकरी नहीं मिली है। सैकड़ों गांवों की जमीनें उन बांधों और डैम के बनाने में चली गयीं परन्तु किसी को आज तक नौकरी नहीं

मिली है। हजारीबाग जिले की सीवाने जलाशय योजना, देवकली जलाशय योजना, दोनमसया योजना और तिलैया अपर कैनाल योजना आदि अनेकों महत्वपूर्ण योजनाएं केन्द्रीय जल आयोग के स्तर पर पैंडिंग हैं। केन्द्रीय जल आयोग उन्हें अनावश्यक ही कई वर्षों से लम्बित रखे हुए हैं और इन योजनाओं की स्वीकृति नहीं दे रहा है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि बिहार के छोटा नागपुर, संथाल परगना आदिवासी बाहुल्य इलाका है, झाड़खण्ड का इलाका है, उसकी लम्बे समय से सिंचाई के मामले में उपेक्षा होती रही है। मेरा निवेदन है कि छोटा नागपुर और संथाल परगना के इलाके में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जाये और इस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करायी जायें। सरकार इस क्षेत्र की अब और अपेक्षा न करे।

श्री शरद चन्द्र पटनायक (बोलंगीर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उड़ीसा के बोलंगीर और कालाहांडी जिलों को जोड़ने वाले पुल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसको बनते हुए लगभग 22 साल से ज्यादा हो चुके हैं परन्तु वह पुल अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। मैं समझता हूं कि सारे भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में आपको कोई ऐसा पुल नहीं मिलेगा, जिसको बनाने में 22 साल लगे हों और अभी भी वह अधूरा हो। इसमें इन्जीनियरों का कसूर है या स्टेट गवर्नमेंट का कसूर है, मैं नहीं जानता परन्तु हम लोगों को उसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं, कष्ट उठाना पड़ रहा है।

दूसरी बात यह है कि बोलंगीर में एक आर्डिनैंस फैक्टरी है जिसमें काम करने के लिए कालाहांडी जिले के हजारों लोग आते हैं, मेहनत करते हैं और दो वक्त की रोटी कमाते हैं परन्तु इस ब्रिज के तैयार न होने के कारण उन्हें अपनी रोटी कमाने में कठिनाइयां आ रही हैं क्योंकि वे उस ओर जा नहीं पाते। इस कारण बोलंगीर और कालाहांडी जिले के अनेकों लोगों को आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की तरफ, रोटी कमाने के लिए, अपना घर-बार, मां, बहन, भाई और बच्चों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के लोगों को अपनी आजीविका कमाने में जो कष्ट भुगतने पड़ते हैं, उसके समाधान के लिए, उक्त पुल का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र कराने की व्यवस्था तत्काल करें।

[अनुवाद]

श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालावाड़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने समाचार पत्रों में यह देखा है कि कल पर्यावरण मन्त्री ने राज्य सभा में अपने वक्तव्य में कहा है कि 1,52,000 हेक्टेयर वन भूमि को 1980 से 1990 के बीच 10 वर्षों में परिवर्तित किया गया था और एक वर्ष में यानि 1989-90 के दौरान 1,32,000 हेक्टेयर वन भूमि को परिवर्तित किया गया। मैं आज सभा का ध्यान इस बात की ओर दिलाती हूं क्योंकि राजस्थान के विकास में विशेष रूप से पर्यावरण मन्त्रालय एक प्रमुख रुकावट बना हुआ है, विशेषतौर पर विद्युत क्षेत्र में। राजस्थान के मुख्यमन्त्री और राजस्थान के संसद सदस्य जो सभी यहां उपस्थित हैं, ने सभा तथा प्रधान मन्त्री का ध्यान इस ओर दिलाया है। यदि 1,32,000 हेक्टेयर भूमि को एक वर्ष में परिवर्तित कर दिया गया है, तो मैं मन्त्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि इसे क्यों परिवर्तित किया गया, कैसे परिवर्तित किया गया ? और जब एक क्षेत्र विशेष के लिए कोयले पर आधारित ताप विद्युत केन्द्र का सुझाव दिया गया है या राजस्थान में विद्युत क्षेत्र में विकास के लिए कुछ क्षेत्रों में गैस पर आधारित विद्युत केन्द्रों का सुझाव दिया गया है, तो पर्यावरण मन्त्रालय पर्यावरण के आधार पर परियोजनाओं में बार-बार क्यों बाधा डालता है ?

मुझे विश्वास है कि राजस्थान से सम्बन्धित सभा के सभी सदस्य जो आज यहां बैठे हैं, प्रधान मंत्री से की जाने वाली इस अपील में मेरा साथ देंगे कि राजस्थान में विद्युत की भारी कमी है और पर्यावरण मंत्रालय परियोजनाओं में रुकावट की अनदेखी नहीं कर सकता जैसाकि यह पर्यावरण गड़बड़ी के आधार पर पिछले 10 वर्षों से करता आ रहा है और राजस्थान में ही नहीं अपितु अन्य राज्यों मे भी इसे विकास की परियोजनाओं को स्वीकृति देनी चाहिए। मैं प्रधान मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वे हमें सभा में यह आश्वासन दें कि राजस्थान में विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए वह हमारी भरसक सहायता करेंगे।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़ गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरे योग्य सहयोगी, जो राजस्थान में मेरे पास के निर्वाचन क्षेत्र से हैं, ने एक अपील की थी कि राजस्थान के सभी संसद सदस्य उनका साथ दें। इसलिए, मैं तहेदिल से उनका समर्थन करता हूं ··(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : आपका हेतु न्यायोचित है। सभी राज्यों के समस्त सदस्य आपका साथ देंगे।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह (जालोर) : अध्यक्ष जी, आपको यह जानकर खुशी होगी कि आज सुबह एक बहुत बड़ा शिष्ट मण्डल, एस० सी० एस० टी० एम० पीज० का बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति से मार्च करके, पैदल यात्रा करता हुआ राष्ट्रपति भवन में पहुंचा और हमने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है जिसमें हमने हरिजनों के ऊपर बढ़ रहे अत्याचारों के बारे में, चाहे वे भूमि वितरण से सम्बन्धित हों, चाहे उनकी भूमि हड़पने से सम्बन्धित हों, साहूकारों के खून चूसने वाले कर्जे से सम्बन्धित हों, बंधुआ मजदूरों से संबंधित हों, मिनिमम वेजेज न मिलने से संबंधित हों, मंदिरों में प्रवेश को लेकर यानी अस्पृश्यता के कारण हों, जल कूप के पास आदिवासी और हरिजन भाइयों को पानी कुओं पर न लेने देने के सम्बन्ध में हों, महिलाओं पर अत्याचारों से सम्बन्धित हों या पुलिस की ओर से तशद्दुद आदि-आदि से सम्बन्धित हों, इन मसलों के बारे में हमने अपना मैमोरेंडम, पूरे विस्तार के साथ लिखकर राष्ट्रपति जी को समर्पित किया है और हम वापस आए, तो मैंने वापस आकर प्राइमिनिस्टर साहब से बात की और मुझे बहुत खुशी हुई कि प्राइमिनिस्टर साहब ने स्वीकृति दी है कि हम सभी मैम्बर उनके साथ मिलकर इस मेमोरेंडम में दिए गए तमाम मसलों के ऊपर उनसे चर्चा करके, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आदेश, निर्देश देने होंगे, वे हम दिलवायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो, तो मैं उस मैमोरेंडम की एक प्रतिलिपि सभापटल पर रखना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसको देख लूंगा।

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें यदि नियमों की कोई बाध्यता हो, तो हम उस को फॉलो करके रखेंगे। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी यहां हैं और चूंकि प्रधान मन्त्री जी की और बूटा सिंह जी में बात हुई है इसलिए मैं प्रधान मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि आप शे० कास्ट्स एवं शे० ट्राइब्स के एम० पीज० को बुला लीजिए और एक बार बात कर लीजिए, यह तो आप कर सकते हैं, इसका तो आप आश्वासन दे दीजिए। एक बार शे० कास्ट्स और शे० ट्राइब्स के एम० पीज० को बुलाकर के समस्या को सुन तो लीजिए। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : आप कुछ तो बोलिए।

श्री बूटासिंह : उन्होंने हमें खाने पर बुलाया है।

प्रधान मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : और क्या चाहिए, मैं बुला रहा हूं। (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : इसका श्रेय सभी दल के लोगों को है।

[**अनुवाद**]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय आज की रैली में केवल अनुसूचित जातियों के माननीय सदस्य ही नहीं थे, हमारे में से भी कुछ सदस्य थे जो ना ही तो अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित हैं और न ही अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं।

[**हिन्दी**]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पहले भी एक बार इस विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित कर चुकी हूं कि दिल्ली में और इस देश के कई बड़े महान् नगरों में कई क्लीनिक ऐसे खुल रहे हैं जो विज्ञापन के जरिए, अखबार में विज्ञापन देकर··· (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : उसका बिल आ गया है।

कुमारी उमा भारती : मेरा निवेदन सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : बिल आने पर भी आप सुनाएंगी।

कुमारी उमा भारती : इस विषय पर मुझे आश्वस्त किया गया था कि इस सत्र के समापन के पहले इसके बारे में सरकार अपना कोई न कोई निर्णय देगी। प्रधान मन्त्री जी यहां पर विराजमान हैं।

अध्यक्ष महोदय : कल बिल इन्ट्रोड्यूस हुआ है, आप पेपर में पढ़िए।

कुमारी उमा भारती : मैं प्रधान मन्त्री जी और सरकार को धन्यवाद देती हूं।

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान बिहार सरकार के प्रति केन्द्र सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति की ओर खींचना चाहता हूं। 1974 से आज तक बिहार में एक किलोमीटर भी नई सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। साथ ही राष्ट्रीय उच्च पथ सड़क की मरम्मत के लिए जितना आवंटन चाहिए वह भी नहीं दिया गया है। सड़क की हालत इतनी खराब है कि वहां चलने के लिए सड़कों में रास्ता खोजना पड़ता है। सड़क इतनी खराब है कि हर दूसरे दिन दुर्घटनाएं हुआ करती हैं। खासकर राष्ट्रीय उच्च पथ जिसे जी० टी० रोड कहते हैं, इसकी हालत बड़ी दयनीय है। राष्ट्रीय उच्च पथ-30 जिसे महान स्वतंत्रता सेनानी, वीर योद्धा श्री कुंवरसिंह पथ कहा जाता है, इसकी हालत भी बहुत खराब है। आज तक इन सड़कों की मरम्मत के लिए पर्याप्त राशि नहीं दी गई है। मेरी भारत सरकार से मांग है कि बिहार का हक दिया जाए। यदि सरकार ऐसा नहीं करेगी तो बिहार सरकार और वहां की जनता केन्द्र सरकार से अपनी मांगों के लिए संघर्ष करेगी और शान्तिपूर्ण धरना देगी।

[अनुवाद]

प्रो० के०वी० थामस (एरनाकुलम) : महोदय, सोवियत संघ में विभिन्न महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में चार हजार भारतीय विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। वे सोवियत संघ रूस की स्कालरशिप पर गए थे। अब, वर्तमान राजनैतिक स्थिति के पश्चात नए गणराज्य पहले किए गए समझौतों तथा वायदों को नहीं मान रहे हैं। रूबल का मूल्य गिर गया है। लेन-देन डालर या पौण्ड में हो रहा है। इसके फलस्वरूप हुई भारतीय विद्यार्थी भुखमरी के कारण पर हैं।

मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें ताकि 4000 विद्यार्थी जो या तो मेडीकल कालेजों या इन्जीनियरिंग कालेजों या विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत हैं, अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस मामले में ध्यान दें।

श्री दत्तात्रेय बंडारु (सिकन्दराबाद) : अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद। आन्ध्र प्रदेश के हमारे माननीय सदस्य ने बताया कि—

अध्यक्ष महोदय : आप रिपीट मत कीजिए, इसको इंडोर्स करके बैठ जाइए।

श्री दत्तात्रेय बंडारु : आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम् जिले में जो ब्लैक ग्रेनाइट, जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है, वह वहां मिलता है।

अध्यक्ष महोदय : आप कह दें कि उससे सहमत हैं तो उससे बस हो जाता है। दूसरा कुछ है तो बता दें।

श्री दत्तात्रेय बंडारु : इसको वहां की सरकार ने लीज के लिए प्राइवेट व्यक्तियों को दिया था। इसको अब आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कैंसिल कर दिया है। मैं इस संबंध में कल प्रधानमन्त्री जी से भी मिला था और उनको मैमोरंडम पेश किया था। इसके एक्सपोर्ट करने से 6 हजार से साढ़े 6 हजार करोड़ रुपए तक फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। मैं प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह एन० एम०डी०सी० के माध्यम से माईंस आपरेशन करें ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को धनराशि प्राप्त हो। हमारे श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक के लोन से टेंडर बुलाए गए। वह नॉमिनेशन बेसिज पर टेंडर दे रहे हैं जबकि यह रूल्स के खिलाफ है। इसमें भी 270 करोड़ रुपए का गोल-माल है। इसके अलावा सिंगरेनी कोलयरिज में जो फॉरेन टैक्नॉलाजी लगाई गई है उससे भी 240 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार इसकी जांच करने के लिए एक कमेटी नियुक्त करे। इतना ही मुझे कहना है।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, गत तीन सितम्बर को भारत और नेपाल के अधिकारियों की उच्च स्तरीय वार्ता हुई थी। हमारे मंत्रिमंडलीय सचिव का वक्तव्य आया है कि उसमें सकारात्मक बातें हुई हैं। कोसी, पचेश्वरी, करनाली बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के बारे में आग्रह यह है कि नेपाल के बारे में हमारे अधिकांश अधिकारी और कुछ राजनेता ऐसी नीति रखते हैं कि जैसे कोई विरोधी देश के साथ रखता हो। प्रकृति ने हमें सहोदर बनाया है। इतिहास और संस्कृति ने भी हमें सहोदर बनाया है। हिमालय, पहाड़, नदियां सब हमें प्रदान की हैं। हमने इस कारण इन पर बहुत सारा खर्चा किया है कि नेपाल को फायदा न हो, हमें हो लेकिन उससे हमें और नेपाल दोनों को नुकसान हुआ है। तटबंध की नीति से सूखा और बाढ़ में बढ़ती होती गई। चूंकि मैदान में उसका इलाज नहीं हो सकता है, उसका इलाज वहां हो सकता है जहां हिमालय, नदी गिरती है और वहां

बहुउद्देश्यीय डैम के बनने से हो सकता है। हमने लाखों-करोड़ों रुपया बरबाद किया सूखा बढ़ाने के लिए और बाढ़ बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए नहीं। जो परियोजना 1981 में भेजी गई थी भारत से नेपाल को, एक बराहक्षेत्र डैम के लिए जिससे 3500 मेगावाट जल विद्युत की उत्पत्ति होनी थी, केवल एक डैम से और कोसी पर 7 हजार मेगावाट का उत्पादन होना था, उसमें अड़ंगा लगाया जाता है कि नेपाल ने जापानी टीम की राय से उसे कुछ ऊपर से बनाया है। यह योजना हमारे खिलाफ नहीं है। उससे बाढ़ के पानी को घटाने में बल मिलेगा और विद्युत उत्पादन में बाधा होगी नहीं। ऐसी वाहियात बातों को लेकर—

अध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म करिए।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं खत्म कर रहा हूं। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि राजनीतिक स्तर पर नेपाल से वार्ता हो। हमारी धनराशि तबाह हो रही है, बाढ़ से, सूखा से और विद्युत संकट से। कोसी, करनाली और पंचेश्वर परियोजनाएं हमारी नासमझी से पड़ी हुई हैं। बराहक्षेत्र डैम के लिए जो रेल पथ बना था, वह भी अब उठाए जाने वाला है। रेल मंत्री मौजूद हैं। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि वह इसको अपने हाथ में ले लें, फिर बाद में बिछाये। वह नेपाल की भूमि पर है और फिर कठिन हो जाएगा। जो जोगबनी से छपरा तक है ··(व्यवधान)···अध्यक्ष जी, मैं खत्म कर रहा हूं। यह केवल बिहार का मामला नहीं है, केवल नेपाल का मामला नहीं है। इतनी विद्युत की उत्पत्ति होगी कि फिर उसकी कमी नहीं रहेगी। 1974 में भारत सरकार ने एक पत्र दिया था, जिसमें यह था कि—

[अनुवाद]

इतनी अधिक बिजली के लिए हमारे पास बाजार नहीं है।

[हिन्दी]

इतनी बिजली को हम खर्च नहीं कर सकेंगे, एक तरफ यह शिकायत है और दूसरी तरफ बाधा डाली जा रही है। मिट्टी के काम में भोज-भात का इन्तजाम होता है। थोड़े राजनेता, थोड़े अधिकारी और थोड़े ठेकेदार मिल कर बांट लेते हैं लेकिन समाधान नहीं हो पाता है। प्रधानमन्त्री जी मौजूद हैं। मेरा आग्रह होगा कि इस सदन में बहुत पहले जो आश्वासन दिया गया था कि राजनीतिक स्तर पर वार्ता होगी, उसे आप करें। छोटी बातों पर कि नेपाल को फायदा होगा या नहीं जो नेपाल को फायदा होगा, वह हमारे लिए भी लाभकारक है, फायदाकारी है, यह सभा जब तक नहीं जाएगी तब तक मित्र को शत्रु बनाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री इसमें अवश्य दखल दें। यही मेरा आग्रह है।

1.00 म०प०

अध्यक्ष महोदय : देखिये, हमारा सदन दो-तीन दिन ही काम करने जा रहा है, इसलिए मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि बहुत सारे सदस्य हैं, जिनको बोलने का मौका भी मिलना चाहिए, बात रखने का मौका देना चाहिए। आज फाइडे होने की वजह से हमें इन्टरवल भी देना जरूरी है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी दूसरे देश में जाकर आए हैं, उनके बारे में स्टेटमेंट भी यहां होना है।

मैं एक खास रिक्वेस्ट हमारे सीनियर मेम्बर्स को यहां कर रहा हूं कि कल परसों दो-तीन दिन जो हैं, दूसरे जो मेम्बर्स हैं उनको बोलने का चांस देंगे और बाकी जो बचे हुए मेम्बर्स हैं मैं उनको कल परसों दूसरे दिन दे दूंगा।

———

सभा पटल पर रखे गए पत्र

हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग आदि के कार्यकरण का वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा समीक्षा

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, मैं श्री शरद पवार की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) तट रक्षक अधिनियम, 1978 की धारा 123 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तट, रक्षक महानिदेशक भर्ती नियम, 1990 जो 23 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 69 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-624/91]

( ) (एक) हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-625/91]

(4) (एक) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-626/91]

रेल यात्री संशोधन नियम, 1991 आदि

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : मैं रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के

अन्तर्गत रेल यात्री (टिकटों का रद्दीकरण और किराया वापसी) संशोधन नियम, 1991, जो 29 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 5¹1 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-627/91]

अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी सोसायटी लिमिटेड, दिल्ली आदि का वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा समीक्षा

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी सोसायटी लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी सोसायटी लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी०-628/91]

बैंककारी कम्पनी अधिनियम, 1970 आदि के अंतर्गत अधिसूचना

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1979, जो 20 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी० डब्ल्यू० पी० एम० 2929:71: आर० ए० ओ० में प्रकाशित हुए थे में संशोधन।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी०-629/91]

(दो) केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1979, जो 26 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी० डब्ल्यू० पी०एल०:-15012:71: आर०ए०ओ० में प्रकाशित हुए थे में संशोधन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं० एल० टी०-630/91]

(तीन) बैंक आफ महाराष्ट्र अधिकारी सेवा संशोधन विनिमय, 1989, जो 1 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या विज्ञापन III/IV-एफ-178/90-91 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल० टी० सं० 631/91]

(2) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कारपोरेशन बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1989, जो 20 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या II/आर० डी०/जी/588 '1/010/90 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं० एल० टी०-632/91]

(3) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी-III और श्रेणी-IV कर्मचारी (सेवा शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 1991, जो 11 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 338 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी-III कर्मचारी (परीक्षा पास करने पर विशेष भत्ता) संशोधन नियम, 1991, जो 11 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 339 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी०-633/91]

(4) रक्षा सेवाओं के लिए वर्ष 1989-90 के विनियोग लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं० एल० टी०-634/91]

(5) (एक) भारतीय आयात-निर्यात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 19 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय आयात-निर्यात बैंक के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय आयात-निर्यात बैंक के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं० एल० टी०-635/91]

आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1967 आदि की धारा 3 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचनाएं

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) का० आ० 183 (अ), जो 14 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 5 अक्तूबर, 1990 के आयात व्यापार

(नियंत्रण) आदेश संख्या 41/90-92 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का० आ० 433 (अ) जो 28 जून, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि 30 मार्च, 1990 का आयात व्यापार नियंत्रण आदेश संख्या 1/90-93 (खुली सामान्य विज्ञप्ति संख्या 1/90) 31 जुलाई, 1991 तक और निलम्बित रहेगा।

(तीन) का० आ० 431 (अ), जो 28 जून, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि 30 मार्च, 1990 का आयात व्यापार नियंत्रण आदेश संख्या 3/90-93 (खुली सामान्य विज्ञप्ति संख्या 3/90) 31 जुलाई, 1991 तक और निलम्बित रहेगा।

(चार) का० आ० 432 (अ), जो 28 जून, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि 30 मार्च, 1990 का आयात व्यापार नियंत्रण आदेश संख्या 7/90-93 (खुली सामान्य विज्ञप्ति संख्या 7/90) 31 जुलाई, 1991 तक और निलम्बित रहेगा।

(पांच) का० आ० 448 (अ), जो 4 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि 30 मार्च, 1990 का आयात व्यापार नियंत्रण आदेश संख्या 1/90-93 (खुली सामान्य विज्ञप्ति संख्या 1/90) को आयात और निर्यात नीति. 1990—93 की शेष अवधि के लिए निलंबित रखा जाएगा।

(छह) का० आ० 449 (अ), जो 4 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 की खुली सामान्य विज्ञप्ति संख्या 1/90) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सात) का० आ० 450 (अ), जो 4 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि 30 मार्च, 1990 का आयात व्यापार नियंत्रण आदेश संख्या 3/90-93 (खुली सामान्य विज्ञप्ति संख्या 3/90) को आयात और निर्यात नीति, 1990 - 93 की शेष अवधि के लिए निलम्बित रखा जायेगा।

(आठ) का०आ० 522(अ), जो 14 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1991 के आयात व्यापार नियंत्रण आदेश संख्या 1/90-93 (खुली सामान्य विज्ञप्ति संख्या 1/90) में कतिपय संशोधन किये गए हैं।

(नौ) का०आ० 523(अ), जो 14 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात व्यापार नियंत्रण आदेश संख्या 7/90-93 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दस) का० आ० 524 (अ), जो 14 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात व्यापार नियंत्रण आदेश

संख्या 15/90—93 (खुली सामान्य विज्ञप्ति संख्या 15/90) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(ग्यारह) का०आ० 525(अ), जो 14 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 199 के आयात व्यापार नियंत्रण आदेश संख्या 16/90-93 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बारह) का०आ० 531 (अ), जो 6 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात व्यापार नियंत्रण आदेश संख्या 16/90-93 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेरह) का०आ० 559(अ), जो 29 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात व्यापार नियंत्रण आदेश संख्या 1/90-93 (खुली सामान्य विज्ञप्ति संख्या 1/90) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौदह) का०आ० 560 (अ), जो 29 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात व्यापार नियंत्रण आदेश संख्या :/90-93 (खुली सामान्य विज्ञप्ति संख्या 3/90) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए सं० एल० टी०-636/91]

(2) निर्यात निरीक्षण परिषद तथा निर्यात निरीक्षण एजेंसियों के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन (खण्ड-II)* को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं० एल० टी०-63-/91]

1.03 म० प०

प्रधान मन्त्री द्वारा वक्तव्य

जर्मन संघीय गणराज्य की यात्रा

प्रधान मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैंने 5 से 7 सितम्बर, 1991 तक जर्मन संघीय गणराज्य की यात्रा की थी। मेरी यह यात्रा असल में तो एक सद्भावना यात्रा थी और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य चांसलर हेलमट कोल के साथ जर्मनी में भारत महोत्सव का उद्घाटन करना था इस मौके से फायदा उठाकर मैंने जर्मनी के नेताओं के साथ बहुत तरह के द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार-विमर्श किया। अपनी इस यात्रा के दौरान मैंने राष्ट्रपति रिचर्ड वोन वाईजेकर तथा चांसलर हेलमट कोल से मुलाकात की और उनके साथ मेरी यह मुलाकात एक घंटे से अधिक चली। मैं वहां के आर्थिक सहयोग मंत्री डा० स्प्रेंगर और अर्थ मन्त्री डा० जुएजन मोइलमान से भी मिला तथा भारत-जर्मन आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के बारे में उनसे बातचीत की।

---

* वार्षिक प्रतिवेदन (खण्ड-II) 23-8-1991 को सभा पटल पर रखा गया था।

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

अपनी इस यात्रा के दौरान मेरी मुलाकात जर्मनी के व्यापारिक समुदाय के प्रमुख सदस्यों के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों से भी हुई और वहां के प्राच्य विद्याविदों से भी दोपहर के खाने पर मेरी भेंट हुई। मेरी मुलाकात जर्मनी में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से एक स्वागत समारोह में हुई जिसका आयोजन जर्मनी में हमारे राजदूत ने किया। मेरी ये सभी मुलाकातें अपने-अपने ढंग से महत्वपूर्ण थीं।

अपनी इन बैठकों में मैंने वहां के लोगों को इस बात से अवगत कराया कि हमने अपनी आर्थिक नीतियों में हाल ही में क्या-क्या परिवर्तन किए हैं और इस बात पर बल दिया है कि सहज विकास में भी उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसका आविर्भाव हमारे विकास के मौजूदा स्तर और मौजूदा अवस्थान की तार्किकता से हुआ है। यही वजह है कि इस प्रवाह को अब विपरीत दिशा में मोड़ा नहीं जा सकता। इन परिवर्तनों को भारत की जनता और भारतीय संसद का समर्थन भी प्राप्त है।

जर्मन पक्ष ने इन परिवर्तनों के स्वरूप और महत्व को पूरी तरह समझा और सराहा तथा अपनी इन नीतियों पर दृढ़तापूर्वक अग्रसर होने के भारत के संकल्प को भी सराहा। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि भारत और जर्मनी के बीच भावी सहयोग के स्वरूप को निश्चित करने के लिए ये परिवर्तन निर्णायक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और इस काबिल भी कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से इन्हें पूरा-पूरा समर्थन मिले। जर्मनी के चांसलर ने मुझे बताया कि एकीकरण की उनकी प्रक्रिया तथा यूरोप की घटनाओं के संदर्भ में खास तौर पर सोवियत संघ की घटनाओं के सन्दर्भ में जर्मनी पर जो नए-नए बोझ आ गए हैं उनके बावजूद जर्मनी भारत के विकास में सहयोग देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

जर्मनी में भारत महोत्सव का उद्‌घाटन जर्मन लोगों के सांस्कृतिक जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। अपने उद्‌घाटन भाषण में चांसलर कोल ने इसके बारे में कहा कि "जर्मनी की धरती पर किसी मित्र देश का यह अब तक का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन है।" यह महोत्सव पूर्णत: सफल होगा तथा जर्मनी के लोगों के दिल और दिमाग पर इसकी एक अमिट छाप अंकित होगी।

मैंने इस महोत्सव को श्री राजीव गांधी की स्मृति में समर्पित किया जिन्होंने इस महोत्सव के विचार को अब से तीन वर्ष पहले चांसलर कोल के साथ अपनी मुलाकात में रखा था। श्री राजीव जी ने भारत-जर्मन सहयोग को आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इसी तरह का जर्मन महोत्सव वर्ष 1993-94 में भारत में मनाया जाएगा।

माननीय सदस्य यह जानते हैं कि भारतीय संस्कृति के प्रति जर्मनी के लोगों में कितना आकर्षण, कितना उत्साह और कितनी ललक है और माननीय सदस्य यह भी जानते हैं कि भारत-जर्मन संबंधों को स्वरूप प्रदान करने में संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण रही है। आधुनिक काल में हमारे दोनों देशों के बीच राजनैतिक और आर्थिक कार्यकलापों के विकास से पहले संस्कृति ही सम्बन्धों का आधार थी। जर्मनी के प्राच्य विद्याविदों के साथ मेरी मुलाकात से निस्संदेह यह सिद्ध हुआ कि जर्मन के विद्वानों और बुद्धिजीवियों की भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक परम्परा में अब भी पहले जैसे ही दिलचस्पी है तथा भारत के समसामयिक परिदृश्य में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है। हमारे लिए यह बहुत जरूरी है कि केवल जर्मन के ही नहीं बल्कि समस्त संसार के

प्राच्य विद्याविदों में भारत के विषय में ज्ञानार्जन की जो ललक है उसे प्रोत्साहित करने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करें। सांस्कृतिक सम्पर्क और पारस्परिक आदान-प्रदान ही ऐसे प्रमुख स्रोत हैं जिनसे एक देश दूसरे देश को और एक समाज दूसरे समाज को अच्छी तरह समझ सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें चाहिए कि अब हम दिल्ली में अथवा भारत में किसी अन्य उपयुक्त जगह पर प्राच्य विद्या विदों का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाएं। मैं राज्यों के मुख्यमन्त्रियों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे इसमें अपना सहयोग दें। मुझे इस बात का विश्वास है कि इस आयोजन को भारत के शैक्षिक तथा सांस्कृतिक वर्ग से भी पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा।

मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद किसी विदेश की मेरी यह पहली यात्रा बहुत अच्छी और सफल रही और मैं जिन उद्देश्यों को लेकर गया था, उन्हें प्राप्त करने में मुझे सफलता मिली। मुझे विश्वास है कि इस यात्रा से भारत-जर्मन सहयोग को एक नया प्रोत्साहन मिलेगा। मुझे इस बात की विशेष रूप से खुशी है कि इस अवसर पर मुझे चांसलर कोल से एक बार फिर मिलने का मौका मिला। उन्होंने मुझसे अपनी यह इच्छा व्यक्त की कि वे यह चाहते हैं कि भारत उदीयमान नए यूरोप के और निकट आए और उनकी यह इच्छा हमारे लिए विशेष महत्व की है।

— — — —

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय आज हमने गैर सरकारी सदस्यों का कार्य समाप्त करने के बाद कार्य करने का निर्णय लिया है। मैं नियम 377 के अन्तर्गत आने वाले मामलों को लेने के बाद सभा को स्थगित कर रहा हूं ताकि हम मध्यान्ह भोजन कर सकें।

अब मैं श्री पलाई० के० एम० मैथ्यू को नियम 377 के अन्तर्गत मामला उठाने के लिए पुकारता हूं।

1 06 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) छोटे इलाइची उत्पादकों को दिए गए ऋणों को माफ करने तथा उनको अन्य करों में भी छूट देने की आवश्यकता

श्री पाला, के० एम० मैथ्यू (इदुक्की) : छोटे इलाइची उत्पादकों को भारी कठिनाई हो रही है, मसाला बोर्ड इलाइची पुनर्रोपण ऋण योजनाओं के अन्तर्गत किसानों द्वारा लिए गए ऋणों को वसूल करने के लिए कठोर कदम उठा रहा है।

पिछले वर्ष आए चक्रवात और कम वर्षा के कारण छोटे किसान ऋण वापस लौटाने की स्थिति में नहीं हैं। सरकार को इन इलाइची ऋणों के लिए भी ऋण माफी सुविधा का विस्तार करना चाहिए। कृषि आयकर का विस्तार 4 हैक्टेयर तक किया जाना चाहिए। इलाइची उत्पादकों से पंचायत व्यावसायिक कर नहीं लिया जाना चाहिए। कुठागपट्टम भूमि के कब्जाधारियों को पट्टे जारी करने चाहिए। इलायची के किसानों को बर्बाद करने हेतु बिक्री कर अधिनियम आदि के अन्तर्गत कर न चुका पाने वाले की भूमि की नीलामी बिक्री को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(दो) बोलनगीर में विशेष विकास बोर्ड गठित करने की आवश्यकता

श्री शरत चन्द्र पटनायक (बोलनगीर) : उड़ीसा के तीन जिले, बोलनगीर, कालाहांडी और फूलबनी उड़ीसा के सबसे पिछड़े क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में एक भी बड़ा उद्योग नहीं है। प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद भी इन क्षेत्रों में शिक्षा, उद्योग, परिवहन, सिंचाई और कृषि के क्षेत्र में विकास की दर राज्य की विकास दर से बहुत कम है। आर्थिक विकास की दर कम है। साक्षरता दर भी बहुत कम है। इन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत अधिक होने के कारण उनके जीवन के रहन-सहन में सुधार करने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। यद्यपि इन क्षेत्रों से बहुत बड़ी मात्रा में राजस्व एकत्रित किया जाता है परन्तु विभागीय कार्य में इस क्षेत्र की भागेदारी बहुत कम है। गरीबी, निरक्षता और सूखे से निपटने तथा यहां के नागरिकों के रहन-सहन में सुधार करने के लिए बोलंगीर में सौराष्ट्र और विदर्भ की तरह तत्काल विशेष विकास बोर्ड स्थापित किया जाए।

(तीन) "पट्टा प्रणाली" समाप्त करने के लाभ सहकारी आवास समितियों को भी देने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, सरकार का निर्णय निःसंदेह अत्यंत सराहनीय है जिसके तहत "लीज सिस्टम" को समाप्त कर "फ्री-होल्ड" में बदलने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत ऐसा प्रावधान है कि एक मुश्त, एक निश्चित धनराशि संबंधित व्यक्ति से वसूल कर ली जाएगी। निश्चित रूप से इससे जहां एक ओर वर्तमान परिस्थितियों में सरकार को एक साथ एक बहुत बड़ी धनराशि उपलब्ध होगी, वहीं दूसरी ओर फ्लैट/प्लाट स संबधित व्यक्तियों को भी हर वर्ष दिए जाने भू-किराए (ग्राउण्ड रेंट) के मानसिक बोझ से राहत मिलेगी और साथ-साथ प्रशासनिक बोझिलता भी बहुत हद तक कम हो जाएगी। यद्यपि यह निर्णय प्लाट/फ्लैट मालिकों, दोनों पर लागू होगा, परन्तु इस निर्णय के अन्तर्गत यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कोआपरेटिव सोसायटियों द्वारा आबंटित प्लाट/फ्लैट से संबंधित व्यक्तियों पर भी यह समान रूप से लागू होगा। यदि ऐसा नहीं है तो इस प्रस्तावित व्यवस्था को कोआपरेटिव सोसायटियों द्वारा आबंटित सम्पत्तियों पर भी लागू किया जाना आवश्यक है ताकि यह सुविधा अधिक-से-अधिक व्यक्तियों को उपलब्ध हो सके।

अतः मैं सरकार से मांग करूंगा कि उक्त निर्णय को क्रियान्वित करने से पूर्व समस्त भ्रांतियों का निराकरण कर लिया जाए और तभी इस निर्णय को लागू किया जाए—यही जनहित में भी होगा। यह फ्री-होल्ड सिस्टम प्रणाली लीज सिस्टम समाप्त कर पूरे भारतवर्ष में लागू की जाए।

(चार) अमहदाबाद शहर के लिए पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : महोदय, अहमदाबाद देश के सबसे अधिक प्रदूषण वाले शहरों में से एक है। मिट्टी का तेल, लकड़ी का कोयला आदि के, जिनका घरेलू और औद्योगिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है, विकल्पों से प्रदूषण का स्तर कम होगा और लोगों, विशेषतः समाज के मध्यम और निचले वर्गों की महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा। मिट्टी के तेल की बचत से विदेशी मुद्रा का निर्गमन कम होगा। लकड़ी के विकल्प से वन सम्पदा के संरक्षण में मदद मिलेगी

जो कि बहुत कम है। पाइप द्वारा गैस की सप्लाई से अहमदाबाद शहर की अर्थव्यवस्था को प्रभावी ढंग से प्रोत्साहन मिलेगा।

गुजरात में अनेक स्थानों पर गैस के भंडार मिले हैं। इस संबंध में एक विस्तृत संभाव्य परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की गई है और उसे भारत सरकार के पास भेजा गया था। इसके बारे में राज्य सरकार ने तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए कम से कम 1 एम सी-एम डी गैस आवंटित करने का अनुरोध किया है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को सूचना दी है कि गैस के प्रयोग की नीति को अन्तिम रूप देने के बाद अहमदाबाद शहर को गैस का आवश्यक आवंटन करने पर विचार किया जाएगा।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि गैस के प्रयोग की नीति पर तत्काल निर्णय किया जाए और अहमदाबाद शहर को गैस का नियत हिस्सा दिया जाए।

(पांच) विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में बुनकरों तथा विद्युत करघा और हथकरघा श्रमिकों को रियायती दरों पर धागा सप्लाई करने की आवश्यकता

डा० असीम बाला (नवद्वीप) : महोदय, सूत के मूल्यों में हाल ही में वृद्धि के कारण पश्चिम बंगाल में लाखों बुनकर, विशेषत: हथकरघा और विद्युतकरघा श्रमिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। इसमें 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वृद्धि हुई है और बुनकर तथा श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। छोटे और सीमान्त बुनकरों की इस सूती धागे को खरीदने की क्षमता नहीं है जिसका गरीब बुनकर बहुत अधिक प्रयोग करते हैं और अधिकांश कपड़े, जिन्हें हमारे देश के गरीब लोग पहनते हैं, इसी सूत से बनाए जाते हैं। इन परिस्थितियों में यदि सरकार आवश्यक कदम नहीं उठाएगी तो बुनकर अपना व्यवसाय छोड़ने के लिए बाध्य हो जायेंगे। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि बुनकरों को रियायती दर पर धागे की सप्लाई के लिए तत्काल आवश्यक प्रबन्ध किए जायें।

(छ) रवीन्द्रनाथ टैगोर की कृतियों पर प्रतिलिप्याधिकार की अवधि को बढ़ाने के लिए प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की विस्तृत समीक्षा करने की आवश्यकता

श्री चित्त बसु (बारसात) : महोदय, टैगोर की पुण्य तिथि के 50 वर्ष पूरे होने पर उनकी कृतियों का प्रतिलिप्याधिकार 31 दिसम्बर, 1991 को समाप्त हो जाएगा।

विश्व भारती विश्वविद्यालय के उपकुलपति के नेतृत्व में एक शिष्ट मंडल ने मानव संसाधन विकास मंत्री और प्रधान मंत्री से भेंट की थी और रवीन्द्रनाथ टैगोर की कृतियों के प्रतिलिप्याधिकार की, जो कवि ने स्वयं ट्रस्ट डीड द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय को दे रखा है, अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था। उन्होंने अपने अनुरोध के समर्थन में कलकत्ता उच्च-न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से प्राप्त कानूनी सलाह के सहित प्रासंगिक पत्र भी प्रस्तुत किए थे।

टैगोर का दार्शनिक, लेखक, रचयिता, शिक्षाविद् और कलाकार के रूप में एक अनूठा स्थान है। उनकी वास्तविक छवि बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है पर 31 दिसम्बर, 1991 को प्रतिलिप्याधिकार की अवधि समाप्त होने के बाद उनकी कृतियों के सम्भावित अनियन्त्रित व्यवसायीकरण से ऐसी स्थिति बनाए रखना सम्भव नहीं है।

सरकार ने यह बताया है कि जब प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 के उपबन्धों की

[श्री चित्त बसु]

व्यापक रूप से समीक्षा की जाएगी तो इस समीक्षा के साथ-साथ प्रतिलिप्याधिकार को अवधि बढ़ाने के मुद्दे पर भी उचित ढंग से विचार किया जाएगा।

अत्यधिक अविलंबनीय मामला होने के कारण यह आवश्यक है कि इसे प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की व्यापक समीक्षा से अलग रखा जाए और इस मामले के गुणों पर तत्काल निर्णय लिया जाए।

(सात) चलकुडी रेलवे स्टेशन पर उपरिपुल का निर्माण करने की आवश्यकता

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : महोदय, चलकुडी में रेलवे प्लेटफार्म के विस्तार के समय वहां जो सड़क बन्द कर दी गयी उसके स्थान पर पैदल ऊपरी-पुल का निर्माण करना आवश्यक है। रेलवे के दक्षिण की ओर विद्यमान सड़क को, जो रेलमार्ग को चलकुडी नगरपालिका क्षेत्र के पूर्व से पश्चिम को क्रास करती है, रेल अधिकारियों ने यात्रियों की विभिन्न समस्याओं पर विचार किए बिना ही बंद कर दिया था। दक्षिण रेलवे के अधिकारियों से अनुरोध करने पर उसका अनुकूल जवाब नहीं मिला। इसके अलावा विद्यमान सड़क को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया।

रेलमार्ग के पश्चिम की ओर चलकुडी नगरपालिका क्षेत्र के चारों डिवीजनों के लोगों और स्कूल जाने वाले छोटे-छोटे बच्चों, चलने में असमर्थ मरीजों, गर्भवती महिलाओं, दफ्तर जाने वाले लोगों को पूर्वोत्तर की ओर अपने कार्य-स्थल तक पहुंचने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालकर रेल लाइन पार करनी पड़ती है।

इन कठिनाइयों को देखते हुए मेरा सरकार से अनुरोध है कि चलकुडी रेलवे स्टेशन पर रेलवे लाइन की पश्चिम और पूर्व की दिशाओं को जोड़ने वाले एक पैदल ऊपरी पुल का तत्काल निर्माण किया जाए।

1.16 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.15 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.18 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए)

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक–जारी

सभापति महोदय : सभा अब वित्त (संख्यांक 2) विधेयक पर आगे विचार करेगी।

श्री राम कापसे अपना भाषण जारी रखें।

श्री राम कापसे (ठाणे) : सभापति महोदय, कल जब मैंने अपना भाषण शुरु किया था तब मैंने आपको बजट के बाद आपकी संवाददाताओं से हुई बातचीत की याद दिलायी थी। वित्त मंत्री महोदय ने 1991-92 के लिए बजट प्रस्तुत करते हुए निम्नलिखित उद्देश्य बताये थे पहला, मानवोचित व्यवहार करना, दूसरा, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और तीसरा, मुद्रा स्फीति

को रोकना। अब करीब दो महीने बाद यह स्पष्ट हो गया है कि मुद्रास्फीति बढ़ी है और अगस्त-सितम्बर में, जब मुद्रास्फीति सामान्यत: नियंत्रित रहती है, मूल्यों में करीब 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार आप अगले कुछ महीने का अनुमान लगा सकते हैं।

महोदय, मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि इससे गरीबों, निचले और मध्यम वर्ग के लोगों और समाज के कमजोर वर्गों जैसे पेंशनभोगी व्यक्तियों और विधवाओं पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जरूरतमंद लोगों तथा ग्रामीण और शहरी समाज के पीड़ित वर्गों के लोगों की रक्षा करना वित्त मंत्री महोदय का कर्तव्य है। उन्हें वे सभी उपाय वापस ले लेने चाहिए जो इन वर्गों के लोगों को प्रभावित करते हैं और उन तरीकों के विपरीत हैं जो इन लोगों के हितों की देखभाल करते हैं तथा रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। मेरे संशोधन इन बुनियादी सिद्धांतों से प्रभावित हैं इसलिए मेरा सभा से अनुरोध है कि इनका सर्वसम्मत से समर्थन करें।

मेरा पहला संशोधन आयकर की सीमा 2 000 रुपए से बढ़ाकर 48000 रुपए करने के संबंध में है। वित्त मंत्री महोदय ने अपने संवाददाता सम्मेलन में बताया था कि मानवोचित सुधार किए जायेंगे। परन्तु रुपए के अवमूल्यन और मुद्रास्फीति के बाद जब उन्होने आयकर की सीमा बढ़ाने से इन्कार कर दिया तो क्या उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा ? गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग इससे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। परन्तु साथ ही निश्चित निम्न आय वाले सभी लोग—चाहें वे गांवों में हो अथवा शहरों में—बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपा करके आयकर की सीमा बढ़ा दीजिए।

वित्त मंत्री महोदय ने रेस्टोरेंटों में खर्च-कर बढ़ाने से संबंध में हमारे संशोधन को मान लिया है इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। परन्तु मैं यह नहीं समझ पाया कि इसके लिए वातानुकूलन को आधार क्यों माना गया है। मुद्रास्फीति के कारण रेस्टोरेंटों पर पहले से ही दबाव पड़ रहा है और मुम्बई जैसे भीड़ वाले शहरों में अब वातानुकूलन नहीं है।

मैं बैंक सावधि की, जिस पर ब्याज 2500 रुपए से अधिक प्रति वर्ष आती है, ब्याज स्रोत पर कर कटौती के बारे में संशोधन का भी प्रस्ताव करता हूं।

आज छोटे-छोटे जमाकर्ताओं में भय व्याप्त है क्योंकि उनमें से अनेकों के लिए यह ब्याज आय का स्त्रोत है। पेंशन भोगी व्यक्तियों, विधवाओं और वृद्ध लोगों ने, जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई शहरी बैंकों में जमा कर दी है, इन बैंकों से अपनी सावधि रकम को निकालना शुरू कर दिया है। वास्तव में, इससे सरकार को बहुत अधिक आमदनी नहीं होगी। बल्कि यह जरूरत मंद लोगों के हितों के विपरीत है और सहकारिता आन्दोलन के भी विपरीत है। इससे बचत की आदत भी नहीं पड़ेगी और इससे बैंकों और आयकर विभाग दोनों को समस्यायें पैदा होंगी आयकर अधिनियम की धारा 80 एल के अंतर्गत ब्याज से 7000 रुपए तक की आमदनी की छूट दी गई है। क्या यह प्रस्ताव आयकर उपबन्धों के विपरीत नहीं होगा।

यही तर्क राष्ट्रीय बचत योजना से धन निकलने पर 20 प्रतिशत की दर से और बैंकों से लाभ कमाने पर 3 प्रतिशत की दर से आयकर की कटौती पर लागू होता है मैं इन उपायों को वापस लेने के लिए एक संशोधन का भी प्रस्ताव करता हूं।

सहकारी बैंक लोकतांत्रिक संस्थायें हैं जिन्होंने लुटेरे साहूकारों से मुक्ति दिलायी है। ये बैंक समाज के निचले स्तर के लोगों को इसी वर्ग के लोगों से सावधि धन एकत्रित करके ऋण

[श्री राम कापसे]

संबंधी आवश्यकतायें पूरी करते हैं। इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में करीब 0.559 करोड़ रुपए की राशि लघु बचत के द्वारा एकत्रित की है। उन्होंने मूल्य प्रणाली पर वांछित प्रभाव डालने के लिए विमायक अधिकारी की मदद की है और बचत की आदत डालने में सहायता की है।

उन्होंने समाज के निम्न और निम्न मध्यम वर्ग तथा कमजोर वर्गों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होने लघु उद्योगों के वित्त पोषण के माध्यम से स्वरोजगार और रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यदि उन्हें ऋण की ब्याज दर बढ़ाने पर मजबूर किया गया तो ये ग्राहक भी बुरी तरह प्रभावित होंगे और इस समय तो लघु उद्योग भी बहुत बुरी स्थिति में है।

वास्तव में, वित्त मन्त्री उत्पादन शुल्क में छूट देकर रंग रोगन उत्पादन उद्योग जैसे लघु उद्योगों की सहायता कर सकते हैं। लगभग 2000 लघु एकक रंग-रोगन बनाते हैं और उन्हें सुदृढ़ बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा भी करनी होती है। यदि उन पर 22 प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगा दिया जाता है तो वे बड़े उद्योगों से सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा नहीं कर पायेंगे। मैं वित्तमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह लघु उद्योगों की तरफदारी करें और यह सुनिश्चित करें कि वे फले फूलें न कि नष्ट हों।

अन्त में मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह नए आत्मचिन्तन करें और विचार करें कि हम कहां जा रहे हैं। सुधारों की तीव्र आवश्यकता का कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन निदान समस्या से बदतर नहीं होना चाहिए। उर्वरक सब्सिडी और सहकारी बैंकों के बारे में उनके उपायों के बाद, शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के बारे में समभाव रखने का उपाय दोनों क्षेत्रों के अत्यन्त संवेदनशील वर्गों पर एक अविवेकपूर्ण आक्रमण दिखाई देता है।

हमें अपने देश की विकासशील प्रकृति और इसमे व्याप्त स्पष्ट असमानताओं को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। आज गरीबों की सुरक्षा करना और शुमाचर के शब्दों—"लघु सुन्दर है।" को याद रखने की आवश्यकता है।

श्री विल्लाज्ञायी ओनिवासन (डिंडीगुल) : सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक पर कुछ कहना चाहता हूं। देश आर्थिक दृष्टि से संकट में है और हमें कठोर उपाय करने हैं। 2005 करोड़ रुपए के नए कर प्रस्तावित किए गए हैं। जबकि आवश्यक मदों को कर मुक्त रखा गया है, जनता के आम उपभोग की वस्तुओं की कीमत और बढ़ेगी। लोगों में एक डर व्याप्त है कि मूल्य में और अधिक वृद्धि होगी। मूल्यों में वास्तव में ही बहुत वृद्धि हुई है और इससे आम आदमी प्रभावित हुआ है। जब तक वित्त मंत्री महोदय काले धन और जमाखोरी के खिलाफ कठोर कदम नहीं उठायेंगे, मूल्य वृद्धि जारी रहेगी।

बड़े किसान उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि को गरीब किसानों की तरफ ढकेल देंगे और इससे उनकी मजबूरी प्रभावित होगी। इसलिए सभी किसानों के बारे में उर्वरक में मूल्य-वृद्धि के विचार को छोड़ देना चाहिए।

रसोई गैस आम उपभोक्ता की चीज है। जिसे सभी प्रयोग करते हैं। इस वृद्धि से लोग रसोई गैस का उपयोग बन्द कर देंगे और गांवों में लोग परम्परागत रूप से लकड़ी को ईंधन के

रूप में प्रयोग करेंगे जिसके परिणाम स्वरूप पेड़ों की कटाई होने लगेगी। इसलिए वे रोकने हेतु वित्त मन्त्री को रसोई गैस सिलिंडर पर मूल्य वृद्धि वापस ले लेनी चाहिए।

एक प्रजातांत्रिक देश में प्रेस को स्वतन्त्रता देनी चाहिए। समाचार पत्र साक्षरता को बढ़ावा देते हैं, आम लोगों को शिक्षित करते हैं और उन्हें प्रबुद्ध करते हैं। अखबारी कागज के मूल्य में भारी वृद्धि से समाचार पत्रों के दाम बढ़ जायेंगे। इससे गांवों में सूचना-प्रसार को धक्का लगेगा। इसलिए इस क्षेत्र में मूल्य वृद्धि नहीं की जानी चाहिए।

कुल मिलाकर मैं बड़े और छोटे उद्योगों को दी जाने वाली रियायत का स्वागत करता हूं। बहुत से उद्योगों के लिए लाइसेंस प्रणाली समाप्त कर दी गई है। इससे काले धन पर रोक लगेगी।

चूंकि सरकार औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने की इच्छुक है इसलिए सरकार को यह भी देखने का इच्छुक रहना चाहिए कि सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को बिना किसी विलम्ब के मंजूरी मिले।

तमिलनाडु सरकार ने मद्रास में एरोमैटिक संयंत्र की स्थापना का अनुरोध किया था। इसे तुरन्त मंजूरी मिलनी चाहिए। दक्षिणी गैस पाइप लाइन परियोजना भी काफी समय से लम्बित है। परियोजना व्यावहारिक है और इससे तमिलनाडु को बिजली का संकट दूर करने में सहायता मिलेगी। मैं सरकार से इस परियोजना को मंजूरी देने में उच्च प्राथमिकता देने का अनुरोध करता हूं।

ऊटी में एक सिने कलर फिल्म एकक की स्थापना का प्रस्ताव था। आशय पत्र पहले ही जारी किया जा चुका था। सरकार को ऊटी में इस कलर फिल्म एकक की स्थापना अवश्य करनी चाहिए जिससे कि तमिलनाडु के पिछड़े उद्योग को सहायता मिल सके। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह ऊटी कलर फिल्म एकक की स्थापना के सम्बन्ध में तुरन्त कदम उठाने लिए सम्बन्धित विभाग को निर्देश दें।

तमिलनाडु बिजली बोर्ड को पारादीप बंदरगाह से कोयला आता है। इसको लम्बी रेल और सड़क परिवहन से होकर आना पड़ता है। यदि पारादीप बन्दरगाह में कोयले के ढुलाई-कार्य को यंत्र चालित कर दिया जाय तो बिजली उत्पादन के लिए तमिलनाडु बिजली बोर्ड के पास कोयला सस्ती दरों पर पहुंचेगा। तूतीकोरन या कन्याकुमारी में मुक्त बन्दरगाह बनाया जाना चाहिए। यह प्रस्ताव अभी भी केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन लम्बित है।

खाड़ी युद्ध के कारण तेल संकट के दौरान केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम की बसों पर डीजल में 10 प्रतिशत की कटौती लगाई थी। अब स्थिति सामान्य हो गई है। अब यह कटौती हटा दी जानी चाहिए। लगभग 70 प्रतिशत बस यात्री राज्य परिवहन की बसों से यात्रा करते हैं। इसलिए इस कार्य को जल्दी करना चाहिए।

श्री राजीव गांधी ने ग्रामीण क्षेत्रों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए एक प्रौद्योगिक मिशन चलाया था। राज्य सरकार इस वर्ष ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए 40 करोड़ रुपया उपलब्ध कराने पर सहमत हो गई है। मैं केन्द्रीय सरकार से इस योजना के क्रियान्वयन के लिए उतनी ही राशि का अनुदान देने का अनुरोध करता हूं।

[श्री चिन्नासामी श्रीनिवासन]

तमिलनाडु में पुलिस व्यवस्था में सुधार करने के लिए 1991-92 के दौरान 20 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। केन्द्रीय सरकार लगभग 10 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गई है। इस मामले से जनता की सुरक्षा जुड़ी है इसलिए तत्संबंधी पूरी मांग मान ली जानी चाहिए।

तमिलनाडु की मुख्य मंत्री श्रीमती पुराची कलाइग्नी जयललिता के गतिशील नेतृत्व में राज्य में मद्यनिषेध कड़ाई से लागू कर दिया गया है और सस्ती मद्य-परियोजना को समाप्त कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष के दौरान 320 करोड़ रुपए के राजस्व का घाटा हुआ है। केन्द्रीय सरकार को इस राजस्व घाटे को पूरा करने लिए विशेष अनुदान देना चाहिए।

मैं वित्त विधेयक का स्वागत करता हूं। अन्त में, मैं सरकार से वेतनभोगी वर्ग के संबंध में आयकर की सीमा को बढ़ाकर 48,000 रुपए करने का अनुरोध करता हूं।

मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री मेरे सभी सुझावों पर विचार करेंगे और उत्तर देते समय अनुकूल उत्तर देंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री संदीपन भगवान थोरट (पंढारपुर) : सभापति महोदय, मैं कुछ सुझावों के साथ वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। माननीय वित्त मंत्री द्वारा लाया गया वित्त विधेयक वर्तमान समय में देश के लिए बहुत उपयोगी है। योजना आयोग देश में वित्तीय भूमिका निभाने वाला मुख्य निकाय है। अनुसूचित जाति का सदस्य होने के नाते मैं महसूस करता हूं कि योजना आयोग मे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई सदस्य नहीं है। क्योंकि आप भी अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सुझाव देता हूं कि योजना आयोग में कम से कम एक सदस्य हमारे वर्गों का होना चाहिए जिससे हमारे हितों की रक्षा हो सके।

योजना में ही कुछ प्रावधान हैं। देश में योजना की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। योजना बनाते समय, यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए पर्याप्त धन नहीं दिया जाता है तो यह विधेयक लाने की क्या आवश्यकता है? इसलिए मेरा सुझाव है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कम से कम प्रमुख सदस्य जरूर होना चाहिए जो उनके हितों की रक्षा करेगा।

यदि आप योजना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को देखें तो आप पायेंगे कि पूरे प्रतिवेदन में केवल पांच पंक्तियों का उल्लेख है। योजना आयोग में केवल एक पिछड़ा वर्ग डिवीजन है।

पिछड़ी जाति डिविजन के संबंध में इस रिपोर्ट में केवल पांच पंक्तियों का उल्लेख है। आपकी अनुमति से, मैं वे पांच पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। मैं उद्धृत करता हूं।

"पिछड़ी जाति डिवीजन : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए लागू की गयी नीतियों और कार्यक्रमों के उपयुक्त समायोजन में सहायता देने हेतु कार्यक्रमों की समीक्षा के पश्चात् आठवीं पंचवर्षीय योजना तथा 1991-92 की वार्षिक योजना के लिए अनुसूचित जातियों (अनु०जा०/अनु० जन० जा०) एवं आदिवासी उप-योजना (टी० एस० पी०) के लिए विशेष संघटक योजना को अन्तिम रूप देने के लिए राज्यों और

संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया गया था।"

पिछड़ी जातियों से संबंधित रिपोर्ट में केवल यही उल्लेख है। उन्होंने राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से परामर्श किया है। इसलिए, मेरा सुझाव है कि योजना आयोग में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। स्वतंत्र-पूर्व काल में जो योजनायें बनाई गयी थीं उनका अब पालन किया जा रहा है। इसलिए, मेरा सुझाव है कि जो योजनाएं अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए लाभदायी हैं उन्हें नये सिरे से बनाया जाये और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण हेतु एक नयी परिप्रेक्ष्य योजना, जो दस या बीस वर्षों के लिए हो, तैयार की जाये।

एक और बात जिसका मैं सुझाव दूंगा यह है कि राज्य स्तर पर एक पृथक् योजना समिति नियुक्त की जानी चाहिए। जब तक राज्य स्तर पर एक पृथक् निकाय नहीं होगा, तब तक अनुसूचित जातियों और जनजातियों की शिकायतें राज्यों की जानकारी में नहीं आ सकतीं। राज्य योजना समिति में उनका समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र, के लिए एक पृथक् निकाय होना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में, मेरा विचार है कि देश में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों का समग्र आर्थिक विकास होना अत्यावश्यक है। यह वर्ग भारत की जनसंख्या का 1/5 वां भाग है। जब तक इस समुदाय की ओर समुचित तवज्जो और उन्हें पैसे सम्बन्धी लाभ प्रदान नहीं किए जाते, तब तक भारत में शान्ति नहीं होगी। ये लोग स्वतन्त्रता के पश्चात् 40 से भी अधिक वर्षों से आन्दोलन कर रहे हैं किन्तु उन्हें अभी भी कोई समुचित तथा पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं की जा रही। जब तक इन लोगों के लिए समुचित योजना नहीं बनायी जाती, तब तक उनकी आर्थिक शिकायतों का समाधान नहीं होगा। इस उद्देश्य के लिए, मेरा सुझाव है कि राज्य आयोजना समिति, जिसका गठन किया जायेगा, जो जिला स्तर तक जाना चाहिए तथा जिला-स्तर पर भी, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए एक जिला विकास परिषद् होनी चाहिए। हालांकि आदिवासियों सम्बन्धी उप-योजनायें हैं, परन्तु जहां तक अनुसूचित जातियों का सम्बन्ध है, विशेष संघटक योजनायें, जिन्हें राज्यों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है, एक बड़ी विचित्र स्थिति को जन्म देती हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, वह है, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। हालांकि उसे विशेष संघटक योजना के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है, जिला और तालुक स्तर पर वास्तव में जो होता है वह अधिक संतोषजनक नहीं है। योजना के अनुसार लाभार्थियों को बैंकों के जरिये ऋण दिए जाते हैं। किन्तु अनुसूचित जातियों की सर्वप्रथम और सर्वोपरि शिकायत यह है कि बैंक उनके वित्त-पोषण हेतु आगे नहीं आ रहे। बैंकों के अपने लक्ष्य होते हैं और वे कह देते हैं कि उनका लक्ष्य पूरा हो चुका और इसलिए वे अब और वित्त पोषण नहीं करेंगे। इसके बाद दूसरा पहलू है। 50 प्रतिशत राज सहायता और 50 प्रतिशत ऋण देने का नियम है। किन्तु बैंक अधिकारी इन लोगों से 50 प्रतिशत राज सहायता लेने को कहते हैं तथा 50 प्रतिशत ऋण राशि लाभार्थियों को दिए बिना ही समायोजित कर दी जाती है। ये चीजें हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों तक वास्तविक लाभ नहीं पहुंचते। इस उद्देश्य हेतु, जिला परिषदों के समान ही अनुसूचित जाति विकास परिषदों का गठन किया जाना चाहिए। यहां पर, मैं महाराष्ट्र का उदाहरण दूंगा। उस अधिनियम के जरिये, ग्रामीण लोगों को उनके राजनैतिक अधिकारों के बारे में शिक्षित किया जा रहा है। यदि जिला स्तर पर, जिला परिषदों के समान ही एक अनुसूचित जाति विकास परिषद् हो तो उससे इन लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी।

जहां तक आर्थिक लाभों का प्रश्न है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों

[श्री संदीपन भगवान थोरट]

की सहायता हेतु राज्य निगम हैं। किन्तु इन निगमों को राज्य स्तर पर तथा केन्द्रीय स्तर पर समुचित धन नहीं दिया जा रहा है। केन्द्रीय स्तर पर भी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम हैं। किन्तु इन निगमों के लिए उपलब्ध धनराशि बहुत कम है। वे बड़ी परियोजनाओं, जिन्हें अनुसूचित जाति के उद्यमियों द्वारा तैयार और क्रियान्वित किया जा सकता है, का वित्त-पोषण करने हेतु आगे नहीं आते। अतः मेरा सुझाव है कि इन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सम्बन्धी विकास निगमों को दिए जाने वाले धन में वृद्धि की जानी चाहिये। यहां मैं यह बताना चाहूंगा कि देश भर के राज्य-निगमों को मात्र 63 करोड़ रुपये दिये जाते हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लगभग 17 करोड़ है तथा उन्हें दिया गया धन 4 रुपये प्रति व्यक्ति आता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक लाभ के लिए केवल इतना ही धन दिया जाता है। यह राशि बहुत कम है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए। वित्त मन्त्री महोदय, हमारे देश में यही हो रहा है। आप यह सुनिश्चित करें कि यह धनराशि बढ़े। इन निगमों को पर्याप्त धन उपलब्ध किया जाना चाहिए।

जहां तक कृषिगत लाभों का सम्बन्ध है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छोटे किसानों की जमीनें आम तौर पर सतह सिंचाई के दायरे से बाहर स्थित हैं। इसका कारण यह है कि इनमें से अधिकांश जमीनें राज्यों में भूमि सम्बन्धी विधान द्वारा उपलब्ध की गई जमीनों में से दी गई हैं। अतः स्वाभाविक रूप से उनकी जमीनें सिंचाई सुविधाओं के दायरे से बाहर हैं।

महोदय, इन लोगों को सतह सिंचाई का लाभ नहीं मिल पाता है जो बांध आदि से प्राप्त होता है, इसलिए मेरा यह सुझाव है कि अगर इन्हें सतह—सिंचाई का लाभ नहीं मिल पाता है तब वित्त विधेयक अथवा बजट में इनके लिए कुएं खुदवाने हेतु कुछ प्रावधान किया जाना चाहिए और यह कार्य मुफ्त किया जाना चाहिए। उन्हें कुएं खोदने हेतु बैंकों से ऋण लेने के लिए नहीं कहना चाहिए, कुओं की खुदाई पर आने वाला खर्च सरकार को वहन करना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को ऋण देने के बारे में, मैं कहना चाहूंगा कि बैंक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के प्रति सहयोगी रुख नहीं दिखाते हैं। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग जिलों में अपना सहकारी बैंक खोलने के लिए तैयार हों तो उन्हें अपना सहकारी बैंक खोलने की सुविधा अवश्य प्रदान की जानी चाहिए। महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र ग्रामीण लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है। अतः इन लोगों को लाइसेंस दिया जाना चाहिए और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए जाने वाले सभी प्रतिबन्धों को समाप्त कर देना चाहिए।

हालांकि भारत में सबके लिए निशुल्क शिक्षा उपलब्ध है लेकिन शैक्षिक सुविधाएं अत्यन्त कम हैं। दरअसल लगभग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 84 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। मान लीजिए कि पति और पत्नी दोनों ही भूमिहीन श्रमिक हैं, और वे जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्य करते हैं और अपने जीविकोपार्जन के लिए पूरे दिन अपने घर से बाहर रहते हैं, तो उनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं अगर वे स्कूल जाते हैं तो उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि प्रत्येक तालुक के राजस्व मण्डल में आवासीय स्कूल खोले जाने चाहिए ताकि बच्चों को दसवीं और बारहवीं तक शिक्षा मिल सके।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर हो रहे अत्याचारों से समस्त सदन चिंतित है। समाज का प्रत्येक वर्ग आप, मैं और यहां तक कि प्रधानमन्त्री भी इसके बारे में चिंतित है लेकिन हम अभी तक इसका समाधान खोजने में सफल नहीं हुए हैं। बड़े आदमियों और इन लोगों के ऊपर अत्याचार करने वाले लोगों के बीच में आपसी सांठगांठ है।

इसलिए मेरा यह सुझाव है कि इसके लिए एक उच्चाधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए जो वहां रहने वाले और अत्याचार सहन कर रहे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की सहायता कर सके। आपको ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे कि उन्हें लगे कि उनके हितों की रक्षा में कोई रुचि रखने वाला भी है। जब तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के मन में यह भावना न भरी जाएगी तब तक उन पर अत्याचार होते रहेंगे। केन्द्र को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह विषय राज्य का विषय है. मैं जानता हूं कि केन्द्र भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में चिंतित है।

मेरा सुझाव है कि एक समन्वय समिति बनाई जाए, जिसका अध्यक्ष कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो ताकि केन्द्र और राज्य के बीच में कोई विवाद न हो। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी के लिए कोई समन्वय समिति होनी चाहिए। केन्द्र को ऐसा नहीं कह देना चाहिए कि राज्यों को ऐसे मामलों को देखना चाहिए।

मेरे चुनाव क्षेत्र भिमगांव (टी) मधु तालुक जिला सोलापुर में एक कागज परियोजना स्थापित की जानी चाहिए थी जिसके लिए लाइसेंस पहले ही दिया जा चुका है। लेकिन मुझे बताया गया है कि पिछली सरकार की नीति के अनुसार सरकारी क्षेत्रों को वित्तीय सहायता नहीं दी जानी चाहिए और अब वह परियोजना निजी क्षेत्र में किसी और को दी जा रही है। मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि यह परियोजना राष्ट्रीय कैमिकल्स और फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के द्वारा अधिग्रहीत कर ली जानी चाहिए क्योंकि लाइसेंस पहले ही उनके पास है। इस हेतु बजट में उचित और पर्याप्त प्रावधान किया जाना है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उद्धव बर्मन (बारपेटा) : सभापति महोदय, वित्त विधेयक को पुरःस्थापित करते समय वित्त मन्त्री जी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में कुछ रियायतें दी थी। यह भी अच्छी बात है कि आपने ऋण-दाता संस्थाओं के रूप में कार्य करने वाली सहकारी समितियों पर से ब्याज दर हटा लिया है।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इन रियायतों से बजट के प्रति मूल प्रतिक्रिया में तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रतिबंधिताओं द्वारा निर्धारित निदेशों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आई० एम० एफ० की प्रतिबंधिताओं में खाद्य सहायता में कटौतियां और अन्य कल्याण गतिविधियों जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त करना, सरकारी क्षेत्र का गैर सरकारीकरण, आयात का उदारीकरण आदि शामिल हैं, इससे हमारी अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता का महत्व कम हो जाएगा। इसका अर्थ इस संकटपूर्ण स्थिति का सारा भार आम आदमी के कंधे पर डालना होगा।

हमारी अर्थव्यवस्था पर आया संकट और उसके कारण भुगतान संतुलन में आने वाला संकट आम आदमी के कारण पैदा नहीं हुआ है बल्कि यह तो स्वतंत्रता के बाद से शासक दल द्वारा अपनाई

[श्री उद्धव बर्मन]

गई नीतियों का परिणाम है। नीतियों से मूलतः जमींदारों तथा जोरदारों—राष्ट्रीय और अन्त-राष्ट्रीय—का हित साधन होता है।

वर्ष 1981 में अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष से लिए गए ऋण भुगतान-संतुलन स्थिर नहीं हो पाया। इससे सरकार द्वारा दिया गया वक्तव्य झूठा सिद्ध हो जाता है। यहां पर यह करना बेहतर होगा कि 1984-89 का अवधि के दौरान अपनाया गया उदारता का रास्ता वर्तमान संकट के लिए जिम्मेदार है न कि नियन्त्रण और विनिमयन विशिष्ट वर्गों के लिए किए गए आयातों और आयात-प्रधान उत्पादन ढांचे तथा सभी प्रकार के गैर-सरकारी आयातों का वित्त-पोषण मुख्यतः विदेशों से अन्धाधुन्ध लिए गए ऋणों द्वारा किया गया जिनमें अधिकतर अल्पावधिक ऋण थे जो इस दौरान दिए गए अतिरिक्त ऋणों का लगभग 50 प्रतिशत थे।

इस संकट की घड़ी में वित्त मन्त्री जी ने हमारे देश के लोगों से राष्ट्रीय हित की रक्षा करने के लिए कहा है। इस संदर्भ में, मैं कहना चाहता हूं कि हमें इजारेदारों और जमीदारों के हितों को राष्ट्रीय हितों का दर्जा नहीं देना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, भारत एक ऐसा देश है कि विश्व में 120 देशों में से इसका 21वां स्थान है और 2 प्रतिशत परिवारों की आय 98 प्रतिशत परिवारों की आय के बराबर है। अब बजट में हमारे राष्ट्रीय हित की रक्षा किस प्रकार की जा रही है।

मूल्य वृद्धि का प्रश्न लीजिए। लगभग 15 प्रतिशत मुद्रास्फीति तो पहले ही हो चुकी है। रुपए के अवमूल्यन, राजसहायताओं में कटौतीत या पेट्रोलियम उत्पादों और चीनी के मूल्यों में वृद्धि से कीमतें और बढ जायेंगी। रेल बजट में किराए और माल भाड़े की दरों में वृद्धि किए जाने से मूल्य वृद्धि की स्थिति पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा। इससे आम आदमी की वास्तविक आय कम हो जाएगी।

करों के ढांचे में मूलतः कोई चमत्कारी परिवर्तन नहीं किए गए हैं। बजट में अप्रत्यक्ष करों की भरमार है। प्रत्यक्ष कर में वृद्धि का दावा किया गया है। वर्ष 1950-51 से हमने हमेशा यही देखा है कि अनेक वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्क की राशि बढ़ाई गई हैं और उत्पाद-शुल्क के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं की संख्या में भी वृद्धि की गई है। निगमित कर में न्यूनतम वृद्धि हुई है।

यहां तक कि इस बजट में भी धनी व्यक्तियों—शहरी और ग्रामीण दोनों की आय और सम्पत्ति—को मुश्किल से ही छुआ गया है। विशेष उत्पाद शुल्क में वृद्धि तथा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि से अधिकांश अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो रहा है।

यह देखने योग्य बात है कि प्रत्यक्ष करों से लगभग 504 करोड़ रुपए की राशि का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होता है। अतिरिक्त कर और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि किए जाने के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले राजस्व को जोड़कर यह राशि लगभग 3,407 करोड़ रुपए बैठती है, जिसमें रेल बजट शामिल नहीं है। इसमें केवल 504 करोड़ रुपए अर्थात् 1/7 भाग राशि अतिरिक्त प्रत्यक्ष कर से प्राप्त होती है, और निगमित कर का मुख्य भाग भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त होता है।

हमने देखा है कि एक ऐसे देश में जहां लगभग एक तिहाई जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है, सम्पन्न व्यक्ति न्यूनतम कर अदा कर रहे हैं, अर्थात वे राष्ट्र के लिए इस प्रकार त्याग कर रहे हैं।

नई औद्योगिक नीति, मैं समझता हूं, तबाही मचा देगी क्योंकि यह लाइसेंस समाप्त करने, एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम (एम० आर० टी० पी०) की सीमा समाप्त करने और सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित दस क्षेत्रों में निजी पूंजी के निवेश और बहुराष्ट्रिकों के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराने की नीति है। इसके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के गैर सरकारीकरण की भी जोर-शोर से चर्चा की जा रही है।

3.00 म० प०

भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि केवल गैर सरकारी क्षेत्र में ही 1,20,000 से भी अधिक रुग्ण एकक हैं। इस रिपोर्ट में उद्योगों के बन्द अथवा रुग्ण होने के कारण भी दर्शाए गए हैं।

इस सन्दर्भ में बी० आई० एफ० आर० के चेयरमैन ने जो कहा है वह देखना उचित होगा।

> "एकक रुग्ण होते हैं किन्तु एककों को रुग्ण बनाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति अधिकाधिक रूप से धनवान् होते जा रहे हैं।"

हमारे देश में यह स्थिति है।

इसके बाद, हमारे सरकारी क्षेत्र में किए जाने वाले पूंजी निवेश में केवल दस प्रतिशत वृद्धि की गई है। और चूंकि रुपए का अवमूल्यन हो गया है, अतः वास्तविक रूप में तो यह बहुत कम होगी। अतः, बेरोजगारी की समस्या और भी भयंकर हो जाएगी।

इसके बाद, आयातों को उदार बनाने की यह नीति भी ठीक नहीं है। तीसरी दुनिया के देशों का यह अनुभव है कि रुपए का अवमूल्यन होने के बावजूद निर्यात में कोई वृद्धि नहीं होती है। यही बात व्यापार नीति के सम्बन्ध में भी देखी जा सकती है कि तैयार सामान के निर्यात को कम प्रोत्साहन दिया जाता है। क्योंकि केवल पारम्परिक सामान को ही निर्यात-मदों में शामिल किया जाता है।

लन्दन के बाजार में चाय का मूल्य धीरे-धीरे कम हो रहा है। अतः, मैं समझता हूं कि इस आयात नीति से देश को कोई फायदा नहीं होने वाला है।

ग्रामीण विकास के क्षेत्र में गत वर्ष की तुलना में लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमारे देश में चूंकि 1300 लाख कृषि मजदूर हैं, अतः इससे समस्या का केवल अंश मात्र ही समाधान हो सकेगा। असली समस्या ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की है। हमें भूमि के सम्बन्ध में मूलरूप से सुधार करना होगा। इससे न केवल हमारे देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं पर हमलों को रोकने में सहायता मिलेगी, बल्कि स्वदेशी बाजार को मजबूत बनाने का आधार भी मिल सकेगा।

हमारे कुछ मित्र दक्षिण कोरिया तथा ताइवान की सफलता की कहानियों का वर्णन कर रहे

[श्री उद्धव बर्मन]

हैं। उक्त देशों में औद्योगिक विकास इसलिए सम्भव हो सका क्योंकि वहां भूमि सुधार का कार्य किया गया था। इसलिए, यदि हम मजबूत आधार बनाना चाहते हैं, और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों पर अत्याचार रोकना चाहते है और साथ ही निरक्षरता दूर करने की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं, तो इसके लिए भूमि सुधार का कार्य करना होगा। यह कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

इस सम्बन्ध में, मैं कहना चाहूंगा कि केन्द्र–राज्य सम्बन्ध मजबूत होने चाहिए और राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि केन्द्रीयकरण के कारण, अलगाववादी आन्दोलन चलाए जाने की प्रवृत्ति भी पनपी है।

अब मैं असम की पिछड़ेपन की समस्या के बारे में भी बताना चाहता हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : क्लोज्ड सर्किट टी० वी० में 'उद्धव बर्मन' के स्थान पर 'पलास बर्मन' नाम गलत रूप से दिखाया जा रहा है। क्या कोई इसकी ओर ध्यान देगा ?

सभापति महोदय : यह आपकी पार्टी ने दिया है। खैर, हम इसे देखेंगे।

श्री उद्धव बर्मन : महोदय, वर्तमान औद्योगिक नीति असम जैसे राज्य के विकास के लिए समस्यायें पैदा करेगी। असम जैसे राज्य के विकास हेतु सार्वजनिक क्षेत्र एक प्रकार का संरक्षण है। यह देखा गया है कि प्रति व्यक्ति आय का सूचकांक धीरे-धीरे कम हो रहा है। 1960-61 में सूचकांक 103 था और 1980-81 में यह 78 था।

विकास के संकेत यहां देखे जा सकते हैं। असम में प्रति व्यक्ति आय 1984-85 में 1821 रुपए थी जबकि अखिल भारतीय आंकड़ा 2855 है। बुवाई क्षेत्र का कुल सिंचित क्षेत्र प्रतिशतता के रूप में 20.2 प्रतिशत है जबकि अखिल भारतीय तौर पर यह 36.6 प्रतिशत है। स्थापित विद्युत क्षमता प्रति 1000 व्यक्ति 17.5 किलोवाट है जबकि अखिल भारतीय आंकड़ा 57.3 किलोवाट है। प्रति लाख जनसंख्या पर भूतल सड़क लम्बाई 41 कि० मी० है जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह आंकड़ा 107 कि०मी० है। उत्पादन द्वारा प्रति व्यक्ति आय 70 है जबकि अखिल भारतीय आंकड़ा 140 है। उर्वरक खपत 5.4 कि०ग्रा० है जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह 45 कि०ग्रा० है। 823 जनसंख्या के पीछे एक प्राथमिक विद्यालय है जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह संख्या 1405 है। प्रत्येक 10,000 जनसंख्या के पीछे अस्पतालों में 6 बिस्तर हैं जबकि अखिल भारतीय स्तर पर इनकी संख्या 9 है। साक्षरता प्रतिशतता 35 प्रतिशत है जबकि अखिल भारतीय औसत 36.2 प्रतिशत है। ये कुछ आंकड़े हैं जो असम के पिछड़ेपन को दर्शाते हैं।

संचार व्यवस्था बहुत खराब है और डिब्रुगढ़ तक बड़ी लाइन बिछाने तथा लुमडिंग-बदरपुर-सिलचर लाइन में सुधार करने की मांग बहुत पुरानी है। इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। भूतल सड़कें दयनीय स्थिति में हैं। असम पूर्वोत्तर क्षेत्र का 'गेटवे' है अतः केन्द्रीय सरकार को सड़क संचार प्रणाली में सुधार करने हेतु आगे आना चाहिए ताकि सम्पूर्ण क्षेत्र का विकास हो सके। ब्रह्मपुत्र, बरक और अन्य सहायक नदियों के लिए 'मास्टर प्लान' बनाए गए हैं लेकिन उनका अभी तक ठीक से कार्यान्वयन नहीं किया गया है। बार-बार आने वाली बाढ़ों को रोकने हेतु तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और वहां के लोगों को बचाने के लिए इन मास्टर प्लानों को लागू करने की केन्द्रीय सरकार में राजनीतिक इच्छा होनी चाहिए।

असम के कई जिले उद्योग-विहीन हैं। नए तेल कारखाने और गैस क्रैकर की परियोजना का कार्यान्वयन अभी होना है। चाय उद्योग विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले प्रमुख उद्योगों में से एक है। असम मुख्यत: चाय की 50 प्रतिशत मांग को पूरा करता है लेकिन उद्योग के श्रमिकों की स्थिति बहुत दयनीय है। नियमित कर्मचारियों की संख्या घटती जा रही है और दैनिक वेतन 12 से 15 रुपए के बीच है। उनकी शिक्षा के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। स्वाभाविक ही चाय बागानों में काम करने वाले लोगों में असन्तोष की भावना पनप रही है। अत: औद्योगिक नीति और कर नीति भी क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा कर इसे और विकट बनायेंगी।

हमें आशा है कि भारत के साथ-साथ असम का भी विकास होगा। भारत को बचाने के लिए असम को भी बचाना होगा। धन्यवाद!

श्री चित्त बसु (बारासाट) : महोदय, अब हम राष्ट्र का बजट बनाने की प्रक्रिया के अन्तिम चरण में हैं। देश के सामने आने वाले खतरों तथा हमारे अधिकांश लोगों के रहन-सहन पर इन प्रस्तावों से पड़ने वाले प्रभावों के बारे में सरकार को सावधान करना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। बजट बनाने की प्रक्रिया के अन्तिम चरण में इसे मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं।

रुपए के अवमूल्यन, सोने के हस्तान्तरण, बजट नीतियां बनाने, देश की औद्योगिक नीति को बनाने के मामलों में सरकार द्वारा किए गए उपायों से तथा सरकार की अन्य आर्थिक नीतियों, उपायों तथा वित्तीय नीतियों का सम्पूर्ण देश पर गम्भीर असर पड़ेगा। तथा देश की जनता भी बुरी तरह से प्रभावित होगी।

चर्चा के लिए मेरे पास अधिक समय नहीं है और मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं इस सभा और राष्ट्र का ध्यान सिर्फ इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि बजट और अन्य प्रस्तावों से आम लोगों पर पहले ही बहुत बोझा डाल दिया गया है। इसके कारण सभी आवश्यक वस्तुओं में भारी वृद्धि हो गई है। इसके कारण बड़े पैमाने पर उद्योग बंद हो जायेंगे, छंटनी होगी तथा श्रमिकों और कर्मचारियों के रोजगार समाप्त हो जायेंगे और बेरोजगारी और बढ़ जाएगी।

इन नीतियों का देश के अधिकांश किसानों, विशेषकर कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कामगारों पर भी बुरा असर पड़ेगा। इन उपबन्धों से सरकारी क्षेत्र के उद्योग समाप्त हो जायेंगे और एकाधिकारवादियों और बहुराष्ट्रिक कम्पनियों के द्वार पूरी तरह से खुल जायेंगे जिससे देश ऋण जाल में फंस जाएगा और अपनी आर्थिक स्वतन्त्रता के साथ समझौता करना होगा और अंतत: देश की राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ भी समझौता करना पड़ेगा। बजट बनाए जाने के अंतिम चरण में, मैं पुन: सरकार को इसके परिणामों के प्रति सतर्क करता हूं।

दो दिन पहले, माननीय वित्त मन्त्री ने देश में निर्यात को बढ़ावा देने हेतु और रियायतों की घोषणा करने की कृपा की थी। यह स्वाभाविक ही था क्योंकि इससे सरकार की अर्थ व्यवस्था और वित्तीय नीतियों को दिए जा रहे महत्व का पता लगता है। इतनी रियायतें दिए जाने के बाद भी मैं समझता हूं कि सुधरने के आसार नहीं है। यह मेरी राय नहीं है, यह राय भारतीय रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में व्यक्त की गई है। मैं वित्त मन्त्री का ध्यान इस रिपोर्ट के तीन विशिष्ट पहलुओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। रिपोर्ट का एक पहलू यह है कि,

"वर्ष 1991-92 में अर्थ-व्यवस्था की समग्र वृद्धि में कमी आएगी।"

[श्री चित्त बसु]

दूसरा पहलू यह कहता है कि,

"इस वर्ष के दौरान जी०पी०डी० तीन प्रतिशत होने की आशा है जो वर्ष 1990-91 के मुकाबले 5 प्रतिशत कम है।"

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, कि,

"वर्ष 1990-91 में निर्यात क्षेत्र का कार्य संतोषजनक नहीं था।"

इतनी रियायतें दिए जाने के बाद भी भारतीय रिजर्व बैंक ने ये चेतावनियां दी हैं।

मुझे यह कहते हुए खेद है कि सरकार द्वारा घोषित की गई नीतियां इस देश को विश्व के बहुराष्ट्रिक निगमों के एक अड्डे में बदल देगा।

महोदय, इसे स्पष्ट करने के लिए मेरे पास अधिक समय नहीं है। मैं अत्यन्त विनम्र होकर व्यक्त करना चाहता हूं कि अनुचित रूप से जल्दबाजी दिखाकर सरकार ने अनेक बहुराष्ट्रिक कंपनियों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमरीका की कम्पनियों के लिए एक सप्ताह के भीतर प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया है। मैं उनमें से कुछ का उल्लेख कर रहा हूं। कम्प्यूटर के क्षेत्र में विशाल कम्पनी आई०बी०एम० को भारतीय बाजार में प्रवेश की अनुमति दी गई है। कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए इनके निर्माण हेतु इन्हें आमंत्रित किया जा रहा है जिसके कारण बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैलेगी, हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की हानि होगी। इसके बाद, महोदय, प्लास्टिक और रसायन निर्माता ड्यूपोंट को आमंत्रित किया गया है और उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार मोटर साइकिल निर्माता, बी०एम०डब्ल्यू०, जर्मनी को स्वीकृति दी गई है। ब्रिटिश गैस को स्वीकृति प्रदान की गई है। खाद्य वस्तुओं का निर्माण करने के मामले में भी, केलोग फूड्स को आमंत्रित किया गया है। जनरल इलेक्ट्रिक्स और इसी प्रकार की अन्य अनेक कम्पनियों को आमंत्रित किया गया है। मेरे पास इसकी एक लम्बी सूची विद्यमान है। इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है कि हमारे देश में बहुराष्ट्रिक कम्पनियों की बाढ़ के लिए दरवाजे खोल दिए जाएं और उन्हें इस देश को लूटने का मौका दे दिया जाए। इस प्रकार के प्रवेश और लूट की इजाजत जिस सरकार ने दी है, क्या उसे बने रहना चाहिए? आई०बी०एम० ने टाटा के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपए की कम्प्यूटर-निर्माण की एक परियोजना के लिए समझौता किया है जहां बड़े पैमाने पर कम्प्यूटरों का निर्माण किया जाएगा जिससे बेरोजगारी में वृद्धि होगी।

मेरे लिए सर्वाधिक आश्चर्य की बात यह है कि सरकार ने विदेशी बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को आमंत्रित करने में अनुचित रूप से जल्दबाजी दिखाई है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय विदेशी पूंजी-निवेश संवर्धन बोर्ड गठित किया गया है जो विदेशी पूंजी-निवेश सम्बन्धी उन प्रस्तावों को मंजूर करेगा जो परिवर्तित नीतियों के पैरामीटर के अन्तर्गत भी नहीं आते हैं। सरकार ने बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को आमंत्रित करने के लिए अपनी नीतियों में परिवर्तन कर लिया है। यद्यपि कुछ बहुराष्ट्रिक कम्पनियां परिवर्तित नीतियों के पैरामीटर के अन्तर्गत नहीं आती उनके लिए, जैसाकि मैंने उल्लेख किया है, एक चार-सदस्यीय समिति गठित की गई है, जिसे कम्पनियों की इच्छानुसार किसी परियोजना के प्रस्ताव को स्वीकार करने का अधिकार दिया गया है।

महोदय, आपने दो बार घंटी बजा दी है। इसलिए मेरे लिए यह उचित नहीं होगा कि मैं इसे जारी रखूं और आपकी अवज्ञा करूं। अंत में मैं कहूंगा कि सबने जो भाषण दिए हैं और सरकार

ने उसके बाद जो घोषणाएं की हैं, उससे यह प्रतीत होता है कि देश के लिए दो उपाय रह गए हैं। एक तो पूंजी-निवेश को आमंत्रित करना और दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण की मांग करना। आज ही मैंने देखा है कि मुद्रा कोष हमें ऋण की तीसरी किस्त देने के लिए सहमत हो गया है। हम तो और अधिक कठोर शर्तों को मानकर इनसे ऋण प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। वे कहते हैं कि ये सभी सुधार या ये सभी आर्थिक नीतियां विश्व बैंक या आई०एम०एफ० के निर्देश पर तैयार की गई हैं। यह कल पेरिस में दिए गए एक बयान से सिद्ध होता है। पेरिस सम्मेलन में क्या कहा गया है ? इसमें कहा गया है कि भारत में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वह प्रभावकारी है तथा आवश्यक है। इसका मतलब है कि जो बजट तैयार किया गया है, वह मन्त्री द्वारा अथवा मंत्रिपरिषद् द्वारा नहीं किया गया है बल्कि यह उन लोगों द्वारा तैयार किया गया है जो कल पेरिस में मिले थे और जो आज कह रहे हैं कि भारत में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, वह प्रभावकारी तथा आवश्यक है। मैं समझता हूं कि इससे बजट प्रस्तावों और वित्तीय तथा आर्थिक उपायों के पीछे जो दृष्टिकोण है, वह स्पष्ट हो जाएगा।

इसके साथ, मैं अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ इस विधेयक का विरोध करता हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : सभापति जी, मैं इस वित्त विधेयक का स्वागत करता हूं। मेरा सुझाव है कि यह जो बजट पेश किया जाता है तो वह हमेशा वर्षा ऋतु के बाद नवम्बर, में ही पेश किया जाना चाहिए। वर्षा के कारण सबको मालूम हो जाता है कि कितना उत्पादन होगा इसलिए एक कमेटी बनायी गई थी। हमारे साथी श्री एल०के० झा उसके अध्यक्ष थे। कमेटी ने कहा था कि दिसम्बर में होना चाहिए। उनका कहने का मतलब यह था कि नवम्बर में होना चाहिए जिससे हर साल बजट पेश हो। आप 28 फरवरी को बजट पेश करते हैं। जब से विलायत शासन था तब से वही चला आ रहा है। हम लकीर के फकीर बनकर चला रहे हैं। 28 फरवरी को बजट पेश होने के बाद गांवों के विकास के काम में पैसा भेजा जाता है। वह अप्रैल के अन्त तक पहुंचता है। थोड़े दिन काम करने के बाद वह पड़ा रहता है। कई करोड़ रुपयों का हमारे जिलों में उपयोग नहीं हो पाता है। हर साल यह कहा जाता है कि बजट प्रपोजल में जो टैक्सेशन है, उसके लिए कहा जाता है कि रेशनेलाइज किया जाएगा। कृषि उत्पादन का ख्याल रखना चाहिए। कारखानों से जो उत्पादन होता है तो उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। उद्योगपतियों और व्यापारियों के लाभ के लिए बजट इतना महत्वपूर्ण होना चाहिए जितना किसानों के लिए होता है। लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि बजट में किसानों की हर बार कुछ उपेक्षा की ही जाती है। इस बार कई कारणों से परिस्थिति ऐसी हो गई है। अब अधिक से अधिक किसानों के लाभ के लिए बजट को बनाना आवश्यक हो गया था। आप देखेंगे कि किसानों को जो बीज मिलता है उसमें पचास परसेंट से ज्यादा मिलावट है। रासायनिक खाद में रेत रहता है। कीटनाशक दवाओं में भी मिलावट होती है। इन तीनों चीजों की मिलावट को रोकने के लिए वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि कड़े से कड़ा इसके लिए कानून बनाएं और इन चीजों की जांच हो सके। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 15-20 लाख की आबादी में टैस्टिंग इक्विपमेंट मशीन होनी चाहिए ताकि उसमें इन तीनों चीजों की जांच हो सके। यह भी जांच हो सके कि किस किस्म का रासायनिक खाद डाल सकें। पिछले महीने रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस साल लगातार तीसरा या चौथा साल है जबकि फसल अच्छी है, उसका अमुक लाभ है। हम ऐसे समय में बजट पेश करते हैं तो उसका लाभ नहीं होता है।

[श्री बाबूलाल बग्राकर]

उदाहरण के लिए हमारे देश में भूमि का सही उपयोग नहीं हो रहा है। भूमि का अधिक से अधिक दुरुपयोग हो रहा है। उसी तरह सिंचाई के लिए पानी की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। पानी का जितना हमारे देश में लाभ हो रहा है, उतना ही नुकसान हो रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिसको अंग्रेजी में "लैंड मैनेजमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट" कहते हैं। यह इतनी कमजोरी है कि लाभ से अधिक नुकसान हो रहा है। हमारे देश में 14 करोड़, 30 लाख हेक्टेयर भूमि में खेती होती है और उसमें से 17 करोड़ 30 लाख टन अनाज उत्पादन होता है जबकि चीन में दस करोड़ हेक्टेयर भूमि में खेती होती है जिसमें 30 करोड़ टन अनाज पैदा होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि चीन में कम भूमि में खेती होने पर भी उत्पादन ज्यादा है जबकि हमारे देश में अधिक भूमि में खेती होने पर भी कम उत्पादन होता है। इसका मुख्य कारण है—लैण्ड मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट में बहुत-सी खराबियां।

सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति जमीन .17 हेक्टेयर है जबकि चीन में प्रति व्यक्ति .11 हेक्टेयर जमीन है। हमारे देश में आबादी तेजी से बढ़ रही है और चीन में चूंकि शासन प्रणाली दूसरी है, इसलिए चाहे किसी कारण से हो, वे आबादी को बढ़ने से रोकने में सफल हो गए हैं। इस आबादी के बढ़ते जाने से जहां हमारे देश में आज प्रति व्यक्ति जमीन .17 हेक्टेयर है, वह सन् 2001 तक प्रति व्यक्ति .11 हेक्टेयर तक पहुंच जायेगी जितनी की आज चीन में प्रति व्यक्ति है। अभी हमारे देश में प्रति व्यक्ति 200 ग्राम अनाज मिल रहा है, जबकि चीन में 300 ग्राम प्रति व्यक्ति मिलता है। यदि हम अपने देश में प्रति व्यक्ति 200 ग्राम से 300 ग्राम करना चाहें तो उसके लिए 25 करोड़ टन अनाज प्रतिवर्ष तक जाना होगा लेकिन क्या हमारा देश इसके लिए तैयार है? मैं समझता हूं कि जितने प्रयोग हमारी अनुसंधानशालाओं में होते हैं, उसका 10 परसेंट भी आज खेत में नहीं पहुंच रहा है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं—लैप लैंड—

सभापति महोदय, जितनी हमारे यहां अनुसंधानशालाएं हैं, उसमें आपको कृषि की रिपोर्ट के अनुसार—सिर्फ 9 किस्म के चावलों को पैदा करने के नए बीज की फसल तैयार हुई है लेकिन वह भी किसानों तक नहीं पहुंच पायी है। मेरा तो यहां तक कहना है कि उनमें से एक किस्म भी नहीं पहुंची है। तो इस तरह से कैसे काम चलेगा? तो जब तक इसके लिए व्यवस्था नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। हमारी सरकार ने कृषि विज्ञान केन्द्र बनाए हैं। हमारे देश में 468 डिस्ट्रिक्ट्स हैं लेकिन ये कृषि केन्द्र केवल 159 जिलों में हैं और बाकी में नहीं हैं और वहां की हालत भी इतनी खराब है कि हमारे वैज्ञानिक वहां रहना नहीं चाहते हैं। उसके कई कारण हैं। एक वेतन की कमी, दो हर वैज्ञानिक चाहता है कि उसके लड़के-लड़कियां शहर में रहें ताकि उनकी पढ़ाई अच्छी हो। चीन में यह सोचा गया कि वैज्ञानिक गांव में रहेगा लेकिन उसके लड़के-लड़कियों के लिए शहर में पढ़ाई की व्यवस्था होगी और सरकार ने ऐसे वैज्ञानिकों के बच्चों के पढ़ने के लिए अलग विशेष व्यवस्था कर रखी है। मैं अधिक समय न लेकर यह कहना चाहता हूं कि······

[अनुवाद]

सभापति महोदय : छः बजे गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के पश्चात् आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

———

3.30 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

छठा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, मैं कार्य मन्त्रणा समिति का छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य शुरू कर रहे हैं।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, क्या हम छ बजे के बाद बैठ रहे हैं ?

सभापति महोदय : श्री चार्ल्स, जब समय आयेगा, तब इस पर हम सोचेंगे।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, अध्यक्ष महोदय सदन में घोषित कर चुके हैं कि हम छः बजे के बाद बैठेंगे। सभी दलों की राय है कि वित्त विधेयक पर चर्चा को जारी रखा जाये। यह इस पर निर्भर करता है कि वे इसे कितनी देर तक जारी रखेंगे। लेकिन, हम आज इस चर्चा को पूरा कर लेंगे तथा कल इस पर उत्तर दिया जायेगा और मतदान होगा।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मन्दसौर) : रात्रि भोजन के बारे में क्या इन्तजाम किए गए हैं ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम महोदय, रात्रि भोजन की व्यवस्था की जा रही है ?

———

3.31 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नये अनुच्छेद 18 क का अन्तःस्थापन)

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

*दिनांक 13.9.91 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग-दो, खंड-2 में प्रकाशित।

3.31½ म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(आठवीं अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन)

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

3.32 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 310 और 311 में संशोधन)

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

3.32½ म० प०

वन विधेयक*

श्री चन्दूभाई देशमुख (भड़ौच) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वनों, वन उपज के अभिवहन से सम्बन्धित विधियों का समेकन करने और नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षों को गिराने और उनके पुन: रोपण के विनियम और चन्दन की लकड़ी तथा उनसे सम्बन्धित विषयों के लिए विशेष उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वनों, वन उपज के अभिवहन से सम्बन्धित विधियों का समेकन करने और नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षों को गिराने और पुन:रोपण के विनियम और चन्दन की

*दिनांक 13.9.1991 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग–दो, खंड-2 में प्रकाशित।

लकड़ी तथा उनसे सम्बन्धित विषयों के लिए विशेष उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चन्दूभाई देशमुख : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

——

3.33 म० प०

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक*

(अनुसूची में संशोधन)

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : (श्री पी० एम० सईद) : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

——

3.33½ म० प०

कृषि कर्मकार (न्यूनतम मजदूरी तथा कल्याण) विधेयक*

श्री चन्दूभाई देशमुख (भड़ोच) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी के संदाय तथा उनके कल्याण के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कृषि कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी के संदाय तथा उनके कल्याण के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चन्दूभाई देशमुख : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

——

*दिनांक 13.9.1991 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2 में प्रकाशित।

3.34 म० प०

पदों तथा सेवाओं में रिक्त स्थानों का (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए) आरक्षण विधेयक*

श्री चन्दूभाई देशमुख (भड़ौच) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय (श्री पी० एस० सईद) : प्रश्न यह है :

"कि भारत सरकार के अधीन पदों तथा सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चन्दूभाई देशमुख : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.34½ म० प०

मद्रास उच्च न्यायालय (मदुरै में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक*

श्री ए० जी० एस० रामबाबू (मदुरै) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय की एक स्थायी खण्ड पीठ की स्थापना का उपबन्ध करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय की एक स्थायी खण्ड पीठ की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ए० जी० एस० रामबाबू : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.35 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 58, आदि में संशोधन)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति जाए।

*13.9.1991 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड-2 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.3½ म० प०

उपभोक्ता संगम (रजिस्ट्रीकरण) विधेयक*

श्री राम कापसे (ठाणे) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपभोक्ता संगमों के रजिस्ट्रीकरण और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उपभोक्ता संगमों के रजिस्ट्रीकरण और उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राम कापसे : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.36 म० प०

अनिवार्य बन्ध्यीकरण विधेयक*

श्री रामेश्वर पाटीदार (खारगोन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छोटे कुटुम्ब के मानदण्डों को प्रोत्साहित करने के लिए अनिवार्य बन्ध्यीकरण और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि छोटे कुटुम्ब के मानदण्डों को प्रोत्साहित करने के लिए अनिवार्य बन्ध्यीकरण और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामेश्वर पाटीदार : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

*दिनांक 13.9.91 के भारत के राजपत्र, असाधारण- भाग-दो, खण्ड 2 में प्रकाशित।

3.36½ म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 350 क में संशोधन)*

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———

3.37 म० प०

गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक (धारा 3 तथा 4 में संशोधन)*

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि गर्भ का समापन अधिनियम, 1971 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

———

3.38 म० प०

एक कुटुम्ब एक पद (सरकारी सेवा में) विधेयक*

श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा (चित्रदुर्ग) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ के कार्यों से सम्बन्धित लोक सेवाओं तथा पदों में एक कुटुम्ब के एक सदस्य की नियुक्ति का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*दिनांक 13.9.91 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-दो, खण्ड-2, में प्रकाशित।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संघ के कार्यों से सम्बन्धित लोक सेवाओं तथा पदों में एक कुटुम्ब के केवल एक सदस्य की नियुक्ति का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

3 39 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 371 में संशोधन)

श्री उत्तमराव देवराव पाटिल (यवतमाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

[हिन्दी]

श्री दत्त मेघे (नागपुर) : सभापति महोदय, मेरा इसमें विरोध है क्योंकि इस बिल में जो प्रावधान माननीय सदस्य ने किया है उसमें उन्होंने कहा है कि बोर्ड 19 अक्टूबर, 1991 से पहले बनना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इस बिल को लाने की कोई जरूरत नहीं थी। हम यह चाहते हैं कि राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस निकालना चाहिए और बोर्ड बनाना चाहिए क्योंकि बोर्ड की बात महाराष्ट्र में सभी लोगों ने एकमत से पास की है। 2-3 सालों से इस बारे में विदर्भ, मराठवाड़ा में आन्दोलन चल रहा है। राजीव गांधी जी जब इलैक्शन के समय वहां गए थे तो उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी हम बोर्ड की स्थापना करेंगे। यही बात श्री वी०पी० सिंह, श्री चन्द्रशेखर ने कही थी। हमारे बड़े-बड़े नेता बात कहते हैं लेकिन बोर्ड अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। इसलिए वहां की शिक्षा और इंडस्ट्रियल एरिया का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वह नहीं हुआ है। कांसटीट्यूशन में उसके बारे में लिखा है लेकिन अभी तक वह बात नहीं हुई है। इसलिए इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लोगों को भी लाना जरूरी है। इसका ऑर्डिनेंस निकालना चाहिए और वहां के हजारों-लाखों लोग जो बोर्ड की डिमांड बहुत सालों से कर रहे हैं, इसको इमीडेट करना चाहिए।

माननीय सदस्य श्री पाटिल भी विदर्भ के हैं, इनको भी सब कुछ मालूम है। यदि उसकी चर्चा हो तो कोई हर्ज नहीं है लेकिन बोर्ड के बारे में जो बात चल रही है उसमें मेरा सुझाव है कि बिल न लाते हुए पूरे महाराष्ट्र के लोग सरकार से गुंजारिश करेंगे कि बोर्ड की स्थापना इमीडेट करें। उन्होंने लिखा है कि 19 अक्टूबर तक होनी चाहिए।

सभापति महोदय : इसकी मैरिट में आप अभी बात नहीं कर सकते हैं।

*दिनांक 13.9.91 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2 में प्रकाशित।

श्री दत्त मेघे : हमारे पूरे इलाके की यह मांग बहुत सालों से चल रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो भी प्रावधान होता है उसको पैसा नहीं मिलता है। श्री वी०पी० सिंह ने कहा कि महीने भर में बोर्ड बनाएंगे, श्री चन्द्रशेखर ने कहा कि बोर्ड बनाएंगे और आखिर में श्री राजीव जी ने भी कहा था कि हम सत्ता में आते ही बोर्ड बनाएंगे। इसलिए बिल लाने से और डिले होगा और उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, हमें बोर्ड चाहिए।

श्री उत्तमराव देवराव पाटिल : सभापति महोदय, मैंने जो यह बिल दिया है और माननीय सदस्य श्री मेघे ने इसके बारे में जो विचार रखा है, उन दोनों में कोई टकराव होता है ऐसा मुझे नहीं लगता है। मैंने इस बिल में यह प्रावधान दिया है कि 30 सितम्बर के पहले राष्ट्रपति ऐसा आदेश दें कि यह बोर्ड स्थापित किया जाए और इसकी स्थापना 19 अक्टूबर, 1991 से पहले होनी चाहिए। ऐसा इसमें मैने सुझाव दिया है। अगर गवर्नमेंट इसके पहले भी बोर्ड स्थापित करना चाहती है तो उसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए और उसमें कोई दो राय भी नहीं है। विदर्भ, मराठवाड़ा और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के लिए जो पिछड़ा हुआ इलाका है, इसके लिए अगर यह बोर्ड स्थापित हो जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं है। अतः मेघे जी इसका विरोध न करते हुए गवर्नमेंट से आग्रह करें यह बोर्ड जल्दी से जल्दी स्थापित किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उत्तमराव देवराव पाटिल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

— — — —

3.46 म०प०

गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक

(धारा 3 और 4 में संशोधन)*

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

————

*दिनांक 13.9.91 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2 में प्रकाशित।

3.46½ म०प०

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक*

(धारा 376 में संशोधन)

श्री काशीराम राणा (सूरत) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दण्ड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री काशीराम राणा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.47 म०प०

अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण विधेयक*

श्री सी०पी० मुदालगिरियप्पा (चित्रदुर्ग) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि समर्थ शरीर वाले सभी व्यक्तियों के लिए सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य बनाने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि समर्थ शरीर वाले व्यक्तियों के लिए सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य बनाने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी०पी० मुदालगिरियप्पा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.47½ म०प०

विकलांग, निःशक्त और मानसिक रूप से अवरुद्ध व्यक्ति कल्याण विधेयक*

श्री सी०पी० मुदाल गिरियप्पा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरकार द्वारा जन्म से ही विकलांग, निःशक्त अथवा मानसिक रूप से अवरुद्ध, सभी व्यक्तियों के कल्याण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

*दिनांक 13.9.1991 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2 में प्रकाशित।

"कि सरकार द्वारा जन्म से ही विकलांग, निःशक्त और मानसिक रूप से अवरुद्ध सभी व्यक्तियों के कल्याण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी०पी० मुदालगिरियप्पा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

विवाह अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक*

श्री सी०पी० मुदालगिरियप्पा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में सभी विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत में सभी विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी०पी० मुदालगिरियप्पा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

[हिन्दी]

3.48½ म०प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नए अनुच्छेद 48क का अन्तःस्थापन)

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 13.9.91 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड 2 में प्रकाशित।

3.49 म०प०

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक*

(धारा 2 आदि, में संशोधन)

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में संशोधन करने व ले विधेयक को पुरःस्थापित करने करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि स्वापक औषधि और मादक मनःप्रभावी पदार्थ, अधिनियम, 1985 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

3.49½ म०प०

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक*

(अनुसूची में संशोधन)

श्री उत्तमराव पाटिल (यवतमाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृति हुआ।

श्री उत्तमराव पाटिल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

3.50 म० प०

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक*

(धारा 2, आदि में संशोधन)

श्री रामेश्वर पाटीदार (खरगोन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

* दिनांक 13-9-91 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामेश्वर पाटीदार : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———

3.50½ म० प०

मानव संसाधन (उपयोग) विधेयक*

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मानव संसाधनों का देश के सर्वाधिक हित में उपयोग करने और उससे सम्बद्ध मामलों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मानव संसाधनों का देश के सर्वाधिक हित में उपयोग करने वाले और उससे सम्बद्ध मामलों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने का अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस० बी० सिदनाल : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———

3.51 म० प०

युवा कल्याण विधेयक*

श्री एस०बी० सिदनाल (बेलगाम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में युवाओं के विकास के लिए एक व्यापक नीति बनाने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश में युवाओं के विकास के लिए एक व्यापक नीति बनाने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस० बी० सिदनाल : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———

3 51½ म० प०

राष्ट्रीय बाल कल्याण बोर्ड विधेयक*

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बाल कल्याणार्थ एक राष्ट्रीय

*दिनांक 13.9.91 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 2, में प्रकाशित।

बाल बोर्ड की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित मामलों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बाल कल्याणार्थ एक राष्ट्रीय बाल बोर्ड की स्थापना करने वाले और उससे सम्बन्धित मामलों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस० बी० सिदनाल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.52 म० प०

सरकारी कार्यालयों में अवकाश पर निर्बन्धन विधेयक*

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरकारी कार्यालयों में अवकाश के दिनों की संख्या पर निर्बन्धन लगाने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सरकारी कार्यालयों में अवकाश के दिनों की संख्या पर निर्बन्धन लगाने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस० बी० सिदनाल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.52½ म० प०

आतंकवाद के पीड़ितों का पुनर्वास विधेयक*

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में आतंकवादी हिंसा में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों के सदस्यों को मासिक पेंशन का संदाय करने और अन्य सुविधाएं देने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश में आतंकवादी हिंसा में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों के सदस्यों को मासिक पेंशन का संदाय करने और अन्य सुविधायें देने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० के० वी० थामस : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 13.9.91 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड 2 में प्रकाशित।

3.53 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 311 में संशोधन)

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० के० वी० थामस : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.53½ म० प०

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक*

(खंड 2, आदि में संशोधन)

श्री राजगोपाल नायडू रामास्वामी (पेरियाकुलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राजगोपाल नायडू रामास्वामी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.54 म० प०

उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक*

(खंड 2, आदि में संशोधन)

प्रो० राम कापसे (ठाणे) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

* दिनांक 13-9-91 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खंड दो, में प्रकाशित।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रो० राम कापसे : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

———

[हिन्दी]

3.55 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 370, में संशोधन)

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : सभापति जी, मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : मैं विधेयक को पुरःस्थापित भी करती हूं ।

———

35.6 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक—जारी

(नए अनुच्छेद 19क का अन्तःस्थापन)

सभापति महोदय : अब सभा में श्री चित्त बसु द्वारा 30 अगस्त, 1991 को प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार किया जाएगा :—

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

श्री चित्त बसु (बारसाट) : पिछली बार जब मैंने अपने नाम से प्रस्तुत विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव किया था, तो मैं विस्तार से नहीं बोला था । मैं समझता हूं आज आप मुझे विधेयक के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करने का अवसर प्रदान करेंगे ।

महोदय, विधेयक का उद्देश्य जानकारी पाने के अधिकार को हमारे देश के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करना है । स्वाभाविक रूप से, सदन के माननीय सदस्य गण जानकारी के अधिकार की अवधारणा अथवा समझ से अवगत होने की अपेक्षा करते हैं । जानकारी

*दिनांक 13.9.91 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-दो खंड-2 में प्रकाशित ।

[श्री चित्त बसु]

पाने के अधिकार से हमारा वास्तविक अभिप्राय क्या है ? मेरे विचार से, जानकारी पाने का अधिकार व्यापक होना चाहिए। इस अधिकार के दायरे में, अभिव्यक्ति संबंधी अधिकार जिसमें नवीन आंकड़ों, तस्वीरों, तथ्यों, संदेशों, विचारों तथा टिप्पणियों का एकत्रीकरण, भंडारण, प्रसंस्करण और प्रकीर्णन शामिल हैं, जिससे कि वैयक्तिक, पर्यावरण संबंधी, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को समझा जा सके तथा ज्ञानपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की जा सके, उपयुक्त निर्णय लिए जा सकें तथा जिस समाज में हम रहते हैं उसके एक प्रभावी सदस्य स्वयं को स्थापित कर सकें। केवल व्यक्ति ही नहीं अपितु सामूहिक रूप से समुदायों को भी अपने जीवित रहने अथवा अस्तित्व हेतु संचार सुविधाओं की आवश्यकता होती है। अतः, यह जानकारी पाने का अधिकार एक अत्यंत व्यापक अवधारणा है तथा उस दृष्टिकोण से, हमें मामले पर चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए।

महोदय, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता लोकतंत्र की एक बहुमूल्य प्राप्ति है। यदि हम अन्तः क्रिया नहीं कर सकते, यदि समाज के विभिन्न वर्ग आपस में अन्तः क्रिया कर सकते हैं, तो लोकतंत्र बचा नहीं रह सकता। इस अभिव्यक्ति के अधिकार से ही जुड़ा हुआ जानकारी पाने का अधिकार है। यदि मैं जानता नहीं हूं तो अभिव्यक्त क्या करूंगा। इसलिए जानने का अधिकार ऐसा है जो अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अधिकार की व्युत्पत्ति भी है। मैं यह अधिकार क्यों चाहता हूं ? मैं यह अधिकार इसलिए चाहता हूं क्योंकि आधुनिक समाज में, इन अधिकारों से व्यक्ति तथा लोकप्रिय सरकारें भी उस ज्ञान को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं जिससे उनमें अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने की क्षमता आती है। यदि मेरे पास जानकारी पाने का कोई अधिकार न हो, तो मैं समाज में एक व्यक्ति की हैसियत से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने की शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता।

4.00 म० प०

[अनुवाद]

जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में मैं इस सदन में तब तक अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा सकता हूं जब तक मुझे तथ्यों की जानकारी न हो, जब तक मैं यह नहीं जानता कि सरकार कैसे शासन करती है, सत्ता पार्टी कैसे शासन करती है, नीतियां कैसी बनती हैं और जब तक मुझे इन बातों की जानकारी न हो, मैं इस सभा में एक सदस्य के रूप में अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा सकता हूं। यह किसी व्यक्ति के लिए भी लागू होता है यदि उसे देश के एक जिम्मेदार नागरिक की भांति समाज में कार्य करना है।

किसी लोकप्रिय सरकार के लिए यह भी आवश्यक है कि वह लोगों से सम्पर्क करे, लोगों को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में बताए। और यदि आप मुझे माओ-त्से तुंग द्वारा प्रयोग किए गए नारे "जनता से और जनता तक" को प्रयोग करने की अनुमति दें तो इसका अर्थ यह है कि सरकार अथवा किसी व्यक्ति को जनता से सीखना चाहिए और इसे ही जनता तक पहुंचाना चाहिए।

जनता से सम्पर्क रखना ही लोकतंत्र की महान पहचान है और लोकतंत्र में 'जानने का अधिकार' अपेक्षित है, इसलिए महोदय, जानने का अधिकार एक मूल प्रकृति का अधिकार है और मैं इसे हमारे देश के संविधान में मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित कराना चाहता हूं। यह केवल मेरा ही दृष्टिकोण नहीं है। बल्कि संयुक्त राष्ट्र ने भी इस सिद्धांत को स्वीकार किया है, मैं संयुक्त

राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसम्बर, 1948 को पारित विश्वजनीन मानवाधिकार घोषणा को उद्धृत करता हूं :—

"प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार है, इस अधिकार में बिना हस्तक्षेप के विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता और किसी प्रकार की सीमा को ध्यान में न रखते हुए मीडिया के माध्यम से सूचना और विचारों को देखना, इनकी जानकारी प्राप्त करना तथा इनका आदान-प्रदान करना शामिल है।"

यह किसी विशेष राष्ट्र या किसी विशेष समाज तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह एक विश्वजनीन अधिकार है।

महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि किसी प्रतिनिधि सरकार के पास शासन करने के साधन अवश्य होने चाहिए। जब तक सरकार सार्वजनिक मुद्दों पर वाद-विवाद को बढ़ावा नहीं देती है तब तक वह जनता की भावनाओं की गहराई को नहीं समझ सकती है अथवा महसूस नहीं कर सकती है तथा इनके जवाब में कोई उचित कार्यवाही नहीं कर सकती है।

महोदय, मैडिसन ने कहा है कि "जो लोग अपना शासन चलाना चाहते हैं उन्हें ज्ञान से शक्ति प्राप्त करनी चाहिए।" जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि शक्ति तभी प्राप्त की जा सकती है जब हमारे पास जानने का अधिकार हो।

महोदय, जानकारी प्राप्त करने सम्बन्धी अधिकार के इस आन्दोलन के अपने इतिहास में कई उतार-चढ़ाव रहे हैं। यह लोगों के किसी एक वर्ग की आकस्मिक मांग नहीं है। इसकी शुरूआत सोलहवीं शताब्दी उत्तरार्ध में हुई थी और इसके प्रति उत्तर में स्वीडन ने वर्ष 1766 में प्रेस अधिनियम पारित किया था। अभी भी स्वीडन की जनता को सभी सरकारी दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है यहां पर हमें ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है। यहां गुप्त दस्तावेज हैं लेकिन उनकी जानकारी पाने का अधिकार हमें प्राप्त नहीं है।

मैंने विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कुछ उदाहरणों का उल्लेख किया है। शासकीय गुप्त बात अधिनियम की आड़ में आपको सामान्य जानकारी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

194` में संयुक्त राज्य अमेरिका में जानकारी प्राप्त करने सम्बन्धी अधिकार को मान्यता देने के लिए एक आन्दोलन शुरू हुआ था। इस आन्दोलन का परिणाम यह हुआ कि प्रशासनिक ; क्रिया अधिनियम, 1946 को लागू किया गया। इसके पश्चात् एक स्वतः प्रणाली शुरू की गई जिसमें सरकारी दस्तावेजों को बारह वर्षों की अवधि समाप्त होने के पश्चात गुप्त नहीं रखा जायेगा अथवा लोगों की जानकारी के लिए खुला रखा जाएगा। इसलिए, कानून में जानकारी गुप्त न रखने की स्वतः प्रणाली का प्रावधान है।

महोदय, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1946 के अधिनियम के स्थान पर 1966 का जानकारी प्राप्त करने की स्वतन्त्रता संबंधी अधिनियम लागू किया गया। इसमें यह सुनिश्चित किया गया कि एक सामान्य कानून के रूप में जनता को सभी सरकारी दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार हो, अब उन्होने इसमें और अधिक सुधार किया है। उस देश में लोगों को प्रत्येक दस्तावेज की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है।

[श्री चित्त बसु]

1974 में एक और अधिनियम लागू हुआ जिसमें कानून के द्वारा कतिपय श्रेणी की जानकारी अथवा दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करने के अधिकार का प्रावधान नहीं है, ऐसे भी कुछ दस्तावेज हो सकते हैं जो विधानमंडल द्वारा अप्राप्य अथवा सभी के लिए खुला घोषित किए जा सकते हैं।

ऐसे और भी अधिनियम है। इस इतिहास का वर्णन करके मैं इस सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि लोग लगातार यह मांग करते रहे हैं कि उनको जानकारी प्राप्त करने का अधिकार मूल अधिकार के रूप में हो।

भारत में हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1) (क) में बोलने और अभिव्यक्ति के अधिकार की गारन्टी है; और इसी अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतन्त्रता से ही जानकारी प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। यदि मुझे जानकारी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है तो मैं लोगों से सम्पर्क नहीं रख सकता हूं, मैं अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता हूं। इसलिए जानकारी प्राप्त करने या जानने के अधिकार को प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि साधित रूप में मूल अधिकार माना जाता है, मेरे द्वारा प्रस्तावित संशोधन में यह प्रयास करने को कहा गया है कि इस अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(क) में एक साधित रूप में रखने की स्थिति में मैं यह चाहता हूं कि यह अधिकार प्रत्यक्ष और मूल हो अर्थात् जानने और जानकारी प्राप्त करने का अधिकार हो।

1989 में हमारे देश में एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ। एक नई सरकार ने सत्ता संभाली, कांग्रेस (इ) सरकार को सत्ता से हटाया गया। केन्द्र में राष्ट्रीय मोर्चा दल ने सरकार का गठन किया। हमने, वामपंथी दलों ने, तथा भारतीय जनता पार्टी ने भी श्री वी०पी० सिंह द्वारा गठित सरकार को समर्थन दिया था। श्री वी० पी० सिंह का नाम सुनने मात्र से नाराज न होइए। 6 दिसम्बर, 1989 को प्रधान मन्त्री श्री वी० पी० सिंह ने निम्नलिखित घोषणा की थी :

> "सरकार के कार्यकरण को और अधिक स्पष्ट किया जाएगा और केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी सम्बन्धों के आधार पर ही अपेक्षित गोपनीयता रखी जाएगी।"

मैं चाहता हू कि सरकार के कृत्य सुस्पष्ट होने चाहिए, जो वर्तमान सरकार और पिछली सरकार ने नहीं किया। कल भी, यह सुनिश्चित करने के लिए भी केवल साधारण सी मांग की गयी थी कि सत्य से पर्दा हटाने के लिए बोफोर्स मामले को जारी रखने हेतु सरकार प्रभावी कदम उठाती है। और सभा में क्या हुआ ? अत: सरकार के कृत्य सुस्पष्ट नहीं है। जब तक सरकार के कृत्य सुस्पष्ट नहीं होंगे संसद जानकारी पाने के अधिकार से वंचित रहेगी, लोग जानकारी के अधिकार से वंचित रहेंगे। ऐसी स्थिति में लोकतन्त्र कैसे जीवित रहेगा, फलेगा और फूलेगा ?

20 दिसम्बर, 1989 को भारत के राष्ट्रपति ने संयुक्त सत्र को सम्बोधित करते हुए कहा था :—

> "एक भागीदार लोकतन्त्र को प्रबुद्ध और जानकार मतदाताओं की आवश्यकता होती है इसका यह भी विश्वास है कि पूरी तरह से जनता के समक्ष सरकार के खुले तौर से काम करने से गलत कार्यों की संभावना बहुत कम रह जाएगी, शासकीय गोपनीयता अधिनियम में समुचित संशोधन किया जाएगा ताकि लोगों को अधिकाधिक जानकारी मिल सके।

दूरदर्शन तथा आकाशवाणी को स्वायत्तता प्रदान की जाएगी ताकि सूचना का निरन्तर प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके।"

देश के राष्ट्रपति ने 20 दिसम्बर, 1989 को घोषणा की थी।

राष्ट्रपति ने आगे कहा :

"संविधान में प्रतिष्ठापित जानकारी के अधिकार तथा लोगों को निरन्तर प्रवाह से जानकारी सुनिश्चित कराने हेतु विधायी उपाय किए जायेंगे।"

देश के राष्ट्रपति ने 20 दिसम्बर, 1989 को यह भी कहा था।

अत: सरकार की नीति सम्भवतया स्पष्ट शब्दों में घोषित की गयी थी। सरकार निरन्तर सरकार ही रहती है। पिछली सरकार, जिसने जानकारी के अधिकार को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित करने की नीति बनायी थी, ने भी इसे घोषित किया था और यह देश के राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ने भी घोषणा की थी, किन्तु बाद की सरकारों ने इस पर कार्यवाही नहीं की। मैं समझता हूं कि संसदीय लोकतन्त्र में यह युक्तिसंगत प्रथा नहीं है। इस प्रथा को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। इस प्रथा को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

केवल यही नहीं, पिछली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने 8 दिसम्बर, 1989 को एक मंत्रि मंडल समिति गठित की थी और भारत के नागरिकों का जानकारी का अधिकार देने संबंधी सभी पहलुओं का अध्ययन किया था। और 1 जनवरी, 1990 को उन्होंने पुन: यह निर्णय लिया तथा सरकार ने उस समय घोषणा की थी कि नागरिकों को जानकारी का अधिकार दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 में संशोधन किया जाएगा।

अत: जैसा मैं कह रहा हूं, सरकार की नीति जानकारी के अधिकार को मौलिक अधिकार में सम्मलित करना है। किन्तु इसे अब तक कार्यान्वित नहीं किया गया है।

किन्तु यह नीति घोषित क्यों नहीं कि गयी है। इसका कारण मैं समझता हूं कि नौकरशाही सत्ता में भागीदार नहीं चाहती है। इसका कारण यह है कि नौकरशाही लोगों को इस अधिकार का लाभ नहीं देना चाहती।

मैक्स वेबेर 'ऐस्सेज इन सोसियोलाजी' में लिखते हैं :

"प्रत्येक नौकरशाही अपने ज्ञान और इरादों को गुप्त रखते हुए खुले आम प्राप्त जानकारी की श्रेष्ठता में वृद्धि करने की कोशिश करती है। नौकरशाह प्रशासन का जहां तक हो सके सदैव 'गुप्त सत्रों' का प्रशासन होता है। यह अपने ज्ञान और कृत्यों को आलोचनाओं से छिपाता है।"

अत: मैं समझता हूं कि यहां भी मार्ग में नौकरशाही खड़ी है।

महोदय, मैं ऐसे कुछ खतरों का उल्लेख करूंगा जिनका सामना अपना उत्तरदायित्व निभाते समय हमारे पत्रकारों को करना पड़ता है।

कल ही भारतीय लघु और मध्यम समाचार पत्र परिसंघ ने आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत राज्य द्वारा पत्रकारों के उत्पीड़न के प्रति विरोध प्रकट किया था।

[श्री चित्त बसु]

यह एक दुखद कहानी है। पत्रकार श्रीमती सनाबम ओंगनी क० बेलु जब अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, स्थानीय पुलिस 'टाडा' के अन्तर्गत उन्हें उठाकर ले गयी। वह मणिपुरी दैनिक की पत्रकार हैं। उन्हें बिना कोई कागज दिखाए ही उनके शिशु के साथ गिरफ्तार किया गया, इसका क्या कारण था? श्रीमती बेलू को अपने लेख "पुलिस और नशा" के प्रकाशन के लिए गिरफ्तार किया गया। समाचार किसी भी तरह उत्प्रेरक अथवा राजद्रोहात्मक नहीं था। इससे किन्हीं विध्वंसकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने में उत्तेजना अथवा मदद मिली थी, जिससे कि 'टाडा' लगाना पड़ा। वह महिला पत्रकार है और उन्होंने साहसपूर्वक पुलिस के विरुद्ध लिखा और इसी कारण अपने शिशु को स्तनपान कराते समय उन्हें उनके शिशु के साथ गिरफ्तार किया गया तथा 'टाडा' के अन्तर्गत जेल में रखा गया।... (व्यवधान)

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : कौन जानता है कि शिशु आतंकवादी नहीं था।

श्री चित्त बसु : आपकी बात सही है। उन्हें बच्चों से भी डर लगता है।

एक दूसरा समाचार छपा है जिसका श्री एस० एस० अहलूवालिया ने जिक्र किया है। यूनीवार्ता के एक सह सम्पादक श्री मनोहर सिंह की एक पुलिस वाले ने बस में पिटाई की और बाद में जब उन्होंने अपनी पहचान बतायी तो उन्हें जेबकतरा बता दिया। श्री सिंह की जनता के लोगों ने भी पिटाई की।

महोदय जब पत्रकार अपने कर्तव्यों अथवा जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं तो उनका यह हाल होता है। मेरे पास ऐसे मामलों की एक लम्बी सूची हैं। उड़ीसा में एक पत्रकार की हत्या कर दी गयी और उसकी पत्नी के साथ बलात्कार किया गया। ऐसे बहुत से मामले हैं। मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता हूं।

स्वतन्त्रता के अधिकार में दूसरी बात यह है कि उसे स्त्रोत बताने के लिए मजबूर न किया जाए। हमारे देश में खोजी पत्रकारिता की प्रशंसा की जाती है। पत्रकारों के लिए कुछ खतरे होते ही हैं। वस्तुत: यह मामला हाउस ऑफ लॉर्ड्स के समक्ष आया था। यह मामला ब्रिश स्टील कारपोरेशन बनाम ग्रेनेडा टेलीविजन के बीच था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निर्णय दिया था कि इसमें बिल्कुल छूट नहीं दी गयी है। यदि न्यायालय निर्देश देता है तो पत्रकार से स्त्रोत बताने की अपेक्षा की जा सकती है।

4.25 म.प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

भारत में हम देखते है कि प्रैस काउन्सिल अधिनियम, 1978 में यही धारणा अपनाई गई है। यदि हमारी वास्तव में यह सुनिश्चित करने की रूचि है कि खोजी पत्रकारिता अधिकारियों, सरकार और किसी जिम्मेदार व्यक्ति के गलत कार्यों के बारे में खोज करे, उसकी जनता को जानकारी दे और लोगों को इसके बारे में शिक्षा दे तो मैं चाहता हूं कि इस धारणा का विरोध किया जाए।

मैं चाहता हूं कि सभा के दूसरे सदस्य भी अपनी बात कहें। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार सूचना का सबसे महत्वपूर्ण संस्थागत भंडार है। उसके पास दस्तावेज होते है। वह

इन दस्तावेजों का विश्लेषण करती है और वह अपनी सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक नीतियां बनाते समय जानकारी एकत्रित करती है। इस देश के नागरिकों को यह जानकारी प्राप्त करने का हक है। यह उन्हें उपलब्ध करायी जानी चाहिए। परन्तु हमारा यह अनुभव है कि संसद सदस्यों को समूची जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बातचीत कर रहे हैं। वे समझौतों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं और कुछ शर्तों के साथ ऋण ले रहे हैं। संसद को इन शर्तों की जानकारी दी जानी चाहिए। इसलिए मैंने जानकारी के अधिकार को मौलिक अधिकार में सम्मिलित कराने का प्रयास किया है। मुझे यह उम्मीद है और यह विश्वास है कि सभा इस पर उचित ढंग से विचार करेगी और इस विधेयक को स्वीकार करेगी ताकि हमारे देश की जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों, जानकारी के अधिकार और सूचना प्राप्त करने के अधिकार का प्रयोग कर सके इससे हमारे लोकतंत्र में और अधिक प्रगति होगी। इन शब्दों के साथ ही मैं यह सिफारिश करता हूं कि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हमारे पास डेढ़ घंटा है। चर्चा में भाग लेने के लिए 14 माननीय सदस्यों ने अपने नाम दिए हैं। कृपया आप अपने बाद के वक्ताओं का ध्यान रखें। कुछ ऐसे सदस्य हैं जिन्हें बोलने का बिल्कुल अवसर नहीं मिला है। ऐसे सदस्यों को भी चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जाए। दूसरे संबंधित दलों के प्रत्येक प्रभाग की पूरी सूची में से बोलने वाले वक्ताओं को उचित क्रम में, जैसी सहमति हो, बुलाने मे अध्यक्षपीठ को सुविधा रहेगी। इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखा जाए।

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्पोल) : महोदय, मैं श्री बसु को बधाई देता हूं कि उन्होंने जानकारी की स्वतंत्रता के संबंध में यह विधेयक प्रस्तुत किया। हमें हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। परन्तु इन अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं जिन्हें पूरी तरह समझकर अपनाया गया है।

प्रत्येक लोकतांत्रिक देश के संविधान में मौलिक अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। और इसके अतिरिक्त इन मौलिक अधिकारों के बारे में अनुच्छेद 19 में संशोधन करके उसे इस विधेयक में अनुच्छेद क के रूप में सम्मिलित करने की बात कही गयी है, मैं नहीं समझता कि इस समय इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। शासकीय गुप्त बात अधिनियम में उपयुक्त संशोधन से उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है।

सरकार को चलाने और लोकतंत्र को उचित ढंग से चलाने के लिए सरकार के पास तीन प्रकार की जानकारी होती है, एक, जिसे जनता को बताना आवश्यक होता है, दूसरी, जिसे पूछने पर बताया जाता है और तीसरी, जिसे जनता से गुप्त रखा जाता है। जैसा कि श्री बसु ने सुझाव दिया है, विदेशों में दस या बारह वर्षों के बाद वह जानकारी जनता को दी जा सकती है, निस्संदेह इस पहलू पर विचार किया जा सकता है।

सरकार के पास जो जानकारी है उसे जनता को बताया जाए जैसे जब सरकार को किसी बांध का निर्माण करना पड़ता है अथवा कुछ चीजों की सप्लाई करनी पड़ती है तो इसके लिए इसको निविदाओं या आमन्त्रण करना पड़ता है अथवा जब इसको लोगों की भर्ती करनी पड़ती है तो इसके लिए सरकार को विज्ञापन देना पड़ता है। इस प्रकार की जानकारी जनता को दी जाए। इसी प्रकार जब नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जायें तो इसकी जानकारी जनता को दी जाए,

[श्री विजय एन० पाटिल]

जब नया डाकघर खोला जाए तो इसकी जानकारी जनता को दी जाए और यदि कोई नई रेलगाड़ी शुरू की जाए। अथवा रेलगाड़ियों की समय-सारणी में भी परिवर्तन किए जायें तो इसकी जानकारी जनता को दी जाए।

अन्य चीजें हैं जिन्हें जनता से गोपनीय रखा जा सकता है लेकिन यदि आवश्यक हो तो मांग किये जाने पर जानकारी दी जा सकती है। उदाहरण के लिए गैस भूमिगत पाइपलाइन के बारे में या पानी के पाइपलाइन के बारे में जानकारी संसद सदस्यों अथवा जनता को दी जा सकती है यदि उनका इरादा नेक हो। अन्यथा इसे उग्रवादियों जैसे असामाजिक तत्वों से छुपाकर रखना चाहिए यदि इसकी जानकारी इन लोगों को दी जाती है तो राज्य और जनता के लिए खतरनाक होगा।

एक तीसरे प्रकार की जानकारी है जिसे गुप्त रखा जाना चाहिये। इसे केवल राज्य द्वारा ही गुप्त नहीं रखा जाना चाहिये बल्कि कभी-कभी अदालतों को भी अपनी कार्यवाही गुप्त रूप से करनी चाहिए। मैं "शासकीय गुप्त बात अधिनियम" से उद्धृत करना चाहूंगा जहां यह कहा गया है कि अदालत को जनता को कार्यवाही से बाहर करने का अधिकार है।

"इसके अतिरिक्त ऐसे अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना जो न्यायालय को किसी कार्यवाही के दौरान जनता को बाहर निकालने के लिए प्राप्त हैं जब न्यायालय इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध सुनवाई करता है अथवा अपील की सुनवाई करता है अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति पर विचारण करता है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा इस आकार पर आवेदन किया जाता है कि कार्यवाही के दौरान दिये जाने वाले साक्ष्य अथवा बयान के प्रकाशन से राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.......।"

इसलिए हमें राज्य की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है और इसके लिए यहां तक कि अदालतों में भी कई बार गुप्त रूप से कार्यवाही करनी चाहिए।

हम इस पर विचार करते हैं और हम न्यायपालिका की स्वतन्त्रता के प्रति सदैव सतर्क हैं। लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भी कुछ वकीलों अथवा कुछ वकील संगठनों ने मांग की है कि उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाने वाली नियुक्ति को अन्तिम रूप देने से पूर्व सबको बताया जाना चाहिए। परन्तु इसमें भी भिन्न मत हैं। मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूं वह यह है कि सरकार के कार्यकरण में कुछ दस्तावेज या कुछ कागजातों को गुप्त रखना चाहिए।

प्रत्येक भारतीय का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह कुछ बातों का अनुपालन करे। उदाहरणार्थ एक नागरिक का यह कर्तव्य है कि यदि उसकी आंखों के सामने कोई अपराध हुआ है तो वह स्वयं जाकर पुलिस अथवा अधिकारियों को इसकी सूचना दें। लेकिन हम जानते हैं कि आजकल हमारी यह प्रवृत्ति बन गई है कि हम जानकारी देने के कर्त्तव्य का पालन नहीं करते। शासकीय गुप्त बात अधिनियम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के कुछ कर्त्तव्य हैं। यदि वह किसी अपराध अथवा कत्ल का चश्मदीद गवाह है तो उसे जानकारी देनी है। परन्तु यदि वह जानकारी नहीं देता तो इसके लिए दो साल की कैद की सजा है। पहले यह सजा तीन साल की थी जिसे अब दो साल कर दिया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर पुनः विचार करे। हम यह पाते हैं कि

सामान्य रूप से लोग, चाहे उनकी आंखों के सामने ही सड़क दुर्घटना हुई हो, पुलिस अथवा संबंधित अधिकारी को इसकी जानकारी देना अपना कर्त्तव्य नहीं समझते जिससे कि पीड़ितों की सहायता की जा सके। हम अपने कर्त्तव्य से दूर भाग रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : पीड़ितों की सहायता के बजाय जानकारी देने वालों को गवाही देने के लिये परेशान किया जाता है।

श्री विजय एन० पाटिल : ऐसा इसलिए होता है कि वे गवाही देने अथवा अदालत जाने और समय बर्बाद करने से डरते हैं। आज हर कोई ऐसी घटनाओं से विमुख होता जा रहा है। लेकिन यदि ऐसा ही होता रहा और यदि दुर्घटना होने पर पीड़ित व्यक्ति की समय से सहायता नहीं की जाती और गवाही के रूप में सहायता नहीं की जाती तो उन्हें कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी या समाज में किसी से कोई भी सहायता नहीं मिलेगी। एक तरफ तो हम जानकारी पाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मांग करते हैं दूसरी ओर हम अपने साथी नागरिक की सहायता के लिए आवश्यक जानकारी नहीं देते।

मैं श्री चित्त बसु की इस बात से सहमत हूं कि कुछ जानकारी जो जांच रिपोर्ट में दी गई है, प्रकट की जा सकती है। परन्तु इसे गुप्त जानकारी होने के बहाने छुपाया जाता है जिसकी राज्य की सुरक्षा बनाए रखने के लिए विशेष आवश्यकता नहीं होती। कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निहित हैं जिनकी आवश्यकता समाज में नागरिकों की भलाई के लिए होती है। मैं एक दूसरे वासु को उद्धृत करना चाहता हूं जिन्होंने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से संबंधित भाग पर टिप्पणी की है :—

"इस बात पर सन्तोष व्यक्त किया गया है कि मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित हमारे संविधान का यह भाग किसी अन्य महत्वपूर्ण विद्यमान संविधान में निहित अधिकार-पत्र की अपेक्षा अधिक व्यापक है और इसमें अनेक विषय शामिल हैं।"

[अनुवाद]

तो दूसरी बात जो इस सदन में कही गई है वह यह है कि स्विटजरलैंड और अन्य देशों के संविधानों में संशोधन किए जा रहे हैं। लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि जो हमने पहले शामिल किया था वह अन्य संविधानों में आज भी उपलब्ध नहीं है। मैं पुन: श्री बसु को उद्धृत करना चाहूंगा :

> "इसी तरह से ऐसे अधिकार हैं जो यूरोपीयन कन्वेंशन आफ ह्युमन राईट्स में हैं उन्हें मूल अधिकारों की भारतीय सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि भारतीय घोषणा कतिपय अल्पसंख्यकों के अधिकारों को अवश्य मान्यता देती है जिन्हें आमतौर पर अन्य संविधानों में स्थान नहीं दिया जाता।"

हमारे यहां अल्पसंख्यकों को ऐसे कुछ अधिकार दिए गए हैं जिन्हें अन्य संविधानों में सम्मिलित नहीं किया गया है। अत: यदि अन्य देशों में जानकारी प्राप्त करने के अधिकार को सम्मिलित किया गया है तो यह आवश्यक नहीं है कि इसे यहां भी सम्मिलित किया जाए। मेरा पुन: सिर्फ यह कहना कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम में उपयुक्त संशोधन इस प्रयोजन के लिए काफी होगा।

[श्री विजय एन० पाटिल]

इन शब्दों के साथ, मैं संशोधन का विरोध करता हूं और बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए अध्यक्षपीठ का धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री चित्त बसु द्वारा लाए गए इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। नागरिकों के लिए राइट टू इनफार्मेशन को हमारा मौलिक अधिकार, फंडामैंटल राइट बनाने की बात कही गई है। आज तक का अनुभव यह रहा है कि जब भी सरकार अपने ऐक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, अपनी गलतियों को दबाने के लिए यह चाहती है कि सूचना नागरिकों तक न पहुंचे तो यह कहकर टाल दिया जाता है कि यह सूचना देना पब्लिक इन्टरस्ट में नहीं होगा, सार्वजनिक हित में नहीं होगा। इसके दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। बहुत से जांच आयोग बैठे। जांच-पड़ताल करने के बाद जो रिपोर्ट आई, जिनके बारे में लोग जानना चाहते थे लेकिन यह कहकर वह रिपोर्ट दबा दी गई कि इन रिपोर्टों को सार्वजनिक करना, इनकी जानकारी साधारण नागरिकों को देना पब्लिक इन्टरस्ट में नहीं होगा।

श्रीमती इन्दिरा गांधी की दुखद हत्या हुई। उसके बाद जो दंगे फैले उसके लिए एक जांच आयोग बैठाया गया। जांच आयोग की रिपोर्ट आई और सरकार ने उस रिपोर्ट को यह कहकर दबा दिया कि इस रिपोर्ट को पब्लिक करना, इसकी जानकारी लोगों को देना पब्लिक इंटरस्ट में नहीं है।

[अनुवाद]

'लोक हित' शब्दों का सहारा लेना सरकार के लिए अत्यधिक सुरक्षित उपाय बन गया है।

[हिन्दी]

जब चाहा कह दिया कि लोक हित में नहीं है इसलिए हम नहीं बताना चाहते हैं। यह जो राइट टू इनफर्मेशन है, सरकार के इस फंज के दुरुपयोग के कारण, मिसयूज के कारण राइट टू डिस इनफर्मेशन बन जाता है क्योंकि जहां से सही जानकारी मिल सकती थी, जो सही सरकार की तरफ से प्राप्त हो सकती थी, वह वहां से मिली नहीं। इसका परिणाम यह होता है कि अफवाह फैलती है और झूठी जानकारी लोगों तक पहुंचती है और सरकार यह कहती है राइट टू इनफर्मेशन को दें तो फिर पब्लिक इंटरस्ट में नहीं होगा। ऐसे में लोग गलत अफवाहों पर ही विश्वास कर लेते हैं और रोंग इनफर्मेशन को राइट इनफर्मेशन समझ बैठते हैं।

श्री चित्त बसु जी ने जो बिल यहां पेश किया है उसमें इन्होंने स्वयं कहा है कि :

[अनुवाद]

"इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को, समय-समय पर, कोई ऐसा कानून बनाने से नहीं रोकेगी, जिसके द्वारा यह विहित किया जाए किस-किस प्रकार की जानकारी का प्रकटन न किया जाना आवश्यक है।"

[हिन्दी]

राष्ट्र हित में कोई बात अगर नहीं बतानी है, उसका उन्होंने पूरा ध्यान रखा है और उसको स्टेटमेंट ऑफ आबजेक्ट्स एण्ड रिजन्स में भी स्पष्ट करके कहा है।

[अनुवाद]

"राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक जानकारी, राष्ट्र की रक्षा अथवा सुरक्षा से संबंधित जानकारी, विदेशों के साथ संबंध, मंत्रिमंडल की कार्यवाहियां तथा दस्तावेज आदि। राज्य को ऐसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए, जिनके द्वारा ऐसे शासकीय दस्तावेजों को जिन्हें गोपनीय रखना आवश्यक हों, उस कानून में स्पष्टतया परिभाषित किया जाए।"

[हिन्दी]

मेरे कहने का भाव यह है कि जहां तक बहुत आवश्यक हो और मामला देश की सुरक्षा से संबंधित हो, विदेशी सम्बन्धों के साथ संबंधित हो या फिर मंत्रिमंडल की गुप्त बातों से संबंधित हो उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि केन्द्र सरकार को पूरा अधिकार होगा कि वह कानून बनाए और जो इनफर्मेशन नहीं देनी है, उसको वह सीमित कर दे कि इस मामले में सूचना नहीं देंगे लेकिन हर बात में यह कह देना कि यह सूचना देना पब्लिक इन्टरस्ट में नहीं है, ठीक नहीं है। बड़े दकियानूसी कानून चले आ रहे हैं। एक कानून बना है "नो फोटोग्राफी एलाउड" कोई साधारण पुल बना है वहां लिखा होता है कि फोटो लेना मना है. जैसे उस पुल की टैक्निक बाहर चली जाएगी तो बहुत बड़ा आफिशियल सिक्रेट लीक होने जा रहा है। इसलिए मेरा सरकार से भी अनुरोध रहेगा कि जनतंत्र में, लोगों को सूचना प्राप्त करने का, सही इन्फार्मेशन लेने का पूर्ण अधिकार होता है, उसका सम्मान करते हुए सरकार को स्वयं ऐसा बिल लाना चाहिए कि जो अति महत्वपूर्ण मामला है, उसको छोड़कर अन्य मामलों में जो सूचना है, जो इन्फार्मेशन है, वह साधारण नागरिकों को मिले, वह मौलिक अधिकार समझकर माना जाय।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इस पर समुचित ध्यान देगी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वास्तव में प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट मिलेंगे। सूची में 14 नाम थे और अब कुछ और नाम जोड़ गए हैं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय, कार्य सूची में इस विधेयक के बाद, रोजगार गारंटी विधेयक की बारी है। यदि इस पर आज विचार नहीं किया गया तो यह व्यपगत हो जाएगा। इस सदन में पुर:स्थापित किया गया सिर्फ यही एक विधेयक है जिसमें रोजगार की गारंटी मांगी गई है न कि रोजगार के अधिकार की बात कही गई है। अत: मैं आपसे तथा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया यह सुनिश्चित करें कि मेरे इस विधेयक पर आज ही विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्य उनके विधेयक के प्रति भी सम्मान व्यक्त करेंगे।

4.47 म० प०

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का विधेयक लाने के लिए मैं श्री चित्त बसु का धन्यवाद करता हूं जिसमें इस मामले पर तथा हमारी सूचना प्रणाली की समीक्षा करने के बारे में सदन को गहराई से विचार करने का अवसर प्रदान किया गया है। इस विधेयक के पीछे जो भावना है मैं उसका सम्मान करता हूं परन्तु मुझे यह समझ नहीं आती कि इस कार्य हेतु

[श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही]

संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता है। विधेयक की भावना की तो कद्र करता हूं लेकिन साथ ही हमारे देश में जो स्थिति चल रही है और हमारे समाज की जो संरचना है उस पर भी विचार करना होगा। अतः रियायतें देनी होंगी और विवेक का प्रयोग करना होगा। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है यह खुलेपन पर आधारित है संकीर्णता पर नहीं। खुलेपन का सदैव स्वागत है परन्तु साथ ही इस खुलेपन का इस तरह दुरुपयोग नहीं होना चाहिए जिससे कि देश की सुरक्षा और एकता खतरे में पड़े। अतः खुलेपन की आवश्यकता और सुरक्षा प्रतिबंधों की आवश्यकता दोनों के बीच संतुलन होना चाहिए। जानकारी पाने का अधिकार, विशिष्ट रूप में, तो हमारे संविधान में सम्मिलित नहीं है लेकिन साथ ही मैं आपकी जानकारी में यह बात लाना चाहूंगा कि प्रेस की स्वतंत्रता को भी विशिष्ट रूप से, हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत स्थान नहीं दिया गया। लेकिन क्या कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? भारत में प्रेस की स्वतंत्रता प्राप्त है। बाद में मैं तो कहूंगा कि यहां प्रेस को बहुत स्वतंत्रता दी जा रही है। यह बात सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत आती है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैंने तो अभी बोलना शुरू किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले केवल 14 सदस्य थे। सिर्फ संगत बातें ही सामने रखें।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : इस तरह से तो विषय के साथ न्याय नहीं हो पाता। अगर आप मुझे कहें तो मैं बैठ जाता हूं। हम विषय के साथ न्याय नहीं कर पायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके अधिकार को कम करने का मुझे कोई हक नहीं है। बोलने का हक आपका मौलिक अधिकार है। उसे कम करने का मुझे कोई हक नहीं है। मैं तो आपसे सिर्फ अपील कर सकता हूं कि संक्षेप में बोलें।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : हम जानकारी पाने के अधिकार पर चर्चा कर रहे हैं। श्री चित्त बसु, इस देश में जानकारी पाने के अधिकार में काफी कटौती की जा रही है जबकि हम इस पर चर्चा और वाद विवाद कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि इन अधिकारों के साथ-साथ जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि भारत में प्रेस को स्वतंत्रता प्राप्त है हालांकि हमारे संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 19 (1) (क) के अन्तर्गत कहा गया है कि सभी नागरिकों को बोलने और अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। तदनुसार अनुच्छेद 19 (2) में कतिपय न्यायोचित प्रतिबंधों की भी व्यवस्था है। मुझे विश्वास है कि यदि शासकीय गुप्त बात अधिनियम में उचित संशोधन किए जायें तो प्रयोजन पूरा हो जायेगा। इस बारे में काफी वाद-विवाद चल रहा है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि खुलेपन का सदैव स्वागत है। लेकिन साथ ही देश में व्याप्त परिस्थितियों को देखते हुए कुछ प्रतिबंध होने चाहिए। इस देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सेना में होते हुए भी गोपनीय दस्तावेजों को बेच देते हैं। इस देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। जिन लोगों ने गोपनीयता की शपथ ली है वे भी ऐसा करते हैं। ऐसे लोगों के भी उदाहरण हैं जो पदासीन हैं और बहुत सी बातों को दूसरों को बता देते हैं। अतः स्वाभाविक ही हमें बहुत सतर्क रहना होगा मैं कहूंगा कि इंग्लैंड में भी, स्वीडन में भी ऐसे प्रतिबन्ध हैं। स्वीडन पहला देश था जिसने जानकारी पाने के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में रखा। इस सदन में और सदन के बाहर भी बोफोर्स के बारे में काफी हल्लागुल्ला किया जा रहा है।

महोदय, आपको मालूम है कि सुरक्षा, अखण्डता, रक्षा, विदेश मामले, व्यापार और वाणिज्य संबंधी गोपनीय जानकारियों का उजागर करने अथवा सप्लाई करने को प्रतिबंधित रखा गया है इसमें भी हमें पूर्ण रूप से चयनात्मक होना होगा। इस बारे में अध्ययन किया जाना चाहिए। न तो मैं इस विधेयक का पूर्णतया विरोध करता हूं और न ही पूर्ण रूप से इसका समर्थन करता हूं। साथ ही, मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि स्वयं संविधान में संशोधन किए बिना उक्त प्रयोजन पूरा नहीं होगा। मामले पर गहराई से अध्ययन करने के पश्चात् शासकीय गुप्त बात अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करके ही इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं को संशोधित किया जा सकता है। मैं यह भी कहूंगा कि हमारी व्यवस्था लोकतांत्रिक है इसमें भ्रष्टाचार की भी गुंजाइश है। भ्रष्टाचार बहुत फैलता जा रहा है। यह कैंसर रोग की तरह से बढ़ता जा रहा है। यदि इस पर काबू नहीं किया गया तो स्थिति बहुत गम्भीर हो जायेगी। जब मैं भारत में व्याप्त इस भ्रष्टाचार पर सोचता हूं तो मुझे लोकतंत्र के भविष्य के प्रति चिन्ता होने लगती है। यह कितनी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। नौकरशाह, भ्रष्ट अधिकारी सदैव यही चाहेंगे कि अधिक से अधिक चीजें गुप्त रखी जायें, इन्हें उजागर न होने दिया जाए। हमें इन सब बातों का भण्डाफोड़ करना होगा। इस पर चर्चा पूर्ण रूप से की जानी चाहिए। पूरी तरह से समीक्षा की जानी चाहिए। साथ ही संपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमें कार्यवाही करनी होगी। सुरक्षा संबंधी वातावरण न केवल भारत में बदल रहा है बल्कि हमारे चारों ओर पड़ोसी देशों में और विश्व में भी बदल रहा है। इंग्लैंड में भी कुछ स्वतंत्रता दी गई थी जिस पर बाद में उन्होंने अपने अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करके, उस पर अंकुश लगा दिया गया था। अतः हमे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और हमें इस पर सावधानी से कार्य करना चाहिए।

समय की कमी का ख्याल आते हुए आपकी तरफ देखकर डर सा लग रहा है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : पाणिग्रही जी मैं आपको और समय देने के विरुद्ध नहीं हूं। यह सिर्फ अपने उन और भाइयों को भी समय देने की बात है जो चर्चा में भाग लेना चाहते हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही मजबूती के साथ माननीय सदस्य चित्त बसु जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यों तो बसु साहब ने विस्तार के साथ इसमें इतने तर्क दे दिए है कि नए तर्कों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 1963 में दुनिया का एक सभ्य देश, जहां से शहरी आजादी के संघर्ष की शुरूआत हुई, अमरीका में जो निर्दोष लीडर थे मार्टन लूथरकिंग, उनकी एक सभा होने वाली थी ह्यूस्टन में। उस सभा पर वहां की सरकार ने रोक लगा दी, वहां की जनता, वहां के उच्च न्यायालय में इस तरह की याचिका लेकर गई कि हम मार्टन लूथरकिंग को सुनना चाहते थे, मेरा तो सुनने का अधिकार है, उसको अमेरिका की सरकार ने रोका है, मुझे उसको सुनने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो बहुत ही एक सुन्दर निर्णय माननीय न्यायाधीश सर जॉन मार्शल ने दिया, उन्होंने कहा कि अमरीका के संविधान में बोली और भाषण की आजादी की बात है लेकिन सुनना भी एक मूल अधिकार है, यह नहीं है। इसलिए आपको हमें कोई छूट देने की मौजूदा संविधान की परिधि में अधिकार तो नहीं है, लेकिन उसके लिए यदि कोई व्यापक संघर्ष होता है तो अदालत को इस सवाल पर बहुत ही प्रसन्नता

[श्री महेन्द्र सिंह]

होगी, ऐसा एक मंतव्य वहां की अदालत ने प्रस्तुत किया था और जो ह्यूमन राइट्स डेकलरेशन है यूनाइटेड नेशन्स जनरल असेम्बली का, 10 दिसम्बर, 1948 का, श्रीमान्, वे भी कहते हैं कि—

[हिन्दी]

"प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राय और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। इस अधिकार में बिना किसी हस्तक्षेप के अपनी राय रखने, और प्रचार माध्यमों के जरिए, चाहे वे किसी भी देश के हों, महत्वपूर्ण जानकारी और विचारों को प्राप्त करने का अधिकार शामिल है।"

संयोग से उसकी भी धारा 19 है और संयोग से हमारे भी देश के संविधान की धारा 19 में ही इस तरह की आजादी का प्रावधान किया गया है, जिसमें संशोधन का प्रस्ताव इस सदन में आया हुआ है। मैं बहुत ही सहमत हूं कि इतने सही ढंग से, जो माननीय सदस्य श्री पाणिग्रही जी ने कहा कि इसमें कुछ रेस्टीकेशंस होने चाहिए। भारत के संविधान में ही रेस्टीकेशन दिया हुआ हैं और उसमें 19वीं धारा में लिखा हुआ है:—

"सब नागरिकों को—

(क) वाक्-स्वातन्त्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातन्त्र्य का;

(ख) शान्तिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का;

(ग) संस्था या संघ बनाने का;

(घ) भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का;

(ङ) भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का;

(च) सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का; तथा

(छ) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने का; अधिकार होगा।

[हिन्दी]

लेकिन इन सभी चीजों के बाद में लिख दिया है —

[अनुवाद]

"खंड (1) के उपखंड (क) की कोई बात अपमान लेख, अपमान वचन, मानहानि, न्यायालय-अवमान से अथवा शिष्टाचार या सदाचार पर आघात करने वाले, अथवा राज्य की सुरक्षा को दुर्बल करने अथवा राज्य को उलटने की प्रवृत्ति वाले किसी विषय से, जहां तक कोई वर्तमान विधि सम्बन्ध रखती हो वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा सम्बन्ध रखने वाली किसी विधि को बनाने में राज्य के लिए रुकावट, न डालेगी।"

श्रीमान, रेस्टीकेशन तो उसमें खुद ही दिया हुआ है। इसी में एक धारा और बढ़ाकर के कोई भी सूचना संग्रहित करना एक नागरिक का अधिकार है, सबजेक्ट टू दी कंडीशन और यदि यह अधिकार जुडीशियल स्क्रूटनी में आ जाए तो आज हिन्दुस्तान की सरकार को तमाम बहाने मिल सकते हैं, जनअभिमुख होने के नाते उसका हम डिसक्लोजर नहीं करेंगे।

मैं उत्तर प्रदेश की बात बताना चाहता हूं कि 1984-85 में जो हिन्दू और सिक्खों के दंगे हुए, उसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी को उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह कहकर, कि यह पब्लिक इंटरस्ट में नहीं है उसको ओपन नहीं किया, सामने नहीं आने दिया। इसी सदन में पांडीचेरी लाइसेंस कांड हुआ था, तो मोरारजी भाई को यहां धरना देना पड़ा। केवल इस बात की जानकारी प्राप्त

5.00 म० प०

करने के लिए भ्रष्टाचार में किन-किन लोगों ने संस्तुति की थी और उसकी पत्रावली क्या है, जनहित के नाम पर वह पत्रावली जनता के सामने प्रकट करने से हिन्दुस्तान की सरकार ने रोका था। श्रीमन् आप स्वयं जानते हैं कि हमारी एक सरकार टेलीफोन टेपिंग कांड के सवाल पर चली गई और दूसरी सरकार के खिलाफ भी इसी प्रकार के आरोप लगे कि वह भी इस तरह की गोपनीय सूचनाएं एकत्रित कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने 20 दिसम्बर 1989 को दोनों सदनों के समवेत अधिवेशन में कुछ बातें कही थीं, जिनका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि —

> "एक भागीदारी युक्त लोकतंत्र के लिए प्रबुद्ध और जानकार मतदाताओं की आवश्यकता होती है, और जनता के समक्ष सरकार के खुले तौर से काम करने वाली सरकार के होने से उसके कार्यों में गलतियों की संभावना कम रह जायेगी। शासकीय गुप्त बात अधिनियम में समुचित संशोधन किया जायेगा ताकि लोगों को अधिकाधिक जानकारी मिल सके। दूरदर्शन तथा आकाशवाणी को स्वायत्तता दी जायेगी ताकि जानकारी मुक्त रूप से प्रवाहित हो सके।"

श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रपति महोदय ने दोनों आदरणीय सदनों के समवेत अधिवेशन में जो घोषणा की है, उसको पूरा किया जाना चाहिए और स्वयं माननीय सदस्य ने अपनी तरफ से जो संशोधन विधेयक रखा है, उसमें पहले ही सुझाव दे दिया है कि सरकार चाहे तो अपनी तरफ से जो हमारा 'राइट टू नो," 'राइट टू इनफारमेशन" है, उसको फंडामेंटल राइट्स में रखते हुए जो समुचित प्रतिबंध हों, उन प्रतिबंधों को लगा सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस दिन यह ज्यूडिशल परव्यू में आ जाएगा, उस दिन सरकार का यह बहाना नहीं रहेगा कि किसी भी विषय का लोकहित का बताकर, गोपनीयता के नाम पर जनता से छुपा सके। लोकतन्त्र का यही मूल है।

इसलिए संक्षेप में मैं आदरणीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का समर्थन करता हूं, क्योंकि हिन्दुस्तान के हर लोकतंत्र समर्थक की भावना इस विधेयक के साथ जुड़ी हुई है।

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : महोदय, जानकारी के अधिकार को किसी भी लोकतन्त्र में मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि वरिष्ठ संसद सदस्य, श्री चित्त बसु द्वारा पेश किया गया वर्तमान संशोधन विधेयक इसी दिशा में एक कदम है। यदि किसी लोकतंत्र में लोगों को सही तरीके से जानकारी नहीं दी जाती है, तो लोगों का धीरे-धीरे लोकतंत्र से विश्वास उठ जायेगा। जनता में यह भावना घर कर गई है कि हमारे देश में राजनीतिक दल और नेता अत्यधिक भ्रष्ट हो गए हैं। एक प्रस्ताव लाया गया है कि राजनीतिक नेताओं और राजनीतिक दलों को अपनी परिस्थितियों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। राज्य सरकारों में विधायकों और मंत्रियों को अपनी परिसम्पत्तियों का ब्यौरा मुख्यमंत्रियों को तथा सांसदों एवं केन्द्रीय मंत्रिमंडल के

[प्रो० के० वी० थामस]

मंत्रियों को अपनी परिसम्पत्तियों का ब्यौरा प्रधान मन्त्री को देना चाहिए। किन्तु, अभी तक इस प्रस्ताव को कार्यान्वित नहीं किया गया है, और कुछ राज्यों में जहां मुख्य मन्त्रियों को यह जानकारी दी गई है, तो वह मुख्यमन्त्रियों के पास फाइलों में बन्द पड़ी है। इसे प्रकाशित कर दिए जाने से हमारी राजनीतिक प्रणाली के खिलाफ जो आरोप लगाए जाते हैं, वे समाप्त हो जायेंगे। यदि लोगों का विश्वास राजनीतिक प्रणाली से उठ जाएगा, तो सारा ढांचा ही चरमरा जायेगा। सोवियत संघ में जो हुआ है उसे हम देख ही रहे हैं। सोवियत संघ में जो कुछ हुआ हैं, इससे विश्व में विद्यमान राजनीतिक प्रणाली का संकेत मिल रहा है। हम इस बात से दुखी हैं कि सोवियत संघ कमजोर होता जा रहा है क्योंकि सोवियत संघ ही एक ऐसी शक्ति था जिसने विश्व की राजनीतिक प्रणाली में एक संतुलन बनाया हुआ था।

5.05 म० प०

(श्री राम नाईक पीठासीन हुए)

अभी-अभी, हमने देखा है कि के०जी०बी०, जोकि एक अति कुशल गुप्तचर सेवा प्रणाली तथा एक व्यवसायिक संस्था रही है, की भी गोपनीय बातें, धीरे-धीरे प्रकट होती जा रही है। हम अपने देश में क्या पाते हैं ? मैं इस सदन में आठवीं लोकसभा से सदस्य बना हुआ हूं। जब कभी इस सदन में कोई शोर-शराबा हुआ, तो वह रक्षा सौदों को लेकर हुआ। हमें इसे गोपनीय बनाने का प्रयास क्यों करना चाहिए। मैं यह तो समझता हूं कि रक्षा उपकरण अथवा किसी हथियार की कार्य-प्रणाली के संबंध में गोपनीयता बनाये रखी जाये। किन्तु, सौदे को गोपनीय क्यों रखा जाए ? लोगों को यह जानकारी मिलनी चाहिए कि ये सौदे किस प्रकार किए जाते हैं। मैं किसी सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहा। जो भी सरकार सत्ता में आती है, उसका अन्यतम प्रयास यही होता है कि रक्षा सौदा को गोपनीय बनाकर रखा जाए। मेरा अनुरोध है कि रक्षा के मामले मे सभी प्रमुख सौदों की जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। यह जानकारी किस प्रकार दी जाए, इस पर चर्चा की जा सकती है और इस पर विचार किया जा सकता है। एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की जानी चाहिए जो इस बात को देखेगी कि प्रमुख रक्षा सौदे किस प्रकार किए जा रहे हैं। मैं यह सुझाव नहीं दे रहा कि हथियारों की कार्यप्रणाली या गोपनीयता जनता को बता दी जाए। मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि रक्षा सौदे किस प्रकार किए जा रहे हैं। जो हो रहा है, उसकी प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए। जब हम सदन में किसी गोपनीयता को संरक्षण देने लग जाते हैं, तो लोगों के मन में शंकायें उठने लगती हैं। लोगों को और दुनिया को यह जानने दें कि हो क्या रहा है।

इसी प्रकार की बातें छोटे-छोटे दस्तावेजों के बारे में है। उदाहरणार्थ, इस देश में अनेक प्रकार की जांच कराई गई है। टेलीफोन टेप करने इत्यादि के संबंध में जांच कराई गई है। लोगों को और दुनिया को पता तो चलना चाहिए कि क्या कुछ हुआ था। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि ये अति गोपनीय दस्तावेज एक विशेष अवधि के पश्चात्, यानी 10-15 साल के पश्चात् प्रकाशित कर दिए जाने चाहिए। हमें यह जानकारी मिलनी चाहिए कि क्या हो रहा है। यह दुनिया ऐसी है कि किसी भी गोपनीय बात को लम्बे वर्षों तक गुप्त नहीं रखा जा सकता। वह प्रकाश में आ ही जाएगी। और यही हुआ भी है, जो हमने अभी देखा है। यदि के०जी०बी० की फाइलें निकाली जायें, तो केनेडी की हत्या अथवा पोप पॉल की हत्या के प्रयास सम्बन्धी तथ्य समाचार-पत्रों में प्रकाशित

हो जायेंगे। इसलिए, विभिन्न देशों में जो अति गोपनीय सेवायें हैं, वे भी ध्वस्त हो रही हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में, जहां इतनी अधिक आबादी है और विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां और राजनीतिक दल है, वहां लोगों को समुचित जानकारी दी जानी चाहिए। इस देश में सभी राजनीतिक दल बदलते समय के अनुसार संगत हो जाते हैं। राजनीतिक दल सत्ता में आते-जाते रहते हैं। अतः राजनीतिक दलों को यह देखना चाहिए कि लोगों को समुचित जानकारी दी जाए। जब हम जानकारी मांगते हैं तो सरकार का उत्तर होता है कि जानकारी को लोकहित में गोपनीय रखा गया है। लोकहित क्या होता है? मान लीजिए कि कल हम यह पूछें कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कितने जवान पंजाब भेजे गए हैं, तो वे कहेंगे कि यह नहीं बताया जा सकता। क्यों? इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। इसलिए, यदि हम एक बार अपने द्वार को खोल देंगे, तो लोगों को पता चलेगा कि ये बातें थीं। ये घटनाएं घटी थीं। मैं समझता हूं कि इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा लाया गया यह विधेयक हमारी राजनीतिक कार्य-प्रणाली पर रोशनी डालने का एक प्रयास है। मैं जानता हूं कि यह विधेयक पारित नहीं होगा। लेकिन इस सदन में इस पर चर्चा करने का जो प्रयास किया गया है उससे इस देश के लोगों को यह पता चलेगा कि हमारी राजनीतिक प्रणाली में क्या हो रहा है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुधीर गिरि (कोंटई) : सभापति महोदय, मैं कामरेड चित्त बसु द्वारा पुरःस्थापित इस विधेयक का स्वागत करता हूं। उन्होंने इसे बिलकुल सही समय पर पेश किया है। गोपनीयता को बनाये रखने और लोगों की नजरों से सच्चाई को छिपाने का मसला पिछले काफी समय से चला आ रहा है। महोदय, जिसे प्रकट किया जाना चाहिए और लोगों के समक्ष रखा जाना चाहिए, उसे लोगों से छिपाकर रखा जाता रहा है और इससे अनेक समस्याओं ने जन्म लिया है। सरकारी गोपनीयता को बनाए रखने और हमारे देश के लोगों से सच्चाई को छिपाने के लिए इस देश के कानून में परिवर्तन तक कर दिया गया है। यहां मैं उस जांच समिति का उल्लेख करना चाहूंगा जिसने श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या की जांच की थी। यह हमारी स्मृति में अब भी ताजा बनी हुई है। आयोग ने हत्या के कारणों एवं इसके विभिन्न पहलुओं की व्यापक जांच की थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई। बाद में, विपक्ष द्वारा काफी दबाव दिए जाने पर सरकार कुछ जानकारी देने के लिए बाध्य हुई। अपेक्षित समूची जानकारी फिर भी प्रकाशित नहीं की गई। मेरा सवाल है कि इस जांच समिति के निष्कर्षों को दबाकर किसके हितों की रक्षा की गई है। मैं समझता हूं कि ऐसा केवल कुछ भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के हितों की रक्षा करने के लिए किया गया है। इसके अलावा इसने किसी भी अन्य प्रयोजन को पूरा नहीं किया है।

शासन के कृत्यों के संबंध में हमारे दिमाग में दो खास एवं परस्पर विरोधी विचार समाए हुए हैं। एक विचार यह है कि शांति और कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लोगों पर शासन का पवित्र कार्य केवल सरकार के जिम्मे है। इस दृष्टिकोण में यह भी निहित है कि मनुष्य का बर्बर स्वभाव मनुष्य ही अपने बहुमूल्य सम्पदा को नष्ट कर सकता है, उससे छीन सकता है और सरकार ने इससे उठे सुरक्षा प्रदान की है। यही मत अरस्तू से लेकर आज के जार्ज बुश जैसे राजनेताओं ने प्रतिपादित किया है।

दूसरा दृष्टिकोण है कि सरकार/शासन मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को रोकने वाले साधन है। शासन के कानूनों और विनियमों द्वारा लोगों को योजनाबद्ध शोषण के खिलाफ जाने से रोकने

[श्री सुधीर गिरि]

की बात कही गई है। इसलिए, जब इस प्रकार का विश्वास मन में आने पर लोगों द्वारा सरकार से शक्ति छीन ली जाती है तो संभव है कि वे इस आशंका में कुछ जानकारी रोक लेते हैं कि इस प्रकार के समाचारों से उक्त शासकों के खिलाफ उनके मन में विरोध का भाव उत्पन्न हो जाए। इसलिए मैं तो इस पक्ष में हूं कि उन्हें जानकारी देने का अधिकार देने की बजाय कुछ जानकारी को दबा लेने का अधिकार दिया जाए। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उनका काम जानकारी को छिपाकर रखना नहीं हैं बल्कि उन्हें जानकारी का प्रचार करना एवं लोगों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करना चाहिए।

तथापि इस तरह की विचारधारा पर ध्यान नहीं दिया जा सकता क्योंकि हमारा देश पहली विचारधारा से शासित हो रहा है, बाद की विचारधारा से नहीं।

अब राज्य का प्रशासन चलाने वाले लोकतन्त्र के समर्थकों को अपना दिल टटोलना चाहिए कि क्या वे सचमुच सरकार से जानकारी प्राप्त करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के पक्ष में है। यदि वे वास्तव में लोकतांत्रिक सिद्धान्तों को महत्व देते हैं तथा लोगों एवं उनकी भावनाओं का आदर करते हैं तो उन्हें लोगों को जानकारी देने संबंधी उपायों के साथ आगे आना चाहिए।

यदि लोगों को अथवा कम से कम उनके प्रतिनिधियों को जानकारी प्राप्त करने के अधिकार की गारन्टी दे दी जाती तो बोफोर्स, जर्मनी से प्राप्त पनडुब्बियों तथा अन्य घोटाले जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं नहीं हो पाती। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग संबंधी घोटाले और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भारत को प्राप्त हुए ऋण की शर्तों को जनता से गोपनीय रखा गया है। इसे जनता से ही नहीं बल्कि उनके प्रतिनिधियों से भी गोपनीय रखा गया है। क्या हर्ज होता यदि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त ऋण की शर्तों की जानकारी जनता के प्रतिनिधियों को दे दी जाती? वे कभी भी देश का अहित नहीं चाहेंगे।

दूसरा मुद्दा यह है कि यदि सरकार सचमुच लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों को महत्व देती है तो उसे लोगों को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देना चाहिए। यदि सरकार यह समझती है कि जानकारी के प्रसार से ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि सरकार के कदम के विरुद्ध लोगों का आंदोलन उठने लगेगा तो मैं समझता हूं कि इससे जनता के बजाय सरकार को अधिक लाभ होगा।

अब सरकार समाजवादी सिद्धान्तों का सीधा बहिष्कार करने की ओर बढ़ रही है। नई औद्योगिक नीति लागू करके उन्होंने इस संबंध में कदम उठा लिए हैं। क्या उन्होंने जनता से ऐसा करने का अधिकार लिया है? वे हमारे संविधान में निहित सिद्धान्तों के आधार पर चुने गए हैं। संविधान के प्रस्तावना में ऐसा संकेत दिया गया है कि सिद्धान्तों का अनुकरण किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि उन्होंने जनता से अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी व्यवस्था में बदलने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं किया है और जनता को इस बात से अवगत कराना चाहिए।

क्या गोपनीय रखा जाय तथा क्या लोगों को बताया जाय—इस में एक संतुलन कायम करना चाहिए। इस संबंध में एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि सैन्य स्थिति, राष्ट्र की सुरक्षा अथवा डाकुओं या लुटेरों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही को गोपनीय रखना चाहिए और अन्य बातों की जानकारी जनता को दे देनी चाहिए। धन्यवाद!

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय……

सभापति महोदय (श्री राम नाईक) : पहले यह तय हुआ था कि प्रत्येक व्यक्ति 5 मिनट में बात पूरी करेगा……

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : प्रस्तुत विधेयक उन मूलाधिकारों के प्रति हम सबका ध्यान आकृष्ट करता है जिसके तहत सभी सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं जिनके बारे में……

श्री तेजनारायण सिंह (बक्सर) : सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि सी०पी०आई० की तरफ से बोलने वालों मे मेरा नाम है ?

सभापति महोदय : अभी दो व्यक्तियों के बाद आपका नाम है। मेरा कहना यह भी है कि माननीय उपाध्यक्ष जी ने यहां लिस्ट बना रखी है।

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : सभापति जी, मैं निवेदन कर रहा था कि ऐसी सूचना के बारे में सरकार गोपनीय कहकर कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है, इसे नहीं बताया जा सकता है या जनहित में नहीं है - प्राय: उन बातों की जानकारी नहीं हो पाती है। मैं नहीं समझता कि यह जो अधिनियम 1913 में बना था, हम विदेशी शासकों के अधीन थे, हम स्वतंत्र नहीं थे लेकिन आज लोकतांत्रिक भारत में बस रहे हैं, हम यहां लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से शासित हैं, ऐसी स्थिति में 1913 में इस प्रकार के बने हुए अधिनियम में उन सब बातों के लिए रोक लगायी गयी थी, उस बहुत पुराने अधिनियम पर सरकार को फिर से विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, लेकिन जो बातें सरकार की तरफ से गोपनीयता के बारे में कही गई हैं, वे कहां तक ठीक हैं। आज हम देखते हैं कि बोफोर्स सम्बन्धी तथ्यों के बारे में सरकार भले ही कह दे कि यह गोपनीय है, कुछ नहीं बता सकते है लेकिन वही बात हम अखबारों में पढ़ते हैं तो सरकार को यह कहना पड़ता है कि ये बातें ठीक हैं और सरकार ने बहुत सी बातें स्वीकार कीं। मैं समझता कि लोकहित के नाम पर इस प्रकार की किसी बात को छिपाना ठीक नहीं है। मैं यह मानता हूं कि कुछ बातें ऐसी हैं जो निश्चित रूप से राष्ट्रहित में हो, जो भारत की अखंडता के लिए, देश की सार्वभौमता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, वैदेशिक मामलों में इस प्रकार की कुछ बातें हो सकती हैं जिनको निश्चित रूप से गोपनीय कहा जा सकता हैं और वैसी बातें लोकहित की दृष्टि से यदि सामने नहीं आतीं और सरकार कहती है कि हम लोकहित की दृष्टि से या जनहित में इसको नहीं बताना चाहते हैं तो समझ में आ सकता है. लेकिन सामान्य बात, जिसको अखबारों के जरिए हम जान पाते हैं, जिसको सामान्य समाचार पत्रों में जो रोज बातें प्रकाशित होती हैं, उसके बारे में भी सरकार गोपनीय कहकर उनको छिपाने का प्रयत्न करती है, वह उचित नहीं है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे भारत का अपना संविधान है और हमने संविधान के जरिए कुछ बातें स्वीकार की हैं और उसमें हमने मूलभूत अधिकारों के जरिए कुछ गारंटी दी है। कुछ अधिकारों को संविधान में हमने दिया है लोगों को और जिसके तहत हमें इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार भी हैं। अभी इस विधेयक के उद्देश्यों व कारणों में यह भी बताया गया है कि अंतर्विभागीय एक स्टडी ग्रुप बनाया गया था 1977 में। अब उसकी क्या रिपोर्ट आई, उसमे क्या आया क्या नहीं आया, मैं समझता हूं इसके बारे में तत्कालीन जो गृह मंत्री थे, उन्होंने भी संसद में इस प्रकार की बात बताई —"चूंकि यह गोपनीय है और इसलिए नहीं

[श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय]

बता सकते हैं।" मुझे समझ में नहीं आता है कि इसमें कौन सी गोपनीय बात थी। एक स्टडी ग्रुप बना और उसने कुछ सिफारिशें कीं। ऐसी सिफारिशें क्या हैं और जनहित में उनका बताना कहां तक आवश्यक नहीं है, मैं समझता हूं कि आज भारत की सार्वभौमता या अखंडता और वैदेशिक नीति के भी मामले हों तो सरकार बताएं किन्तु आज इस प्रकार की स्थिति है कि मैं समझता हूं कि गोपनीय क्या है और क्या नहीं है, कम से कम इसकी थोड़ी परिभाषा हो जानी चाहिए कि हम जानें कि क्या गोपनीय है। किस सीमा तक आप गोपनीयता की बात करेंगे, किस सीमा तक उस बात को ले जाएंगे और जैसा मैंने प्रारम्भ में आपसे कहा कि निश्चित रूप से तब हम विदेशी शासक जिनसे शासित थे, वह विदेशी थे और वह हम पर शासन करते थे। उन्होंने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से न जाने किस प्रकार से यह ऐक्ट बना दिया और वह ऐक्ट आज भी हम पर चल रहा है जब हमने कई दूसरे अधिनियमों में संशोधन किया। मैं समझता हूं कि उसमें भी संशोधन करने की आवश्यकता है और मेरा विचार है कि माननीय मंत्री महोदय इस बात पर ध्यान देंगे और उसका संशोधन करके हमारे जो अपने अधिकार हैं उनके बारे में भी उन्हें हम सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय सभापति जी, मैं आप का बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

सभापति महोदय : आपने सुना है, पांच मिनट में खत्म करना है।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : यह जो प्रस्ताव रखा गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं क्योंकि हमारे देश के अन्दर जो हमारी साधारण जनता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें आपकी जो कोई सूचना है वह उसको उपलब्ध नहीं है। मगर ऐसी सूचना जो देश के हित में नहीं है, जैसे हमारे बार्डर पर जो हमारी सेना खड़ी है, उसकी इत्तिला इनको दे दी जाए सारे देश के लोगों को और इसका पता दुश्मन को लगे तो ठीक नहीं है। क्योंकि अभी भी हम अपने देश का ही इन्तजाम ठीक प्रकार से नहीं कर सके, देश के अन्दर जो हम सरकारी अधिकारियों को कहते हैं कि सूचना देने में रुकावट है। हर जगह अपनी एप्लीकेशन देकर इनफार्मेशन लेने के लिए जैसा संविधान के अन्दर शपथ ली है, उसके अनुसार आपको सूचना मिलती है, लेकिन इन्होंने चूंकि कहा है कि यह प्राइवेट मेम्बर्स बिल है इसलिए मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि इनको इस बात की गलत फहमी है कि बोफोर्स और ये पनडुब्बी और सारे का सारा तमाशा खड़ा करते हैं, एक रीजॉल्यूशन को लेने के बाद, उससे मैं यह समझता हूं कि आप इस देश के लोगों को कुछ नहीं बता पाते। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पनडुब्बी में घोटाला है, बोफोर्स में घोटाला है और आप देश के लोगों को बताना चाहते हैं और सोचते हैं कि इस पर लगातार चुनाव जीतते रहेंगे, ऐसी बात नहीं हो सकेगी। पनडुब्बी का और बोफोर्स का मामला यहां सदन में भी गूंजा था जब 9वीं लोक सभा थी और उस वक्त हमारे नेता ने, राजीव गांधी जी ने यह कहा था कि अगर कोई सबूत है और जो लोग देश के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं उनके नाम सामने आने चाहिए, लेकिन आपके पास नाम नहीं थे। उस वक्त के प्रधान मंत्री जी ने जिनका आपने बड़ा जिक्र किया है और कहा है कि उन्होंने बहुत कुछ काम करके दिखाया है, मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि कोई आदमी जो देश के अंदर देशद्रोह का काम करता है, देश के अन्दर देश की हालत को खराब करने के लिए इस तरह की सूचनाएं एकत्रित करता है

जो देश को तबाह करने की तरफ जाए, ऐसा कोई हमारे देश में नहीं है जो इस तरह का काम करे। मैं यह समझता हूं कि हमारे सरकारी अधिकारियों ने भी जो अपनी ड्यूटी है, उसको अच्छी तरह से देश का निर्माण करने के लिए, यहां की इज्जत बचाने के लिए यह काम किया है। अगर हम उनको अपोज करने के लिए यहां खड़े होकर यह कहते हैं कि देश के अंदर सारा सूत्र जितना भी इनफार्मेशन का हो, उसको उन्होंने छिपा रखा है, ऐसी बात नहीं है। और इस तरह का वे काम करते हैं, जिस क्षेत्र में वे काम करते हैं, उनको सब कुछ पता होता है। मैं समझता हूं कि जहां पुलिस में कोई एफ०आई०आर० दर्ज होती है, किसी दुश्मन के खिलाफ, किसी चोर के खिलाफ क्या उसका ढिंढोरा पीटा जाएगा कि अब वह चोर लखनऊ की तरफ भाग रहा है, अब वह शिमला की तरफ भाग रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसी बातें उचित नहीं हैं। इसमें स्पष्ट अंकित होना चाहिए कि कौन-कौन सी बातें इस देश में ऐसी हैं जिनकी हमें सीक्रेसी रखनी है और कौन सी बातें ऐसी है, जिनके बारे में हम चाहते हैं कि सभी को इन्फार्मेशन दे सकें, हवाला दे सकें। ऐसा कुछ वर्णन इस बिल में नहीं है। इसमें जो कुछ कहा गया है, विधान का हवाला दिया गया है, संविधान का हवाला दिया गया है ······

सभापति महोदय आप बिल पर बोलिए।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : मैं इसी पर बात कर रहा हूं लेकिन जो कुछ इन्होंने कहा उसका उत्तर भी तो मुझे देना है। आज कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं जिन्होंने एक मन्दिर के नाम पर पैसा इकट्ठा किया, उसकी जानकारी इस सभा के पटल पर आनी चाहिए। लेकिन उसकी इत्तला कौन देगा। यह हमारे होम मिनिस्टर साहब को देखना चाहिए। हमारे राज्य के मुख्य मंत्री को देखना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कितना पैसा कहां-कहां से इकट्ठा हुआ। ··· **(व्यवधान)**

मन्दिर के नाम पर जो चन्दा इकट्ठा किया, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूं, चाहे साधु ने किया हो या किसी संत ने किया हो परन्तु देश के नागरिकों से वह पैसा इकट्ठा हुआ है, उसका पूरा लेखाजोखा यहां आना चाहिए।

सभापति महोदय : अब आप खत्म कीजिए।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : सभापति जी, आप तो पुराने अनुभवी हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि 6 दिसम्बर, 1989 को इन्होंने कहा कि किस तरह की सीक्रेसी आउट करनी चाहिए और यह बताया कि कौन सी चीजें कान्फीडेन्शियल रखी जानी चाहिए। कौन सी नहीं रखनी चाहिए। यदि सभी तरह की चीजों को जनता के सामने ला दिया जाए, सभी सूचनाएं सभा पटल पर रख दी जायें तो हमारे सावका प्रधानमंत्री ने जो कहा था वह खरा नहीं उतरता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब राष्ट्रीय मोर्चा बना था ·····

सभापति महोदय : आखिर में, दो-तीन वाक्य कह कर खत्म कीजिए।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : मैं इस बिल के प्रस्तावक महोदय से कहना चाहूंगा कि वे अपने बिल को वापस ले लें क्योंकि इसमें जान नहीं है, कोई बात नहीं है और हमारे मैम्बर्स इस तरह की टिप्पणियों में जायें, वे कम होनी चाहियें ताकि हमारे देश की इज्जत, आबरू बनी रहे, कायम रहे। आप कौन सी सूचनायें ऐसी समझते हैं जो सरकार को देनी चाहिए और सरकार देती नहीं है। मैं समझता हूं कि संविधान के अनुसार, नियमों के अनुसार, किसी भी सूचना को प्राप्त करने के

[श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी]

लिए कोई बंधन नहीं है, रोक नहीं है। आप किस अनुच्छेद या खण्ड में अमैंडमैंट करना चाहते हैं, संविधान के, उसका भी आपने कोई हवाला नहीं दिया है, कोई बात नहीं की है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि माननीय सदस्य अपने बिल को वापस ले लें। जो बात देश के लोगों को पता होनी चाहिए, वह पहले ही संविधान में छपी हुई है। यदि हम बाहर के कन्ट्रीज के इंस्टांस कोट करें तो वह हमारे हित में नहीं है। वहां जो कुछ होता है, उसे वे जानें। हिन्दुस्तान में जो होता है, उस पर कन्ट्रोल करने के लिए हम कदम उठायें तो मैं समझता हूं कि वह हमारे हित में होगा, हमारा देश आगे बढ़ सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : श्री तेज नारायण सिंह।

आप थोड़ा रुक लीजिए।

[अनुवाद]

इस चर्चा का उत्तर देने में आप कितना समय लेंगे? हमें यह चर्चा सांय 5.30 बजे तक पूरी करनी है। उसके बाद ही चर्चा के लिए अगला विधेयक लिया जाएगा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री और गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : दस मिनट।

सभापति महोदय (श्री राम नाइक) : आप कितना समय लेंगे।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : पांच मिनट।

सभापति महोदय : इस तरह तो अभी दो और सदस्य बोल सकते हैं।

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : सभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। संविधान में अनुच्छेद 12 से मौलिक अधिकार शुरू होते हैं और अनुच्छेद 35 पर जाकर समाप्त होते हैं लेकिन जिन बातों का सुधार करने के लिए, माननीय प्रस्तावक महोदय, श्री बसु यह बिल लाए हैं, उनका जिक्र अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक कहीं नहीं है। इसलिए अनुच्छेद 19 में एक नया अनुच्छेद जोड़ना बहुत जरूरी है। अगर वह नहीं जोड़ा जाएगा तो किसी भी चीज की जानकारी जो कि प्रजातंत्र की रक्षा के लिए किसी नागरिक को जरूरी है, करने का अधिकार नहीं है। तमाम चीजों का अधिकार है लेकिन किसी महत्वपूर्ण चीज जिसका असर आम जनता पर होता है, यदि कोई नागरिक जानना चाहे तो उसका अधिकार संविधान के मौलिक अधिकार में दर्ज नहीं है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसके पास होने से आम जनता यदि चाहे कि अंचलाधिकारी पर, एक चकबंदी अफसर पर सरकार का प्रतिदिन कितना पैसा खर्च होता है तो इस संविधान के आर्टिकल 19 (क) के द्वारा वह जान सकता है। देश का पैसा सरकार के द्वारा जो खर्च होता है वह आम जनता का पैसा है। आम जनता को यह जानकारी नहीं है कि एक बाडीगार्ड जो एम०पी०, एम०एल०ए० को दिया जाता है उसका प्रति महीने कितना खर्च आता है। आम जनता को यह भी मालूम नहीं है कि एक सैन्ट्रल मिनिस्टर पर कितना खर्च होता है। जो आदमी एम०पी० नहीं है, सरकार के किसी पद पर नहीं है तब भी सरकार द्वारा सुरक्षा के नाम पर उस पर कितना खर्च किया जाता है, यह भी आम जनता को मालूम नहीं है।

जो लोग मंत्री हैं उनको तो सुविधा प्राप्त है लेकिन इस सरकार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें वैसी ही सुविधा प्राप्त है जो मंत्री रहने पर प्राप्त होती है। इसलिए यदि संविधान में संशोधन हो जाए तो आम जनता जानकारी कर सकती है कि जो किसी पद पर नहीं है, एम० पी० नहीं है इसके बावजूद भी सरकार द्वारा उस पर कितना खर्च किया जाता है। इसमें जब तक सुधार नहीं होगा तब तक यह जानकारी नहीं की जा सकती है। लोगों का कहना है कि इससे गोपनीयता समाप्त हो जाएगी। इसमें गोपनीयता समाप्त होने का सवाल नहीं है। गोपनीय चीजों को इसमें से छांट दिया गया है। श्री चित्त बसु ने अपना जो अमैंडमैंड दिया है उसमें उन्होंने खास तौर से छांट दिया है कि सरकार जिस चीज का खतरा समझे उसके लिए संशोधन कर सकती है, उसमें कोई पाबन्दी नहीं है। पहले से भी जो कानून है उसमें गोपनीय चीजों के लिए प्रोटेक्शन दिया गया है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि सरकार को इस सुधार को मान लेना चाहिए क्योंकि सुधार होने से देश में प्रजातंत्र मजबूत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा-बूंदी) : सभापति महोदय, जांच की गोपनीयता अधिनियम के नाम पर जो सूचनाएं नहीं दी जा पाती हैं उसके विरुद्ध श्री चित्त बसु ने जिस प्रकार का संविधान में संशोधन करने के लिए बिल प्रस्तुत किया है वह अत्यन्त प्रशंसनीय है। मेरा निवेदन है कि संसद की कार्यवाही टी० वी० पर न दिखाई जाए, इसमें क्या गोपनीयता है। एक बार श्री वी०पी० सिंह ने प्रयत्न करके संसद का प्रथम सत्र का संयुक्त अधिवेशन, जिसको राष्ट्रपति संबोधित करने के लिए पधारे थे, प्रसारण करवा दिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया। आज भी संसद की कार्यवाही को गोपनीय बताकर रोका जाता है। मैं समझता हूं कि इसमें गोपनीयता की बात नहीं है।

एक बार मेरे साथ शैड्यूल कास्ट के कुछ लोग संसद में श्री राम विलास पासवान से सम्पर्क करने के लिए आए। वह साथ में यह प्रयत्न करना चाहते थे कि यादगारी के रूप में हम जब गांव जाएं तो जाकर बताएं कि हमारा जो डैलीगेशन वहां गया था वह तत्कालीन मंत्री से मिलकर आया है, श्री पासवान का फोटो लेना चाहते थे। पूरा प्रयत्न करने के बाद भी फोटो नहीं ले पाए। लोक सभा की परिधि में फोटो लेने से कौन सी गोपनीयता वाली बात थी। मुझे यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ।

सभापति महोदय, बजट के लीक हो जाने पर सरकार की बहुत ज्यादा खिंचाई होती है। बजट में कुछ कर प्रस्ताव ही होते हैं जिन पर हम बाद में चर्चा करते हैं। अगर कर प्रस्ताव लीक भी हो जाए तो कौन सा पहाड़ टूट जाता है। कर प्रस्तावों पर पहले ठीक से विचार न होने के कारण हमें उनके दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। अब की बार मनमोहन सिंह जी ने बजट पेश किया। वह एक अर्थशास्त्री हैं। उन्होने बजट को अपने ढंग से ही बनाया। बाद में कांग्रेस संसदीय दल में जिस प्रकार से उनकी खिंचाई हुई, वह अपने आप में एक अलग ही मिसाल है। आलोचना होने के बाद उन्होंने कुछ करों को वापिस ले लिया। मेरा यह निवेदन है कि बजट पेश करने से पहले ही उस पर पहले सार्वजनिक रूप से चर्चा होनी चाहिए। ऐसे में उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे जो लोक हित और जनहित की बातें हों उन पर हम को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। अगर कोई बात देश हित में गोपनीय रखने वाली हो तो उसको अवश्य गुप्त रखा जाए।

देखने में आया है कि हम जो यहां प्रश्न पूछते हैं, उनका जवाब टालने के लिए सीधा-सादा यह जवाब दे दिया जाता है कि देश हित के लिए इसको बताना उचित नहीं है। मेरा भी एक प्रश्न आया था और उसमें इसी प्रकार का जवाब मुझे दिया गया कि देश हित में जानकारी देना उपयुक्त

[श्री दाऊ दयाल जोशी]

नहीं है। चित्त बसु जी ने जो बिल पेश किया है, उसको आप स्वीकार कर हमें कुछ राहत दें और नई दिशा देश को दें। बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस प्रकार का बिल यहां सदन के सामने प्रस्तुत किया।

सभापति महोदय : कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि वह इस पर बोलना चाहते हैं लेकिन समय की सीमा है। पांच बजकर पचास मिनट पर इस बिल पर चर्चा हमें पूरी करनी है।

एक माननीय सदस्य : हमें इस पर अभी बोलना है।

सभापति महोदय : अगर एक को बोलने भी इजाजत दूंगा तो बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। यह एक अच्छा बिल है। उस पर मंत्री महोदय का उत्तर हो जाए तो अच्छा होगा और जिस माननीय सदस्य ने इसे दिया है, उसका भी उत्तर हो जायें तो यह विषय पूरा हो सकेगा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) : महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विधेयक का उत्तर देने का अवसर दिया।

श्री चित्त बसु ने जो विधेयक पुर:स्थापित किया है वह वास्तव में अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है। यह विधेयक इस सभा में पहली बार ही पुर:स्थापित नहीं किया गया है। स्वयं श्री चित्त बसु ने भी 1983 में तथा 1989 में यह विधेयक पुर:स्थापित किया था। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले राज्य सभा में इसी विधेयक पर उन्होंने प्रश्न पूछे थे। इस प्रकार वे इस विधेयक पर जोर दे रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने अभी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी है और वे अभी भी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। सरकार उनके द्वारा उठाए गए कई मुद्दों से सहमत हैं।

जब मैं उनकी बात सुन रहा था, तो मुझे जॉन स्टीवर्ट मिल की प्रसिद्ध पुस्तक 'लिबर्टी' में हुई चर्चा के बारे में ध्यान आया जिसमें श्री जॉन स्टीवर्ट मिल ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की बात कही है। उन्होंने कहा था—"आप जहां तक चाहते हो वहां तक अपने हाथ फैला सकते हैं। लेकिन ऐसा तुम अपने पास खड़े व्यक्ति की नाक तक ही कर सकते हो क्योंकि ज्यादा हाथ फैलाने से उसकी नाक में चोट आ सकती है। आप अपने हाथ तो फैला सकते हैं परन्तु उस व्यक्ति की नाक को आहत नहीं कर सकते।

इसलिए, हमें स्वतन्त्रता तो होनी चाहिए। हमें जानकारी की स्वतन्त्रता तो होनी चाहिए। लेकिन, स्वतन्त्रता के प्रति इस की अति उत्सुकता अथवा अति उत्साह के फलस्वरूप किसी अन्य क्षेत्र के हितों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। इसके साथ-साथ मैं स्थिति से भी अवगत हूं। मुझे लन्दन में महारानी को प्रस्तुत की गई वर्जिनिया के गवर्नर विलियम बर्कली की रिपोर्ट का एक उदाहरण याद आ रहा है जिसमें बड़ी रुचिकर बातें लिखी गई हैं। मेरा आशय एकदम वह बात तो कहने का नहीं है बल्कि मैं उसके विरुद्ध कुछ कहना चाहता हूं। उन्होने कहा है "मैं भगवान का धन्यवाद करता हूं कि हमारे पास कोई स्वतन्त्र स्कूल या प्रेस नहीं है और मुझे उम्मीद है कि 100 वर्ष तक भी हम ये नहीं चाहेंगे। क्योंकि ज्ञान से अवज्ञा, अधर्म और साम्प्रदयिकता पैदा हुई हैं और प्रेस ने सरकार के विरुद्ध अपमान जनक बातें प्रकाशित की हैं। हम इनसे दूर ही रहें। उनका यह पत्र इस प्रकार का था।

इस सरकार का ऐसा विश्वास नहीं है। हम वास्तव में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को सब बातों की जानकारी मिले। हम कुछ भी छिपाना नहीं चाहते। लेकिन इसके साथ-साथ देश की सुरक्षा एवं अन्य हितों तथा व्यक्तिगत गोपनीयता की भी तो रक्षा की जानी चाहिए। यदि आप अनुमति दें तो मैं श्री थामस जेफरसन को उद्धृत करता हूं :

"यदि मुझ पर यह निर्णय छोड़ा जाय कि हमारे शासन में समाचार पत्र न हों अथवा सरकारी समाचारों रहित समाचार पत्र हों, तो मैं बाद वाले विकल्प को चुनने में एक क्षण के लिए भी नहीं हिचकिचाऊंगा।"

मैं सरकार रहित समाचारों को पसन्द करूंगा। इस प्रकार हमें एक समझौता, एक सन्तुलन कायम करना होगा। इस प्रकार इस प्रक्रिया में हमें वह सन्तुलन ढूंढ निकालना है और सरकार इसके प्रति काफी जागरुक है। इसके पूर्व 1991 में एक कार्य योजना तैयार की गई थी जिसका उद्देश्य शासकीय गुप्त बात अधिनियम में संशोधन करना और जनता को अधिकाधिक जानकारी देना था। अब अन्तर मंत्रालयीय अध्ययन दल इस पर कार्य कर रहा है। इसमें कई मंत्रालयों को शामिल किया गया है। इस प्रकार इससे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करके अन्तर-मंत्रालयीय अध्ययन दल बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है, मुझे आशा है कि इस सभा के विभिन्न सम्माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों का लाभ उठाकर, हम जानकारी देने की प्रक्रिया में यथासम्भव अपना दायरा बढ़ाकर इस मामले पर गम्भीरता से विचार करेंगे। इस भावना के साथ श्री चित्त बसु के प्रयास को पूरी तरह समझते हुए मेरा उनसे एक ही अनुरोध हैं; और मुझे उम्मीद है कि हम ऐसा शीघ्रातिशीघ्र कर लेंगे। मैं अपनी ओर से इसके प्रति काफी प्रयासरत रहूंगा। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि हम शीघ्रतिशीघ्र इन लक्ष्यों को हासिल करने हेतु इस प्रक्रिया में एक व्यापक विधेयक लाने का प्रयास करेंगे। मेरा श्री चित्त बसु से अनुरोध हैं वे इस समय इस विधेयक को वापस लेकर हम पर कृपा करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगी भी बोलना चाहते हैं।

सभापति महोदय : उन्हें भी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां करनी हैं।

गृह मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री राम लाल राही) : सभापति महोदय, सम्मानित श्री चित्त बसु साहब जो विधेयक लाए हैं, बहुत अच्छा विधेयक है।

लेकिन जो बात उन्होने जानकारी की कही है, मैं समझता हूं जितने सवाल यहां जानकारी के सम्बन्ध में उठाए गए हैं, शायद ही कोई सम्मानित सदस्य इस सदन का, अथवा जो हमारी विधान सभाएं हैं उनका अथवा उससे नीचे जिले में जिला परिषद तक और नीचे चले आइए ब्लाक समितियों तक कोई भी सम्मानित सदस्य ऐसे हों जिनको समुचित जानकारी शासन से, सरकार के किसी कार्यालय से और सरकार के कामकाज की न मिलती हो। मैं समझता हूं कि अगर जानकारी नहीं मिलती है, तो हम ये सवालात सदन में अथवा सदन के बाहर समाज में समस्याओं को घटा-बढ़ाकर के उठाते रहे हैं।

जानकारी का जहां तक प्रश्न है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे श्री चित्त बसु जी ने कही है कि हम जानकारी क्यों चाहते हैं। हम जानकारी इसलिए चाहते हैं कि हमें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। यह बात सही है कि आपको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, लेकिन यह बात भी सही है कि सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। सरकार का

[श्री राम लाल राही]

दायित्व है कि इस देश की शान्ति-सुरक्षा को बनाए रखें और लॉ-एंड-आर्डर को मेन्टेन रखे। सरकार का यह दायित्व है जिम्मेदारी है, देश के कामकाज को चलाने के लिए साधन उपलब्ध कराए और कैसे उपलब्ध कराए। इसको तब तक न आउट होने दें, तब तक उसको छिपाए रखे, जब तक कि उसका समुचित रूप से लाभ देश की आम जनता को मिलने लायक स्थिति में न हो जाए। अब हमारे माननीय सदस्य ने कह दिया कि बजट को भी गोपनीय क्यों रखा जाता है। मैं जानता नहीं हूं, शायद वे जानते होंगे, उनके पक्ष की तरफ के इस देश की जनता के क्या ख्यालात हैं। माफ कीजिएगा, लोग कहते हैं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं···(व्यवधान)···जब आप इस सदन से बाहर निकलेंगे और सदन में चर्चायें होती हैं। लोग कहते हैं कि बनिए की पार्टी है। अब आप करना चाहते हैं···(व्यवधान) ··

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर, बनिए शब्द से आपत्ति है।

श्री राम लाल राही : सुन लीजिए। बनिए शब्द से आपत्ति है, तो मैं वापिस ले लेता हूं लेकिन जो बात सही है, उसको मानना पड़ेगा। ···(व्यवधान)·· मैं कहना चाहता हूं···(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि अगर बजट को भी हम उस समय तक कि हम सदन में पास न करा दें, पास कराने की स्थिति में न पहुंच जाएं उससे पहले हम बजट को आउट कर दें, तो बाजार की क्या स्थिति होगी। जिन चीजों को हम बजट के जरिए लाना चाहते हैं और अगर वे पहले से आउट हो जायेंगी, तो बाजार में जरा पता चलता है, तो बनिया जखीरा करने लगता है ···(व्यवधान)··· तो मैं नहीं समझता हूं कि बजट को हम आउट करने की बात से इस देश की जनता को लाभ पहुंचाएंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में जो व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका है, आपकी न्यायपालिका है और विधायिका है। कार्य-पालिका में मैंने बताया, आपके विधान सभा से लेकर और जिला परिषद तक कोई भी सदस्य, टाउन एरिया-नगरपालिका तक का कोई भी सदस्य नगर पालिका की कोई भी चीज को जान सकता है। हां, अलबत्ता अगर आप चाहे सुरक्षा के संबंध में कोई चीज जानकारी कर लें और ऐसी चीज आपको बता दी जाए, जिससे कि भविष्य में देश खतरे में पड़ जाए, तो यह कहां तक मुनासिब है। नहीं बताई जानी चाहिए।···(व्यवधान)··· माननीय सभापति जी, विधेयक में जो उद्देश्य और कारण हमारे माननीय सदस्य ने बताए हैं, उन उद्देश्य और कारणों में इन्होंने कहा है कि अमुक-अमुक चीजें जो हैं, इनको गोपनीय रखा जाना चाहिए। तो खुद ही ये बिल लाए हैं, मैं समझता हूं कि संतुष्ट नहीं हैं। वैसे गोपनीयता बहुत अधिक गोपनीय नहीं बनाई रखी जानी चाहिए। यह बात सही है और सरकार इस पर विचार कर रही है और विचार करने के बाद जो अत्यावश्यक होगा, कौन-कौन सी चीजों को न छुपा कर रखा जाए। मैं माननीय सदस्य से चाहूंगा, वे इस बिल को वापिस ले लें, यही बेहतर है।

सभापति महोदय : श्री चित्त बसु को बोलने का अवसर देने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि इस विधेयक के लिए आवंटित समय समाप्त हो चुका है। सभा की अनुमति से मैं इसका समय 5-7 मिनट बढ़ाना चाहता हूं।

क्या सभा 5-7 मिनट का समय बढ़ाने पर सहमत है ?

कई माननीय सदस्य : हां।

सभापति महोदय : श्री चित्त बसु, आप अपना भाषण 5 मिनट में समाप्त कर दें।

श्री चित्त बसु : महोदय, मैं सायं 5.55 तक समाप्त कर दूंगा ।

मैं उन माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और विधेयक के उद्देश्य के लिए अपना भारी समर्थन दिया । मैं उन सदस्यों का भी आभारी हूं जो इस चर्चा में भाग लेना चाहते थे परन्तु समयाभाव के कारण भाग नहीं ले पाए । उन्होंने भी विधेयक के निमित्त अपना समर्थन दिया हैं । मैं उनका भी आभारी हूं ।

मैं उक्त स्थिति तथा गृह राज्य मंत्री द्वारा अपनाए गए रवैये की प्रशंसा करता हूं । उन्होंने उस उद्देश्य की भी प्रशंसा की है जिसके लिए मैं यह विधेयक लाने के लिए प्रेरित हुआ हूं और वे उन्हें इस बात की प्रसन्नता है कि मैं 80 के दशक के प्रारम्भ से यह विधेयक लाने का प्रयास कर रहा हूं । उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार इस पर समुचित विचार करेगी और अन्तर-मंत्रालयीय अध्ययन दल की रिपोर्ट पर भी विचार करेगी ।

यह अच्छी बात होगी और मुझे उम्मीद भी है कि यदि मंत्री महोदय स्वयं अन्तर मंत्रालयीय अध्ययन दल की प्रगति के बारे में सभा को बताएं जिससे सभा को बेहतर जानकारी मिलती ताकि हम समझते कि सरकार सचमुच पूरी निष्ठा से मामले पर गौर कर रही है ।

अन्त में, मेरी गृह मन्त्री से केवल एक अपील है । मैंने आज श्रमजीवी पत्रकारों पर पुलिस अत्याचार की कुछ घटनाओं को उद्धृत किया हैं । मेरे पास एक बड़ी सूची है । मुझे उम्मीद है कि सरकार, जसे कि माननीय मंत्री जी ने वादा किया है—उन मामलों की जांच करेगी जो आज उगाए गए हैं तथा जिन्हें मंत्रालय को पहले भी भेजा गया है ।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि माननीय मंत्री ने सभा को सरकार द्वारा इस विधेयक में निहित उद्देश्यों के साथ एक व्यापक विधेयक लाने का आश्वासन दिया है, मैं सभा से अपना विधेयक वापस लेने की अनुमति चाहता हूं और सरकार से अपील करता हूं कि वह एक ऐसा विधेयक लाए ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

5.52 म०प०

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेंयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

———

5.52½ म० प०

मुम्बई उच्च न्यायालय (पुणे में एक स्थाई न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक*

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पुणे में मुम्बई उच्च न्यायालय की एक स्थाई न्यायपीठ की स्थापना करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पुणे में मुम्बई उच्च न्यायालय की एक स्थाई न्यायपीठ की स्थापना करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अन्ना जोशी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

5.53 म०प०

कलकत्ता उच्च न्यायालय (सिलीगुड़ी में एक न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक*

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिलीगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक स्थाई न्यायपीठ की स्थापना करने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने को अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सिलीगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक स्थाई न्यायपीठ की स्थापना करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पीयूष तीरकी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

5.53 म०प०

रोजगार गारंटो विधेयक

अध्यक्ष महोदय : विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए श्री भोगेन्द्र झा को बुलाने से पहले, हमें इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए समय सीमा तय करनी होगी। क्या यह समय सीमा दो घंटे की होगी ?

कई माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री भोगेन्द्र झा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

*दिनांक 13.9.91 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि देश के सभी व्यस्क नागरिकों को रोजगार देने के लिए या स्वरोजगार हेतु साधन और संसाधनों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

महोदय, हम बेरोजगारी के विरुद्ध चिल्ला रहे हैं तथा हर व्यक्ति बिना किसी अपवाद के यह चाह रहा है कि सभी को रोजगार की गारंटी दी जाए। संसद के बाहर तथा भीतर इसे मौलिक अधिकार बनाने हेतु गतिविधियां चलती आ रही हैं। विश्व भर में इसके लिए संघर्ष होता रहा है। परन्तु, महोदय हाल ही में विश्व के कुछ भागों में प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार की गारन्टी दी गई है, सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों तरह। इस व्यवस्था में कुछ दरारें आ गई हैं और मुझे भी यह आशंका है कि उन देशों में बेरोजगारी शुरू हो सकती है। ऐसी स्थिति में मेरा विचार है कि यह विधेयक जो मैंने प्रस्तुत किया है एक कल्पना मात्र ही नहीं है, यह केवल एक इच्छा की ही अभिव्यक्ति नहीं है, परन्तु यह इस देश के सभी नागरिकों जो, कुछ काम करना चाहते हैं को रोजगार की गारंटी देने के लिए है।

महोदय, यह चौथी संसद है जब इस विधेयक का पुर:स्थापित किया गया था। इसे चौथी, सातवी, नौवीं तथा दसवीं लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया है। इस तरह यह चौथी बार है जब इस विधेयक को पुर:स्थापित किया गया था और मैं आपके माध्यम से इस सभा के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे इस समस्या का अवश्य अध्ययन करें।

रोजगार के प्रश्न के दो पहलू हैं। प्रथम पहलू यह है कि जो लोग कुछ काम करने में सक्षम हैं, कुछ काम करने के इच्छुक हैं उन्हें काम नहीं मिल रहा है और वे कष्ट झेल रहे हैं, उनके परिवार कष्ट झेल रहे हैं। यह प्रथम पहलू है।

दूसरा अधिक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि राष्ट्र पीड़ित है, देश पीड़ित है क्योंकि लाखों लोगों की प्रतिभा, शक्ति, योग्यताओं तथा गुणों को राष्ट्रीय विकास, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से कार्य हेतु उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। इस प्रकार देश पीड़ित है। अत: यह उन्हें नौकरियां प्रदान करने उनकी आजीविका का ही प्रश्न नहीं है, प्रश्न उनकी क्षमताओं, प्रतिभाओं, उनकी युवा शक्ति को उपयोग में लाने का है, जिसे वर्तमान अवस्था में कोई भी कानून यथावत नहीं रख सकता। प्रतिदिन युवा वृद्ध बनता जा रहा है और फिर वे मरते जा रहे हैं। इस प्रकार इस देश के युवाओं के साथ वर्तमान और भावी पीढ़ी के साथ घोर अपराध किया जा रहा है। प्रश्न यह है कि हम समाज तथा देश के हित में प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता, प्रतिभा तथा शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं और क्या यह सम्भव है अथवा नहीं। मैं यह भी निवेदन करता हूं कि यह केवल वांछित ही नहीं है, परन्तु यह सम्भव तथा आवश्यक भी है।

महोदय, मुझे आशंका है कि यहां मेरे कई मित्र शायद इस विधेयक के कुछ पहलुओं को पसन्द न करें, परन्तु यह विधेयक रोजगार या स्व-रोजगार के लिए है जो कम महत्वपूर्ण नहीं है। भारत जैसे देश में जहां 85 करोड़ लोग रह रहे हैं, इतने सिर और इनसे दो गुणा हाथ, राष्ट्र के विकास हेतु, समाज के विकास हेतु तथा समाजवादी देशों में पैदा हुए खतरों के विरुद्ध सुरक्षा हेतु स्व-रोजगार भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। यहां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ही कुछ कार्य एक निश्चित तरीके से करने होते हैं जिसकी परिणति स्व-पराजित अभ्यास के रूप में हुई। अत: इस

[श्री भोगेन्द्र झा]

सम्बन्ध में मैं इस विधेयक के कुछ पहलुओं पर जोर देना चाहता हूं, इस विधेयक को खण्डवार बाद में लूंगा।

महोदय, फिलहाल, हमारे देश में 2 करोड़ शिक्षित युवा पंजीकृत है तथा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में और भी बहुत से शिक्षित युवा हैं जिन्होंने अपना नाम कहीं भी पंजीकृत नहीं कराया है। इसके अतिरिक्त, भारी संख्या में अशिक्षित लोग हैं और उन्हें यह नहीं मालूम कि रोजगार कार्यालयों में नाम कैसे पंजीकृत कराए जाते हैं। इसलिए, यह हमारे राष्ट्रीय, सामाजिक, राजनैतिक तथा पारिवारिक जीवन का अंग बन गया है। इस बेरोजगारी की समस्या के कारण आज हजारों परिवार मुसीबत में हैं।

अध्यक्ष महोदय : भोगेन्द्र झा जी, आप अपनी बात अगली बार कह सकते हैं। चूंकि गैर-सरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्य के लिए समय समाप्त हो गया है, अब हम अगली मद लेते हैं।

— — — —

6.00 म० प०

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक—जारी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम वित्त विधेयक पर चर्चा जारी करेंगे। श्री चन्दूलाल चन्द्राकर अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि सन् 2000 तक हमारी आबादी लगभग 100 करोड़ हो जाएगी। तब हमारे लिए 25 करोड़ टन से अधिक अनाज की आवश्यकता होगी। यह कैसे हो सकेगा।

अध्यक्ष महोदय : चन्द्राकर जी, एक मिनट के लिए बैठिए। माननीय सदस्यगण, यह डिसाइड हुआ है कि आज फाईनेंस बिल पर डिस्कशन खत्म होना चाहिए और कल वित मंत्री जी उसका जवाब देंगे। आज जितने भी मैम्बर्स बोलना चाहेंगे और जितनी देर तक बैठना जरूरी है, उतनी देर तक बैठकर उतने मेम्बर्स को बोलने दिया जाएगा। क्योंकि कल कोई भाषण नहीं होगा, अमेण्डमेंटस पर भी भाषण नहीं होगा, किसी पर भी भाषण नहीं होगा, सिर्फ रिप्लाई होगा और बिल पर वोटिंग होगी।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमने इस पर अमैण्डमेंटस दी हैं उनके लिए तो आप समय देंगे?

अध्यक्ष महोदय : अमैण्डमेंटस मूव करने के लिए जरूर मौका दिया जाएगा, मगर अमैण्डमेंटस मूव करते समय भाषण करने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, हम भाषण नहीं करेंगे, लेकिन जो हम बोलना चाहते हैं, अमैण्डमेंट के बारे में बोलना चाहते हैं, वह तो बोलने के लिए मौका देंगे।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, जो भी आप अमेण्डमेंट के सम्बन्ध में बोलना चाहते हैं, आज के भाषण में बोलिए। कंसीड्रेशन की स्टेज पर जो अहम मुद्दा है वह जरूर रखें। यह इसलिए करना पड़ रहा है कि बहुत बिजनेस है और बिजनेस वक्त पर करना जरूरी है। इसलिए फिर एक दिन का समय बढ़ा दिया है, 17 तारीख को भी हम वर्क करने जा रहे हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों को अच्छे पार्लियामेंटेरियन की तरह कार्य करना है। आज जितनी देर बैठना है, फाईनेंस बिल पर डिस्कशन करने के लिए, बैठिए। यह आज खत्म करना है कल इसका जवाब होगा।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि अमेण्डमेंटस पर जो हमने नाम दिए थे, आज थोड़ा मौका दे दें ताकि हम बोल सकें।

अध्यक्ष महोदय : मूव नहीं करेंगे, लेकिन जो बोलना है, वह बोलिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। मैं, सारी चीजें आपके सामने रख रहा हूं। हम इतने दिनों से काम करते आ रहे हैं। कुछ अहम बिल हैं। पंजाब का बिल पास होना है। पंजाब और कश्मीर का बजट पास होना है और दूसरी अहम चीजें हैं, वे पास करना जरूरी हैं। इसलिए, सारे लीडर्स की बी०ए०सी० की मीटिंग में यह तय हुआ कि हम इस प्रकार से करेंगे, उस प्रकार से करेंगे। आज बोलने के लिए कोई बन्धन नहीं है चाहे जितनी देर तक बैठना है। श्री कुमारमंगलम जी ने हमारे सब लोगों के लिए, आफिसर्स और दूसरे अधिकारियों के लिए शाम के खाने का भी इन्तजाम किया है। वे, यहीं खाना खायेंगे और बैठने का काम भी करेंगे।

[अनुवाद]

श्री याइमा सिंह युमनाम : महोदय, मेरा नाम वक्ताओं की सूची से हमेशा गायब रहता है।

अध्यक्ष महोदय : गायब नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : मैं यह कह रहा था कि हमारे देश के किसानों को 2001 तक 25 करोड़ टन अनाज उत्पादन करना होगा। हमारे देश के किसान और ग्रामीण मजदूर इस काम को निश्चित रूप से कर सकते हैं। इ० इ० सी० के अन्य देश जैसे—अमेरिका, कनाडा, जापान और चीन में सब जगह किसानों को जब उत्पादन करते हैं तो उनको हर प्रकार की सबसिडी दी जाती है, बजट पेश करते समय यह देखने में आता है। हमारे यहां सबसिडी अक्सर कटती जाती है। मुझे खासतौर से यह कहना है कि जो इ० इ० सी० के देश हैं, वहां के किसानों को जितनी सबसिडी दी जाती है जैसे—अमेरिका, कनाडा के किसानों को जितनी सबसिडी दी जाती है, आप जानते हैं कि 50-60 परसेंट उनको पड़ती है। यूरोपियन इकोनोमिक कम्युनिटी के देशों को अपने कृषि उत्पादन में पांच-छह साल के अन्दर अमेरिका से अधिक इतनी प्रतिस्पर्धा होगी कि उनका उत्पादन अधिक बढ़ेगा। इसलिए, अमेरिका और रूस के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं रह गई है तो इ० इ० सी० की बहुत प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए जो सुविधा दी जाती है तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं चाहे वह बीज, कीटनाशक दवाई, खाद, पानी, बिजली के साथ मार्किटिंग की भी सुविधा होनी चाहिए और कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए भी अधिक सुविधा देनी चाहिए। हमारे वित्त

[श्री चन्दू लाल चन्द्राकर]

मन्त्री ने इसमें व्यवस्था की है, मुझे विश्वास है कि किसानों को भी उत्पादन बढ़ाने के लिए खाद और औषधियों में भी मिलेगी। आज हमारे वित्त मन्त्री के सामने दो समस्याएं हैं जिनमें एक तो अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा कमाना और दूसरा यह कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को कम करना। लेकिन यह कैसे हो सकता है। मेरा इतना ख्याल है कि केन्द्र सरकार को जम खोरों के विरुद्ध कड़ा कदम उठाना होगा। यह सही है कि राज्य सरकारों को यह काम करना पड़ता है। अब बजट अधिवेशन खत्म हो रहा है इसलिए केन्द्र सरकार को जमाखोरों के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए और आवश्यकता पड़े तो सजा भी देनी चाहिए। इतना ही नहीं, हमारे बैंकों से इन लोगों को जमाखोरी करने के लिए या किसी तरह से सामान को इकट्ठा करने के लिए ऋण न दें। हमारे देश में काले धन की वजह से जमाखोरी हो रही है। काले धन को रोकने के लिए और कम करने के लिए हमारे वित्त मंत्री ने अनेक सुझाव दिए हैं। और हमारे अनेक माननीय संसद् सदस्यों ने अच्छी-अच्छी बातें और सुझाव रखे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि चाहे हमें कोई भी कष्ट उठाना पड़े, किसी तरह भी त्याग करना पड़े, किसी तरह भी हमको सजा देनी पड़े, लेकिन काले धन को निकालना है जिस पर निश्चित रूप से व्यवहारिक कदम उठाने की जरूरत है। इस पर ज्यादा हाईली आडियोलॉजीकल न रहकर सोचना चाहिए कि काले धन को कैसे बाहर कर सकते हैं। इसी तरह कहा जाता है कि हमारे देश में इस समय 90 हजार करोड़ काला धन है और यह पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है तो इसके लिए वित्त मंत्री जी ने व्यवस्था कर रखी है कि 40 परसेंट वे सरकार को दे दें और 60 परसेंट बैंकों को दें ताकि गरीबों को मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाये। निस्संदेह एक अच्छा सुझाव है लेकिन आज हर कोई महसूस कर रहा है कि जो व्यापारी जगत है, वे अन्तर्राष्ट्रीय धंधा करते हैं। इस जानकारी के आधार पर मालूम है कि यह 40 परसेन्ट रखने से हमारे वित्त मन्त्री जी के पास तीन-चार सौ करोड़ रुपया से ज्यादा आने वाला नहीं है। जिसके पास एक करोड़ रुपया काला धन है, वह 40 लाख से ज्यादा देने वाला नहीं है। क्यों ? आप लोग जानते हैं कि विदेशों में जो नॉन रेजीडेंट इण्डियन हैं, उनको 'हवाला" में 20 परसेंट होता है तो यह पैसा उसमें बदल लिया जायेगा और हमारे वित्त मंत्री जी को इस नियम के अनुसार बहुत ही कम पैसा मिलेगा। इसलिए काले धन को कैसे इकट्ठा किया जाये, बहुत से और सुझाव दिए गए हैं, उनके ऊपर यहां विचार करें। यदि हो सके या संभव हो तो यह जो 40 परसेंट सरकार को देने के लिए रखा है, उसका 60 परसेंट नेशनल हाउसिंग बैंक में करने के लिए सोचने की आवश्यकता है कि अगर 40 परसेंट में छूट दी जायेगी तो पैसा मिलने वाला नहीं है तो क्या इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि यह 25 परसेंट कर दिया जाए। कुछ जानकार लोगों का कहना है कि यदि यह 25 परसेन्ट कर दिया जाए। तो हो सकता है कि 90 हजार करोड़ काले धन में से 60-70 हजार करोड़ रुपया मिल सकता है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि वित्त मंत्री के सामने दूसरी समस्या आएगी। जब 56 परसेंट आप आयकर लेते हैं तो फिर क्यों वह अधिक काला धन रखकर खतरा मोल लेगा ? आज सोचने की आवश्यकता है कि जो कमाता है, उससे 56 परसेंट लेना कोई सरल काम नहीं है और इसमें ही सबसे ज्यादा गोलमाल होता है। आप सभी जानते हैं कि काला धन बड़े बड़े उद्योगपतियों, व्यापारियों, कुछ बड़े वर्गों के पास, कुछ अन्य तरह के लोगों के पास है। अब उसको इकट्ठा करने के लिए आप 40% के बजाय 25 परसेंट कर दें और 56 परसेंट में जो आयकर है, उसको भी घटाकर वित्त मन्त्री कितना कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आयकर की वसूली हो और आगे

चलकर कुछ साल के बाद यह होने वाला है। आपको आयकर को किसी न किसी तरह से बन्द करना होगा और अल्टीमेटली करना होगा, टर्न ओवर टैक्स है, वह आप ज्यादा से ज्यादा लगायें: वह लेना होगा क्योंकि कोई शेयर होल्डर हो, वह अम्बानी हो या कोई हो, टर्न ओवर कम नहीं बतायें क्योंकि उसके शेयर होल्डर से प्राईसेस गिर जायेंगी, इसलिए यह टर्न ओवर लें और साथ ही साथ आयकर 56 परसेंट से घटाकर और कम करना, इस पर वित्त मंत्री जी गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है।

यदि ऐसा नहीं किया तो आज जितना भी काला धन है, वह इकट्ठा नहीं हो सकेगा, और हम को खास तौर से इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि वित्त मंत्री जी क्या फिर से अभी जो मैंने शुरू किया था, उसे करेंगे। एक बात और कह देना चाहता हूं कि यदि सम्भव हो सकें, इन सब चीजों को अभी इस अधिवेशन में न कर सकें तो नवंबर में ही हमारा वार्षिक बजट पेश कर दें, उसको इसी साल पेश कर दीजिए। आप सोचें जो वार्षिक बजट हम 28 फरवरी को लाते हैं उसको नवम्बर व दिसम्बर में लाएं तो ज्यादा अच्छा होगा और इन सब नियमों को आप लागू कर सकेंगे। आप सोचें कि हमारे देश में वार्षिक बारिश कितनी होती है, हमारे देश में कहां कितनी फसल होती है और उस फसल में कितना तिलहन, कितना दलहन होगा, हमारे देश की कितनी नदियों में पानी है, इन सब चीजों पर आप सोचेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि वित्त मन्त्री जी इस पर गंभीरतापूर्वक अपनी कैबिनेट में विचार करें और संभव हो तो इन सब चीजों को और अन्य हमारे सहयोगियों ने जो सुझाव दिए हैं उन पर इस अधिवेशन में नहीं तो नवंबर में बजट पेश करके आगे के लिए इन समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर दें।

यही कहकर मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज हमारी संसद के कार्यकरण तथा हमारे लोकतंत्र के भविष्य के सम्बन्ध में गम्भीर तथा आधारभूत महत्व के मामले को उठाना चाहता हूं। बृहस्पतिवार, 5 सितम्बर की शाम को लोकसभा ने खजाने यानि सरकारी खर्च पर गुप्त तथा उद्देश्यपूर्ण निगरानी करने के अपने प्रमुख दायित्व को त्याग दिया। गिलोटिन में एक झटके में ही हमने बिना चर्चा के वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान खर्च के लिए 25,824 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी। इस प्रक्रिया में लोक सभा ने इतिहास कायम कर दिया। परन्तु महोदय, यह ऐसा इतिहास है जिस पर कोई भी संसदीय लोकतन्त्र गर्व नहीं कर सकता।

संसद की सबसे बड़ी ताकत और उपयोगिता खजाने पर इसकी शक्ति में निहित है। आज बहुत कम लोगों को याद है कि लोकतन्त्र की प्रथम प्रमुख लड़ाई ब्रिटेन में सम्राट के मनमाने ढंग से कर लगाने के अधिकार के प्रश्न पर लड़ी गई थी।

ब्रिटेन के लोगों ने यह लड़ाई लम्बे और कठोर संघर्ष के बाद जीत ली। तब हमारे विश्व ने प्रजातंत्र के आधारभूत सिद्धान्त का उद्भव देखा प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं। अमरीकी स्वतन्त्रता संग्राम भी इसी आधारभूत मुद्दे को लेकर भड़का था : कर लगाने का अधिकार।

इस सिद्धान्त को सभी संसदीय लोकतन्त्रों में सख्ती से लागू किया गया है। वास्तव में ब्रिटेन तथा अन्य प्रजातन्त्रों ने पिछले कई वर्षों से खजाने पर संसद के नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए नई

[श्री इन्द्रजीत]

पहल भी की है। यह बड़े दुःख की बात है कि राष्ट्रीय बजट पर संसद का नियंत्रण वर्ष दर वर्ष धीरे-धीरे टूट गया।

किसे दोष दिया जाए ? अध्यक्ष महोदय, हम सभी को। मैं जानता हूं कि वर्तमान वर्ष में प्रधान मंत्री सभा के नेता तथा संसदीय कार्य मंत्रियों ने अधिकांश मन्त्रालयों तथा विभागों के साथ चर्चा करने में रुचि दिखाई थी। परन्तु ऐसा नहीं हो सका क्योंकि सभा का अधिकांश समय बाहरी मामलों में लग गया था।

एक प्रश्न उठता है। क्या मामलों को सुधारने के लिए कुछ किया जा सकता है ? उत्तर सकारात्मक है। हम इस लम्बी अवधि का हल थोड़े से समय में निकाल सकते हैं। महोदय, इस लम्बी अवधि के लिए हम ब्रिटिश अनुभव का एक पृष्ठ देख सकते हैं। हमें समिति व्यवस्था अपनाने के प्रश्न पर गहराई से विचार करना चाहिए।

विशेष रूप से, मैं निवेदन करता हूं कि हमारी संसद को अपनी प्रक्रियाओं पर नए सिरे से विचार करना चाहिए और उन्हें बदलती हुई मांगों के अनुरूप अपनाना चाहिए जैसा कि 1976 में ब्रिटेन द्वारा अपनाया गया था। मेरा यह भी सुझाव है कि माननीय अध्यक्ष को, जैसा कि हाऊस आफ कामन्स द्वारा किया गया था, कार्यों के अधिक प्रभावी निष्पादन के लिए प्रक्रिया हेतु सिफारिशें करने के लिए एक प्रवर समिति का गठन करना चाहिए।

ब्रिटेन में आज खजाने तथा सरकार पर संसदीय नियंत्रण 11 पूर्व समितियों के अतिरिक्त 14 समितियों, जैसे कि लोक लेखा समिति, द्वारा किया जाता है।

बड़े हर्ष की बात है कि श्री राजीव गांधी ने प्रधान मन्त्री के रूप में आवश्यक पहल की थी। 1989 के मध्य में उनके निर्देश पर कृषि, पर्यावरण तथा वन और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर तीन स्थाई समितियां गठित की गयीं। संसद में शुरू किए गए प्रमुख सुधार पर हम सब खुश हुए थे। तत्कालीन अध्यक्ष श्री बलराम जाखड़ थे, ने ठीक ही कहा था कि ये समितियां, मैं उन्हें उद्धृत करता हूं :—

> "संसद के प्रति अधिक प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करेंगी – तथा मंत्रालयों के कार्यकरण की बेहतर संसदीय संवीक्षा भी सुनिश्चित करेगी।"

तीनों समितियों के अध्यक्ष समान रूप से रोमांचित हुए थे। उन्होंने इन तीनों समितियों की नियुक्ति को भारत में संसदीय संस्थाओं के उद्भव में एक मील का पत्थर बताया। परन्तु समितियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु उन्हें कम समय मिला। अक्तूबर के प्रारम्भ में सरकार ने फिर से सामान्य चुनाव कराने का निर्णय लिया। समितियों का कार्य उनकी शुरूआत पर ही समाप्त हो गया। कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकी।

पिछली लोक सभा ने तीनों समितियों को उसी उत्साह से लिया।

वास्तव में, जैसा मेरे मित्र निर्मल दा मुझे याद दिलाते हैं, समिति व्यवस्था को विस्तृत बनाने के प्रयत्नस्वरूप मैंने नियम समिति की सदस्यता ग्रहण की थी। केवल तीन समितियों की नियुक्ति मेरे लिए काफी नहीं थी। अन्ततः, हम नियम समिति से सात अन्य स्थायी समितियों, जिनमें

से एक गृह, दूसरी रक्षा तथा तीसरी विदेशी मामलों से सम्बन्धित थीं, की स्थापना का निर्णय करवाने में सफल रहे ।

परन्तु, शीघ्र ही सत्ताधीशों ने दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिक्रिया की । नई समितियों की स्थापना के विरोध में कई मंत्रियों द्वारा संशोधन प्रस्तुत किए गए । बाह्य रूप से, कारण यह बताया गया कि पहले तो यह देखने की जरूरत है कि तीनों समितियों ने किस प्रकार कार्य किया तथा उन्होंने किस सीमा तक अधिकतम राष्ट्रीय हित को साधा । किन्तु आंतरिक रूप से अधिकारों के विकेन्द्रीकरण तथा शक्ति में हिस्सा बांटने के लिए बहुत कम मन्त्री तैयार थे । इस पर हममें से कुछ लोगों ने अपने आपको निर्णायक दौर के लिए तैयार कर लिया । किन्तु, यह होने से पूर्व लोक सभा ही भंग कर दी गई ।

भारत में हम हाल-फिलहाल उन मंत्रालयों के विषय में क्या कर सकते हैं जिनके बजट गिलोटीन विधि से पारित हुए हैं ? संक्षेप में हम उस मॉडल को अपना सकते हैं जिसे मैं नेहरू मॉडल कहना चाहूंगा । भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री तथा सदन के नेता, जवाहर लाल नेहरू उस समय बड़े विचलित हुए थे जब उनके अधीन परमाणु ऊर्जा विभाग सहित कुछ विभागों पर चर्चा नहीं हो सकी थी तथा गिलोटीन विधि को अपनाना पड़ा था । नेहरू जी ने तब प्रस्ताव किया था कि गिलोटीन हुए सभी मंत्रालयों और विभागों के विषय में सदन की तदर्थ समितियों द्वारा उनकी सदन के समक्ष प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर चर्चा की जाये ।

इसी प्रकार हमें भी तदर्थ समितियां बनानी चाहिए अथवा गिलोटीन हुए मंत्रालयों और विभागों पर विभिन्न मंत्रालयों से जुड़ी अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियों द्वारा उनकी सदन को प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर चर्चा हो । मैं इस तथ्य के प्रति सचेत हूं कि ये परामर्शदात्री समितियां आकार में कुछ छोटी हैं । सम्बन्धित चर्चाओं में सक्रिय रूप से रुचि रखने वाले सभी लोगों को सम्बन्धित समितियों में स्थान देने हेतु उन समितियों की सदस्य संख्या को तदर्थ आधार पर आसानी से बढ़ाया जा सकता है ।

अतः, माननीय लोकसभाध्यक्ष सत्ता पक्ष तथा विपक्षी नेताओं से विचार-विमर्श करके तत्संबंधी औपचारिकताओं को अन्तिम रूप दे सकते हैं । मेरे विचार से यह सारा काम सत्र के पश्चात एक सप्ताह अथवा दस दिनों में पूरा किया जा सकता है । जिन विभागों और संघ राज्य क्षेत्रों पर चर्चा नहीं हुई है उन पर चर्चा करने हेतु पांच से छह समितियों की प्रतिदिन बैठक हो सकती हैं ।

अध्यक्ष महोदय, अब अपनी बात समाप्त करने हेतु मैं आपसे अपना अनुरोध स्वीकार करने तथा गिलोटीन हुए मंत्रालयों और विभागों के सम्बन्ध में नेहरू मॉडल को लागू करने की अपील करता हूं ।

वास्तव में हमें एक कदम और आगे जाना चाहिए और कार्यपालिका पर संसदीय निगरानी सुनिश्चित करने की विधियों और उपायों को सुदृढ़ करने के लिए नेहरू जी द्वारा शुरू की गई एक और स्वस्थ नई परम्परा को लागू करना चाहिए । 1956 में, कार्य मंत्रणा समिति ने पंचवर्षीय योजना संबंधी दस्तावेजों की संवीक्षा के लिए तदर्थ संसदीय समितियों की स्थापना करने का निर्णय लिया था । तदनुसार, प्रारूप द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम योजनाओं पर विचार करने हेतु इन समितियों की स्थापना की गई थी । यह दुर्भाग्य तथा खेद का विषय है, कि उसके पश्चात् इन समितियों का परित्याग कर दिया गया । निश्चय ही हम उन्हें फिर से स्थापित करने की सोच सकते हैं ।

[श्री इन्द्रजीत]

अन्त में, मैं आपसे संसद तथा अपने सदन की वर्तमान प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं पर पुनर्विचार करने के बड़े मुद्दे में जाने तथा इस उद्देश्य के लिए उसके कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु एक प्रक्रियाओं संबंधी प्रवर समिति की स्थापना करने का अनुरोध भी करता हूं जैसा कि ब्रिटेन में किया गया था। इस संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि प्रक्रिया संबंधी कई अन्य समस्या वाले क्षेत्र हैं जैसे शून्य काल, विधेयकों की संवीक्षा, प्रश्न, वृतान्त से निकाले गए अंश, लोक सभाध्यक्ष की शक्तियां तथा उसका निर्विरोध निर्वाचन और इन सभी मुद्दों पर नये सिरे से विचार किए जाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, हाउस आफ कामन्स 300 वर्षों बाद भी निरन्तर विकास की ओर बढ़ रहा है। हमें 40 वर्ष की आयु में बढ़ना बन्द नहीं करना चाहिए। हमें संसदीय लोकतन्त्र को मजाक नहीं बनाना चाहिए।

श्री एच० डी० देवगौड़ा (हसन) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं अपने मित्र श्री इन्दजीत को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने संसद के कार्य निष्पादन के बारे में एक बड़े ही स्वस्थ ढंग से कुछ मूल्यवान सुझाव दिए हैं। एक शब्द में, श्री इन्द्रजीत ने जो भी सुझाव दिए हैं वे माननीय लोक सभाध्यक्ष तथा इस सदन द्वारा विचारणीय हैं।

इस वित्त विधेयक संख्या 2 में भाग लेते हुए, मैं वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान उस दिन के भाषण की ओर दिलाना चाहूंगा जब उन्होंने यह विधेयक सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था :

> "माननीय सदस्यगण, विधेयक में अन्तर्विष्ट कुछ प्रस्तावों के संबंध में, मुझे जनता, श्रमिक संघों, स्वयंसेवी संगठनों, पेशेवर निकायों तथा चैम्बर्स ऑफ कामर्स की ओर से विधेयक के प्रस्तावों के सम्बन्ध में बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। हमें मूल्यवान सुझाव देने के लिए मैं उन सभी के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।"

अभी अभी, हमारे एक वरिष्ठ सदस्य, श्री चन्दूलाल चन्द्राकर ने अपना काफी समय कृषि विभाग पर चर्चा में लगाया जिसमें उन्होंने कृषि विकास को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता को प्रकाश में लाने का प्रयास किया क्योंकि हमें अपनी मांग पूरा करने हेतु 2000 ईसवी तक 250 मिलियन टन अनाज पैदा करना होगा। जब स्थिति यह है, तो मैं कुछ मिनटों तक केवल कृषि पर ही चर्चा करना चाहूंगा। हमने वित्त मंत्री महोदय को उर्वरक सहायता अथवा मूल्य वृद्धि के बारे में राजी करने की कोशिश की, पूरे सदन ने, दलगत सम्बन्धों को दर किनार कर, तथाकथित किसान को कम से कम कुछ रियायतें देने लिए वित्त मंत्री महोदय को मनाने का भरसक प्रयास किया।

यह रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुई थी। समिति का गठन स्वर्गीय प्रधान मन्त्री राजीव गांधी ने किया था। अपने बजट भाषण के प्रारम्भ में ही आपने कहा था कि बजट स्वर्गीय प्रधान मन्त्री राजीव गांधी को समर्पित किया जा रहा है। आप में अपनी पार्टी और अपने पूर्व नेता के प्रति इतनी वफादारी तथा निष्ठा है। इस समिति का गठन श्री राजीव गांधी के शासन द्वारा किया गया था तथा रिपोर्ट 1987 में दी गयी थी। जब सारे सदन ने आपको मनाने का प्रयास किया, तो आप हमारे किसी भी दबाव अथवा हमारे द्वारा आपको मनाने के लिए दिए गए किसी भी तर्क को नहीं मान रहे थे। आप

संगठित क्षेत्र के आगे तो झुके हैं किन्तु आप तथाकथित किसानों के आगे नहीं झुके हैं क्योंकि वे असंगठित क्षेत्र में हैं।

मैं एक या दो बातें उद्धृत करना चाहूंगा जो आज के सन्दर्भ में बड़ी प्रासंगिक हैं। मैं नहीं जानता कि क्या इन सारी बातों को रख कर मैं आपको राजी कर सकूंगा। फिर भी मेरा यह दायित्व है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला सदस्य हूं। मैं आपका ध्यान इस समिति की सिफारिशों की ओर दिलाना चाहूंगा। सभापति जी किसान नहीं हैं। उन्होंने कई अन्य सिफारिशें उद्धृत की हैं तथा ये सिफारिशें देते समय, उन्होंने अपने तर्कों अथवा सिफारिशों की पुष्टि में कई अन्य देशों के उदाहरण दिए हैं।

दोहरी मूल्य नीति के सम्बन्ध में, उन्होंने कहा है कि यदि इसे लागू किया गया तो इससे किसानों को कोई सहायता नहीं मिलेगी। ये भी उन बातों में से हैं जिन पर उन्होंने तर्क देने की चेष्टा की है। पृष्ठ 72 के पैराग्राफ 9.15 में कहा गया है :—

> "यह तर्क दिया गया है कि दोहरी मूल्य नीति, जिसमें छोटे और सीमान्त किसानों के लिए रियायती मूल्य तथा मझोले और बड़े किसानों के लिए अधिक मूल्य शामिल हैं, से राजसहायता के बोझ को कम करने में सहायता मिल सकती है। एक बार फिर, इसे चलाना असंभव है।"

यह उनका तर्क है ? सरकार द्वारा दोहरी मूल्य नीति तथा साथ ही खादों के मूल्यों में वृद्धि की बात सोचना उचित नहीं है जिससे अन्ततः कृषक समुदाय बरबाद हो जायेगा और जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, वे हतोत्साहित होंगे तथा यह नहीं किया जाना चाहिए। यह सिफारिश है जो उन्होंने की है। मैं आपको यह रिपोर्ट भेजूंगा और मंत्री महोदय उसे पढ़कर देखें। यह हर साल का प्रश्न नहीं है। ऐसा नहीं है। उन्होंने किसानों को बिल्कुल हतोत्साहित कर दिया है। उन्हें उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि नहीं करनी चाहिए।

मैं वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान नेप्था के मूल्य की ओर दिलाना चाहूंगा। सऊदी अरब में, नेप्था का मूल्य केवल 30 अमेरिकी सेन्ट है जबकि हमारे देश में, नेप्था का मूल्य 1978-79 के मूल्य से बारह गुना अधिक बढ़ गया है। इस संबंध में, मैं तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कार्य-निष्पादन का उल्लेख भी करना चाहूंगा।

वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों में से है। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि कुछ लोग यह कहने की कोशिश कर सकते हैं कि कृषक हमेशा अपने पक्ष में दलील देने की चेष्टा करते हैं। किन्तु इस समय पर, मैं अपने तर्क जनता के इस वर्ग के तर्कों के क्रम में नहीं दूंगा। मैं उनसे ऐसी टिप्पणियां देने से पहले दोबारा सोचने का अनुरोध करूंगा।

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : वह रिपोर्ट क्या है जिसका आप हवाला दे रहे हैं ?

श्री एच० डी० देवगौड़ा : यह उर्वरकों के उपभोक्ता मूल्यों पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट है। इस समिति के अध्यक्ष डा० जी० वी० के० राव थे जिन्हें स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने नियुक्त किया था। मैं यह रिपोर्ट आपके विचारार्थ भेजने को तैयार हूं। उसमें कहा गया है कि सरकार द्वारा खादों के मूल्य बढ़ाने पर विचार करने की स्थिति में, वह 5-7 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

श्री मनमोहन सिंह : उसमें कहा गया है कि प्रति वर्ष, उसे 5-7 प्रतिशत बढ़ा दिया जाना चाहिए।

श्री एच० डी० देवगोड़ा : ऐसा नहीं है। यदि उसे प्रति वर्ष बढ़ा देने से सरकार को सहायता मिलती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप यह दृष्टिकोण अपनाते हैं। किन्तु, महोदय, इस मुगालते में न रहें कि वित्त मन्त्री महोदय ने प्रतिवर्ष मूल्य बढ़ाने की पूरी सिफारिश की है। ऐसा नहीं है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह समझाने की चेष्टा की है कि खादों के मूल्यों में वृद्धि का प्रश्न अन्ततः उत्पादन में गिरावट के रूप में प्रतिफलित होगा जो नहीं होना चाहिए। वह यही कहते हैं। इसके अतिरिक्त महोदय, किस प्रकार अमेरिका, जापान, यूरोपीय आर्थिक समुदाय जैसे अन्य देशों ने किसानों को राज सहायता देकर उनकी सहायता करने का प्रयास किया।

मैं वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान आयात शुल्क की ओर दिलाना चाहूंगा जिसे 300 से घटा कर 150 प्रतिशत कर दिया गया है। क्या यह खाद मूल्यों को कम करने में योगदान करने वाले कारकों में से एक नहीं होगा? सदन के प्रत्येक भाग से उन्हें मनाने का प्रयास किया गया है किन्तु वह नहीं झुके हैं। अपने भाषण में आपने कहा है कि आपने कुछ रियायतों पर विचार किया है और आपने कुछ ऐसे संगठनों का भी उल्लेख किया है जिन्होंने आपको अभ्यावेदन दिए हैं। मैं यह कहना नहीं चाहता कि यह निर्णय कुछ और बातों से प्रभावित होकर लिया गया है। मुझे मालूम है कि हमारे वित्त मन्त्री महोदय ईमानदार, निष्ठावान तथा समर्पित हैं। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। किन्तु केवल इतनी ही बात है कि उन्हें असंगठित क्षेत्र की ओर भी समुचित ध्यान देना चाहिए। और इस ओर ही मैं उसका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

महोदय, संसाधन जुटाने के बारे में मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहता हूं। आप ऐसे समय में वित्त मन्त्री बने हैं, जब देश गम्भीर आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। यहां अनेकों समस्याएं हैं और इस संकट की घड़ी में समाज के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त करना वित्त मन्त्री के लिए आसान नहीं है। मैं यह समझ सकता हूं। किन्तु हमारे पास संसाधनों को बढ़ाने के साधन हैं। जब मैं बजट पर बोला था, मैंने एक या दो मुद्दों का उल्लेख किया था। मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं समय के महत्व को जानता हूं। किन्तु आज वित्त मन्त्री यहां हैं और इसलिए उनके विचारार्थ मैं उन मुद्दों की पुनरावृत्ति के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। मैं उनका ध्यान इन मुद्दों की ओर दिलाना चाहता हूं कि ताकि वह उन्हें समझ सकें तथा कम से कम भविष्य में उन पर विचार कर सकें। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि पूरे ढांचे की पुनर्संरचना के बारे में उन्होंने अपने भाषण में उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि चूंकि बजट तैयार करने में बहुत कम समय था, अतः वह सारे पहलुओं की जांच नहीं कर सके और इन सब बातों पर विचार करने के बाद वह कर-प्रणाली को पुनर्निर्धारित कर रहे हैं।

आज हम सब तथाकथित काले धन के बारे में बात करते हैं। आपने भी इस सभा में इसके विचारार्थ एक विधेयक पुरःस्थापित किया है। हमारे समाज के किस वर्ग ने काला धन प्राप्त किया है। सबसे वरिष्ठतम सदस्य, श्री बाजपेयी जी, जिनका मैं बहुत अधिक सम्मान करता हूं, ने लखनऊ में सम्वाददाता सम्मेलन में कहा है कि हमारे अपने लोगों ने लगभग 10,000 टन सोना जमा कर रखा है। उन्होंने यहां तक कहा कि लगभग 5,000 टन सोना गहनों और आभूषणों के रूप में नहीं है। यह सोने के बिस्कुटों के रूप में है। उन्होंने अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाने के लिए स्वर्ण-बांड जारी करने तथा उसका उपयोग करने के बारे में भी कहा है। उन्होंने ये सब बातें कही किन्तु मैं विस्तार में जाना नहीं

चाहता हूं। मैं केवल एक प्रश्न पूछता हूं। क्या मैं जान सकता हूं कि 80,000 करोड़ रुपए अथवा 1,00,000 करोड़ रुपए का काला धन किन लोगों के हाथों में है? क्या यह किसानों के पास है अथवा निर्धन ग्रामीण जनता के पास? यह केवल देवेगौड़ा का प्रश्न नहीं है। आज, इस सभा के प्रत्येक वर्ग को कृषक समुदाय और उनकी समस्याओं की बहुत अधिक चिन्ता है। किन्तु दुर्भाग्यवश, हमारे वित्त मन्त्री ने बहुत कठोर दृष्टिकोण अपनाया है, जिसका मुझे बहुत दुख है। वह जरा भी झुकने को तैयार नहीं थे। मुझे आश्चर्य है कि बेचारे असंगठित क्षेत्र पर उनको इतना गुस्सा क्यों है?

बजट पर बोलते समय मैंने एक या दो उदाहरण दिए हैं। आपने वित्त विधेयक में भी तथा-कथित धर्मार्थ न्यासों का उल्लेख किया हैं। यहां कितने धर्मार्थ न्यास हैं? आप मुम्बई धर्मार्थ अधिनियम अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1956 को देखें।

जो भी धन अथवा आय अर्जित की जाती है, यदि वह न्यासों को अन्तरित की जाए, तो उसे आयकर अथवा धनकर से पूर्ण छूट मिल जाएगी। वित्त मन्त्री महोदय, पृष्ठभूमि से आपने बहुत अनुभव प्राप्त कर लिया है। क्या आप कुछ ऐसे साधनों के बारे में नहीं सोच सकते जिससे अथाह धन अर्जित कर रहे और साथ ही साथ आयकर और धनकर का पूर्णतः अपवंचन करने वाले इन न्यासों से अधिक धनराशि वसूल की जाए? मेरा माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध है कि वह इस मामले की जांच करें।

अब मैं निगमित धन कर पर आता हूं। पहले, वर्ष 1957 में कुछ समय के लिए सामान्य धन कर अथवा कुछ और लगाया जाता था और बाद में इसे बन्द कर दिया गया। वर्ष 1983 में, श्रीमती गांधी के शासन के दौरान् इसे पुनः शुरू किया गया। मेरा आपसे अनुरोध है कि पूरे मामले की पुनः जांच करें और देखें कि क्या इस कर को गहनों, करों और अन्य विलासिता की उन मदों पर भी लगाया जाए, जो कि गुप्त रूप से कम्पनियों के अथवा जो भी इनके नामों से जाने जाते हैं, के स्वामित्व में हों। महोदय, कर विभाजन के लिए देश में अनेक प्रकार के कानून हैं। हमारे अधिकारी और नौकरशाह भी अपनी कोशिश करते हैं, ये लोग इन कानूनों से बचे रहते हैं और इसलिए देश में मजबूत समानान्तर अर्थव्यवस्था फल-फूल रही है। हम इसे रोकने में असमर्थ हैं। मैं इस पर अधिक समय नहीं लूंगा। मैं अपने कुछ विचारों को वित्त मन्त्री तक भेज सकता हूं क्योंकि उन्होंने सुझावों के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि सभी प्रस्तावों की जांच के लिए एक विशेषज्ञता प्राप्त समिति गठित की गई है और वह तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेगी। उस रिपोर्ट के आधार पर वित्त मन्त्री सारी खामियों को दूर करने की कोशिश करेंगे और 1992 में अपने बजट प्रस्तावों में इन सारे उपायों के साथ सभा में वापस लौटेंगे।

जहां तक चालू वित्त विधेयक में दी गई राहत का सम्बन्ध है, मेरी राय में इससे समाज के मध्यम तथा छोटे वर्ग के लोगों को सहायता मिलेगी, जिनका अनावश्यक रूप सें उत्पीड़न किया गया है।

आयकर की अधिकतम दर 50 प्रतिशत है। यह किसी घरेलू कम्पनी के लिए निगमित कर से अधिक है, जो 45 प्रतिशत है, एक व्यक्ति के लिए निगमित कर आयकर से कम है। अतः मेरा आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि इस मामले की पुनः जांच की जाये और जहां तक कर में भिन्नता का सम्बन्ध है, आप कृपा करके लोगों को भी राहत देने की कोशिश करें।

[श्री एच॰डी॰ देवगौड़ा]

बैंकों में जमा राशि पर प्रतिवर्ष 2500 से अधिक ब्याज पर कर लगाना

अब मैं एक सीधा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक व्यक्ति के विभिन्न बैंकों में खाते हो सकते हैं। मेरा खाता दिल्ली, मद्रास अथवा किसी अन्य राज्य में हो सकता है। बैंक अधिकारी मेरी आय के स्रोतों का पता कैसे लगायेगा? क्या विभिन्न बैंकों में मेरे खातों की संख्या का पता लगाना किसी बैंक के लिए सम्भव है? यह अव्यवहार्य मामला है, और मैं कहना चाहता हूं कि इससे आपको सहायता नहीं मिलेगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस विचार को त्याग दीजिए। यह मेरा सुझाव है और आप इस पर विचार कर सकते हैं।

जीवन बीमा निगम के पालिसी धारकों को आप 50 प्रतिशत रियायत दे रहे हैं। आप उन्हें शत-प्रतिशत रियायत क्यों नहीं देते हैं? 25 या 30 वर्ष के बाद पॉलिसी के परिपक्व होने पर पॉलिसी धारक जो कुछ भी लाभांश प्राप्त करता है, तब उसे केवल 50 प्रतिशत रियायत ही क्यों दी जाती है? आप शत-प्रतिशत रियायत क्यों नहीं देते हैं? मैं यही पूछना चाहता हूं।

विधेयक के खण्ड 13 में एक नया खंड 35 क ग सम्मिलित करने की कोशिश की गई है, जो उचित परियोजनाओं और योजनाओं पर खर्च से सम्बन्धित है। नए खंड के अन्तर्गत, कर दाता को सरकारी क्षेत्र की कम्पनी अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी एसोसिएसन अथवा संस्थान अथवा जैसा भी मामला हो, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट से ऐसे फार्म, विधि और ऐसे विवरणों सहित ऐसा प्रमाण-पत्र देना आवश्यक होगा, जैसा निर्धारित किया गया हो। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। यह मेरी अपनी राय है। प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का प्रश्न कोई बड़ा मामला नहीं है। प्रमाण-पत्र कोई भी प्राप्त कर सकता है। इससे निश्चितरूप से भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी, अन्ततः इससे पुनः काले धन को ही मंजूरी मिलेगी।

वित्त मन्त्री को अपने शेयरों में अंशदान मिलाने के लिए कम्पनियों द्वारा घोषित निगमित कर लगाने हेतु खण्ड 115 (ञ) को पुनः लागू करना चाहिए।

और भी अनेकों सुझाव हैं, जिन्हें मैं आपके विचारार्थ भेजूंगा।

अन्त में, महोदय, मैं कर्नाटक राज्य से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। वित्त मंत्री ने कहा है:—

"राज्य के लिए केन्द्रीय योजना सहायता पहुंचाने की अनुमति दी जाए।"

(श्री राम नाईक पीठासीन हुए।)

महोदय, संशोधित गाडगिल फार्मूला के कारण हमें लगभग 300 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। मैं नहीं जानता कि कर्नाटक का वर्गीकरण विकसित राज्य के रूप में कैसे किया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस विवाद में पड़ना नहीं चाहता हूं। किन्तु हमारे राज्य को लगभग 300 करोड़ रुपयों की वित्तीय हानि हो रही है। कर्नाटक सरकार ने भारत सरकार से राज्य को हुई क्षति को पूरा करने का अनुरोध किया है।

भूतपूर्व वित्त मन्त्री, श्री मधु दंडवते ने इसी सभा में आश्वासन दिया था कि पूरे मामले की पुनः जांच की जायेगी और वह देखेंगे कि क्या इस संबंध में कुछ किया गया है। वह सहमत हैं कि संशोधित गाडगिल फार्मूले के कारण कर्नाटक राज्य के साथ पूर्णतः अन्याय हुआ है।

मैं जानता हूं कि वर्तमान वित्त मन्त्री इन सारे पहलुओं की जांच करायेंगे, मेरा उनमें पूरा विश्वास है। मैं जानता हूं कि वह निश्चित रूप से इस मामले की जांच करायेंगे।

अन्त में, मैं अपने राज्य के लिए कुछ विशेष मामला उठाना चाहूंगा। यह देश के लिए छोटा सा मामला हो सकता है। हम सारे देश के लिए लगभग 1,67,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और इसमें से मैं कर्नाटक राज्य के लिए छोटा सा हिस्सा मांग रहा हूं। सिंचाई मन्त्री के रूप में मैंने भारत सरकार की स्वीकृति के लिए कुछ परियोजनाएं भेजी थी। हमारे पास 350 किलोमीटर का समुद्र तटीय क्षेत्र है। मेरे राज्य में तटीय भू-कटाव बहुत अधिक होता है। मैं समझता हूं कि केरल के हमारे मित्र इस संबंध में मुझसे सहमत होंगे। मैंने 130 करोड़ रुपयों की एक परियोजना भेजी थी। दुर्भाग्यवश, इस समय मैं प्रत्येक मन्त्री से मिल चुका हूं, चाहे वह राज्य मन्त्री हो, केबिनेट मंत्री हो, भले ही वह कर्नाटक राज्य का हो या नहीं, किन्तु केन्द्र से किसी ने भी कर्नाटक के लिए मेरी सहायता नहीं की। मैं केन्द्रीय सरकार से एक रुपए की भी सहायता न पा सका। केन्द्रीय सरकार से कर्नाटक को कुछ भी नहीं मिला। केरल के मित्र मुझे गलत न समझें और समझें कि उन्हें हमसे अधिक मिला है। वर्ष 1985-86 से केरल को 12 से लेकर 18 करोड़ हमेशा प्राप्त हुए हैं, और दूसरी ओर कर्नाटक को कुछ भी नहीं मिला। हमने क्या अपराध किया है? महोदय, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। कृपया इस मामले को देखिए कि कर्नाटक राज्य के प्रति यह अन्याय नहीं किया जाए।

हम शान्तप्रिय और सीधे-सादे लोग हैं। किन्तु यह नहीं माना जाय कि हम हमेशा ही शांत प्रिय रहेंगे। इन छोटी-मोटी बातों पर हमारा व्यापक दृष्टिकोण है और हम मिलकर संघर्ष कर सकते हैं।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बारे में, मैं कहना चाहता हूं कि धनराशि का वितरण जनसंख्या के आधार पर किया जा रहा है अथवा क्षेत्र के आधार पर, कर्नाटक दसवें स्थान पर रहता है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्नाटक को 3444 लाख रुपए, उत्तर प्रदेश को 1428 लाख रुपये, बिहार को 1102 लाख रुपये और मध्य प्रदेश को 7297 लाख रुपए दिए गए। 'ट्राइसेम' योजना के अंतर्गत कर्नाटक के लिए 37 लाख रुपए और उत्तर प्रदेश के लिए 117 लाख रुपए मंजूर किए गए थे।

इसलिए मैंने आपका ध्यान राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता की ओर आकर्षित किया है। केवल आप ही ऐसे निष्पक्ष वित्त मन्त्री हैं जो कर्नाटक के साथ किए गए अन्याय को दूर करेंगे। कृपया इस मामले की जांच कीजिए और हमारे साथ किए गए अन्याय को दूर कीजिए।

इन शब्दों के साथ ही मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे कुछ समय तक बोलने की अनुमति दी।

[हिन्दी]

श्री मोहन विष्णु रावले (मुम्बई-दक्षिण मध्य) : सभापति महोदय, सत्ताधारी पक्ष की तरफ से वित्त मन्त्री श्री मनमोहन सिंह जी ने इस वर्ष का जो बजट पेश किया है वह ब्यूरोक्रेटिक बजट है इसमें कोई मनमोहक बात नहीं है। इस दो महीने के सत्र में हम केवल पांच मन्त्रालयों की मांगों पर

[श्री मोहन विष्णु रावले]

ही विचार कर सके और शेष 35 मन्त्रालयों की मांगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। विश्व के सबसे बड़े लोकतन्त्र में यह बड़ी लज्जा और दुर्भाग्य की बात है। कुछ मन्त्रालय तो ऐसे हैं जिन पर आज तक स्वतन्त्रता के 44 वर्षों में एक बार भी विचार नहीं हुआ है।

आज दाल, चावल, आटा, खाने के तेल, सब्जी इतनी महंगी हो गई है कि साधारण और गरीब आदमी के लिए दो वक्त की रोटी भी खाना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में 100 दिन के अन्दर महंगाई को कम करने का जो वायदा किया था उसने 90 दिन के अन्दर ही पेट्रोल, रेल भाड़ा बढ़ाने से काफी जीवन के आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए हैं। यह सरकार सिर्फ नारा लगाना ही जानती है लेकिन उस पर अमल करना नहीं जानती। यह सरकार गरीबों, सामान्य जनों और मजदूरों का दुःख नहीं जानती है परन्तु उनका शोषण करना अच्छी तरह से जानती है और यह सरकार सिर्फ अमीरों को ही सुविधा देना जानती है। गरीबों को नये-नये करों और महंगाई से दबाना जानती है।

आज ही मैंने समाचार-पत्र में पढ़ा कि सरकार को आई० एम० एफ० से लोन स्वीकृत हो गया है। यह सरकार विदेश से ऋण लेकर बड़े गर्व से कहती है कि हम देश चलाते हैं। सरकार द्वारा अनावश्यक खर्च किए जाने से हमारे ऊपर 90 हजार करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है जो सरकार ने मारुति उद्योग लिमिटेड के लिए अभी तक 764.36 मिलियन डालर की विदेशी मुद्रा खर्च की है और मारुति उद्योग से हमें 103.50 मिलियन डालर की प्राप्ति हुई है। 1000 मारुति, जिसका हिन्दुस्तान में 10 हजार व्यक्तियों में से एक व्यक्ति उपयोग करता है उस मारुति मोटर पर तो 1200 से ज्यादा करोड़ रुपयों के ऊपर हमारी विदेशी मुद्रा खर्च की है उससे हमें 50 करोड़ भी प्राप्त नहीं हुए हैं और बहुत सी बिलासिता की चीजों के ऊपर हमारी सरकार ने करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च की हुई है। हमारे मुम्बई में जो आई० डी० बी० के बैंक हैं (इण्डस्ट्रीयल डेवेलपमेंट बैंक आफ इण्डिया) उसकी ईमारत बनाने में 41 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है जिसमें से 34.85 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं।

सरकार द्वारा पेट्रोल और रेलवे भाड़े के दाम बढ़ाने से हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में महंगी वस्तुएं लेकर कैसे ठहर सकते हैं ? निर्यात नीति को उदार बनाने वाले वित्त मन्त्री क्या बता सकते हैं ? हमारे यहां लघु उद्योगों पर जो देश का 50 प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन होता है, वहां मुझे वित्त मन्त्री जी को बताना है कि उसके लिए जो ब्याज दिया जाता है वह कम और एक समान होना चाहिए। हमारे यहां वित्त मन्त्री जी इटली, कोरिया आदि का उदाहरण पेश करते हैं जबकि कोरिया में 11 प्रतिशत और इटली में 9 प्रतिशत ब्याज की दर है और महाराष्ट्र में साढ़े उन्नीस से लेकर 30 प्रतिशत तक ब्याज की दर दिया जाता है। इसके कारण महाराष्ट्र में 50 प्रतिशत से अधिक लघु उद्योग बन्द होने की स्थिति में आ गए हैं। जो महंगाई भत्ता कर्मचारियों को दिया जाता है वह महंगाई का भार सहने के लिए दिया जाता है लेकिन सरकार महंगाई भत्ते के ऊपर भी टैक्स लगाती है जो कर्मचारी की आय नहीं होती, इसलिए सरकार एक हाथ से देती है और दूसरे हाथ से छीन लेती है। विदेशों में जब महंगाई बढ़ती है तो साथ-साथ उसकी आयकर की सीमा भी बढ़ जाती है।

इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि आयकर की सीमा 3600 हजार तक बढ़ायी जाए और जो महंगाई भत्ता दिया जाता है उसका 50 प्रतिशत कर्मचारी के मूल वेतन में जोड़ा जाए, जिससे सेवानिवृत्ति के समय उसको मिलने वाले पैसे में, जैसे पेंशन में लाभ हो सके। कर्मचारी और

अन्य लोग अपनी आय पर आयकर देकर जो पैसा जोड़ते हैं और फिर बैंक में जमा करते हैं तो उस जमा धनराशि पर मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स लगाया जाता है। यह बड़ी निन्दा की बात है। इस तरह से करदाताओं को कई-कई बार टैक्स देना पड़ता है। इसी तरह से बचत करने वालों को भी सरकार निरुत्साहित कर रही है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि बचत को बढ़ावा दिया जा सके।

सभापति महोदय, जो लोग रिटर्न भरते हैं, उनका जो रिफण्ड होता है, उस पर पहले 2 परसेंट प्रतिमाह की दर से ब्याज दिया जाता था, अब घटाकर डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह कर दिया गया है। इसको फिर से 2 प्रतिशत प्रतिमाह किया जाना चाहिए। इसी तरह से पहले रिटर्न फाइल करने के बाद उसका निपटारा करने की अवधि 6 माह निश्चित की गई थी, लेकिन अब उस अवधि को बढ़ा कर 12 महीने कर दिया गया है। इस तरह से लगता है कि सरकार ब्यूरोक्रेसी के आगे झुक गई है। क्या सरकार का यही कार्यकुशलता बढ़ाने का तरीका है? इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। कन्फ्यूशियस ने कहा है, "कानून बनाइए परन्तु बहुत कम ताकि आप भली-भांति ढंग से शासन कर सकें।"

सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में जो कोआपरेटिव बैंक्स हैं, ये ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय हैं, क्योंकि इनकी शर्तें कम और आसान होती हैं। इनकी शाखाएं खोलने के लिए रिजर्व बैंक 5 वर्ष के बाद अनुमति देता है, इस अवधि को, घटाकर एक वर्ष करना चाहिए। जो बैंक एफीशिएंट हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए यह कार्य बहुत आवश्यक है। इसी तरह से कोआपरेटिव बैंक्स के मुनाफे पर सरकार ने 3 प्रतिशत चार्जेज लगाए गए हैं। मेरा अनुरोध है कि इन चार्जेज को रद्द किया जाए, ताकि कोआपरेटिव बैंक्स को प्रोत्साहन मिल सके।

सभापति महोदय, एक और बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुम्बई से केन्द्र सरकार को 8000 करोड़ सालाना से ज्यादा राजस्व मिलता है, लेकिन शहर की सुविधा के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। वहां की झोपड़-पट्टियों के लिए, सड़कों के लिए, स्कूलों के लिए अस्पतालों के लिए और अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार खर्च नहीं कर रही है। कितने ही लोग बम्बई में प्रतिवर्ष बाहर से आ जाते हैं, इनकी सुविधाओं की पूर्ति वहां की सरकार नहीं कर पा रही है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो राजस्व वहां से प्राप्त होता है 8000 करोड़ रुपया, उसका कम से कम 10 प्रतिशत मुम्बई शहर के विकास के लिए, यानी 800 करोड़ रुपया अवश्य खर्च करना चाहिए।

कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुसार 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 1982 से बम्बई की अनेक मिलें बन्द हैं, इनको एन० टी० सी० चलाना नहीं चाहती है, जिसकी वजह से हजारों मजदूर बेकार हो गए हैं। मेरा अनुरोध है कि इन बन्द मिलों को कोआपरेटिव बेसिस पर चलाने की अनुमति दीजिए और इनको आर्थिक सहायता दीजिए।

बी० सी० सी० आई० की मुम्बई शाखा रिजर्व बैंक के लायसेंस पर खुली और अब तक रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में यही कहा कि बैंक अच्छा काम कर रहा है। अब लन्दन में इस बैंक के घोटाले का पता चला और उसके कारोबार पर रोक लगा दी गई है। अतः रिजर्व बैंक को चाहिए कि बी० सी० सी० आई० मुम्बई शाखा में जिन लोगों की धनराशि जमा है, उनको वह राशि लौटाने का प्रबन्ध करे। इसी तरह से इस बैंक में सैकड़ों भारतीय कर्मचारी कार्यरत हैं। क्या सरकार ने

[श्री मोहन विष्णु रावले]

उनके परिवार के बारे में भी कुछ सोचा है ? वे अपने परिवारों का पालन-पोषण कैसे कर रहे हैं ? सरकार को चाहिए कि उनको अन्य बैंकों में लगाने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि इस बैंक के दोबारा चलने की कोई उम्मीद नहीं है।

सरकार डेयरी उद्योग को विदेशी कम्पनियों को सौंपने जा रही है। यहां पर पहले ही दूध की कमी है और विदेशी कम्पनियों को यह काम देकर दूध का संकट पैदा होने की संभावना बढ़ जाएगी। फिर हमें दूध का भी आयात करना पड़ सकता है। हिन्दुस्तान लीवर, पोंड्स इण्डिया, प्रोटक्टर और गैम्बल, ये उत्पादन तो कुछ करते हैं और निर्यात कुछ और करते हैं। इस तरह से व्यापार करके ये कम्पनियां व्यापार प्रोत्साहन प्राप्त करती हैं। इन सारी चीजों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे वित्त मन्त्री जी 2 बिलियन डालर के लिए भारत में जापानियों को टाउनशिप की स्थापना करने की अनुमति देना चाहते हैं। वे यहां पर जिस प्रकार चाहे रह सकते हैं, स्कूल, रेस्टोरेंट और सांस्कृतिक केन्द्र खोल सकते हैं। वास्तव में इस तरह का काम अपनी मातृभूमि को विदेशियों के हाथ बेच देने जैसा है। सोना बेचने के बाद अब विदेशों को जमीन बेची जा रही है। इस जमीन को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए लाखों लोगों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। इस बारे में सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, सरकार ने एक्सपोर्ट के बारे में अपनी नई नीति की घोषणा की है और बहुत से प्रोत्साहन दिए गए हैं। मेरा निवेदन है कि एम० आर० टी० पी०, फेरा, सी० सी० आई० (कन्ट्रोल एण्ड केपीटल इशू) आदि में संशोधन करने के लिए सरकार शीघ्र बिल लाए और इनमें सुधार करे।

सभापति महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक-दो प्वांइट मुझे बोलने है। आज विदेशी पूंजी की लागत को न्योता देने की नौबत इसलिए आयी हैं कि देश में बचत की मात्रा आवश्यकता से कम है। बचत कम होने की प्रमुख वजह है सरकार द्वारा अपनाई गई मुद्रा-स्फीति को बढ़ावा देने वाली नीतियां। मुद्रा-स्फीति के कारण बचत का वास्तविक मूल्य घटता है और आम लोगों में बचत करने की बजाए वर्तमान काल में पैसे का उपभोग करने की मनोभूमिका पैदा होती है।

सभापति महोदय : देखिए, आप समाप्त कीजिए और लोगों को भी बोलना है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : जब आपने इस विषय की चर्चा को पूरा करने के लिए यदि आवश्यक हुआ, तो पूरी रात बैठने का निश्चय किया है तो फिर कटौती क्यों ?

सभापति महोदय : हमने निश्चय किया है कि हम अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर देंगे परन्तु समय का भी ध्यान रखना है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : समय का दबाव है, कल सुबह वित्त मन्त्री महोदय जवाब देंगे।

सभापति महोदय : प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्यों का भाषण सुनना चाहता है। इसलिए सभी सदस्यों के लिए समय की विवशता है।

[हिन्दी]

श्री मोहन विष्णु रावले : दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। आयकर के संबंध में बहुत समस्याएं रहती हैं। जिनकी वजह से सरकार की कर रूपी आय अनुमानित राशि से कम रहती है। अगर आयकर की मात्रा, रेट ऑफ इनकम टैक्स घटायी जाए तो कर चोरी समाप्त होगी। आय कर की बहुत बड़ी राशि बड़े-बड़े उद्योगपतियों पर बकाया है और हर वर्ष इसमें वृद्धि होती जा रही है। हर वर्ष टैक्स की एक बड़ी राशि बट्टे खाते में डाल दी जाती है। सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि आयकर और अन्य करों की बकाया चली आ रही राशि शीघ्र वसूल हो सके। सरकार यदि आयकर की मात्रा को घटाती है पाकिस्तान की तरह 45 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत करती है तो शायद करदाता कर देने के लिए आगे आ सकते हैं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और इस बजट का शिव सेना पक्ष की तरफ से विरोध करता हूं।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, बजट और वित्त विधेयक जो बजट का मुख्य साधन है, पर बोलना उतना ही कठिन है जितना वित्त मन्त्री महोदय के लिए बजट और वित्त विधेयक तैयार करना।

विगत में बजट सन्तुलित करना और किसी प्रकार का अन्तर न छोड़ना, चाहे वह बजट संबंधी हो, अथवा राजस्व, वित्तीय और किसी प्रकार का क्यों न हो, कठिन बात थी परन्तु मैं यह नहीं जानता कि भारतीय बजट बनाने वालों का क्या उद्देश्य था। परन्तु अब अन्तर इतना बढ़ता जा रहा है कि भुगतान सन्तुलन की समस्या पैदा हो गई है और विदेशी मुद्रा का संकट पैदा हो गया है इसका देश की अर्थव्यवस्था पर तेजी से प्रभाव पड़ा है। जिस कार्य को पहले आसान समझा जाता है वह आज भारतीय बाजीगरी के समान हो गया है जिसमें बिना किसी संसाधन के उपलब्धि प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। इस देश में केवल जातीय, भाषायी और सांस्कृतिक विविधता ही नहीं है बल्कि सामाजिक विचारधारा तथा आर्थिक दृष्टिकोण में भी विविधता है इसकी राजनैतिक विचार-धारा के नाम से क्या फर्क पड़ता है। जनता को सन्तुष्ट करना असम्भव है। सबसे पहले यह बात जानना असम्भव है कि जनता को सन्तुष्ट करने के लिए क्या किया जाए। सर्वप्रथम हमें सामाजिक-न्याय और समानता की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। दूसरे, हमें एक कार्य अर्थात सामाजिक-न्याय देने की आवश्यकता को गम्भीरता और ईमानदारी से पूरा करना चाहिए, औद्योगिक विकास के लिए आपके पास बिल्कुल धन नहीं है ? इसलिए इसे सन्तुलित किया जाए। हमें आयात को कम करने और निर्यात को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए। परन्तु इस प्रक्रिया में क्या होगा ? सरकार कुछ समय से इसके लिए प्रयास कर रही है। परन्तु एक रिपोर्ट के, जो हास्यस्पद है और जिसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने स्वयं प्रायोजित किया है, के अनुसार इस प्रक्रिया में भारतीय व्यापारियों ने 8 वर्षों अर्थात् 1980-81 से लेकर 1988-89 तक की अवधि के दौरान 28 बिलियन अमेरीकी डालर की राशि जमा कर रखी है। ये आंकड़े वास्तव में चौंकाने वाले हैं। उन्होंने यह राशि निर्यात के कम बीजक और आयात के अधिक बीजक बनाकर आमतौर पर की जाने वाली चालाकी के द्वारा जमा की है। इस तरीके से लोगों ने विदेशों में धन जमा कर रखा है। वे विदेशों में क्यों गए थे ? क्या आयकर अथवा किसी अन्य उद्देश्य से वे बाहर गए थे ? यदि इसका कोई अन्य उद्देश्य है तो ये रियायतें, जो वित्त मन्त्री महोदय ने इस बजट में दी हैं, उन्हें देश में धन वापस लाने के लिए प्रेरित नहीं करेंगी। इस पर विचार किया जाना चाहिए। यह एक नीति संबंधी निर्णय है

[श्री अमल दत्त]

जिसे धन, जो भारतीयों ने विदेशों में जमा कर रखा है, वापस लाने के लिए लिया गया है। परन्तु यदि इसका उद्देश्य डालर के बढ़े हुए मूल्य और रुपये के अवमूल्यन का लाभ उठाने का है तो वे आसानी से उस धन को वापस नहीं लायेंगे। केवल एक ही तरीका है कि अनिवासी भारतीयों से भारत के बैंकों में धन जमा कराया जाए। मैं यह नहीं जानता कि वित्तीय और बैंकिंग तरीके उनको धन वापस लाने तथा बाहर ले जाने के लिए कितना प्रेरित करेंगे। वे उस धन को बाहर कहां ले जायेंगे जबकि वे वास्तव में विदेश में नहीं रह रहे हैं बल्कि भारत में ही रह रहे हैं ? उनके लिए सभी दरवाजे बन्द हैं।

महोदय, ऐसी अनेक कठिनाइयां हैं जिनका वित्त मन्त्री महोदय ने स्पष्ट रूप से सामना किया है···किसी उपाय को लेकर और यह कहकर, कि उन्होंने इसमें यह गलती की है, आलोचना करना आसान है। परन्तु यह कहना कठिन है कि वह क्या करें। उदाहरणार्थ उन्होंने एक कर लगाया है—हम किसी अन्य उपाय के बजाए इससे अधिक परेशान हुए हैं—उन्होंने उन रेस्टोरेंटों में, जिनमें दो शौचालय, एक टेलीविजन जैसी अन्य सुविधाएं हैं, लोगों के भोजन पर 15 प्रतिशत का खर्च कर लगा दिया है तथा गैर-वातानुकूलित ··(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : उन्होंने यह कहा है कि केवल वातानुकूलित रेस्टोरेंटों पर कर लगाया गया है। उन्होंने इसका सरलीकरण कर दिया है···(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : महोदय, चूंकि विदेशी मुद्रा समूचे देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग बन गई है इसलिए यह आवश्यक है कि हम विदेशी मुद्रा बजट तैयार करें। ऐसी इस देश की स्थिति किस प्रकार हुई जिसमें मेरे विचार से पिछले वर्ष अथवा पिछले वर्ष से एक वर्ष पहले देश पर 60 बिलियन डालर का कर्ज हो गया। पांच वर्षों की अवधि में इतना कर्ज हो गया है। 20-30 वर्ष पहले की अवधि की तुलना में इसमें अचानक वृद्धि हुई है। क्या यह कर्ज अभी भी बढ़ रहा है ? यह कितना बढ़ रहा है ? विदेशी मुद्रा के संकट के लिए कौन-कौन से कारक जिम्मेदार हैं ? इस संबंध में अनेक मत हैं। बहुत से लोग इस तथ्य का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब अथवा एक वर्ष पहले राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के समय में ऐसा ही संकट पैदा हुआ था। यह मालूम होना चाहिए कि देश इस बात का पता लगा सकता है कि वे कौन-सी नीतियां हैं जिन्होंने उसके लिए घोर संकट पैदा कर दिया है। मेरा वित्त मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह सभा में यह आश्वासन दें कि वह अपने जवाब के दौरान हमारे समक्ष विदेशी मुद्रा बजट की जानकारी देंगे और इस संबंध में श्वेत पत्र जारी करेंगे कि विदेशी मुद्रा का संकट किस प्रकार पैदा हुआ। हमारा यह सब कुछ जानने का अधिकार है। मेरे विचार से विदेशी मुद्रा का अभाव पिछले वर्ष अक्टूबर में हुआ था। अक्टूबर में क्या घटना घटी थी ? इससे पहले इराक का संकट पैदा हो गया जिसके कारण पेट्रोलियम के मूल्य में वृद्धि हो गई। उस समय हम यह जानते थे कि मध्य एशिया में कार्यरत भारतीय श्रमिकों को भेजी जाने वाली 3,000 करोड़ रुपए की वार्षिक राशि रोक दी जाएगी। मैं यह नहीं जानता कि ये आंकड़े सच हैं अथवा नहीं। परन्तु उस समय तत्काल इसके लिए उपाय करना सरकार के लिए असम्भव था। हमें यह जानना चाहिए कि पेट्रोलियम के मूल्यों पर इराक संकट का कितना प्रभाव पड़ा और भेजी जाने वाली राशि को रोकने से विदेशी मुद्रा का संकट पैदा हो गया। अब हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण मांगा है और उनकी शर्तें स्वीकार की हैं। हम उनकी शर्तों के आगे पहले से झुक गए हैं। जनता ने इन शर्तों पर आपत्ति की थी। परन्तु भिखारी को पसंद करने का अधिकार······ (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री अमल दत्त, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हमने पहले ही पांच मिनट का समय बढ़ा दिया है। कृपया अपना भाषण समाप्त करने का प्रयास कीजिए।

श्री अमल दत्त : इस संबंध में राजस्व को विशेषतः प्रत्यक्ष करों द्वारा बढ़ाना बड़ा कठिन है इसलिए अप्रत्यक्ष करों पर हमेशा दबाव रहता है। हम इस बात को जानते हैं। क्या सरकार यह स्पष्ट करने का प्रयास करेगी कि जनता कर क्यों नहीं देना चाहती है? क्या लोग करों का भुगतान नहीं करेंगे? यदि सरकार व्यापारियों और व्यवसाय करने वाले लोगों की सहायता करेगी तो वे करों का भुगतान करने के लिए कम अनिच्छुक होंगे। सरकार व्यापारियों और व्यवसाय करने वाले लोगों की आवश्यकताओं 'पर ध्यान नहीं' दे रही हैं। एक तरफ सरकार व्यापार, ट्रेड और उद्योग विकास में केवल सभी प्रकार की बाधाएं ही उत्पन्न नहीं कर रही है बल्कि उनके प्रतिदिन के कार्यों में भी बाधा डाल रही है। सरकार पूंजी लाभ कर लगाते समय मुद्रा-स्फीति को ध्यान में नहीं रखती है। यह मुद्रा के मूल्य में गिरावट को ध्यान में रखे बिना हाल के विगत वर्ष को आधार वर्ष मानने के बजाए बहुत पहले के वर्ष जैसे 1974 अथवा 1984 को आधार वर्ष मानती है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अमल दत्त : इस प्रकार सरकार इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है कि किसी विशेष कर का जनता पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए सरकार का अपना तन्त्र ही चुस्त नहीं है।

मुझे लोक लेखा समिति में नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर इस तथ्य की जांच करने का अवसर मिला है कि आगामी कर निर्धारण वर्ष में गिरावट के कारण 1985-86 के वित्तीय वर्ष में प्रत्यक्ष करों के संग्रह में 1200 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। उस समय सरसरी तौर पर कर निर्धारण की गुंजाइश केवल 1 लाख रुपए थी।

[अनुवाद]

इस कारण आयकर की वसूली में केवल एक वर्ष में 1200 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई जबकि सरसरी तौर पर कर-निर्धारण की गुन्जाइश काफी कम थी। इस पर भी सरसरी तौर पर कर-निर्धारण लागू करने के पहले या दूसरे वर्ष घाटे की धनराशि इतनी थी। लोक लेखा समिति ने सरसरी तौर पर कर-निर्धारण के विरुद्ध एक रिपोर्ट दी थी फिर भी सरकार ने बिना विचार किए न केवल सरसरी तौर पर कर-निर्धारण कराया बल्कि इसकी गुंजाइश बढ़ा दी है। इसलिए राजस्व का घाटा पहले की तुलना में पचास प्रतिशत या सौ प्रतिशत तक बढ़ गया है। वित्त मन्त्री के राजस्व संग्रह के सारे प्रयासों से कुल 3000 करोड़ रुपए बढ़े हैं और केन्द्रीय सरकार के 2000 करोड़ रुपये बढ़े हैं।

सभापति महोदय : कृपया अब बस कीजिए। आपको अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करना चाहिए। लगभग 19 लोग सूची में शामिल हैं।

श्री अमल दत्त : महोदय, मैं आठ या नौ मिनट से अधिक नहीं बोला होऊंगा।

सभापति महोदय : आप पन्द्रह मिनट तक बोल चुके है और अन्य लोगों को भी बोलना है।

श्री अमल दत्त : मैं पन्द्रह मिनट तक नहीं बोला हूं।

सभापति महोदय : आप अध्यक्षपीठ से तर्क मत कीजिए। मेरे पास भी घड़ी है। अन्यथा मैं औरों को समय कैसे दे सकता हूं।

श्री अमल दत्त : मैं केवल दो बड़े वाक्यों में अपनी बात समाप्त करूंगा।

महोदय, इस तथ्य के बावजूद कि सरकार से यह बात कई बार कही गई है, उन्होंने उस सरसरी तौर पर कर-निर्धारण को हटाने पर ध्यान नहीं दिया जिसकी लोक लेखा समिति ने वर्ष 1989-90 में सिफारिश की थी। यद्यपि वास्तव में लोक लेखा समिति ने रिपोर्ट का प्रारूप उस समय बनाया था जब उसका सभापति मैं था, और लोक लेखा समिति ने इसे दूसरे साल प्रस्तुत किया जब इस पर कांग्रेस का प्रभुत्व था और कोई विरोध पक्ष नहीं था। तब भी उन्होंने यह सिफारिश की थी कि सरसरी तौर पर कर-निर्धारण को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यदि उस पर ध्यान दिया जाए तो 2000 करोड़ रुपये का यह अतिरिक्त धन किसी तरह सरकार के पास आ जाएगा। वित्त मन्त्री—जो यहां 20 करोड़ रुपये और 90 करोड़ रुपये—कर वृद्धि करने की जो कवायद कर रहे हैं वह करने की आवश्यकता नहीं होगी।

भारतीयों द्वारा कर भुगतान न करने का दूसरा कारण है कि वास्तव में इसके लिए कोई दण्ड नहीं है। वे व्यापारी जो 1 या 2 करोड़ रुपये की कर-अपवंचना करते हैं उन्हें ही वर्षों बाद दण्ड का भुगतान करना होता है। लेकिन दूसरे देशों में क्या होता है? दूसरे देशों में लोगों को सीधे जेल में डाल दिया जाता है। वह यहां क्यों नहीं होता? यदि ऐसा होता है तो करापवंचन की जानकारी के 12 से 14 वर्ष बाद मुकदमा शुरू होता है···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आपने कहा कि दो वाक्यों में आप अपनी बात समाप्त कर देंगे।

श्री अमल दत्त : ठीक है श्रीमान जी, अब मैं और नहीं बोलूंगा। इससे ज्ञात होता है कि आप कर वसूली में रुचि नहीं रखते।

डा० वसन्त निवृत्ती पवार (नासिक) : महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। हमारे मित्र श्री इन्द्रजीत ने कहा है कि 5 सितम्बर को गिलोटिन होने के कारण बहुत से मन्त्रालयों पर चर्चा नहीं हो पाई। इसलिए मैंने मानव संसाधन विकास मन्त्रालय पर बोलने का निश्चय किया है। मानव संसाधन विकास मन्त्रालय पर कुल केवल 4.9 प्रतिशत व्यय होता है। पहली पंचवर्षीय योजना में यह राष्ट्रीय राजस्व का 6 प्रतिशत था। समय आने पर इसमें वृद्धि होनी चाहिए।

भारत की शिक्षा की स्थिति यह है कि केवल 51 प्रतिशत महिलायें शिक्षित तथा शेष अशिक्षित हैं। प्राथमिक छात्र लगभग 85 प्रतिशत हैं लेकिन प्राथमिक शिक्षा पर कुल 40 प्रतिशत व्यय होता है। इसके मुकाबले उच्चतर शिक्षा के कुल 15 प्रतिशत छात्र हैं जबकि उन पर लगभग 60 प्रतिशत व्यय होता है। लगभग 50 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों के पास न तो कोई भवन है और न कोई उपकरण। 64 प्रतिशत विद्यालयों में केवल एक शिक्षक है। मेरा सुझाव है कि चट्टोपाध्याय समिति की रिपोर्ट शीघ्र क्रियान्वित की जाए जिससे कि हम संविधान में लोगों को दिए गए प्राथमिक शिक्षा के आश्वासन को पूरा कर सकें।

प्राथमिक शिक्षकों का उत्तरदायित्व खतरे में है और कोई भी प्राथमिक शिक्षक शिक्षा में रुचि नहीं लेता। ऐसा इसलिए है कि वह शिक्षा के क्षेत्र में आने को तैयार नहीं है और यह इसका प्राथमिक इरादा नहीं है। क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प नहीं है इसलिए वह शिक्षा के क्षेत्र में आ रहा है और इसी कारण शिक्षा को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध नगर निगम अथवा जिला परिषद द्वारा किया जाता है। शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। शिक्षा संस्थाओं की जोरदार मांग है कि प्राथमिक शिक्षा का गैर-सरकारीकरण किया जाना चाहिए जिससे कि प्राथमिक शिक्षा का स्तर सुधर सके। "आप्रेशन ब्लैक बोर्ड" को भी कम कर दिया गया है। उसमें प्रावधान है कि राज्य सरकारें…

सभापति महोदय : डा० पवार आपको वित्त विधेयक पर बोलना है।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नाण्डीज (मुजफ्फरपुर) : वित्त विधेयक के अन्तर्गत किसी भी विषय पर चर्चा हो सकती है।

डा० वसन्त निवृत्ती पंवार : महोदय, यह सबसे महत्वपूर्ण मन्त्रालय है। मैंने अभी कहा है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। चूंकि इस पर चर्चा बन्द हो गई थी, इसलिए मैंने अभी इस पर चर्चा प्रारम्भ की है। यदि हमें वित्त विधेयक पर बात करनी है तो हमें यह कहना है कि छात्रों से लिया जाने वाला शिक्षण शुल्क बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि इसकी योजना काफी पहले बनी थी। यहां तक मेडिकल कालेजों में लिया जाने वाला शुल्क जोकि 500-600 रुपया है—बहुत कम है और यदि यह ऐसे ही चलता रहा तो सरकार को बहुत घाटा होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, मेडिकल शिक्षा और सरकारी विद्यालयों में अन्य सभी व्यावसायिक तथा अन्य प्रकार की शिक्षाओं का शुल्क यदि लागत के अनुरूप नहीं तो कुछ अवश्य बढ़ाना चाहिए।

मैं यह भी सुझाव दूंगा कि आयकर से छूट की सीमा बढ़ायी जानी चाहिए। मैं माननीय वित्त मन्त्री से वर्तमान सीमा को बढ़ाने का अनुरोध करता हूं क्योंकि रुपए का अवमूल्यन हुआ है तथा कर में पहले से ही वृद्धि हो रही है। इसलिए मैं इनसे लोगों को आय कर का लाभ देने का अनुरोध करता हूं।

मैं माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह उर्वरक सब्सिडी पर पुनर्विचार करें। उर्वरक सब्सिडी पर दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। केवल एक नीति होनी चाहिए। अन्यथा काला-बाजारी बढ़ेगी। इस समय किसानों की समस्या यह है कि उर्वरक की मांग है और उर्वरकों का मूल्य बहुत बढ़ गया है। कृषि मन्त्री ने नीति की घोषणा करते समय यह वादा किया था कि वह इस पर विचार करेंगे जिससे कि सीमान्त और छोटे किसानों को इसका लाभ मिल सके। लेकिन उस मंत्रालय से कुछ नहीं मिला। मैं माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह उस पक्ष पर ध्यान दें और बड़ी संख्या में किसानों को जो कि असंगठित हैं लाभ दें। यदि किसान संगठित हो जायें तो वह पूरे राष्ट्र को हिला सकते हैं। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि किसान संगठित नहीं हो रहे हैं। मैं माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले पर ध्यान दें।

जैसा कि मैंने पहले कहा यही समस्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। आम अस्पतालों में जो शुल्क लिया जा रहा है वह उस पर हुए खर्च की तुलना में काफी कम है। हर अस्पताल घाटे में चल रहा है। मेरे विचार से आपको कुछ पंजीकरण शुल्क लगाने का प्रयास करना चाहिए। दवाओं और

[डा० वसन्त निबॅत्ति पंवार]

उपचार की अन्य लागतों को मुफ्त किया जाना चाहिए। लेकिन पंजीकरण शुल्क अधिक होना चाहिए जिससे कि अस्पतालों के आय और व्यय में एक प्रकार का सन्तुलन हो।

अन्त में, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे बहुत कुछ कहना था। लेकिन अध्यक्ष-पीठ के निदेशानुसार मैंने विषय बदल दिया है। मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं तथा मुझे यह अवसर देने के लिए अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : अब श्री काशीराम राणा बोल सकते हैं। उनके बोलने के पहले सदस्यों तथा प्रेस के फायदे के लिए एक घोषणा है। 8 बजे के बाद कक्ष संख्या 70 में रात्रिभोज की व्यवस्था की गई है। इसलिए जो लोग चाहें अपनी सुविधा के अनुसार वहां जाकर रात्रिभोजन कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या यह व्यवस्था मुफ्त में है ?

सभापति महोदय : हां, इसकी व्यवस्था संसदीय कार्य मन्त्री ने सदस्यों के लाभ के लिए की है।

(व्यवधान)

श्री याइमा सिंह युमनाम (भीतरी मणिपुर) : महोदय, मुझे आभास दिलाया गया था कि मुझे पहले बुलाया जायेगा। लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया। इसीलिए मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन किया था और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था। मुझे अब तक बोलने का अवसर नहीं दिया गया।

सभापति महोदय : मैं अभी देखता हूं क्योंकि पहले जो कुछ हुआ मुझे उसकी जानकारी नहीं है और मैं आपको उसी अनुसार बुलाऊंगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री काशी राम राणा (सूरत) : आदरणीय सभापति महोदय, वित्त मन्त्री जी ने जो वित्त विधेयक पेश किया है, उसका विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर मैं इसलिए विरोध कर रहा हूं कि मैं समझता था कि बजट के बारे में सारे देश में जो असंतोष फैला हुआ है और लोगों ने इसके प्रतिकूल अपनी राय सारे देश में जो प्रकट की थी, उसको ध्यान में रखते हुए, हमारे वित्त मंत्री बहुत सी रियायतें देने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब हाउस में उन्होंने अनाउंस किया तब मुझे लगा मान्यवर कि करीब 29 करोड़ रुपए की रियायत उन्होंने दी है। इसमें 20 करोड़ रुपए की रियायत तो ऐसी है जो सिर्फ फिल्म इन्डस्ट्री को ही दी है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि उन्होंने फिल्म इन्डस्ट्री को रियायत क्यों दी, अच्छा किया, लेकिन जो बाकी 9 करोड़ रुपए की रियायत दी है वह इस देश में फैले हुए 85 करोड़ लोगों के साथ एक मजाक है। इसलिए मैं वित्त मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि अभी भी पुनर्विचार करके रियायत देने की कोशिश करें क्योंकि यह एक सिलसिला चल पड़ा है, जब भी बजट में घाटा होता है, तो हम सिर्फ अपनी सोच से ही कह देते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम बढ़ा दो, केरोसीन के दाम बढ़ा लो, जो हमारे घर में हर रोज की इस्तेमाल की चीजें हैं, उनके दाम बढ़ाने की कोशिश हर वित्त मंत्री करते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि हमें ऐसे रिसोर्सिस सोचने चाहिए कि जिनसे और ज्यादा कर बोझ लोगों के ऊपर न पड़े। अब वे अंतिम सीमा तक पहुंच गए हैं, बल्कि मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि अब

वे अन्तिम बिन्दु को भी क्रास कर गए हैं। इसलिए मैं तो यह गुजारिश करूंगा माननीय वित्त मंत्री जी से कि और कोई स्त्रोत पता लगाएं, रास्ता ढूढ़ें। चाहे वह उत्पादन बढ़ाकर करें, कुछ भी करें, लेकिन नया रास्ता ढूढ़ें। चाहे वह एग्रीकल्चर को बढ़ावा देकर करें, चाहे इन्डस्ट्रीज को बढ़ावा देकर करें, लेकिन अब पेट्रोलियम और रोजमर्रा की चीजों पर दाम बढ़ाने के स्त्रोत से कर इकट्ठा करने का काम समाप्त करें। इस समय स्थिति यह है कि जो भी हम पर टैक्स लाद दिया जाता है, उससे न तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ता है और न इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ता है।

सभापति महोदय, मैं एक फीगर देना चाहता हूं जो 1990-91 में बढ़ रहे उत्पादन के सम्बन्ध में है।

सभापति महोदय : राणा जी, आपके पास बोलने के लिए कुल मिलाकर 7 मिनट हैं।

श्री काशी राम राणा : सभापति महोदय, जो हमारा इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन था, वह इकनोमिक सर्वे के अनुसार 1988-89 में 8.7 था और 1990-91 में 8.4 था और हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन 1988-89 में 21 प्रतिशत था और कहां आ गए 1990-91 में 4.5 के ऊपर और हमारा जी०एन०पी० 10.6 था वहां से हम आ गए 5 पर। मान्यवर, मैं इसीलिए यह एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि हमारी जो अर्थ-नीति है वह देश को पीछे की ओर ले जा रही है। इसीलिए इस देश के करोड़ों लोग दुखी हैं।

सभापति महोदय, मुझे एक शेर याद आ रहा है जो इस प्रकार है :—

"ऐ जिन्दगी खुदा के लिए माफ कर दे
बैठी हुई यह मौत है मेरे इन्तजार में"

आज ऐसी परिस्थिति हो गई है कि कई लोगों को खाने को नहीं मिलता है। आज इस देश की अर्थ स्थिति क्या है। कल हमारे एक माननीय सदस्य ने बताया कि इनफलेशन रेट कितना है, जब से रुपए का डीवैलूएशन हुआ है तब से इनफलेशन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि शायद इस साल के अंत तक हमारा इनफलेशन रेट 16 प्रतिशत तक हो जाएगा और शायद इससे अवमूल्यन की स्थिति पैदा हो जाए। आज हमारा होलसेल प्राइस इनडैक्स क्या है। कांग्रेस मैनीफैस्टो में बताया था कि सौ दिन में हम-भाव कंट्रोल कर देंगे, जब हमारी सरकार बनेगी तो भाव को उसी स्थिति में ले जाएंगे। लेकिन बजट के बाद भाव बढ़ता गया। 1990-91 में कंज्यूमर प्राइस इनडैक्स 6.6 से 13.6 हो गया है, होलसेल प्राइस इनडैक्स 9.1 था 12.1 हो गया है। मैं कहना चाहता हूं कि जब भी बजट में डैफीसिट होता है तो उसे और तरीके से बांटना चाहिए। टैक्स का बोझ जो अनबीअरेबल होता जा रहा है उसको कम करना चाहिए।

वित्त मन्त्री ने सबसे पहले रियायत की बात की। रैस्टोरैंट पर उन्होंने जो क्राईटेरिया लगाया है वह बहुत बड़ी गलती है। मुझे नहीं लगता कि वित्त मंत्री ने स्वयं ऐसा किया है, किसी आफिसर ने उन्हें शायद बताया होगा। रैस्टोरैंट में यदि एयर-कंडीश्नर है तो उसके ऊपर उन्होंने 20 प्रतिशत टैक्स लगा दिया। यह जो क्राईटेरिया आपने रखा है यह करप्शन बढ़ाने के लिए है। एयर-कंडीश्नर के बजाए कोई एयर-कूलर भी कह सकता है। वित्त मन्त्री को यदि पैसा चाहिए तो फौरनर्स को जो 25-30 प्रतिशत कनसैशन देते हैं उसे कम कर देना चाहिए। इससे डेढ़-दो सौ करोड़ रुपए मिल सकते हैं। जो टैक्स आपने रैस्टोरैंट पर लगाया है एयर-कंडीश्नर पर वैसा टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है।

[श्री काशी राम राणा]

मैन मेड फाईबर पर 20 प्रतिशत + 5 रुपए पर स्क्वैर मीटर कपड़े के बजाए यार्न पर टैक्स लगाया जाए इसके बारे में नौवीं लोक सभा में फाईनैंस मिनिस्टिर श्री दण्डवते ने आश्वासन दिया था। इस बारे में आबिद हुसैन कमेटी ने भी सिफारिश की थी। कपड़े के बजाए यार्न मैनू-फैक्चरर से ऐडीशनल एक्साइज ड्यूटी ली जाएगी तो सरल होगा। पांच सौ करोड़ रुपए जो एक्साइज का मिलता है उसमें बहुत सारी चोरी होती है। टैक्स कलैक्ट करना है तो पांच सौ करोड़ के बजाए छः-सात सौ करोड़ रुपये वहां से ले सकते हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि हमें कपड़े की क्वालिटी बढ़ानी हैं, यदि करप्शन हटानी हैं, कम्पीटीशन में संसार के अन्य देशों के साथ चलना है तो जब तक ऐडीशनल एक्साइज ड्यूटी कपड़े के बजाए यार्न पर नहीं लगाएंगे तब तक क्वालिटी नहीं सुधरेगी। इसलिए जो भी टैक्स है उसे ख्याल में रखकर जरूर ऐसी रियायत दें, जिससे रोजगार बढ़े करप्शन घंटे और लोगों की सुविधा बढ़े।

मैं एक मुद्दा और उठाना चाहता हूं। आपने खाद में 30 परसेंट की सब्सिडी में कटौती डिक्लेयर की है। अमोनिया सल्फेट, कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट आदि जो 5-6 प्रकार की खाद हैं उसको डिकंट्रोल किया गया है। डिकंट्रोल होने की वजह से 60 परसेंट बहुत ज्यादा देना पड़ता है। जो थैली 86 रुपए में मिलती थी वह आज 140 रुपए में मिलती है। कोई किसान उसे लेने के लिए तैयार नहीं है। इस बारे में हमारे वित्त मंत्री जी अवश्य ही कुछ सोचें। इसके साथ-साथ छोटे और बड़े किसान में कोई फर्क नहीं करना चाहिए वरना करप्शन बढ़ेगा। जो इसका मैन्यूफैक्चर करते हैं वह भी उसको बंद करने जा रहे हैं जिससे आपको बहुत घाटा होने वाला है। आप जल्दी ही कुछ राहत हमारे किसानों को दें।

मैं जानता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी के दिल में इस देश के लाखों गरीबों के प्रति चाहत है और दर्द है। मैंने जो यह 2-4 बातें बतायी हैं ट्रांसफर आफ ड्यूटी के बारे में, खाद के बारे में और रेस्टां के बारे में, उन पर आप अवश्य ही विचार करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय : मैं जब बैल बजाता हूं तो कुछ माननीय सदस्यों को ठीक नहीं लगता होगा लेकिन 17 लोगों के नाम यहां अभी लिखे हुए हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : 12 बजे तक हाउस चलाइए।

सभापति महोदय : तो भी समय की मर्यादा उसमें रखनी होगी। चाहे तो दस मिनट कर दीजिए।

[अनुवाद]

श्री के० पी० रेड्डंय्या यादव : बहुत सी अनुदान की मांगों पर चर्चा नहीं की गई थी। कम से कम वित्त विधेयक पर सदन के संतोष तक अवश्य चर्चा होनी चाहिए।

सभापति महोदय : मैं मानता हूं कि कोई विशेष बात कहने के दस मिनट का समय पर्याप्त होगा।

[हिन्दी]

श्री श्रीपाल सिंह यादव : यहां पर पक्षपात इतना हो रहा है कि यही देश को लेकर डूब

रहा है। हमने आपको सबसे पहले नाम दिया है और हमारे व्हिप से रिकमेंड होकर गया है।··· (व्यवधान)···

सभापति महोदय : चेयरमैन के साथ ऐसी बहस करना अच्छा नहीं होता है।

श्री श्रीपाल सिंह यादव : चेयरमैन साहब को भी ध्यान रखना चाहिए।

सभापति महोदय : आपके साथ न्याय होगा। आपका नाम जिस प्रकार से होगा उसी प्रकार से रहेगा।

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक का विरोध करता हूं। मैं इस विधेयक का विरोध करने का औचित्य बयान करना चाहूंगा।

मैं इस सभा के कुछ नेताओं द्वारा राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने का समर्थन करने से उत्प्रेरित हुआ हूं। मैंने इस बात को राष्ट्रीय मोर्चा और वामपंथी दलों द्वारा प्रकाशित लगभग सभी घोषणा पत्रों में पाया है। इनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। अतः मैं उनका समर्थन करना चाहता हूं। राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने का समर्थन करते हुए मैं राज्यों को और अधिक वित्तीय स्वायत्तता देने की हिमायत भी करता हूं। मैंने देखा है तथा समाचार पत्रों में पढ़ा है कि उड़ीसा के मुख्य मंत्री श्री बीजू पटनायक केन्द्रीय सरकार से राज्यों को अधिक स्वायत्तता, वित्तीय स्वायत्तता देने का आग्रह कर रहे हैं यदि इस संबंध में कोई आन्दोलन भी आरम्भ किया गया तो मैं उनका साथ दूंगा।

महोदय, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे कुछ छोटे राज्य भी हैं। निःसन्देह कुछ अन्य राज्य भी हैं, वे बहुत छोटे राज्य हैं, उनकी कोई घरेलू आय नहीं हैं, उन्हें समग्र अनुदानों, अंशदानों अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण के रूप में भी दी गई अन्य सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। साथ ही साथ यह राज्य राज्यों जैसा तंत्र भी बरकरार रखे हुए हैं। वे राज्य विधान सभा, राज्यपाल का राजभवन, उच्च न्यायालयों की स्थाई खण्ड पीठों सहित उच्च न्यायालयों को भी सम्पोषित करते हैं। इन सबका रखरखाव बहुत मंहगा है। अतः मैं सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखना चाहूंगा कि राज्य सरकारों को धन-संसाधन का वितरण करने के लिए कोई फामूला बनाते समय आयकर, बिक्री कर इत्यादि जैसे केन्द्रीय करों के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा अर्जित आय—जो वास्तव में राज्यों में अर्जित की जाती है—का पुनर्निरीक्षण किया जाना चाहिए; राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके अनुपात तथा फामूला का पुनर्निरीक्षण किया जाना चाहिए। केन्द्र के लिए थोड़ा सा अनुपात नियत कर केन्द्रीय सरकार द्वारा अर्जित लगभग सभी कर राज्यों को दिए जाने चाहिएं ताकि राज्य अपना प्रशासन ठीक से चला सके। वर्ना होता यह है कि राज्यों को जो सहायता मिलती है, जो घरेलू कर वे जमा करते हैं और जो सहायता अनुदान वे केन्द्रीय सरकार से प्राप्त करते हैं वह सब राज्य सरकार द्वारा चलाए गए प्रतिष्ठानों जैसे वेतन के भुगतान इत्यादि पर व्यय हो जाता है। अत: विकास कार्यों के लिए बहुत कम धनराशि बचती है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इन सब विषयों पर विचार करने के लिए आकर्षित करना चाहूंगा।

अब मैं राज्यों की कानून तथा व्यवस्था की स्थिति पर कुछ कहना चाहूंगा। यहां मेरा अर्थ न केवल मणिपुर में विद्यमान कानून और व्यवस्था की स्थिति से है अपितु नागालैण्ड तथा असम की

[श्री याइमा सिंह युमनाम]

स्थिति से भी है। माननीय गृह मंत्री जी ने इस सदन में घोषणा की कि विद्रोहियों और आतंकवादियों की गतिविधियों के कारण असम, नागालैण्ड और मणिपुर के तीन राज्यों में अशान्ति है। इसलिए मणिपुर, नागालैण्ड तथा असम के कुछ भागों को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां के लोग कितने आक्रान्त होंगे। विद्रोहियों का सामना करने के लिए मैं यह प्रस्ताव करना चाहूंगा कि इस संबंध में सभी तीन राज्यों को समन्वित प्रयास करना चाहिए। मुख्य मन्त्रियों को एक समन्वय समिति गठित करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि असम जैसा अकेला राज्य स्थिति का मुकाबला नहीं कर सकता। श्री हितेश्वर सैकिया ने मणिपुर और नागालैण्ड के मुख्य मंत्रियों से परामर्श किए बिना ही अल्फा उग्रवादियों को आम माफी की घोषणा कर दी। अन्य राज्यों पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी ? उन्होने इस पहलू पर विचार नहीं किया। चूंकि मेरे पास बहुत कम समय है, मैं केवल कुछ मुद्दों तक सीमित रहूंगा। मैं वित्त मन्त्री जी के समक्ष यह प्रस्ताव रखना चाहूंगा कि सरकार को राज्यों के मुख्य मन्त्रियों अथवा गृह मंत्रियों को लेकर एक समन्वय समिति का गठन करने पर विचार करना चाहिए। एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाकर ही हम वहां की स्थिति से निपट सकते हैं।

आतंकवादी तथा विद्रोही आधुनिकतम हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं जबकि पुलिस अथवा अर्ध सैनिक बलों को ऐसे हथियार नहीं दिए गए हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे पुलिस बलों को आतंकवादियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले हथियारों से उत्तम कोटि के हथियार दिए जाने चाहिएं। एक और बात है। केन्द्रीय सरकार को मणिपुर से वहां के मुख्य मन्त्री से परामर्श किए बिना कुछ अर्ध सैनिक बलों को वापस बुला लेना चाहिए। वहां पर विद्रोहियों द्वारा पैदा की गई स्थिति का मुकाबला सरकार कैसे करेगी ? यह बात सभा तथा वित्त मंत्री, दोनों के ध्यान में लाई जा रही है। मणिपुर राज्य में इस समय यही स्थिति है। मैं कहना चाहूंगा कि सैन्य बलों को विशेष शक्तियां प्रदान करने वाले अधिनियम, 1958 जैसे क्रूर कानून को लागू करने के बदले सरकार के लिए यही अच्छा रहेगा कि इसे वापस ले लो और जो धनराशि वहां सेना की तैनाती पर व्यय की जाती उसे विकास कार्यों पर लगाया जाए। इससे समस्यायें बहुत हद तक दूर होंगी।

मणिपुर के युवा महसूस करते हैं कि उनके साथ विश्वासघात किया गया है क्योंकि उनकी भाषा—मैंने यह मामला सदन में भी उठाया था—को मान्यता भी नहीं दी गई है और देश के संविधान की आठवीं अनुसूची में भी शामिल नहीं किया गया है। वह बहुत आहत महसूस करते हैं। इसी कारण वश वे संतुष्ट नहीं हैं। मेरा विचार है कि यदि मणिपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए तो विद्रोही गतिविधियों से संबंधित 50 प्रतिशत समस्या हल हो सकती है।

अब मैं शिक्षा की बात करता हूं। सीमान्त राज्यों में शिक्षा का विकास करने की एक योजना है। इस समय यह योजना केवल जम्मू व कश्मीर तथा पंजाब के लिए सीमित है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड और असम इस योजना की परिधि से बाहर हैं। ऐसा क्यों है ? यह योजना सीमान्त राज्यों में शिक्षा के लिए बनाई गई है, मणिपुर, नागालैण्ड तथा असम के कुछ भागों पर भी उनके पिछड़ेपन के कारण कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने पिछड़ेपन से वशीभूत होकर ही वे ऐसे तरीके अपनाते हैं जो हमारे लिए अवांछनीय हैं, यदि हम उन्हें शिक्षित करेंगे तो वे मुख्यधारा में आ सकते हैं और देश के हितों की रक्षा कर सकते हैं। मैं दृढ़तापूर्वक कहना चाहता

हूं कि सीमांत राज्यों ने शिक्षा के विकास संबंधी कार्यक्रमों को हाथ में लेते हुए मणिपुर, नागालैंड, असम, मिजोरम, मेघालय जैसे क्षेत्रों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

मणिपुर को राज्य में पूर्ण मद्यनिषेध लागू करने का अनुभव है। सरकार ने मद्यनिषेध की घोषणा कर दी है। राज्य में पूर्ण मद्यनिषेध लागू है। किन्तु इससे लगभग तीन करोड़ रुपए की हानि होती है। हो सकता है मैं गलत होऊं और आप मेरी गलती सुधार सकते हैं। यह एक अच्छा कदम है और सभी लोग इसे समझते हैं, इसका उद्देश्य लोगों का कल्याण करना है, किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को और अधिक अनुदान देकर क्षतिपूर्ति करनी चाहिए।

मेरे पास समय बहुत कम है। इस क्षेत्र के बारे में कहने को बहुत कुछ है बहुत से मुद्दे हैं। किन्तु मैं केवल एक अन्तिम मुद्दे पर बोलूंगा।

इस सदन में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचारों के बारे में बहुत चर्चा हुई है। किन्तु मणिपुर इस मामले में एक अपवाद है। इस संबंध में मणिपुर एक आदर्श राज्य है। वहां ऐसी कोई घटना नहीं घटी जैसा कि देश में अन्यत्र होता है। वहां के लोग अनुसूचित जातियों की भावनाओं का आदर करते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। अतः इसे हमारे देश का आदर्श राज्य समझा जा सकता है।

अन्त में, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान छोटे राज्यों को अधिक धनराशि देने पर आकर्षित करना चाहूंगा ताकि उन्हें देश के अन्य विकसित राज्यों के समनुरूप लाया जा सके। धन्यवाद।

7.51 म० प०

(श्री पी० एम० सईद पीठासीन)

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय,···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : क्या आप जानते हैं कि आपको कितना समय दिया गया है ? आपको सात मिनट दिए गए हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : इसमें उदारता बरती जा सकती है और विशेषकर जबकि आप जैसे उदार व्यक्ति पीठासीन हों, तो हम बोलने को प्रेरित होते हैं।···(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री श्रीपाल सिंह यादव (सम्भल) : मैं सदन का भी बहिष्कार कर रहा हूं और खाते का भी बहिष्कार कर रहा हूं।

7.52 म०प०

(तत्पश्चात् श्री श्रीपाल सिंह यादव सभा भवन से बाहर चले गए)

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मुझे डर है कि इस समय का समायोजन मेरे समय के साथ किया जाएगा।···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया भाषण जारी रखें।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय मैं वर्ष 1991 के वित्त विधेयक संख्या 2 का समर्थन करता हूं। यदि आप वर्ष 1951-52 के बजट की तुलना इस वर्ष 1990-91 के बजट के साथ करेंगे तो पायेंगे कि गत चार दशकों में गुणात्मक वृद्धि हुई है जो आश्चर्यजनक है। लगभग 300 गुणा वृद्धि हुई है। किन्तु मुझे यह देखकर दुख होता है कि मांगों पर चर्चा करने, व्यय प्रस्तावों की छानबीन करने के लिए लोक सभा में नियत की जाने वाली समय सीमा शनैः शनैः घटती जा रही है। यह वास्तव में एक विरोधाभास है। व्यय में अत्यधिक वृद्धि हो रही है, किन्तु मांगों पर चर्चा करने के लिए सदन के पास समय की कमी होती रही है।

सत्र के दौरान भी दिनों तथा बैठकों की संख्या कम होती जा रही है। मुझे डर है कि मैं बैठकों की संख्या में वृद्धि करने का सुझाव नहीं रख सकता क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जब हम लोगों के बीच जाते हैं तो उनकी ओर से इस बारे में बहुत अधिक दबाव बना रहता है कि संसद सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों में उनके साथ हों। इसलिए मैं सदन में बैठकों की संख्या बढ़ाने का सुझाव नहीं दूंगा, किन्तु साथ ही साथ सभी व्यय प्रस्तावों की समुचित छानबीन के लिए कोई न कोई रास्ता निकालना ही होगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति समितियों को गठित करके की जा सकती है। संसदीय समितियों का गठन किया जाना चाहिए और इससे बचा नहीं जा सकता है। वरना हमारी संसदीय प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ेगी नहीं और न तो कोई जवाबदेही ही होगा और न ही कोई निगरानी। मैं समय की कमी के कारण इसके विस्तार में नहीं जा सकता।

अतः कम से कम मेरा यह सुझाव है कि प्रभावी ढंग से निगरानी रखने तथा सभी व्यय प्रस्तावों आदि पर चर्चा करने के लिए हमें इन समितियों को और विलम्ब किए बिना शीघ्र गठित कर लेना चाहिए··· (**व्यवधान**) ···इस संबंध में सभी तरफ से दबाव पड़ना चाहिए इस पर एक मत होना चाहिए।

आप जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का बड़ा महत्व है। हमारे देश की कृषि कुल मिलाकर मानसून के रुख पर निर्भर करती है। अतः ब्रिटिश समय से यही कहा जाता है कि भारतीय बजट मानसून का जुआ है। मेरे विचार से आज भी यही स्थिति है।

वित्तीय वर्ष बदलने संबंधी श्री चन्दूलाल चन्द्राकर के प्रस्ताव पर भी 3-4 वर्ष इसी सदन में वित्त विधेयक पर वाद-विवाद में भाग लेते हुए मैंने एक ठोस दलील दी थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष के मामले में क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु के मध्य तक, हमारी बजट प्रक्रिया पूरी हो जाती है। बजट पारित हो जाते हैं। जब तक इसका प्रभाव खेतों तक पहुंचता है मानसून आ जाता है। अतः नए वित्तीय वर्ष में वास्तविक विकास कार्य नवम्बर से पहले शुरू नहीं होता है। खेतों में विकास कार्य और क्रियान्वयन के लिए हमारे पास प्रभावी कार्य अवधि कितनी बचती है? यही 5 से 6 माह तक। क्या यह ठीक पद्धति है? क्या यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक है? अतः अपनी पूरी शक्ति के साथ मैं कहूंगा कि ब्रिटिश समय से हमारा बजट 1 अप्रैल से शुरु होता है। हम इसे क्यों रखें? हमें अपनी स्थिति का स्वयं आकलन करना चाहिए। अतः इसे इस प्रकार निश्चित किया जाना चाहिए। फसलों की स्थिति को देखते हुए बजट बनाना चाहिए। तब आपको मालूम होता हैं कि क्या होने वाला है, फसलों से कितनी आशा है। आप तदनुसार अपना बजट बना सकते हैं। नवम्बर के शुरू से विकास कार्य शुरू हो जाता है और बिना रुके जून के मध्य तक, मानसून के

आने तक, चलता रहता है। इससे आपको पांच से छ: माह की वर्तमान संक्षिप्त अवधि की बजाय 9-10 माह की कार्य अवधि मिल जाती है। कृपया इस पर विचार कीजिए।

हमारे बजट में अनेक अच्छे उपाय किए गए हैं। मैं उनके बारे में नहीं बोलूंगा। माननीय वित्त मंत्री द्वारा दो दिन पहले वित्त विधेयक प्रस्तुत करते समय कुछ रियायतों की घोषणा की गई है।

निर्यात आदि को बढ़ावा देने के बारे में, हमारी समस्या का दोहरा होना स्वाभाविक है। हमारा देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हमारी समस्या यह है कि भुगतान संतुलन तथा और अधिक विदेशी मुद्रा कैसे अर्जित करें और आन्तरिक व्यय को कैसे कम करें तथा भारत में वस्तुओं की मितव्ययता करके अपने निर्यात को कैसे बढ़ाया जाए और इसके साथ ही मूल्य वृद्धि भी न हो। ये सब समस्यायें हैं। हमने आई० एम० एफ० से बड़ा ऋण देने के लिए अनुरोध किया है।

इससे चाहे कितनी ही अवमानना हो हमें देश से जहाजों में सोना लाद कर बाहर भेजना पड़ा। ये बहुत ही अपमानजनक बातें हैं। साथ ही इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। स्थिति इतनी विकट थी। अत: अपनी नीति आदि में सुधार करने की व्यवस्था की गई है। सरकार स्थिति में सुधार करने हेतु कार्यवाही कर रही है। लेकिन मुझे यह देखकर बहुत दु:ख हो रहा है कि हमारे व्यवहार और आचार में आवश्यक गंभीरता दिखाई नहीं देती है। प्रशासन में विभिन्न स्तरों पर इसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता है।

(व्यवधान)

8.00 म० प०

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : जो भी हो रहा है उससे स्पष्टत: यह धारणा बनती है, और ऐसा इसलिए भी है कि देश में इस समय आर्थिक आपातकाल की स्थिति है। परन्तु क्या यह हमारी कार्यवाहियों से नजर आता है ? क्या सरकारी व्यय में कोई भारी कटौती की गई है ? क्या किसी मंत्रालय से कोई कार हटाई गई है ? क्या बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद रात्रिभोजों में कोई कमी की गई है ? क्या हम आम आदमी और विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अपने अधिकारियों के समक्ष कोई उदाहरण प्रस्तुत कर पा रहे हैं ? क्या अधिकारियों और संसदीय दलों के विदेशी दौरों में कोई कटौती की गई है ? अत: जब आर्थिक आपातकाल की स्थिति है तो हमें भी तदनुरूप कार्यवाही करनी चाहिए। मैं इसमें कोई दोष नहीं निकाल रहा हूं। लेकिन स्थिति वास्तव में बहुत ही विकट है और इसके लिए कठोर उपायों की आवश्यकता है। मैं माननीय वित्त मंत्री से इन उपायों के करने की अपील करता हूं। हमारी व्यवस्था इस प्रकार की है कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता में हैं। जब तक कि उन सभी के बीच आपसी समन्वय और अच्छी समझदारी न हो, केन्द्रीय वित्त मंत्री स्थिति सुधार में नहीं ला सकते हैं। बेचारे केन्द्रीय वित्त मंत्री क्या कर सकते हैं ? वह केवल यहां बैठकर नीतियां बना सकते हैं। कुल मिलाकर नीतियों का कार्यान्वयन प्रशासन तन्त्र पर निर्भर करता है। उन्होंने उर्वरकों के लिए दोहरी मूल्य नीति बनाई है। इसे कौन क्रियान्वित करेगा।

प्रैस से हमें एक और बहुत परेशान करने वाली खबर मिली है कि अनेक मुख्य मंत्रियों ने ऐसी नीति के क्रियान्वयन में अपनी असमर्थता प्रकट की है। समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है। चीनी के मामले में दोहरी मूल्य नीति का अनुभव बहुत कटु रहा है।

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

हमारी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आमतौर पर गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए है लेकिन जिस प्रकार से चीनी वितरण नीति को सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है उससे गरीब लोगों को वास्तव में लाभ नहीं पहुंचता है। इससे शहरों और नगरों के समृद्ध व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है। अत: इस नीति पर पुर्नविचार करने की आवश्यकता है।

एक तरफ तो हमें उर्वरकों के उत्पादन में कठिनाई हो रही है और दूसरी तरफ भारत सरकार के उपक्रमों द्वारा चलाए जा रहे अनेक कारखाने बन्द किए जा रहे हैं। इसमें उड़ीसा के तालचेर का भी एक उद्यम शामिल है। लगभग 126 करोड़ रुपए की जो राज सहायता भारतीय उर्वरक निगम को मिलनी है उसे रोक दिया गया है। यद्यपि पूर्व वित्त मंत्री ने यह निर्णय लिया था, कुछ अन्य अधिकारी इसे बकाया आदि जैसे किसी प्रयोजन के लिए समायोजित करना चाहते हैं ताकि वहां पर यूरिया आदि जिसकी बहुत मांग है, का उत्पादन वहां पर नहीं किया जाएगा।

अत: इस प्रकार की शरारतों की जांच की जानी चाहिए। यह एक विशाल देश है जिसके समक्ष अनेक समस्यायें हैं। हमने क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाली एक नई आर्थिक नीति और एक नई औद्योगिक नीति बनाई है। हमें यह आशा नहीं करनी चाहिए कि इसे बहुत आसानी से कार्यान्वित किया जा सकेगा। इस पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है। अपनी वित्तीय स्थिति का बीच में भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मुद्रास्फीति पहले ही दो आंकड़ों में पहुंच गयी है। अत: उर्वरकों के मूल्य और खरीद मूल्यों में वृद्धि होना भी स्वाभाविक है। लेकिन किसानों में असन्तोष है। उनकी शिकायतें सही हैं। खरीद मूल्यों में वृद्धि होने से जारी किए जाने वाले मूल्यों में वृद्धि होगी और इसका असर मूल्य सूचकांक पर पड़ेगा और इसका अर्थ है अतिरिक्त मंहगाई भत्ता जिसे हमें देना होगा। अत: यह एक दुश्चक्र है।

ये सभी बातें काफी जटिल हैं और हमें बहुत सजग रहना होगा। एक आग्रहपूर्ण वातावरण का निर्माण करना होगा तथा इसमें सभी संबंधित लोगों, राज्य सरकारों, संसद सदस्यों, सामाजिक कार्यकर्ताओं इत्यादि को शामिल करना होगा। ऐसे वातावरण का निर्माण करने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। मेरा माननीय वित मन्त्री से अनुरोध है कि उन्हें अविलम्ब आवश्यक उपाय करने चाहिए।

अब मैं कर संग्रह के बारे में कुछ मुद्दों का उल्लेख करना चाहूंगा। किसानों को बैंकों से ऋण मिलना चाहिए। लेकिन जनता दल सरकार की ऋण-माफी योजना ने इस देश को कठिन परिस्थिति में डाल दिया है। अनेक सहकारी समितियां बन्द हो गई हैं। किसानों को ऋण दिया जाना आवश्यक है। अनेक क्षेत्रों में कोई बैंक नहीं है। श्री नारायण दत्त तिवारी, जब वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया था कि प्रत्येक गांव में बैंकों द्वारा धन उपलब्ध कराया जाएगा। यह एक बहुत अच्छा विचार है और इसे कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया आप अपना वक्तव्य समाप्त करें। अन्य लोग भी बोलने के लिए बैठे हैं।

श्री श्रीकांत जेना : महोदय, समय को 12 बजे तक बढ़ाया जा रहा है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, मुझे बात स्पष्ट करने दें। जो भी सदस्य बोलना

चाहते हैं, वे सभी आज ही अपना वक्तव्य समाप्त करेंगे। वित्त मन्त्री कल उत्तर देंगे तथा कल प्रातः मतदान भी होगा। रात्रि भोजन कमरा सं० 70 में उपलब्ध है। रात्रि भोजन बहुत अच्छा है।

सभापति महोदय : पाणिग्रही जी, आप वक्तव्य समाप्त क्यों नहीं करते और जाकर भोजन क्यों नहीं कर लेते हैं ?

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : अब मैं जवाहर रोजगार योजना के बारे में बोलना चाहता हूं। इस योजना का उड़ीसा सहित अनेक राज्यों में कार्यक्षेत्र बहुत ही सीमित है। उड़ीसा में विधान सभा सदस्य ब्लॉक स्तर की समितियों के चेयर मैन होते हैं। अन्य सदस्यों में एक ब्लाक विकास अधिकारी तथा दो इंजीनियरिंग ओवर सीयर होते हैं। वे ग्राम समितियों की सिफारिशों की अनदेखी करके शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। वे वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। अनेक ब्लाकों में स्थापित प्रक्रियाओं का गम्भीर उल्लंघन किया जा रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए यह अनुरोध करूंगा कि वे इसकी जांच करें। राजनीतिक प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

अब मैं एक-दो बातें परिवार नियोजन के विषय में कहना चाहूंगा। स्वास्थ्य मन्त्रालय की मांगों पर सभा में चर्चा नहीं की जाती। हम सभी जानते हैं कि इस शताब्दी की समाप्ति पर हमारी जनसंख्या एक अरब तक पहुंच जाएगी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह एक विशाल सम्मेलन आयोजित करे जिसमें न केवल राजनीतिक नेता और सामाजिक कार्यकर्ता बल्कि विभिन्न धर्मों के नेता भी भाग लें। इससे परिवार नियोजन के पक्ष में जनमत तैयार करने में काफी मदद मिलेगी। इस्लामी देशों सहित अनेक देशों का दौरा करते समय तथा जब संसदीय शिष्टमंडलों ने भारत का दौरा किया था तब भी हमें उनके सम्पर्क में आने का अवसर मिला था। इस्लामी देशों में भी इस कार्यक्रम को जोर-शोर से कार्यान्वित किया जा रहा है। मैंने सुझाव दिया था कि उनके धार्मिक नेताओं को यहां आमंत्रित किया जाना चाहिए। परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि इसे प्रभावी बनाने के लिए थोड़ी बहुत बाध्यता आवश्यक है। इसका निर्णय सर्वसम्मति से किया जाना चाहिए जिसके लिए एक बड़ा सम्मेलन बुलाया जाए जिसमें अन्य लोगों के साथ-साथ धार्मिक नेतागण भी भाग लें।

पूर्वी भारत की मुख्य समस्या यह है कि इस समय वहां पर कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने की आवश्यकता है। जब तक हम उत्पादकता नहीं बढ़ाते, तब तक पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम में किसानों की स्थिति में सुधार नहीं होगा।

मैं तो कहूंगा कि जहां तक उड़ीसा राज्य में बाढ़ का संबंध है कहां पर। 9वें वित्त आयोग की सिफारिशें प्रभावी नहीं होंगी। इस आपदा का सामना करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष सहायता दिए बिना उड़ीसा सरकार इस चुनौती का अकेले मुकाबला नहीं कर सकती है।

उड़ीसा जैसे राज्यों को, जिनकी आय औसत राष्ट्रीय आय से कम है, कुछ विशेष सहायता दी जानी चाहिए।

इस विधेयक में बहुत-सी ऐसी बातें हैं जो स्वागत योग्य है। मुझे ये सभी बातें पसन्द हैं। फिर भी इसमें कुछ कमियां हैं। ये आज की उपज नहीं हैं। मेरा माननीय वित्त मन्त्री से, जो इस पर काफी परिश्रम कर रहे हैं, अनुरोध है वे इन बातों को ठीक करें तथा इन मामलों पर भी विचार करें। धन्यवाद महोदय।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : सभापति जी, जो विधेयक आज सदन में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत हुआ है और जिस पर चर्चा चल रही है, मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि यह विधेयक देश को फिर से गुलाम बनाने के लिए है। मैं यह मानकर चलता हूं कि महात्मा गांधी से लेकर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, जयप्रकाश नारायण से लेकर स्व० जवाहर लाल नेहरू तक जिन लोगों ने अंग्रेजों को हटाकर इस देश में हमको आजादी दी, आज यह विधेयक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के द्वारा बाहरी देशों के बड़े उद्योगपतियों के दबाव में आकर माननीय वित्त मंत्री ने इसको प्रस्तुत किया है। यह विधेयक एक काला विधेयक है और देश की जनता, गांव की गलियों और झोंपड़ियों में रहने वाले खेतिहर खलिहान मजदूरों, छोटे बुनकर, छोटे दस्तकार, छोटे मोटे उद्योग चलाने वाले लोगों की जिन्दगी को, उनके उद्योगों को समाप्त करके बहुराष्ट्रीय और बड़ी कम्पनियों के बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने वाला यह विधेयक है।

सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने यह कहा था कि हम 100 दिन के अन्दर मंहगाई को खत्म कर देंगे लेकिन आप मूल्य वृद्धि के सबसे बड़े अपराध की परिधि में आ जायेंगे। आपके दल ने देश की जनता को धोखा देने का काम किया है क्योंकि आपने कहा था कि 100 दिन के अन्दर मूल्यों पर नियंत्रण कर लेंगे लेकिन आपने 13 प्रतिशत से अधिक यानि 20 प्रतिशत से भी ज्यादा मूल्य वृद्धि कर दी। मुझे जानकारी है कि इस सदन सत्र के समाप्त होने पर आप पुन: रुपये का अवमूल्यन करके इस देश को गुलाम बनाने का काम करने जा रहे हैं। आपने शराब पर कर नही लगाया लेकिन बीड़ी पीने वालों पर कर लगाया है। बीड़ी कौन पीता है ? आपका जब बजट आया था तो आपने देखा होगा कि रिक्शा चलाने वाला। गांव की झोंपड़ियों में रहने वाला आदमी बीड़ी पीता है। और शराब पीते हैं इस देश के जितने बड़े उद्योगपति हैं शराब पिलाकर अपने मन की भावना की तरफ आकर्षित कराने का काम करते हैं। उनको आपने कर से मुक्त कर दिया लेकिन बीड़ी पीने वालों को, तंबाकू खाने वालों के ऊपर कर लगाने का काम किया है। आप सोचें इस देश में 14 करोड़ लाख हैक्टेयर भूमि पर खेती होती है जिसमें से आज तक आपने 30 परसेंट जमीन पर भी पानी की तथा सिंचाई की व्यवस्था नहीं की। आपकी कोई जल नीति नहीं जिसके द्वारा किसानों के खेत में पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर सकें। आज जहां एक तरफ यह हालत हैं वहीं आपकी वितरण व्यवस्था भी खराब है। सरकारी गल्ले की दुकानों के माध्यम से गांवों में झोंपडी में रहने वाले किसान को आपकी व्यवस्था के तहत मिट्टी का तेल एक यूनिट पर एक किसान को एक लीटर मिलता है और शहर में जहां बिजली है वहां मिलेगा 5 लीटर। गांव में रहने वाले आदमी को एक यूनिट पर 250 ग्राम चीनी मिलेगी और शहर वाले को एक किलो मिलेगी। यह मैं इस लिए कहना चाहता हूं कि उस देहात में रहने वाले का क्या होगा ! एक तरफ तो यह है और पहले. हमारा देश 34 करोड़ का था, उस समय हम दूसरे देशों से गल्ला मंगाने का काम करते थे, आज हम 85 करोड़ में भी चावल और चीनी का आयात करते हैं और घूमकर ऋण मांगने का काम करते हैं और जो किसान चावल और गेहूं पैदा करते हैं उस किसान के ऊपर दोहरे मापदंड को आंकने का काम किया। उसके ऊपर खाद की दोहरी मूल्य नीति लागू कर दी, जैसे चीनी के ऊपर लगाई है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपने कहा था कि सौ दिन के अन्दर महंगाई खत्म कर देंगे और यहां सदन में हमारे बहुत से मित्र बोलने के लिए खड़े होते हैं तो कहते हैं कि जनता दल सरकार ने 10,000 रुपया कर्ज माफ करके देश के ऊपर एक बोझ डाल दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज 44 वर्ष हो रहे हैं, पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए – आपने कितने बड़े उद्योगपतियों के कर्ज

माफ किए और जनता दल ने अगर 10,000 रुपया किसानों का कर्ज माफ कर दिया तो आप लोगों को परेशानी इसलिए हो रही है कि आप किसानों को चूसने का काम करते हैं। किसानों को धमकाने का काम करते हैं, किसानों के ऊपर जुल्म ढाने का काम करते हैं। जनता दल ने किसानों को राहत देने का काम किया और आपको परेशानी हुई! इसी सदन में पिछली जनता दल सरकार के सत्र में एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था कि इस देश के अंदर आयकर के सिलसिले में 555 लोगों के जो फॉर्म हैं, उन फार्मों के ऊपर 31 जुलाई, 1990 तक 4500 करोड़ रुपए तक बकाया है। आप उसको वसूल नहीं कर पा रहे हैं। उनको वसूल करने की पहल आप नहीं कर पाए। उनको आप छूट दे देंगे, लेकिन किसानों को खाद के दोहरे मापदंड लगाकर उनके प्रति जुल्म करने का काम किया है।

माननीय वित्त मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि आपका बजट भाषण भी हमें सुनने का अवसर मिला, लेकिन मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि अगर आप यह विधेयक जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों और दूसरे देशों के इशारे पर यहां लाए हैं जिस विधेयक से मेरे जैसा आदमी मानकर चलता है कि इस देश में छोटे उद्योग समाप्त हो जाएंगे और बड़े उद्योग पनपने का काम करेंगे। हम यह मानकर चलते हैं कि आज कब से कम जो दोहरी मूल्य नीति खाद की है, उससे किसान को डर है तो एक तरफा समाप्त करके कम से कम छोटे और बड़े का भेद खत्म कर दीजिए। क्यों किसानों में भेद करने जा रहे हैं? आज गांवों के अंदर किसान को भैंस से लेकर जो तमाम चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं वह कौन पाता है? हरिजन बेचारा पिट जाता है, छोटा किसान पिट जाता है और बड़ा किसान उससे लाभ उठाया करता है। हमारे जैसा आदमी मांग करता है यह खाद की नीति आप समाप्त करेंगे और गांव में छोटे बड़े का भेद समाप्त करेंगे। सब को एक लाईन में लगायेंगे, ऐसा आपने कहा है। मैं यह मानकर चलता हूं। इस देश का जो छोटा किसान है, जिसे खाद पर सबसिडी देने का काम आप करते हैं, वह फायदा बड़ा किसान ले लेगा इसलिये आप क्यों भ्रष्टाचार पैदा करने का काम इस देश में करना चाहते हैं। आज जितने बैंक हैं, इन बैंकों में यदि कोई गरीब किसान जाता है तो बिना कमीशन लिये, उसे कोई बैंक कर्जा देनें को तैयार नहीं होता। आप कम से कम बैंकों में कमीशन दिये बिना कर्जा दिलवाये जाने की व्यवस्था करिये, यह मैं चाहता हूं।

मान्यवर, इस देश के लघु उद्योगों का जहां तक सवाल है, उनकी आपके समय में जो हालत है, वह बहुत शोचनीय है। उसकी हालत ठीक करने के लिये आपने ऐसी नीति अपनानी होगी, जिस नीति के अंतर्गत हर इन्सान को एक दिशा मिले, एक रास्ता मिले। अपनी जो पुरानी स्थिति है, अभी आपने 100 करोड़ रुपया स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की फाउन्डेशन के लिए बजट में रखा, जिसका सभी तरफ से विरोध हुआ। ऐसे कार्यों के लिए आपके पास पैसा है, ऐसे प्रावधानों के लिए आपके पास पैसा है लेकिन देश में जो बेरोजगारी की समस्या है, 11 करोड़ बेरोजगार हैं, अभी हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि हम वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं, इस देश के ऊपर संकट है, देश की आर्थिक स्थिति जर्जर हो गयी है, लेकिन हमारे जितने मन्त्री हैं, प्रधानमन्त्री हैं, उन पर एक दिन में कितना खर्चा हो रहा है, उस खर्चे में तो कोई कटौती नहीं हुई। किसी मन्त्री के अपने ठाट-बाट में तो कहीं कोई कटौती नहीं हुई। फिर यह देश कैसे आर्थिक संकट से गुजर रहा है, किस तरह का संकट इस देश पर है। हमारे ठाट-बाट बढ़ते जायें, हमारा वेतन बढ़ता जाए।

आपने देश के सामने जो वायदे किए थे, सपने दिखाये थे, लोगों को तरह-तरह के आश्वासन दिए थे, लेकिन आचरण उसके बिल्कुल उलट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप वही कहें जो कर सकते

[श्री हरि केवल प्रसाद]

हैं लेकिन अब तक की जो परम्परा है, आजादी के 44 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज गांव की झोंपड़ी में उजाला हुआ हो, ऐसा हमें कहीं दिखायी नहीं देता। आज तो गांव का आदमी भागकर शहर के किनारे आ रहा है। उसको कहीं जगह नहीं मिल रही है। उसका फटेहाल है, बेबसी है जबकि आज शहरों में रहने वाला आदमी अपने ऐशो आराम के साधन जुटाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है।

ऐसी स्थिति में, आप जो विधेयक सदन में लाए हैं, उसको लेकर गांव और शहर का हर पढ़ा-लिखा नौजवान, हर आदमी परेशान है। यह सदन इस देश की जनता का दर्पण है। उस दर्पण के माध्यम से, मैं आपके ऊपर मुकदमा अंकित करना चाहता हूं और इस देश की जनता से आह्वान करता हूं कि देश की जनता आपको वास्तविकता दिखाये, देश की जनता एकजुट हो और आपके इस वित्त विधेयक की होली जलाने का काम करे क्योंकि इस देश के गरीब, पिछड़े, दबे कुचले लोगों की जिन्दगी के बिल्कुल विपरीत यह विधेयक हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का घोर विरोध करते हुए आपसे चाहूंगा कि खाद की बढ़ी हुई, दोहरी रेट नीति को समाप्त कीजिए, एक बार विचार कीजिए अपनी नीति पर, और इस देश के हर आदमी को चैन से जीने का अधिकार हो, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर रोक लगाकर, उन्हें देश में बुलाने का काम न करें।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : सभापति महोदय, मैं फाइनेंस बिल नं० 2, 1991 का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मेरा विरोध इस कारण है कि जो आयकर सीमा है, इन्कम टैक्स एक्जैंपशन लिमिट है, माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने उसे इस बार बढ़ाया नहीं है। उसके संबंध में कहा यह गया कि देश की आर्थिक स्थिति खराब है इस कारण सभी वर्गों को कुछ बलिदान, कुछ कुरबानी करनी होगी। तब मैं कहना चाहूंगा—'चैरिटी बिगिन्स एट होम - और हमारे कुछ मित्रों ने इस ओर प्वाइन्ट आउट भी किया और कहा कि कितने मन्त्री ऐसे हैं कैबिनेट में, जिन्होंने अपनी कारों में कमी की है। पिछले दिनों अखबारों में खबर छपी थी कि एक-एक मन्त्री की डिस्पोजल पर 6-6 या 7-7 कारें हैं। उनके घरों के पर्दे···(**व्यवधान**) लिस्ट आई है, इण्डियन एक्सप्रेस में, उसमें नाम छपे हैं, आप पढ़ लेना, बाकायदा मन्त्रियों का विवरण है और यह भी छपा हैं कि बहुत से मंत्रियों के पास 6 कारें हैं, कुछ के पास 7 कारें हैं। और यह भी छपा है कि आप करटेन्स का रंग फर्नीचर के साथ मिलाने के लिए भी खर्च करते हैं। फर्नीशिंग और रेनोवेशन के लिए कितना खर्च हुआ है, जरा इसके भी आंकड़े निकलवाइए, जब से आर्थिक संकट में यह मन्त्रिमण्डल बना है तब से खर्च और ज्यादा बढ़ा है और यह जो मन्त्रिमण्डल बना है, यह भारी भरकम मन्त्रिमण्डल बना है।

सभापति महोदय, मेरा विरोध इसलिए है कि एक तरफ तो सरकार सैलरीड क्लास से, वेतन भोगी वर्ग से कहती है कि आप अपना पेट बांधिए, आप खर्चे कम करिए, आपको कोई राहत नहीं मिलेगी और दूसरी तरफ सरकारी खर्चे में कोई कमी नहीं की जा रही है। देश की 3 प्रतिशत आबादी ने जो गुनाह किए, देश के आर्थिक संकट को खराब किया, उनकी बुराई के लिए आज वेतनभोगी कर्मचारियों को क्यों दुखी किया जा रहा है, क्यों उनके ऊपर बोझा बढ़ाया जा रहा है। आज आपके बजट प्रस्तुत करने के बाद महंगाई इतनी बढ़ गई है कि ढाई हजार रुपया महीना तनख्वाह लेने वाले व्यक्ति के लिए अपनी रोटी चलानी मुश्किल हो गई है और आप जिद बांधकर बैठे हुए हैं कि इन्कम टैक्स एग्जम्पशन की लिमिट आप नहीं बढ़ाएंगे। माननीय वित्त मन्त्री महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि कम से कम इन्कम टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट 48 हजार रुपए तक की जाए।

सभापति महोदय, जो दूसरा मुद्दा मैं यहां उठाना चाहता हूं वह बेसिक सेन्ट्रल एक्साइज ड्यूटी का है। जो छोटे उद्योग हैं, उनमें अधिकतर लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में भी आपने कच्चे माल के मूल्य बढ़ने के बावजूद, कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन बढ़ने के बावजूद कोई राहत नहीं दी। न तो स्लैब चेंज किए, न दरों में कोई परिवर्तन लाए। मेरा सुझाव है कि जो वर्तमान में 15 लाख तक की एग्जम्पशन लिमिट है, उसको 30 लाख तक किया जाए और जो एक करोड़ तक की सेल करता है, उसको 5 परसेंट बेसिक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अगर लगाएंगे, तो मल्टीप्लीकेशन आफ यूनिट्स कम होगा और उसके साथ ही क्वालिटी और क्वांटिटी में भी इम्प्रूवमेंट होगी। 1 करोड़ से 5 करोड़ तक 10 परसेंट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी रखिए और 5 करोड़ से ऊपर 15 परसेंट।

सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा ग्लास इंडस्ट्री का। जो कांच उद्योग है उसमें आपने 44 परसेंट एक्साइज ड्यूटी लगाई है और उस पर सेल्स टैक्स और दूसरे टैक्स डाल कर कुल 58.4 परसेंट टैक्सेस बनते हैं। यह एक्साइज ड्यूटी कम होनी चाहिए। थाईलैंड एक छोटा-सा देश है। वहां एक फैक्ट्री की प्रोडक्शन 350 हजार टन है और हमारे सारे भारत में 600 हजार टन बनता है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो प्रोडक्शन है उससे आधे से ज्यादा एक इण्डस्ट्री वहां उत्पादन कर रही है और यह टिन के सस्ता पड़ता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस पर भी एक्साइज ड्यूटी कम की जाए और स्लैब और रेट आफ टैक्स कम किया जाए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि इस समय आपने एक बहुत बड़ा अत्याचार और किया है, जैसे आपने कमर कस ली है कि वेतनभोगी लोगों पर ही प्रहार करना है, उसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति जो कई बार थोड़ी बहुत बचत करते थे और कई बार तो वे लोग टैक्स से बचने के लिए कर्जे लेकर नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट खरीदते थे, लेकिन अब अगर किसी का किसी बैंक में पैसा जमा है, तो डिडक्शन एट सोर्स शुरू कर दी है। जिसका सोर्स से कट सकता है, उसके सोर्स पर तो आप अटैक करने के लिए तैयार हैं पर जिसका सोर्स गुप्त रहता है, जिसका सोर्स आपसे छिपा रहता है उसके सोर्स की ओर जाने का भी आपको ध्यान नहीं है।

सभापति महोदय, बड़ी विचित्र बात है, बैंक वाले तो आपके विभाग के ही हैं, पता नहीं आपको उन्होंने कहा या नहीं, लेकिन यह आम हो गया है और सब लोगों को कह रहे हैं कि अब लोग बैंकों में अपना पैसा जमा नहीं करना चाहते हैं। वैसे तो महंगाई की मार से लोगों की बचत करने की क्षमता काफी कम हो रही थी, फिर ऊपर से आपने जो बैंकों में पैसा जमा है, उस पर, ऐट सोर्स आपने इन्कम टैक्स की डिडक्शन कर दी है, इससे पैसा आना ही बन्द हो जाएगा जिससे डिवेलपमेंट का काम भी बन्द हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने जो बैंकों में पैसा जमा है, उसके ऊपर जो इन्कम टैक्स की डिडक्शन करने का नियम बनाया है, उसको आप वापस ले लीजिए। अन्तिम बात उस वर्ग के बारे में कहना चाहूंगा जो आपकी और हमारी सबकी खबर रखता है लेकिन आप उसका ध्यान नहीं कर रहे हैं। समाचार पत्रों की दुनिया, वर्किंग जर्नलिस्टस जो हैं उनके लिए बचावत की रिकमेंडेशन्स बहुत पहले आई थी, कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। बहुत सारे समाचार पत्रों ने उनको लागू नहीं किया, वैसे भी पुरानी पड़ गई है। मैं मांग करता हूं कि एक स्टेटूटरी बॉडी पे कमीशन की तरह समाचार पत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए बननी चाहिए और उनको महंगाई भत्ता, मेडिकल ऐलाउन्स आदि जो भी सुविधाएं हैं वह केन्द्र

[प्रो० प्रेम धूमल]
सरकार के कर्मचारियों की तरह मिलें ताकि वह अपने कर्त्तव्य को पूरी तरह से निभा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

[अनुवाद]

*श्री आसकार फेरनान्डेस (उदीपी) : सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने अनेक बाधाओं के बावजूद संतुलित वित्त विधेयक को तैयार करने का प्रयास किया है। वास्तव में, उन्होंने इस देश के लोगों को इस बात के लिए जागृत किया है कि वे अपने कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को समझें। देश में जो स्थिति विद्यमान है, उसे देश के लोग समझते हैं और इसे सहन करने के लिए वे तैयार हैं। राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार को लोगों के लिए उपयुक्त कार्यक्रम बनाने चाहिए। कभी-कभी मुझे सन्देह होता है कि क्या हम इन कार्यक्रमों को तैयार करने में हिचकिचा रहे हैं। महोदय, आपने शैतान की पूंछ तो पकड़ ली, अब इसके सिर पर सवार भी होना है। शैतान की सींग को पकड़ लो। तभी आप विद्यमान समस्याओं का हल पा सकते हैं।

लोग ऋण लेते हैं और ऋण की किस्तें वापस करने के लिए वे पुनः ऋण लेते हैं। यह पर्याप्त नहीं है कि हम केवल अन्तर्राष्ट्रीय ऋण सन्तुलन के समायोजन हेतु कार्यक्रम तैयार करें। हमें उत्पादन बढ़ाना चाहिए और देश के धन में वृद्धि करनी चाहिए। हमें केवल इसी प्रकार वित्तीय संकट को हल करने में मदद मिलेगी तथा ऋण के बाद ऋण देकर हम इस देश की निर्धन जनता की सहायता नहीं कर पायेंगे। अतः, मैं माननीय वित्तीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे सभी राज्यों के वित्त मन्त्रियों की एक बैठक दिल्ली में बुलायें जिसमें धन की बचत करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाए और इस सम्बन्ध में एक योजना तैयार की जाए। ग्रामीण क्षेत्र में धन जुटाने के कार्य पर जोर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार संग्रह की गई धनराशि का उपयोग देश के विकास के लिए किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों के माध्यम से बचत को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। विभिन्न संगठनों जैसे यूथ क्लब, महिला मण्डल इत्यादि तथा स्कूली छात्रों की सेवाएं भी धन जुटाने में ली जा सकती हैं। मेरी माननीय वित्त मन्त्री से अपील है कि वे धन जुटाने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, उपयुक्त कदम उठाएं। यहां हम संसद में भाषण देते हैं, लेकिन इससे लोगों का अधिक भला नहीं होने वाला हैं। अतः, यह अतिआवश्यक है कि लोगों के लिए हम जो विभिन्न कार्यक्रमों का प्रस्ताव कर रहे हैं, उसके ब्यौरों की जांच करने के लिए इस सदन की एक अनौपचारिक समिति गठित की जाए। लोगों ने वास्तविकताओं को समझ लिया हैं तथा वे किसी भी त्याग के लिए तैयार हैं। यदि हम उन्हें अच्छे कार्यक्रम देंगे, तो लोगों को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और वित्तीय संकट का आसानी से हल निकल आएगा। मध्य-पूर्व क्षेत्र में युद्ध के कारण हमारे देश के वित्तीय संकट ने एक नया मोड़ ले लिया। कुवैत और अन्य पड़ोसी देशों में कार्य कर रहे हजारों लोगों को भारत वापस लौटना पड़ा। युद्ध के पश्चात् अब स्थिति में सुधार हुआ है। अनेक कर्मचारी उन देशों को वापस लौट गए हैं तथा और अधिक संख्या में भारतीयों को वहां भेजने के लिए बातचीत चल रही है। इस कदम से हमारे देश को अधिक विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो सकेगी। हमारे माननीय मन्त्री ने उन देशों का दौरा किया उनके सद्प्रयासों से स्थिति हमारे अनुकूल होती जा रही है।

खाद्यान्नों के उत्पादन में हमने महत्वपूर्ण प्रगति की है। हम अनेक खाद्यान्नों का निर्यात भी कर रहे हैं। यह पर्याप्त नहीं है। हमें इनका निर्यात करने से पूर्व इन खाद्यान्नों को रूपांतरित करना

* मूलतः कन्नड में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

होगा। इनका अण्डा, दूध, मांस, मछली इत्यादि में रूपांतरित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय मछली की बहुत मांग है। हमारे पास एक विशाल समुद्रतट का क्षेत्र है। दुर्भाग्य से, हम इन प्राकृतिक स्रोतों का आशा के अनुरूप विदोहन नहीं कर रहे हैं। उत्पादन में वृद्धि करना तथा इनका निर्यात करना जरूरी है। इससे हमें बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी।

मैं समयाभाव के कारण, अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। तथापि अपने कर्नाटक राज्य की कुछ विशेष समस्याओं पर मैं संक्षिप्त से चर्चा करना चाहूंगा।

तटवर्ती क्षेत्रों में विशेष रूप से मछुआरे भारी संकट में है। तटवर्ती क्षेत्रों में लगातार भूकटाव हो रहा है और हमने इसकी रोकथाम के लिए कोई कदम नहीं उठाए है। यदि हम मछुआरों की जीवन रक्षा करना चाहते हैं तो शीघ्र ही समुद्री दिवारें बनाई जानी चाहिए अन्यथा उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेरा माननीय मन्त्री जी से अनुरोध है कि वे राहत कार्यक्रमों की शुरूआत करें। समुद्री दिवार के निर्माण के लिए कर्नाटक को वित्तीय सहायता देना आवश्यक है। समुद्री दिवारों का निर्माण अविलम्ब प्रारम्भ करना चाहिए क्योंकि पहले ही काफी नुकसान हो चुका है।

मंगलौर तेल शोधक कारखाना और पेट्रो रसायन परिसर शीघ्र स्थापित किया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि माननीय मन्त्री जी 8वीं योजना के प्रारम्भ में इन परियोजनाओं को स्थापित करवा देंगे। विजयनगर इस्पात संयंत्र योजना भी मेरे राज्य में काफी लम्बे समय से लम्बित पड़ी है। इस परियोजना को भी 8वीं योजना के दौरान शीघ्रातिशीघ्र मंजूरी दी जानी जानी चाहिए।

कर्नाटक में बिजली की भारी कमी है। इसलिए मंगलौर सुपर ताप विद्युत केन्द्र की शीघ्राति-शीघ्र स्थापना की जानी चाहिए। इस परियोजना को पूरा करने हेतु रूस से सहायता प्राप्त होने की सम्भावना है। उस देश में राजनैतिक परिदृश्य बदल रहा है लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना के कार्य में कोई बाधा नहीं पहुंचेगी।

मुम्बई हाई में भारी मात्रा में अनावश्यक रूप से गैस जलाई जा रही है। मुम्बई हाई से पाइपों के माध्यम से गैस दक्षिणी राज्यों को भेजी जा सकती है। ऐसा किए जाने से दक्षिणी राज्य और अधिक बिजली पैदा कर सकेंगे और वहां और अधिक उद्योग स्थापित किए जा सकेंगे।

माल्पे पत्तन का दूसरा चरण शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। समूचे राज्य में मत्स्यकी उद्योग की प्रगति इस पत्तन का निर्माण कार्य पूरा होने पर निर्भर करती है। इसके लिए और अधिक अवतरण स्थलों की आवश्यकता है तथा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उन्हें आधुनिक सुविधाओं से सज्जित किया जाना चाहिए।

मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मन्त्री जी इन सब समस्याओं का समाधान करने में पूरी तरह सक्षम है। मुझे उम्मीद है कि वे मछुआरों को शीघ्र राहत प्रदान करेंगे तथा कर्नाटक के तटवर्ती क्षेत्रों के पार समुद्री दिवारों का निर्माण करने के साथ-साथ उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे।

महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वित्त विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : अध्यक्ष जी, आदरणीय सभापति महोदय, मैं इस बिल का

[श्री तेज नारायण सिंह]

विरोध करता हूं। इसके पहले जो सरकार थी उस सरकार की जितनी भी नीतियां थीं उससे लोग तबाह हुए। देश के लोग निगाह लगाये थे कि शायद चुनाव के बाद कोई अच्छी सरकार बनेगी, जिसमें कि महंगाई नहीं रहेगी और चुनाव का माहौल था, भाषण भी होता था तो देश की जनता तो विश्वास करती है और विश्वास के ऊपर ही सब काम करती है। देश की जनता ने विश्वास किया कि महान नेता लोगों का भाषण हो रहा है, मालूम होता है सरकार जो बनेगी, उसमें हमारा दुख और दर्द समाप्त हो जायेगा। जुबान से भी कुछ कहा जाता था और लिखित रूप में भी दिया जाता था। यह तो धार्मिक देश है, धर्म में विश्वास करता है, पत्थर को भी देवता मानकर चलता है। अगर रास्ते में चलता है और कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो कहता है, भगवान ने ही मुझे दे दिया है। इस देश के लोगों ने इन बातों पर विश्वास करके इन लोगों को गद्दी पर आसीन किया और आसीन करने के बाद ज्यों ही सरकार गद्दी पर बैठी, देश के प्रधान मन्त्री ने कहा, देश की बहुत हालत खराब है, आर्थिक संकट है और जब तक तमाम लोग, चाहे हम लोग सत्ता में रहने वाले हों और चाहे विपक्ष में रहने वाले लोग हैं और देश की जितनी जनता है, जब तक सब लोग मिल जुल कर काम नहीं करेंगे तो देश की समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं हैं। देश के लोगों ने यह सोचा कि शायद देश का खजाना खाली है, कुछ लोगों ने आश्चर्य भी किया कि 42 वर्ष की आजादी के बाद देश का खजाना खाली कैसे हो गया। फिर भी इस देश के लोग विश्वास करते हैं, लोगों ने विश्वास किया कि देश का खजाना खाली होगा।

लोग बजट पर निगाह लगाये थे कि इस बार जो बजट आयेगा तो उस बजट में हम लोगों को सुविधा मिलेगी लेकिन ज्यों ही वित्त मन्त्री जी ने बजट पेश किया, देश में और महंगाई बढ़ गई। जिन चीजों का दाम एक पैसा था, बजट पेश करते ही दो पैसा हो गया और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग बहुत तबाह हो गए। मैं उम्मीद करता हूं कि अब पहला मौका है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग इतने तबाह हुए हैं। गरीबी की रेखा से नीचे रहने का मतलब है, जिस आदमी को दोनों टाइम खाना नहीं मिलता है, वह आदमी गरीबी की रेखा से नीचे कहा जाता है। सरकार के आंकड़े के मुताबिक 80 करोड़ जनसंख्या में से 40 करोड़ जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे है और उनके ऊपर महंगाई की मार इतनी पड़ रही है कि उनकी हालत बद से बदतर हो गई। इतना ही नहीं, इस देश के 70 प्रतिशत किसान आज तबाह हैं।

पहले खाद का दाम 122 रुपये बोरी था, 122 रुपये में किसान महंगाई के समय में भी कुछ खरीद लेता था, इसे ही महंगाई महसूस करता था, उसने आशा लगाई थी कि यह सरकार बनेगी तो खाद का दाम कम होगा लेकिन सरकार बनते ही खाद का दाम आज बाजार में 170 रुपये, 175 रुपये और 180 रुपए हो गया है। वित्त मन्त्री जी के यहां जब तमाम दल के लोगों ने हल्ला किया और भी आन्दोलन हुआ तो उन्होंने कहा कि खाद का जो पुराना रेट है, वही रहेगा। इन्होंने बड़े किसानों में और छोटे किसानों में लोगों को बांट दिया, इस पर भी लोगों ने विश्वास किया कि शायद हमारा 122 रुपए में ही खाद मिलेगा लेकिन मुझे आज कहना पड़ता है कि देश के किसी भी कोने में अगर आदमी जाता है तो 180 रुपए बोरी खाद मिलता है। इससे किसानों का क्या विकास होगा, इससे तो किसानों के विकास के बदले विनाश ही होगा इसलिए माननीय वित्त मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने जो उस समय वादा किया कि खाद दाम नहीं बढ़ेगा तो कम से कम उस वादे को पूरा कीजिए कि जो 122 रुपए एक बोरी का दाम पहले था, उसी दाम पर खाद मिलेगा जिससे

किसानों की स्थिति सुदृढ़ रहेगी। नहीं तो आज जो किसान की हालत है, मैं समझता हूं जनता दल की रिजीम में जिस सरकार का हम लोग समर्थन करते थे, किसानों के 10 हजार रुपये तक के ऋण माफ करके जो भी स्थिति सुदृढ़ की गई थी, मालूम होता है, वह भी समाप्त हो जायेगी। बहुत लोग कहते हैं कि 10 हजार रुपये के जो ऋण माफ कर दिए गए, उससे देश की स्थिति खराब हो गई, कैसे खराब हो गई, 70 प्रतिशत इस देश के किसानों के कर्ज माफ किए गए तो उनकी स्थिति तो सुदृढ़ होगी, खराब कैसे होगी ? देश की स्थिति तो खराब तब होगी जब बिना काम करने वाले आदमी को किसी भी तरह से सुविधा दी जायेगी, उससे देश की हालत खराब नहीं होगी जबकि किसानों या मजदूरों द्वारा जो कर्ज लिया गया है, उसे माफ कर दिया गया तो मैं समझता हूं अगर किसान का माफ किया गया है और देश में रिक्शा चलाने वाले लोगों का 5 हजार रुपये, 2 हजार रुपये भेड़ बकरी और गधा खरीदने वाले लोगों का अगर लोन माफ कर दिया गया तो मैं समझता हूं गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का उद्धार हो जाएगा लेकिन यह सरकार आलोचना करेगी, जिसने 10 हजार रुपये माफ कर दिए, उसकी जिस सरकार ने कर्ज माफ कर दिए लेकिन गरीबों का लोन माफ करने के लिए सरकार तैयार नहीं है।

यह सरकार केवल आलोचना करने के लिए तैयार है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सत्ता में रहने वाले कांग्रेस के भाइयों से, कि आप अगर आलोचना करते हैं किसानों का दस हजार रुपये का लोन माफ करना खराब है और आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो गरीब, भेड़-बकरी रखने वाले, पांच हजार रुपए का लोन लिया है, गरीबी की रेखा से नीचे आते हैं, उनका लोन माफ कर दीजिए। मैं जानता हूं कि उनका लोन माफ नहीं किया जाएगा। इसलिए नहीं किया जाएगा कि आपके पास इतना खर्च है कि आपको वही खर्च चलाना मुश्किल है। प्रधानमन्त्री जी और वित्त मन्त्री जी भाषण करते हैं कि देश की आर्थिक हालत खराब है, लेकिन 1952 से लेकर आज तक मन्त्रियों को जो भी सुविधाएं मिलती रही है, उसमें कोई कटौती नहीं हुई है। जितनी गाड़ियां पहले चलती थी, उतनी ही चल रही हैं, बल्कि सवाय ही होंगी, कम होने वाली नहीं है। जो सुविधाएं उस समय थीं, उन सुविधाओं में कोई कटौती नहीं हुई है। आप गरीबों और किसानों को शिक्षा देते हैं कि आपको समस्या का मुकाबला करना है और आपको अपनी आवश्यकताओं में से कटौती करनी चाहिए, लेकिन मन्त्री जी और किसी को अपनी आवश्यकताओं में से किसी चीज को घटाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं वित्त मन्त्री जी, कि कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिए। अगर आप शिक्षा देते हैं जनता को, कि देश में संकट है, आप उसको मिल-जुल कर मुकाबला कीजिए और अपनी आवश्यकताओं में से कुछ कटौती कीजिए, तो आप भी कुछ त्याग कीजिए, जिससे कि जनता पर कुछ असर हो सके। लेकिन जनता के ऊपर कुछ असर होने वाला नहीं है। असर इसलिए नहीं होता है कि आप जो बात कहते हैं, उस बात में कोई असलियत नहीं होती है।

वित्त मन्त्री जी मैं आपसे कई बार मिला हूं कि देश के किसी भी कोने में जाइए, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। कोई गरीब आदमी पांच हजार का लोन लेता है, तो उसको एक हजार रुपया कमीशन देना पड़ता है। अगर वह एक हजार रुपया कमीशन का नहीं देता है, तो मैनेजर बैंक का कहता है कि तुम्हारा आवेदन सही नहीं है और उसे लौटा दिया जाता है। यह हालत सिर्फ एक बैंक की नहीं है, देश का शायद कोई ही ऐसा बैंक होता होगा, जहां पर यह काम न होता हो। इतना ही नहीं, कोई गरीब आदमी किसी काम के लिए किसी दफ्तर में चला जाता है, तो उसको वहां भी भ्रष्टाचार का ही मुकाबला करना पड़ता है। एक जगह भी बात हो तो दूसरी बात है, लेकिन किसी भी आफिस में जाए, उसकी हालत वही रहती है। इसलिए मैं वित्त मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि

[श्री तेज नारायण सिंह

आपके इस बजट से देश की जनता तबाह हो गई है। तबाही की स्थिति में आपको चाहिए कुछ सोचना और समझना और आपको खास तौर से इस तरह का काम करना चाहिए जिससे महंगाई घटे। अगर महंगाई नहीं घटेगी, तो देश का नोजवान, किसान और मजदूर, इन सब को लाचार होकर इसका मुकाबला करना पड़ेगा। आन्दोलन छेड़ना पड़ेगा और फिर जब आन्दोलन छिड़ेगा तो फिर आप कहेंगे कि देश में कानून और व्यवस्था खराब हो गई है। लेकिन उस समय देश में कानून और व्यवस्था खराब नहीं कही जाएगी, इसलिए नहीं कही जाएगी कि वे लोग आवश्यक चीजों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए मैं वित्त मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आज बजट से देश की जनता तबाह हो गई है। आपको इसमें सोचना और समझना चाहिए और देश में जो महंगाई बढ़ी है, उसको घटाने की कोशिश करनी चाहिए।

वित्त मन्त्री जी आपने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। पेट्रोल के दाम बढ़ाते ही तमाम चीजों के दाम बढ़ गए हैं। यहां तक कि जनता को बसों में जाने पर जो किराया दो रुपए देना पड़ता था, वह चार रुपए हो गया है। आम आदमी बस में चढ़ने के लिए तैयार नहीं होता है। आप जानते हैं, देश में रहने वाले कितने लोग गरीब हैं और वे हर चीज के लिए मोहताज है। जो गरीब आदमी अपने बाल-बच्चों को दवा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह बस में चला जाता था, अब उसके लिए गाड़ी और बस में चढ़ना मुश्किल हो गया है। कहीं रेल से जाने पर भाड़ा 15-20 रुपए 25-30-40 किलोमीटर का लगता था, अब उसका किराया 30 रुपया हो गया है। मालूम होता है कि आपकी सरकार में आदमी लंगड़ा होकर बैठा रहेगा, क्योंकि आम आदमी अपने बेटा-बेटी की दवा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में असमर्थ हो गया है। इसलिए मैं वित्त मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आपके इस बजट से देश की जनता तबाह है। आप इस पर सोचें और विचार करें और देश में महंगाई घटाने की ओर अपने कदम उठायें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं और माननीय वित्त मन्त्री जी से मांग करता हूं कि आपका यह बजट देश की जनता के खिलाफ है। देश की आम जनता के खिलाफ है, इसलिए इसे वापिस लेना चाहिए और आपको ऐसा बजट पेश करना चाहिए, जिससे देश की जनता खुशहाल रह सके। इसके लिए भले ही टाटा-बिरला बर्बाद हो जायें, लेकिन देश की जनता बच सके।

श्री पीटर जी० मरबनिआंग (शिलांग) : सभापति महोदय, हमने विभिन्न मांगों पर कटौती प्रस्तावों के दौरान बोलने का अवसर पाने की प्रतीक्षा की लेकिन हमें इसका अवसर नहीं मिला। इसलिए मुझे बोलने का यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं।

महोदय मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं माननीय वित्त मन्त्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि इस समय संसद में अत्यन्त व्यवहारिक बजट पेश किया।

महोदय, मैं कतिपय बातें करना चाहता हूं। पहला, मैं वित्त मंत्री जी की जानकारी में उन विभिन्न वस्तुओं, आवश्यक सामग्री अथवा निर्माण सामग्री एवं अन्य वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि होने की बात लाना चाहता हूं जो वस्तुयें आज हमें भारत में उपलब्ध हैं। यह बड़े अचरज की बात है।

मुझे इस विषय पर अपना निर्णय देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं कि अर्थ-व्यवस्था में वित्तीय और राजकोषीय दोनों उपायों को लागू करने में समय लगता है जो पिछली दो

सरकारों ने काफी समय से अधर में छोड़ दिए थे। अब समय आ गया है कि बढ़ी हुई कीमतों में कमी लाने के लिए कुछ कारगर उपाय किए जाएं। हम देख रहे हैं कि दिल्ली में भी मूल्यों में बहुत वृद्धि हो गई है। समाचार पत्रों से भी हमें पता लगता है कि मुद्रा स्फीति 20 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। यहां तक कि मूल्यों में भी 70 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है और हम सभी के लिए विशेष रूप से पार्टी के सदस्यों के लिए यह काफी दुखद स्थिति है क्योंकि हमने जनता से जुलाई 1990 की मूल्य स्थिति को लाने का वादा किया था। लेकिन अब लगता है कि मूल्य स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। महोदय मैं देखता हूं कि अर्थव्यवस्था में कुछ वित्तीय तथा राजकोषीय उपाय लागू किए हैं फिर भी कुछ अतिरिक्त उपायों की अत्यन्त आवश्यकता है। उनमें से एक जमाखोरी के बारे में है। हमें जमाखोरी पर रोक लगानी होगी। हमें अपनी एक ऐसी एजेंसी का पता लगाना चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि व्यापारियों तथा काले बाजार में वस्तुओं की जमाखोरी नहीं हो रही है। अब हम देख रहे हैं कि बाजार से कई वस्तुएं गायब हो गई हैं। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। यहां तक कि दिल्ली में भी हमें ये वस्तुएं बाजार में उपलब्ध नहीं हो रही है और ऐसा इन वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने की वजह से जानबूझकर किया गया है।

पूर्वोत्तर भारत विशेषकर शिलांग की स्थिति पर नजर डालें तो मैं कह सकता हूं कि समूचे भारत में शिलांग में किसी भी वस्तु का मूल्य सूचकांक सबसे अधिक है। अब शिलांग में सभी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई है। केवल शिलांग में ही नहीं, मिजोरम में आइजोल में, त्रिपुरा में अगरतला में, नागालैण्ड में कोहिमा और दिमापुर सभी जगह, सात राज्यों के सभी मुख्यालय में, गुवाहाटी में जोरहाट एवं डिब्रूगढ़ में सभी आवश्यक वस्तुओं, निर्माण सामग्री एवं अन्य सभी वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए हैं। हमें मूल्यों में कमी लाने के लिए और अधिक कारगर उपाय करने चाहिए ताकि हम इन्हें जुलाई 1990 के स्तर तक ला सकें जैसा हमने जनता से वादा किया था और अब समय आ गया हैं तथा मेरा वित्त मन्त्री जी से अनुरोध है कि वे इस संबंध में कुछ करें। दूसरा, विश्व में कहीं भी अर्थव्यवस्था के विकास के सम्बन्ध में हम चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था का सन्तुलित विकास हो।

अर्थव्यवस्था के असन्तुलित विकास से कई समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी जिससे इसके अच्छे प्रभाव समाप्त हो जायेंगे। समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। असम और मेघालय में कोई उद्योग अथवा सरकारी क्षेत्र का उद्यम नहीं है। अन्य पर्वतीय राज्यों में भी कोई उद्योग नहीं हैं। इसलिए भारत सरकार को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और उन उद्योगों का पता लगाना चाहिए जिन्हें इन क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है ताकि ये राज्य भी भारतीय अर्थव्यवस्था के सन्तुलित विकास में अपना योगदान दे सकें। हमें यह भी पता हैं कि अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर मेघालय में 70 प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित है। हमारी राज्य सरकार ने मध्यम दर्जे की कई सिंचाई परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजी हैं। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि वह उन परियोजनाओं की मंजूरी हेतु कोई ठोस कदम उठाएं जो वित्त मंत्रालय के अथवा कृषि मन्त्रालय के पास विचाराधीन पड़ी हैं।

इन परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है—पश्चिम गारो पहाड़ियों में लगभग 16 करोड़ रुपए लागत की रोगाई घाटी सिंचाई परियोजना जिसकी सिंचाई क्षमता लगभग 34,000 हेक्टेयर भूमि है, लगभग 6,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता वाली लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत की जैन्तिया पहाड़ियों में पाइन्योरवाह सिंचाई परियोजना, लगभग 2,500 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता वाली लगभग 400 करोड़ रुपए लागत की जैन्तिया पहाड़ियों में पाइन्योरिम सिंचाई परियोजना

[श्री पीटर जी० मरबनिआंग]

और लगभग 3,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता वाली लगभग 12.30 करोड़ रुपए लागत की पश्चिम खनी पहाड़ियों में माकोराम्हा सिंचाई परियोजना। राज्य सरकार ने ये सभी परियोजनाएं भेजी हैं लेकिन आज तक इनके संबंध में कुछ नहीं हो पाया है। अब हम देख रहे हैं कि मेघालय में सिंचाई नहीं हो सकती और इससे राज्य के विकास में बाधा पड़ती है।

इसके पश्चात् वित्त मंत्री जी से मेरा अनुरोध यह है कि वे पर्यटन उद्योग पर विशेष ध्यान दें। मेघालय में सुन्दर और आकर्षक हरी भरी पहाड़ियां हैं। बर्फ से ढके ऐसे पर्वत शिखर हमें यहां नहीं दिखाई देते हैं जैसे कश्मीर में दिखते हैं लेकिन यहां का दृश्य वास्तव में मनोहारी है और यह दृश्य कई विदेशी पर्यटकों को राज्य के प्रति आकर्षित करेगा। लेकिन प्रतिबन्धित क्षेत्र परमिट (रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट) के कारण यहां पर्यटकों के लिए भारी समस्या उत्पन्न हो गई है। इसलिए वित मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि गृह मंत्रालय पर प्रतिबन्धित देय परमिट प्रणाली समाप्त करने हेतु दबाव डाले। मेघालय एक शान्तिपूर्ण राज्य है और यहां आने वाले विदेशी पर्यटक केवल 10-15 दिन रहते हैं। हमारे पास उन्हें बेचने के लिए दस्तकारी एवं अन्य वस्तुएं हैं। इससे मेघालय की जनता को अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। हमने रोजगार के 20, लाख अवसरों का सृजन करने का वादा किया है। लेकिन मुझे आशंका है कि जब तक राज्य अपना योगदान नहीं करेंगे तब तक भारत सरकार चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वायदों को पूरा करने में असमर्थ रहेगी। पर्यटन उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो मेघालय के विकास में सहायक हो सकता है और वहां हजारों लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर सकता है। भारत सरकार को राज्य सरकार पर विश्वास करना चाहिए और राज्य सरकार को रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट जारी करने की अनुमति देनी चाहिए।

भारत सरकार को इस बारे में सहायता करनी चाहिए।

9.00 म० प०

एक बार फिर से पर्यटन की बात करते हुए हम देखते हैं कि शिलांग हवाई अड्डा काफी समय से हवाई नक्शे में है। लेकिन इंडियन एयरलाइन्स ने शिलांग हवाई अड्डे को अपनी सेवाओं से नहीं जोड़ा है। यह उचित समय है जब इन्डियन एयरलाइंस की विमान सेवाओं को शिलांग से जोड़ने के लिए कुछ किया जाए। हमें दिल्ली-गुवाहाटी-इम्फाल; दिल्ली-गुवाहाटी-अगरतला-दिल्ली-गुवाहाटी; दीमापुर सेवाएं उपलब्ध हैं। लेकिन शिलांग की अपेक्षा की गई है। यह एक अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। शिलांग मेघालय की राजधानी है। वास्तव में, एक समय शिलांग संयुक्त असम राज्य की राजधानी थी। अतः अब समय आ गया है कि इंडियन एयरलाइंस शिलांग में अपनी एक शाखा खोले और शिलांग हवाई अड्डे से विमान सेवाएं प्रारम्भ करे।

मैं, बैठने से पहले, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहूंगा, जो पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय है। मैंने पाया है कि इस विश्वविद्यालय को दी गई राशि का उचित रूप से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय के अधिकांश भवन अर्धनिर्मित हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लाखों रुपए केवल किराए के रूप में दिए जा रहे हैं, जबकि जब मैं शिक्षा मन्त्री था तो इन्हें काफी जमीन दी गई थी और वर्ष 1977 में निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया था। लेकिन आज तक लेक्चर हाल, पुस्तकालय और कर्मचारी निवास नहीं बने हैं, विश्वविद्यालय के विकास के लिए कुछ नहीं किया गया है। सभी भवन, लेक्चर हाल आदि किराए पर लिए जा रहे हैं। इस विश्वविद्यालय में

लाखों रुपये केवल किराए पर ही व्यय किए जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि वित्त मन्त्री इन सभी मुद्दों के बारे में सम्बन्धित मन्त्रियों को बता देंगे।

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो वित्त विधेयक पेश किया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के बारे में उनका यह दावा है कि वे इसे सुधारेंगे, चाहे रुपये का अवमूल्यन करना पड़े, सोना बेचना पड़े या गरीब और मध्यम वर्ग की जनता पर भारी टैक्सों का बोझ डालना पड़े, ये किसी बात से भी नहीं हिचकिचायेंगे। अगर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने जाकर, आई० एम० एफ० के सामने जाकर उनकी शर्तों को मानते हुए भी भारतीय अर्थव्यवस्था में राहत दिलाने की बात हो तो शायद उस पर भी नहीं हिचकिचायेंगे।

माननीय सभापति जी, खाद पर सबसिडी को वापस करके किसानों को जो थोड़ी-बहुत छूट मिली थी, भले ही छोटे किसानों को उससे मुक्त रखा गया हो, दोहरी नीति खाद पर हो जाने के कारण आज चारों तरफ असंतोष है। मेरा निवेदन यह है कि इस वित्त विधेयक में वित्त मंत्री जी ने स्वयं जो संशोधन पेश किए हैं उनकी संख्या कम नहीं है। इसी से लगता है, कुल मिलाकर 40 से ऊपर संशोधन वित्त मन्त्री जी ने पेश किए हैं अपने वित्त विधेयक में, कि वित्त विधेयक जो बनाया गया है उसमें कई त्रुटियां थी, ऐसे कई कर आरोपित किए गए थे जिससे जनता को राहत मिलने वाली नहीं थी अपितु उनसे जनता को अत्यधिक कष्ट होने वाला था। इसलिए अनेक संशोधन लाने पड़े हैं।

मैं कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वित्त मन्त्री महोदय ने, जो अब तक छूट दी गई थी, वर्ष भर में किसी भी समय यदि कोई किसी प्रकार की सम्पत्ति खरीदे, कार खरीदे या अन्य चीजें खरीदें, वर्ष के अन्त तक, 31 मार्च को भी वह खरीदता है तो उसको पूरी-पूरी छूट मिलती थी, किन्तु उसको 180 डेज या दिनकर के सुविधा समाप्त करने की बात कही है। मैं चाहता हूं कि वह सुविधा यथावत जारी रहे। इसी प्रकार से वित्त मन्त्री महोदय ने छोटे होटलों पर भी, आजकल छोटे-छोटे होटल वाले भी ए० सी० लगाते हैं, लेकिन उन पर भी करारोपण किया है। इम्पोरियम में अगर कोई कलाकृति बेचे और फारेन एक्सचेंज अर्न करे उसको भी छूट से मुक्त नहीं रखा गया है, उसको आयकर सीमा में लेने का प्रयत्न किया गया है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की छूट को समाप्त करने का कोई औचित्य नहीं है। वह छूट यथावत जारी रखनी चाहिए। यहां तर्क कि को-आपरेटिव बैंक के बारे में, अर्बन एरियाज में, शहरों में जो काम कर रहे हैं।...

सिर्फ छोटी सोसायटियों को मुक्त रखने की बात अपने संशोधन में ऐसी बात कही है कि जो सोसायटी हैं फारमर्स के लिए, उनको मुक्त रखा गया है। कोआपरेटिव बैंक, बैंकों के शहरों में भी काम करते हैं। आखिर उनको किसानों से कितना लाभ हुआ और बाजार से जो उनकी डिपाजिट हैं, उनको लेन-देन से कितना लाभ हुआ, तो किस प्रकार से अलग करेंगे। किस प्रकार से कोआपरेटिव बैंकों को मुक्त रखेंगे। मैं चाहता हूं कि कोआपरेटिव बैंक्स को सर्वथा मुक्त रखना चाहिए। फिर चाहे कोआपरेटिव सोसायटी के जरिए काम हो या अन्य किसी जरिए से काम हो। छोटी-छोटी बैंक्स में ज्यादा लेनदेन नहीं होता है। कोई बैंक पांच करोड़ या दस करोड़ रुपये का वार्षिक में आदान-प्रदान करता है। किसी का 20 करोड़ रुपए का होता है लेकिन इसका कोई बड़ा काम नहीं होता है, उनको भी मुक्त रखना चाहिए। सामान्यता कमीशन के आधार पर जो धंधा करते हैं, उन पर भी टैक्सेशन की बात की है। उनके ऊपर टैक्स लाद दिया गया है लेकिन उसको भी रियायत देनी चाहिए और उसकी राशि बढ़ाई जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है और मैं संशोधन

[डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय]

को प्रस्तुत करते समय उस समय बात कहूंगा। लेकिन यह बात उचित नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आयकर सीमा के अन्दर हमें छूट चाहिए। चारों तरफ से सरकार ने करों का बोझ लादा है, चाहे पेट्रोल हो, रेल भाड़ा हो, घरेलू गैस हो या अन्य वस्तुओं के दाम बढ़ाकर हो, लेकिन गरीब जनता के ऊपर काफी बोझ पड़ा है। इसलिए जो आयकर की सीमा है वह 48 हजार की जाए। उसका जो एक क्रम है या वर्गीकरण पर तदानुसार परिवर्तन किया जाए। वित्त मन्त्री स्वीकार करते हैं कि रुपए का इतना अवमूल्यन हो गया है, उसकी कोई सीमा नहीं रही, करों का भारी बोझ पड़ा और फिर मुद्रास्फीति बढ़ रही है और साथ ही प्राइस इन्डेक्स भी इस वर्ष अवधि के अन्दर काफी बढ़ गया। करों को आपने बढ़ा दिया है लेकिन आप 22 हजार की सीमा को नहीं बढ़ाने वाले है जबकि 48 हजार तक सीमा की जानी चाहिए। इसी प्रकार से आपने बिस्कुट इंडस्ट्री को भी नहीं बक्शा है।

हमारे यहां गुजरात में चलने वाली डायमंड इंडस्ट्री भी समाप्त हो रही है, उसको भी नहीं छोड़ा है। इस बारे में हमारे, मित्र राम नाईक जी विस्तार से बतायेंगे। आपने ग्लास इंडस्ट्री को भी छोड़ा है। आपने उनके ऊपर भारी टैक्स लगाकर, करारोपण करके पैसा प्राप्त करने की कोशिश की है। कुल मिलाकर कोई बहुत बड़ी आप राहत देने जायेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन करों का बोझ लगा कर जनता के ऊपर और संकट बढ़ा रहे हैं।

मैं यही कहना चाहता हूं कि आयकर की सीमा 48 हजार तक की जानी चाहिए। होटल उद्योग के बारे में फिर से विचार करना चाहिए। बिस्कुट, डायमंड और ग्लास इंडस्ट्री के बारे में फिर विचार करना चाहिए। कोआपरेटिव बैंक्स को सर्वथा मुक्त रखना चाहिए। किसानों की खाद वाली दोहरी नीति को समाप्त किया जाना चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितने संशोधन यहां पर हैं, उनको आप स्वीकार करेंगे। जनता के सामने जो उत्पन्न कठिनाई है, उसको आप स्वीकार करते हैं। एक तरफ तो कहा जाता है कि कम खर्च करें और सरकार भी खर्च में कमी करेगी। मैंने पिछले दिनों एक आर्टिकल अखबार में देखा था। उसमें बताया गया है कि एक-एक मिनिस्टर के पास 7-8 गाड़ियां हैं, जो उनके लिए और उनके परिवार के लिए हैं। मैं, उस आर्टिकल की एक प्रति आपको भेंट करूंगा। उसमें जितना होने वाला खर्च है, वह भी बताया गया है। मैं समझता हूं कि आप अपने मिनिस्ट्रीयल खर्चे में और अपने स्वयं के खर्च में कमी करेंगे तो मैं समझता हूं कि जनता के सामने आप एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। भले ही आप कहते हैं, ऐसा नहीं है।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था और निश्चित रूप से चाहूंगा कि आपने जो रियायतों की घोषणा की है, वह कोई बहुत बड़ी नहीं है। यह केवल ऊंट के मुंह में जीरा के समान है क्योंकि उन रियायतों से आम जनता को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरे द्वारा जो बातें आपके सामने रखी गई हैं, माननीय वित्त मन्त्री जी उनको स्वीकार करेंगे।

धन्यवाद !

सभापति महोदय : श्री जॉर्ज फर्नान्डीज।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति महोदय, स्वाभाविक है ··

श्री नारायण सिंह चौधरी (हिसार) : सभापति महोदय, मैं एक दो मिनट बोलना चाहता हूं क्योंकि मुझे पी० एम० के यहां डिनर में जाना है। यदि इजाजत दे दें तो···

सभापति महोदय : श्री जॉर्ज, आप बाद में बोल सकते हैं, इनको बोलने देंगे ?

श्री जॉर्ज फर्नांडीज : ठीक है, इनको बोलने दीजिए, मैं बाद में बोल लूंगा ?

श्री नारायण सिंह चौधरी : सभापति जी, मैं सोच रहा था कि वित्त मन्त्री जी को बधाई दूं और इस बात को चुनूं कि उदार उद्योग नीति के अन्तर्गत उससे वास्तव में लाभ होगा, जो पॉलिसी उन्होंने लोगों के लिए लिबरलाईज की है। इससे औद्योगिक क्षेत्र में काफी वृद्धि होगी लेकिन एक बात के लिए और बधाई दे दूं कि जो किसान जमीन के साथ चिपटा हुआ था, अब वित्त मन्त्री जी की इस नीति के परिणामस्वरूप वह जमीन से छुटकारा पाने की सोचने लगा है। मैंने भी अपने लड़के से कहा कि 5-5 एकड़ में ले लो और चार लड़कों में 20 एकड़ बंट जाएगी तो फर्टीलाइजर में रियायत मिल जाएगी तो उनका कहना था कि पटवारी के चक्कर में क्यों पड़ते हो, 5 एकड़ रखकर बाकी बेच दो तो 15 लाख रुपया मिल जाएगा। ब्लैकमनी वालों ने एक लाख रुपया एक एकड़ का रखा है क्योंकि कृषि इन्कम टैक्स नहीं लगता है और यदि 15 लाख रुपया बैंक में डाल दिया जाए तो 15 हजार रुपया इंट्रेस्ट महीने का मिलेगा जबकि इतनी आय 100 एकड़ से आमदनी नहीं होती है। अब यही स्थिति हो गई है।

सभापति महोदय, जब हम पढ़ते थे तो उस समय 12/- रु० मन गेहूं का रेट था तथा होस्टल का खर्च भी 12 रु० प्रतिमास होता था अर्थात एक मन गेहूं की बिक्री से एक महीने का खर्च चला जाता था और आज गेहूं का भाव 100 रुपये मन हो गया है। यदि मैं अपने लड़के को होस्टल में डालता हूं तो 600/-रु० से कम में काम नहीं चलता है यदि गेहूं का भाव 100 रुपए मन अर्थात 1500 रु० प्रति क्विन्टल तब किसान मंहगाई से मुकाबला कर सकता है। तो क्या हालत हो गई है? आपको आनाज के मामले में, किसान ने आत्मनिर्भर बनाया है इस देश में अनाज के मामले में, तो हम उसकी तरफ रहम करें। हम देहात से कतराने लगे हैं, ऐसी हालत हो गयी है परन्तु हमारे मुख्य मंत्री जी ने दिसम्बर, 1991 तक खाद को पुराने रेट पर किसान को खाद देने का आश्वासन दिया है। जिसकी वजह से हम देहात में जा पायेंगे।

सभापति जी, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनके स्व-रोजगार के लिए प्रावधान होना चाहिए था क्योंकि जो कंज्यूमर गुड्स बनती हैं, वे बड़ी-बड़ी कम्पनियां टाटा, बिड़ला बनाते हैं, उन पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए और उसका काम छोटे और लघु उद्योगों को मिलना चाहिए। बड़े उद्योगों को तो केवल एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीजें बनानी चाहिए और जो कंज्यूमरस के लिए छोटी-छोटी चीजें हैं, वे स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के पास बनने के लिए जाना चाहिए। यह हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है कि इसको करावें ताकि जो गरीब बेरोजगार युवक है, उसको ऋण मिल सके तो हिम्मत से इस काम को कर सकें और अपना ऋण भी वापस कर सकें। इसके लिए छोटे उत्पादक से मार्केटिंग की सुरक्षा प्रदान की जाये।

सभापति जी, मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने मिट्टी के तेल में रेट कम किया है। यह कन्जूमर को 70 प्रतिशत केरोसिन पैट्रोल पम्पों को चला जाता है। जो एडल्ट्रेशन करते थे जिससे किसान की मशीनरी तबाह हो रही है। अब चूंकि डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों के अन्दर और ज्यादा अन्तर हो गया है तो इससे एडल्ट्रेशन ज्यादा होगी।

20-25 परसेंट ही केरोसिन असली कंजूमर को मिलता है। मैं सच्चाई बताता हूं। कम-से-कम कोई ऐसा प्रावधान कर दें कि उसमें रंग वगैरह डालने की बात आ जाए जिससे कि एडल्टरेशन न हों और वह किसान की मशीनरी उससे बच सके। इसके अतिरिक्त जैसे हमारे राज्य में कोआप-

[श्री नारायण सिंह चौधरी]

रेटिव बैंक्स का जो लोन किसानों ने लिया हुआ था खेती के लिए, उसके पिछले सात वर्ष का जो ब्याज है वह माफ कर दिया है हरियाणा सरकार ने और बाकी जो पैसा है, वह आसान किश्तों में देने का प्रावधान किया है सहकारी बैंकों द्वारा। अब बैंकों के लिए क्योंकि स्थिति ऐसी आ गई कि रिकवरी बिल्कुल ठप्प हो गई, उस लोन की वीविंग स्कीम की वजह से, और बैंक ठप्प हो गए, आगे लोन मिलना बंद हो गया किसानों को। इसलिए राज्य सरकार ने जो कदम उठाया है, उसी तरीके से राष्ट्रीयकृत बैंकों से भी जो किसानों ने लोन लिया है, अगर वह माफ न किया जा सके तो उसी तरह से जैसे सहकारी बैंकों का ब्याज पिछले सात वर्ष का माफ करने की बात हमारी हरियाणा की राज्य सरकार ने की है तो ये तमाम देश में जो राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोन लिए हुए हैं उनका कम से कम ब्याज ही छोड़ दें, और मूल पैसा आसान किश्तों पर क्योंकि अब राष्ट्रीयकृत बैंकों को लोन का पैसा वापस न मिलने के कारण राष्ट्रीयकृत बैंक ने लोन देना ही बन्द कर दिया है क्योंकि वह जानते हैं कि इससे पैसा वापस नहीं आएगा क्योंकि किसान की ऐसी स्थिति पैसा देने की नहीं है। मैं आगे के लिए सरकार को सावधान करना चाहूंगा कि जो आत्मनिर्भरता हमने अनाज के बारे में प्राप्त की है, हम इससे भी हाथ धो बैठेंगे।

सभापति जी, मैं आपको बताता हूं कि करोड़ों रुपए का ब्लैक मनी क्यों होता है। पेट्रोल के रेट्स बढ़े। पेट्रोल पम्पों पर दो-दो, पांच-पांच और पन्द्रह-पन्द्रह हजार लीटर स्टॉक में तेल था उन्होंने थोड़ी सी भनक लगते ही उसी वक्त स्टॉक का तेल बढ़े हुए रेट पर बेचना शुरू कर दिया। यही हालत खाद की कर दी। अगर सरकार के पास स्टॉक की पोजीशन हो और कम से कम पुराना स्टॉक पुराने रेट पर दें तो इस तरह से ब्लैक मनी कम होगा। यह कितने माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि पूंजीपतियों के पास दूसरे व्यापारी, बड़े-बड़े घरानों के पास हजारों-लाखों करोड़ रुपया है जो सरकार ने लेना है, लेकिन किसान जो हैं उसकी हालत यह है मैंने देखा सहकारी बैंकों से लोन जो लिया है, ए० आर० को भी अधिकार दिए हैं बॉरंठ काटने के कि अगर किसान समय पर लोन वापस नहीं करता, उसको भी ज्यूडीशियल पावर्स दी हैं कि 40 दिन की कैद वह दे सकता है। लैंड रिवेन्यू की तरह उसकी रिकवरी होती है। दो हजार रुपया किसान के सिर पर होता है तो उसकी ये हालत होती है लेकिन जिनके जिम्मे करोड़ों रुपया सरकार का पड़ा है, वह कोर्ट में भी पैसा खर्च करने में समर्थ होते हैं इसलिए किसान की तरफ आप थोड़ा ध्यान दें तो अच्छा होगा।

आज शिक्षा का स्तर भी गिर रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि अध्यापक केवल साधारण किसान और छोटे दुकानदार के बेटे हैं और बड़े आदमी के बेटे अध्यापक बनने के लिए नहीं आते। वह पढ़ाई करने के बजाय साइड बिजनेस करने की सोचते हैं अपना गुजारा करने के लिए। इनकम टैक्स लगा दिया फिक्स इनकम ग्रुप पर, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। कम से कम जो थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास के सर्वेन्ट हैं, क्योंकि सारे अध्यापक थर्ड क्लास में आते हैं इनके जो इनकम टैक्स के स्लैब हैं; उस पक्ष के माननीय सदस्य ने 43,000 की सीमा की बात करते थे। मैं तो इतना अनुरोध करूंगा कि 36,000 रुपए तक इनकम टैक्स को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। और इसमें राहत मिलनी चाहिए। उसके अलावा सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि इण्डियन एजुकेशन सर्विस शुरू की जाए जैसे इण्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन फारेन सर्विस, इण्डियन फारेस्ट सर्विस है; इसी तरह से शिक्षा का स्तर अगर बढ़ाना है तो आपको आई० ई० एस० शुरू करना चाहिए और साथ-साथ मैं यह अनुरोध करूंगा कि खर्चों में भी कटौती की जाए। आप सीलिंग लगायें 20 परसेंट सदस्यों (रूलिंग पार्टी) से अधिक को मंत्री नहीं बनना चाहिए।

चाहे राज्य सरकार के हैं, चाहे केन्द्र सरकार में हैं, कहीं उसमें 20 परसेंट से ज्यादा मन्त्री नहीं होंगे, ऐसी सीलिंग आप क्यों नहीं लगाते । मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त वैस्ट पंजाब था, जो आजकल पाकिस्तान है, उसमें हमारा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सारा हिस्सा था, उसमें कुल मिलाकर मुश्किल से 10-12 मंत्री होते थे, इतने हिस्से में । इसी तरह की सीलिंग आप भी लगायें । अब क्या है कि 60-70 परसेंट तक मन्त्री बन जाते हैं, जितने एम०एल०एज० या एम० पीज० होते हैं और बाकी में से, कुछ को बोर्ड कारपोरेशन्स का चेयरमैन बनाकर, मंत्री पद का दर्जा दे देते हैं, फिर उनके भी वैसे ही खर्चे होते हैं । इसलिए खर्च को घटाने की बात हम इस तरह सोचें, यह मैं अनुरोध करना चाहूंगा ।

ये सारी बातें कहते हुए, आप देखें कि ईमानदारी से मैं एक अध्यापक रहा हूं इसलिए जो दिल में आता है, उस बात को कह देता हूं । कई दफा सोचता हूं, इसका समर्थन करना पड़ता है ट्रेजरी बेंचेज पर बैठे होने के नाते, लेकिन सच मानिए, अगर यों सोचें कि अब साल, दो साल, तीन साल, पता नहीं कितने दिन हम सरकार में रहेंगे और, इस हाऊस में, उतने दिन तो रहें, उनके बाद हम वापस जीतकर नहीं आ सकते, अगर इसी तरीके से ये सारी बातें चलती रहीं, यह मैं आपको बता देना चाहता हूं । इन शब्दों के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया ।

श्री जॉर्ज फर्नांडीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति जी, मैं वित्त विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इसका विरोध सबसे पहले इसलिए कर रहा हूं कि इस विधेयक से मेरे क्षेत्र के लिए कुछ नहीं होने वाला है । मैं मुजफ्फरपुर से आता हूं, वही मेरा क्षेत्र है, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह विधेयक, जो इस बार पेश हुआ है, जो अर्थ संकल्प है, जो बजट है, वह मेरे क्षेत्र के लिए कुछ नहीं देगा ।

सभापति जी, वैसे तो अनेकों पत्र मेरे पास आते हैं लेकिन उनमें से एक यह पत्र मेरे क्षेत्र का है । यहां वित्त राज्य मन्त्री जी बैठे हैं । वे मात्र बिहार के ही नहीं, उत्तर बिहार के हैं और वे मेरी पीड़ा को समझ पायेंगे । यह पत्र मेरे क्षेत्र के मीनापुर प्रखण्ड से आया है ।

सभापति महोदय : आप ऐसा करिए कि जो पत्र का सारांश है, केवल वही रखिए ।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : हां, मैं केवल सारांश ही रखूंगा । इस पत्र को लिखने वाले हैं—योगेन्द्र राय और इस पर कुल मिलाकर 2 लोगों के दस्तखत हैं । उनकी मांग है कि उनके गांव में एक चापाकल हो, एक हैंड-पम्प हो । आजादी के 44 साल बाद, आप लोगों ने जो यह बजट पेश किया है, मेरे क्षेत्र के लिए आज चापाकल की सबसे अधिक जरूरत है । इस पत्र को मैं वित्त मन्त्री जी के पास, फोटोकापी निकलवा कर, भेज दूंगा । वे जरूर इस बात] को महसूस करेंगे कि किस प्रकार की···

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : चापाकल लग जाएगा, आप चिन्ता न करें ।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : नहीं, एक नहीं, मुझे एक हजार चापाकल अपने क्षेत्र में चाहिए और अगर मन्त्री महोदय एक हजार चापाकल देने की बात कहें, जिस पर खर्चा होगा मुश्किल से 25-30 लाख रुपए, यदि मन्त्री जी कहें कि यह काम हो जाएगा, अगले महीने में हो जाएगा···

सभापति महोदय : फिर आप समर्थन दे देंगे ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : तो फिर मैं मानूंगा कि मेरे क्षेत्र की एक समस्या आपने हल कर दी। हमारे क्षेत्र में सड़क नहीं बनेगी, पुल नहीं बनेगा। हमारे क्षेत्र में किसी स्कूल का कोई इंतजाम नहीं होगा। मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि मेरे क्षेत्र के विकास की जो न्यूनतम जरूरतें आज हैं, उन जरूरतों की पूर्ति आपके इस बजट से नहीं होनी है और इसीलिये मैं इस विधेयक का विरोध कर रहा हूं।

अगर मेरे क्षेत्र के, यानी मुजफ्फरपुर के विकास के लिये, यह बजट मददगार नहीं होना है तो उसका कारण यह है कि यह बजट मेरे सूबे के लिये भी कुछ नहीं करेगा। यों तो मैं कर्नाटक में पैदा हुआ हूं परन्तु मेरी कर्मभूमि सबसे अधिक बम्बई रही है, माफ कीजिये, मुम्बई—मराठी में बोलते वक्त मैं मुम्बई बोलता हूं लेकिन हिन्दी में आदत है बम्बई बोलने की। (**व्यवधान**) नहीं शिवसेना वाले भी हमारे दोस्त हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है इस सदन में। लेकिन मुझे संसद में भेजने वाला सूबा बिहार है और मैं बिहार का प्रतिनिधि कर के अपने को मानता हूं। अध्यक्ष जी, इस बजट से मेरे सूबे को कुछ मिलेगा, यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। इसके पीछे मैं दो-तीन कारण आपके सामने रखना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, पता नहीं, आम तौर पर लोगों के दिमाग में बिहार का नाम जब लिया जाता है, तब क्या विचार आते हैं, क्या भावनाएं उभरकर आती हैं, क्योंकि यह तो समझ में आता है कि बिहार पिछड़ा हुआ है, बिहार में हंगामा है, बिहार में जातिवाद है और अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल यदि किया जाए तो मोस्ट केयोटिक स्टेट का प्रयोग कर के हम लोग बिहार को बहुत हल्के ढंग से खत्म कर देते हैं।

अध्यक्ष जी, बिहार हिन्दुस्तान का सबसे अधिक अमीर राज्य है। हिन्दुस्तान का एक चौथाई आयरन ओर बिहार में है, हिन्दुस्तान का एक तिहाई कोयला बिहार में है, हिन्दुस्तान का आधा ताम्बा, जिसको कापर कहते हैं, बिहार में है। इनके अतिरिक्त लाइमस्टोन है, बाक्साईट है, लेकिन सबसे अधिक बिहार की जो जमीन है, उससे अधिक उपजाऊ जमीन हिन्दुस्तान में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। बिहार में हम लोग कहते हैं कि रात को बोकर, सुबह फसल काटने के लिए जा सकते हो, हालांकि यह तो एक कहावत है, ऐसा नहीं होता है, हम जानते हैं। इसका मतलब यह है कि वहां की जमीन इतनी उपजाऊ है कि फसल बोने के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। यह तो बहुत अधिक उपजाऊ है। इतनी उपजाऊ जमीन बिहार के अलावा हिन्दुस्तान में कहीं भी नहीं है। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं और बिहार में पानी, हिमाचल की नदियों से और नेपाल के रास्ते से इतना आता है, वह पानी इस्तेमाल में आने की बजाय, वह पानी बाढ़ के माध्यम से समूचे उत्तर बिहार को और दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों को तबाह कर के चला जाता है और उस पानी का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाते हैं। यह बिहार जहां के लोग इतने मेहनती हैं जिसका कोई जवाब नहीं। आमतौर पर ऐसी समझ है कि कहीं ब्राह्मण, कहीं भूमिहर, कहीं राजपूत, कहीं पिछड़ा और कहीं अगड़ा, कहकर बिहार के बारे में एक तस्वीर बनाने का काम हो रहा है, लेकिन बिहार के व्यक्ति सबसे मेहनती हैं। इतने मेहनती व्यक्ति हिन्दुस्तान में कहीं नहीं हैं। इस दिल्ली शहर में बिहार के नौजवान रिक्शाचला रहे हैं। ये लोग दिन के 24 घंटों में से 18 घंटे मेहनत करने वाले लोग हैं, जो आपको दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और इस दिल्ली के मार्केट में आपको देखने को मिल जाएंगे और इस दिल्ली में सबसे अधिक बोझ को खींचकर ले जाने वाले, चाहे वे नौजवान हों या बुजुर्ग हों, ये मजदूर कहां से आते हैं ? इनमें से 70 प्रतिशत बिहार से आते हैं। दिल्ली के आसपास जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, तमाम मजदूर वहां पर काम करते हैं, जो सबसे अधिक

शोषित मजदूर हैं, जो 500 और 600 रुपए महीने में काम करते हैं और बिहार के हमारे वित्त राज्य मंत्री का यहां पर मैं जिक्र करना चाहता हूं, उनको भी अनुभव होता होगा कि कितने नौजवान हर रोज उनके दरवाजे पर आते हैं केवल रोजगार के लिए ? मैं अभी शाम को सदन में आने के पहले, जब प्राइवेट मैम्बर्स बिजनैस शुरू हुआ था, उससे पहले अपने घर गया था और उस वक्त भी मेरे घर के दरवाजे पर 5 लोग बैठे थे जिनमें निराशा, गुस्सा, कोई भी जो भावना, जिसको बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, इन भावनाओं से भरे हुए वे लोग थे और यह रोज का अनुभव है। तो अध्यक्ष जी, यह बिहार है, जहां इतने मेहनती लोग हैं।

अध्यक्ष महोदय, पंजाब में हुए कत्लों की हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन इन सारे कत्लों के बावजूद आज पंजाब सबसे अधिक अनाज पैदा करता है। कौन मेहनत करता है पंजाब के खेतों में ? ये बिहार के मजदूर हैं। कौन मेहनत करता है हरियाणा के खेतों में, यह बिहार का मजदूर है। इसलिए हम हलके ढंग से न देखें। अगर वह आज जाति का आधार लेता है, तो उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि दूसरा कोई आधार नहीं बचा है। आपने उसके लिए कुछ नहीं छोड़ा है और बिहार ऐसा नहीं था। आपने 40 साल राज्य चलाया देश में और आपने चालीस सालों में बिहार को यहां लाकर पहुंचाया है और मैं आपको इसका सुबूत दूंगा। कैसे आपने बिहार को इस स्थिति में पहुंचाया। बिहार के विकास के लिए आपने पैसे नहीं दिए और आज भी आप नहीं दे रहे हैं वित्त मंत्री जी, क्योंकि आपके इस देश की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था ने तय किया है कि बिहार इस देश का उपनिवेश है। आप बिहार को भारत का उपनिवेश इसलिए बनाकर रखना चाहते हैं क्योंकि तभी आपकी दिल्ली की जो सारी रईसी है, बम्बई की जो शान है और जो महानगरियां आप पनपा रहे हैं, बंगलौर, अहमदाबाद, कलकत्ता, मद्रास, जो महानगरी सभ्यता इस देश में बढ़ रही है इसके लिए आपको बिहार का शोषण करना है। आप शोषण कितने तरीकों से कर रहे हैं। उसको अन्दरूनी बसाहत के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार ने क्या अन्याय किया कि बिहार के विकास पर पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर आज इस बजट तक अन्याय किया। मैं केवल एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली योजना से लेकर सातवीं योजना का, आठवीं योजना अभी जारी है। औसतन फी आदमी पर आपने, क्या यह सदन जानता है कि समूचे हिन्दुस्तान में जो पूंजी का निवेश हो गया उसमें सबसे कम और केवल कम नहीं बल्कि सबसे अधिक जिस राज्य में डाला उसका एक तिहाई से कम बिहार के विकास पर डाला। पहली योजना में पंजाब में फी आदमी 175 रुपये डाला, देश में 38 रुपये और बिहार में सबसे कम, 25 रुपये डाला। दूसरी योजना में पंजाब में 146 रुपये डाला, भारत में औसतन 51 रुपये और बिहार के लिए फी आदमी 40 रुपये दिया। तीसरी योजना में पंजाब में 212 रुपये, भारत पर औसतन 92 रुपये और बिहार को 67 रुपये दिए। ऐनवल प्लान आपने 1966 से 1969 तक चलाए। हरियाणा में 91 रुपये दिए, देश में 61 रुपये और बिहार को 40 रुपये दिए। उस साल से आपने पश्चिम बंगाल को भी तबाह करना शुरू किया क्योंकि पश्चिम बंगाल में 1966 और 1969 के बीच जब वार्षिक योजनाएं चल रही थीं तब गैर-कांग्रेसी सरकार को चुनकर देने का काम किया था। उस साल से आपने बंगाल को भी तबाह करने का काम शुरू किया। फिर चौथी योजना आई। हरियाणा पर 358 रुपये खर्च, देश में औसतन 142 रुपये, बिहार में 85 रुपये खर्च किए। एक-चौथाई से भी कम। पांचवी योजना में हरियाणा पर 48 रुपये, देश में औसतन 262 रुपये, बिहार में 155 रुपये खर्च किए। छठी और सब नहीं पढ़ूंगा लेकिन सातवीं योजना जो अंतिम आंकड़ा है। उसमें हरियाणा पर 1871 रुपये फी आदमी, देश में औसतन 1026 रुपये, बिहार में 626 रुपये दिए। विकास के लिए बिहार को जो

[श्री जार्ज फर्नांडीज]

पूंजी देनी चाहिए थी वह नहीं दी और आज भी देने के लिए तैयार नहीं है और नहीं देंगे। आपने बिहार को लूटा। कैसे लूटा ? मैं बिहार की खनिज सम्पदा की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कोयले, लोहे का नाम नहीं ले रहा हूं। बिहार के गरीबों का बचत का जो पैसा है उनको भी आपने बिहार से लूटकर महानगरी सभ्यता को बनाने के लिए निकाल बाहर करने का काम किया। वित्त मंत्री बैठे हैं, उनसे अधिक जानकार व्यक्ति इन चीजों में दूसरा कोई नहीं है। मैं चाहूंगा वे इस बारे में आज कुछ कहें।

सारे हिन्दुस्तान में बिहार में डिपाजिट क्रैडिट रेशियो का जहां प्रश्न आता है तो सबसे कम क्रेडिट, 100 रुपये बैंक में जमा में से मुश्किल से 35-36 रुपये बिहार में खर्च कर रहे हैं बाकी पैसा महानगरी सभ्यता को बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 1990 के मार्च के आंकड़े मेरे पास हैं। उसके बाद से वित्त मंत्री के पास तो निश्चित ही हैं। 1980 में बिहार के गरीबों का और लोगों का बैंक में जमा पैसा 7644 करोड़ रुपये था। इनमें से बिहार के विकास पर क्रैडिट के तौर पर मात्र 2897 करोड़ रुपये देने का काम किया। बाकी पैसा बिहार से अन्य सूबों में आया। इसके विपरीत मैं बम्बई की बात बता सकता हूं। बम्बई में बैंक डिपाजिट 24 हजार करोड़ रुपये हैं और उसमें से बम्बई को 20 हजार करोड़ रुपये कर्ज दे दिए। और समूचे बिहार में जमा है आपके 7664 करोड़ रुपये और आपने उसमें से दे दिये 2897 करोड़ रुपये। उड़ीसा की हालत थोड़ी बेहतर है लेकिन मेरा कहना यह है कि···(**व्यवधान**)···

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : हिमाचल प्रदेश की बता दें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वह आपको खोजनी चाहिये। सब की खोज मैं नहीं करूंगा। मैं आपकी बात को रखने के लिये तैयार हूं मगर एक बात समझ लीजिये कि जो सबसे गरीब प्रदेश है उस प्रदेश को सबसे कम दे रहे हैं और दूसरा उस प्रदेश से निकाल कर बाहर ला रहे हो। पोस्टल सेविंग्स का लीजिये। वह पैसा भी बिहार से बाहर निकाल कर ला रहे हो। जो एल० आई० सी० अपनी बचत का पैसा बड़े उद्योगों में डालती है, अम्बानी के कारखानों में डालती है, टाटा के कारखानों में डालती है, बिड़ला के कारखानों में डालती है, ये सारे कारखाने बिहार में हमारे नहीं जा रहे हैं बल्कि यह महानगरीय सभ्यता जहां पनप रही है, उन्हीं इलाकों में जा रहे हैं और उसके नजदीक के इलाकों में जा रहे हैं। इसलिये एल० आई० सी० का प्रीमियम हो, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया का डिपाजिट हो, पोस्टल सेविंग हो, बैंक का पैसा हो, सरकारी बचत की कोई भी योजना हो, बिहार अपना हिस्सा पूरा करता है, अपनी जिम्मेदारी को अदा करता है लेकिन उस पैसे को निकाल कर आप बिहार से महानगरीय सभ्यता की ओर पूंजीशाही बनाने की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। इसका नतीजा आप देख रहे हैं और बिहार गरीब बनता चला जा रहा है।

विकास की बातें सब करते हैं। बिहार के संसद सदस्यों को बुला कर मंत्री लोग बहस चलाते हैं कि बिहार में क्या करना है। बिहार में क्या होगा, बिहार में बिजली कहां है। एक तिहाई कोयला हिन्दुस्तान का बिहार में है। उस कोयले से देश को बिजली मिल रही है लेकिन बिहार को बिजली नहीं मिल रही है चूंकि आपने रुपये नहीं दिये, घर बनाने के लिये रुपये नहीं दिये। यह लाचारी पिछले 30-32 सालों से आप लोगों ने बना दी है। एक सबूत आपके सामने रखना चाहता हूं वित्त राज्य मंत्री विशेषकर इस पर ध्यान दें।

21.37 म० प०

(राम नाईक पीठासीन हुए)

1960-61 में बिहार में इनस्टाल्ड कैपेसिटी जो बिजली की थी वह 351 मेगावाट थी, उत्तर प्रदेश में 397, महाराष्ट्र में 760, मध्य प्रदेश में 268, आन्ध्र प्रदेश में 270 थी। आन्ध्र प्रदेश का 270, 5994 पर गया, 1990-91 में यानी कि 30 सालों में, मध्य प्रदेश का 268, 6138 पर गया, 30 सालों में, महाराष्ट्र का 760, 8573 पर गया, 30 सालों में, उत्तर प्रदेश का 397, 9227 पर गया, 30 सालों में और बिहार का 351, 1450 पर गया। आपने पैसे नहीं दिये, आपने बिहार को लूटा। बिहार में बिजली कहां से आती है और बिजली न होने का मतलब है बिहार का विकास नहीं होना, न खेती का, न उद्योग का और न ही अन्य किसी क्षेत्र का। इतनी लाचारी हमारे बिहार पर आकर पड़ी है कि जहां पंजाब में प्रति व्यक्ति 190 किलोवाट आवर बिजली मिलती है वहां बिहार में 12 किलोवाट आवर बिजली मिलती है। क्या करेगा बिहार? जहां उद्योगों के लिये गुजरात में 180 किलोवाट आवर बिजली मिल रही है वहां बिहार में 54 और वह भी टाटा के कारखाने में या जो 1-2 भारत सरकार के बड़े लोहे के कारखाने हैं।

खेत का मैंने बता दिया। इसीलिये अब डोमेस्टिक कंजम्शन का बता दूं। जहां एक लाख पापुलेशन पर 718 मेगावाट डोमैस्टिक बिजली कंजम्शन वहां पर होता है, पंजाब में एक लाख की आबादी पर 11,371 परिवार को होता है तो कहां बिहार है? इसके चलते बिहार का अधःपतन हुआ है, उसको हम लोग क्यों नहीं समझते हैं? बिहार में शिक्षा, बच्चों की पढ़ाई सारे क्षेत्रों में हम लोग मार खा रहे हैं। बिहार में हरिजन महिलाओं में मुश्किल से 5 प्रतिशत महिलाएँ आज पढ़ना लिखना जानती हैं, 95 प्रतिशत महिलाएँ लगभग निरक्षर हैं। हरिजन पुरुषों में 80 प्रतिशत निरक्षर हैं, मुश्किल से 20 प्रतिशत पढ़ना-लिखना जानते हैं, क्या बिहार का बना रखा है? इस बजट से मेरे बिहार को क्या होना है, क्या मिलना है? मैं कैसे इस बजट का अनुमोदन करूं, कैसे इसका समर्थन करूं जबकि मैं जानता हूं कि इससे हमें कुछ मिलना नहीं है और हमारी जो लूट है वह लूट तो जारी ही रहनी है।

अभी चन्द दिन हुए बीजू पटनायक, उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने एक बात कही कि बगावत होगी, वह बोले बगावत होगी और मैं जानता हूं कि उनके विरोध में बयान निकालने वाले बहुत लोग होंगे, बहां निकाले भी होंगे, और भी निकालेंगे लेकिन मैं रेल मंत्री रहा, 12 महीने, डेढ़ साल, मैंने मेरे क्षेत्र के लोगों से एक बात कही थी, बिजली को लेकर 1989 के चुनाव के वक्त और मेरे कहने के पीछे एक कारण था, अध्यक्ष जी, मैं 1977 में चुना गया था, मुजफ्फरपुर से, जब मैं जेल मे बन्द था। जब मैं अपने क्षेत्र में गया, उत्तर बिहार की हालत को मैंने देखा तो समूचे उत्तर बिहार की उस वक्त आबादी रही होगी तीन करोड़ बीस लाख से तीन करोड़ चालीस लाख जहां आज 4 करोड़ 50 लाख है, तो उस उत्तर बिहार के लिए 20 मैगावाट बिजली थी और वह भी बरौनी से जो बचती थी, वह जाती थी, और कोई बिजली का इन्तजाम नहीं था। हम उद्योग मंत्री बने, हमने कांटी का बिजलीघर की योजना लगा दी, 220 मैगावाट बिजली का इन्तजाम तत्काल करने का और 660 मैगावाट बिजली का इन्तजाम अंतिम दौर मे पूरा करने का, उस योजना को हमने बना दिया, हमारी सरकार गई, उस योजना को ठप्प करने का काम हो गया। हमें लड़ना पड़ा, तीन बार मुझे जेल जाना पड़ा कि कांटी बिजलीघर का काम पूरा हो इसलिए।......(व्यवधान)......

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

सभापति जी, कुछ तो हमारे ऊपर रहम करिये। हमने इतनी देर इन्तजार किया तो हमारी इन्तजारी का भी हमको कुछ समय दीजिए।

सभापति महोदय : फिर भी आप बड़े मुद्दे के साथ अपनी बात जल्दी करिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं आपका बहुत वक्त नहीं लूंगा।

फिर वह कांटी का बिजलीघर हजारों लोगों को जेल जाकर, कर्पूरी ठाकुर, अन्य लोग, हमारे साथी, कार्यकर्ता हम सब लोग जेल जा कर उस बिजलीघर को अन्त में बनाने में कामयाब हो गए लेकिन सात साल लग गए। लेकिन अगला जो काम होना चाहिए था, और 440 मैगावाट का, वह नहीं हुआ। 1989 के चुनाव में हमने लोगों से कहा कि हमारी सरकार बन रही है और इस काम को हम लोग तत्काल हाथ में लेंगे, हम बन गए रेल मंत्री, हमने अपने उर्जा मंत्री जी से कहा कि मेरा वादा है, कुछ मदद करो। तो वह बोले कि पैसे की परेशानी है, उन्होंने कहा पैसे की परेशानी है। हमने स्वयं एशियन डवलपमैंट बैंक में हमारे परिचय के एक व्यक्ति थे, बम्बई के, शायद आप भी उनको जानते हैं, डा० शरद देसाई, बम्बई यूनिवर्सिटी में इकोनोमिक्स पढ़ाते थे, तो मुझे पता चला कि वह एशियन डवलपमैंट बैंक में उर्जा विभाग का पूरा काम काज देख रहे हैं। उनके विभाग के एक आदमी एशियन डवलपमैंट बैंक से हमने मिले थे तो मैंने उनसे कहा कि जरा मेरा संदेश शरद देसाई को दे दो कि कुछ हमें मदद करें। सात दिन में शरद देसाई ने मुझे फोन करके कहा कि एशियन डवलपमैंट बैंक ने बिहार में अभी तक बिजली पर एक पाई खर्च नहीं की है, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं लेकिन नियम तो आप भी जानते हो और वह नियम से आना चाहिए प्लानिंग कमीशन से या आपकी भारत सरकार से। उन्होंने हमसे कहा, आपको 440 चाहिए न, हम 500 मेगावाट बिजली का आपके लिए इन्तजाम करेंगे, बशर्ते जो रुपए का उसका हिस्सा है, उस हिस्से का आप इन्तजाम करोगे, सौ डेढ़ सौ रुपए का इन्तजाम आप लोग करोगे, तीन चार सालों में, वह बिजलीघर हम खड़ा कर देंगे। हमने प्लानिंग कमीशन के अधिकारियों को बुलाया, वह आए और अपनी सारी किताबें खोलीं, मैंने बिजली विभाग के भी बड़े अधिकारियों को बुलाया तो सब लोगों ने किताबें खोलीं और अन्त में हमसे बोले, जब मैंने तथ्यों को रखा, जो एशियन डवलपमैंट बैंक में जो बात बताई गई, उसको रखा मुझे बोले— यह जो तीन सालों में 100-150 करोड़ रुपया है, आठवीं योजना में नहीं हो सकता है, लेकिन नौवीं योजना में विचार किया जा सकता है। मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा—आप लोग चले जाइए। जाते-जाते उनसे कहा—

[अनुवाद]

> "सज्जनों नौवीं पंचवर्षीय योजना में आपके पास उत्तरी बिहार में विद्युत स्टेशन स्थापित करने के लिए धन नहीं होगा। क्योंकि आपको बिहार में देशद्रोह न रोकने के लिए सेना और अर्द्धसैन्य बलों के लिए उस धन की आवश्यकता होगी।"

यह मंत्री रहते हुए, मेरे द्वारा कहे हुए शब्द प्लानिंग अधिकारियों को मेरे दफ्तर में। इसलिए जब बीजू पटनायक यह बात कहते हैं, तो यह बात कोई अकेले बीजू पटनायक के मन की बात नहीं हैं, वित्त मंत्री जी इन बातों को समझते हैं, इन बातों को जानते हैं। कल सुबह बिहार के एक व्यक्ति,

हमारे दल के आदमी नहीं है, लेकिन राजनीति में एक बहुत ही अर्से से काम करने वाले मित्र हमसे मिलने आए और शायद मित्र कहना भी उनके लिए ठीक नहीं होगा। बिहार के बारे में बहस हो गई। हमसे बोले—बिहार, असम बनेगा। मैं आपको नोटिस देकर जाता हूं कि दो वर्षों के अन्दर बिहार, असम बनेगा। इसलिए मैं इस सदन को कहना चाहता हूं, अगर दुरुस्ती नहीं होती है, विकास के ढांचे में बदलाव नहीं होता है, तो जो बीजू पटनायक ने कहा, वह सिर्फ बीजू के मन की बात नहीं है। बीजू तो देश के लिए जान देने के लिए निकला व्यक्ति था और आज भी वह देश के लिए अपनी जान देगा। आप लोग बीजू पटनायक को जानते नहीं हैं। आजादी की लड़ाई में उनको फांसी हो सकती थी, यह बात आप लोगों को मालूम नहीं है। जब मो० हट्टा और सुकारनों को उठाकर लाने की बात थी, तो पंडित जवाहर लाल नेहरू ने बीजू पटनायक को भेजा था। दोनों तरफ कच्छ सेना की गोलियां चल रही थीं और उनके बीच में अपने जहाज को उतार कर दोनों को निकाल कर हिन्दुस्तान में लाने का काम बीजू पटनायक ने किया था। राष्ट्र के लिए अपनी जान देने वाला व्यक्ति है और आज उनको कहना पड़ रहा है, हमें जिस प्रकार की उपेक्षा मिल रही है, यही उपेक्षा रही तो फिर अलग कुछ रास्ता पकड़ना पड़ेगा। यही बात मैं बिहार के बारे में कहना चाहता हूं।

वित्त मन्त्री जी यहां तो विशेषकर क्षेत्रीय विषमता का प्रश्न है, जिस प्रश्न को आपने अपने बजट में छुआ तक नहीं है। जिसको हाथ लगाने से आप ने इन्कार किया। सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं, लेकिन यह व्यवस्था जिसका केन्द्रीयकरण है, महानगरीय सभ्यता के साथ पूंजी-पतियों के साथ और अब, राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ। हम क्या अपेक्षा करें और क्या उम्मीद करें बिहार के लिए। जैसे बिहार के लिए कुछ नहीं है, वैसे ही देश के लिए क्या है।

इसी प्रकार दाम की बात है। मैं आपका घोषणा पत्र अपने ब्रिफकेस में लेकर चलता हूं। मैं अपना घोषणा कम पढ़ता हूं और आपका घोषणा पत्र ज्यादा पढ़ता हूं। मजाक करने के लिए, अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए नहीं, आपको याद दिलाने के लिए कि समस्याओं का निदान कहीं नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : हमारे चुनाव घोषणा पत्र पढ़ने लायक हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जी हां, इसलिए मैं इसे पढ़ रहा हूं। अगर आपको इसके लिए किन्हीं स्टडी कलासों की आवश्यकता हो तो मैं उन्हें लेने के लिए तैयार हूं। मुझे विश्वास है आपको इसकी आवश्यकता होगी।

श्री ए० चार्ल्स : हमें पहले से ही इसका पता है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं तत्संबंधी स्टडी क्लासें लेने के लिए तैयार हूं ताकि आपको ज्ञान हो सके कि इसमें क्या लिखा है।

[हिन्दी]

इतना गुस्सा मत करो। इतना गुस्सा मत करो।

सभापति महोदय, दाम का सवाल यों ही खत्म हो गया। वित्त मंत्री जी कह सकते हैं कि सौ दिन कहां पूरे हुए हैं, पहले बोले थे, एक दिन। प्रधान मंत्री जी भी बोले थे, जब हमने यह

[श्री जार्ज फर्नाण्डीज]

सवाल छेड़ा था, विश्वास के प्रश्न पर और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर यहां बोलते हुए, मैंने सवाल छेड़ा था कि दाम कैसे बढ़ रहे हैं या किसी प्रश्न के द्वारा छेड़ा था, मुझे याद नहीं है, लेकिन प्रधान मन्त्री जी ने कहा —कहां सौ दिन पूरे हुए हैं। हमने कहा था कि हम सौ दिन इन्तजार करने के लिए तैयार हैं और सौ दिन कुछ ही दिनों में पूरे हो जायेंगे। शरद दिघे जी, यहां सदन में नहीं हैं, हमारे जमाने के मित्र हैं। 1967 में हमारी बम्बई की सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। वे अध्यक्ष थे और मैं मंत्री था। शरद दिघे जी उस दिन बोले हिन्दुस्तान के इतिहास में इतने दाम कभी नहीं बढ़े हैं जितने कि ग्यारह महीने में बढ़े हैं। उनको इतिहास मालूम नहीं है, न देश का और न देश की अर्थ व्यवस्था का। उनको मालूम नहीं है कि 1973-74 में दामों का नंगा नाच हुआ था हिन्दुस्तान में।

आज क्या होने जा रहा है, कहां पहुंचाएंगे आप दाम को ? कहा जाता कि 30 प्रतिशत तक इनफ्लेशन पहुंच सकता है और अगर एक बार हद से बाहर जाने लग गया है तो रोके कहां हम लोग, लगाम लगाए कहां हम लोग, आज यह सवाल है। मगर मात्र दाम का ही सवाल नहीं है, आज ये दाम इस देश के लोगों को तबाह करके रह गए हैं। मगर जो एक करोड़ रोजगार की बात कही, तो वहां भी मुझे कहा जाता है, जब मैं आपसी बातचीत में इस सवाल को छेड़ता हूं और प्रधान मंत्री ने स्वयं इस सदन में कहा कि एक करोड़ रोजगार का मतलब यह थोड़े ही है कि वह एक दिन में हो जाएगा, यह प्रक्रिया है। हम इस सारी प्रक्रिया को जानते हैं।

हमने इस सदन में बताया है कि कैसे 1923 से लेकर 1989 तक, 7 सालों में हिन्दुस्तान के केवल निजि उद्यमों में 10 लाख रोजगारी घट गई, एक लाख करोड़ रु० की पूंजी लगाकर 10 लाख रोजगारी घट गई। यह आपका दस्तावेज है, आपका इकनोमिक रिव्यू है, उसको आप पढ़ लीजिए और आज आप रोजगार बढ़ाओगे, पर कैसे आप रोजगार बढ़ाओगे, कौन सी योजना के माध्यम से आप रोजगार बढ़ाओगे, मल्टीनेशनल के जरिए, हिन्दुस्तान में मुझे वे मिलने आए थे, वे फिक्की के जो अध्यक्ष, बिरला के पिछले साल जो अध्यक्ष थे, उनका पहला नाम मुझे याद नहीं है, सिद्धार्थ बिरला, वे समय मांगकर हमसे मिलने के लिए आए, फिक्की की नीति में हमको दावत देने, अभी आठ रोज पहले। तो मैंने सोचा कि ये केवल हमको दावत देने के वास्ते नहीं आए होंगे, कुछ और भी बात करना चाहते होंगे तो मैंने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सवाल को छेड़ा, मैंने कहा कि इसका असर आप लोगों के ऊपर भी होगा। उन्होंने कहा कि नहीं होगा, यहां वित्त मंत्री बैठे हैं, एक गोष्ठी में हम सब लोगों ने, वहां एक और उद्योगपति थे, उनसे भी हमने यह बात छेड़ी, तो मैंने उनसे जब यह बात छेड़ी, सभापति जी, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और कुछ हंसी भी आने लगी। वे हमसे बोले, देखिए, हम तो निपट लेंगे और आप जैसा समझते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे चिन्ता है कि मजदूरों का क्या होगा ? यानी उन्होंने कबूल कर लिया कि हमारे जो बड़े उद्योग हैं वह तो बन्द होंगे ही और यह बोलने के लिए उनको ठीक नहीं लगा और मुझ से कहा कि हम भी परेशानी मे हैं, पर मजदूरों का क्या होगा।

आप जानते हैं कि मैं मजदूरों के बीच में काम करने वाला आदमी हूं, जहां भी रहूं, मैं उनके बीच में ही रहता हूं, तो यह मानी हुई बात है कि देश में बड़े और छोटे उद्योग और आपने तो लघु उद्योगों के लिए भी कह दिया कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आवें, 24 प्रतिशत वह भी अपनी पूंजी लगावें, कोई भी आवे, खोल दिया सब कुछ और लोगों को जानकारी हो न हो लेकिन काम

तो हो ही गया। तो रोजगार कहां से बढ़ेगा। तो इसलिए एक तो बेरोजगारी की समस्या को बढ़ाने का काम यह बजट करेगा और हम चाहेंगे कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसी योजना आवे जो सचमुच बेरोजगारी के प्रश्न को हल करने वाली हो।

रेल मन्त्री यहां पर बैठे हैं और वित्त मंत्री भी, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप एलान करिए कि एयर कंडीशंड रेस्तरां में कितना किराया जाएगा। और कहां कितना काटा जाएगा और कितना बढ़ाया जाएगा। ये सब हर साल होने वाले खेल हैं, इससे न देश का कुछ बनता है और न बिगड़ता है, इससे कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ ठोस चीज करिए। एक हजार किलोमीटर प्रतिवर्ष नयी रेल की पटरी बिछाने का काम करिए, एक हजार किलोमीटर नयी रेल की पटरी का मतलब, 30 हजार लोगों को रेलवे में परमानेंट रोजगार मिलते हैं और 30 हजार लोगों को परमानेंट रोजगार मिलें, इस इनफ्रास्ट्रक्चर में, तो अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, दोनों तरफ जो रोजगार निर्माण होते हैं, इनक्लूडिंग दी सर्विस सैक्टर, तो आपको एक हजार किलोमीटर की रेलवे हिन्दुस्तान में लगभग दस लाख रोजगार साल में पैदा करेगी। हजार किलोमीटर पर आपको मात्र एक हजार करोड़ रु० लगाने हैं पटरी के लिए, पांच सौ करोड़ रुपए रोलिंग स्टाक के लिए और 15 सौ करोड़ रु. आपको अपनी तरफ से लगाने हैं और ये 1500 करोड़ रु० अगर आप लगाएंगे तो 10 लाख लोगों को आप रोजगार दे पायेंगे, इतने रोजगार आप निर्माण करेंगे। आप सड़कों का निर्माण करिए, सीमेंट कारखानों को बढ़ाइए, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण एक्सप्रेस हाईवेज को बना दीजिए, लाखों लोगों को उससे रोजगार मिल पाएगा, गांव-गांव से लोग आकर रोजगार कर पाएंगे और विकास का एक नया ढांचा बनेगा। 30 प्रतिशत लोगों को खिलाने-पिलाने, उनकी अय्याशी, उनकी मस्ती, उनकी विलासिता, इस पर आप जो ये सारा दौलत को बर्बाद करने का काम हो रहा है, इसको आप खत्म करिए। देश को विकास की ओर ले जाइए। टिहरी गढ़वाल को छोड़ दीजिए, आपकी सरकार के लोग इस बात को जानते हैं कि टिहरी गढ़वाल के पीछे केवल ठेकेदारों का मामला है और कुछ नहीं है। देश इससे बरबाद हो जाएगा। नर्मदा का वही मामला है। छोड़िए इन सब चीजों को और छोटे इरीगेशन प्रोजेक्ट्स पर इस पैसे को लगाइए।

सभापति महोदय, महात्मा गांधी का जो दर्शन था, वह दर्शन कोई आजादी के संघर्ष तक ही सीमित नहीं था। आजादी के संघर्ष तक अगर महात्मा गांधी का दर्शन सीमित होता तो अलबर्ट आइंस्टीन क्यों बोले,

> "कि आज से हजारों वर्ष बाद लोग आश्चर्य करेंगे कि क्या यह वास्तव में सत्य है कि उन जैसा आदमी इस धरती पर चला था।"

वे यह बात नहीं बोलते। आइंस्टीन बहुत बुद्धिमान आदमी थे। हिन्दुस्तान की आजादी के सिपहसलार नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी के बारे में उन्होंने बातें कहीं और इसलिए कहीं कि दुनिया के निर्माण का एक सम्पूर्ण दर्शन महात्मा गांधी ने रखने का काम किया था और आज उस दर्शन से हम लोग दूर हो गए हैं।

इसके साथ-साथ यह जो इंटरनेशनल मानेटरी फण्ड का मामला है, आखिरी जुमला कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। इन्टरनेशनल मानेटरी फण्ड के पास जब वित्त मन्त्री जी गए थे, तब से हम इसका विरोध करते आए हैं और अब और सख्ती से इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आज

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

और जानकारी हमारे हाथ में है, आज समय नहीं है इस पर ज्यादा बहस करने का। आज हमारे पास जानकारी है कि इन्टरनेशनल मानेटरी फण्ड किस तरह से हम लोगों को तबाह करेगा, किस तरह से वर्ल्ड बैंक हम लोगों को तबाह करेगा। आपको वर्ल्ड बैंक और आई० एम० एफ० के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप दो काम करिए। अंडर इनवाइसिंग और ओवर इनवाॅसिंग, जिसके बारे में परसों स्वयं वित्त मन्त्री जी ने कुबूल किया था और कहा था कि आप लोग जितना कहते हो, उतना नहीं होता है, लेकिन होता है, तो इसको आप रोक लीजिए। 70-75 हजार करोड़ रुपया आयात-निर्यात है। 10 प्रतिशत भी अगर कोई ऊपर का मार देता है तो 7 साढ़े 7 हजार करोड़ रुपया उसी में से बच जाएगा। हवाला को रोक दीजिए। हवाला का काम तो बहुत तेजी पर है, हवाला को रोक दीजिए तो विदेशी मुद्रा बचाने का काम भी हो जाएगा और देश के भीतर जो भ्रष्टाचार है, उसको भी कुछ रोकने का काम करिए। आप तो एक एक कानून ऐसे ला रहे हैं जो भ्रष्टाचार को इन्स्टीट्यूशनलाइज करने वाली चीजें हैं।

सभापति महोदय, मेरे हाथ में यहां पर एक दस्तावेज है, माननीय सदस्यों के भाषण चलते वक्त मैं इसको भी पढ़ रहा था। यह है एनुअल रिपोर्ट 1.1.1989 से 31.12.1989 तक रिपोर्ट आफ दी सेंट्रल विजीलेंस कमीशन। मैं चाहूंगा कि वित्त मन्त्री जी इसको पढ़ लें। इसमें एक-एक चीज दी गई है समय नहीं है कि मैं इसको पढ़ सकूं।

सभापति महोदय : आपने कहा था कि अंतिम मुद्दा है आई०एम०एफ० का।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अंतिम मुद्दा है, आई०एम०एफ० से ही संबंधित है। आई०एम०एफ० के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस रिपोर्ट के अनुसार लोगों को पकड़ा गया है। बैंक, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, इण्डियन बैंक, ओवरसीज बैंक, इण्डियन एयरलाइंस, रेलवेज, आदि से लोगों को पकड़ा गया है और उन्होने कुछ को पकड़ा है—आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए। इसमें से जितने मामलों को उन्होंने पकड़ा है, 20 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक विकास पर डाली हुई पूंजी बड़े लोगों ने हजम की है और यह सब पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग्स ने हजम की है। इनके अफसरों ने हजम की है। इनके नाम नहीं हैं, लेकिन एक एक उदाहरण दिया हुआ है कि कहां, कौन और किधर है। 3 लाख का फ्लैट 13 लाख में खरीदा है इण्डियन बैंक ने बम्बई में और एक नहीं, 13 करोड़ रुपया इस पर लगा दिया और बगल में ही दूसरे बैंक ने 3 लाख रुपए में फ्लैट खरीदा है। इस तरह से लूट हुई है। वही बात रिजर्व बैंक के बारे में है। इसी तरह से इण्डियन बैंक ने मद्रास के सेंट्रललाइज एयरकंडीशनिंग पर 1.5 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, जिसकी जरूरत ही नहीं थी और इतना ही नहीं अपने आफिसर्स को अलग से एयर कंडीशन लगाने की इजाजत भी दे दी। अगर 20 प्रतिशत इस तरह से बरबाद होता है तो आप देख लीजिए।

सभापति महोदय, जिसको आपने यह बजट समर्पित किया था, श्री राजीव गांधी जी, उनकी ही एक बात हम चाहेंगे कि कम से कम सत्ताधारी दल के लोग याद रखें और उनकी बात यह थी कि हिन्दुस्तान में विकास के लिए पूंजी लगाई जाती है, उसमें से सिर्फ 15 प्रतिशत ही उस विकास के काम के लिए जा पाती है और उसमें से 85 प्रतिशत बीच के लोगों की जेब में चली जाती है। ये उनके शब्द थे। उनका भाषण हुआ था बम्बई में, अखबारों ने छापा था और आप लोग नाराज न हों, मैंने उस वक्त कहा था कि बहुत सच बात बोली गई है। 100 रुपए में से 15 रुपए देश के विकास के काम के लिए जाता है।

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : राजस्थान में भी कही थी।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अनेक जगहों पर उन्होंने इस बात को कहा था। मैं चाहूंगा कि 15 प्रतिशत जो लगता है, अगर 15 प्रतिशत खाया जाए और .....।

• 22 00 म०प०

85 प्रतिशत लोगों के काम में जाता हो तो 15 प्रतिशत जो है उसमें से 10 प्रतिशत भी बचाने का काम हो जाता है तो फिर आपके इस साल के खर्चे में से, प्लान एक्सपेंडीचर में से 3-4 हजार करोड़ रुपए ऐसे ही बच जायेंगे और देश के विकास का जो ढांचा आपको बनाना है उसके लिए आई०एम० एफ० और वर्ल्ड बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

मैं मानता हूं कि सम्पूर्ण ईमानदारी की बात कोई कर नहीं पाएगा, लेकिन जो सम्भव ईमानदारी है, अगर उतना भी करने में सरकार यदि अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करेगी, प्रयोग करेगी तो मुझे विश्वास है सभापति जी, कि इस देश को कुछ तो नयी दिशा बनाने का काम हो जाएगा। ऐसे अगर आप बजट पेश करेंगे तब हम आपका समर्थन करेंगे। आज मैं इस कानून का सम्पूर्ण विरोध करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री के० पी० रेडुय्या यादव** (मछलीपट्टनम) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और उद्योग मंत्रालय की अनुदान की मांगों से सम्बंधित चर्चा में भाग लेते हुए, हमारी पार्टी के सदस्य इस बात पर जोर दे रहे थे कि इस पवित्र सदन में 80 करोड़ व्यक्तियों द्वारा चुनकर आने वाले माननीय सदस्य केवल एक प्रतिशत जनसंख्या की सेवा करते हैं।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

हमारी सारी शक्ति और मूल्यवान समय केवल एक प्रतिशत जनसंख्या की सेवा में लग रहे हैं। हम इस बात पर बार-बार जोर देते रहे हैं। अत्यन्त गरीबी में जीवन व्यतीत करने वाले अधिसंख्य जनता की समस्याओं के सिवाय पिछले दो-तीन महीनों के दौरान हम अन्य सारे मुद्दों पर विचार करते रहे हैं। न तो आम बजट पर बहस और न ही अन्य विभिन्न चर्चाओं में गरीबों और उनके उद्धार के लिए कोई चिन्ता व्यक्त की गई है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह पवित्र सदन और सरकार केवल एक प्रतिशत जनसंख्या की आवश्यकताओं के प्रति ही जवाबदेह है। समस्त बजट इस सम्पन्न वर्ग विशेष की सेवा के लिए ही बनाया गया प्रतीत होता है। समाज के इस वर्ग के लोगों को देश के गरीबों का शोषण करने की अनुमति दी जा रही है। वे भ्रष्टाचार का मुख्य स्रोत है। श्री जार्ज फर्नान्डीज और श्री देव गौड़ा जैसे वरिष्ठ और प्रमुख सांसदविद इस बहस में अपने मूल्यवान विचार प्रकट करते हुए इस देश के गरीबों की दशा पर पहले ही प्रकाश डाल चुके हैं, श्री देव गौड़ा और अन्य सदस्यों ने जोरदार शब्दों में अनुरोध किया है कि उर्वरकों पर दी जाने वाली 4000 करोड़ रुपये की राज सहायता को बन्द नहीं किया जाये क्योंकि इससे किसान प्रभावित होते हैं जो हमारे देश की जनसंख्या का 80 प्रतिशत है। परंतु दुर्भाग्य से उनके समस्त अनुरोधों को अनसुना कर दिया गया है। माननीय वित्त मंत्री अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने कृषक-समुदाय के हितों को अनदेखा करते हुए राजसहायता जारी रखने से इन्कार कर दिया। मैं समाज के अन्य वर्गों को दी गई रियायतों का विरोध नहीं कर रहा हूं, मुझे इनसे कोई परेशानी नहीं

* मूलतः तेलुगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री के०पी० रेड्डया यादव]

हैं। कच्ची फिल्मों पर लगाए गए 90 प्रतिशत के शुल्क को उस व्यवसाय के प्रभावशाली वर्ग से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी प्रकार एयर कंडीनशरों पर लगे शुल्क को भी घटा दिया गया है, ये सारे कदम बताते हैं कि सरकार केवल 1 प्रतिशत विशिष्ट व्यक्तियों के हितों में ही रुचि लेती है, सरकार अपने समस्त प्रयास समाज के इस विशिष्ट वर्ग को प्रसन्न करने में लगा रही है। देश की शेष 60 से 70 करोड़ जनता के बारे में उसे कोई चिन्ता नहीं है। सरकार को उनकी गरीबी और उनके दुखों की कोई चिन्ता नहीं हैं, गरीब किसान दिन-रात मेहनत करके वर्ष भर में 180 से 200 मिलियन टन खाद्यान्नों का उत्पादन करते हैं। न केवल इतना बल्कि वे हमारे चीनी उद्योग के लिए भी पर्याप्त मात्रा में गन्ने का उत्पादन भी करते हैं। अल्कोहल उद्योग को शीरे की सप्लाई की जाती है, यह स्पष्ट है कि औद्योगिक क्षेत्र के अस्तित्व के लिए भी किसान का योगदान महत्वपूर्ण है। सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व का अधिकांश हिस्सा उपेक्षित कृषक समुदाय के पसीने से ही प्राप्त होता है। केवल एक प्रतिशत जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु इस अधिसंख्य वर्ग का शोषण किया जा रहा है। हमें स्वतंत्रता पाए 44 वर्ष हो गए हैं, आज तक इस अधिसंख्य वर्ग में भ्रष्टाचार और बेईमानी नहीं पनपा पाए हैं, उनके पास मकान तो दूर, रहने के लिए झोंपड़ियां तक नहीं हैं, उनके पास गांवों में शौचालय की सुविधा भी नहीं है। महिलाओं को आज भी खुले में शौच करने जाना पड़ता है और इस प्रकार अपमान सहना पड़ता है।

गांवों में आज भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है। ग्रामीण भारत में कोई नियोजित विकास या प्रगति नहीं हुई है। पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश में किसान विद्युत आपूर्ति के लिए 90 पैसे प्रति यूनिट दे रहे हैं। परन्तु यहां दिल्ली में, जहां सभी सुविधाएं है, 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जा रही हैं। स्वतन्त्रता से लेकर अब तक सरकार शहरी क्षेत्रों के विकास की ओर ही ध्यान देती आ रही हैं। उनके जीवन को और अधिक आरामदेह तथा सुख-सुविधाओं से भरपूर बनाने हेतु सभी प्रयास किए जा रहे हैं। गावों में रहने वाले 80% लोगों को बिलकुल भुला दिया गया है। वे दयनीय जीवन जी रहे हैं। वे लोग जो राष्ट्र की सम्पदा बढ़ाने में सहयोग करते हैं, जीवित रहने के लिए कठिन संघर्ष कर रहे हैं। यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी नहीं की गई हैं। सम्पूर्ण राष्ट्र की प्रगति तथा विकास संतोषजनक नहीं है। आज भी यदि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण देने से मना कर देता है या अनिवासी भारतीय अपनी जमा राशि वापस ले लेते हैं तो हम संकट में पड़ जायेंगे। हम उनकी दया पर जीवित हैं। 44 वर्ष के नियोजित विकास का यह कुल परिणाम निकला है। महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से ऋण प्राप्त करने तथा अपने स्वर्ण भण्डार बेचने के सिवाय हमने अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करने का कोई और बेहतर प्रयास नहीं किया। 1990-91 के दौरान हमने 42000 करोड़ रुपये मूल्य का आयात किया जबकि 32,000 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात किया है। व्यापार घाटा 10,000 करोड़ रुपये का है। यह अन्तर मुख्य रूप से पूंजीगत वस्तुओं के आयात के कारण है। फिर भी इस सीधे और स्पष्ट सच की अवहेलना करके 11,000 करोड़ रुपये पूंजीगत वस्तुओं के आयात हेतु आवंटित कर दिए गए हैं। बाहर जिन वस्तुओं की लागत 60 लाख रुपये है उनकी लागत यहां एक करोड़ रुपये बताई जा रही है। बाकी बचे 40 लाख रुपये को स्विटजरलैंड में बैंकों में जमा कराए जा रहे हैं। यही जमा राशि अनिवासी भारतीयों के माध्यम से यहां वापस लाई जा रही है। अधिक मूल्य के आयात तथा कम मूल्य के निर्यात ने हमारी अर्थव्यवस्था को बिलकुल नष्ट कर दिया

हैं। 1984 के दौरान, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जीवित थीं, हमारा विदेशी ऋण 18,400 करोड़ रुपये था। स्वर्गीय राजीव गांधी के कार्यकाल में यह बढ़कर 100,000 करोड़ रुपये हो गया। कलम के एक ही झटके में वर्तमान वित्त मंत्री डा० मनमोहन सिंह ने इसे 1,40,000 करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया। यह एक महान देश है, इसमें विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं है। परन्तु देश में उपलब्ध प्रतिभा का उपयोग नहीं किया गया। लोगों ने मातृभूमि के प्रति अपना लगाव खो दिया है। वे पेट्रोल की खपत को आसानी से आधा कर सकते थे। वे राष्ट्र को संकट से बचाने के लिए एक दिन एक वक्त का खाना छोड़ सकते थे। फिर भी सरकार द्वारा इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। यदि देश को नौकरशाहों तथा राजनितिज्ञों से बचा लिया गया होता तो शायद राष्ट्र को आज इस संकट का सामना न करना पड़ता। नौकरशाहों तथा राजनितिज्ञों ने आज देश की स्थिति बिगाड़ने के दशा में बड़ा योगदान दिया है। महोदय, वर्तमान वित्त मंत्री, जो एक योग्य, सक्षम, ईमानदार और कठोर परिश्रमी व्यक्ति हैं, की आड़ में इस वर्ष एक नई औद्योगिक नीति बनाई गई है। यदि कांग्रेस पार्टी में से किसी और ने ऐसा किया होता तो लोगों की ओर से अभूतपूर्व विरोधी प्रतिक्रिया होती। लोग चुप हैं क्योंकि डा० मनमोहन सिंह के प्रति उनके मन में सम्मान है जो अपनी सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें आशा है कि नई नीति से कुछ बेहतर निकलेगा। वे नई नीति के परिणामों का उत्सुकतापूर्वक इन्तजार कर रहे हैं। महोदय, कई माननीय सदस्यों ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण के बारे में विस्तार से व्याख्या की है। ये सभी इकाइयाँ घाटे में चल रही हैं। ऐसा क्यों है कि वर्ष प्रति वर्ष इन इकाइयों में घाटा हो रहा है? यह मुख्य समस्या है जिसका सामना आज देश और यह सभा कर रही है। आज देश में दो समानान्तर प्रशासन चलाए जा रहे हैं। सभी बड़े अधिकारी जैसे प्रबन्ध निदेशक, मुख्य अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता और वित्त सचिव अपनी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यरत हैं जैसे अधिकारी—सह-ठेकेदार व्यवस्था, अधिकारी—सह-एजेंसी व्यवस्था, अधिकारी—सह-कच्चा माल सप्लायर व्यवस्था। इस प्रकार उस सार्वजनिक उपक्रम के अन्दर सभी का अपना समानान्तर संगठन है। यह वास्तविक त्रासदी है। ठेकेदार कहते हैं कि उनकी आय में उच्च अधिकारियों का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। लाखों ईमानदार कुशल तथा निष्कपट श्रमिक बड़े अधिकारियों तथा चालाक ठेकेदारों के बीच होने वाले लेन देन के मूक गवाह हैं। उन्हें इस बात का दुःख है कि वे तो देश की प्रगति तथा खुशहाली के लिए दिन रात कार्य करते हैं जबकि महत्वपूर्ण लोग भ्रष्ट तरीकों के जरिए पैसा कमाते हैं। जो उच्च सोपानकों पर व्याप्त इस भ्रष्टाचार से निचले स्तरों पर अक्षमता तथा निष्क्रियता बढ़ रही है। अतः मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक सतर्कता कक्ष की स्थापना करें। सरकार को उच्च अधिकारियों तथा उनके सगे सम्बन्धियों की बढ़ती हुई परिसम्पत्तियों पर नजर रखनी चाहिए। सार्वजनिक धन को लूटने वाले इन लोगों पर कड़ी नजर रखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस मामले में आपको समाज के प्रत्येक वर्ग से पूरा सहयोग मिलेगा। मैं वित्त मंत्री महोदय को भी बताना चाहता हूं कि यदि वर्तमान नीति असफल रहती है तो लोग सरकार को क्षमा नहीं करेंगे। कृपया अर्थव्यवस्था को नौकरशाहों तथा राजनीतिज्ञों के जाल से मुक्त करायें, सभी उच्च अधिकारियों, संसद सदस्यों तथा इस विषय से सम्बन्धित लोगों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र करिए। उनके आश्रितों के बारे में भी जानकारी एकत्र करिए। आप उनकी पूरी जांच करिए। उनकी बढ़ती हुई परिसम्पत्तियों पर नजर रखिए। महोदय जब राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा मुख्यमंत्री ईमानदारी से और कुशलतापूर्वक कार्य करते हैं तो सभी समस्याएं स्वतः ही लुप्त होती चली जाएंगी, राष्ट्र प्रगति करेगा और खुशहाल होगा।

[श्री के॰पी॰ रेड्डया यादव]

महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका शुक्रिया करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दम दम) : महोदय, बजट पर चर्चा तथा वित्त विधेयक पर चर्चा में भेद न करने की सभा में परम्परा बन गई है। मुझे भी इस परम्परा का अनुसरण करने का प्रलोभन तो है परन्तु मैं अपने आपको संयत रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी आत्मा तथा नियमों का अनुपालन कीजिए।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : निःसन्देह कई प्रश्न उठाए गए हैं। वित्त विधेयक की एक परीक्षा निश्चित रूप से यह भी होगी कि मूल्यों पर इसका क्या प्रभाव होगा। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह सच है कि व्यय-पद्धति का महत्व होता है, परन्तु वित्त विधेयक की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।

धनराशि एकत्र करने के सम्बन्ध में, इस समस्त विवरण के बावजूद आंकड़े इस बात को इंगित करते हैं कि बजट में उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क से एकत्र धनराशि प्रत्यक्ष करों से एकत्र धनराशि से कहीं अधिक होगी। लगभग 83% संसाधन अप्रत्यक्ष करों से जुटाए जाएंगे और केवल 17% संसाधन प्रत्यक्ष करों से जुटाए जाएंगे। इससे कीमतों पर दबाव पड़ेगा। हमने संकट की स्थितियों के बारे में सुना है। हमें यह बताया गया है कि स्थिति बहुत खराब है। कम से कम भुगतान संतुलन के क्षेत्र में तो स्थिति बहुत ही खराब है। मैं आपको कुछ आंकड़े दूंगा। विदेशी पर्यटकों "वेगोजिज" से जुटाई जाने वाली धनराशि 550 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 900 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है। जब हम कहते हैं कि हम ऋण जाल में जकड़े हुए हैं तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि देश में आने वाले पर्यटकों से होने वाली वसूली 900 करोड़ रुपये तक बढ़ जाएगी। क्या भुगतान संतुलन पर संकट की स्थिति आप इसे ही समझते हैं ? वित्त मंत्री इस प्रश्न का जवाब दें। सीमा शुल्क से जुटाई जाने वाली धनराशि में लगभग 5000 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की आशा है, 21000 करोड़ रुपये से बढ़कर 26000 करोड़ रुपये। इस वक्तव्य के बावजूद कि हम प्रत्यक्ष करों से अधिक धनराशि जुटा रहे हैं और इस वक्तव्य के बावजूद कि हम उत्पाद शुल्कों में रियायतें दे रहे हैं, हमें यह बताया गया है कि वे हमारे आयातों में कमी करने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई क्या है ? यदि हम अवमूल्यन पर ध्यान दें जो कि 22% हो गया है, तो मैं इस हद तक सहमत होने के लिए तैयार हूं कि आयात मूल्य में वृद्धि होगी। इस वक्तव्य के संदर्भ में कि आयात कम किया जा रहा है, यह वृद्धि लगभग 25% तक होगी।

अब, मुझे नहीं मालूम कि किस बात पर विश्वास किया जाए। देश को आपातकालिक भावना संप्रेषित करने की असफलता के कारण ही दोनों पक्षों के कई माननीय सदस्यों के द्वारा बार-बार यह इच्छा अभिव्यक्त की गयी कि प्रत्यक्ष करदाताओं को 22,000/- रुपये के स्तर पर नहीं, बल्कि 48,000/- रुपये के स्तर पर, कर-अदायगी से छूट मिलनी चाहिये। मैं समझता हूं कि दो वर्षों के समय में, संचित मूल्य वृद्धि लगभग 35 प्रतिशत से 40 प्रतिशत होगी। यदि यह एक आपातकालिक स्थिति है, तो हमें दूसरे पक्ष को याद रखना है। दूसरा पक्ष हमें बताता है कि हमारे करदाता जनसंख्या का केवल एक प्रतिशत हैं। यदि हम यह मान लें कि प्रत्येक परिवार में एक करदाता है और यदि हम मान लें कि आज हमारी प्रति-परिवार आय 22,00 /- रुपये है, तो

हमारे देश की स्थिति क्या है जहां केवल 5 प्रतिशत परिवार औसत स्तर से ऊपर हैं तथा 95 प्रतिशत परिवार औसत स्तर से नीचे हैं ? पिछले 40 वर्षों की अवधि में हमने इस देश में आय का वितरण किस प्रकार किया है ? यही स्थिति बड़े घरानों तथा गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के परिसंपत्ति धारण का आंकड़ा 50-50 प्रतिशत होने के रूप में प्रकट हुई है। किन्तु मैं चाहता हूं कि छूट की सीमा को बढ़ाने की मांग करने वाले सभी लोग इस पर विचार करके देखें। यदि सरकार तथा वित्त मंत्री बिल्कुल गैर-जिम्मेदार भी हों, तो हम भी ऐसे ही हो जायें ? महंगाई भत्ते के संबंध में बड़ा ही सशक्त मामला बनता है। मुझे इसकी जानकारी है। इस बारे में कोई मुझे समझाने का प्रयास न करें। किन्तु यह दूसरा पहलू है जिसे याद रखना होगा। इसे याद नहीं रखा गया क्योंकि वित्त विधेयक आपत्कालिक भावना सम्प्रेषित करने में असफल रहा है। यह इस बात को बताने में असफल रहा है कि सरकार धनवानों को हाथ लगाने को कृत-संकल्प है। उस दो प्रतिशत के बीच भी आय-वितरण में भारी असमानता है। क्या हम उनके दबाव के आगे झुक जायेंगे। हम वैसा करने पर विचार कर रहे हैं जैसा कि हमने राजस्व बजट में प्रकल्पित माल-असबाब की आमद में संकेत दिया है। इस पर विचार किया जा सकता है और शायद निचले स्तर पर कर दर को घटाने का मामला बनता है। शायद आय-कर में और अधिक स्लैब बनता है। किन्तु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जो लोग पैसा दे सकते हैं उनसे पैसा लिया जाए।

ऐसा नहीं है कि वित्त विधेयक में कोई अच्छी बात ही न हो। मैं ऐसा नहीं कहूंगा मैं जानता हूं कि संसार को बिल्कुल स्याह अथवा सफेद रूप में चित्रित नहीं किया जा सकता है। यह मिला-जुला है। वित्त विधेयक में एक-दो अच्छी बातें हैं। किन्तु सब बातों के ऊपर यह अवश्य दिखाई देता है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को संतुष्ट करने का एक उपकरण है। यह एक अपरिहार्य निष्कर्ष है।

आयकर पर दृष्टिपात करें। क्या यह आवश्यक है कि स्थिति इतनी संकटपूर्ण है कि हमें कर को भी दानशीलता के साथ जोड़ना पड़े ? क्या इस घड़ी यह कहना अपमानजनक नहीं है कि जब तक लोगों को कर संबंधी रियायतें न दी जायें, वे दानशील नहीं हो सकते। आप उदार मन वाले व्यक्तियों का क्यों अपमान करते हैं ? आयकर अधिनियम पर दृष्टि डालें। उन्होंने कहा है कि एक समिति है। वह इसे बहुत ही सरल दस्तावेज बना सकती है। बचतों और प्रोत्साहनों को छोड़ कर दातव्य न्यासों और दूसरी सभी चीजों पर से सारी कटौतियां हटा लो। आप पायेंगे कि यह एक सरल दस्तावेज है। क्या इससे, जैसा कि मैंने बजट संबंधी वाद-विवाद के दौरान अपने भाषण में कहा, आप सभ्यता के उस 48 प्रतिशत भाग से जुड़े रह पायेंगे ?

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप जितना समय चाहें, ले सकते हैं। यह शून्य-काल में समय की अनुमति देने से तो अच्छा है। वह अच्छी बातें बता रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : धन्यवाद, महोदय। किन्तु दूसरा शून्यकाल समीप आ रहा है।

एक अन्य पहलू है और मैं आपके माध्यम से सभा तथा वित्त मन्त्री का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं। मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज के समान सशक्त वक्ता नहीं हूं। मैं अपनी बातें इतनी कुशाग्रता से नहीं कह पाऊंगा। किन्तु क्या देश में ऐसे राज्य भी हैं जो अपने बजट संबंधी मामलों के संबंध में परेशान हैं। क्या यह सच नहीं है कि जहां केन्द्र की उलझनें उसकी स्वयं की पैदा की

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी]

हुई हैं, राज्यों की सारी उलझनें राज्यों की अपनी पैदा की हुई नहीं है ? वह अपने उत्तर में इसका खंडन करें। राज्यों की बहुत सी उलझनों के लिए केन्द्र उत्तरदायी है। यदि वित्त विधेयक के कारण मूल्यों में वृद्धि होती है, तो राज्यों को कष्ट भुगतना पड़ता है। वित्त मंत्री महोदय ने यह सोचने की बिल्कुल चेष्टा नहीं की कि उन्हें राज्यों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने हेतु यथा-शक्ति हर सम्भव प्रयास करना है। उन्होंने सदन को यह वचन क्यों नहीं दिया कि प्रेषण कर विधेयक को सदन में रखा जाएगा ? उनका कहना है कि इस प्रेषण कर द्वारा प्रत्येक प्रमुख राज्य के लिए 200 करोड़ रुपए वार्षिक अधिक लिए जा सकते हैं। वे कहते हैं कि यह एक आकलन है। मुझे पश्चिम बंगाल सरकार की वित्तीय स्थिति का ज्ञान है। वह एक महत्वाकांक्षी सरकार है जो हमेशा बिना घाटे का बजट प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। इसलिए, वे तत्काल आवश्यकता वाली इतनी सारी व्यय संबंधी मदों पर खर्च करने में असमर्थ हैं। वित्त मंत्री जी को यह नहीं सूझा कि राज्यों की वित्त व्यवस्था को बर्बाद करने के बजाय वह इस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं।

पहले भी मैंने एक सुझाव दिया है। यह पहली बार नहीं है कि मैं इस सदन में यह सुझाव दे रहा हूं। कोई चार साल पहले केन्द्र द्वारा राज्यों के संसाधनों से चोरी की गयी थी। सारी भविष्य निधियां लघु बचतों के माध्यम से एकत्रित की गयीं थीं। कोई चार या पांच साल पहले केन्द्र में किसी जीनियस को यह सूझा कि यदि केन्द्र एक ऐसी जमा योजना बनाए जहां सामान्य बीमा निगम तथा जीवन बीमा निगम को भविष्य निधियों को जमा किया जा सके, तो उनमें से राज्यों को हिस्सा देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि राज्यों को लघु बचतों में से हिस्सा दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस हेतु बजट में बहुत कुछ प्रकल्पित है ? वह 8000 करोड़ रुपए हैं जो लघु बचतों की मद में सोचे गए धन से अधिक है। क्या उसे राज्यों को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है ? यदि यह कर दिया जाए तो प्रत्येक राज्य को लाभ पहुंच सकता है।

तीसरा पहलू यह है : वित्त मन्त्री जी यह मानकर चलते हैं कि लघु-बचतों के लिए धारा 80 एल के अन्तर्गत रियायतें देकर वह राज्यों से उठने वाली चिल्लाहटों में से कुछ को संतुष्ट करने में सफल रहे हैं। इसके पीछे उनकी प्रकल्पना पर नजर डालें। लघु बचत कर्ता कौन है ? प्रकल्पना यह है कि लघु बचत कर्ता वे हैं जो कर देते हैं। दो प्रतिशत अथवा पांच प्रतिशत परिवार लघु बचतकर्त्ता हैं। वे कहते हैं कि देश में नामचार को भी कोई कृषिगत आय-कर नहीं है। इसके लिए मैं केन्द्र को दोष नहीं देता। यहां गुमराह किस्म के वक्तव्य दिए गए हैं। मैं उसके बारे में जानता हूं। मुद्दा यह है कि कृषिगत आयकर आधारभूत रूप से राज्यों का मामला है। वे कृषिगत आय को उगाहने हेतु एक धारणात्मक आंकड़े को लेकर चलते हैं। मुझे नहीं पता कि वास्तविक राशि कितनी है। किन्तु यदि हमें उन लोगों से धन की उगाही करनी है जो कर-दाता नहीं है तो क्या उन्हें 12 प्रतिशत की दर से ब्याज देना काफी है जबकि अन्य हर प्रकार की बचतों में इससे कहीं अधिक मिलता है ? उन्हें यह नहीं सूझता। मैं पश्चिम बंगाल के विषय में जानता हूं—अन्य राज्यों के विषय में भी यह सत्य होना चाहिए—कि लघु बचतों से होने वाली उनकी उगाही इस वर्ष शून्य होने जा रही है। निस्संदेह, कर-दाता तो हैं। किन्तु अन्य लोगों का क्या होगा ? यह राज्यों को अपने संसाधनों को बढ़ाने से रोकने का एक और तरीका है। मैं चाहता हूं कि इस संबंध में भी अवश्य उत्तर दें।

मैं वित्त विधेयक के बारे में अपने आपको नहीं रोक पा रहा हूं। किन्तु असल में, मैं आपके पक्ष में हूं। उदारीकरण के रूप में जिस अन्य उपाय का उल्लेख किया गया है, वह है ब्याज की अस्थिर दर। उन्होंने सहकारी समितियों की समस्याओं पर अच्छी तरह से विचार किया है। जैसा कि विपक्ष की ओर से उल्लेख किया गया है, इसमें अब भी एक खामी है। शायद वह अपने उत्तर में इसका समाधान निकाल सकते हैं कि शहरी सहकारी समितियों को भी ग्रामीण सहकारी समितियों की तरह ही सुविधाएं दी जाएं। शहरी सहकारी समितियों में भी यह अनुबन्ध किया गया है कि वह अपना साठ प्रतिशत ऋण प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ही दें। इसके लिए मैं विचारार्थ उनका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

किन्तु यह ब्याज की दर पर कर क्या है, और ये लोग कौन हैं तथा यह अस्थिर ब्याज की दर क्या है ? मैं सारी बातें ब्याज की दर पर कर के बारे में कर रहा हूं। यद्यपि यह निश्चित रूप से प्रत्यक्ष कर नहीं है, किन्तु यह एक कर है। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उल्लेख करते समय ब्याज की अस्थिर दर की अनुमति दिए जाने के बाबत स्वयं ही कहा। क्या ये सभी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें हैं ? सत्र समाप्त हो रहा है, हम नहीं जानते कि उनकी शर्तें क्या है ? यदि उनकी शर्तें हैं, तो वे क्या हैं ? वह कहते हैं कि बिना शर्तों के हमें ऋण कोई नहीं दे रहा है ? वे शर्तें क्या हैं ? शर्तों को पूरा करने में आप समर्थ होंगे। इसी के अन्तर्गत अन्य बातें भी है। यदि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल प्रतिभूतियां ही उधार देता है, तब यदि इस ब्याज कर के कारण ब्याज की दरें बढ़ जाती हैं, तो यह कि हैं दिया जाएगा ? धनाढ्य ऋणदाताओं में टाटा और अन्य समूह है, जिन्हें बैंकिंग क्षेत्र के प्रबन्धक को ऋण देने में खुशी होगी; जिन्हें उन्हें बैंक प्रबन्धक को ऋण देने में असीम दैवी सन्तुष्टि प्राप्त होती है तथा उससे न्यूनतम दर पर ब्याज लिया जायेगा और निम्न वर्ग के लोग बैंक में जायेंगे तो ब्याज की दर पर कर के कारण उनसे ऊंची दर पर ब्याज लिया जाएगा। यदि वह इन ऋणों के बारे में प्रवीण है, तो क्या वह ऐसा उपाय नहीं कर सकते, जिससे वह कहें कि ऋण की इस धनराशि पर इससे अधिक ब्याज की दर नहीं लगायी जा सकती है और केवल उसी ब्याज की दर के भुगतान की लागत को ऐसी बड़ी राशि के लिए ऋणों पर लगाया जाएगा ? मैं उन्हें दूसरा यही सुझाव देना चाहता हूं।

आय कर पर वापस आते हुए······

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : आयकर प्रेषित होकर अथवा आय कर पर वापस आते हुए ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आय कर पर वापस आते हुए, इस प्रकार के फार्मूले में अनेक बातें कही गयी है। वह जांच करा सकते हैं उन्होंने एक समिति गठित की है। उनके लिए शीघ्र ही यह घोषित करना क्यों असम्भव है कि प्रत्येक करदाता विस्तृत विवरणी देगा ? यह वही है जो डा० कालदर ने कहा, आय कितनी है तथा व्यय कितना है, इस तरह का प्रस्ताव था। हम इससे पीछे क्यों हटते रहे हैं ? कर के इस ढांचे पर मैंने दो प्रश्न उठाए थे। आप उस बात से पीछे क्यों हटे, जिसकी कोशिश प्रो० मधु दंडवते ने उपहार कर के रूप में की थी ? उन्होंने इसे आदाता कर बनाने की कोशिश की थी। वह विधेयक व्यपगत हो गया। आपने उसे रद्द क्यों किया ? यह अन्य मामलों से अधिक निष्पक्ष था।

मैं यह प्रश्न भी उठाना चाहता हूं कि हमारे कर संविधि में उत्तराधिकार कर शामिल क्यों नहीं किया गया है ? मैं सम्पदा शुल्क से अधिक उत्तराधिकार कर के पक्ष में हूं। उत्तराधिकार कर,

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी]

जिस व्यक्ति के उत्तराधिकार में वह हो, को ध्यान में रखकर ही लगाया जाता है। इस दृष्टि में यह सम्पदा शुल्क से बेहतर है। इस सबसे यह पता लगता है कि यदि यह आपातकाल है, तो इन बातों का प्रयास यह सुनिश्चित कराने के लिए किया जाना चाहिए कि हम ऋण जाल में नहीं फंस रहे हैं। इससे बचा जा सकता है। मेरे सारे अनुरोधों तथा उनकी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह न लगाने के बावजूद, मुझे विश्वास है कि उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का असहाय यन्त्र के रूप में सहारा लिया। कुछ ही महीनों में वह हंसी के पात्र बन जायेंगे। उन्होंने क्या पेशकश की है? उन्होंने काले धन वालों से यह कहते हुए पेशकश की है कि आप आइए और बैंक विशेष में अपना धन जमा कराइए तथा जमा राशि का केवल 40 प्रतिशत आप निकाल सकोगे। आप 40 प्रतिशत कर क्यों नहीं लगाते हैं? इसी से अब तक बचते आ रहे हैं। कर की प्रभावी दर आज भी 40 प्रतिशत नहीं है। वे क्यों आयेंगे? मेरे पास एक कहानी है जो किसी व्यक्ति ने यह कहते हुए मुझे लिखी है कि 40 निर्धनों के लिए आवास हेतु लिया जाना बहुत प्रसंशनीय है। वह पुनः कहता है कि आप वृद्धावस्था पेंशन जैसी अन्य बातें भी लाकर इसे और अधिक प्रसंशनीय क्यों नहीं बना सकते हैं? मैंने उसे विनम्रतापूर्वक यह कहते हुए उत्तर लिखा कि क्या वह इसे मिलाकर और भुगतान करेंगे, और क्या वे अपने काले धन को और अधिक देंगे, ये असम्बद्ध बातें हैं। इसका दूसरा रास्ता हो सकता है। वह दण्ड देने का काम है। आपकी चेतावनी कागज की तरह कार्य की चेतावनी है। वह सभा के सामने खेद व्यक्त करते हैं कि वह अपने निर्यातकों पर वैध रूप से अर्जित विदेशी मुद्रा को देश में जमा कराने के लिए दबाव नहीं डाल सकते हैं। वह हमारी अर्थ-व्यवस्था के वास्तविक शक्तिशाली व्यक्तियों को चेतावनी जारी करते हैं। आपने उन्हें यह कहते हुए तीन महीने का और समय दिया कि यह अन्तिम समय होगा। किन्तु उन्होंने अपने जीवन में ऐसे अनेकों अंतिम अवसर देखे हैं। अतः यहां दूसरा रास्ता अपनाना है और वह रास्ता कोई पारितोषिक नहीं किन्तु दण्ड देना है। यह मामला इस सभा में ठीक ही उठाया गया है।

श्री राम नाईक और मुम्बई के अन्य सदस्यों को मेरे यह कहने पर बुरा लग सकता है कि किर्लोस्कर पकड़ा गया था, और यह कहते हुए शोरगुल हुआ था कि वह भी अन्य लोगों की ही तरह एक नागरिक है। क्योंकि वह किर्लोस्कर था। जब तक आप इस तरह का दण्ड नहीं देंगे कुछ भी नहीं मिलेगा। इन दंडों का बेहतर उपयोग करने के लिए मैं उनसे बार-बार कहता हूं कि दूसरे शीर्षों के अन्तर्गत बचाए, किन्तु राजस्व विभाग के अन्तर्गत नहीं बचायें। यह बहुत आसान है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह शत-प्रतिशत ईमानदार नहीं हैं उनसे सर्वेक्षण के लिए कह सकता है। आप सर्वेक्षण के लिए अपने अधिकारियों की संख्या बढ़ाइए और तब खोज और जब्ती कार्यक्रम का अनुकरण कीजिए और तब यह सब पकड़िए। मेरा श्री वी० पी० सिंह से जब तक वह वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री भी थे, कुछ विदेशी नीतियों के बारे में मतभेद थे। किन्तु इस मुद्दे पर वह सही थे। जिन्होंने इससे बचना चाहा आपने उनके लिए यह कठिन बना दिया है। इसमें कुछ नहीं है।

अब मैं अपने साथियों को बाधा पहुंचाने के बजाय, अपना भाषण समाप्त करता हूं। प्रेस में एक समाचार प्रकाशित हुआ है – मैं नहीं जानता कि वे आंकड़े सही है या नहीं—क्योंकि यह अलग-अलग मूल्य संगणना है। 800 करोड़ रुपए की वसूली नहीं होगी, जैसा कि वित्त मंत्री को आशा है। यह आंकलन था। यदि ऐसा होता है, तो मैं सबसे अधिक प्रसन्न व्यक्ति होऊंगा। मुझे शंका है कि ऐसा आंकड़ा होने पर वह पीछे हट सकते हैं, क्योंकि यह धनी व्यक्तियों के लिए कठिन है।

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : यह 800 करोड़ रुपया क्या है ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वह अलग-अलग मूल्य संगणना।

श्री मनमोहन सिंह : जब कर वसूली बहुत कम है, यह 800 करोड़ रुपए कैसे हो सकती है ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हमें यही आंकड़े दिए गए हैं। वे कहते हैं कि आपकी वसूली बहुत कम है।

श्री मनमोहन सिंह : मुझे खेद है··· (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपको खेद है। हम आपको खेद व्यक्त करने की अनुमति देते हैं। किन्तु हमें क्यों दुखी करते हैं ? देश को दुखी क्यों करते हैं ? यदि वह ऐसा नहीं कर सकते हैं, यदि वह वैध और अवैध रूप से संचित धन का पता नहीं लगा सकते, यदि वह वैध और अवैध रूप से प्राप्त आय का पता नहीं लगा सकते, और यदि वह आपातकाल की बात करते हैं, तब वह केवल अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्वर हो सकता है और एक ईमानदार स्वर नहीं, धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री भैंरू लाल मीणा (सलूम्बर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

मैं डिटेल में नहीं जाकर हमारे सांसद साथियों ने बहुत अच्छी बातें कहीं, कुछ सुझाव दिए, कुछ अपनी पोलिटिक्स के हिसाब से दिए, मैं तो उन गरीबों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, अभी तेलगूदेशम् के सांसद बोल रहे थे, उनकी बात मुझे समझ में आई और वह बिलकुल ठीक बोले। मैं मजदूर तबके से आया हूं और गरीब तबके से भी आया हूं। यह बात सही है कि देश की स्थिति खराब हो गई लेकिन क्यों हुई, किस लिए हुई. इस पर हम केवल यहां बैठकर चर्चा करते रहते हैं लेकिन वास्तव में ऐसा क्यों हुआ, क्यों होने जा रहा है और क्यों संकट पैदा होता है और क्यों नहीं गरीब लोगों को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है, यह कभी नहीं सोचा जाता। मैं तो इतना ही कहूंगा, निवेदन करूंगा, हमारे सदन में बैठने वाले सांसद महोदयों से और मिनिस्टरों से कि यदि हम ईमानदारी से, लगन से देश को आगे रखकर काम करेंगे तो कोई ऐसी शक्ति नहीं जो इस देश की स्थिति ऐसी हो सकती है।

मैंने भी जो-जो काम किए, उन कामों को इस ढंग से किया, जो वास्तव में एक जन प्रतिनिधि को करने चाहिए तो उसमें मुझे सफलता मिली और जनता भी खुश हुई। इसलिए मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो राजनैतिक फायदा उठाने की बाबत हम सभी कहते हैं कि देश की स्थिति खराब हो गई, बजट ऐसा आ गया जिससे मंहगाई बढ़ी। यह हम भी कहते हैं और हमने भी कई दफा कहा, सब साथी कहते हैं लेकिन ऐसी स्थिति क्यों आ गई और आ गई तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसके ऊपर हमको सोचना चाहिए। विपक्ष वाले भी कुछ दिन सरकार में बैठे, पक्ष वाले भी 0 साल सत्ता में रहे और इन्होंने डेढ़ साल तक किया और वापस चले गए। अब एक दूसरे पर दोषारोपण करने से देश का या गरीब जनता जो बैठी हुई है, उसका कुछ होने वाला नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वाकई हम लोगों पर जो खर्च होता है, उस खर्च को हमें पहले देखना चाहिए। हम यहां संसद में आए हैं और हम लोगों को लगभग पांच हजार रुपए तनख्वाह

[श्री भेरू लाल मीणा]

मिलती है, लेकिन जो किसान खेत में काम करता है, उसको तीन सौ रुपए भी नहीं मिलते हैं। हमारा एक दिन का खर्चा सौ रुपये है और इसी तरह से मिनिस्टरों और अन्य व्यक्तियों का भी खर्च होता है। मैं कहना चाहता हूं कि उसको कुछ कम करिए। मैं कहना चाहता हूं कि जो गलत काम करता है, उसको सामाजिक तरीके से या कानूनी तरीके से ठीक किया जा सकता है। जो चोरी करता है, जो अधिकारी ठीक तरह से काम नहीं करते हैं, जो प्रतिनिधि ठीक से काम नहीं करते हैं, वे भी इस देश के निवासी हैं और जो अधिकारी हैं, वे भी इस देश के निवासी हैं और हम भी भारत के निवासी हैं। लेकिन हम केवल एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। यदि कोई गलत काम करता है, जांच में पकड़ा गया है, उसको छुड़ाना है, तो वह हमारे पास आता है हाथ जोड़ता है, कहते हैं कि इसका ध्यान रखना तो वह छूट जाएगा। इसी तरह से स्टेट्स में भी जो आतंकवाद फैला है, राज्य में ही क्यों देश में आतंकवाद फैल रहा है। जो अशांति फैल रही है, उसका कारण क्या है? कारण यही है, जो गरीब है, वह गरीबी के कारण तड़पता है और उसको ज्यादा परेशानी होती है। फिर जब वह आग उगलने लगता है, तो वह गलत काम करने लग जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस बजट में, जो आप अच्छा बजट लाए हैं, कुछ कमियां हैं, जिसका मैंने जिक्र किया और दूसरे साथियों ने किया, उस ओर ध्यान दें।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान से आता हूं। मैं राजस्थान की स्थिति से अवगत हूं। राजस्थान में ज्यादा आदिवासी रहते हैं वह ट्राइबल क्षेत्र हैं। ट्राइबल के नाम से हमारे यहां एक आयोग बैठाया गया और उस कमीशन को स्पेशल फण्ड दिया जाता है। इतना फण्ड देने पर भी उस क्षेत्र को कोई लाभ नहीं मिला है। पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाए और किस तरह से गरीब तबके को आगे बढ़ाया जाए, उसका भी अधिक ध्यान रखा जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा, कुछ माननीय सदस्यों ने भी कहा, मैं मजदूरों से आता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि मजदूरों पर अन्याय होने लगा है। अन्याय इस प्रकार से हो रहा है कि आपने बजट में पैट्रोल के दाम बढ़ा दिये हैं और जो मजदूर तबका है, वह मोटर साइकिल या टैम्पो से, एक तरह से दो व्हील गाड़ी पर चलता है और आपने पैट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। उधर फिर इनकम टैक्स का मामला भी है। इनकम टैक्स देने वालों को आपने छूट नहीं दी है। पैट्रोल का दाम बढ़ाने से उसके खजाने से ज्यादा पैसा चला गया और फिर उसके ऊपर भी उसको टैक्स देना पड़ता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इनकम टैक्स की सीमा को भी बढ़ाया जाए। पहले से वेतन सोलह गुना बढ़ा है, मंहगाई बढ़ी है, इसलिए इनकम टैक्स की छूट की सीमा भी बढ़ायी जानी चाहिए। पैट्रोल का दाम बीस परसेंट बढ़ा है, इसलिए मैं यह नहीं कहूंगा कि सीधा उसको उठा लिया जाए, लेकिन दस प्रतिशत तो किया जाए, जिससे लोगों को राहत मिलेगी।

खाद के अंदर आपने छूट दी है। छोटे किसानों को छूट दी। यह कदम उठाकर आपने बहुत बढ़िया किया है। मैं अभी अपने क्षेत्र से आया हूं, वहां पर कुछ दूसरी ही स्थिति हो रही है छोटे किसानों के पास खाद खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है, तो बड़े व्यापारी या ऐसे ही लोग उसके नाम से खाद खरीद कर अपनी दुकान में रख लेते हैं। इस प्रकार वास्तव में जिसको खाद की जरूरत होती है उसको खाद नहीं मिलती है। जब उसको खाद डालनी होती है तो दुगुने भाव पर खरीद कर डालता है। इस प्रकार किसानों का शोषण हो रहा है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई के साधनों की ओर भी ध्यान दिया जाए। यह बात मैंने पहले भी कही थी, अब भी कहना चाहता हूं कि इस बजट में इसका प्रावधान किया जाए। छोटे लोगों के पास जमीन हैं, उस जमीन के ऊपर सिंचाई के साधन जुटाए जायें। मास्टर प्लान बनाकर सिंचाई के लिए छोटे-मोटे तालाब बनाये जायें, ताकि लोगों को लाभ मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, आपने घण्टी बजा दी है, मैं अनुशासन का पक्का हूं। इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करते हुये, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया।

अध्यक्ष महोदय : श्री अन्ना जोशी बोलें।

श्री अन्ना जोशी : आप पहले श्रीमती वसुन्धरा राजे को बोलने की अनुमति दीजिए। उसके बाद मैं बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उससे बोलने के लिए कहा था परन्तु मुझे बताया गया है कि वह अन्त में बोलना चाहती हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालावाड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं श्री अन्ना जोशी को भी धन्यवाद देती हूं कि वह मुझे पहले बोलने की अनुमति दे रहे हैं। मुझे व्यापक चर्चा, जिसका अधिकांश भाग जानकारी देने वाला और आनन्द दायक है, सुनने का अवसर मिला है। मैं स्वयं को आर्थिक मामलों की विशेषज्ञ नहीं मानती हूं और इसमें कुछ और नहीं जोड़ सकती हूं। परन्तु आज मैं उस बात पर बल देना चाहती हूं जो मेरे सहयोगी प्रो० प्रेम धूमल और श्री लक्ष्मी नारायण कह चुके हैं।

आज वित्त मन्त्री महोदय यहां उपस्थित हैं। मैं इस बात की प्रशंसा करती हूं कि उन्होंने अनेक रियायतें दी हैं। परन्तु मेरे माननीय सहयोगी ने कहा है कि ये रियायतें पर्याप्त नहीं हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें ये रियायतें नहीं दी गई हैं। मैं मुख्य रूप से कांच के बर्तन उद्योग के बारे में बोलना चाहती हूं।

मैं वित्त मन्त्री महोदय को यह बताना चाहती हूं कि पैक करने वाली सामग्री जैसे टिन, प्लास्टिक आदि कांच की तुलना में सस्ते नहीं हैं। परन्तु कांच के बर्तनों पर 44 प्रतिशत का उत्पादन शुल्क लगाने के कारण वे बहुत मंहगे हो गए हैं। जब आप इसमें बिक्रीकर जोड़ देते हैं तो उन पर 58.4 प्रतिशत के कराधान का बोझ पड़ जाता है जो विनाशक है। सामान्यत: 44 प्रतिशत की उच्च दर से कराधान अधिकांश विलासिता की वस्तुओं पर लगाया जाए। परन्तु कुछ विलासिता की वस्तुओं पर कम दर से कराधान लगाया गया है।

मैं आपको संक्षेप में अनेक पैक करने वाली सामग्रियों की तुलनात्मक दरें बताना चाहती हूं। प्लास्टिक पर उत्पाद शुल्क और बिक्री कर 8 प्रतिशत हैं टेट्रापैक पर यह 10 प्रतिशत, टिन पर 28.15 प्रतिशत, पी० ई० टी० बोतलों पर 8 प्रतिशत और कांच के बर्तनों पर 58.4 प्रतिशत है। हमारे देश में मूलरूप से खपत की 55 प्रतिशत प्लास्टिक का और 80 प्रतिशत टिन प्लेट का आयात किया जाता है। कांच उद्योग और कांच शत प्रतिशत स्वदेशी है इसमें किसी प्रकार के आयातित कच्चे माल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अन्य सामग्री जैसे प्लास्टिक, पी० ई० टी० की बोतलें, टेट्रापैक आदि में केवल आयातित कच्चे माल का ही नहीं बल्कि आयातित मशीनरी का भी प्रयोग

[श्रीमती वसुन्धरा राजे]

किया जाता है। जब देश के सामने भुगतान संतुलन की विकट समस्या है तब टेट्रापैक उद्योग ने मशीनरी के आयात पर करीब 100 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। टेट्रापैक उद्योग में 200 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है परन्तु इसकी 20 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार के उद्योगों को कम उत्पादन शुल्क अथवा यथामूल्य 16.5 प्रतिशत शुल्क द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है।

कांच उद्योग पैक करने वाली अन्य सामग्री के उद्योगों की तुलना में कम तीव्रता की ऊर्जा वाला उद्योग है। मेरे पास एक ऐसी तालिका है जिससे यह पता चलता है कि विभिन्न प्रकार की 1 किलो सामग्री के उत्पादन में कुल कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। कम घनत्व के पोली-थीन रेजिन के उत्पादन के लिए कुल 104.35 ए० जे० ऊर्जा प्रयोग की जाती है। पी० ई० टी० रेजिन, जिसको वित्त मन्त्री महोदय ने 20 प्रतिशत की रियायत दी है में 83 एम० जे० ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत कांच के बर्तनों में केवल 21.7 एम० जे० ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। इन सब बातों के अतिरिक्त कांच के बर्तन उद्योग में लोगों को रोजगार मिलता है इस उद्योग में करीब 1.2 मिलियन श्रमिक कार्य करते हैं। यह प्रदूषण रहित पैक करने वाली सामग्री है तथा उसका दुबारा प्रयोग किया जा सकता है।

प्रो० धूमल ने थाइलैंड के एक कारखाने का जिक्र किया है। थाइलैंड करीब 350,000 टन कांच का उत्पादन करता है। भारत का कुल उत्पादन 600,000 टन है। थाइलैंड में इसके तीन बड़े और छोटे-छोटे कारखाने हैं मलेशिया, मध्य एशिया और अनेक दूसरे देश इसके आस-पास हैं यह बड़े शर्म की बात है कि भारत में कांच के बर्तन उद्योग को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप यह उद्योग असमान प्रतियोगिता के कारण रुग्ण हो गया है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि सरकार इस उद्योग पर वर्तमान उत्पादन शुल्क यथामूल्य 44 प्रतिशत से घटाकर 16.5 प्रतिशत कर दे ताकि यह उद्योग केवल चालू ही न करें बल्कि फले-फूले भी। मैं वित्त मन्त्री महोदय को यह बताना चाहती हूं कि मैं बहुत देर से अपनी बात कहने की प्रतीक्षा कर रहा हूं और इस चर्चा का आनन्द ले रही हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह दिखाई दे रहा है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : परन्तु मैं उन्हें यह बताना चाहती हूं कि वह मेरी बात सुनें क्योंकि मैंने बहुत प्रतीक्षा की है।

महोदय, मैं इस बात पर पुनः जोर देना चाहती हूं और वित्त मन्त्री महोदय को बताना चाहती हूं वह इस उद्योग पर अपना ध्यान दें ताकि यह रुग्ण न हो। मुझे उम्मीद है कि वह बहुत जल्दी इस उद्योग के फलने-फूलने में रियायत देंगे। मुझे विश्वास है क्योंकि मैं ही अकेली एक ऐसी महिला हूं जो रात के 11 बजे इन्तजार कर रही हूं······

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : जी नहीं। आप मुझे पुरुष नहीं समझ सकती। मैं दो बच्चों की मां हूं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मैं इस पक्ष की अकेली एक ऐसी महिला सदस्य हूं जिसने अपने विचार व्यक्त करने के लिए काफी समय तक प्रतीक्षा की है ताकि वित्त मन्त्री महोदय ध्यान दें और अपेक्षित परिवर्तन करें।

मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : महोदय, मैं इस वित्त विधेयक का विरोध करता हूं और अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

जब भारत से विदेशों को सोना भेजने के संबंध में चर्चा हो रही थी तो माननीय प्रधानमंत्री ने इसमें हस्तक्षेप किया था। इस मामले को श्री वाजपेयी ने उठाया था। माननीय प्रधान मन्त्री ने कहा, "जी हां, हमने ऐसा ही किया है।" उस कदम का समर्थन करके उन्होंने संस्कृत में उद्धरण दिया था—सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम् तेजति स पंडितः। इसलिए यह प्रश्न उठा था कि देश सर्वनाश की स्थिति में कैसे पहुंचा? उसके लिए श्री वाजपेयी ने ठीक ही कहा है कि हम ऋण तथा आप जो ब्याज दे रहे हैं उसके बारे में विवाद पैदा करना नहीं चाहते परन्तु कम से कम हमें यह तो बता दे कि इतना अधिक ऋण कैसे हो गया? आपने यह धन कहां खर्च किया इसका कोई जवाब नहीं मिला। परन्तु पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में अधिक समय तक रही है इसलिए आप आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि उन्होंने कितना खर्च किया है। आप इसका जवाब ढूंढ सकते है। यह भय पैदा करने वाली बात है क्योंकि हमने ऐसी चीजों पर खर्च किया था जो अनुत्पादक थी और उनसे इस देश को कुछ नहीं मिल रहा है।

मैं ऐसे कुछ उदाहरण पेश करूंगा जहां पर आपने व्यर्थ में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। विभिन्न राष्ट्रीकृत बैंकों ने 'ऋण मेलों' का आयोजन किया था! हमने इन ऋण मेलों में लगभग 3000 करोड़ रु० खर्च किए और कुछ भी सफलता नहीं पाई।

एशियाई खेलों के दौरान बहुत भ्रष्टाचार हुआ। यदि हम उसका लेखा-जोखा रखें तो इसमें लगभग 1600 करोड़ रुपए व्यर्थ खर्च हुए थे।

तत्पश्चात राष्ट्र मण्डलीय देशों के प्रमुखों का सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें उनकी तीन दिन की गोआ यात्रा भी शामिल थी। उस पर हमारा लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च हुआ।

इसके बाद गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन हुआ था। हमें श्रीलंका में भारतीय शान्ति सेना पर भी धन खर्च करना पड़ा था। हमें दो वर्ष तक प्रतिदिन लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। हमने वहां लगभग 4000 करोड़ रुपया खर्च किया और एक हजार सैनिकों को खोना पड़ा। उससे हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ।

एक माननीय सदस्य : और श्री राजीव गांधी भी।

श्री अन्ना जोशी : वह हमारी सबसे बड़ी क्षति है। हमें कुछ करोड़ रुपए भारत उत्सव पर खर्च करने पड़े जिसे हमारे देश भर में मनाया था। इस तरह हमने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए!

हमारे सम्माननीय मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कहा था कि राष्ट्रीयकृत बैंकों और सहकारी उपक्रमों में करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी की गई है। इस धोखाधड़ी में हमें न करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। यदि हम इन सबका हिसाब करें तो हमें उत्तर मिल जायेगा!

हम विदेशों से करोड़ों रुपये का कर्ज लाए हैं और हमने वह सारा धन इस या उस काम पर बिना कुछ उपलब्धि के खर्च कर दिया। इसलिए इससे पूर्व कि हम इन बजट प्रस्तावों को पारित

[श्री अन्ना जोशी]

करें, आप खर्च किए गए उन का लेखा जोखा रखें, और क्या आप उससे अस्पृश्य रहने को तैयार हैं और कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहते हैं।

अभी भी आपने 29 करोड़ रुपये की घोषणा की है। इस 29 करोड़ रुपए में से आप फिल्म उद्योग को 20 करोड़ रुपए दे रहे हैं और केवल 9 करोड़ रुपए गरीब या जरूरतमन्द लोगों को मिलेगा। इससे सरकार के इरादे का पता चलता है। इससे पता चलता है कि खर्च की प्राथमिकताओं के संबंध में अभी भी सरकार के इरादे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हैं।

जुलाई, 1991 से नए युग की शुरूआत हुई है! नई औद्योगिक नीति ने ब्याज की दर बढ़ा दी है और इससे लघु उद्योग संकट में पड़ गए हैं। चूंकि आपने उन्हें किसी भी दर पर ब्याज लेने की अनुमति दी है इसलिए वे मनमाने दर पर ब्याज लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

उन उद्योगों को जिनकी बाजार में कुछ साख है ब्याज की रियायती दर पर उनकी इच्छानुसार ऋण मिल सकेगा। लेकिन वे उद्योग जो नए हैं या छोटे हैं या कुटीर उद्योग जिनकी बाजार में न तो कोई साख है, न कोई प्रतिष्ठा है उन्हें अधिक ब्याज देना होगा जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कम ऋण मिलेगा। इसलिए, नई औद्योगिक नीति और ब्याज दर में वृद्धि के कारण लघु उद्योग, छोटे उद्योग और कुटीर उद्योग संकट में पड़ गए हैं।

दूसरी बात जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं वह शहरी सहकारी बैंकों के बारे में है। आप वहां की जमाराशि पर जो प्रतिबंध लगा रहे हैं या जो ब्याज दर वसूलने जा रहे हैं उससे वे दोहरी परेशानी में पड़ गए हैं। एक तरफ बैंकों से सारी जमाराशि निकाल ली जाएगी और दूसरी ओर उन्हें कर देना होगा।

श्री मनमोहन सिंह : जमाराशि कहां चली जाएगी ?

श्री अन्ना जोशी : आप स्वयं इसका पता लगा सकते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपको पता है कि उनका उपयोग काले धन्धों या अन्य धन्धों में किया जाएगा।

श्री अन्ना जोशी : उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मुझे सहकारी बैंकों से अनेक अभ्यावेदन मिले हैं जिसे प्राफेसर कापसे ने आपको भी दिया है। ये जमाकर्ता अपनी जमाराशि को निकालने पर उतारू होंगे, उन्हें अपना धन वहां रखने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा और साथ ही बैंकों का काम काफी बढ़ जाएगा। इस प्रकार, इन सहकारी बैंकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अच्छा तो यह होगा कि उन्हें इस कर से मुक्त रखा जाय।

एक और प्रावधान है जिस पर मैंने अपना संशोधन पेश किया है। यह उन जमाकर्ताओं के बारे में है जिनको 2500/- रुपए से अधिक ब्याज मिलता है और जिन्हें कुछ ब्याज देना होगा। आप उनको कम से कम यह रियायत तो दे ही सकते हैं कि यदि वे उतनी धनराशि चुका देने के प्रमाणस्वरूप अग्रिम कर रसीद प्रस्तुत करते हैं तो केवल उसी समय उन्हें इस कर से छूट दी जा सकती है। यह प्रावधान उन पर लागू नहीं होना चाहिए।

इन्हीं सुझावों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मुझे कृपया एक सुधार करने की अनुमति दें। मैंने प्रति व्यक्ति आय के रूप में 20,000/- रुपये कहा था। वास्तव में इससे मेरा आशय प्रति परिवार की आय से था। इसमें तदनुसार संशोधन किया जाय। मुझे इस मुद्दे पर गलत न समझा जाय। धन्यवाद !

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं।

श्री वी० एन० रेड्डी : अनुपस्थित।

[हिन्दी]

श्री अय्यूब खां (झुंझनू) : जनाबे सदर मोहतरम्, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस टाईम पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले इस मुकद्दस मादरे वतन का स्व० महात्मा गांधी ने खाका बनाया और स्व० नेहरू जी ने रूह फूंकने का काम किया और स्व० श्रीमती गांधी और स्व० श्री राजीव गांधी ने इसको खून से सींचा और इस मुल्क को परवान चढ़ाने का एहद किया है। श्री पी०वी० नरसिंह राव जी और उनकी सरपरस्ती में हमारे फाईनेंस मिनिस्टर साहब, उनके सहयोगी मंत्रियों और तमाम डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने जो संकल्प लिया है, इससे वे वाकई तारीफ के काबिल हैं। जितनी बधाई दे सकूं उतनी कम है। मैं, उनसे आग्रह करूंगा कि हम हिन्दुस्तानी गरीब रह सकते हैं लेकिन अपने जमीर को नहीं बेच सकते। इसका मतलब यह है कि किसी जमाने में हमारे मुल्क के स्व० प्रधानमन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने "जय जवान-जय किसान" का नारा दिया था। आज समय उस नारे का है। अगर हम अपने देश का सोना बाहर भेजने से रोकते तो अपने मुल्क के लिए मदद नहीं लेते बल्कि देश की मदद कर सकते थे। तो मेरे ख्याल से बहुत लोग आगे आते, उसमें मुल्क की खिदमत करने के लिए आगे बढ़ते। मैं राजस्थान से आता हूं और विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ इलाका है लेकिन मेरे जिले झुंझनू में ऐसे-ऐसे गांव हैं जहां 100 अरबपति मौजूद हैं। अगर इस संबंध में उन लोगों को कुछ छूट दी जाती तो वे देश की इस काम में मदद दे सकते थे। जो आपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी है, अगर हम गलती नहीं करें तो यह देश दुबारा गुलामी की राह पर जाने के लिए मजबूर हो जाएगा। बाहर के लोग आए और हमारे देश के गरीब लोगों से फायदा उठाया और उसका गलत जगह इस्तेमाल करें तो उचित न होगा। आज बिजनैस तबके ने एक दूसरी पार्टी को जन्म दिया है जो मुल्क में अफरा-तफरी बनाए हुए हैं और मुल्क के ढांचे में एक बहुत खतरनाक रोल अदा कर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वे लोग जो आएंगे, तो उन पर कुछ न कुछ पाबंदी लगे कि जो वरकर्स इंडस्ट्री में काम करें उनका सांझा प्राफिट उसमें होना चाहिए ताकि वे बड़े लोग ज्यादा पैसा खुद न कमा सकें बल्कि वरकर्स को उसका फायदा मिले।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में झुंझनू मेरा इलाका है जहां पर पीने के पानी की सबसे भयंकर समस्या है। केवल इन्दिरा गांधी कैनाल ही पीने के पानी का साधन है। वहां पर कोई भी सरकार हो, इतनी सक्षम नहीं कि उस प्रोजेक्ट को चला सके। आप उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा देंगे तो वह प्रोजेक्ट तैयार हो सकेगा और उस प्रोजेक्ट से सिंचाई ही नहीं बल्कि लोगों को पीने के लिए पानी मिल सकेगा, ऐसा मेरा मानना है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा इन्कम टैक्स की मियाद जरूर बढ़ाई जाए क्योंकि मिलिटरी के अफसरों और जवानों को इन्कम टैक्स देना पड़ रहा है जो मुल्क की खिदमत कर रहे

[श्री अय्यूब खां]

हैं। एक तरफ तो उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं और दूसरी तरफ टैक्स के रूप में पैसा ले लें। यह ताज्जुब की बात है कि छोटे-छोटे कर्मचारी भी इन्कम टैक्स देते हैं। इसको देखें।

अब रही बात गैस सिलेंडर की। इसमें लोगों को काफी तकलीफ है जब आप गांवों में जाएं तो गैस सिलेंडर की बात होगी। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस बात पर भी गौर करें। अब दूसरी बात पेट्रोल और डीजल की है। पेट्रोल की जो कीमत है, उसमें एक साधारण आदमी टैक्सी या स्कूटर से सफर नहीं सकता है, इस पर भी गौर करें। किरोसिन ऑयल के अन्दर आपने कन्सेशन दिया है लेकिन पेट्रोल या डीजल और किरोसिन तेल के रेट में इतना अन्तर है कि इससे करप्शन होगी।

अध्यक्ष महोदय, खाद की कीमत इतनी बढ़ गयी है कि इसके लिए आप एक बोर्ड बैठाइए। खाद के प्रॉडक्शन में इतना पैसा लगता है कि उससे किसान को राहत नहीं मिल पा रही है, इसलिए आग्रह करूंगा कि किसानों को खाद के मामले में ज्यादा रियायत मिले तो अच्छा रहेगा। जिस तरह आपने एक जमीन की सीमा रखी हुई है, उसी प्रकार धनवान लोगों के लिए भी एक मियाद होनी चाहिए कि वह एक करोड़ रुपए से अधिक की सम्पत्ति नहीं रख सके। अगर उससे ज्यादा हो तो देश की सम्पत्ति मानी जाए, ऐसा मैं आपसे आग्रह करूंगा। हमारे इलाके में ज्यादा से ज्यादा साधन करें। वहां इतने पिछड़े इलाके हैं कि आज तक लोगों ने रेल नहीं देखी…

अध्यक्ष महोदय : यह फाईनेंस बिल में नहीं आएगा, इसको छोड़ दीजिए और इस बारे में रेल मंत्री जी को बता दें।

श्री अय्यूब खां : मैं आपसे अपील करूंगा कि हमारे राजस्थान के विकास के लिए अधिक धन दिया जाए ताकि वहां की पीने के पानी की समस्या दूर हो सके। एक आखिरी सवाल है कि आप किसानों को बैंकों से लोन देने के लिए उसकी जमीन की गिरदावरी की पास बुक दें। उस पास-बुक पर बैंक उनको लोन दें। न कि वह पटवारी, तहसीलदार और सरपंच उनको जाकर कह दे। वह उस पास-बुक को लेकर जाए और बैंक के अधिकारी उस पास-बुक को देखते ही लोन दे सकें। अगर उसकी एंट्री हो और लोन पहले भरा हुआ है तो उसको लोन न दें, और पहले उसकी पेमेंट की हुई है तो उसको लोन दें। उसके पास इतनी बड़ी प्रापर्टी है जमीन की, फिर बैंक को किसकी गवाही चाहिए। इसलिए ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि वह लोन ले सके। धन्यवाद।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : माननीय अध्यक्ष जी,…। अगर खण्डेलवाल जी पहले बोलना चाहते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, पहले आप बोल लें खण्डेलवाल जी।

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने मिनट की सीमा है?

अध्यक्ष महोदय : पांच मिनट की।

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : मुझे तो टेलीग्राफिक लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप मुद्दे पर बोलें तो बहुत कुछ कह सकते हैं।

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, इस बजट से जितनी मुद्रा-स्फीति हुई है और मूल्य वृद्धि हुई है, कम से कम उतना प्रतिशत तो मेरे समय में बढ़ा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप अच्छे पॉइंट्स बोलिए। जितने पॉइंट्स बोलेंगे, उतना समय बढ़ा देंगे। नए पॉइंट्स बोलिए जो किसी ने न कहे हों और फाइनेंस बिल पर बोलें।

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस फाइनेंस बिल का विरोध करते हुए टैक्स के मुद्दों के अतिरिक्त एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर वित्त मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि इस फाइनेंस बिल में व्यापारियों की अवहेलना की गई है, व्यापार और व्यापारियों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया है। यह तो मैं मानता हूं कि पूंजीपतियों और इण्डस्ट्रियलिस्ट्स की लॉबी हमारे देश में है, परन्तु मैं इतना बता देना चाहता हूं कि देश में व्यापारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। लगभग देश में आठ करोड़ व्यापारी हैं—छोटे, मझोले और बड़े। व्यापारी और सारे देश की अर्थव्यवस्था और वितरण प्रणाली में व्यापारी का जो योग है, हमारी सरकार उनकी हमेशा अवहेलना करती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर और इतनी मिनिस्ट्रीज हैं, वहां पर।

[अनुवाद]

व्यापार के लिए अलग मन्त्रालय होना चाहिए।

[हिन्दी]

अगर वह तत्काल संभव नहीं होगी तो क्योंकि व्यापारियों की अवहेलना की गई, मैं चाहूंगा कि इन्हीं की मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट ऑफ इण्टरनल ट्रेड होना चाहिए। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो जवाहर लाल जी ने अपनी पहली मिनिस्ट्री में मिनिस्ट्री फॉर ट्रेड अफेयर्स रखा था। तो मेरा निवेदन यह है कि यह जरूर होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जिस समय सरकार ने घोषणा की थी कि हम सौ दिन के अन्दर महंगाई को घटा देंगे और जुलाई, 1990 के स्तर तक ला देंगे, उस समय जो राजनीतिक सूझ-बूझ के लोग थे उन्होंने तो यह जरूर समझा था कि यह एक षड्यंत्र है और यह देशवासियों को गुमराह करने के बारे में घोषणा-पत्र में लिखा गया है परन्तु इस देश के भोले-भाले वासी इस बात से खुश हुए कि कोई सरकार आने वाली है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह मुद्दा दूसरे सदस्यों ने पहले भी उठाया है।

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : हर सदस्य ने दोहराया है तो आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? मैं थोड़े ही समय में अपना वक्तव्य समाप्त कर दूंगा।

[हिन्दी]

मुझे बीच-बीच में मत टोकें टोकेंगे तो और टाइम लगेगा।

प्रो० प्रेम धूमल : थोड़ी देर धारा प्रवाह चलने दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वही मुद्दा बार-बार दोहराने का कोई मतलब नहीं है।

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : इस सत्र के अन्तिम दिन यह मेरा पहला भाषण है। आपको इसका ध्यान रखना चाहिए।

[श्री ताराचन्द खण्डेलवाल]

[हिन्दी]

मैं भूल गया इसीलिए कह रहा था। लोगों ने, भोले-भाले देशवासियों ने समझा कि शायद ऐसी सरकार आने वाली है जो महंगाई को रोकेगी परन्तु इससे विपरीत दशा हुई। सौ दिनों में महंगाई रोकने के बजाय इतनी बढ़ी कि जिन लोगों ने उस समय प्रशंसा की थी, आज वही लोग कम से कम पचास गुना इस सत्ताधारी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। बीच में वित्त मन्त्री जी ने घोषणा की थी और वक्तव्य दिया था कि शायद महंगाई नहीं रुक पाएगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उनके पास कोई फार्मूला नहीं है महंगाई रोकने का, तो मेरे पास एक फार्मूला है मंहगाई रोकने का।

वह फारमूला भी मैं आपको बता देता हूं कि यदि सरकार यह घोषणा कर दे कि अगले 5 सालों में सरकार के नियन्त्रण में आने वाली जितनी वस्तुएं हैं, उनकी कीमत नहीं बढ़ायेंगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 5 साल के लिए न भी घोषणा करे, सिर्फ दो साल के लिए ही ऐसी घोषणा कर दे, तो उससे महंगाई रुक जाएगी महंगाई बढ़ेगी नहीं। (व्यवधान)

आपने फिर मुझे टोक दिया। (व्यवधान) नहीं वे हमारे मित्र हैं। यदि सरकार दो साल के लिए ही ऐसी घोषणा कर देती है कि सरकार के नियन्त्रण के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के दाम नहीं बढ़ाए जायेंगे, कीमत नहीं बढ़ायी जाएगी तो महंगाई बढ़ेगी नहीं। सरकार तो खुद वस्तुओं की कीमत बढ़ाती है और उसका दोष व्यापारियों और उद्योगपतियों पर डाल देती है जो सरकार खुद कीमत बढ़ाती है, उसे कोई हक नहीं कि दूसरों पर दोषारोपण करे। सरकार ने सारा व्यापार अपने हाथ में ले लिया है। शायद किसी अर्थशास्त्री या किसी बुद्धिजीवी ने कहा है, एक कहावत है कि—

जो सरकार बने व्यापारी,

उसकी प्रजा बने भिखारी—

आज वही हो रहा है। (व्यवधान)

हां, चाणक्य ने कहा था—जो सरकार बने व्यापारी, उसकी प्रजा बने भिखारी। आज सरकार इतनी विफल हो गयी है कि सरकार भी ठीक से नहीं कर सकती। कितने हमारे पब्लिक अण्डरटेकिंग्स हैं, सरकारी नियन्त्रण में चलने वाले संस्थान हैं, उनकी हालत देख लीजिए। लगभग सभी में नुकसान है, 80 प्रतिशत पब्लिक अण्डरटेकिंग्स नुकसान में हैं।

आज तो वह कहावत चरितार्थ हो गयी है कि "उल्टा चोर कोतवाल को डांटे"। वही सरकार कर रही है। सरकार ने खुद अनेक चीजों की कीमत बढ़ायी है। यदि सरकार मेरे फारमूले के अनुसार घोषणा करती है तो निश्चित रूप से महंगाई रुक जाएगी।

अब मैं कुछ टैक्स के मुद्दे पर आता हूं। इन्कम टैक्स की सीमा 22 हजार से आगे बढ़ाने पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझसे पूर्व अनेक वक्ताओं ने इस विषय में पहले ही काफी बोल दिया है लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अगर आप प्रजातन्त्र में विश्वास करते हो तो आज सारे देश में जिस तरह से इस 22 हजार की सीमा को बढ़ाने की मांग हो रही है, यदि आप प्रजातन्त्र के ढांचे को और उसके प्रभुत्व को मानते हैं तो मेरा निवेदन है कि जनहित में, जनहित की मांग को देखते हुए, आपको झुकना पड़ेगा। हालांकि हमारे घोषणा पत्र में 48 हजार सीमा ले जाने के बारे में कहा गया है परन्तु समन्वय की दृष्टि से, कम्प्रोमाइज करने के लिए, आप इस सीमा को बढ़ाकर 40 हजार रुपए कर दीजिए, यह मेरी मांग है।

इसी तरह फर्म्स की एक्जेम्पशन लिमिट आपने 15 हजार रुपए फिक्स की हैं। यह बड़ी अजीब विडम्बना है कि व्यक्ति के लिए यह एक्जेम्पशन लिमिट 22 हजार है जबकि एक फर्म के लिए जो व्यापार करती है उसके लिए यह सीमा 15 हजार रुपये है। मेरी मांग है कि इस 15 हजार रुपए की सीमा को बढ़ाकर 40 हजार रुपए कर दिया जाए।

दूसरे डबल टैक्सेशन से भी सभी लोग परेशान हैं। यह भी अजीब विडम्बना है कि दो दफा टैक्स हमारे यहां लगाया जाता है, फर्म पर तो टैक्स लगाया ही जाता है, उसके पार्टनर्स पर भी, दोबारा टैक्स लगाया जाता है। मेरी मांग है कि टैक्सेशन की इस दोहरी नीति को तुरन्त बन्द किया जाना चाहिए।

तीसरी चीज यह है कि टर्न ओवर पर 40 लाख रुपए के, आडिट की सीमा रखी गयी है। जब मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गयी है, महंगाई इतनी बढ़ गयी है तो उस 40 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर देना चाहिए, यह मेरी मांग है।

एक नया प्रावधान आपने खण्ड 194 (एच) में जोड़ा है, जो बहुत ही घातक है और सर्वत्र उसका विरोध हो रहा है। ब्याज पर, कमीशन पर और दलाली पर टी०डी०एस० काटने का प्रावधान, आपने 2500 रुपए रखा है। मैं वित्त मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि एक वर्ष के लिए जब आपने 2500 रुपए रखे हैं तो उसके मायने हुए एक महीने में लगभग 200 रुपए, जबकि हमारे देश में अनेकों ऐसे छोटे-छोटे दलाल हैं, जो 300-400 रुपए मात्र की दलाली करते हैं, अनेकों विधवाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपनी पूंजी बचाकर बैंकों में फिक्स्ड डिपोजिट के रूप में रखा हुआ है, जितने वेतन-भोगी कर्मचारी और अध्यापक हैं, उन्होंने भी अपनी छोटी बचत बैंकों में एफ० डी० आर० के रूप में रखी हुई है. जो सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है, उसे एक साथ, एकमुश्त राशि मिलती है, उन्होंने भी अपनी राशि बैंकों में डिपोजिट करा रखी है, आज आप उस पर भी टैक्स वसूल करना चाहते हैं। मेरी मांग है कि डी० डी० एस० का प्रावधान जो इसमें आपने रखा है, वह बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। और अगर हमारे वित्त मन्त्री बिल्कुल समाप्त करने के मूड में न हों, तो कम से कम 2500 की जगह 10 हजार होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। एक और मांग है सेक्शन 143 के सब सेक्शन 2 के अन्तर्गत जो एक सुविधा सेल्फ असैसमेंट की छोटे व्यापारियों को दी गई थी, उसकी मूल भावना यह थी कि उनको सुविधा मिले। उसमें प्रावधान था कि यदि इन्कम टैक्स आफीसर सन्तुष्ट न हों, तो छः महीने में वह केस खोल सकते हैं, लेकिन अब आपने 6 महीने की बजाय यह प्रावधान 12 महीने कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसे कोई साधन नहीं हैं कि इन्कम टैक्स रिटर्न्स की छः महीने में जांच न कर लें। मेरा कहना यह है कि जो इन्सपैक्टर्स होते हैं, वे ब्लैकमेल करने के लिए छः महीने के पहले ही व्यापारी के पास जाकर कहते हैं कि आपका केस खुलने वाला है और फिर उनकी टेबल पर लेनदेन होता है। मेरा वित्त मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वे सरकारी अधिकारियों के सुझाव पर न जाएं क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान हैं और आपने बड़े-बड़े काम सारे देश के चलाए हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस पर जरा विचार करें।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 17 साल से इस देश में सेल्स टैक्स उन्मूलन की मांग हो रही है। लगभग सभी पार्टियों ने अपने घोषणा पत्रों में किसी न किसी साल उसके उन्मूलन का उल्लेख किया है। इसमें दो बातें हैं—एक तो ब्लैक मनी जनरेट होती है और दूसरा भ्रष्टाचार हो रहा है क्योंकि हर खरीददार यह चाहता है कि हम पर्चा न लें और बिना 7 या 10 परसेंट सेल्स टैक्स के लें। इससे ब्लैक मनी जनरेट हो रही है, उसको रोकने के लिए सेल्स टैक्स

[श्री ताराचन्द खण्डेलवाल]

उन्मूलन किया जाए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि यह मांग केवल व्यापारियों की ही नहीं बल्कि यह मांग सारे उपभोक्ताओं की भी है कि सरकार को व्यापारियों से एलर्जी है। चूंकि वे संगठित हैं इसलिए वे इस बात को उठा लेते हैं और उपभोक्ता चूंकि संगठिय नहीं है, इसलिए वह इसको उठा नहीं पाता है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित और परेशान उपभोक्ता हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको समाप्त किया जाए। आप कहते हैं कि यह स्टेट सब्जैक्ट है, तो मैं यह मांग करता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल से तो यह सेल्स टैक्स हटा हो सकती है, उसे ऐसा करने में क्या कठिनाई है। इसलिए मेरी मांग है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने क्षेत्र से तुरन्त सेल्स टैक्स को हटा ले।

अध्यक्ष महोदय, इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और यदि मैंने दो मिनट ज्यादा ले लिए हों, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : माननीय अध्यक्ष जी, संस्कृत का एक सुभाषित है :—

"विनायकम् डाकुर्वालम्
रचयामास वानरम्"

अभी गणपति के दिन हैं, गणपति का त्योहार है और इसलिए गणेश की मूर्ति बनाने के लिए निकले और उसकी बजाय बन गया-बन्दर। वैसे 100 दिनों के अन्दर इस देश मे जुलाई, 1990 की जो कीमतें थीं, वे लाने की बात करके, नया अर्थ-संकल्प आया और कीमतें कम होने की बजाय स्थिति ऐसी आई है कि आज जून महीने की तुलना में जो होल सेल प्राइस इंडेक्स है वह 15.20 बढ़ गया है। इसकी तुलना अगर अगस्त 90 के साथ करें, तो उस समय होलसेल प्राइस इंडेक्स 180.3 थी और आज 207.7 है, तो लगभग 28 परसेंट कीमतें बढ़ गई हैं और तब जबकि यह बताया गया था कि 100 दिन के अन्दर हम कीमतें नीचे लाएंगे और इसलिए यह सारा प्रयास जो सरकार द्वारा किया जा रहा है यह देश को कहां ले जाने वाला है? इसलिए इसके बारे में मेरे मन में संदेह है।

जब कीमतें बढ़ती हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि कीमतें आसमान को छू रही हैं। मुझे तो लगता है कि आसमान फाड़कर भी और ऊपर कीमतें कहां जा रही है। इस प्रकार होलसेल प्राइस इनडैक्स बढ़ रहा है। इन बातों को लेकर हमारे मुम्बई नगरी के बी० जे० पी० के कार्यकर्ताओं ने एक प्रयोग किया। फाईनेंस बिल चर्चा के लिए आएगा तो उन्होंने एक प्रकार के पोस्ट कार्ड छापे और लोगों के घरों में बांटें कि यदि आपको लगता है कि ये मांगें सही हैं तो अपने हस्ताक्षर करके हमें लाकर दे दीजिए। हम फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइमिनिस्टर को देंगे। आपको आश्चर्य होगा कि सात दिनों में, फाईनेंस बिल तो परसों शुरू हुआ, मेरे पास 40 हजार कार्ड यहां आकर पहुंचे। परसों मैंने प्राइम मिनिस्टर को सारे कार्ड लेटर के साथ दे दिए। उसमें उन्होंने चार मांगें कीं। चार मांगें फाईनेंस बिल के साथ संबंधित हैं इसलिए मैं उनका उल्लेख करना चाहता हूं। पहली मांग यह है कि इनकम टैक्स ऐग्जैम्प्शन लिमिट 48 हजार करनी चाहिए। जब मैं प्राइस इनडेक्स की तुलना कर रहा था तो 1982 की तुलना में कंज्यूमर प्राइस इनडैक्स की फिगर्स मेरे पास हैं। जुलाई 1982, सौ प्रतिशत को यदि हम देखें तो जुलाई 1990 में रुपए की कीमत 53 पैसे हो गई थी और आज 46 पैसे हो गई है। गए दस सालों में रुपए की कीमत इतनी कम हो गई है।

[अनुवाद]

श्री ए० चारलेस (त्रिवेन्द्रम) : मैं आपकी अनुमति से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : पूछिए। सवाल तो वैसे मन्त्री जी से पूछना चाहिए लेकिन यदि आप हमसे पूछना चाहेंगे तो हम जवाब देंगे।

[अनुवाद]

श्री ए० चारलेस : आपने कहा कि आपने 40,000 पोस्टकार्ड और प्रश्नावली प्राप्त की है और यह सुझाव भी दिया कि आयकर की ऊपरी सीमा बढ़ाकर 48,000 रुपए की जानी चाहिए। इससे देश के कितने प्रतिशत लोग लाभान्वित होंगे ?

श्री राम नाईक : हो सकता है कि बहुत अधिक लोग न हों, किन्तु आप कुछ करोड़ रुपये जुटाने के लिए अपनी शक्ति और प्रशासनिक तन्त्र का अपव्यय करेंगे।

श्री मनमोहन सिंह : 90 प्रतिशत आंकलन सरसरी आंकलन है। इसमें कोई प्रशासनिक व्यय नहीं होता।

श्री राम नाईक : आप 22000 रुपए तक छूट दे रहे हैं। रुपए का मूल्य क्या है ? 48000 रुपए की सीमा निर्धारित करने के विषय पर मैं और अधिक नहीं बोलूंगा।

[हिन्दी]

मैं 48 हजार की बात कर रहा था। इसलिए इनकम टैक्स की मर्यादा 48 हजार तक होनी चाहिए। दूसरी मांग यह है कि घरों में लगने वाले रसोई गैस की कीमतें प्री-बजट लैवल पर लानी चाहिए। तीसरी बात जिसका उल्लेख हुआ है··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : रसोई गैस पर 870 करोड़ रुपए की राजसहायता दी जाती है।

श्री राम नाईक : आप अन्ततः किसे दण्ड दे रहे हैं और किस लिए दे रहे हैं ?

[हिन्दी]

जो मिडिल क्लास और फैक्ट्री वर्कस हैं, जो मेहनत करते हैं उनका पैसा आप ऐसे ही खींच कर लाएंगे और जो ब्लैक-मार्केटियर्स हैं, जिसके पास ऐसे ही पड़ा हुआ पैसा है उसको बाहर निकालने के लिए इनसैनटिव दे रहे हैं। इसलिए आपकी भूमिका क्या है इसका विचार करने की बात है।···(व्यवधान) फिल्म इण्डस्ट्री को देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक बार इण्डस्ट्री मानी जाए तो इण्डस्ट्री इण्डस्ट्री के नाते चलनी चाहिए, ऐसी मेरी राय है। उनको अभी कठिनाईयां हैं, उन्हें यदि दिया है तो ठीक किया है।

रेलवे के बारे में कहा है कि उपनगर रेलवे का किराया भी कम करना चाहिए और जुलाई 90 के लैवल पर प्राइस लाने चाहिए। मैंने यह बात इसलिए कही कि इस बारे में लोगों का रोष है वह रोष आपके ख्याल में आना चाहिए। आपको यदि सही रोष देखना होगा तो 27 सितम्बर को,

[श्री राम नाईक]

जब सरकार के सौ दिन पूरे होते हैं, मुम्बई में महिलाओं का एक कार्यक्रम रखा है। आप जरा देखने के लिए आइए कि सारी हाउस वाइव्स का महिलाओं का गुस्सा किस प्रकार का है।

श्री विलास मुत्तेमवार : महिलाओं का कार्यक्रम आप ज्यादा ही रखते हैं।

श्री राम नाईक : पहले आपको लगता था कि हम किसानों के साथ नहीं हैं। किसानों का कार्यक्रम हो गया तो शरद जोशी को लगा कि किसान इनके साथ हैं। आपके बजट के बारे में लोगों को कैसा लगता है उस पर विचार करने की आवश्यकता है। यदि आपने इस बात पर विचार नहीं किया तो फिर स्वाभाविक है कि लोग अपना गुस्सा आन्दोलन के जरिए व्यक्त करेंगे। जब इस तरीके से गुस्सा व्यक्त होता है तो देश के लिए और समाज के लिए लाभदायक नहीं होता है।

दूसरी बात इस फाइनान्स बिल के सम्बन्ध में मुझे जो कहनी है वह है 2500 के इन्टरस्ट के बारे में। आज कोई भी गवर्नमेंट एम्पलाई जो रिटायर होता है आज का फैक्ट्री वर्कर जो कि दिल्ली, कलकत्ता और मुम्बई जैसे शहर में काम करता है उनको रिटायर होने के बाद जो ग्रेच्युटी मिलती है वह 80 हजार या एक लाख रु० तक मिल जाती है। उसकी सारी जिन्दगी की कमाई वही है और उस पर उसको ढाई हजार से ज्यादा इंटरस्ट मिलता है। रुपए की कीमत कम होती जा रही है। इसलिए मेरा कहना है कि जो रिटायर्ड पेंशनर्स हैं या जिन को इस प्रकार की ग्रेच्युटी मिलती है, ऐसे लोगों को केवल सैलरीड क्लास की विशेष बात कहकर स्कीम से कैसे उनको निकाल सकते हैं, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। यदि आप ऐसा भी करेंगे तो जो अपेक्षित वर्ग है वह और पिसता चला जायेगा। वैसे भी उसकी पेंशन बढ़ती नहीं है, जिस प्रकार से महंगाई भत्ता बढ़ता है। जो पेंशनर्स हैं, उनको जो तकलीफ आपके इस निर्णय के कारण आने वाली है वह आपको समझनी चाहिए ऐसी मेरी मांग है।

अरबन कोआपरेटिव बैंकों के बारे में हमारे कई सदस्यों ने कहा। इसलिए मैं उसको ज्यादा लम्बा नहीं दोहराऊंगा। अरबन कोआपरेटिव बैंक जो कि विशेषतः महाराष्ट्र गुजरात और मध्यप्रदेश में हैं, उनके लिए जो आपने पालिसी बनायी है, वह एक मौत की घंटी है। पहले इस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता था और आज आप सीधा ग्रॉस इनकम पर 3 परसेंट टैक्स लगा रहे हैं। कोआपरेटिव बैंक का फंक्शनिंग यह रहा है जहां से सरकार के नेशनलाइज्ड बैंकों में डिपाजिट नहीं होते थे, छोटे आदमियों को, छोटे व्यापारियों को, छोटे कारीगरों को, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज वालों को···(व्यवधान)···मैं यह कह रहा था कि ये जो कोआपरेटिव बैंक्स हैं उन बैंकों के लिए आपने जो 3 परसेंट इनकम टैक्स ग्रॉस इनकम पर लगाने की बात की है, वे रिसोर्सिज मोबिलाइज करते हैं और ऐसी जगहों पर कर्जा देते हैं जहां राष्ट्रीयकृत बैंक काम नहीं कर रहे हैं। आपने इसके द्वारा उनको जो एक तकलीफ दी है वह यह है कि आज तक राष्ट्रीयकृत बैंकों का रेट ऑफ इन्टरस्ट और अर्बन बैंकों का रेट ऑफ इंटरस्ट में एक परसेंट का अन्तर रहता था जिसके कारण अर्बन कोआपरेटिव बैंकों को कम्पीटिशन में एक लाभ रहता था। अब रिजर्व बैंक ने आधा परसेंट कर दिया है। पहले वह भी नहीं रखा था। जब हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया और आपको बताया तो फिर उसमें आधा परसेंट किया। यह कंजूसी किस लिए ?

अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स सारे नागरी विभाग में बहुत अच्छा काम करती हैं और इसलिए अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स को कमजोर करने की जो पद्धति इसमें से दिखाई देती है, वह बदलनी

चाहिए। आज मेरा कई अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स के साथ सम्बन्ध है, जार्ज फर्नान्डीज साहब का है, काफी लोगों का है, हमारे यहां के डिपॉजिट्स कम होने लगे हैं। अब एक एफीडेविट देकर यह बात चली कि इस प्रकार से जो कन्सेशन दिया है, उसका कुल लाभ होगा लेकिन बहुत लाभ होने वाला नहीं है और इसलिए अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स के बारे में जितनी भी बातें आपने लाई हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, जैसे इतने दिन अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स को सारे इनकम टैक्स के परव्यू में नहीं लिया गया था, उसी प्रकार से आपको अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स को इसमें से निकालना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह का निवेदन है।

होटल इण्डस्ट्रीज की दृष्टि से कुछ बात आपने कही। गर्मी इस देश में है, हम ऐसे देश में रहते हैं और ऐसे देश में एयरकण्डीशण्ड होटल लग्जरी बन गए। मैं यह समझ सकता हूं कि जहां रहने के लिए, रेजीडेंशियल व्यवस्था है, होटल्स हैं, उसके लिए आप लगाएंगे तो मैं मानता हूं, क्योंकि वहां रहने के लिए जो जाएगा, वह ज्यादा पैसा देगा लेकिन खाने के लिए जाता है, ढाबे पर हो या कहीं रास्ते का ढाबा हो... (व्यवधान)... मुम्बई ही क्या, आप मद्रास में जायेंगे, कलकत्ता में जायेंगे तो इसी प्रकार की स्थिति है। आपके ख्याल में यह आया, मुझे यह सारे देशवासियों का सौभाग्य लगता है कि एक होटल में दो टायलेट्स रखना भी आपको लग्जरी लगा था।

[अनुवाद]

सरकार किस सीमा तक विपरीत दिशा में सोच रही है।

[हिन्दी]

पुरुषों के लिए एक और महिलाओं के लिए एक अलग-अलग टायलेट्स नहीं होने चाहिए।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इन्होंने इस प्रयोजनार्थ एक संशोधन पेश किया है।

श्री राम नाईक : लेकिन इन्होंने ऐसा केवल इस बारे में शिकायत करने के पश्चात् किया।

[हिन्दी]

यानि सरकार सोचती कैसे है, इसका यह उदाहरण है। इसलिए आपको जो ईटिंग-हाउसेज हैं, उन ईटिंग हाउसेज को तो आपको एयर कण्डीशनर में से निकालना चाहिए। आपको इनकम टैक्स होटल में से मिलेगा इसलिए मेरी यह मांग है कि केवल ईटिंग हाउसेज जहां है, ऐसे ईटिंग हाउसेज में केवल एयरकण्डीशन है इसके बारे में ज्यादा टैक्स लगाने का विचार नहीं करना चाहिए।

अन्त में केवल एक पाइन्ट है, केवल वह बताऊंगा। ग्लास इण्डस्ट्रीज के बारे में कहा गया है, मेरा इससे बहुत नजदीक का सम्बन्ध है, क्योंकि मेरे क्षेत्र में ही 3-4 बड़ी-बड़ी ग्लास फैक्टरीज हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि यह लेबर इण्टेंसिव इण्डस्ट्री है। इसमें सभी प्रकार से विचार करने की आवश्यकता है, विचार करने के लिए लोग आपको मिलने वाले हैं, आप इसका बाद में विचार करिए इसलिए इसमें मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं।

एक बात और कहूंगा सारे डवलपमेंट प्रोसेस में, जिसकी एक दफा यहां प्रश्नोत्तर में बात निकली थी वह यह थी कि एम० पी० कांस्टीट्यूएन्सी फण्ड। हम सारे हिन्दुस्तान का विकास, सारे हिन्दुस्तान की योजनाओं का विचार करते हैं लेकिन ऐसी सारी योजनाओं के विचार में हमारे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की कुछ विशेष आवश्यकतायें होती हैं, जो ऑल इण्डिया का जब हम विचार

[श्री राम नाईक]

करते हैं तब पूरी नहीं होती हैं, ऐसी कई बातें होती हैं। हम बड़े-बड़े रास्ते बना रहे हैं, बड़े-बड़े ब्रिजेज बना रहे हैं लेकिन हमारे क्षेत्र में एक छोटा नाला होता है, उसमें 10 सालों से हम मांग कर रहे है लेकिन उस नाले पर ब्रिज नहीं बनाया जाता है। ऐसी छोटी-छोटी कई बातें होती हैं, जिनका सीधा सम्बन्ध नेशनल प्लानिंग के साथ नहीं आ सकता है लेकिन निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आ सकता है। इसलिए आपने यह कहा था कि इस पर पुनर्विचार आप करेंगे, सबके साथ मिलकर विचार करेंगे, विचार विनिमय करेंगे। अब इसको भी लगभग डेढ़ महीना हो गया है, मैं मानता हूं कि फाइनेंस बिल के कारण आपको समय नहीं मिला होगा लेकिन मेरी यह मांग इसलिए है कि जो भी जन प्रतिनिधि बनकर यहां आते हैं, जो सांसद हैं, उनको देश की सारी वित्तीय व्यवस्था के साथ ही साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र की जो विशेष आवश्यकता होती है, उसकी ओर ख्याल देने के लिए कुछ स्थान मिलना चाहिए और ऐसा स्थान तभी मिल सकता है जब वह अपने क्षेत्र के लिए आवश्यक बातें बता सकते है। इसके लिए महाराष्ट्र में जो योजना है कि हर विधान सभा क्षेत्र के लिए 21 लाख रुपया रिजर्व रखते हैं और जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग काउंसिल होती है, उसका वह प्लान बनाती है। मुम्बई महानगर पालिका में तो हर कारपोरेशन वार्ड का 10 लाख रु० हर साल होता है जिसमें वह कारपोरेशन के वार्ड में सुधार कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आप लोकसभा क्षेत्र के लिए, हमारे महाराष्ट्र मे एक लोकसभा क्षेत्र में छः विधान सभाओं के क्षेत्र आते हैं, मध्य प्रदेश में सात-आठ आते हैं, सामान्यतः डेढ़ करोड़ रुपया दें हर पार्लियामेंट्री कांस्टीच्युयेंसी के लिए प्रावधान करें, तो 750 करोड़ रुपए लगेंगे। यदि मैं गलत नहीं हूं, तो यह आपके टोटल बजट का 0.3 परसेंट है। यह 30 परसेंट वहां के स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सांसद कुछ योजनाएं और सुझाव दें। उसके अनुसार काम करें तो आम आदमी को सारे प्लानिंग प्रोसेस में और काम के प्रोसेस में सहभागी बना सकते हैं। ऐसा काम और इस प्रकार का विचार माननीय वित्त मन्त्री करें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

*श्री वी० कृष्णा राव (चिक्कबल्लापुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने देश में व्याप्त वित्तीय संकट के बावजूद एक संतुलित वित्त विधेयक पेश किया है। मैं उन्हें व अन्य संबंधित व्यक्तियों को दिल से मुबारकबाद देता हूं। मैं वित्त विधेयक का स्वागत करता हूं और माननीय वित्त मन्त्री जी के विचारार्थ कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

खाद्यान्न, वस्त्र तथा आवास प्रत्येक नागरिक की मूलभूत आवश्यकताएं है। सरकार को देश में सभी व्यक्तियों को यह मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ विशेष योजनाएं बनाई जानी चाहिएं और सरकार को नवीन योजनाएं आरम्भ करनी चाहिएं।

ग्रामीण निर्धनों विशेषकर हरिजनों व गिरिजनों को उचित आवास सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। अब तक हम उनके आंसू पोंछ नहीं पाये हैं। अमीर और गरीब के बीच की दूरी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस पर शीघ्र नियंत्रण पाना होगा और गरीबों को अच्छी आवास सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। माननीय वित्त मंत्री, श्री मनमोहन सिंह में यह सब करने की सामर्थ्य है।

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

हमारे देश ने आशा के अनुरूप प्रगति नहीं की है। जापान, जर्मनी, अमेरिका इत्यादि जैसे देशों द्वारा की गई प्रगति की तुलना में हमारी प्रगति बहुत कम है। हमारे देश में योग्य तथा बुद्धिमान व्यक्तियों की कमी नहीं है। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन भी बहुतायत में हैं। फिर भी हमारी प्रगति नगण्य है। हमारे पास सामर्थ्य है परन्तु दुर्भाग्यवश इसका समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। अत: माननीय मंत्री जी को नई योजनाएं लानी चाहिये ताकि इस देश के गरीब लोगों को लाभ पहुंच सके।

हमारी स्वर्गीय नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने गरीबों को सहायता पहुंचाने के श्रेष्ठ उद्देश्य से प्रेरित होकर अधिकांश बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया किन्तु इन बैंकों क्या हो रहा है? मैं यह जानना चाहता हूं कि यह बैंक गरीबों की सहायता कर रहे हैं या प्रबन्धकों की या फिर बैंक के अन्य अधिकारियों की? ग्रामीण बैंक की आज क्या स्थिति है? मैं गांव में जन्मा व पला-बढ़ा हूं और ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत हूं। इन बैंकों का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए और इनके कार्यकरण पर निगरानी रखी जानी चाहिए।

देश में औद्योगिक विकास कैसा चल रहा है? देश के कितने औद्योगिक एकक रुग्ण हो गए हैं? हमारी योजनाओं में कहां गलती हुई है। हमारे वित्त मन्त्री जी को आत्मविश्लेषण करके इन रुग्ण औद्योगिक एककों का हल ढूंढना चाहिए रुग्णता समाप्त की जानी चाहिए और उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिए, सरकार को प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिये।

यदि परिवार नियोजन कार्यक्रमों को दृढ़तापूर्वक लागू न किया गया तो कोई फायदा न होगा। परिवार नियोजन के बिना देश की सभी प्रगति बेकार हो जाएगी और नष्ट हो जाएगी। सरकार के समक्ष परिवार नियोजन को आवश्यक बनाने के सिवा कोई चारा नहीं है।

महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। पर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उर्वरक राजसहायता के बारे में दोगली नीति क्यों है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कृषकों को उर्वरक पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कृषकों को उर्वरकों की बिक्री के सम्बन्ध में काला बाजारी व अन्य अनाचार व्याप्त हैं। उर्वरक पाने के लिए कृषकों को ग्राम लेखा पाल और एजेंट बनना पड़ता है। माननीय वित्त मंत्री जी को इसमें शीघ्रातिशीघ्र सुधार करना चाहिए। संस्थानों, उद्योगों तथा अन्य संगठनों को बीमा कराने की सुविधा उपलब्ध है। हमारे देश में दुर्भाग्यवश फसल बीमा की कोई योजना नहीं है। बीमे की सुविधा कृषकों के लिए अनिवार्य है और इसके बिना उनकी प्रगति असंभव है। इसी प्रकार समर्थन मूल्य भी कृषकों के लिए आवश्यक है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कर्नाटक में निम्नलिखित परियोजनाओं को स्वीकृति देने का आग्रह करता हूं :

(1) विजय नगर इस्पात संयंत्र,

(2) मंगलौर रिफाइनरीज,

(3) रायचूर ताप विद्युत संयंत्र, दूसरा एकक।

कोलार स्वर्ण क्षेत्र में सोने की खानों को बन्द किया जा रहा है और लगभग 14000 श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। विश्वसीय सूत्रों से पता चला है कि (सोना निकाले जाने के पश्चात)

[श्री बी. कृष्णा राव]

पहाड़ियों के सवृक्ष ढेरों के रूप में जो मिट्टी जमा की जाती है उसमें सोने का अच्छा प्रतिशत रहता है। इसका पता लगाया जाना चाहिए क्योंकि इससे न केवल बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा अपितु सरकार को सोना भी उपलब्ध होगा।

कर्नाटक में न तो पर्याप्त बिजली है और न ही पेयजल। पशुओं के लिए चारा नहीं है। इसलिये, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि काइगा परमाणु विद्युत संयंत्र कब कार्य करना आरम्भ करेगा।

कर्नाटक की अधिकांश सिंचाई परियोजनायें पिछले कई दशकों से लम्बित पड़ी हैं। वे है :—

(1) ऊपरी भद्रा;

(2) काबिनी;

(3) हरंगी;

(4) हेमवती।

मैं माननीय मंत्री जी से इन आवश्यक परियोजनाओं को पूरा करके कर्नाटक के कृषकों की सहायता करने की अपील करता हूं।

नेहरू रोजगार योजना को लागू करने के लिए भारी धनराशि व्यय की जा रही है। करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं किन्तु गरीब ग्रामीणों को कुछ नहीं मिलता। ग्राम पंचायतों तथा मंडल पंचायतों में क्या हो रहा है। ग्रामीणों तथा कृषकों का नुकसान हो रहा है। यदि ऐसी ही स्थिति बनी रही तो कृषक विद्रोह करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह इन घटनाओं की जांच करने और सुधारात्मक उपाय करने के लिए एक दल भेजें।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र भयानक सूखे से त्रस्त है। नारियल के अधिकांश पेड़ सूख गए हैं। माननीय उपाध्यक्ष, श्री मल्लिकारजुनय्या यहां मौजूद हैं और कृषकों की स्थिति से भली-भांति परिचित हैं। कोलार, तुमकुर, बंगलौर और चित्रदुर्ग जिलों में सूखे की स्थिति है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से इन सूखा-प्रवण जिलों में राहत सहायता प्रदान करने के लिए एक स्थाई बोर्ड की स्थापना करने का आग्रह करता हूं।

कर्नाटक के लोग केन्द्र से सहायता की आशा रखते हैं। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री कर्नाटक के लोगों की हर संभव सहायता करेंगे।

महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

12.00 रात्रि

श्री राम नाईक : महोदय, मेरे पास कोडोपाईरिन और एस्प्रिन की दो गोलियां हैं। यदि किसी सदस्य को इनकी आवश्यकता हो, तो मैं दे सकता हूं।

एक माननीय सदस्य : क्या कभी आप डाक्टर थे?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने हमेशा हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों पर चर्चा की है।……

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, 12 बजने जा रहे हैं, वित्त विधेयक पर बहस चल रही हैं। इसमें हमारे विद्वान माननीय सदस्यों ने अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं। हमारे देश का यह मुख्य उपकरण है, इस पर बोलना कठिन है, फिर भी जो हमारे सामने बजट बन कर आया और जिस वित्त विधेयक पर हम बहस चला रहे हैं, मैं अपने माननीय वित्त मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे अर्थशास्त्र के महान विद्वान हैं, इसमें कहने की बात नहीं है। इन्होंने दो दोनों चीजें लायीं, बजट बनाया और यह वित्त विधेयक बनाया। हमारे देश की आर्थिक स्थिति बदतर होती जा रही है। इसको मजबूत करने के लिए ये दोनों चीजें लाए थे। यह बात भी सही है कि इस बात पर गौर करना जरूरी है कि क्या कारण है, कौन सी गलत नीति हुई है, जिसके कारण हमने अपने देश को यहां तक पहुंचाया। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। ऐसा न हो उसी गलत नीति से भटक कर देश को और नीचे ले जाएं।

अभी जो बजट हम देख रहे है, जो बजट आया, बजट के बारे में लोगों ने चर्चा की। यह बात नहीं है कि विपक्ष का काम अच्छे को बुरा कहना है। विपक्ष का काम यह है कि जो अच्छा है उसको अच्छा कहना है। इसलिए यह बात हम कतई नहीं मानते हैं कि हमारी सरकार अगर अच्छा काम करेगी तो उसे हम गलत कहेंगे, मैं जरूर कहूंगा कि यह बहुत बढ़िया काम है, इससे देश का फायदा होगा। लेकिन अभी आप बता सकते हैं जो यह वित्त विधेयक आया उससे क्या होगा? उससे मंहगाई बहुत बढ़ी है। आपने यह कहा था कि हम महंगाई पर काबू पायेंगे। कल हमने कड़वा तेल खरीदा, 2 किलो, उसका दाम 92 80 रुपये है। अब यह सोच सकते हैं कि यह बजट आया था गरीबों, किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों को, इस तरह के लोगों को राहत देने के लिए न कि यह बजट नुकसान पहुंचाने के लिए आया था। इससे भी पता चलता है कि इस बजट में क्या कमियां हैं। क्यों ऐसा हुआ। हम महंगाई पर काबू नहीं पा रहे हैं।

दूसरी चीज है अध्यक्ष महोदय, आज जो वित्त विधेयक पर हम बहस चला रहे हैं, इस पर जो सुझाव आ गए हैं, इससे अधिक हम सुझाव नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक चीज यह माननी होगी कि हिन्दुस्तान का हर आदमी जुबान से यह निकालता है कि यह कृषि प्रधान देश है। यह सच्चाई है। वास्तव में लोग कहते हैं कि यह कृषि प्रधान देश है। इस कृषि प्रधान देश के ऊपर निर्भर करने वाले 75 फीसदी किसान और मजदूर हैं। देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने वाले हैं, जैसे अभी माननीय सदस्य ने बताया कि व्यापारी वर्ग ही रीढ़ है हम कहते हैं कि किसान और खेती ही इस देश की आर्थिक रीढ़ है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा अपने देश को चलाते हैं, बनाते हैं।

इसलिए हमारा कहना है कि कृषि को अभी तक विकसित नहीं किया गया है। कृषि को अगर विकसित किया जाता तो आज जो हमारी आर्थिक स्थिति है, इस स्थिति में हम नहीं पहुंचते। हम इससे अच्छी स्थिति में रहते। लेकिन आज कृषि वर्षा पर निर्भर कर रही है और जब वर्षा पर

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

निर्भर कर रही है, इसी से पता चलता है कि हम कृषि के मामले में कितने पिछड़े हैं। जब हम ईश्वर पर भरोसा रखकर कृषि को करते हैं, किसानों को कृषि से लाभ नहीं होता है। कारण यही है कि आपने कृषि पर ध्यान नहीं दिया।...

दूसरी चीज आर्थिक हालत के बारे में कहना चाहता हूं। इन पर आर्थिक हालात को सुधारने के लिए हमने अंतरर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लिया है तो क्या इससे हालात में सुधार होगा या नहीं। एक देहाती मसला है कि कोई आदमी अपने घर के खाने-पीने के लिए ऋण लेता है तो वह पनपने वाला नहीं है। आपने ऋण लिया है और जैसा कि ब्याज और शर्तों को कबूल किया है। यह कबूल करना ही था क्योंकि हालात खराब थे। आपको कबूल करना था लेकिन देश कहां जाएगा। यह गौर करने की बात है। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं। आपने जो ऋण लिया है, उसमें गलती या भूल नहीं हो सकती है। आपको देश के हित के बारे में सोचना है। देश के हित के लिए आप संशोधन करें जिससे हम देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत कर सकें। जो हमारी गलत आर्थिक नीतियां हैं, उनको दोहरायें नहीं जिससे हमारे देश को धरातल में जाना पड़े।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि हमने आज की कमाई कर ली। मैं आप लोगों के सहयोग के लिए आपका धन्यवाद देता हूं। सभा आज, 14 सितम्बर, 1991 को 11 बजे म०प० पर पुन: समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है। औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात वित्त विधेयक पर उत्तर दिया जाएगा। वैसे कोई भाषण नहीं होंगे।

00.07 म०प०

तत्पश्चात्, लोक सभा शनिवार, 14 सितम्बर, 1991/23 भाद्र, 1913 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, 472, एसप्लेनेड रोड, दिल्ली-110006